छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2026 सत्र

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2026

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के जिलों में संचालित बी.एड./डी.एड. महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

1. (*क्र. 172) सुश्री लता उसेंडी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के कितने जिलों में बी.एड./डी.एड. महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है और जिन जिलों में बी.एड./डी.एड. महाविद्यालय नहीं हैं, उन जिलों में कब तक महाविद्यालय खुल जाएंगे ? क्या कोंडागांव जिले में बीएड पाठ्यक्रम चालू करने हेतु शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें ? **(ख)** शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? संवर्गवार जानकारी दें ? विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में कुल छात्र क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में कितने छात्र अध्ययनरत हैं ? इसके विरुद्ध UGC मानकों के अनुसार कितने शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए एवं वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ? **(ग)** क्या वर्तमान समय में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे विषयों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती आमंत्रित की गई है जिनमें वर्तमान में कोई छात्र पंजीकृत नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे विषयों एवं पदों का विवरण दें तथा इसका औचित्य क्या है ? क्या पूर्व में भर्ती से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले में B.ed/D.ed महाविद्यालय संचालित नहीं है। प्रदेश के जिलों में B.ed/D.edमहाविद्यालय का संचालन वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। **जी हॉं।** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में शैक्षणिक के कुल-265 पद स्वीकृत एवं कुल-236 पद रिक्त है तथा गैर-शैक्षणिक संवर्ग के कुल-320 पद स्वीकृत एवं कुल-291 पद रिक्त है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में कुल छात्र क्षमता 3300 है तथा वर्तमान में 1898 छात्र अध्ययनरत हैं। इसके विरुद्ध UGC मानकों के अनुसार 223 शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए एवं वर्तमान में 29 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में कुल छात्र क्षमता 44632 है तथा वर्तमान में 21972 छात्र अध्ययनरत हैं। इसके विरुद्ध UGCमानकों के अनुसार 2037 शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए एवं वर्तमान में 292 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। **(ग) जी हॉं।** शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर द्वारा सांख्यिकी विषय के लिए शिक्षकों की भर्ती हेतु दिनांक 14.03.2026 को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिनमें वर्तमान में कोई छात्र पंजीकृत नहीं है। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

विषय	पदों का विवरण		
	प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
सांख्यिकी	01	02	04

औचित्य निम्नानुसार हैः-
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर वर्ष 2024 से घोषित मेरू विश्वविद्यालय है अर्थात यह विश्वविद्यालय बहुविषयी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित विश्वविद्यालय है। मेरू विश्वविद्यालय के मैनडेट के अनुसार इस विश्वविद्यालय में मल्टी डिस्प्लीनरी, इन्टर डिस्प्लीनरी, ट्रान्स डिस्प्लीनरी तथा गुणवत्तापूर्ण बहुविषयी शोध कराया जाना अनिवार्य गतिविधियों का हिस्सा है। सांख्यिकी एक बहुविषयी विषय है। उदाहरण के लिये सांख्यिकी इकोनामिक्स में इकोनामेट्रिक्स तथा मैथेमेटिकल इकोनामिक्स तथा साइकोलॉजी में साइकोलाजिकल स्टैटिसटिक्स तथा बायोटेक्नॉलाजी में बायोस्टैटिसटिक्स, मैनेजमेंट में बिजनेस स्टैटिसटिक्स के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक स्तर पर जेनेरिक इलेक्टिव/वेल्यू एडिशन/स्कील इनहेन्समेन्ट अथवा छात्राओं को भी सांख्यिकी विषय का अध्ययन कराया जाता है। यह भी स्पष्ट करना है कि प्रत्येक विषय के शोध (पी.एच.डी.) में आंकड़ों की एनालेसिस प्रश्नोत्तरी से प्राप्त हुये सूचना का एकत्रीकरण तथा सांख्यिकी निष्कर्ष तथा स्टेटिकल एनालेसिस में भी सांख्यिकी विषय का प्रयोग होता है। बस्तर क्षेत्र में सांख्यिकी में शोध को बढ़ावा देने एवं शोध के आधार पर बस्तर अंचल में रिजनल इकॉनामिक की योजना तथा विकास के अन्य मॉडल का निर्माण एवं योजना तैयार करने में भी सांख्यिकी का विशेष प्रयोग भी विश्वविद्यालय की योजनाओं का हिस्सा है। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-1-8 /2021/38-1 दिनांक 16.10.2024 द्वारा उक्त पदों को वित्त विभाग से भरने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके परिपालन में भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 14.03.2026 को जारी किया गया है। वर्तमान में छात्र-छात्राओं का प्रवेश प्रक्रियाधीन है। **जी हॉ,** जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा पत्र दिनांक 13.02.2026 द्वारा शिकायतें निराधार होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
सहायक प्राध्यापक

छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत गाँवों का बंदोबस्त

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. (*क्र. 85) श्री जनक ध्रुव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी गाँव का बंदोबस्त हर कितने साल में होना होता है ? राज्य में ऐसे कितने गाँव हैं, जिनका बंदोबस्त राज्य गठन सन 2000 के बाद से, दिनांक 17/06/26 तक नहीं हुआ है ? जिलेवार जानकारी दें ? ऐसे गाँवों का बंदोबस्त नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है और इन गाँवों के बंदोबस्त कब तक कर लिए जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी गाँव का सर्वेक्षण एवं भू-राजस्व का निर्धारण सामान्यतः 30 साल में होना होता है । राज्य में कुल 20551 राजस्व ग्राम हैं जिसमें से 19805 ग्राम सर्वेक्षित है तथा 746 ग्राम असर्वेक्षित है, जिसमें से 371 ग्राम में सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है एवं 375 ग्राम में सर्वेक्षण अप्रारम्भ है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। सर्वेक्षण का कार्य चरणबद्ध रूप से स्वीकृत योजना, वित्तीय प्रावधान, तकनीकी संसाधन की उपलब्धता के आधार पर संपादित किया जाता है। अत: ऐसे गावों का सर्वेक्षण नहीं होने के लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । शेष गांवों के सर्वेक्षण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।**[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]**

<u>अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध जारी बेदखली वारंट एवं की गई कार्यवाही</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. (*क्र. 224) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा प्रश्नोत्तर-सूची दिनांक 10 मार्च, 2026 में मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1614) में दिये गये उत्तर में प्रश्नांकित अवधि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक के अतिक्रमणकारियों की सूची तथा उन्हें जारी किये गये बेदखली आदेश की सूची में प्रदीप कुमार आत्मज डोमार सिंह, निवासी नगर पंचायत गुरूर, दुर्गानंद आत्मज निरधीन साहू निवासी ग्राम बोड़रा के अलावा कुछ अन्य अतिक्रमणकारियों की जानकारी सम्मिलित नहीं है ? क्या उक्त उल्लेखित दोनों अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध तहसीलदार, गुरूर के द्वारा कोई बेदखली वारंट जारी किया गया है ? यदि हॉ तो, बेदखली वारंट जारी करने के दिनांक सहित उनके द्वारा अतिक्रमण किये गये भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी देवें ? **(ख)** दिनांक 16 जून, 2026 की स्थिति में कण्डिका 'क' में उल्लेखित अतिक्रमणकारियों को क्या अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर शासकीय भूमि को उनसे कब्जामुक्त कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से अभी तक इन पर बेदखली की कार्रवाई नहीं की गयी है ? जानकारी देवें ? **(ग)** दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 16 जून, 2026 तक कलेक्टर, जिला बालोद को किन-किन स्थानों से अतिक्रमण हटाने हेतु कब-कब, किन-किन का लिखित पत्र/आवेदन/शिकायत आदि प्राप्त हुई है एवं इन पर जिला प्रशासन बालोद द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) विधानसभा प्रश्नोत्तर सूची दिनांक 10 मार्च 2026 में तारांकित प्रश्न सरल क्र0-07 (प्रश्न क्र0 1614) के दिये गये उत्तर में 01 जनवरी 2023 से दिनांक 31 जनवरी 2026 तक अतिक्रमणकारियों की सूची तथा उन्हें जारी किये गये बेदखली आदेश में अतिक्रमणकर्ता प्रदीप कुमार आत्मज डोमारसिंह निवासी नगर पंचायत गुरूर एवं अतिक्रमणकर्ता दुर्गानंद आत्मज निरधीन साहू निवासी बोड़रा का अतिक्रमण संबंधी प्रकरण 01 जनवरी 2023 से पहले का होने के कारण सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित दोनों अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार गुरूर के द्वारा बेदखली वारंट जारी किया गया है। (i) अतिक्रमणकर्ता प्रदीप कुमार आत्मज डोमारसिंह निवासी नगर पंचायत गुरूर के प्रकरण में बेदखली वारंट दिनांक 17/09/2025 को जारी किया गया है। भूमि का विवरणः- ग्राम गुरूर तहसील गुरूर स्थित शासकीय घांस मद की भूमि ख.नं. 599 कुल रकबा 0.07 हे. में से 12.69 वर्गमीटर जिसकी लम्बाई 4.70 मीटर चौड़ाई 2.70 मीटर भूमि पर अनावेदक प्रदीप कुमार आ0 डोमारसिंह जाति तेली साकिन गुरूर द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने का प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2020 को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार गुरूर में अतिक्रमण संबंधी रा.प्र.क्र. 202007240300005/03 अ-68 वर्ष 2019-20 दर्ज कर दिनांक 31/07/2020 को कार्यवाही प्रारंभ किया गया। (ii) अतिक्रमणकर्ता दुर्गानंद आत्मज निरधीन साहू निवासी बोड़रा के प्रकरण में बेदखली वारंट दिनांक 11/12/2025 को जारी किया गया है। भूमि का विवरणः- ग्राम बोड़रा तहसील गुरूर स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 278 का टु. रकबा 1.43 हे. में से 7×6 = 42 वर्गमीटर भूमि पर अनावेदक दुर्गानंद आ. निरधीन जाति तेली साकिन बोड़रा द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने का प्रतिवेदन दिनांक 30/06/2017 को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय नायब तहसीलदार गुरूर में अतिक्रमण संबंधी रा.प्र.क्र. 201707241900040/48 अ-68 वर्ष 2016-17 किया जाकर दिनांक 01/07/2017 को कार्यवाही प्रारंभ किया गया। **(ख)** दिनांक 16 जून 2026 की स्थिति में कंण्डिका 'क' में उल्लेखित अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध बेदखली वारंट जारी किया गया है किन्तु वरिष्ठ न्यायालयों में अनावेदकों द्वारा अपील/पुनरीक्षण में जाने के कारण बेदखली की कार्यवाही शेष है।**(ग)** दिनांक 01 जनवरी 2025 से दिनांक 16 जून 2026 तक कलेक्टर जिला बालोद के साथ-साथ अनुविभागीय

अधिकारी/तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने हेतु लिखित आवेदन पत्र/शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	तहसील	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	प्रक्रियाधीन
1	गुरूर	82	19	63
2	बालोद	34	24	10
3	डौण्डीलोहारा	6	3	3
4	मार्री बंगला देवरी	2	0	2
5	अर्जुन्दा	3	2	1
6	गुण्डरदेही	11	0	11
7	डौण्डी	8	4	4
कुल		146	52	94

उपरोक्त जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोयला भंडारण में पर्यावरणीय शर्तों का पालन

[खनिज साधन]

4. (*क्र. 161) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कोयला भंडारण अनुज्ञप्ति किन-किन स्थानों पर, कितनी-कितनी मात्रा हेतु एवं कितनी अवधि के लिए स्वीकृत है एवं वर्तमान में उनके संचालन की क्या स्थिति है ? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार स्वीकृत कोयला भंडारण की अनुज्ञप्तियों की वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कब-कब जांच की गई तथा अनियमितता पाये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** कंडिका "क" के अंतर्गत क्या अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा पर्यावरण विभाग की शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? इसके संबंध में जांच, पर्यावरण विभाग द्वारा की गई है ? यदि हां, तो विवरण देवें तथा अनियमितता पाये जाने पर विगत 02 वर्षों में कब-कब, किसके-किसके ऊपर, क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? **(घ)** क्या कंडिका "क" के क्षेत्र अंतर्गत कोपरा जलाशय अवस्थित है ? जो रामसर साईट के रूप में चिन्हांकित है ? यदि हां, तो क्या रामसर साईट के 10 किमी. के दायरे में कोल डिपो संचालित करने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो 10 किमी. के अंदर संचालित कोल डिपो के ऊपर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में कोयला भण्डारण अनुज्ञप्ति की जॉच एवं की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(घ)** जी हां, तखतपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोपरा में जलाशय स्थित है। जिसे दिनांक 12.12.2025 को छत्तीसगढ़ वेट लेण्ड अथॉरटी द्वारा रामसर साईट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रामसर साईट के 10 कि.मी. के दायरे में कोल डिपो संचालन के संबंध में वर्तमान में (आज दिनांक तक) छत्तीसगढ़ वैटलैण्ड अथॉरटी द्वारा दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं है।

जिला सुकमा के ग्रामों में विद्युतीकरण

[ऊर्जा]

5. (*क्र. 200) श्री कवासी लखमा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सुकमा में कितने ग्राम हैं ? इनमें विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने ग्रामों की स्वीकृति प्रदान की गयी ? इनमें कितने पूर्ण हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ? **(ख)** अब तक कितने ग्राम अविद्युतीकृत हैं ? ग्रामों के नाम विकासखण्डवार बताइए ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) सुकमा जिले में 394 आबाद ग्राम है, जिनमें से वर्तमान में 284 ग्राम परंपरागत पद्धति (ग्रिड) से एवं 110 ग्राम गैर परंपरागत पद्धति (आफ ग्रिड सोलर) से विद्युतीकृत है। वर्ष 2024-25 में गैर परंपरागत पद्धति से विद्युतीकृत 20 एवं वर्ष 2025-26 में 44 इस प्रकार कुल 64 ग्रामों के परंपरागत पद्धति (ग्रिड) से विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 19 कार्य पूर्ण हो चुके है एवं 45 कार्य प्रगतिरत है। **(ख)** सुकमा जिले के सभी 394 आबाद ग्राम परंपरागत एवं गैर परंपरागत पद्धति से विद्युतीकृत है। अतः शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता।

<u>सूचना का अधिकार के ऑनलाइन संचालन हेतु आर.टी.आई. पोर्टल का क्रियान्वयन</u>

[सामान्य प्रशासन]

6. (*क्र. 204) श्री दीपेश साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है ? **(ख)** यदि हाँ, तो राज्य के कितने विभागों, संभागीय कार्यालयों, जिला कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त पोर्टल से जोड़ा गया है ? विभागवार एवं जिलावार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में उक्त पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों, निराकृत आवेदनों एवं लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है ? विभागवार जानकारी दें ? **(घ)** क्या राज्य के सभी लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आर.टी.आई. पोर्टल के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ? यदि हाँ, तो विवरण दें तथा यदि नहीं, तो कब तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ? आर.टी.आई. पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समयबद्ध सूचना प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किया जाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां। **(ख)** राज्य के कुल 49 विभागों के 18301 कार्यालयों को आर.टी.आई. पोर्टल से जोड़ा गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ, ब एवं स** अनुसार है। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में उक्त पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों, निराकृत आवेदनों एवं लंबित आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**कुल प्राप्त आर.टी.आई. आवेदन**	**निराकृत आवेदन**	**लंबित आवेदन**
2024-25	69463	20409	49054
2025-26	84935	33310	51625

विभागवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र द एवं इ** अनुसार है। **(घ)** जी हॉ। मंत्रालय एवं संचालनालय स्तर पर, समस्त संभाग स्तरीय, आठ जिला स्तरीय, प्रशासन अकादमी निमोरा में 14, ठाकुर प्यारेलाल प्रशिक्षण संस्थान में 03 एवं संयुक्त संचालक कृषि, दुर्ग, संभाग-दुर्ग में 02 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गये। प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य निरंतर चल रहा है एवं मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जो जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आर.टी.आई. पोर्टल में उपयोगकर्ता को लॉगिन की सुविधा साथ ही ई-मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना अथवा जानकारी भेजी जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

<u>तेन्दूपत्ता एवं लघु वनोपजों का संग्रहण</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

7. (*क्र. 95) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सन् 2023 से दिनांक 17/06/26 तक तेन्दूपत्ता का तथा अन्य लघु वनोपजों का संग्रहण कितनी-कितनी मात्रा में हुआ ? संग्राहकों की संख्या तथा उनको भुगतान की गई राशि का विवरण तथा विक्रयों का विवरण, दर तथा प्राप्तियों

सहित वनमंडलवार तथा सीजनवार/वर्षवार (जैसा प्रचलित हो), बताएं ? **(ख)** लघु वनोपजों के लिए केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य तथा राज्य द्वारा निर्धारित उपार्जन मूल्य वनोपजवार वर्तमान में क्या-क्या है ? 2023 से दिनांक 17/06/26 तक इनके उपार्जन हेतु केंद्र से कितनी-कितनी आर्थिक सहायता, कब-कब प्राप्त हुई ? लाभ/हानि की स्थिति वर्षवार 2023 से दिनांक 17/06/26 तक क्या रही ? बोनस/अतिरिक्त पारिश्रमिक का देय, भुगतान तथा शेष का विवरण भी बताएं ? **(ग)** तेन्दूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपजों का शेष स्कंध कितना-कितना है ? लागत सहित उनके संग्रहण के सीजन/वर्ष सहित बताएं ? **(घ)** व्यापार हेतु लघु वनोपज संघ द्वारा कब-कब, कितना-कितना ऋण लिया गया है तथा क्यों ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सन 2023 से दिनांक 17/6/2026 तक तेन्दूपत्ता का तथा अन्य लघु वनोपजों के संग्रहित मात्रा, संग्राहकों, एवं भुगतान तथा विक्रय की जानकारी वनमंडलवार **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र- अ, ब, एवं स" अनुसार है । (ख)** लघु वनोपजों के लिए केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य तथा राज्य द्वारा निर्धारित उपार्जन मूल्य वनोपजवार की जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-द अनुसार है**, 2023 से 17/6/26 तक इनके उपार्जन हेतु केंद्र से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है वर्ष 2023 तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल राशि रू. 162.32 करोड़ का लाभ हुआ कुल 11.29 लाख संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि वितरित किया जाना है, अन्य लघु वनोपजों के विक्रय से लाभ-हानि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-इ अनुसार है** । वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 का तेन्दूपत्ता का पूर्ण विक्रय उपरांत ही लाभ की गणना कर प्रोत्साहन राशि वितरण की कार्यवाही की जा सकेगी।**(ग)** तेन्दूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपजों का शेष स्कंध, उनके लागत संग्रहण सीजन/वर्ष सहित **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र- उ अनुसार है** ।**(घ)** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण सीजन 2025 का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि रू. 300 करोड़ एवं तेन्दूपत्ता संग्रहण सीजन 2026 का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि रू. 300 करोड़ का ऋण राज्य शासन के 01 वर्ष की गारंटी पर लिया गया है।

विधानसभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत सहकारी बैंक का संचालन

[सहकारिता]

8. (*क्र. 254) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विधानसभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत बड़ेराजपुर एवं धनोरा में सहकारी बैंक का भवन बनने के बावजूद इसका संचालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? सहकारी बैंक संचालन के बारे में सरकार की क्या नीति/निर्देश है ? उक्त दोनों स्थानों पर निर्मित सहकारी बैंक भवन में कब तक इसका संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत बड़ेराजपुर एवं धनोरा में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा भवन निर्माणाधीन है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा बैंक उपविधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति व लायसेंस प्राप्त होने पर उपरोक्त दोनों बैंक शाखाओं का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

दंतेवाड़ा जिले के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा फिनिशिंग तार, खंभा, बारबेड वायर की खरीदी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

9. (*क्र. 5) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दन्तेवाड़ा जिले के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा सत्र 2024-25 से जून, 2026 की अवधि तक फिनिशिंग तार, खंभा, बारबेड वायर की खरीदी किन-किन फर्मो से कब-कब, किस-किस दर से की गई है ? उपरोक्त खरीदी के एवज में किन-किन फर्मो को कब-कब, कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? जानकारी वनपरिक्षेत्रवार बताएं ? **(ख)** प्रश्न (क) में उल्लेखित समयावधि के दौरान नियम विरूद्ध खरीदी, अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार वन परिक्षेत्रवार जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :(क) दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सत्र 2024-25 से जून 2026 की अवधि तक फिनिशिंग तार, खंभा, बारबेड़ वायर की खरीदी का फर्मवार, तिथिवार, दर की जानकारी एवं खरीदी के एवज में फर्मों को तिथिवार किए गए भुगतान की वर्षवार, परिक्षेत्रवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र " में दर्शित है।** विभिन्न तिथियों में फर्मों को कुल राशि रूपये 80,89,589/- का भुगतान किया गया है। **(ख)** प्रश्न **(क)** में उल्लेखित समयावधि के दौरान नियम विरूद्ध खरीदी, अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शिकायत पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रायपुर जिले में दर्ज प्रकरण एवं प्रदत्त मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

10. (*क्र. 79) श्री अनुज शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2024 से दिनांक 17/06/26 तक रायपुर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दर्ज प्रकरण एवं प्रदान किये गये मुआवजों का विवरण देवें ? प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं से जुड़े कितने-कितने तथा किस-किस प्रकार के मामले किन-किन तहसीलों के अंतर्गत दर्ज/पंजीकृत किये गये हैं ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इनमें से कितने प्रकरणों में हताहतों व परिजनों को कितनी-कितनी राशि का मुआवजा शासन की ओर से प्रदान किया जा चुका है तथा कितने तथा कौन-कौन से प्रकरणों में मुआवजा प्रदान किया जाना शेष है ? विवरण प्रदान करें ? **(ग)** विभाग द्वारा किन-किन प्रकरणों में प्रभावितों को कितना-कितना मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है ? विवरण प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला रायपुर में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के कुल 3030 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें कुल राशि रूपये 14,83,25,205/- की आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान की गई है। तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** दर्ज सभी प्रकरणों का आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान कर दिया गया है। कोई प्रकरण भुगतान हेतु शेष नहीं है।

(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण की योजना

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

11. (*क्र. 316) श्री रिकेश सेन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत पात्र परिवारों/कब्जाधारियों को भू स्वामी अधिकार या पट्टा वितरण किए जाने की कोई योजना/प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन या प्रक्रियाधीन है ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार यदि हाँ, तो राज्य के

शहरी क्षेत्रों (नगर निगम, नगरपालिका, और नगर पंचायत) में पट्टा वितरण की यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ कर दी जाएगी ? क्या शासन द्वारा इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय की गई है ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार वर्तमान में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? पूर्ण विवरण देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हां। **(ख)** राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियम के तहत पात्रता निर्धारण हेतु सर्वे की कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिनांक 08.05.2026 जारी किया गया है। सर्वे उपरांत पट्टा वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। शासन द्वारा सर्वे की कार्यवाही करने हेतु 15 अगस्त 2026 की अवधि निर्धारित की गई है। पट्टा वितरण किए जाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। **(ग)** वर्तमान में सर्वे की कार्यवाही हेतु समुचित संख्या में राजस्व एवं नगरीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए, सर्वेक्षण दल का गठन किया गया है।

सरगुजा जिले के राजस्व कार्यालयों में लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

12. (*क्र. 176) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरगुजा जिला अंतर्गत समस्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व), समस्त तहसील कार्यालय एवं समस्त उपतहसील कार्यालयों में विगत पाँच वर्षों से कुल कितने प्रकरण लंबित हैं ? कार्यालयवार प्रकरण सहित जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्न क अनुसार उक्त प्रकरणों का निपटारा कब तक किया जाएगा ? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्न क अनुसार उक्त कार्यालयों में कौन-कौन से कार्य के लिए कितनी समयावधि निर्धारित की गई है ? जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) सरगुजा जिले में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं ब** अनुसार है। **(ख)** न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करप्राथमिकता क्रम से सुनवाई करते हुए यथाशीघ्र निराकरण किया जावेगा। **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतुनिर्धारित समयावधि की जानकारी निम्नानुसार हैः-

प्रकरण का शीर्ष	निर्धारित समयावधि
धारा 170 ख के प्रकरण	45 कार्य दिवस
राजस्व अपील प्रकरण	45 कार्य दिवस
डायर्वसन/पुनर्निधारण	15 कार्य दिवस
त्रुटिसुधार	45 कार्य दिवस
वृक्षकटाई की अनुमति	15 कार्य दिवस
नामांतरण	30 कार्य दिवस
खाता विभाजन	45 कार्य दिवस
सीमांकन	30 कार्य दिवस

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

किसानों को पम्प कनेक्शन दिए जाने के लंबित प्रकरण

[ऊर्जा]

13. (*क्र. 154) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला राजनान्दगाँव व केसीजी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने नए सब स्टेशन लगाए गए व उनकी क्षमता क्या है ? उक्त अवधि में कितनी जगहों पर नए ट्रांसफार्मर व कितने खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर नए ट्रांसफार्मर लगाए गए ? जिलेवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? इसमें कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई या नहीं हुई है ? **(ख)** दोनों जिलों मे किसानों को पम्प कनेक्शन प्रदाय करने के कितने मामले लंबित हैं ? कितने पम्प कनेक्शन के लिए कितने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग की पूर्ति की गई और कितने ट्रांसफार्मर की मांग लंबित है ? **(ग)** छत्तीसगढ़ में किसानों को कितने पम्प कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितने पम्प कनेक्शन के लक्ष्य की पूर्ति कर पाए ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला राजनांदगांव एवं केसीजी के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 04 नग 3.15 एम.व्ही.ए. क्षमता के 33/11 के.व्ही. नवीन सबस्टेशन एवं 2155 नग नवीन वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। सभी खराब 797 नग ट्रांसफार्मरों को बदल कर नये ट्रांसफार्मर लगाए गये। उक्त समस्त कार्यों हेतु 334.43 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। निविदा की प्रक्रिया आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत कार्यों हेतु खुली निविदा एवं अन्य योजनाओं के कार्यों हेतु सीमित निविदा (सी.एस.पी.डी.सी.एल. में पंजीकृत ठेकेदारों) के तहत की गयी है। जिलेवार एवं विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** वर्तमान में राजनांदगाँव जिले में पंप कनेक्शन के 1375 एवं केसीजी जिले में 660 आवेदन लंबित हैं। उक्त दोनो जिलो हेतु वर्ष 2025-26 में 388 ट्रांसफार्मर प्रदाय किये गये एवं शेष कनेक्शनों के लिये 274 ट्रांसफार्मर वांछित हैं। **(ग)** छत्तीसगढ़ में किसानों को विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 में कुल 1,19,696 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें लक्ष्य के विरूद्ध 89,760 किसानों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

दंतेवाड़ा जिला के अलनार की पहाड़ी में लौह अयस्क खनन

[खनिज साधन]

14. (*क्र. 212) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दंतेवाड़ा जिला के अलनार की पहाड़ी स्थित लौह खदान किस कंपनी को कब आबंटित की गई ? फर्म / कंपनी के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" की खदान में 20 जून, 2026 तक कितनी मात्रा में लौह अयस्क का उत्खनन किया गया है ? कितनी -कितनी राशि शासन को राजस्व के रूप में प्राप्त हुई ? **(ग)** क्या उक्त खदान से उत्खनन प्रारंभ नहीं होने के बाद भी लगभग 2.75 लाख टन अयस्क उत्खनन संबंधी दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? क्या प्राप्त शिकायतों की जांच की गई ? यदि हाँ, तो जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई ? जांच में क्या पाया गया ? क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच नहीं की गई तो कारण बतावें ? **(घ)** क्या जांच में विभागीय अधिकारियों / उच्च अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई ? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ग्राम अलनार, तहसील बड़े बचेली, जिला दंतेवाड़ा की पहाड़ी में मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड, पता-आरती हाउस, अशोका रत्न, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) को वन कक्ष क्रमांक 1688 एवं 1689 के कुल रकबा 31.55 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवधि दिनांक 07.01.2017 से 06.01.2067 तक 50 वर्ष की अवधि हेतु खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृत है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की

खदान से दिनांक 20.06.2026 तक कुल 04 लाख 87 हजार 312 टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है तथा शासन को 25 लाख 15 हजार 886 रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। **(ग)** जी हां। 02 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यालय कलेक्टर, जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा जांच हेतु जिला स्तरीय अंर्तविभागीय अधिकारियों का जांच दल गठित किया गया है। जांच कार्यवाही प्रचलित है।**(घ)** जांच कार्यवाही प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत तद्नुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बोरियाखुर्द स्थित गजराज बांध हेतु अधिगृहीत भूमि

[जल संसाधन]

15. (*क्र. 220) श्री मोतीलाल साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोरियाखुर्द स्थित गजराज बांध के निर्माण के समय किन-किन ग्रामों से किस-किस खसरा नंबर से कितने रकबा में भूमि अधिगृहीत की गयी थी ? **(ख)** क्या विभाग द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण या अन्य विभाग/संस्था को स्थायी तौर पर उक्त बांध की जमीन को हस्तांतरित किया गया ? यदि हां, तो कितनी जमीन को हस्तांतरित किया गया ? खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित जानकारी देवें ? **(ग)** वर्तमान में कितना खसरा एवं रकबा गजराज बांध में सुरक्षित बचा है ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोरियाखुर्द स्थित गजराज बांध के निर्माण के समय 03 (तीन) ग्रामों की 73.884 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गयी थी। अर्जित ग्रामों का खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित भूमि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जी हां, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गजराज बांध की कुल 73.884 हेक्टेयर रकबे में से 8.561 हेक्टेयर भूमि आदेश दिनांक 23.03.2018 द्वारा सौंदर्गीकरण हेतु तथा शर्तों के साथ रायपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है। खसरा क्रमांक एवं रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** वर्तमान में गजराज बांध के लिए 65.323 हेक्टेयर रकबा सुरक्षित है। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

सरायपाली वन परिक्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य में भ्रष्टाचार की जांच

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

16. (*क्र. 188) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2024-25 से दिनांक 15 जून, 2026 तक महासमुंद जिले के वन परिक्षेत्र सरायपाली में बिगड़े वनों के सुधार कार्य में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर कब-कब क्या कार्रवाई की गई है ? शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत विवरण सहित जानकारी दें ? **(ख)** क्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच दल गठित की गई है ? यदि हां, तो जांच दल में कौन-कौन अधिकारी थे ? जांच दल ने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या प्रतिवेदन प्रेषित किया ? जांच प्रतिवेदन की कॉपी सहित पूर्व विवरण दें ? **(ग)** क्या दिनांक 15 जून, 2026 तक प्राप्त शिकायतों पर जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद कार्रवाई लंबित है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला बलरामपुर रामानुजगंज अंतर्गत कृषि ऋण वितरण में अनियमितता</u>

[सहकारिता]

17. (*क्र. 228) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अन्तर्गत अनेक प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों को फर्जी ऋण वितरण करने के मामले प्रकाश में आए हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने एफ.आई.आर. हुए हैं ? कौन-कौन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं ? **(ख)** कितने कृषकों के नाम पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड़यंत्र आदि करके कितनी-कितनी ऋण राशि की अनियमितता की गयी है ? वर्षवार, सोसाइटीवार, कृषकों की संख्या तथा नाम एवं पता बताएं ? **(ग)** क्या विभाग के द्वारा जांच हेतु कोई आदेश किया गया है ? यदि हां, तो कब और जांच दल में कौन-कौन हैं ? इनके द्वारा अब तक क्या-क्या पाया गया है ? क्या जांच पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ? जांच हेतु समय सीमा क्या थी ? कब तक पूरी होने की संभावना है ? **(घ)** जिन कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण वितरण दर्शाया गया है, उन कृषकों को राहत पहुंचाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? ऐसे कितने कृषकों से ऋण एवं ब्याज की वसूली की जा चुकी है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां, जानकारी जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **<u>प्रपत्र-'अ'</u>** अनुसार है। **(ख)** जानकारी जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **<u>प्रपत्र-'ब'</u>** एवं **<u>प्रपत्र-'स'</u>** अनुसार है। **(ग)** जी हां, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के आदेश दिनांक 04/03/2025 द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर अंतर्गत जिलों के किसानों को ऋण वितरण एवं धान खरीदी राशि के भुगतान में अनियमितता संबंधी बैंक शाखाओं एवं समितियों में गबन की जांच हेतु राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच दल के सदस्यों का विवरण जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **<u>प्रपत्र-'द'</u>** अनुसार है। जांच प्रक्रियाधीन है। **(घ)** जिन कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण वितरण दर्शाया गया है, उन कृषकों को नगद ऋण एवं खाद बीज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रभावित कृषकों से ऋण एवं ब्याज की वसूली नहीं की जा रही है।

<u>जिला यूनियन/लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति संबंधी</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

18. (*क्र. 110) श्री चैतराम अटामी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत जिला यूनियन/लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष पद कब से रिक्त हैं ? नियुक्ति नहीं होने के कारण क्या हैं ? अध्यक्ष पद पर नियुक्ति/मनोनयन हेतु शासन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक नियुक्ति की जावेगी ? ख) क्या शासन को जनप्रतिनिधियों, वन समितियों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों अथवा स्थानीय नागरिकों द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु कोई मांग या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला यूनियन दन्तेवाड़ा के संचालक मण्डल (बोर्ड) का अवसान दिनांक 30.07.2021 को हो जाने के फलस्वरूप जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित दन्तेवाड़ा के अध्यक्ष का पद उक्त तिथि से रिक्त है। संचालक मंडल का अवसान हो जाने के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के प्रावधान के अनुसार बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित समझी जाती है। संचालक मंडल का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल के निर्वाचन उपरांत ही अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। संचालक मंडल के निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण ही अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष पद पर

मनोनयन की कार्यवाही नहीं की गयी है। संचालक मंडल के निर्वाचन उपरांत ही अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जा सकेगी। **(ख)** जी नहीं । शेषांश प्रश्न उद्भूत नही होता।

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भारतमाला परियोजना हेतु अधिगृहीत भूमि व मुआवजा वितरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

19. (*क्र. 156) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भारतमाला परियोजना हेतु कितने किसानों से कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है ? **(ख)** अधिगृहीत भूमि का मुआवजा किस दर पर दिया गया है ? कितने किसानों को मुआवजा वितरण किया जा चुका है ? कितना शेष है ? कितने प्रकरण लंबित हैं व कब तक भुगतान कर लिया जाएगा ? **(ग)** क्या मुआवजा वितरण में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतमाला परियोजना हेतु कुल 637 कृषकों की 127.057 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।**(ख)** अधिग्रहित भूमि का मुआवजा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा वर्ष 2021-22 के प्रचलित कलेक्टर गाईड- लाईन दर के अनुसार निर्धारित कर वितरित किया जा रहा है। अब तक कुल 548 कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा 89 कृषकों का भुगतान शेष है। भुगतान हेतु 89 प्रकरण लंबित है। शेष प्रकरणों में मुआवजा भुगतान हेतु भूमिस्वामियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर सूचित किया गया है। दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर नियमानुसार शीघ्र मुआवजा भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर दी जावेगी।**(ग)** आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 4028/ सहा. अधी. / सत्र, दिनांक 25.02.2025 के निर्देशों के अनुक्रम में मुआवजा राशि वितरण संबंधी आपत्तियाँ / आवेदन आमंत्रित की गई थीं। कुल 42 आपत्ति / आवेदन प्राप्त हुई थी। जिसमें से 36 आवेदनों पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ के स्तर पर जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा शेष 06 आवेदनों के संबंध में संभागायुक्त बिलासपुर के समक्ष आर्बिट्रेशन में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु भूमिस्वामियों को सूचित किया गया है।

ग्राम पंचायत झालरौंदा, तहसील भोथिया में शासकीय भूमि के फर्जी नामांतरण पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

20. (*क्र. 45) श्री बालेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या तहसील भोथिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत झालरौंदा में डोलोमाईट खनन के लिए चिन्हांकित जमीन में शासकीय भूमि का भी नामांतरण कर शामिल किए जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो कब-कब किनके द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? कृपया जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक" क" के अनुसार प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है और कार्यवाही लंबित है तो इसके क्या कारण हैं ? कृपया जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हां, शिकायतकर्ताओं का विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच तहसीलदार भोथिया से कराया गया है । तहसीलदार भोथिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 24.06.2026 के अनुसार खसरा नंबर 19/1, 19/2, 226, 227, 228, 228/1, 229, अधिकार अभिलेख में शासकीय भूमि छोटे झाड़ के जंगल व घास मद में दर्ज है । शिकायत आवेदन में उल्लेखित खसरा नंबर 19/1, 19/2, 226, 227, 228, 228/1, 229, 18, 22 एवं 32 के नामांतरण के संबंध में विस्तृत जांच हेतु जिला स्तरीय जांच दल गठित किया गया है । वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है ।**[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]**

धान विक्रय की राशि का सहकारी केंद्रीय बैंकों एवं उनकी शाखाओं के माध्यम से भुगतान

[सहकारिता]

21. (*क्र. 9) श्री रामकुमार यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों एवं उनकी शाखाओं के माध्यम से वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में धान विक्रय की राशि प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या तथा भुगतान की गई कुल राशि का वर्षवार एवं जिलावार विवरण देवें ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि विगत 02 वर्षों में किसानों को उनके खातों में जमा धान विक्रय की राशि एकमुश्त आहरित करने के स्थान पर निर्धारित सीमा के अनुसार किस्तों में आहरण की व्यवस्था लागू थी ? यदि हां, तो वर्षवार निर्धारित सीमा क्या थी तथा उसका आधार क्या था ? **(ग)** क्या उक्त व्यवस्था के कारण किसानों को बैंक शाखाओं एवं सहकारी समितियों में बार-बार उपस्थित होना पड़ता है ? **(घ)** प्रश्नांक (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार किसानों को उनकी धान विक्रय राशि का सुविधाजनक, समयबद्ध एवं एकमुश्त आहरण सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र'** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** किसानों को उनकी धान विक्रय राशि का सुविधाजनक, समयबद्ध आहरण हेतु बैंकों में मांग अनुरूप नगद व्यवस्था, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम तथा NEFT/RTGS/CTS की व्यवस्था है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

मार्कफेड द्वारा तिरपाल खरीदी में अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायतों की जांच

[सहकारिता]

22. (*क्र. 72) श्री ओंकार साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में धान उपार्जन एवं भंडारण हेतु तिरपाल खरीदी के लिए कितनी निविदाएं जारी की गईं ? निविदा संख्या, तिथि, स्वीकृत मात्रा एवं राशि का विवरण दें ? **(ख)** उक्त अवधि में कितने तिरपाल क्रय किए गए तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? जिलावार जानकारी दें ? **(ग)** क्या तिरपाल खरीदी में अनियमितता, अतिरिक्त खरीदी अथवा निविदा शर्तों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो जांच एवं की गई कार्यवाही का विवरण दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) मार्कफेड द्वारा तिरपाल की खरीदी नहीं की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हां। मार्कफेड को तिरपाल खरीदी में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई हैं, चूंकि मार्कफेड द्वारा तिरपाल की खरीदी नहीं की गई हैं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने के नियम एवं प्रावधान

[ऊर्जा]

23. (*क्र. 149) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना किन-किन जिलों में कब-कब से लागू की गई ? महासमुंद जिले में 15 .06. 2026 की स्थिति में कितने हितग्राहियों की स्मार्ट मीटर लगाई गई ? बताएं ? **(ख)** प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने हेतु क्या नियम एवं प्रावधान हैं ? क्या यह सत्य है कि हितग्राहियों की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाई गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य किस विभाग /एजेंसी द्वारा किया गया है ? महासमुंद

जिले में उक्त कार्य में अनियमितता की शिकायत एवं की गई कार्रवाई का विवरण 16.6.2026 की स्थिति में बताएं ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) छत्तीसगढ़ में समस्त 33 जिलों में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना दिनांक 13.07.2022 से लागू की गई। महासमुंद जिले में 15.06.2026 की स्थिति में 1,92,658 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाई गई है। **(ख)** प्रदेश में स्मार्ट मीटर भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देश दिनाक 29.07.2021 एवं 26.11.2021 के तहत् लगाये जा रहें है जिसके लिए हितग्राहियों की अनुमति आवश्यक नहीं है, परिचालन दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- "अ" एवं "ब"** अनुसार है। **(ग)** छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य तीन एजेंसियों यथा 1. मेसर्स हाईप्रिंट एनर्जी साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, 2. मेसर्स टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड नोएडा, 3. मेसर्स जीनस पॉवर साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा किया जा रहा है।महासमुंद जिले में उक्त कार्य मेसर्स टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड नोएडा द्वारा किया जा रहा है एवं आज दिनांक तक कार्य में अनियमितता संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बस्तर संभाग के जिलों में आयरन ओर एवं अन्य माइनिंग के उत्खनन से प्राप्त राजस्व

[खनिज साधन]

24. (*क्र. 277) श्री विक्रम उसेण्डी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग के जिलों में आयरन ओर एवं अन्य माइनिंग के उत्खनन कार्य कहां-कहां पर हो रहे हैं ? प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है ? विगत तीन वर्षों में अद्यतन स्थिति क्या है ? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राजस्व में कितना-कितना खर्च किन-किन जिलों में किया गया है ? **(ग)** खनिज न्यास निधि से माइनिंग एरिया के 25 कि.मी. की परिधि में कितने कार्य विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत हुए हैं ? कार्यों के नाम, वर्तमान में अद्यतन स्थिति, ग्राम के पंचायतवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी देवें ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में जिला मुख्यालय सहित अन्य विकासखंडों के पंचायतों की ग्रामों में, कितने-कितने कार्य स्वीकृत हुए ? पूर्ण जानकारी देवें ? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बस्तर संभाग के जिलों में संचालित आयरन ओर एवं अन्य माइनिंग के उत्खनन कार्य की स्थलवार जानकारी एवं विगत तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व की अद्यतन जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''अ'' एवं प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। **(ख)** खनिजों से प्राप्त राजस्व राज्य के संचित निधि में जमा होती है जिनका विभिन्न योजनामूलक/विकास कार्यों में व्यय होता है। तथापि गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व के विरूद्ध राज्य द्वारा आबंटित बजट के अनुसार जिलों को संवितरित किया जाता है। विगत 03 वर्षों में बस्तर संभाग के जिलों को गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व के विरूद्ध संवितरण हेतु आबंटित राशि निरंक है। **(ग)** बस्तर संभाग अंतर्गत मुख्य खनिजों के माइनिंग एरिया के 25 कि.मी. के परिधि में स्वीकृत कार्यों के नाम, वर्तमान में अद्यतन स्थिति, पंचायतवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-''स'' अनुसार है। **(घ)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''द'' अनुसार** है।

रायगढ़ जिले में कृषि पंपों के स्थायी एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लंबित आवेदन

[ऊर्जा]

25. (*क्र. 169) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** रायगढ़ जिले में कृषि पम्पों के स्थायी एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में लंबित थे ? जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने

स्वीकृत हुए ? कितने अस्वीकृत हुए ? अस्वीकृत होने के कारणों सहित जानकारी विधानसभावार देवें ? **(ख)** लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक कितने कृषि पम्पों के विद्युत कनेक्शन लगाए गए ? कितना लगाया जाना शेष है ? कब तक शेष स्वीकृत कनेक्शन लगा दिए जाएंगें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रायगढ़ जिले में कृषि पंपों के स्थायी एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शनों के 1,816 आवेदन माह दिसंबर 2023 की स्थिति में लंबित थे। माह जनवरी 2024 से माह जून 2026 की अवधि में कुल 14,066 आवेदन प्राप्त हुए थे सभी 14,066 आवेदन स्वीकृत किए गए विधानसभावार **जानकारीसंलग्न प्रपत्र अनुसार है**। **(ख)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी, 2024 से जून 2026 तक की स्थिति में कुल 354 स्थायी कृषि पंप एवं 1,429 अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किये गए है तथा 242 आवेदन स्थायी कृषि कनेक्शन प्रदाय किये जाने हेतु लंबित हैं। लंबित आवेदनों में से 33 कृषि पंप कनेक्शन हेतु लाइन विस्तार कार्य प्रगति पर है। 188 कृषि पंप कनेक्शन के कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूर्ण किये जाने के प्रयास है। तथा शेष 21 कृषि पंप कनेक्शन के कार्य को पूर्ण किये जाने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत रेत खदानों की स्वीकृति

[खनिज साधन]

1. (क्र. 1) श्री फूलसिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से जून, 2026 तक कुल कितने रेत खदानों की स्वीकृति कब-कब एवं किस-किस पंचायतों में की गयी है? पश्नांकित अवधि में रेत खदानों से विभाग एवं पंचायतों को वर्षवार कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** रेत के भंडारण के लिए किस-किस पंचायतों को स्वीकृति दी गयी है एवं जून, 2026 की स्थिति में कितने टन रेत का कहां-कहां भंडारण किया गया है व अवैध रेत भंडारण की जानकारी उलपब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला कोरबा में रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 11 रेत उत्खनन पट्टे स्वीकृत किये गये है। जानकारी **''संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार''** है। प्रश्नांकित अवधि में खनिज साधन विभाग एवं पंचायतों को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त राजस्व की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार''** है। **(ख)** रामपुर विधानसभा में 1 जून 2026 की स्थिति में कुल 07 भण्डारण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये है। जानकारी **''संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार''** है। प्रश्नाधीन अवधि में अवैध रेत भंडारण के कुल 07 प्रकरण दर्ज कर रूपये 16 लाख 31 हजार 416 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

सड़क निर्माण एवं अन्य कार्यों की एन.ओ.सी. के लंबित प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. (क्र. 6) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में ऐसे कितने कार्य हैं, जो वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दिये जाने के कारण अप्रांरभ, अपूर्ण हैं? विधानसभावार, कार्यवार वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक 25.06.2026 तक की जानकारी दें। एन.ओ.सी. नहीं देने का कारण भी स्पष्ट करें। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' में जनहित के कार्यों में अवरोध के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है? उत्तरदायित्व निर्धारण कर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) धमतरी जिला अंतर्गत वर्तमान में रेत खदान एवं रेत भण्डारण से संबंधित 05 प्रकरण लंबित है। कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा गैर वन क्षेत्र में खनन अथवा भण्डारण हेतु प्रस्तावित स्थल की वन क्षेत्र से दूरी एवं प्रस्तावित स्थल वन भूमि है या नहीं के संबंध में आवेदन दिये जाने के उपरांत वनमंडलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। धमतरी जिले में वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक 25.06.2026 तक 05 प्रकरण राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण नहीं होने के कारण लंबित है। लंबित प्रकरणों की विधानसभावार, कार्यवार सूची **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है ।(ख)** प्रश्नांश 'क'में जनहित के कार्यो में किसी भी अधिकारी द्वारा अवरोध नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारण कर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]**

बाढ़ प्रभावित ग्रामों में आपदा मद, अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य एवं राहत व्यवस्था

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. (क्र. 10) श्री रामकुमार यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की संख्या कितनी हैं ग्रामवार विवरण देवें। बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में सुरक्षा एवं बचाव हेतु आपदा मद अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, विस्तृत विवरण देवें। **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यों की राशि, कार्य एजेंसी, कार्य प्रारंभ तिथि एवं वर्तमान स्थिति का वर्षवार एवं ग्रामवार विवरण क्या हैं? (ग) प्रश्नांक (क) एवं (ख) के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने प्रगतिरत हैं ? तथा कितने लंबित हैं लंबित कार्यों का कारण क्या हैं ? **(घ)** क्या शासन द्वारा चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र के लगातार बाढ़ प्रभावित ग्रामों के लिए कोई स्थायी बाढ़ सुरक्षा योजना तैयार की गई हैं? यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला सक्ती के चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित कुल 35 ग्राम हैं। ग्रामवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** विगत 2 वर्षो में आपदा मद अंतर्गत ग्राम नवापारा में 2 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। **(ख)** स्वीकृत कार्यो की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कोई कार्य लंबित नहीं है। **(घ)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

आधार पंजीयन में हुई त्रुटियों को सुधारने में हितग्राहियों की समस्याएं

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

4. (क्र. 12) श्री रोहित साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या आधार पंजीयन के प्रारंभिक चरण में जिला- गरियाबंद अंतर्गत गांव-गांव आयोजित शिविरों के दौरान हुई तकनीकी एवं बायोमेट्रिक त्रुटियों के कारण अनेक नागरिकों के आधार विवरण गलत दर्ज हो गए हैं? **(ख)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत अनेक मामलों में एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अथवा बायोमेट्रिक विवरण दूसरे व्यक्ति के आधार नंबर से लिंक हो जाने के कारण पात्र हितग्राही राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं? **(ग)** राजिम विधानसभा क्षेत्र एवं गरियाबंद जिले में ऐसे कितने प्रकरण शासन के संज्ञान में आए हैं? **(घ)** ऐसे त्रुटिपूर्ण आधार प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने मामलों का निराकरण किया जा चुका है? तथा क्या शासन प्रभावित नागरिकों के लिए विशेष आधार सत्यापन एवं सुधार अभियान संचालित करने तथा जिला स्तर पर स्थायी समाधान केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला कार्यालय गरियाबंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत एक वर्ष (अप्रैल 2025 से अब तक) के दौरान आधार पंजीयन हेतु ग्राम स्तर पर आयोजित शिविरों में नागरिकों के आधार विवरण में तकनीकी एवं बायोमेट्रिक त्रुटियों से संबंधित कोई भी प्रकरण जिले में प्राप्त नहीं हुआ है। **(ख)** जिला कार्यालय गरियाबंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत एक वर्ष (अप्रैल 2025 से अब तक) के दौरान फिंगरप्रिंट अथवा अन्य बायोमेट्रिक विवरण के किसी अन्य व्यक्ति के आधार नंबर से लिंक होने के कारण पात्र हितग्राहियों के राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित रहने संबंधी कोई भी शिकायत जिले में प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** जिला कार्यालय गरियाबंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत एक वर्ष (अप्रैल 2025 से अब तक) में राजिम विधानसभा क्षेत्र तथा गरियाबंद जिले में इस संबंध में कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। **(घ)** जिला

कार्यालय गरियाबंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत एक वर्ष (अप्रैल 2025 से अब तक) में त्रुटिपूर्ण आधार प्रकरणों से संबंधित प्रकरण जिले में प्राप्त नहीं हुए है। अतः प्रश्नांश (घ) उद्भूत नहीं होता।

लो-वोल्टेज, विद्युत बाधित होने तथा बढ़ते विद्युत भार के कारण उपभोक्ताओं की समस्याएं

[ऊर्जा]

5. (क्र. 13) श्री रोहित साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राजिम विधानसभा क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल के दौरान लगातार लो-वोल्टेज, बार-बार विद्युत बाधित होने तथा बढ़ते विद्युत भार की अत्यंत गंभीर समस्याँ है? **(ख)** क्या राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अतरमरा, कोमा एवं पीपरछेड़ी में 33/11kv के पॉवर स्टेशन स्वीकृत हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत अब तक कौन-कौन से कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्या है? कब तक प्रारंभ/पूर्ण कर लिया जायेगा? **(घ)** स्वीकृति के पश्चात आज दिनांक तक निर्माण कार्य प्रारंभ/पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन-कौन से विभागीय अथवा तकनीकी अवरोध उत्तरदायी हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी नहीं। **(ख)** राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-कोमा में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र (पावरस्टेशन) स्वीकृत है एवं ग्राम-अतरमरा तथा पीपरछेड़ी में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र (पावरस्टेशन) स्वीकृत नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में ग्राम कोमा में स्वीकृत 33/11 के.व्ही. पॉवर सब स्टेशन के कार्य हेतु भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन हैं। सब स्टेशन निर्माण को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** ग्राम कोमा में 33/11 के.व्ही. पॉवर सब स्टेशन की स्वीकृति उपरांत भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन है। इसके लिये कोई विभागीय अथवा तकनीकी अवरोध उत्तरदायी नहीं है।

ग्राम पंचायत उतरदा के मोहल्ला लोटनापारा मे नहर निर्माण तथा किसानों को मिलने वाला मुआवजा

[जल संसाधन]

6. (क्र. 15) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लोटना पारा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत कार्य नहर निर्माण कब तक पूरा होगा तथा ग्राम पंचायत उतरदा के मोहल्ला लोटनापारा मे नहर निर्माण का मुआवजा कृषकों को कब तक मिलेगा तथा सिंचित रकबों की जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : कटघोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लोटना पारा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत उतरदा के मोहल्ला लोटनापारा के कृषकों को अवार्ड पारित एवं भुगतान होने पश्चात् किया जाना संभव होगा। नहर निर्माण उपरांत 485 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी, शॉर्टेज एवं अनियमितताओं की जवाबदेही

[सहकारिता]

7. (क्र. 29) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत संचालित धान उपार्जन केन्द्रों में कुल कितनी धान खरीदी गई? केन्द्रवार खरीदी गई धान की मात्रा, भुगतान राशि, उठाव की स्थिति तथा अंतिम लेखा मिलान का विवरण क्या है? **(ख)** उक्त अवधि में किन-किन धान उपार्जन केन्द्रों में धान की शॉर्टेज अथवा अन्य अनियमितताएं पाई गईं? केन्द्रवार शॉर्टेज की मात्रा, उससे संबंधित वित्तीय दायित्व तथा वास्तविक क्षति का विवरण क्या है? **(ग)** धान खरीदी में पाई गई शॉर्टेज एवं अनियमितताओं के संबंध में किन-किन अधिकारियों, कर्मचारियों, समिति प्रबंधकों अथवा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जांच, विभागीय कार्यवाही, निलंबन, एफआईआर,

वसूली अथवा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की गई है? कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है? **(घ)** क्या यह सत्य है कि धान खरीदी प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का दायित्व किसके पास था? क्या धान उपार्जन केन्द्रों में पाई गई शॉर्टेज एवं अनियमितताओं के लिए उनकी जवाबदेही निर्धारित कर अनुशासनात्मक अथवा दंडात्मक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यदि नहीं, तो क्या हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत संचालित धान उपार्जन केन्द्रों में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमशः 1999462.40, 1940780.00 एवं 1931598.00 क्विंटल धान खरीदी की गई। खरीदी गई धान की मात्रा, भुगतान राशि, उठाव की स्थिति तथा अंतिम लेखा मिलान का विवरण वर्षवार एवं उपार्जन केन्द्रवार **प्रपत्र-'अ'** में **संलग्न** है। **(ख)** उक्त अवधि में धान शार्टेज एवं अनियमितता का विवरण **प्रपत्र-'ब'** में **संलग्न** है। **(ग)** धान खरीदी में पाई गई शार्टेज एवं अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही का विवरण **प्रपत्र-'ब'** में **संलग्न** है। **(घ)** धान खरीदी नीति की कंडिका क्रमांक 13.2.2 एवं 20 अनुसार समिति के अध्यक्ष / प्राधिकृत अधिकारी तथा जिला प्रशासन द्वारा नियोजित अधिकारी/कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के संयुक्त जांच दल द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। उपार्जन केन्द्रों में पायी गयी शार्टेज एवं अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति **प्रपत्र-'ब'** में **संलग्न** है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

ट्रांसफार्मर, पोल, सब स्टेशनों का क्षमता विस्तार एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनांतर्गत स्वीकृत प्रकरण

[ऊर्जा]

8. (क्र. 36) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मुंगेली में जनवरी 2024 से दिनांक 25.06.2026 तक कितने नये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना, अतिरिक्त पोल, सब स्टेशनों का क्षमता विस्तार एवं विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत हुए हैं? उक्त अवधि में कितने ट्रांसफार्मर खराब हुए? खराब ट्रांसफार्मरों के विरुध्द कितने नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये? उप केन्द्रों के अंतर्गत कितने ग्रामों में नये ट्रांसफार्मर की स्थापना की आवश्यकता एवं मांग प्राप्त हुई है? जानकारी विकासखण्डवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत् सोलर प्लांट स्थापित कराने हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने स्थापित किये गये? निर्धारित लक्ष्य कितना था? कितने प्रकरण लंबित है? श्रेणीवार, वर्षवार, संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें, उक्त अवधि में स्थापित किये गये सोलर प्लांट के कितने हितग्राहियों को सबसीडि की राशि दी जा चुकी है व कितना शेष है? केन्द्रांश/राज्यांश द्वारा प्रदान की गई सबसिडी की जानकारी पृथक पृथक प्रदान करें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** जिला मुंगेली में जनवरी 2024 से दिनांक 25.06.2026 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत् सोलर प्लांट स्थापित कराने हेतु भारत सरकार के पोर्टल में 14861 आवेदन ऑनलाईन पंजीकृत हुए, जिनमें से 883 आवेदकों के यहाँ सोलर प्लाट स्थापित हुए। जिला मुंगेली हेतु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में दिनाक 31.03.2027 तक 6915 सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। 13978 आवेदन लबित है जिनमें श्रेणीवार, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। उक्त अवधि में स्थापित किये गये सोलर प्लांट के 586 हितग्राहियों को केन्द्र शासन की सब्सिडी की राशि रूपये 4 करोड़ 51 लाख 23 सौ दी जा चुकी है एवं 297 हितग्राहियों को प्राप्त होना शेष है। राज्य सरकार द्वारा 354 हितग्राहियों को सब्सिडी की राशि रूपये 1 करोड़ 5 लाख 38 हजार 7 सौ दी जा चुकी है एवं 529 हितग्राहियों को प्राप्त होना शेष है। केन्द्राश/राज्यांश द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।**[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]**

जिला मुंगेली क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग से स्वीकृत निर्माण/विकास कार्य

[जल संसाधन]

9. (क्र. 37) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मुंगेली अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 25.06.2026 तक जल संसाधन विभाग द्वारा कौन कौन से एनिकेट/चेकडेम/स्टापडेम/लाइंनिग/डायवर्सन के कार्य बजट एवं अन्य मद से स्वीकृत किये गये हैंं, वर्षवार, कार्यवार जानकारी देवें। कितने स्वीकृत कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, कितने कार्यो की कार्यादेश जारी किये जा चुके हैंं, कितने कार्य प्रगति पर हैं तथा कितने कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है? लंबित कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी, समय अवधि बतावें। **(ख)** प्रशनांक **(क)** अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारंभ होने के बाद कितने कार्य बीच में ही बंद कर दिये गये हैंं, जिसके कारण क्या हैं? शेष अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण किया जावेगा समय अवधि तथा विधानसभावार जानाकरी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला मुंगेली के विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 25.06.2026 तक जल संसाधन विभाग के 16 एनीकट/चेकडेम/स्टापडेम, 13 लाईनिंग कार्य, 14 अन्य कार्य कुल 43 कार्यों को बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्षवार, कार्यवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** 08 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, 08 कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 02 कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 06 कार्य प्रगतिरत है, 10 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में प्रक्रियाधीन है, 03 कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। जिनकी प्राथमिकता क्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। 22 कार्य कालातीत हो चुकें है। प्रशासकीय स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। उक्त वित्तीय वर्षों में अन्य मद से बजट में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। विधानसभा क्षेत्र लोरमी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 25.06.2026 तक जल संसाधन विभाग के 11 एनीकट/चेकडेम/स्टापडेम, 30 लाईनिंग कार्य, 07 अन्य कार्य कुल 48 कार्यों को बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्षवार, कार्यवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** 14 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, 14 कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जिसमें से 04 कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 10 कार्य प्रगतिरत है, 10 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में प्रक्रियाधीन है, 01 कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। जिनकी प्राथमिकता क्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। 23 कार्य कालातीत हो चुके है। प्रशासकीय स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। उक्त वित्तीय वर्षों में अन्य मद से बजट में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 25.06.2026 तक जल संसाधन विभाग के 02 एनीकट/चेकडेम/स्टापडेम, 01 लाईनिंग कार्य, 10 अन्य कार्य कुल 13 कार्यों को बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्षवार, कार्यवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** 02 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में प्रक्रियाधीन है तथा 11 कार्य कालातीत हो चुके है। प्रशासकीय स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। उक्त वित्तीय वर्षों में अन्य मद से बजट में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** प्रशनांक **(क)** अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारंभ होने के बाद कोई भी कार्य बीच में ही बंद नहीं किये गये हैं। प्रगतिरत कार्यों को अतिशीघ्र समयावधि में पूर्ण किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। विधानसभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

बालोद जिले में अवैध रेत उत्खनन पर कृत कार्यवाही

[खनिज साधन]

10. (क्र. 41) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25, 2025-26 से 25 जून, 2026 तक में बालोद जिले के अंतर्गत अवैध रेत उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? कितने पर कार्यवाही की गयी? विधानसभावार जानकारी देवें? **(ख)**"दर्ज प्रकरणों में विभाग द्वारा अब तक कितने वाहनों, चैन माउंटेन/जेसीबी मशीनों को जब्त किया गया है और उनसे अर्थदंड (जुर्माना) के रूप में कितनी राजस्व राशि वसूली गई है?" विधानसभावार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क)प्रश्नांकित अवधि में बालोद जिले में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के कुल 258 प्रकरण दर्ज कर, समस्त प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। विधानसभावार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

सहकारी समितियों में भंडारण तथा वितरण की अद्यतन स्थिति

[सहकारिता]

11. (क्र. 42) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ सीजन के लिए बालोद जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में खाद (यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट) और उन्नत प्रमाणित बीजों के भंडारण तथा वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है? विधानसभावार जानकारी देवे? **(ख)** बालोद जिले में कितनी नवीन सोसायटियां खुली हैं? एवं इनमें खाद व बीज भण्डारण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में क्या प्रावधान किया गया है? क्या शासन इन नई सोसायटियों में खाद-बीज की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है? विधानसभावार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) खरीफ सीजन के लिए बालोद जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में खाद (यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट) और उन्नत प्रमाणित बीजों के भण्डारण तथा वितरण की वर्तमान स्थिति की विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	**विधानसभा का नाम**	**खाद (यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट) (मात्रा टन में)**		**उन्नत प्रमाणित बीज (मात्रा क्विंटल में)**	
		भण्डारण	**वितरण**	**भण्डारण**	**वितरण**
1	संजारी बालोद	6919	5019	2350.20	1799.00
2	डौण्डीलोहारा	7031	5074	5872.20	4031.50
3	गुण्डरदेही	12363	10344	13037.50	10884.30
योग		**26313**	**20437**	**21259.90**	**16714.80**

(ख) बालोद जिला अंतर्गत विधानसभा में, क्रमशः संजारी बालोद में 05, डौण्डीलोहारा में 10 एवं गुण्डरदेही में 07 इस प्रकार कुल 22 नवीन सोसाइटी खुली है एवं सभी समितियों में बीज का भण्डारण कर, वितरण किया जा रहा है। खाद भण्डारण एवं वितरण के लिए गोदाम एवं पॉस मशीन की अनुपलब्धता के कारण पुरानी समितियों से ही, नवीन समितियों के कृषकों को खाद का वितरण किया जा रहा है। नवीन समितियों में खाद भण्डारण के लिए 200 मे.टन गोदाम निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया गया है। खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही

[खनिज साधन]

12. (क्र. 46) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कांकेर जिले में 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक खनिज विभाग के द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कितने कार्यवाही की गई है तथा कार्यवाही में जो जुर्माना किया गया है उसकी क्या गाइडलाइन है एवं जुर्माना की राशि कितनी है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : कांकेर जिले में 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक खनिज विभाग के द्वारा अवैध खनन के कुल 16 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 एवं 23 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठारह"]

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 11 केवी सब स्टेशन

[ऊर्जा]

13. (क्र. 47) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2025 से 17.06.2026 तक भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास खण्ड चारामा, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल में कितने 11 केवी के सब स्टेशनों की स्वीकृति हुई है, स्थान के नाम सहित जानकारी विकासखण्डवार देवें ? **(ख)** स्वीकृत कार्य में से कितने कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने कार्य अपूर्ण है, अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण होंगे। **(ग)** क्या आने वाला समय में 11 केवी के और भी सब स्टेशनों के स्थापना का प्रस्ताव है ? यदि हां तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्ष 2025 से 17.06.2026 तक भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी तथा ग्राम करमोती एवं बैजनपुरी में 33/11 केव्ही. के सब स्टेशन स्वीकृत किये गये है। **(ख)** उत्तराश 'क' में स्वीकृत किये गये 3 नये 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन में से औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी का कार्य निविदा अंतर्गत प्रक्रियाधीन है एवं ग्राम करमोती एवं बैजनपुरी में सबस्टेशन का कार्य प्रगतिरत है। **(ग)** भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चारभाटा, सराधूनवागांव, फरसकोट (केवटी) एवं हाटकर्रा में 33/11 के.व्ही. के नये सबस्टेशन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है।

बिजली बिल में हो रही बढ़ोतरी

[ऊर्जा]

14. (क्र. 51) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024 से 17.06.2026 तक घरेलु कृषि एवं व्यवसायिक बिजली दरों में कब-कब और कितनी कितनी वृध्दि हुई है? **(ख)** बिजली दरो में किन किन कारणों से वृध्दि की गई है? **(ख)** वर्तमान में घरेलु कृषि एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बिजली दरों में कितनी छुट प्रदान की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्ष- 2024 से 17.06.2026 तक घरेलु कृषि एवं व्यवसायिक बिजली दरों में की गई वृद्धि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-''अ''अनुसार है**। **(ख)** विद्युत दरों में वृद्धि, विद्युत उत्पादकों से क्रय की दरों, नियामक परिसंपत्तियों का समाधान करने, मंहगाई दरों में वृद्धि तथा अन्य संचालन एवं संधारण व्यय पर निर्भर करती है, जो कि माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित

किया जाता है। **(ग)** वर्तमान में घरेलू, कृषि एवं व्यवसायी उपभोक्ताओं को बिजली दरों में छूट शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं माननीय छ.ग. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार प्रदान की जा रही है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-''ब''अनुसार है**।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति का क्रियान्वयन

[परिवहन]

15. (क्र. 53) श्री अजय चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब से प्रचलित है? इसके अंतर्गत प्रावधानित कार्यो के विरूद्ध कितने-कितने प्रतिशत कार्यो का क्रियान्वयन किया जा चुका है और कितने कार्य, किन कारणों से शेष हैं? **(ख)** उक्त नीति अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन शहरों के लिये कितनी ई-बसों की मंजूरी प्राप्त हुयी थी और वर्तमान में कितनी बसें संचालित हो रही हैं तथा शेष कितनी बसों का संचालन किन कारणों से नहीं किया जा रहा है और कब तक की जाना है? **(ग)** उक्त नीति अंतर्गत कौन-कौन से वाहन के लिये कितनी-कितनी राशि की सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है? नीति के प्रचलन वर्ष से दिनांक 15 जून, 2026 तक कितने वाहनों के लिये कितनी राशि की सब्सिडी दिया जाना था और कितनी शेष है? उसका कारण क्या है? कब तक प्रदाय की जाना है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 दिनांक 30 अगस्त 2022 से प्रचलित है। अन्य **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख)** इलेक्ट्रिक बस संचालन की कार्यवाही राज्य विकास शहरी अभिकरण द्वारा की जा रही है। 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई 50, बिलासपुर 50 एवं कोरबा में 40 ई-बस संचालन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूपीएसएस द्वारा निर्माणाधीन सिविल डिपों इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बीटीएम पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्णता तथा भारत सरकार से ई-बसों की प्राप्ति पश्चात् चयनित बस आपरेटर द्वारा ई-बसों का संचालन किया जावेगा। **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग)** उक्त नीति अंतर्गत वर्तमान में 20 लाख तक मूल्य (करों को छोड़कर) के इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर दस प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख तक के प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। नीति के प्रचलन वर्ष से दिनांक 15 जून 2026 तक 122862 वाहनों के लिए 270.45 करोड़ रूपये राशि की सब्सिडी दिया जाना था, जिसमें 53308 वाहनों के लिए 115.77 करोड़ रूपये राशि दिया जाना शेष है। शासन द्वारा ईवी वाहनों के सब्सिडी भुगतान हेतु बजट आबंटित किया जा रहा है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी भुगतान हेतु राशि रूपये 100.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल की समयावधि

[जल संसाधन]

16. (क्र. 54) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ है? **(ख)** उक्त ट्रिब्यूनल को किन-किन विभागों से कब-कब जानकारी देनी थी? जानकारी प्रदाय हेतु क्या समयावधि निर्धारित की गयी थी? कौन-कौन से विभागों द्वारा कब-कब जानकारी प्रदाय की गयी है? किन-किन विभागों के द्वारा अब तक जानकारी प्रदाय नहीं की गयी है और उसका कारण एवं जिम्मेदार कौन हैं? उनके ऊपर क्या कार्यवाही अब तक की गयी है? **(ग)** उक्त जल विवाद से छत्तीसगढ़ को किन-किन क्षेत्रों में, क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन दिनांक 18 मार्च 2018 को हुआ। **(ख)** छत्तीसगढ़ राज्य से माननीय ट्रिब्यूनल ने 69 प्रपत्रों के माध्यम से विभिन्न जानकारी चाही थी। जिनमें जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, ऊर्जा विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पशु पालन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग (राज्य निवेश प्रमोशन बोर्ड), वन विभाग, नगर निगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, उद्यानिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जल की मात्रा एवं उपयोगीता, राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी जानकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा महानदी कछार क्षेत्र की जी.डी.पी., जनसंख्या तथा अन्य जानकारी एवं कलेक्टर रायगढ़ जांचगीर-चांपा एवं बिलासपुर द्वारा बाढ़ प्रभावित एवं डूब में आये क्षेत्रों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भर कर प्रस्तुत की गयी है। सभी विभागों से चाही गई जानकारी निर्धारित समयावधि में ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। **(ग)** उक्त जल विवाद से छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी कछार क्षेत्र में प्रभाव पडा है माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा महानदी कछार के अंतर्गत जल संसाधन संरचनाओं के निर्माण पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है फिर भी महानदी कछार के अंतर्गत मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं पर महानदी जल विवाद के निराकरण होने तक केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

<u>रायपुर शहर में अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग एवं ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग</u>

[ऊर्जा]

17. (क्र. 63) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत रायपुर शहर के किन-किन क्षेत्रों में अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग एवं ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग की योजना विभाग द्वारा बनाई गई है ? रायपुर शहर के विभिन्न मुख्य सड़कों जैसे पचपेड़ी नाका से लालपुर, संतोषी नगर से बोरियाखुर्द रोड, आदि में सड़कों पर स्थित ट्रांसफॉर्मर के शिफ्टिंग के संबंध में विभाग की क्या योजना है ? मुख्य सड़क बनने के इतने वर्षों बाद भी इन ट्रांसफॉर्मर को अभी तक क्यों नहीं हटाया जा सका है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत रायपुर शहर के एम.जी. रोड, मालवीय रोड, सिटी कोतवाली, सदर बाजार रोड, गोल बाजार, रवि नगर, इंद्रावती कालोनी, रायपुरा चौक, राठौर चौक, मस्जिद चौक, संजय गांधी चौक, गुरूजी चौक, झुलेलाल चौक, तात्यापारा चौक, तेलघानी नाका चौक, पचपेड़ीनाका चौक, सतोषी नगर-तरूण बाजार इत्यादि क्षेत्रों में अण्डर ग्राउंड केबलिंग एवं टाटीबंध, गुढियारी, भनपुरी इत्यादी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की कार्य योजना है। रायपुर शहर के मुख्य सड़क पचपेड़ीनाका से लालपुर, संतोषी नगर से बोरियाखुर्द सड़क पर स्थित ट्रांसफार्मरों के शिफ्टिंग की कोई कार्ययोजना वर्तमान में उक्त योजना में नहीं है। मुख्यमत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में विद्युत लाईनों को अण्डर ग्राउड केबलिंग में परिवर्तित करना एव मुख्य सड़क में स्थित ट्रांसफार्मरों के विस्थापन का कार्य राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित बजट के अनुसार रायपुर नगर निगम द्वारा चिन्हित प्रस्तावों को जिला- कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुमोदन उपरांत चयनित कर कराया जाता है।

<u>जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में लकड़ी तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी कटाई</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

18. (क्र. 68) श्री भोलाराम साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के देववाड़ी सर्कल अंतर्गत टाटेकसा बीट में महाराष्ट्र के लकड़ी तस्करों द्वारा 45 नग सागौन एवं 15 अन्य प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई किए जाने की जानकारी शासन के संज्ञान में है? यदि हाँ, तो जानकारी दें? **(ख)** उक्त प्रकरण में वन विभाग द्वारा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज

किया गया, कितनी लकड़ी जब्त की गई तथा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? **(ग)** इतनी बड़ी मात्रा में अवैध कटाई होने के बावजूद संबंधित बीट एवं वन अमले द्वारा समय पर रोकथाम नहीं किए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार पाए गए हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? **(घ)** अवैध कटाई से हुई पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हेतु प्रभावित क्षेत्र में कितने पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के देववाड़ी सर्कल अंतर्गत टाटेकसा बीट में महाराष्ट्र के लकड़ी तस्करों द्वारा 45 नग सागौन एवं 15 अन्य प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई किए जाने की जानकारी शासन के संज्ञान में है। **विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।(ख)** उक्त प्रकरण में वन विभाग द्वारा अज्ञात वन अपराध प्रकरण क्रमांक 761/04 दिनांक 09.05.2026 पंजीबद्ध कर एक नग मोटर सायकल डिस्कव्हर जप्त की गई तथा काष्ठ 10.534 घ.मी. जप्त की गई। **विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ग)** उक्त अवैध कटाई के रोकथाम हेतु समुचित प्रयास न किये जाने के फलस्वरूप श्री पुरूषोत्तम सिंह भलावी उपवनक्षेत्रपाल तत्कालीन सहायक परिक्षेत्र अधिकारी देववाड़ी को मुख्य वन संरक्षक दुर्ग आदेश क्रमांक 247 दिनांक 19.05.2026 एवं वनमंडलाधिकारी, मोहला के आदेश क्रमांक 186 दिनांक 21.05.2026 द्वारा परिसर रक्षक श्री खेमचंद देशलहरा वनरक्षक को निलंबित किया जाकर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।**(घ)** उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अप्राप्त राहत सहायता राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

19. (क्र. 69) श्री भोलाराम साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत वर्ष 2024-25 से वर्तमान तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आकाशीय बिजली, आगजनी, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित अनेक पात्र परिवारों को दिनांक 17/06/2026 तक राहत सहायता प्राप्त नहीं हुई है? यदि हाँ, तो वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार लंबित प्रकरणों एवं लंबित राशि का जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' की अवधि में आपदा प्रबंधन मद से राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं प्राप्त हुई, कितनी राशि वितरित की गई तथा कितनी राशि अप्रयुक्त है? मदवार एवं वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या राहत प्रकरणों के सर्वेक्षण, स्वीकृति एवं भुगतान में अनियमितता तथा विलंब की शिकायतें आई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों की संख्या, जांच की स्थिति एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला राजनांदगांव में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक अनुदान सहायता राशि वितरण हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में एक प्रकरण लंबित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी में स्वीकृत एवं वितरित राशि की मदवार, वर्षवार तथा विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** सर्वेक्षण, स्वीकृति एवं भुगतान में अनियमितता तथा विलंब की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है।

धमतरी एवं कांकेर जिले में अवैध खनन

[खनिज साधन]

20. (क्र. 73) श्री ओंकार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी एवं कांकेर जिले में विगत तीन वर्षों में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? वर्षवार विवरण दें तथा ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? **(ख)** उक्त प्रकरणों में कितने वाहन जब्त किए गए? कितने प्रकरण दर्ज किए गए तथा कितनी राशि का जुर्माना अधिरोपित एवं वसूल किया गया है? वर्षवार विवरण दें? **(ग)** क्या धमतरी एवं कांकेर जिले में अवैध रेत खनन के दौरान कहीं नरकंकाल मिलने की घटना शासन के संज्ञान में आई है? यदि हाँ, तो घटना का स्थानवार विवरण, की गई जांच, दर्ज प्रकरणों तथा दोषियों एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स दल का गठन कर सतत् निगरानी एवं कार्यवाही की जा रही है तथा राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है। **(ग)** जी हाँ, जिला धमतरी अंतर्गत ग्राम-खरेंगा तहसील व जिला धमतरी में महानदी में अवैध रेत उत्खनन के दौरान नरकंकाल मिलने की घटना संज्ञान में आयी है। खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 28.05.2026 को संयुक्त जाँच में कोई रेत खदान स्वीकृत होना नही पाया गया तथा अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त कुल 05 नग ट्रेक्टर व ट्राली को जप्त किया जाकर अवैध उत्खनन के 05 प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें समझौता राशि 54 हजार 50 रूपये खनिज मद में जमा कराया गया है, जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार। अवैध उत्खनन पर जिला अधिकारियों द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया है। अतः अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उद्भूत नही होता है। जिला कांकेर अंतर्गत नरकंकाल मिलने की घटना संज्ञान में नहीं आई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जिला बिलासपुर में शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज निर्माण की लागत एवं व्यय राशि

[जल संसाधन]

21. (क्र. 78) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बिलासपुर में शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज का निर्माण कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था और वर्तमान में कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया है? **(ख)** शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत लागत कितनी है? निर्माण में वर्तमान में कितनी राशि का व्यय हुआ है? शेष कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कितनी राशि का व्यय होना संभावित है? **(ग)** क्या शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज के निर्माण के प्रस्तावित डीपीआर एवं ड्राइंग डिजाईन में कोई परिवर्तन किया गया है? अगर हां तो क्या-क्या परिर्वतन किन कारणों से किया गया है? शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज का विस्तृत प्राक्लन, डीपीआर, ड्राइंग, डिजाईन एवं टेस्टिंग रिपोर्ट का विवरण क्या है? **(घ)** क्या शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज का निर्माण प्रभावित अथवा बंद रहा है? अगर हां, तो कब-कब और किन-किन कारणों से बंद रहा है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला-बिलासपुर में अरपा नदी पर शिवघाट बैराज व पचरीघाट बैराज का निर्माण कार्य दिनांक 13.01.2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। शिवघाट बैराज दिनांक 31.03.2026 को एवं पचरीघाट बैराज दिनांक 16.06.2026 को पूर्ण किया गया। **(ख)** शिवघाट बैराज के निर्माण हेतु रू. 4913.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.07.2020 को एवं तकनीकी स्वीकृति रू. 4968.93 लाख की दिनांक 06.09.2020 तथा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति रु. 5163.89 लाख की दिनांक 22.05.2021 को

एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू. 6066.40 लाख की दिनांक 27.02.2025 को प्राप्त हुई। पचरीघाट बैराज के निर्माण हेतु रू. 4897.53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 04.08.2020 को एवं तकनीकी स्वीकृति रु. 4797.06 लाख की दिनांक 19.09.2020 तथा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति रु. 4747.64 लाख की दिनांक 22.05.2021 तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू. 6475.92 लाख की दिनांक 04.07.2025 को प्राप्त हुआ। शिवघाट बैराज के निर्माण में रू. 5610.84 लाख एवं पचरीघाट बैराज निर्माण में रू. 5569.92 लाख व्यय किया गया है। दोनों ही बैराज के निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। **(ग)** जी हाँ, शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज के निर्माण में प्रस्तावित डी.पी.आर. एवं ड्राईंग डिजाइन में परिवर्तन किया गया है। प्रस्तावित डी.पी.आर. में कटऑफ का प्रावधान था, परंतु सीपेज रोधी स्ट्रेटा न मिलने के कारण कटऑफ के स्थान पर डायफ्राम वॉल निर्माण का प्रावधान किया गया है। पूर्व में गेट के संचालन के लिए आर.सी.सी. गेन्ट्री ब्रिज का प्रावधान था, चूंकि आर.सी.सी. गेन्ट्री ब्रिज निर्माण में अत्यधिक समय लगने के कारण आर.सी.सी. गेन्ट्री ब्रिज के स्थान पर स्टील गर्डर गेन्ट्री ब्रिज का निर्माण कराया गया। शिवघाट बैराज के विस्तृत प्राक्कलन, ड्राइंग व डिजाईन के अनुसार लंबाई 334 मी, गेटों की संख्या 24, बैराज गेट की उंचाई 3.50 मी. (जल भराव 3.50 मी.) जल भराव क्षमता 1.80 मि.घ.मी. है। बैराज में 6.90 मी. चौड़ाई का आवागमन हेतु सड़क निर्मित है। बैराज के अपस्टीम एवं डाउनस्ट्रीम के दांये तट एवं बांये तट में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया गया है। पचरीघाट बैराज विस्तृत प्राक्कलन, ड्राइंग व डिजाईन के अनुसार लंबाई 278 मी, गेटों की संख्या 20, बैराज गेट की उंचाई 3.50 मी. (जल भराव 3.50 मी.) जल भराव क्षमता 1.20 मि.घ.मी. है। बैराज में 6.90 मी. चौड़ाई का आवागमन हेतु सड़क निर्मित है। बैराज के अपस्टीम एवं डाउनस्ट्रीम के दांये तट एवं बांये तट में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया गया है। मिक्स डिजाईन के आधार पर कांक्रीट कार्य कराया गया है एवं कांक्रीट का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया। निर्माण में उपयोग होने वाले सामग्री यथा रेत, गिट्टी एवं स्टील का क्वालिटी कन्ट्रोल से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत उपयोग किया गया है। **(घ)** जी हाँ, शिवघाट बैराज एवं पचरीघाट बैराज का निर्माण कार्य बंद रहा है। बैराज निर्माण का कार्यादेश दिनांक 13.01.2021 को जारी किया गया। निर्माण के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना, के कारण मजदूरों की उपलब्धता नहीं होने व निर्माण सामग्री का परिवहन बाधित होने से निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रही। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तथा अतिरिक्त मात्रा व आयटम की स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने के कारण शिवघाट बैराज निर्माण दिनांक 20.12.2024 से 28.02.2025 एवं पचरीघाट बैराज निर्माण कार्य दिनांक 20.12.2024 से 10.07.2025 तक बंद रहा।

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में धान की मात्रा में कमी

[सहकारिता]

22. (क्र. 80) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विपणन वर्ष 2025-26 में जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में खरीदे गए धान की मात्रा (क्विंटल में) की जानकारी खरीदी केंद्रवार प्रदान करें? **(ख)** क्या खरीदी उपरांत या अंतिम धान उठाव के पश्चात् खरीदी केंद्रों में धान की मात्रा में परिवहन, भंडारण अथवा अन्य कारणों से कमी पाई गई है यदि हां तो तथा कुल खरीदी के विरुद्ध दर्ज की गई कमी का प्रतिशत एवं उसके कारणों की जानकारी केंद्रवार प्रदान करें? खरीदी उपरांत कितने प्रतिशत तक की कमी का निर्धारण शासन द्वारा मान्य हैं? मान्य मे अधिक कमी वाले खरीदी केंद्रों पर क्या -क्या कार्यवाही की गयी है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी **'प्रपत्र'** में **संलग्न** है। **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव एवं लेखा मिलान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपार्जन केन्द्रों से संपूर्ण धान का उठाव एवं लेखा मिलान होने के पश्चात उपार्जन केन्द्र स्तर पर आई वास्तविक

कमी की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। राज्य शासन द्वारा जारी धान उपार्जन नीति में उपार्जन केन्द्र स्तर पर कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

बालोद जिले के ग्राम तुएगोंदी में अतिक्रमित वन भूमि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

23. (क्र. 86) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बालोद जिले के ग्राम तुएगोंदी में स्थित कितनी आरक्षित, संरक्षित, नारंगी, बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल की वन भूमि पर कितने रकबे में अतिक्रमण कौन से वर्ष से है और ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग द्वारा दिनांक 17/06/26 तक क्या कार्यवाही की गयी है? अतिक्रमित भूमि से कब तक बेजा कब्ज़ा खाली करवा लिया जायेगा?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :जिला बालोद अंतर्गत ग्राम-तुएगोंदी सीमा पर तीन संरक्षित वन कक्ष हैं जिसके अंतर्गत कक्ष क्रमांक 302 पी.एफ. रकबा 96.300 हेक्टेयर, 303 पी.एफ. रकबा 325.070 हेक्टेयर एवं 304 पी.एफ. रकबा 354.790 हेक्टेयर है। जिसमें से कक्ष क्रमांक 304 पी.एफ. में वर्तमान में अतिक्रमित वन भूमि का कुल वास्तविक रकबा 4.065 हेक्टेयर है। उक्त अतिक्रमण दिनांक 09.02.2006 को संज्ञान में आया। संज्ञान में आते ही प्रथम वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5462/07 दिनांक 09.02.2006 को पंजीबद्ध किया गया, द्वितीय वन अपराध प्रकरण क्रमांक 115/14 दिनांक 05.07.2017 को एवं तृतीय वन अपराध प्रकरण क्रमांक 10/10 दिनांक 08.06.2019 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त अतिक्रमित वनभूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत् आवेदक श्री रामबालक दास महात्यागी पिता श्री रामजानकीदास महात्यागी ग्राम बड़ाजुंगेरा के द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ाजुंगेरा दिनांक 13/04/2026 को आवेदन किया गया जिसकी सूचना ग्राम पंचायत बड़ाजुंगेरा ने अपने पत्र क्रमांक /33 दिनांक 27/04/2026 के द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी, डौण्डी लोहारा को दी है । इसके पूर्व भी कक्ष क्रमांक 304 में श्री रामबालक दास महात्यागी पिता श्री रामजानकी दास महात्यागी ग्राम बड़ाजुंगेरा के द्वारा वन अधिकार पट्टे की मांग की गई थी जिसे ग्राम पंचायत बड़ाजुंगेरा ने अपने पत्र क्रमांक 07 दिनांक 18.04.2024 के द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी डौण्डी लोहारा को सूचित किया है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही विचाराधीन है। पूर्व में वन मण्डलाधिकारी बालोद के पत्र क्रमांक/संरक्षण 4917 बालोद दिनांक 11.09.2020 द्वारा प्रथम सूचना पत्र एवं पत्र क्रमांक/संरक्षण/6210 बालोद दिनांक 07.11.2020 को द्वितीय सूचना पत्र द्वारा यद्यपि अतिक्रमण से बेदखली नोटिस जारी की गई थी किन्तु उक्त भूमि पर वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे का आवेदन वर्तमान में निर्णय हेतु लंबित है जिस पर जिला स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत तार एवं पोल को हटाने के वित्तीय प्रावधान

[ऊर्जा]

24. (क्र. 88) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विद्युत विभाग के द्वारा पूर्व में लगाए गए खम्भे, विद्युत लाईन (तार) वर्तमान स्थिति में जिनकी ऊंचाई कम या घरों के छत, घनी बस्ती के ऊपर तार नजदीक आ गए हैं, उनको हटाने के लिए कोई वित्तीय प्रावधान है ? यदि हां, तो जानकारी दीजिए ? **(ख)** क्या किसी के जिनके घर के पास से विद्युत पोल/तार को दूसरे स्थान में हटाने के लिए आवेदक को विद्युत विभाग को राशि देने के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो जानकारी दीजिए ? **(ग)** जिला दुर्ग अंतर्गत सभी विद्युत जोन कार्यालय में तार व पोल अन्य स्थान में स्थानांतरण हेतु वर्ष 2025-26 से 15 जून, 2026 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? स्थान, कार्य सहित जानकारी दीजिए ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां, पूर्व से स्थापित खंभे, विद्युत लाईन जिनकी ग्राउड से ऊंचाई निर्धारित मानक स्तर से कम हो जाती है, कि ऊचाई मानक स्तर पर बनाये रखने का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है। विद्युत लाईनों के स्थापित होने के बाद निर्मित मकानों की छतो के ऊपर के तार छत के नजदीक आने की स्थिति में हटाने का कार्य जमा योजना के तहत किया जाता है। जिसमें आवेदक/आवेदकों को लाइन हटाने हेतु आवश्यक व्यय राशि का भुगतान एवं लाईन हटाने हेतु सुलभ मार्ग उपलब्ध कराना होता है।**(ख)** जी हां, किसी के घर के पास से विद्युत पोल / तार को दूसरे स्थान में हटाने के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक राशि का भुगतान करने का प्रावधान माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 13.5 एवं 13.6 में उल्लेखित है।**(ग)** जिला दुर्ग अंतर्गत सभी विद्युत जोन कार्यालय में तार व पोल अन्य स्थान में स्थानांतरण हेतु कुल 277 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

अरपा भैंसाझार परियोजना की अद्यतन स्थिति

[जल संसाधन]

25. (क्र. 124) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**अरपा भैसाझार परियोजना,बिलासपुर कब स्वीकृत की गई ? किस-किस निर्माण एजेंसी को कब-कब कार्य आदेश जारी किया गया ? कार्य कब तक पूर्ण होना था (कार्यवार समयावधिवार विवरण देवें) ? दिनांक 17/06/2026 को परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है एवं किन-किन कार्यो में विलंब हुआ है व क्यों? इसके लिये उत्तरदायी कौन है? जानकारी देवें ? **(ख)**परियोजना से किन जिलों के किन-किन विकासखण्डों के किन-किन गांवों में नहर तथा पानी पहुंचना था व किनमें पहुंचा एवं किनमें नहीं पहुंचा? ग्रामवार बतावें एवं अपूर्णता के कारण भी बतावें? परियोजना की कुल लागत कितनी है, कितना आवंटन एवं कितना भुगतान किस-किस एजेंसी को किस-किस कार्य हेतु किया गया है तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है व क्यों? **(ग)**परियोजना के संबंध में कितनी शिकायत की गई तथा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है? शिकायतवार जानकारी देवें ? विधानसभा बजट सत्र में प्रश्न क्र.200, दिनांक 24 फरवरी,2026 के उत्तर अनुसार क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या-क्या कार्यवाही अपूर्ण/आंशिक, लंबित है तो क्यों? **(घ)**क्या परियोजनांतर्गत अवैध मुआवजा राशियों की दण्ड ब्याज सहित वसूली भूअर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 64 के तहत कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) अरपा भैंसाझार परियोजना, बिलासपुर की स्वीकृति दिनांक 06.06.2012 को प्राप्त हुई थी। विभिन्न एजेंसियों को जारी किए गए कार्य आदेश एवं कार्य पूर्ण होने की **जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** दिनांक 17.6.2026 तक परियोजना के शीर्ष कार्य के अंतर्गत 147 मीटर लंबाई के बैराज का निर्माण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है एवं विगत 06 वर्षों से पूर्ण जलाशय स्तर तक जल भराव किया जा रहा है। परियोजना के मुख्य नहर का निर्माण कार्य 97 प्रतिशत शाखा नहर एवं वितरक नहरों का निर्माण कार्य 82 प्रतिशत एवं 107 माइनर नहरों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। मुख्य नहर के आर.डी. 32020 मीटर तक 13500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। परियोजना के निर्माण कार्य में विलंब होने के प्रमुख कारण निम्नानुसार है:- 1. परियोजना के निर्माण अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित 442.35 हे. वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण हेतु भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23.04.2015 को अंतिम चरण की स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 08.05.2015 को जारी की गई है। 2. परियोजना की मुख्य नहर के आर.डी. 7840.00मी. पर बिलासपुर-कटनी रेल्वे मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग का निर्माण माह जून 2019 को पूर्ण किया गया। 3. परियोजना के निर्माण कार्य में वर्ष 2020 एवं 2021 में महामारी कोविड-19 के लॉक डाउन लगने के कारण कार्य को बंद करना पड़ा। 4. पेण्ड्रीडीह से सकरी बायपास

मार्ग में परियोजना की कुल 7 नग केनाल क्रासिंग का निर्माण कार्य माह अक्टूबर 2021 तक पूर्ण किया गया है। 5. वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं मई 2025 तक ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नही किया गया है। 6. ग्राम सैदा में मुख्य नहर आर.डी. 32020 मी. से आर.डी. 32410 मी. का नहर निर्माण कार्य भूमि मुआवजा विवाद के कारण 01 कृषक द्वारा नहीं करने दिया जा रहा था, उपरोक्त स्थल पर विवाद के निराकरण पश्चात् नहर निर्माण कार्य जून 2025 में पूर्ण किया गया है, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त परियोजना के नहर प्रणाली के निर्माण कार्य में मुआवजा संबंधी विवाद (सिंचित/दूफसली, मुख्य मार्ग की दर एवं खसरा बटांकन त्रुटियों) के कारण 25 ग्रामों में लगभग 70 कृषकों द्वारा मुआवजा प्राप्त नही किया गया है एवं नहर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके कारण नहर निर्माण में विलंब हो रहा है। अतः इसके लिए किसी को उत्तरदायीं नहीं ठहराया गया है। **(ख)** अरपा भैंसाझार परियोजना के बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड के 01 ग्राम तखतपुर विकासखण्ड के 70 ग्राम एवं बिल्हा विकासखण्ड के 31 ग्रामों कुल 102 ग्रामों के 25000 हे. क्षेत्रफल में खरीफ सिंचाई प्रस्तावित है, ग्रामवार विस्तृत **जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** वर्ष 2025-26 में 52 ग्रामों के कुल 13165 हे. में खरीफ सिंचाई की गई है **जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** योजना से तखतपुर विकासखण्ड के कुल 19 एवं बिल्हा विकासखण्ड के 31 ग्रामों कुल 50 ग्रामों में सिंचाई नहीं हो पा रही है **जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** मुख्य नहर के आर.डी. 32020 मी. से आर.डी. 32410 मी, 48640 मी. से 49480 मी., 50660 मी. से 50730 मी., 51400 मी. से 51450 मी., 51550 मी. से 51700 मी., 52240 मी. से 52390 मी., 52550 मी. से 52640 मी., 52780 मी. से 53110 मी. एवं 53900 मी. से 54020 मी. में कृषकों के विरोध के कारण नहर निर्माण पूर्ण न होने तथा इसी प्रकार वितरक नहरों एवं माईनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उपरोक्त ग्रामों में सिंचाई नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। योजना को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की वर्तमान लागत राशि रू. 1141.90 करोड़ है। एजेंसीवार कार्यवार किए गए भुगतान की **जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** सभी एजेंसियों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का भुगतान किया जा चुका है, किसी भी एजेंसी का भुगतान लंबित नहीं है। **(ग)** परियोजना के संबंध में 18 शिकायते प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।** विधानसभा बजट सत्र में प्रश्न क्र. 200 दिनांक 24.02.2026 में विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जल संसाधन विभाग के दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ विभागीय जांच आयुक्त, कार्यालय नया रायपुर द्वारा विभागीय जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उपरोक्त जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों तथा विभागीय गवाह का बयान दर्ज किया जा चुका है। आयुक्त द्वारा विभागीय जांच का निर्णय अपेक्षित है। ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा प्राथमिकी जांच क्रमांक 07/2025 दर्ज किया गया है तथा पत्रदिनांक 16.07.2025 मांगी गई जानकारी कार्यालयीन पत्र दिनांक 17.09.2025 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। प्रकरण में विवेचना जारी है। विभाग के दोषी पाये गये 05 अधिकारियों में से 02 अधिकारी श्री एस.एन. त्रिवेदी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तखतपुर तथा श्री आरके. राजपुत, तत्कालीन, उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग, तखतपुर को अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 20.02.2026 द्वारा निलंबित किया गया है। राजस्व विभाग के दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों पर की गई/की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। **(घ)** अरपा भैंसाझार परियोजना के चकरभाठा वितरक नहर में प्रभावित ग्राम सकरी के भू-अर्जन प्रकरण में अपात्र व्यक्तियों द्वारा गलत ढंग से भुगतान प्राप्त की गई राशि की दण्ड ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर के पत्र दिनांक 22.05.2024 द्वारा कलेक्टर बिलासपुर को पत्र लिखा गया है, तथा कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा के पत्र दिनांक 15.06.2024 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तखतपुर को पत्र लिखा गया है। वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा द्वारा की जा रही है। उपरोक्त पत्रों के तारतम्य में अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु अनुविभागीय

अधिकारी (रा.) को पत्र लिखा गया है। उपरोक्त राशियों की दण्ड ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा किया जाना है। उपरोक्त राशि की वसूली हेतु संबंधित कृषकों को राजस्व विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिसके खिलाफ मुकेश अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती दीप्ति अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अगली सुनवाई तक कोई भी दण्डात्मक कदम नहीं उठाए जाने के निर्देश है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त रिट याचिकाओं WP (C) 3116, 3332, 3410, 3472, 3728 एवं 3740/2023 में हस्तक्षेप याचिका दायर करने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 06.03.2026 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय को पत्र लिखा गया। महाधिवक्ता से प्राप्त अभिमत पर उक्त रिट याचिकाओं को खारिज करने की अनुमति शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अनुमति उपरांत माननीय न्यायालय में उपरोक्त याचिकाओं को खारिज करने हेतु याचिका दायर किया जायेगा। परियोजना अंतर्गत अवैध मुआवजा राशियों की दंड ब्याज सहित वसूली भूअर्जन अधिनियम 2013 की धारा 64 के तहत की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी हेतु कार्यालीयन पत्र दिनांक 25.06.2026 द्वारा भूअर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा एवं तखतपुर को पत्र लिखा गया है। जानकारी अपेक्षित है।

शासकीय भूमि को निजी संस्था/फर्म हस्तांतरण की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

26. (क्र. 125) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवा रायपुर के खपरी तालाब को पाट कर निजी प्रोजेक्ट चालू करने के संबंध में व जिला धमतरी के गंगरेल डेम के पास शासकीय भूमि पर रिसार्ट बनाने, ग्राम नेऊरडीही, तहसील सारागांव फर्जी नक्शा तैयार करने के साथ ही विगत 3 वर्षों में जिला बिलासपुर व रायपुर में शासकीय भूमि के गलत/अवैध/फर्जी नामांकन, बटांकन, बयाननामा तैयार कर निजी व्यक्तियों एवं फर्म/संस्था व अन्य को शासकीय भूमि का हस्तांतरण किये जाने के संबंध में कितनी शिकायतें की गई हैं ? इन शिकायतों की जांच कब एवं किसके द्वारा की गई है ? इन शिकायतों के आधार पर किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कौन-कौन सी शिकायत सही पाई गई व उसमें दोषी व्यक्ति का नाम व पद नाम देवें साथ ही कौन-कौन सी शिकायत की जांच लंबित है और क्यों ? जिलावार शिकायतवार/प्रकरणवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश**(क)** अंतर्गत किन-किन बिल्डरों/कपंनी/फर्म/संस्थाओं के द्वारा प्रश्न **(क)** अवधि में शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य कराये जाने की शिकायतें सही पाई गई है? शिकायतवार व कार्यवाहीवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) नवा रायपुर अटल नगर के अंतर्गत ग्राम खपरी तालाब को पाटे जाने के संबंध में सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से शिकायत दिनांक 27.06.2026 को प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संपदा एवं भूमि प्रभाग के दल द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, नवा रायपुर स्थित सेक्टर 31 ग्राम खपरी के भूखण्ड क्र. R2 क्षेत्रफल 71.256 एकड़ भूमि आवासीय परियोजना के विकास हेतु लायसेंस आधार पर डेव्हलपर M/s Dee Vee Project Pvt. Ltd को दिनांक 03.03.2025 को व्ययन किया गया है। यह व्ययन छ.ग. विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। खपरी स्थित भूमि. ख.नं. 122 एवं 328 तालाब मद में दर्ज है का व्ययन नहीं किया गया है वर्तमान में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है, तालाब ख.नं. 122 सार्वजनिक तालाब है तथा दुसरे तालाब ख.नं. 328 पर जलभराव नहीं पाया गया है, उक्त जल निकायों में किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं निर्माण की अनुमति नहीं है। जिला व तहसील धमतरी स्थित गंगरेल डेम के पास शासकीय भूमि पर रिसार्ट बनाने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार धमतरी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें ग्राम बरारी स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 542 रकबा 0.20 हे. (बड़े झाड़ का जंगल मद) की भूमि पर

अतिक्रामक खुबलाल ध्रुव पिता राजकुमार ध्रुव जाति गोड़ निवासी कोटाभर्री द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रिसार्ट निर्माण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रामक के विरूद्ध राजस्व प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कब्जा हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रायपुर जिले के धरसींवा तहसील, उप तहसील सारागांव अंतर्गत ग्राम नेउरडीह में शिकायतकर्ता गजानंद यादव के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 59/51 रकबा 0.405 हे. के पश्चिम दिशा में 59/5a नक्शा में त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है जिसके लिए न्याया. नायब तहसीलदार सारागांव में राजस्व प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच किया गया, जांच अनुसार ख.नं. 59/5 भूमिस्वामी हक की भूमि है, नक्शे में दर्शित 59/5a ख.नं. 59/5 का ही भाग है, अभिलेख शुद्धता हेतु दिनांक 18.05.2025 को आदेश पारित किया गया है। शिकायतकर्ता गजानंद यादव का बटांकन संबंधी शिकायत निराधार है। विगत 03 वर्षों में जिला बिलासपुर एवं रायपुर में शासकीय भूमि के गलत/अवैध/फर्जी/नामांतरण, बटांकन, बयनामा तैयार कर निजी व्यक्तियों एवं फर्म/संस्था व अन्य को शासकीय भूमि का हस्तांतरण किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में जानकारी निरंक है।

<u>बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को दोहरी फसल उत्पादन में आ रही बाधाएं</u>

[जल संसाधन]

27. (क्र. 129) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से महानदी एवं जोंक नदी प्रवाहित होने के बावजूद क्षेत्र के अधिकांश किसान पर्याप्त सिंचाई सुविधा के अभाव में दोहरी फसल (डबल क्रॉप) लेने में असमर्थ हैं? **(ख)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितनी कृषि भूमि सिंचित एवं असिंचित है तथा दोहरी फसल लेने योग्य सिंचित रकबा कितना है? **(ग)** महानदी एवं जोंक नदी के उपलब्ध जल का उपयोग कर किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित, स्वीकृत अथवा प्रस्तावित हैं? **(घ)** क्या शासन बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को दोहरी फसल हेतु पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना तैयार करेगा? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हाँ, यह सही है कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से महानदी एवं जोंक नदी प्रवाहित होने के बावजुद क्षेत्र के अधिकांश किसान पर्याप्त सिंचाई सुविधा के अभाव में दोहरी फसल (डबल क्रॉप) लेने में असमर्थ है। **(ख)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में विभिन्न सिंचाई योजनाओं से 47848 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित एवं 17278 हेक्टेयर असिंचित भूमि है तथा दोहरी फसल लेने योग्य सिंचित रकबा 1684 हेक्टेयर है। **(ग)** बिलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत महानदी मे कोई भी योजना संचालित स्वीकृत नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 योजनायें महानदी पर प्रस्तावित है। जोंक नदी के उपलब्ध जल का उपयोग कर किसानों को खरीफ सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा संचालित जोंक व्यपवर्तन योजना सहित 04 योजनायें पूर्ण है, 01 योजना स्वीकृत है (कार्य प्रगति पर है) तथा 05 योजनायें प्रस्तावित है, **जानकारी संलग्र प्रपत्र अनुसार है। (घ) प्रपत्र** में दर्शित महानदी पर प्रस्तावित 02 मेगा लिफ्ट योजनाओं से बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त योजनाओं के सैच्य क्षेत्रों में तकनीकी साध्यता तथा जल की उपलब्धता के अनुसार दोहरी फसल हेतु पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसका आंकलन डी.पी.आर. बनने के पश्चात् किया जा सकेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

<u>बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को खाद, बीज एवं कृषि ऋण की उपलब्धता</u>

[सहकारिता]

28. (क्र. 130) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर खाद, बीज एवं ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? **(ख)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समितियों में विगत तीन वर्षों में खाद, बीज एवं अल्पकालीन कृषि ऋण की मांग एवं वितरण का वर्षवार विवरण क्या है? **(ग)** कितनी समितियों में खाद एवं उर्वरक की कमी की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उसके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या शासन किसानों को समय पर खाद, बीज एवं ऋण उपलब्ध कराने तथा समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कोई विशेष कार्ययोजना लागू करने जा रहा है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :(क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 53 समितियों के माध्यम से कृषकों को खाद, बीज एवं ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। **(ख)** जानकारी **संलग्न '<u>प्रपत्र</u>'** अनुसार है। **(ग)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 10 समितियों में खाद एवं उर्वरक की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई थी। किसानों से संपर्क कर संबंधित समितियों के माध्यम से खाद उपलब्ध कराया गया। **(घ)** कृषकों को खाद, बीज एवं ऋण वितरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने के दृष्टिकोण से शासन की केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत पैक्स कम्प्यूटराईजेशन, एग्रीस्टेक पोर्टल में कृषक पंजीयन कर तथा समिति कर्मचारियों को सतत् प्रशिक्षण दिया जाकर समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

<u>[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]</u>

<u>नवीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं, सामुदायिक सोलर प्लांट अथवा सौर मिनी-ग्रिड की स्थापना</u>

[ऊर्जा]

29. (क्र. 133) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ एवं आसपास के वनांचल तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है? ऐसे कितने ग्राम, आश्रित बस्तियाँ एवं मजरे चिन्हित किए गए हैं जहाँ परंपरागत विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं है अथवा अत्यंत अनियमित है तथा वहाँ सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं? ग्रामवार विवरण प्रदान किया जाए ? **(ख)** विगत पाँच वर्षों में भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ परिक्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर हाईमास्ट, सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सौर पंप स्थापना हेतु कितनी राशि स्वीकृत, व्यय एवं उपयोग की गई है? योजनावार, ग्रामवार तथा वित्तीय वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाए? **(ग)** क्या शासन द्वारा रामगढ़ क्षेत्र के दूरस्थ एवं वनांचल ग्रामों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं, सामुदायिक सोलर प्लांट अथवा सौर मिनी-ग्रिड स्थापना का कोई प्रस्ताव स्वीकृत अथवा विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित ग्रामों के नाम, परियोजना लागत, स्वीकृति की स्थिति, कार्यान्वयन एजेंसी एवं कार्य पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा का विवरण प्रदान किया जाए?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ एवं आसपास के वनांचल तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति **"पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-अ"** मे दर्शित है। परंपरागत विद्युत उपलब्ध नही है ऐसे चिन्हित ग्रामों की संख्या 21 है एवं उनके आश्रित बस्तियों / मजरेटोलों की संख्या 57 हैं, जिनमें से सभी ग्रामों एवं आश्रित बस्तियों / मजरेटोलों में सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित हैं, जिनका ग्रामवार विवरण **"पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-अ"** के अनुसार है। **(ख)** विगत

पाँच वर्षों में भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ परिक्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर हाईमास्ट, सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सौर पंप स्थापना हेतु स्वीकृत राशि, व्यय / उपयोग की गई राशि की योजनावार, ग्रामवार तथा वित्तीय वर्षवार विवरण **"पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-ब"** के अनुसार है। **(ग)** जी हॉ। शासन द्वारा रामगढ़ क्षेत्र के दूरस्थ एवं वनांचल ग्रामों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्वीकृत / विचाराधीन है। प्रस्तावित ग्रामों के नाम, परियोजना लागत, स्वीकृति की स्थिति, क्रियान्वयन एजेंसी एवं कार्य पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा का विवरण **"पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-स"** के अनुसार है।इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा भरतपुर-सोनहत विधानसभा अंतर्गत रामगढ़ क्षेत्र के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र के 10 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृति किया गया है ग्रामवार जानकारी **"पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-स"** के अनुसार है।

दूरस्थ एवं वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

30. (क्र. 135) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ एवं वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति क्या है? ऐसे कितने ग्राम अथवा राजस्व ग्राम चिन्हित किए गए हैं, जहाँ दूरसंचार सेवाएँ पूर्णतः अनुपलब्ध हैं अथवा नेटवर्क कवरेज निर्धारित मानकों से न्यून है? ग्रामवार विवरण उपलब्ध कराया जाए? **(ख)** विगत पाँच वर्षों में केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न दूरसंचार अवसंरचना विस्तार योजनाओं के अंतर्गत भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र में कितने मोबाइल टावर स्वीकृत, स्थापित एवं क्रियाशील किए गए हैं? स्वीकृत, निर्माणाधीन तथा संचालित टावरों की संख्या, स्थान एवं संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी का पृथक-पृथक विवरण प्रदान किया जाए? **(ग)** क्या शासन द्वारा भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र के नेटवर्क-विहीन एवं कमजोर नेटवर्क वाले ग्रामों में दूरसंचार अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की कोई कार्ययोजना, डीपीआर अथवा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित ग्रामों के नाम, स्वीकृत टावरों की संख्या, वित्तीय प्रावधान, कार्यान्वयन एजेंसी तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा का विवरण प्रदान किया जाए?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत कुल 337 ग्राम है । दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 314 ग्रामों में मोबाईल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है एवं 23 ग्रामों में मोबाईल कनेक्टिविटी विस्तार हेतु DBN (डिजिटल भारत निधि) योजनान्तर्गत 18 मोबाईल टावर स्थापित किए जाने हेतु चिन्हित किए गए है, जिसका कार्य प्रगतिरत है । **(जानकारी सलंग्न प्रपत्र-अ अनुसार है) (ख)** दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत विगत पाँच वर्षों में केंद्र शासन द्वारा DBN (डिजिटल भारत निधि) योजनान्तर्गत कुल 97 मोबाईल टावर स्वीकृत किए गए है, जिनमें से 79 टावर BSNL द्वारा संचालित है । शेष 18 टावर लगाए जाने का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है । **(जानकारी सलंग्न प्रपत्र-ब अनुसार है) (ग)** 23 ग्रामों में मोबाईल कनेक्टिविटी विस्तार हेतु DBN (डिजिटल भारत निधि) योजनान्तर्गत 18 मोबाईल टावर स्थापित किए जाने हेतु चिन्हित किए गए है, जिसका कार्य प्रगतिरत है । **(जानकारी सलंग्न प्रपत्र-अ अनुसार है)**

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालित खदानें

[खनिज साधन]

31. (क्र. 136) श्री संदीप साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्तमान में चूना पत्थर, डोलोमाइट, मुरूम, पत्थर एवं अन्य खनिजों की कितनी खदानें कहां-कहां पर संचालित हैं? खदानवार मालिकों के नाम, पता एवं खदान स्थलवार जानकारी दें ? **(ख)** वर्ष 2023-24 से वर्तमान तक जिले में खनिज उत्खनन से शासन को कितनी रॉयल्टी एवं राजस्व प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी दें ? **(ग)** जिले में संचालित खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं खनन पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया गया है? **(घ)** जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण के कितने प्रकरण दर्ज किए गए तथा कितनी राशि वसूली की गई? खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु क्या कार्य किए गए हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में मुख्य खनिज चूनापत्थर के 18, निम्न श्रेणी चूनापत्थर के 47, मिट्टी 04 एवं रेत के 15 उत्खनिपट्टा संचालित है। मुरूम एवं पत्थर के कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है। खदानवार मालिकों के नाम, पता एवं खदान स्थलवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 में मई 2026 तक वर्षवार प्राप्त रॉयल्टी एवं कुल राजस्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- "अ"** के कॉलम-7 से 9 अनुसार है। **(घ)** बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 में मई 2026 तक अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण के कुल 2 हजार 285 प्रकरण दर्ज किये गये है जिनमें 6 करोड़ 68 लाख 737 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत किये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार** है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में खनन से कोई व्यवस्थापन नहीं हुआ है। अतः पुनर्वास का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला कबीरधाम में भू-राजस्व संहिता की धारा 115 (त्रुटि सुधार) के लम्बित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

32. (क्र. 142) श्रीमती भावना बोहरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** कबीरधाम जिले में वर्तमान में भू-राजस्व संहिता की धारा 115 (त्रुटि सुधार) के अंतर्गत कुल कितने प्रकरण लंबित हैं? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांश-"क" में उल्लेखित लम्बित प्रकरणों के निराकरण में हो रहे विलंब के मुख्य कारण क्या हैं? इन लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? **(ग)** भू-राजस्व संहिता की धारा 115 (त्रुटि सुधार) की प्रक्रिया अंतर्गत नोटिस सुपुर्द न होने, पटवारी प्रतिवेदन में देरी एवं भुईयां पोर्टल की तकनीकी खामियां आदि प्रक्रियागत समस्याओं को दूर कर प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) कबीरधाम जिले में वर्तमान में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व सहिता की धारा 115 (त्रुटि सुधार) के अन्तर्गत कुल 372 प्रकरण (मूल एवं अपील प्रकरण) लंबित है। तहसीलवार एवं अनुविभागवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	तह. का नाम	लंबित प्रकरण	अनुविभाग का नाम	लबित प्रकरण
1	अपर कलेक्टर	01	कवर्धा	19
2	कवर्धा	24	स. लोहारा	31
3	पिपरिया	37	बोड़ला	12
4	स.लोहारा	71	पण्डरिया	14
5	बोड़ला	76	**योगः-**	**76**
6	रेगाखारकला	43		
7	पण्डरिया	23		
8	कुण्डा	15		
9	कुकदूर	06		
	योगः-	**296**		

(ख) प्रकरणों के लंबित होने का कारण पक्षकारो की अनुपस्थिति, साक्ष्य प्रस्तुत करने में विलंब है। लंबित प्रकरणो के शीघ्र निराकरण हेतु राजस्व शिविर एवं ई-कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही किया जा रहा है । उक्त प्रकरणो के निराकरण के लिए समय-सीमा 45 कार्य दिवस है। **(ग)** नोटिस की समय पर तामिली के लिए माल जमादार एवं ग्राम कोटवारो को निर्देर्शित किया गया है और लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी बहुल ग्रामों में स्थायी विद्‌युतीकरण

[ऊर्जा]

33. (क्र. 143) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत तेलियापानी, बिरहुलडीह, कांदावाणी, छीरपानी, रूख्मीदादर, छिंदीडीह एवं अमनिया के 20 से अधिक ग्राम जून, 2026 की स्थिति में भी नियमित विद्‌युत सुविधा से वंचित हैं अथवा अत्यंत सीमित विद्‌युत व्यवस्था पर निर्भर हैं, जिसके कारण हजारों ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ? उक्त ग्रामों में वर्तमान में कितने घर/परिवार पूर्णतः विद्‌युत सुविधा से वंचित हैं तथा कितने परिवार केवल सौर ऊर्जा आधारित अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर हैं ? ग्रामवार एवं पंचायतवार विवरण क्या है ? **(ख)** क्या शासन द्वारा इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था (सोलर बैटरी/सोलर होम लाइटिंग सिस्टम) उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ तो, उक्त व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त सिद्ध हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी एवं रखरखाव हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? **(ग)** क्या शासन द्वारा इन ग्रामों को मुख्य विद्‌युत ग्रिड से जोड़ने, नवीन विद्‌युत लाइन विस्तार, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं शत-प्रतिशत घरेलू विद्‌युतीकरण हेतु कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो ग्रामवार स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, एजेंसी एवं पूर्णता अवधि क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हॉ। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी बहुल प्रश्नाधीन 06 ग्राम पंचायतों के 20 ग्रामों में से जून-2026 की स्थिति में 08 ग्राम परंपरागत विद्‌युत से अविद्‌युतीकृत हैं। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में 71 घर / परिवार पूर्णतः विद्‌युत सुविधा से वंचित हैं तथा 1127 परिवार केवल सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं। ग्रामवार एवं पंचायतवार विवरण **"संलग्न प्रपत्र"** अनुसार है। **(ख)** जी हॉ। प्रश्नाधीन क्षेत्रों के उपरोक्त ग्रामों में शासन द्वारा सौर ऊर्जा आधारित विद्‌युतीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उक्त व्यवस्था से ग्रामीणों हेतु रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था, मोबाईल चार्जिंग इत्यादि मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित होती हैं। उक्त सौर संयंत्रों की निगरानी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जाती है। सोलर पावर प्लांटों का रखरखाव का कार्य पाँच वर्ष की वारंटी अवधि तक संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई तत्पश्चात् क्रेडा द्वारा किया जाता है तथा सोलर होमलाईटों का रखरखाव का कार्य पाँच वर्ष

की वारंटी अवधि तक संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा नियमानुसार किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित ऐसे ग्राम जो कि परंपरागत तरीके से विद्युतीकृत नहीं हैं. सघन वन क्षेत्र होने के कारण वर्तमान में परंपरागत विद्युतीकरण हेतु किसी भी कार्ययोजना में शामिल नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संचालित खदानें

[खनिज साधन]

34. (क्र. 145) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अन्तर्गत कौन-कौन से कितने -कितने खदान संचालित हैं एवं खनन से कौन-कौन से प्रकार के खनिज प्राप्त हो रहे हैं ? जानकारी देवें ? **(ख)** कौन-कौन से कितने खदान लीज़ में संचालित हैं ? किस-किस फर्म को कितने वर्षों के लिए लीज़ में दिया गया है ? लीज़ की राशि कितनी प्राप्त होती है ? वर्षवार जानकारी देवें ? गौण खनिज से प्राप्त राशि का उपयोग किस-किस उपयोग में किया जाता है ? जानकारी देवें ? **(ग)** गौण खनिज के माध्यम से जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को कितनी आय प्राप्त हुई ? जानकारी देवें ? क्या खनिज से प्राप्त रॉयल्टी की राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत को दी जाती है जानकारी देवें ? यदि दी जाती है तो किस अनुपात पर दी जाती है तथा विगत 5 वर्षों में त्रि-स्तरीय पंचायत संस्थान को कितनी राशियां दी गयी ? जानकारी विकासखंडवार देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अन्तर्गत 03 खदानें संचालित है, खनिजवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में संचालित 03 खदानों की फर्मवार, लीज अवधि व प्राप्त राजस्व सहित वर्षवार जानकारी **संलग्न संलग्न प्रपत्र- "अ" अनुसार** है। गौण खनिजों से प्राप्त राशि का त्रि-स्तरीय पंचायतों को संवितरण किया जाकर, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2012 एवं यथासंशोधित दिनांक 27.05.2026 में विहित प्रावधानों के अनुसार उपयोग किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' में संचालित में गौण खनिज खदान से जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को प्राप्त राजस्व की जानकारी **संलग्न प्रपत्र- "अ" के कॉलम नंबर '9-10-11' अनुसार** है। जी हां, गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी की राशि त्रि-स्तरीय पंचायतों को संवितरित की जाती है। संवितरण का अनुपात आदेश दिनांक 10.10.2012 एवं 27.05.2026 में विहित प्रावधान अनुसार है। विगत 5 वर्षों में त्रि-स्तरीय पंचायतों को संवितरित राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

पुनर्गठित विद्युत क्षेत्र योजना आर.डी.एस.एस. अन्तर्गत कराए गए कार्य

[ऊर्जा]

35. (क्र. 146) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पुनर्गठित विद्युत क्षेत्र योजना आर.डी.एस.एस. अन्तर्गत जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में जनवरी, 2023 से जून, 2026 तक कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि से कराये गये हैं ? **(ख)** क्या उक्त योजना से किसी प्रकार की सामग्री खरीदी की गई है? यदि हां, तो खरीदी का माध्यम, सामग्री का नाम, दिनांक की जानकारी, सामग्री की भुगतानवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या विभाग द्वारा जिला अन्तर्गत बिना डायवर्सन के औद्योगिक कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां, कितने-कितने के.व्ही के तथा किस आधार पर प्रदान की गई है ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) पुनर्गठित विद्युत क्षेत्र योजना आर.डी.एस.एस. अंतर्गत जिला मोहला-

मानपुर-अबागढ चौकी में जनवरी 2023 से जून 2026 तक कराये गए कार्यो का भौतिक एवं वित्तीय विवरण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** उक्त योजना के अंतर्गत आवश्यक वितरण ट्रांसफार्मरों की खरीदी विभाग द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से की गई है, जिसकी भुगतान सहित क्रय जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** औद्योगिक कनेक्शन प्रदान करने हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी की गई विद्युत प्रदाय संहिता के तहत निर्धारित दस्तावेजों में वैधानिक भू-स्वामित्व / परिसर स्वामित्व से संबधित दस्तावेज आवश्यक है, जिसके आधार पर विभाग द्वारा प्रश्नांश "क" की अवधि में जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 30 औद्योगिक कनेक्शन प्रदान किये गए है। विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र के साथ लिए जाने वाले दस्तावेजों में डायवर्सन संबंधित दस्तावेज की बाध्यता नहीं है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

अवैध मुरुम उत्खनन एवं परिवहन

[खनिज साधन]

36. (क्र. 155) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राजनांदगांव जिले में वर्ष 2025 से 17.06.2026 तक एक ही रॉयल्टी पास का उपयोग कर आधा दर्जन से अधिक गांवों में अवैध मुरुम उत्खनन एवं परिवहन किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायत के विरूद्ध क्या-क्या और कब-कब कार्यवाही की गई पूर्ण ? जानकारी देवें? **(ख)** विगत तीन वित्तीय वर्षों में जिला राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई से गौण खनिज के खनन से राज्य शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है एवं क्या यह लक्ष्य के अनुरूप है ? जिले में अवैध रेत/मुरूम/गिट्टी उत्खनन एवं परिवहन के वर्ष जनवरी, 2024 से मई, 2026 तक कितने प्रकरण दर्ज किए गए तथा कितने वाहनों को जब्त किया गया?वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें? **(ग)** भविष्य में रॉयल्टी पास का दुरुपयोग रोकने एवं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शासन द्वारा क्या-क्या कार्य योजना बनायी गई है? पूर्ण जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रश्नांकित अवधि में उक्त विषयक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** विगत तीन वित्तीय वर्षों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" और "ब" अनुसार** है। **(ग)** विभाग द्वारा खनिज ऑनलाईन 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन अभिवहन पास जारी किया जा रहा है। जिससे अभिवहन पास के दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण होगा। अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण के रोकथाम हेतु जिला स्तर पर टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसके द्वारा सतत् निगरानी एवं कार्यवाही किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकर्रा एवं ग्राम विजयपुर में उप तहसील कार्यालय का प्रारंभ

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

37. (क्र. 160) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विजयपुर में उप तहसील कार्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गयी है एवं ग्राम सकर्रा में उप तहसील कार्यालय प्रारंभ किया गया है? **(ख)** कंडिका "क" के तहत ग्राम विजयपुर में घोषित उप तहसील कार्यालय को कब तक प्रारंभ किया जायेगा ? **(ग)** कंडिका "क" के अंतर्गत ग्राम सकर्रा में स्थापित उप तहसील कार्यालय हेतु शासन द्वारा भवन निर्माण के लिए क्या कार्ययोजना है एवं कब तक भवन स्वीकृत कर लिया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हॉ, बिलासपुर जिले में अनुविभाग तखतपुर के अंतर्गत ग्राम सकर्रा एवं विजयपुर में उप-तहसील प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के परिपालन में ग्राम सकर्रा के ग्राम पंचायत भवन में उप-तहसील कार्यालय मई 2025 से प्रारंभ किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत् ग्राम विजयपुर को कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर के आदेश क्रमांक 133/भू०अ०/अ०भू०अ०/रा०नि०व०लो०/2026 बिलासपुर दिनांक 01-07-2026 को नवीन उप-तहसील बनाये जाने का आदेश किया गया । उक्त आदेश के पश्चात् ग्राम पंचायत भवन विजयपुर में उप-तहसील कार्यालय का कार्य प्रारंभ हो गया है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संबंध में भवन निर्माण के संबंध में वर्तमान में कोई कार्ययोजना नहीं है।

घरेलू, कृषि व औद्योगिक बिजली दरों में वृद्धि

[ऊर्जा]

38. (क्र. 165) श्री भूपेश बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 (जून, 2026 तक) घरेलू, कृषि व औद्योगिक बिजली दरों में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि की गई तथा 'फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट' (FCA), वेरिएबल कॉस्ट व कोयला परिवहन की बढ़ी दरों के नाम पर श्रेणीवार कुल कितनी राशि की मांग की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 (जून 2026 तक) घरेलू, कृषि व औद्योगिक बिजली दरों में प्रतिशत वृद्धि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है**। छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 'फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट' (FCA), वेरिएबल कॉस्ट व कोयला परिवहन की बढ़ी दरों के नाम पर फ्यूल एण्ड पॉवर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) की उक्त अवधि में घरेलू श्रेणी में कुल रू. 398.54 करोड, कृषि श्रेणी में कुल रु. 503.76 करोड़ एवं औद्योगिक श्रेणी में कुल रू. 1126.47 करोड़ राशि की वसूली हेतु मांग की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 से 2023 के मध्य की गई भर्तियों में अनियमितता की जांच

[सामान्य प्रशासन]

39. (क्र. 173) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 से 2023 के मध्य राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य किन-किन भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए तथा उनमें कुल कितने पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई ? वर्षवार, पदवार, संवर्गवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या उक्त अवधि में आयोजित CGPSC भर्तियों में पेपर लीक, मूल्यांकन में गड़बड़ी, मॉडल आंसर विवाद, इंटरव्यू अंकों में हेरफेर, चयन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी एवं अन्य शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही बताएं ? **(ग)** क्या शासन द्वारा CGPSC 2019 से 2023 की भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच किस एजेंसी-EOW, CBI अथवा अन्य से कराई गई ? जांच की वर्तमान स्थिति क्या है एवं कब तक रिपोर्ट प्राप्त होगी ? **(घ)** उक्त भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी तत्कालीन CGPSC अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों के रिश्तेदार हैं ? क्या इसकी जांच कराई गई है ? सूची उपलब्ध कराएं ? **(ङ)** यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी तथा अनियमित तरीके से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी ? क्या उक्त कार्यकाल के दौरान विभाग अधीन आयोजित अन्य परीक्षाओं की भी जाँच की जाएगी? जानकरी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार हैं।**(ख)** जी हाँ। श्री ननकी राम कंवर, माननीय विधायक, रामपुर क्षेत्र एवं अन्य माध्यमों से शिकायते प्राप्त हुई थी। शिकायतों पर केन्द्रीय जांच एजेंसी सी.बी.आई (CBI) द्वारा जांच की जा रही है।**(ग)** जी हाँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की जाचं केन्द्रीयजांच एजेंसी सी.बी.आई (CBI) से कराई जा रही है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।**(घ)** सीबीआई द्वारा समग्र रूप से जांच की जा रही है।**(ड़)** सीबीआई जांच के परिणाम पर निर्भर होगी।

अम्बिकापुर–पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

40. (क्र. 178) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बिकापुर से पत्थलगांव अंतर्गत तहसील बतौली व तहसील सीतापुर के भूमि अधिग्रहण में कितनी भूमि, कितने भूस्वामी से ली गयी थी ? भूस्वामी के नाम रकबा सहित जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्न क अनुसार उक्त भूस्वामी के लिए कितनी मुआवजा की राशि स्वीकृत हुई थी ? उनमें से कितना भुगतान हुआ है ? कितने भूस्वामी का मुआवजा प्रकरण लंबित है ? अगर लंबित है तो क्यों ? कब तक भुगतान किया जाएगा ? जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बिकापुर से पत्थलगांव के अंतर्गत तहसील बतौली का 158 भूमिस्वामियों से रकबा 3.513 हेक्टेयर भूमि एवं तहसील सीतापुर का 393 भूमिस्वामियों से रकबा 25.318 हेक्टेयर, कुल 551 भूमिस्वामियों से रकबा 28.831 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। भूस्वामी के नाम एवं रकबा सहित जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **परिशिष्ठ-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्न क अनुसार उक्त भू-स्वामी के लिए कुल मुआवजा की राशि रू. 67,96,75,254/- स्वीकृत हुई थी, जिसमें से राशि रु. 56,70,69,696/- का भुगतान कर दिया गया है। 151 भूमिस्वामियों को राशि रु. 11,26,05,558/- का भुगतान लंबित है। भुगतान हेतु शेष राशि, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राज्यमार्ग सडक एवं परिवहन विभाग रायपुर से अप्राप्त होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। संबंधित विभाग से राशि प्राप्त होने पर अविलंब भुगतान कर दिया जावेगा।

रायगढ़ जिला में रेत भण्डारण हेतु प्रदत्त लाईसेंस

[खनिज साधन]

41. (क्र. 180) श्री उमेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला में रेत भण्डारण हेतु कहां-कहां, किन- किन को लायसेंस दिया गया है ? नाम व स्थान सहित जानकारी देवें? कितना-कितना एम.टी.रेत भण्डारण की अनुमति प्रदाय की गई है ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जानकारी ''**संलग्न प्रपत्र अनुसार''** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

रायगढ़ वन मंडल में वृक्षारोपण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

42. (क्र. 181) श्री उमेश पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2024-25 और 2025-26 में रायगढ़ वनमंडलांतर्गत किस- किस वन परिक्षेत्र में किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी संख्या में वृक्षारोपण किया गया है और प्लांटेशन की अद्यतन स्थिति क्या है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : वर्ष 2024-25 और 2025-26 में रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा एवं तमनार में वृक्षारोपण किया गया है। वर्षवार, परिक्षेत्रवार, स्थलवार रोपित पौधों की संख्या तथा वृक्षारोपण की अद्यतन **स्थिति संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]

बालोद जिले के खनिज न्यास निधि अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की शेष भुगतान राशि

[खनिज साधन]

43. (क्र. 185) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खनिज न्यास निधि अंतर्गत जिला बालोद में कुल कितने स्वीकृत कार्य हैं जिनके भुगतान शेष हैं ? विकासखण्डवार, ग्रामवार एवं स्वीकृत राशि/वर्षवार जानकारी देवें ? वर्तमान में उक्त स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार भुगतान शेष होने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक कर लिया जायेगा तथा क्या उक्त भुगतान के विलंब में दोषियों पर कोई कार्यवाही की जाएगी ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) बालोद जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत कुल 998 स्वीकृत कार्य है जिनका भुगतान शेष है। विकासखंण्डवार, ग्रामवार, स्वीकृत राशिवार जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा 900 कार्यों के अंतिम किश्त भुगतान हेतु मांग पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। मांग पत्र प्राप्त होने पर दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर 15 कार्य दिवस के भीतर भुगतान किया जावेगा। मांग पत्र प्राप्त 98 कार्यों की भुगतान प्रक्रियाधीन है।

महासमुंद जिले में धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता के दर्ज प्रकरण

[सहकारिता]

44. (क्र. 189) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में महासमुंद जिले में धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज, अवैध धान परिवहन सहित क्या-क्या अनियमितताएं हुई हैं ? शासन को कितनी क्षति हुई है ? अनियमितता के कितने मामले दर्ज हुए हैं ? किन-किन के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? यदि कार्यवाही लंबित है तो इसका मुख्य कारण क्या है ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** संबंधित समिति प्रबंधकों एवं कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि कार्यवाही लंबित है तो इसका मुख्य कारण क्या है ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ग)** शासन को हुई क्षति की भरपाई कैसे की जा रही है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में महासमुंद जिले के कुल 182 उपार्जन केन्द्रों में से 180 उपार्जन केन्द्रों के संयुक्त लेखा मिलान उपरांत 54 उपार्जन केन्द्रों में कुल 54671.34 क्विंटल धान का शार्टेज हुआ है, जिसकी वसूली के लिए उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को नोटिस जारी किया गया हैं। विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे जाने हेतु** प्रपत्र-'अ' में है। जिले की 12 उपार्जन केन्द्रों में 13 अनियमितताओं के मामले दर्ज किये गये है। विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे जाने हेतु प्रपत्र-'ब'** में है। जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के कुल 418 प्रकरण बनाये गये है, जिनमें 38180 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। दर्ज प्रकरणों में से मंडी अधिनियम 1972 के तहत 368 प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं शेष 50 प्रकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरणवार विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे जाने हेतु प्रपत्र-'स'** में है। वर्ष 2026-27 में धान खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। **(ख)** संबंधित समिति प्रबंधकों एवं कर्मचारियों पर शार्टेज एवं अनियमितता के संबंध में की गई कार्यवाही की विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे जाने हेतु** क्रमशः **प्रपत्र-'अ'** एवं **प्रपत्र-'ब'** में है। **(ग)** उपार्जन केन्द्रों में हुई क्षति

की भरपाई समितियों को देय कमीशन से समायोजन कर लिया जाता है, अतः शार्टेज से शासन को क्षति नहीं होता है।

बलौदा वन मंडल अंतर्गत कोठारी वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से हुई मृत्यु

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

45. (क्र. 192) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 25 जनवरी, 2026 से 1 फरवरी, 2026 के बीच बलौदा वन मंडल अंतर्गत कोठारी वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है? **(ख)** क्या निगरानी दल द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र में निगरानी नहीं की जाती है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 25 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 के बीच बलौदाबजार वनमण्डल अंतर्गत कोठारी वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।**(ख)** जी नहीं। निगरानी दल द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र में निगरानी की जाती है।

बसना के बस स्टैंड के पास लीज पर दी गई जमीन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

46. (क्र. 193) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुंद अंतर्गत विकासखंड बसना के बस स्टैंड बसना के पास खसरा नंबर 125/4 रकबा 10332 वर्ग फीट जमीन शासन द्वारा किसे और कब कितने वर्षों की लीज पर दी गई थी, बतावें? **(ख)** क्या उक्त जमीन को लीज पर बेचने की अनुमति शासन से लेकर बेचीं गई है, अगर हाँ, तो कब व किस नियम के तहत अनुमति दी गई है, बतावें? **(ग)** क्या उक्त जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, अगर हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है, अगर नहीं तो क्यों, कारण सहित बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला महासमुन्द अंतर्गत विकासखण्ड बसना के नगर बसना की बस स्टैण्ड के समीप की भूमि ख.नं. 125/4 का टुकड़ा रकबा 10332 वर्गफीट (0.0960 हे.) भूमि मेनोनाईट कलिसिया चर्च जगदीशपुर तहसील बसना के नाम पर राजस्व अभिलेखों में क्रय के आधार पर पूर्व से भूमिस्वामी हक में दर्ज रहा है। ख.नं. 125/4/ग/5 रकबा 1386 वर्गफीट भूमि मेनोनाईट कलिसिया चर्च को मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 3656/82/सात/सा(बो) भोपाल, दिनांक 31.03.1983 के अनुसार 30 वर्षों हेतु स्थायी लीज पर प्रदाय की गई है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 125/4 का टुकड़ा रकबा 10332 वर्गफीट (0.0960 हे.) राजस्व अभिलेखों में परिवर्तित भूमि दर्ज है। उक्त भूमि के क्रय-विक्रय हेतु शासन/कलेक्टर से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 125/4 का टुकड़ा रकबा 10332 वर्गफीट (0.0960 हे.) परिवर्तित भूमि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला दंतेवाड़ा में लौह अयस्क का उत्खनन हेतु लीज एवं उत्पादन

[खनिज साधन]

47. (क्र. 196) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला दंतेवाड़ा अन्तर्गत विगत 05 वर्ष में किन-किन निजी कंपनियों को लौह अयस्क के लिये लीज पर जमीन दी गई है? कंपनियों के नाम, लीज का रकबा एवं खसरा नंम्बर/कम्पार्टमेंट नम्बर, वर्ष, उत्खनित लौह अयस्क की वर्षवार मात्रा तथा भुगतान की गई रायल्टी एवं शेष रायल्टी का विवरण वर्षवार बताएं? **(ख)** क्या आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को भी लौह अयस्क हेतु लीज पर जमीन दी गई है ? यदि हां, तो इस कंपनी के द्वारा उत्खनित लौह अयस्क का किन साधनों द्वारा परिवहन किया गया? उत्खनन स्थल का निरीक्षण प्रश्नांश **(क)** अवधि में

किस-किस अधिकारी द्वारा, कब-कब किया गया? **(ग)** आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को दी गई लीज की शर्ते क्या-क्या थी? क्या इन शर्तो का पालन किया गया है? यदि नहीं तो किन शर्तो का उल्लंघन किया गया और उसके लिये क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं? क्या अनियमितता के लिये कोई जांच भी की जा रही है? यदि हां तो उसका विवरण तथा जांच के आदेश की प्रति दीजिए?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला दंतेवाड़ा अन्तर्गत विगत 05 वर्ष में किसी भी निजी कंपनी को लौह अयस्क खनिज के लिये लीज पर जमीन नहीं दी गई है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को लौह अयस्क हेतु लीज पर जमीन नहीं दी गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)** प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्रदेश में तेन्दूपत्ता का संग्रहण एवं भुगतान राशि</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

48. (क्र. 197) श्री विक्रम मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा कितनी राशि दी जाती है? जनवरी, 2024 से जुलाई, 2026 तक कुल कितने मानक बोरों का संग्रहण किस-किस दर पर किया गया है? वर्षवार जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? किन कारणों से शेष है? तेन्दूपत्ता विक्रय से वनोपज सहकारी समितियों को कितना लाभ हुआ है? वर्षवार जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अवधि में तेन्दूपत्ता संग्राहको को कितनी राशि बोनस के रूप में किस दर पर दी गई? तथा कितनी राशि दी जानी शेष है? शेष राशि कब तक दी जाऐगी? वर्षवार जिलेवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राशि रू. 5500/- प्रति मानक बोरा दी जाती है। प्राथमिक समिति को लाभ होने की दशा में लाभ के अनुपात में संग्राहक को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) अतिरिक्त मिलता है । जनवरी 2024 से जुलाई 2026 तक प्रदेश में संग्रहण किए गए तेन्दूपत्ता की जिलेवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।(ख)** जनवरी 2024 से जुलाई 2026 तक तेन्दूपत्ता संग्राहको को भुगतान की गई राशि भुगतान हेतु शेष राशि एवं राशि शेष होने का कारण की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 का तेन्दूपत्ता का पूर्ण विक्रय उपरांत ही समितिवार लाभ-हानि की गणना की जावेगी।**(ग)** संग्रहण सीजन 2024,2025 तथा 2026 का तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का वितरण नहीं किया गया है । वर्ष 2024,2025 एवं 2026 का तेन्दूपत्ता का पूर्ण विक्रय उपरांत ही प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि की गणना की जा सकेगी ।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंतीस"]

<u>आंध्रप्रदेश के पोलावरम में निर्माणाधीन बांध से छत्तीसगढ़ में प्रभावित ग्राम एवं भूमि</u>

[जल संसाधन]

49. (क्र. 201) श्री कवासी लखमा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आंध्रप्रदेश के पोलावाराम में निर्माणाधीन बांध से छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम प्रभावित होंगे ? प्रभावित क्षेत्र के कितने एकड़ कृषि भूमि, वन भूमि एवं राजस्व भूमि प्रभावित होंगी ? **(ख)** प्रभावित लोगों में कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? प्रभावित लोगों के विस्थापन हेतु शासन द्वारा कौन-कौन से उपाय किए गए ? वनों के हानि के क्या प्रबंध किए गए ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) आंध्रप्रदेश के पोलावाराम में निर्माणाधीन बांध से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्ण जलाशय स्तर (RL 150 ft.) पर कुल 09 ग्राम प्रभावित होगें। प्रभावित क्षेत्र निजी भूमि (कृषि) 1135.123 एकड़ वन भूमि 218.619 एकड़ एवं राजस्व भूमि 2079.915 एकड़ इस प्रकार कुल 3433.657 एकड़ प्रभावित होंगी। बांढ़ के दौरान जल स्तर (Back water effect) का प्रभाव का अध्ययन IIT Kharagpur द्वारा किया गया है। ओड़िसा, केन्द्र शासन, आन्ध्रप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ द्वारा संयुक्त बैठक में लेवल का निर्णय होने के पश्चात ही वास्तविक प्रभावित गांवों की जानकारी दी जा सकती है। **(ख)** प्रभावित लोगों में से किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। SIA (Social Impact Assessment) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कार्य प्रक्रियाधीन है। SIA कार्य पूर्ण होने तथा लेवल का निर्णय होने के पश्चात् ही शासन के नियमानुसार आवश्यक मुआवजा वितरण विस्थापन एवं वनों के हानि के प्रबंधन की कार्यवाही की जावेगी।

(सैंड/एग्रीटेक/मुरूम/मिट्टी आदि) की आपूर्ति हेतु खदान, परिवहन एवं उत्खनन की अनुमति

[खनिज साधन]

50. (क्र. 208) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न निर्माण विभाग (केंद्र/राज्य शासन) द्वारा दिए गए वर्क ऑडर अनुसार संरचनाओं के निर्माण हेतु लगने वाली निर्माण सामग्री (सैंड/एग्रीटेक/मुरूम/मिट्टी आदि) की आपूर्ति हेतु खदान, परिवहन एवं उत्खनन की अनुमति दिए जाने संबंधी क्या प्रावधान हैं ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में गौण खनिजों के उपयोग हेतु विभाग की अनुमति के बगैर संरचनाओं के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर उत्खनन कर उपयोग में लाई गई सामग्री की गणना किस प्रकार से की जाती है एवं अवैध रूप से उत्खनन कर उपयोग में लाई गई सामग्री हेतु दण्ड एवं उक्त संचनाओं हेतु विभाग द्वारा रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र देने के क्या प्रावधान हैं ? **(ग)** क्या रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र संरचनाओं में लगने वाली सामग्री की गणना के उपरान्त ही जारी किया जाता है ? यदि हॉ तो विधान सभा क्षेत्र डोंगरगांव के अलिवारा एवं मुसरा में रेल्वे फ्लाईओवर (ब्रिज निर्माण) व चौथे रेल्वे लाईन का विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य में कितनी-कितनी एवं कौन-कौन सी सामग्री के उपयोग की गणना की गई एवं किस-किस खदान से सामग्री ली गई ? उक्त के एवज में कितना-कितना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधित कार्य एजेंसी को दिया गया है ? जिसमें से कौन-कौन सी सामग्री के अवैध खनन (कहॉ-कहॉ स्थल का नाम) की कितनी रायल्टी है ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यो मे लगने वाले निर्माण सामग्री (खनिज) की आपूर्ति किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 23-क, 39, 39-क, 58 एवं 59 के तहत् गौण खनिजों का उत्खनिपट्टा, उत्खनन अनुज्ञा पत्र एवं परिवहन अनुमति सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनिपट्टा / उत्खनिपट्टा के अधिभार को उपयोग किये जाने की अनुमति प्रदाय किये जाने के प्रावधान है। **(ख)** किसी भी निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा की गणना / निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्यादेश के आधार पर की जाती है। अवैध रूप से उत्खनन कर निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाई गई गौण खनिजों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 में विहित प्रावधानों के अनुसार राशि की वसूली के आधार पर विभाग द्वारा रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। **(ग)** जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव के अलिवारा एवं मुसरा में रेलवे फ्लाई ओवर (ब्रिज निर्माण) व चौथे रेलवे लाईन के विस्तारिकरण से संबंधित अन्य निर्माण कार्य में उपयोग किये गये गौण खनिज की मात्रा हेतु कार्य एजेंसीवार जारी रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है तथा प्राप्त खनिज स्त्रोतों की की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है। अवैध उत्खनन कर उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त 240 घनमीटर मुरूम एवं 280 घनमीटर रेत का स्थल निर्धारित नही हुआ है तथापि उक्त मात्रा पर नियमों में प्रचलित प्रावधान के अनुसार रायल्टी सहित 01 लाख 04 हजार समझौता राशि की वसूली की गई है।**[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]**

ग्राम आलीवारा एवं मुसरा में निर्माणाधीन फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में गौण खनिज का उत्खनन

[खनिज साधन]

51. (क्र. 209) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलीवारा एवं मुसरा में निर्माणाधीन रेल्वे फ्लाई ओवर (ब्रिज निर्माण) व चौथे रेल्वे लाईन का विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य से संबंधित किस कार्य एजेंसी द्वारा विभाग से स्थानीय स्तर पर गौण खनिज (सैंड/एग्रीटेक/मुरूम/मिट्टी आदि) के उत्खनन कर उपयोग में लाए जाने की अनुमति प्राप्त की गई है ? यदि हॉं तो कब-कब, कहॉं-कहॉं के खदान से कौन-कौन से गौण खनिज हेतु कितनी-कितनी मात्रा में उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति किन-किन शर्तों के तहत किसके द्वारा, किस आधार पर दी गई ? जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त निर्मित होने वाली संरचना में कितने गौण खनिज की आवश्यकता के अनुसार कितनी-कितनी मात्रा में खनिज का अनुमति बगैर अनुमति के स्थल से उत्खनन किया गया ? खनन स्थल का भौतिक सत्यापन, किसके द्वारा किया गया, कितनी क्यूबिक मीटर खनिज का उत्खनन पाया गया एवं कितनी रायल्टी वसूली की गई, कितनी शेष है ? क्या प्रश्नांश 'क' की संचनाओं के स्थल निरीक्षण अनुसार कितनी सामग्री लगना पाया गया ? जानकारी देवें ? **(ग)** क्या वि.ख. डोंगरगांव के ग्राम मारगांव, दीवान भेडी, गिरगांव, बीजेभाठा, धौराभाठा, गोडरी, बडभूम तथा वि.ख. डोंगरगढ़ के ग्राम अमलीडीह, चीरचारी गाजमर्रा आदि में कितना क्यूबिक मीटर मुरूम का खनन किया गया है ? उक्त स्थलों में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हॉं तो किसके द्वारा एवं क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलीवारा एवं मुसरा में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाई ओवर (ब्रिज निर्माण) व चौथे रेलवे लाईन का विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य से संबंधित किसी भी कार्य एजेंसी को विभाग से स्थानीय स्तर पर गौण खनिज (सेण्ड/एग्रीटेक/मुरूम/मिट्टी आदि) के उत्खनन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, किन्तु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 के तहत् खनिज मुरूम/मिट्टी परिवहन की 18 अनुमति उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न कार्य एजेंसियों को प्रदान की गई है। **जानकारी ''संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार''** है। **(ख)** चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिए मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड हैदराबाद को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 59 के तहत् जारी खनिज मुरूम के परिवहन अनुमति ग्राम चिद्दों में स्वीकृत मात्रा 2400 घन मीटर में स्वीकृत मात्रा से अधिक 560 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसमें 1 लाख 62 हजार रूपये अर्थदण्ड जमा कराया गया। खनन स्थल का जांच नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ के द्वारा किया गया। प्रश्नांश 'क' की संरचनाओं के निर्माण में लगने वाली सामग्री की मात्रा का निरीक्षण संबंधित निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। **(ग) जानकारी ''संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार''** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

बालको वेदांता समूह द्वारा निर्मित राखड़ डेम

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

52. (क्र. 213) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या तहसील एवं जिला कोरबा ग्राम रूकबहरी पाड़ीमार, में बालको वेदांता ग्रुप द्वारा राखड़ डेम का निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां तो राखड़ डेम के कुल क्षेत्रफल एवं भूमि के खसरा एव रकबा की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या उपरोक्त राखड़ डेम के निर्माण हेतु बालकों वेदांता ग्रुप द्वारा अनुमति ली गई थी ? यदि हां तो कितने क्षेत्रफल में अनुमति हेतु कब आवेदन किया गया एवं कब अनुज्ञा प्रदान की गई ? **(ग)** क्या उक्त डेम के निर्माण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में शासकीय भूमि को स्वयं के आधिपत्य की भूमि बताकर डेम निर्माण हेतु फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया ? यदि हां तो संबंधित कंपनी/फर्म

पर क्या-क्या नियमानुसार कार्यवाही की जानी थी एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई ? **(घ)** क्या उपरोक्त प्रकरण में विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हई अथवा विभाग के संज्ञान में आया ? यदि हां तो संबंधितों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला कोरबा के तहसील अंतर्गत ग्राम रोगबहरी में बालको वेदांता ग्रुप राखड़ डेम स्थित है। पाड़ीमार में राखड़ डेम निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्राम रोगबहरी में कुल खसरा 110 कुल रकबा 363.613 एकड़ पर राखड़ डेम स्थित है। **(ख)** बालको द्वारा उक्त राखड़ डेम का निर्माण नहीं कराया गया है, अपितु पूर्व में निर्मित रेडमड डेम पर ही राखड़ डालने तथा ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF & CC) से दिनांक 14.08.2007 को एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) से कार्य प्रारंभ करने से पूर्व लिया गया है। **(ग)** राखड़ डेम निर्माण के संबंध में शिकायतकर्ता/आवेदक श्री अब्दुल सुल्तान के द्वारा ग्राम रोगबहरी स्थित ख.नं. 543/1 में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बड़े पैमाने पर भूमि घोटाला एवं अवैध कब्जा (राखड़ डेम निर्माण) के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया गया है। शिकायत में उल्लेखित खसरा नंबर 543/1 की भूमि तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालको को आबंटित 1804.67 एकड़ राजस्व भूमि में शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील नं.-69 of 2009 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 द्वारा उक्त भूमि बालको के अधिपत्य की भूमि होना मान्य किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन (सिविल) नं. 202/2025 में बालको को आबंटित 1804.67 एकड़ भूमि के संबंध में सुनवाई प्रक्रियाधीन है जिसमें छ.ग. शासन की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। **(घ)** जी नहीं। शेष अंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शासी परिषद के अनुमोदन के बिना, जिला खनिज संस्थान न्यास मद से नियम विरूद्ध स्वीकृत कार्य</u>

[खनिज साधन]

53. (क्र. 217) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** 01/04/2025 से 31/03/2026 तक एवं 01/04/2026 से 20-06-2026 तक जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास मद से कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी-कितनी लागत राशि से स्वीकृति प्रदान की गई? कार्य का नाम, कार्य स्थल, निर्माण एजेंसी सहित वि.खं. वार संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के कार्यों के क्रियांवयन हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास समिति (शासी परिषद) की बैठक आयोजित की गई है? क्या शासी परिषद से बैठक/अनुमोदन लिए बिना नए विकास कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं? इस वित्त वर्ष में कौन कौन से कार्य बिना अनुमोदन के स्वीकृत किए गए हैं? कार्य का नाम, स्थल, लागत राशि सहित वि.खं. वार संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। **(ग)** क्या उक्त मद से इस वित्त वर्ष अकलतरा वि.खं. के ग्राम पंचायत-सांकर में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद उप-चुनाव) के दौरान आर्दश आचार संहिता प्रभावशील/क्रियाशील रहते समय नए विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हां तो कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए? क्या यह नियमानुसार है? यदि नही तो नियम विरूद्ध स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** 01/04/2025 से 20-06-2026 तक उक्त मद की आय-व्यय के ब्यौरा की वर्षवार अद्यतन जानकारी प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत कार्य की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''अ''** अनुसार है। **(ख)** जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर-चांपा की शासी परिषद बैठक दिनांक 01.08.2025 के आधार पर स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप निर्धारित क्षेत्रों में अनुमोदित बजट के अंतर्गत कार्य स्वीकृत किए गए है। उक्त स्वीकृत कार्यो का शासी परिषद की बैठक दिनांक 23.06.2026 को अनुमोदन

कराया गया है।चूकि शासी परिषद के द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के आधार पर कार्य स्वीकृत किए गए है। अतः शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।**(ग)** जी हॉ, शासी परिषद की बैठक दिनांक 01.08.2025 में अनुमोदित कार्ययोजना के आधार पर कार्य स्वीकृत किया गया था। जिसका प्रस्ताव जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर-चांपा को ग्राम पंचायत सांकर विकासखण्ड अकलतरा से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद पंचायत उपचुनाव) आदर्श आचरण संहिता लागू होने के पूर्व प्राप्त हुआ था। राशि का अंतरण और कार्य का प्रांरभ आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात किया गया है।आदर्श आचार संहिता लागु रहने के दौरान प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास को प्रस्ताव भेजे जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा को दिनांक 25.06.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।**(घ)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''ब''** अनुसार है।

<u>रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नंदनवन का विकास</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

54. (क्र. 221) श्री मोतीलाल साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नंदनवन को चीड़ियाघर में पूर्ण रूप से विकसित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्ययोजना है? **(ख)** क्या वर्तमान में नंदनवन के रखरखाव हेतु किये गये आबंटन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यह शिकायत किस अधिकारी के विरूद्ध की गयी? विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** नंदनवन की स्थिति लगातार खराब होने एवं पर्यटकों की संख्या भी कम होने के संबंध में क्या ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) नंदनवन को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण ईको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना है। **(ख)** नंदनवन के रखरखाव हेतु किये गये आबंटन में अनियमितता की कोई शिकायत नही हुई है, बल्कि पूर्व में पदस्थ अधीक्षक श्री आर.पी.दुबे, सहायक वन संरक्षक के विरूद्व उनकी कार्य प्रणाली को लेकर नंदनवन के परिक्षेत्र अधिकारी एवं अन्य नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों से शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत श्री आर.पी.दुबे, अधीक्षक नंदनवन के विरूद्व की गई है। श्री आर.पी.दुबे को नंदनवन अधीक्षक के प्रभार से तथा श्री हिमांचल साहू, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी के प्रभार से मुक्त किया गया है साथ ही शिकायत की जांच हेतु मुख्य वन संरक्षक, रायपुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। **(ग)** जी हां। ग्राम अटारी, हथबंद, गोमची के ग्रामीणों द्वारा नौका विहार, केबल वायर मरम्मत एवं लॉन में बेतरतीब ऊगे घांस से पर्यटकों की असुविधा को लेकर मौखिक शिकायत की गई थी। इन सभी शिकायतों का निराकरण 31 मार्च 2026 तक कर लिया गया है।

<u>सरगुजा एवं बस्तर संभाग में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वनों के कटाई की दी गई अनुमति</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

55. (क्र. 225) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 16 जून, 2026 तक प्रदेश के सरगुजा एवं बस्तर संभाग में किन-किन परियोजनाओं के निर्माण/क्रियान्वयन के लिए किन-किन वनमण्डल के अंतर्गत किन-किन को कितने क्षेत्रफल के वनों की कटाई की अनुमति दी गई है तथा इनमें से कितने की कटाई की जा चुकी है? कटाई से किस-किस श्रेणी एवं प्रजाति के कितने-कितने वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं तथा इनका ऑकलित मूल्य कितना है? जानकारी देवें

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : दिनांक 01/01/2024 से 16/06/2026 तक सरगुजा एवं बस्तर संभाग के कुल 10 वनमंडलों (सरगुजा संभाग-03 एवं बस्तर संभाग-07) के अंतर्गत 20 परियोजनाओं के निर्माण/

क्रियान्वयन हेतु 793.589 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त परियोजनाओं से कुल 1,10,663 वृक्ष प्रभावित हैं, जिनमें से 85,413 वृक्षों की कटाई की जा चुकी है। प्रभावित वृक्षों का अनुमानित मूल्य ₹ 50,60,96,026 है। सरगुजा एवं बस्तर संभाग के वनमंडलवार एवं परियोजनावार स्वीकृत क्षेत्रफल, प्रभावित वृक्षों की संख्या, श्रेणीवार एवं प्रजातिवार विदोहित वृक्षों की संख्या तथा उनके अनुमानित मूल्य का विस्तृत **विवरण पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।**

सारंगढ़ में चूना पत्थर खदान से प्रभावित क्षेत्र की जनता हेतु राहत कार्य

[खनिज साधन]

56. (क्र. 229) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या सारंगढ़ में चूना पत्थर खदान खोलने की प्रक्रिया चल रही है? यदि हाँ तो सारंगढ़ में चूना पत्थर खदान से कितने गाँव व कितने हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है? चूना पत्थर खदान से क्षेत्र के कितने परिवार एवं किसान प्रभावित होंगे? **(ख)** क्या चूना पत्थर खदान से सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र भी प्रभावित होगा? यदि हां, तो वो कौन कौन से वार्ड हैं एवं उनका कितना क्षेत्रफल है? **(ग)** चूना पत्थर खदान पर रोक लगाने के लिए अब तक कितने जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों एवं क्षेत्र के लोगो ने आवेदन दिया है तथा सारंगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए चूना पत्थर खदान को रोक लगाने हेतु शासन प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किया गया, कृपया जानकारी देंवे?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जी हॉ। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंतर्गत चूनापत्थर खदान खोलने हेतु प्रस्तावित खनिज ब्लॉक के अंतर्गत प्रभावित होने वाले गांव एवं भूमि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। खनिपट्टा स्वीकृति एवं अनुबंध के पश्चात ही खदान से प्रभावित परिवार/किसानों का निर्धारण किया जाता है। अतः शेष जानकारी निरंक है।**(ख)** जी हां। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 5 एवं 6 अनुसार है।**(ग)** नीलामी हेतु प्रस्तावित चूनापत्थर खदान पर रोक लगाने हेतु जनप्रतिनिधी एवं क्षेत्र के लोगों के द्वारा 12 आवेदन दिया गया है जिसके अनुक्रम में समुचित परीक्षण किये जाने हेतु कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को निर्देशित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

बरमकेला अपेक्स बैंक में किसानों के नाम पर फर्जी लोन पर कृत कार्यवाही

[सहकारिता]

57. (क्र. 230) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- अपेक्स बैंक बरमकेला के सेवा सहकारी समितियों में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण चढ़ाने के मामले में किस-किस अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं समिति प्रबंधको पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सम्बंधित सेवा सहकारी समिति के प्रबंधकों के ऊपर FIR दर्ज की गयी है, यदि नहीं तो कब तक FIR दर्ज कर कार्यवाही होंगी? कृपया जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : अपेक्स बैंक की शाखा-बरमकेला से सम्बद्ध सेवा सहकारी समितियों में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण चढ़ाने के मामले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र'** अनुसार है। जी नहीं, अपेक्स बैंक की शाखा बरमकेला के लेखाओं की वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 की विशेष संपरीक्षा प्रक्रियाधीन है, विशेष संपरीक्षा प्रतिवेदन में समिति प्रबंधकों की गबन में संलिप्तता पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

अवैध रूप से जंगल कटाई

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

58. (क्र. 235) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 से दिनांक 20.06.2026 तक जंगलों में अवैध पेड़ कटाई के कितने प्रकरण शिकायत मिलने व अन्य संसाधनों से संज्ञान में आये हैं ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में ही कितने प्रकरणों में अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये ? कितने प्रकरणों की जांच की गई ? कितने दोषी पाये गये व दोषी पाये गये व्यक्तियों पर हुई कार्यवाही के संबंध में बतावें ? **(ग)** अवैध रूप से जंगल कटाई रोकने विभाग की कार्ययोजना, की गई एवं की जा रही विभागीय कार्यवाही के संबंध में बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 से दिनांक 20.06.2026 तक जंगलों में अवैध पेड़ कटाई के 54 प्रकरण शिकायत एवं अन्य संसाधनों से संज्ञान में आये हैं। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ एवं ब" अनुसार है ।(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में ही 12 शिकायतों में 19 अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये। जिसमें सभी प्रकरणों की जांच की गई। जिसमें 16 दोषी पाये गये व दोषी पाये गये व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। **विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।(ग)** अवैध रूप से जंगल कटाई रोकने के लिए सभी वन अमलों द्वारा उनके प्रभार वनक्षेत्र में नियमित रूप से दैनिक/रात्रि गश्ती किया जाता है। वन प्रबंधन समितियों/ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को अवैध कटाई नहीं करने एवं वनों की सुरक्षा हेतु प्रेरित किया जाता है। वन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मासिक बीट निरीक्षण के अनुसार वन क्षेत्रों का भ्रमण गश्त कर अवैध कटाई रोकने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

बस्तर संभागान्तर्गत लोह अयस्क की तस्करी

[खनिज साधन]

59. (क्र. 236) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत् 05 वर्षों में बस्तर संभाग के किन-किन जिलों में लोह अयस्क के अवैध तस्करी अथवा अनियमित व अवैध रूप से परिवहन संबंधी जानकारी/शिकायतें अथवा विभागीय जांच में संज्ञान में आये ? क्या इसके पूर्व भी इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आये ? सुस्पष्ट जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में ही लोह अयस्क की मात्रा एवं इसकी कुल कीमत के संबंध में बतावें ? **(ग)** इस आपराधिक/अवैधानिक कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है? कृपया बतावें ? **(घ)** लोह अयस्क की अवैधानिक परिवहन/तस्करी को रोकने विभाग की कार्ययोजना क्या है? क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? कृपया बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बस्तर संभाग अंतर्गत विगत 05 वर्षों में खनिज लौह अयस्क के अवैध तस्करी अथवा अनियमित व अवैध रूप से परिवहन संबंधी 02 शिकायतों के अनुक्रम में जिला बस्तर में 01 प्रकरण तथा दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक आकस्मिक विभागीय जांच में जिला कांकेर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा में खनिज लौह अयस्क के अवैध परिवहन के कुल 12 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इसके पूर्व के विगत 02 वर्ष में भी खनिज लौह अयस्क का अवैध तस्करी अथवा अनियमित व अवैध रूप से परिवहन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथापि विभागीय जांच में लौह अयस्क के अवैध परिवहन का 01 प्रकरण दर्ज किया गया था। **(ख)** प्रश्नांक "क" के परिप्रेक्ष्य में दर्ज अवैध परिवहन के प्रकरणों में लौह अयस्क की कुल मात्रा 281.45 टन एवं उसकी कुल कीमत 16 लाख 98 हजार 025 रूपये निर्धारित की गई है। **(ग)** दर्ज प्रकरणों में संलिप्त व्यक्तियों से खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 (ए) के तहत 20 लाख

21 हजार 944 रूपये समझौता राशि वसूल किया जाकर प्रकरणों का निराकरण किया गया है। **(घ)** लौह अयस्क सहित अन्य खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने हेतु विभाग द्वारा केन्द्रीय उड़नदस्ता एवं जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स का गठन किया गया है। खनिज जांच चौंकियों में वाहनों की जांच, खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से एण्ड-टू-एण्ड ट्रेकिंग हेतु मानव हस्तक्षेप रहित ई-अभिवहन पारपत्र की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के खनिज परिवहन में प्रयुक्त हो रहे प्रमुख मार्गों को चिन्हांकित कर व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम एवं ड्रोन तकनीकी जैसे नवाचारों की कार्ययोजना पर कार्य किये जा रहे हैं।

रायपुर जिले में जांच चौकिया एवं उडनदस्तों के माध्यम से राजस्व वसूली एवं कार्यवाही

[परिवहन]

60. (क्र. 237) श्री अनुज शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा कितने-कितने एवं किन-किन स्थलों पर जांच चौकियां/अस्थाई जांच स्थल निर्धारित किये गये हैं तथा विभाग द्वारा कितनी उडनदस्ता जांच टीम बनाई गई हैं? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार जनवरी, 2025 से दिनांक 20.06.2026 तक इन चौकियों तथा उड़नदस्तों के माध्यम से कितने वाहनों पर कार्यवाही की जा कर कितनी-कितनी राशी/राजस्व की वसूली की गई?विवरण प्रदान करें? **(ग)** क्या प्रश्नांक 'क' अवधी में जांच के दौरान किसी कर्मचारी/अधिकारी की अनुशासनहीनता अथवा अवैध वसूली की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई तथा क्या किसी प्रकार से वसूली किये जाने का कोई वीडियों संज्ञान में आया है?यदि हां तो क्या और इस पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या परिवहन विभाग अंतर्गत जांच दल अथवा कार्यालयीन कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण अथवा सुविधानुसार अन्य विभाग के कर्मचारियों को कार्यादेश/संलग्न किया गया है? यदि हां तो क्यों?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा जॉच चौकी, अस्थाई जॉच स्थल की संख्या एवं स्थल का निर्धारण नहीं किया गया है। रायपुर उड़नदस्ता द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के आधार पर अस्थाई जॉच दल निर्धारित किये जाते हैं। रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद एवं गरियाबंद हेतु परिवहन विभाग द्वारा 01 उड़नदस्ता जॉच टीम बनाई गई है।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग)** जी हॉ। रायपुर जिला अन्तर्गत उक्त अवधि में एक शिकायत जिसमें वाहन ओव्हरहाईट न होते हुए भी अवैध एवं जबरदस्ती ई-चालान संबंधी शिकायत थी। जॉच उपरांत शिकायत गलत पाये जाने पर नस्तीबद्ध किया गया है। जी नहीं, किसी प्रकार का वीडियो संज्ञान में नही आया है। **(घ)** परिवहन विभाग अंतर्गत् जॉचदल हेतु प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण अथवा सुविधानुसार अन्य विभाग के कर्मचारियों को नहीं लिया गया है। कार्यालयीन कार्य हेतु रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को लिया गया है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

महासमुंद जिले में विद्युत सप्लाई व्यवस्था में सुधार हेतु स्वीकृत कार्य

[ऊर्जा]

61. (क्र. 241) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुंद में वर्ष 2021 से 20.06.2026 तक विद्युत सप्लाई व्यवस्था में सुधार एवं निरंतरता बनाये रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण (ट्रांसमिशन) कंपनी द्वारा किन-किन स्थानों में अति उच्च दाब वाले उपकेंद्र स्वीकृत हुये हैं? विस्तृत विवरण देवें ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार उन उच्च दाब वाले उपकेंद्रों में 400 के व्ही, 220 के. व्ही. अथवा 132 के. व्ही. के कार्य कहाँ-कहाँ प्रारंभ हुए हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण

देवें ? **(ग)** उन उपकेंद्रों को समय पर कार्य प्रारम्भ करने में क्या कोई समस्या आ रही है? यदि हां तो क्या? उसका निराकरण कब तक किया जावेगा? उन कार्यो को कब तक पूर्ण किया जावेगा? बतावें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला महासमुंद में वर्ष 2021 से 20.06.2026 तक विद्युत सप्लाई व्यवस्था में सुधार एवं निरंतरता बनाये रखने हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 01 नग 132/33 अति उच्च दाब उपकेन्द्र ग्राम-तरेकेला विकासखण्ड पिथौरा में स्वीकृत है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 04 नग अति उच्च दाब उपकेन्द्र निर्माण का कार्य, कार्ययोजना में स्वीकृत है। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उत्तरांश "क" के अनुसार स्वीकृत 05 नग अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में से 01 नग उपकेन्द्र तरेकेला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 04 नग उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य अप्रारंभ है। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** अति उच्च दाब उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने में आ रही प्रमुख समस्या उपकेन्द्र निर्माण हेतु उपयुक्त व पर्याप्त राजस्व भूमि का उपलब्ध नहीं होना है। चूँकि उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि राजस्व विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, अतः समस्या का निराकरण कब तक होगा, वर्तमान में यह बता पाना संभव नहीं है। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

वन भूमि का विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों जैसे बस स्टैंड, अस्पताल एवं अन्य की जानकारी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

62. (क्र. 242) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य में विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों (जैसे बस स्टैंड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय आदि) हेतु वन भूमि का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो कृपया नियमावली सहित विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार सार्वजनिक उपयोग हेतु वन भूमि के हस्तांतरण/उपयोग की अधिकतम सीमा कितनी है? इसके लिए सक्षम प्राधिकारी कौन-कौन हैं? वन भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है? विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नांक (क) एवं (ख) के अनुसार राज्य में वन भूमि पर किन - किन स्थानों पर सार्वजानिक उपयोग हेतु अस्पताल या अन्य कार्यालय बनाये गये हैं? बतावें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) हॉ, राज्य में विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों (जैसे बस स्टैण्ड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय आदि) हेतु वन भूमि का उपयोग किया जाता है। इस हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। नियमावली **पुस्तकालय में रखे " प्रपत्र-अ " अनुसार है ।** अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(2) के तहत भी विभिन्न सार्वजनिक उपयोग हेतु 13 सुविधाओं के लिए जिसका रकबा 1.00 हेक्टेयर से कम तथा प्रति हेक्टेयर 75 वृक्ष से अनाधिक प्रभावित न हो, के प्रावधान अनुसार सार्वजनिक उपयोग हेतु वन भूमि के विपथन अनुमति संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी द्वारा दी जाती है। नियमावली **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब " अनुसार है ।(ख)** सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रश्नांश 'क'अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति जब वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्य विशेष हेतु दी जाती है तब इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सीमा 1 हे. से कम है । वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 में सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी होते है। वन (संरक्षण

एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विधिवत आनलाईन परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदक संस्थान द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदन का नियमानुसार प्रसंस्करण कर वन मंडलाधिकारी / मुख्य वन संरक्षक / नोडल कार्यालय / राज्य शासन के अनुशंसा उपरांत भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है एवं भारत सरकार /राज्य शासन द्वारा स्वीकृति उपरांत वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही की जाती है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के तहत आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ग्राम सभा की अनुशंसा सहित आवेदन परिक्षेत्र स्तर पर किये जाने के पश्चात परिक्षेत्र अधिकारी /वन मंडलाधिकारी द्वारा जांच/अनुशंसा उपरांत नियमानुसार संबंधित क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी द्वारा विपथन की कार्यवाही की जाती है।**(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के अनुसार राज्य में वन भूमि पर किन-किन स्थानों पर सार्वजनिक उपयोग के लिए अस्पताल या अन्य कार्यालय हेतु स्वीकृत प्रकरणों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-स " अनुसार है ।**

<u>प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं खपत विवरण</u>

[ऊर्जा]

63. (क्र. 244) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2026 से मई, 2026 तक प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किस-किस उत्पादन ईकाई से किया गया? उक्त अवधि में विद्युत खपत की मांग कितने मेगावाट थी? उत्पादन एवं मांग के अंतर की प्रतिपूर्ति किस माध्यम से, किस दर पर की गई? माहवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्रतिमाह विद्युत उत्पादन लागत प्रति मेगावाट कितनी थी? प्रदेश में सभी प्रकार के विद्युत बिलों की प्रतिमाह कुल वसूली कितनी है। जानकारी देवें? **(ग)** सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी एवं छूट का वित्तीय भार विद्युत कम्पनी को प्रतिमाह कितनी राशि का रहता है? उसकी प्रतिपूर्ति प्रतिमाह शासन द्वारा कितनी राशि विद्युत कम्पनी को की जाती है? कितनी सब्सिडी/छूट की राशि विद्युत कम्पनी को शासन से जून 2026 तक प्राप्त किया जाना शेष है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जनवरी, 2026 से मई, 2026 तक प्रदेश में छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा स्थापित तापीय एवं जलीय स्रोतों की उत्पादन ईकाईयों से उत्पादित विद्युत (मेगावाट), विद्युत मांग (मेगावाट) की माहवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। उत्पादन एवं मांग के अंतर की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय उत्पादन ईकाइयों, प्रदेश में स्थापित निजी विद्युत उत्पादन की ईकाइयों, पॉवर बैंकिंग एवं पॉवर एक्सचेंज के माध्यम से की गई। क्रय दर की माहवार जानकारी भी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** में दर्शित है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जनवरी 2026 से मई 2026 की अवधि के प्रतिमाह विद्युत उत्पादन लागत के संदर्भ में लेख है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उत्पादन कंपनी द्वारा वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय लेखों के आधार पर ईकाई वार प्रति युनिट (KWH) उत्पादन लागत की गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित लेखा के तैयार होने पर वार्षिक उत्पादन लागत की गणना की जावेगी, वर्तमान में उपलब्ध 2025-26 के प्रावधिक लेखों के आधार पर उत्पादन लागत की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''**के अनुसार है। प्रदेश में सभी प्रकार के विद्युत बिलों की कुल वसूली राशि माह जनवरी 2026 में रूपये 2422.94 करोड़, फरवरी-2026 में रूपये 2135.29 करोड, मार्च 2026 में रूपये 2740.07 करोड, अप्रैल- 2026 में रूपये 2321.44 करोड एवं मई 2026 में रूपये 2352.02 करोड है। **(ग)** सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी (बी.पी.एल., घरेलु एवं कृषि पम्प श्रेणी) पर राज्य शासन द्वारा छूट का वित्तीय भार विद्युत कम्पनी को प्रतिमाह लगभग रूपये 493 करोड़ का रहता है जिसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा विद्युत कम्पनी को की जाती है। विद्युत कम्पनी को राज्य शासन से जून 2026 तक की सब्सिडी की राशि प्राप्त हो चुकी है।**<u>[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]</u>**

प्रदेश मे अवैध रेत उत्खनन पर कृत कार्यवाही

[खनिज साधन]

64. (क्र. 247) श्रीमती गोमती साय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 से 31 मई, 2026 तक प्रदेश में रेत उत्खनन के कितने मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण देवे? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' वर्षानुसार जिन घाटों में अवैध उत्खनन की कार्यवाही की गई, क्या इन्हीं घाटों में पुनः अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है? इसकी निगरानी के लिए विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं, विवरण देवें? **(ग)** सरकार द्वारा रेत माफियाओं को समाप्त करने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अनुसार''** है। **(ख)** पूर्व में जिन रेत उत्खनन स्थलों पर कार्यवाही किया जा चुका है, उन स्थानों पर अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनिज जांच दल, जिला स्तरीय टास्क फोर्स, एवं केन्द्रीय उडनदस्ता दल के द्वारा समय समय पर जंाच एवं सतत निगरानी किया जाता है एवं अवैध उत्खनन पाये जाने पर खनिज नियमों के तहत् कार्यवाही किया जाता है। **(ग)** शासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन क्षेत्र की निगरानी के लिये ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस एवं आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिटीफिकेशन) टेग को नियमों में संशोधन कर अनिवार्य किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

वित्तीय बजट वर्ष 2026-27 में विभाग के बजट में शामिल कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति

[जल संसाधन]

65. (क्र. 251) श्री इंद्र साव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मेरे प्रस्ताव पर वित्तीय बजट वर्ष 2026-27 में कितने कार्यो को जल संसाधन विभाग के मुख्य बजट में शामिल किया गया है तथा जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कितने कार्यो के डीपीआर तैयार कर विभाग को भेज दी गई है? **(ख)** प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी, तथा निविदा एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वित्तीय बजट वर्ष 2026-27 में 06 कार्यो को जल संसाधन विभाग के मुख्य बजट में शामिल किया गया है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हेतु 02 कार्यो के डी.पी.आर. तैयार कर विभाग को भेज दिये गये हैं। **(ख)** प्रस्तावित 06 कार्यों में से शासन को प्रेषित 02 कार्यों में से 01 कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, 01 में अपेक्षित है तथा शेष 04 कार्यों में से 03 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. तैयार किये जा रहें हैं, 01 कार्य का डी.पी.आर. विभाग में परीक्षणाधीन है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 01 कार्य की निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्रारंभ की जावेगी। शेष 05 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निविदा आमंत्रण तथा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

बकाया बिजली बिल राशि भुगतान के नियम

[ऊर्जा]

66. (क्र. 256) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के शासकीय विभागों/ निगम/मंडलों आयोग में जून 2026 की स्थिति में बकाया बिजली बिल की राशि कितनी है ? विभागवार जानकारी देवें ? **(ख)** बिजली बिल भुगतान नहीं करने की स्थिति में विद्युत कम्पनी को उपभोक्ता

का विद्युत संयोजन विच्छेद करने का क्या नियम प्रक्रिया है ? अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्या-क्या कार्यवाही की जा सकती है ? क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश के शासकीय विभागों / निगम / मंडलों आयोग में जून- 2026 की स्थिति में प्रावधिक बकाया बिजली बिल की राशि 3,035.37 करोड़ है, विभागवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है**। **(ख)** विद्युत बिल भुगतान नहीं करने की स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत कंपनी द्वारा उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेद करने की प्रक्रिया छ.ग. विद्युत प्रदाय संहिता 2011 मेंउल्लेखित कंडिका 10.17 से 10.30 में निर्धारित है, विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है**। शासकीय विभागों में जल प्रदाय अस्पताल, सड़क बत्ती, स्कूल शिक्षा आदि अति-आवश्यक सेवा जनहित से जुड़े होने के कारण सभी शासकीय विभागों को भुगतान हेतु नोटिस जारी किया गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

सुशासन तिहार 2026-27 में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त आवेदनों पर कृत कार्यवाही

[सुशासन एवं अभिसरण]

67. (क्र. 264) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2026 - 27 के अंतर्गत जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? विभागवार व ग्राम पंचायतवार प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है ? कृपया विभाग का नाम, आवेदन की संख्या एवं आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें। **(ख)** प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन शिकायत/अनियमितता से संबंधित थे ? कितने आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं कितने लंबित है तथा क्यों ? विभागवार, विकासखण्डवार ,ग्रामवार पंचायत पृथक-पृथक जानकारी दें । **(ग)** प्राप्त आवेदनों पर शासन/जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कितने प्रकरणों में प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई ? किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराया गया ? **(घ)** प्राप्त आवेदन के निराकरण में अनियमितता पाए जाने पर किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) कुल 3302 आवेदन प्राप्त हुए। जानकारी "**पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अ, ब"** अनुसार है।**(ख)** प्राप्त आवेदनों में से जनपद पंचायत-जैजैपुर अंतर्गत शिकायत के कुल-155 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुल 76 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं 79 आवेदन लंबित है एवं जनपद पंचायत-मालखरौदा अंतर्गत शिकायत के कुल-05 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुल 05 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। लंबित शिकायतों पर वर्तमान में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी "**पुस्तकालय में रखें प्रपत्र स"** अनुसार है।**(ग)** निर्माण कार्य से संबंधित आवेदन को आवश्यक कार्यवाही के लिए जिले द्वारा संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति उपरांत तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।**(घ)** अब तक किये गये शिकायत जांच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है।

बिगडे वनों की सुधार योजना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

68. (क्र. 265) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वन मंडल कटघोरा, जिला कोरबा छ0ग0 में वर्ष 2021 से 20 मई 2026 तक किन-किन परिक्षेत्र के किस-किस कक्ष संख्या में कितनी-कितनी लागत से बिगडे वनों की सुधार योजना के अंतर्गत कितने-कितने पौधे कहां-कहां पर कितने-कितने रकबा में किस-किस प्रजाति के लगाए गए हैं? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार,

स्थलवार स्वीकृत राशि एवं व्यय किये राशि सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" की अवधि में रोपे गये कितने पौधे सुरक्षित हैं? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार कक्ष संख्या एवं स्थलवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वन मंडल कटघोरा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 से 20 मई 2026 तक बिगड़े वनों की सुधार योजना (कैम्पा मद) के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य नहीं कराया गया है। अतः जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>छ.ग. पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा बिलासपुर संभाग अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य</u>

[ऊर्जा]

69. (क्र. 304) श्री दिलीप लहरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा वर्ष 2023-24 से दिनांक 16.06.2026 तक विकास कार्य/सामुदायिक हित के कार्य स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो कार्यवार विवरण, स्वीकृत राशि, स्वीकृति का उद्देश्य तथा स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी का विवरण देवें? प्रत्येक कार्य की स्वीकृति का उद्देश्य क्या था? **(ख)** क्या छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को विकास एवं सामुदायिक हित के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है? यदि हाँ, तो उक्त अधिकार किस नियम, अधिनियम, नीति अथवा शासनादेश के अंतर्गत प्राप्त है? **(ग)** कार्य स्वीकृत करने की निर्धारित प्रक्रिया, मापदंड एवं पात्रता शर्तें क्या है? कार्यों की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी/समिति/संचालक मंडल कौन हैं? **(घ)** क्या इन कार्यों के लिए किसी जनप्रतिनिधि, पंचायत, नगरीय निकाय अथवा जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो विवरण दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जी हाँ। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पा.जन.कं. लिमि.) रायपुर द्वारा वर्ष 2023-24 से दिनांक 16.06.2026 तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विकास कार्य / सामुदायिक हित के विभिन्न कार्य स्वीकृत किए गए है। उक्त कार्यों का कार्यवार विवरण एवं स्वीकृत राशि, स्वीकृति का उद्देश्य तथा स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी का विवरण **संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है**।कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत कंपनी के वैद्यानिक दायित्वों का पालन करना है।**(ख)** जी हाँ। उक्त दायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135ए कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के प्रावधानों कं अंतर्गत निर्धारित है। **(ग)** कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, मापदण्ड एवं पात्रता शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014, समय-समय पर किए गए संशोधनों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की प्रचलित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) नीति में निर्धारित हैं। कार्य स्वीकृत करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)के अंतर्गत उन कार्यों / गतिविधियों पर विचार किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-VII में वर्णित अनुमन्य गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) कार्यों की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का संचालक मंडल (Board of Directors) है।**(घ)** जी हाँ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अधिकांश कार्यों के लिए जिला प्रशासन एवं कुछ अन्य स्त्रोतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उक्त प्राप्त कार्य प्रस्तावों का स्रोतवार विवरण **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है**।

<u>[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]</u>

जिला गरियाबंद में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत कार्य

[खनिज साधन]

70. (क्र. 329) श्री रोहित साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला गरियाबंद में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) निधि से कृषि विभाग एवं वन विभाग को कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं? **(ख)** विभागवार एवं कार्यवार स्वीकृत राशि, प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं व्यय राशि का विवरण क्या है? इन कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने प्रगतिरत हैं एवं कितने कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं? **(ग)** क्या शासन के संज्ञान में उक्त कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितता, गुणवत्ता संबंधी शिकायत अथवा वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अनुसार''** है। **(ख)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अनुसार''** है। **(ग)** जी नहीं। अतः जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतालीस"]

ग्राम पंचायतों के अंतर्गत शासकीय भूमि में अवैध कब्जे की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

71. (क्र. 610) श्री दीपेश साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बेमेतरा अंतर्गत ग्राम पंचायतों की सीमाओं के भीतर कुल कितने एकड़ शासकीय भूमि दर्ज है? विधानसभा-वार, तहसील-वार, पंचायत-वार एवं ग्राम-वार शासकीय भूमि का विवरण प्रदान करें? **(ख)** उक्त ग्राम पंचायतों के अंदर कितनी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है और कितनी भूमि का उपयोग निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है? शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कितनी शिकायतें जनपद एवं जिला स्तर पर प्राप्त हुई हैं और इन अवैध कब्जों को हटाने हेतु स्वयं ग्राम पंचायतों द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? विधानसभा-वार, पंचायत-वार एवं तहसील-वार जानकारी देवें? **(ग)** छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को अपनी सीमा के भीतर शासकीय भूमि से अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या-क्या अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं? क्या प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय कोई समिति गठित की गई है अथवा नहीं? शिकायत उपरांत भी कार्रवाई ना करने के क्या कारण हैं और आगे कार्रवाई हेतु सरकार/जिला प्रशासन की क्या कार्ययोजना है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला बेमेतरा अंतर्गत शासकीय भूमि की विधानसभावार, तहसीलवार, पंचायत/ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-1 अनुसार है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 56 उपधारा 2 के तहत अतिक्रमण हटाने का प्रावधान है जिसके तहत कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है। अतिक्रमण संबंधी आवेदनों का निराकरण हेतु न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाता है या उक्त अधिनियम की धारा 56 के तहत कार्यवाही किया जाता है, इसलिए जिला स्तर पर कोई समिति गठित नहीं की गई है। अतिक्रमण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

डौण्डीलोहारा वि.स. क्षेत्र के वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में लंबित कार्य

[खनिज साधन]

72. (क्र. 668) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला खनिज न्यास निधि (DMFT) के खाते में कुल कितनी राशि जमा है? पिछले दो वर्षों में

डाैण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों में से कितने कार्य वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में लंबित हैं? **(ख)** बालोद जिले में सरपंच संघ द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए DMF फंड जारी करने को लेकर किए गए मांग / प्रदर्शनों पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया है? वर्तमान वित्तीय वर्ष में बालोद जिले के लिए कुल कितनी DMF राशि स्वीकृत की गई है और इसमें से पंचायतों को सीधे कितना हिस्सा मिला है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बालोद जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के खाते में राशि 79 करोड़ 24 लाख 20 हजार 469 रूपये जमा है। पिछले दो वर्षों में डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों में से वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कोई कार्य लंबित नहीं हैं। **(ख)** जी हाँ। बालोद जिले में सरपंच संघ द्वारा डीएमएफ फंड से संबंधित एक मांग प्राप्त हुआ है, जिसका निराकरण प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 के नई गाइडलाईन के तहत् किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बालोद जिले के लिए कुल राशि 1 करोड़ 85 लाख 59 हजार 820 रूपये डीएमएफ राशि स्वीकृत की गई है और इनमें से राशि 84 लाख 14 हजार रूपये जनपद पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जारी की गई है।

रायगढ़ जिलांतर्गत सहकारी समितियों में खाद भण्डारण

[सहकारिता]

73. (क्र. 721) श्री उमेश पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिलांतर्गत कितने सहकारी समिति संचालित हैं ? किसानों की जरूरत के हिसाब से कितनी समितियों में डी.ए.पी. एवं यूरिया खाद भण्डारण का कितना टारगेट निर्धारित है एवं कितना भण्डारित हैं? जानकारी सहकारी समितिवार देवें? क्या टारगेट के विरूद्ध भण्डारण में कमी है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : रायगढ़ जिलांतर्गत 79 सहकारी समिति संचालित हैं। किसानों की जरूरत के हिसाब से 79 समितियों में, दिनांक 30/06/2026 की स्थिति में डी.ए.पी. खाद के लक्ष्य 7800 टन के विरूद्ध 2504.50 टन एवं यूरिया खाद के लक्ष्य 17500 टन के विरूद्ध 13440.35 टन भंडारित है। समितिवार जानकारी '**प्रपत्र**' में **संलग्न** हैं। खरीफ सीजन वर्ष 2026 (अप्रैल से सितम्बर माह तक) के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध खाद के उपलब्धता के आधार पर सतत् रूप से रासायनिक खाद का भंडारण समितियों में किया जा रहा है। **[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]**

रेत खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण

[खनिज साधन]

74. (क्र. 768) श्री ब्यास कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा में कितने वैध एवं अवैध रेत घाट संचालित हैं? रेत उत्खनन प्रभावित ग्रामों का ब्यौरा देवें? इन ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी ढांचे (सड़क एवं पुल) का निर्माण और लोगों के कौशल विकास के लिए विगत तीन वर्षो के दौरान क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? **(ख)** छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम के तहत रेत उत्खनन प्रभावित किन-किन क्षेत्रों में नदी तटों के संरक्षण एवं कटाव को रोकने के लिए कितने क्षेत्र में एवं कब-कब सघन वृक्षारोपण कराया गया है? विगत 3 वर्षो का ब्यौरा देवें ? यदि नहीं तो क्यों ? जिम्मेदारों पर कब-कब एवं क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें? **(ग)** रेत उत्खनन के लिए नदी तल से अधिकतम गहराई कितनी निर्धारित है? उक्त नियम का पालन नहीं करने वाले किन-किन रेत घाट संचालकों पर विगत दो वर्षो में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** विगत तीन वर्ष में जांजगीर-चांपा विधान सभा अंतर्गत क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण की कितनी शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुई?

क्या कार्यवाही की गई? क्या कार्यवाही उपरांत उक्त अवैध रेत घाट पूरी तरह से बंद हैं या आज भी संचालित होने की शिकायत है? कितने अवैध रेत भंडारण पर क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल 07 वैध रेत उत्खननपट्टा संचालित है। जिले में रेत उत्खनन प्रभावित ग्राम चांपा, लछनपुर, घुठिया, नवागांव, बरबसपुर, गतवा, भादा, केराकछार, नवापारा, बोरसी हैं। उक्त ग्रामों में जिला खनिज संस्थान न्यास के प्रावधानों के तहत् खनन प्रभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी ढांचे (सड़क एवं पुल) का निर्माण और लोगों के कौशल विकास के लिए विगत 03 वर्षों में स्वीकृत कार्यों का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के तहत रेत खनन प्रभावित क्षेत्रों में नदी तटों के संरक्षण एवं कटाव को रोकने के लिए नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान नहीं है और न ही नदी तट कटाव के संबंध में कोई मामला संज्ञान में आया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति में नदी तल से अधिकतम गहराई अधिकतम 3 मीटर तक तथा रिवर चैनल से न्यूनतम 01 मीटर तक जो पहले प्राप्त हो, तक गहराई कर उत्खनन करने की शर्त निहित की जाती है। **(घ)** विगत तीन वर्ष में जांजगीर चांपा विधानसभा अंतर्गत क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं भण्डारण के कुल 54 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच किया जाकर खनिज रेत अवैध उत्खनन/भण्डारण करते पाये जाने पर खनिज नियमानुसार कार्यवाही किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई। जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षो में अवैध उत्खनन के कुल 44 प्रकरणों में शास्ति राशि रू. 35,55,978/- एवं अवैध भण्डारण के कुल 08 प्रकरणों में शास्ति राशि रू. 14,66,884/- वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया। उक्त क्षेत्रों में अवैध उत्खनन/भण्डारण होने की पुनः शिकायत प्राप्त होने शिकायत क्षेत्रों का पुनः जांच कर कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट (नागरी दास) मंदिर, पुरानी बस्ती की भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

75. (क्र. 825) श्री मोतीलाल साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट (नागरी दास) मंदिर, पुरानी बस्ती से संबंधित समस्त भूमि की खसरा नंबर एवं रकबा सहित जानकारी देवें? ट्रस्ट की ग्राम चरौदा, तहसील धरसींवा अंतर्गत ट्रस्ट/मठ की भूमि की जानकारी खसरा नंबर एवं रकबा सहित देवें? **(ख)** ट्रस्ट के भंग होने के पश्चात् लीज संबंधित आवेदन क्या विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो भूमि का खसरा नंबर एवं रकबा सहित जानकारी देवें? **(ग)** नियम विपरीत लीज आवेदन को स्वीकृत किये जाने के संबंध में शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें? **(घ)** ट्रस्ट के आधिपत्य में पूर्व में कुल कितनी जमीन थी एवं विक्रय पश्चात कितनी जमीन वर्तमान में शेष है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) कार्यालय द्वारा संधारित ट्रस्ट पंजी के पंजीयन क्रमांक 91 के कॉलम क्रमांक 09 में श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट (नागरीदास) मंदिर, पुरानीबस्ती रायपुर के अचल सम्पत्ति का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :-(1) म.नं. 15/333, पुरानीबस्ती, रायपुर। (2) म.नं. 15/509 मंदिर, रायपुर। (3) मकान व कोठी-मंदिरहसौद।(4) मकान व कोठा-मंदिरहसौद।(5) जानवरों का कोठा, ग्राम परसट्ठी। (6) मालिक मकबुजा जमीन 8.41 एकड मौजा रायपुर। (7) मालिक मकबुजा जमीन 1.53 एकड़, डंगनिया। (8) सीर और खुदकाश्त जमीन रकबा 152.59 एकड़ ग्राम चरौदा। (9) मालिक मकबुजा जमीन 19.39 एकड़ ग्राम परसट्ठी। (10) मालिक मकबुजा जमीन 25.36 ठोंगा, महासमुंद। (11) सीर ओर खुदकाश्त जमीन 316.30 एकड मंदिरहसौद। श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट (नागरीदास) मंदिर के उपरोक्त ग्रामों में

अचल समपत्ति के संबंध में संबंधित हल्का पटवारियों से प्राप्त खसरा, बी-1 के अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम	ख.नं.	रकबा (हे.)
1	रायपुरखास	कुल खसरा 09	कुल रकबा 4.361
	रायपुरखास	कुल खसरा 02	कुल रकबा 0.316
2	डंगनिया	कुल खसरा 01	कुल रकबा 0.619
3	मंदिरहसौद	कुल खसरा 40	कुल रकबा 107.391
4	ठोंगा, जिला महासमुंद	कुल खसरा 21	कुल रकबा 10.250
5	चरौदा	कुल खसरा 13	कुल रकबा 58.353
6	परसट्ठी	कुल खसरा 05	कुल रकबा 2.730

(ख) श्री रामचंद्र स्वामी (नागरीदास) मंदिर ट्रस्ट भंग नहीं हुआ है केवल प्रबंध समिति भंग होने के पश्चात भूमि के लीज हेतु कुल 02 आवेदन प्राप्त हुआ था।आवेदक श्री सत्यनारायण शर्मा पिता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, द्वारा ट्रस्ट की ग्राम चरौदा तहसील धरसींवा स्थित भूमि ख.नं. 278/1 रकबा 2.91 एकड को लीज में दिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार आवेदक श्री सत्यनारायण शर्मा पिता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, द्वारा ट्रस्ट की ग्राम चरौदा तहसील धरसींवा स्थित भूमि ख.नं. 509/1, 559 शामिल 560/1, 562/2, 562/3 में से रकबा 11 एकड को लीज में दिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।**(ग)** श्री रामचंद्र स्वामी (नागरीदास) मंदिर ट्रस्ट की ग्राम चरौदा एवं मंदिरहसौद की भूमि को लीज में दिए जाने एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में 01 शिकायत शिकायतकर्ता श्री राहुल गिरी गोस्वामी, केनाल रोड पचपेडीनाका रायपुर की शिकायत दिनांक 28.03.2025 को प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रकरण क्रमाक 202506111000670/ब-113 (4) वर्ष 2024-25 दर्ज किया गया है ग्राम मंदिरहसौद के भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन तहसीलदार, आरंग से मांगा गया है जो अप्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर शिकायत का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जावेगा।**(घ)** ट्रस्ट की धारित भूमि का विवरण कण्डिका **(क)** अनुसार है। ट्रस्ट पंजी में दर्ज भूमि का रकबा एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत खसरा, बी-1 के अनुसार निम्न ग्रामों के भूमि के रकबा में अंतर पाया गया है:-

ग्राम का नाम	पंजी के आधार पर धारित रकबा (एकड़ में)	वर्तमान राजस्व अभिलेख के आधार पर धारित रकबा (एकड़ में)	विवरण
चरौदा	152.59	144.24	अधिकार अभिलेख के अनुसार कुल 149. 33 एकड़ भूमि दर्ज है। 5.20 एकड भूमि एन.एच. 30/200 के चौंडीकरण हेतु भू-अर्जन प्र.क्र. 27 (12)/अ-82 वर्ष 2010-11 के माध्यम से में अर्जन किया गया है।
परसट्ठी	19.39	6.74	भू-अर्जन प्र.क्र. 1 (2) / अ-82 वर्ष 2014-15 के अनुसार 1.0200 हे. का अर्जन किया गया।
मंदिरहसौद	316.30	265.47	पटवारी रिपोर्ट के अनुसार 20.770 हे. भूमि एन.एच. एवं एन.आर.डी.ए. के लिए अर्जन किया गया है।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी समितियों में खाद, बीज भंडारण एवं वितरण

[सहकारिता]

1. (क्र. 2) श्री फूलसिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सहकारिता विभाग के द्वारा वर्ष 2024-25 से 25.06.2026 तक सहकारी समितियों को मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज उपलब्ध कराया गया है? यदि नहीं कराया गया तो क्यों ? जून, 2026 की स्थिति में समितियों के द्वारा कृषकों को खाद, बीज वितरण की जानकारी उपलब्ध करावें? क्या खाद, बीज कृषकों की मांग के अनुसार प्रदान किया गया है? यदि नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 25/06/2026 तक सहकारी समितियों को मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज उपलब्ध कराया गया है, 25 जून 2026 की स्थिति में समितियों के द्वारा कृषकों को खाद, बीज वितरण की वर्षवार जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	रासायनिक खाद (मात्रा मे.टन में)		धान बीज (मात्रा क्विंटल में)	
	भण्डारण	वितरण	भण्डारण	वितरण
2024-25	7200.10	6095.89	2723.10	2557.20
2025-26	5328.52	4038.25	4579.90	3857.98
2026-27 (25 जून तक)	4853.79	2796.45	4212.24	2690.98

समितियों द्वारा कृषकों के मांग एवं उनके पात्रतानुसार खाद एवं बीज प्रदान किया जा रहा है।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत विहिन ग्रामों एवं पारा-टोला में विद्युतीकरण

[ऊर्जा]

2. (क्र. 3) श्री फूलसिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जून, 2026 की स्थिति में विद्युत विहिन ग्रामों एवं पारा-टोला की जानकारी उपलब्ध करावें ? विद्युत विहिन गांव व पारा-टोला में कब तक विद्युतीकरण करा लिया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :रामपुर विधानसभा क्षेत्र अतर्गत जून 2026 की स्थिति में सभी 249 ग्राम विद्युतीकृत है, जिनमें 243 ग्राम परंपरागत पद्धति (ग्रिड) एवं 6 ग्राम गैरपरंपरागत पद्धति से विद्युतीकृत है। सभी ग्राम एव पारा-टोला विद्युतीकृत है, अतः शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सुशासन तिहार के प्राप्त आवेदन

[सुशासन एवं अभिसरण]

3. (क्र. 7) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2024-2025, 2025-2026 व 2026-2027 में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रमों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, कितने आवेदन का निराकरण किया गया है, और कितने आवेदन का निराकरण होना बाकी है ? सम्पूर्ण निराकरण किये गये आवेदकों की सूची तिथिवार, समस्या सहित जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : वर्ष 2024-25 में सुशासन तिहार का आयोजन नहीं किया गया था। सुशासन तिहार वर्ष 2025-26 में सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 61988 आवेदन प्राप्त हुए, सभी आवेदनों का निराकरण किया जा चूका है। वर्ष 2026-27 में 8688 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 8492 आवेदनों का निराकरण किया गया जा चुका है, 196 आवेदन निराकरण हेतु शेष है। जानकारी **"पुस्तकालय में रखें प्रपत्र"** अनुसार है।

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत जल संसाधन विभाग की स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

[जल संसाधन]

4. (क्र. 11) श्री रामकुमार यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जून, 2026 तक स्वीकृत समस्त सिंचाई परियोजनाओं का नाम, स्वीकृत वर्ष एवं स्थान सहित विवरण देवें ? **(ख)** उक्त स्वीकृत परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, कितनी प्रगतिरत हैं तथा कितनी अप्रारंभ हैं ? प्रत्येक की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण क्या हैं ? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत उक्त सभी सिंचाई परियोजनाओं हेतु स्वीकृत लागत, जून, 2026 तक व्यय राशि, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा तथा विलंब के कारणों का परियोजना-वार विवरण क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जून, 2026 तक स्वीकृत समस्त सिंचाई परियोजनाओं का नाम, स्वीकृत वर्ष एवं स्थान सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** उक्त स्वीकृत परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं 10 प्रगतिरत हैं तथा 09 अप्रारंभ हैं। प्रत्येक की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत उक्त सभी सिंचाई परियोजनाओं हेतु स्वीकृत लागत जून, 2026 तक व्यय राशि, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा तथा विलंब के कारणों का परियोजना-वार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

5. (क्र. 14) श्री रामकुमार यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की संख्या क्या है ? **(ख)** उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा वर्तमान में कितने प्राध्यापक नियमित/अतिथि व्यवस्था के माध्यम से कार्यरत हैं ? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में विषयवार प्राध्यापकों की उपलब्धता तथा विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कुल 08 पद स्वीकृत, 0 कार्यरत तथा 08 पद रिक्त हैं। **(ख)** प्राध्यापक के 595 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में प्राध्यापक 0 नियमित तथा 7 अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं।**(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

ग्राम पंधी, तहसील सीपत में कृषि भूमि का बिना सक्षम अनुमति के आवासीय प्लॉटिंग कर विक्रय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

6. (क्र. 30) श्री दिलीप लहरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि तहसील सीपत, जिला बिलासपुर के ग्राम पंधी (रा.नि.मं. 18) स्थित खसरा क्रमांक 128/4, 128/3, 129/2, 123/1, 93/30, 128/1, 128/2, 93/31, 93/28, 117 एवं 93/29 की कृषि भूमि को बिना सक्षम अनुमति के आवासीय प्लॉटिंग कर विक्रय किया गया है? उक्त संबंध में वर्ष 2023-24 से 25 जून, 2026 वर्षवार तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतकर्ताओं का विवरण क्या है? **(ख)** उक्त शिकायतों पर अब तक क्या जांच कराई गई है? जांच किस अधिकारी द्वारा, कब-कब की गई तथा जांच में क्या तथ्य सामने आए? संबंधित भूमि का खसरा-वार एवं कुल रकबा कितना है? **(ग)** क्या उक्त भूमि का कृषि से आवासीय प्रयोजन हेतु विधिवत भू-उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) कराया गया था? यदि हाँ, तो अनुमति की तिथि, आदेश क्रमांक, स्वीकृत क्षेत्रफल एवं संबंधित अधिकारी का विवरण क्या है? **(घ)** यदि जांच में बिना अनुमति प्लॉटिंग एवं विक्रय किया जाना पाया गया है, तो संबंधित व्यक्ति, संस्था, कंपनी अथवा भू-स्वामियों के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी वैधानिक, राजस्व एवं दंडात्मक कार्रवाई की गई है अथवा प्रस्तावित है? प्रकरणवार विवरण क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हां। ग्राम-पंधी, तहसील-सीपत महाल नंबर-02 के खसरा क्रमांक 128/4, 128/3, 129/2, 123/1, 128/1, 128/2 तथा महाल नंबर 01 के खसरा नंबर 93/30, 93/31, 93/28 एवं 93/29 को बिना सक्षम अनुमति के आवासीय प्लॉटिंग कर विक्रय किया गया है। खसरा नंबर 117 में प्लाटिंग कर विक्रय नहीं किया गया है। प्रश्न में उल्लेखित खसरों में खसरा नंबर 128/3, 128/2 एवं 128/4 वर्तमान राजस्व अभिलेख में परिवर्तित मद में दर्ज है, शेष खसरे कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त संबंध में वर्ष 2023-24 से 25 जून, 2026 तक अवैध प्लाटिंग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। **(ख)** प्रश्नांश क में उल्लेखित खसरों में अवैध प्लाटिंग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई हैं। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व में सक्षम न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मस्तूरी के द्वारा रा0प्र0क्र0/202402071300025/ब-121/2023-24 दिनांक 08.02.2024 एवं रा0प्र0क्र0/202402071300031/ब-121/2023-24 दर्ज दिनांक 05.02.2024 को प्रकरण दर्ज करते हुए विस्तृत जांच किया गया। जांच में ग्राम-पंधी, तहसील-सीपत महाल नंबर-02 के खसरा क्रमांक 128/4, 128/3, 129/2, 123/1, 128/1, 128/2 रकबा क्रमशः 0.065 हे0, 0.065 हे0, 0.0968 हे0, 0.405 हे0, 0.089 हे0, 0.073 हे0 तथा महाल नंबर 01 के खसरा नंबर 93/30, 93/31, 93/28 एवं 93/29 रकबा क्रमशः 0.135 हे0, 0.2600 हे0, 0.025 हे0, 0.320 हे0 कुल खसरा-10 एवं कुल रकबा - 1.5343 हे0 को बिना सक्षम अनुमति के आवासीय प्लॉटिंग कर विक्रय किया जाना पाया गया एवं खसरा नंबर 117 में प्लाटिंग कर विक्रय नहीं किया जाना पाया गया। **(ग)** हां, प्रश्नांक (क) में उल्लेखित खसरों में से खसरा नंबर 128/4 में से रकबा 0.065 हे0 (6970 वर्ग फीट), खसरा नंबर 123/1 में से रकबा 0.117हे0 (12632 वर्ग फीट), एवं खसरा नंबर 129/2 में से रकबा 0.117 हे0 (12632 वर्ग फीट) भूमि का डायवर्सन कराया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खसरों में अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किया जाने पाये जानें पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मस्तूरी के रा0प्र0क्र0 /202402071300025/ब-121 /2023-24 आ0दि 02.08.2024 के अनुसार ख0नं0 123/1 रकबा 0.405 हे0 ख0नं0 129/2 रकबा 0.0968 हे0 ख0नं0-128/4, रकबा 0.065 हे0 में भूमि स्वामी आसमा मेमन पति मोहम्मद हुसैन मेमन निवासी सुलभ कॉम्पलेक्स तालापारा बिलासपुर तथा रा0प्र0क्र0/202402071300031/ब-121/2023-24 आ0दि0 02.06.2024 के अनुसार ख0न0-128/1 रकबा 0.089 हे0 ख0न0 128/2 रकबा 0.073 हे0, ख0न0-128/3 रकबा 0.065 हे० मे भूमिस्वामी मोहम्मद हुसैन मेनन पिता युनुस मेमन निवासी सुलभ कॉम्पलेक्स तालापारा बिलासपुर पर पृथक-पृथक 25000/- रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही किया गया है। शेष अन्य

खसरा नंबर 93/30, 93/31, 93/28, 93/29 के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अवैध प्लाटिंग के संबंध में कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मस्तुरी को दिनांक 25.06.2026 को पत्राचार किया गया है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रा0 मस्तुरी द्वारा तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार खसरा नंबर 93/30, 93/31, 93/29, 93/28 रकबा क्रमशः 0.135 हे0, 0.2600 हे0, 0.025 हे0, 0.320 हे0 भूमि को बिना सक्षम अनुमति के आवासीय प्लॉटिंग कर विक्रय किये जानें की जानकारी अनुसार छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 तहत् जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होनें के फलस्वरूप उक्त भूमि के संपूर्ण बटांकन की नामांतरण/विक्रय पर आगामी आदेश पर्यन्त रोक लगाई गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि के पट्टों में आवंटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (क्र. 31) श्री दिलीप लहरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वर्षों में शासकीय भूमि को निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, समितियों, ट्रस्टों, उद्योगों अथवा अन्य संगठनों को कितने प्रकरणों में पट्टे (लीज) पर प्रदान किया गया है? वर्षवार, ग्रामवार एवं रकबावार विवरण क्या है? पट्टाधारी का नाम, भूमि का रकबा, उपयोग का उद्देश्य, पट्टा अवधि, निर्धारित प्रीमियम, लीज राशि एवं शासन को प्राप्त वास्तविक राशि कितनी है? **(ख)** क्या किसी प्रकरण में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर अथवा निर्धारित दर से कम मूल्य पर भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो प्रकरणवार विवरण क्या है? **(ग)** कितने प्रकरणों में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन अथवा स्वीकृत उद्देश्य से भिन्न उपयोग पाया गया है? ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई? **(घ)** कितने पट्टों का नवीनीकरण अथवा निरस्तीकरण किया गया है तथा कितनी भूमि शासन के कब्जे में वापस ली गई है? तथा वर्तमान में किस-किस प्रयोजनों हेतु शासकीय भूमि आवंटन के कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) बिलासपुर जिले के मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वर्षों में शासकीय भूमि का निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, समितियों, ट्रस्टों, उद्योगों अथवा अन्य संगठनों को पट्टा प्रदाय नहीं किया गया है। तद्नुसार शेष जानकारी निरंक है।**(ख)**,**(ग)** एवं **(घ)** के संबंध में प्रश्नांश **(क)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिला मुंगेली क्षेत्र में संचालित शासकीय महाविद्यालयों का सेटअप

[उच्च शिक्षा]

8. (क्र. 38) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मुंगेली में दिनांक 25.06.2026 तक कुल कितने, कहां-कहां पर शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? क्या महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है? संचालित महाविद्यालयों के किन किन संवंर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत है एवं कितने रिक्त हैं? **(ख)** महाविद्यालयों के लिए स्वयं के भवन का निर्माण एवं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक पूर्ण की जावेगी समयावधि बतावें? विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में स्वीकृत किये गये नये महाविद्यालय ग्राम कंतेली में भवन का निर्माण एवं सेटअप की स्वीकृति हेतु दिनांक 25.06.2026 तक क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? विधानसभावार बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला मुंगेली में 25.06.2026 तक कुल 10 महाविद्यालय संचालित है तथा 11 वे नवीन शासकीय महाविद्यालय कंतेली को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका संचालन

प्रक्रियाधीन है। भवन के संबंध में जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ में** है **संलग्न प्रपत्र-ब** में राजपत्रित संवर्ग के पदों की जानकारी, **संलग्न प्रपत्र-स** एवं अराजपत्रित संवर्ग के पदों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-द** में है।**(ख)** महाविद्यालयों के लिए स्वयं के भवन का निर्माण के संबंध में जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब में** है एवं राजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अराजपत्रित संवर्ग के पदों में वर्तमान में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों में भर्ती संबंधी कार्यवाही कर पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। सहायक ग्रेड -3 एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर पद रिक्त पदों के पूर्ति हेतु का प्रस्ताव इस कार्यालय का पत्र क्र. 16257 दिनांक 01.06.2026 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। **संलग्न प्रपत्र-इ** चतुर्थ श्रेणी (भृत्य चैकीदार एवं स्वीपर) के रिक्त पदों के पूर्ति हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 644 दिनांक 13.08.2026 को व्यापम को भेजा गया था है। जिसके संदर्भ में व्यापम के पत्र क्र. 2425 दिनांक 09.06.2026 के द्वारा पत्र में लेख कर इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ व्यावसयिक परीक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल में विलयित हो गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही परीक्षा आयोजन हेतु आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा। **संलग्न प्रपत्र-फ** महाविद्यालय ग्राम कंतेली में भवन का निर्माण हेतु दिनांक 25.06.2026 तक की गई कार्यवाही है विधानसभावार **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** सैटअप स्वीकृत है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

बालोद जिले के नदियों में स्टॉप डैम एवं एनिकट निर्माण

[जल संसाधन]

9. (क्र. 40) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले की खरखरा, तांदुला और अन्य सहायक नदियों पर कितने नए एनीकट और स्टॉपडैम निर्माण के प्रस्ताव विभाग के पास तकनीकी स्वीकृति या प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित हैं? विधानसभावार जानकरी देवें? क्या विभाग भू-जल स्तर को सुधारने और निस्तारी की समस्या को दूर करने के लिए इन प्रस्तावों को चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया जाना प्रस्तावित है?" **(ख)** खरखरा जलाशय की मुख्य नहरों और वितरक नहरों (Distributaries) के सुदृढ़ीकरण तथा लाइनिंग (पक्कीकरण) कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या विभाग के पास डौंडीलोहारा क्षेत्र की टेल-एंड (अंतिम छोर) के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए कोई विशेष योजना स्वीकृत है? यदि हाँ, तो इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बालोद जिले की खरखरा, तांदुला और अन्य सहायक नदियों पर एनीकट/स्टापडेम निर्माण कार्य हेतु कुल 6 एनीकट/स्टापडेम निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के बजट में सम्मिलित है, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। विधानसभावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** विभाग द्वारा भू-जल स्तर को सुधारने और निस्तारी की समस्या को दूर करने के लिए ही उक्त योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। **(ख)** खरखरा जलाशय की मुख्य नहरों और वितरक नहरों (Distributaries) के सुदृढ़ीकरण तथा लाईनिंग (पक्कीकरण) कार्य की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :- 1. खरखरा जलाशय के मुख्य नहरों और वितरक नहरों के सुदृढ़ीकरण तथा लाईनिंग (पक्कीकरण) कार्य के लिए खरखरा मोंहदीपाट नहर प्रणाली 0 कि.मी. से 17.00 कि.मी. तक रिमाडलिंग, लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर्स कार्य पूर्ण कर लिया गया है। खरखरा मोंहदीपाट नहर प्रणाली 17.00 कि.मी. से 33.75 कि.मी. तक रिमाडलिंग, लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर्स पूर्ण कर लिया गया है। 2. खरखरा जलाशय के मध्यम परियोजना के खरखरा पूरक नहर के कि.मी. 0 से 17.00 कि.मी. तक जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। 3. खरखरा दायीं तट एवं बायीं तट नहर लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार तथा पक्के संरचनाओं का पुनर्निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। 4. खरखरा परियोजना के कसही वितरक नहर के लासाटोला उपवितरक नहर, बासीन

माईनर, सनौद माईनर, डुण्डेरा माईनर, कांदुल माईनर क्रं. 1 के रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। 5. बालोद जिले के खरखरा जलाशय की क्षमता बढ़ाने का कार्य एवं बायीं तट नहर उन्नयन लाइनिंग जीर्णोद्धार कार्य एवं खरखरा निरीक्षण गृह एवं आवासीय कॉलोनी का जीर्णोद्धार कार्य प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। डौण्डीलोहारा क्षेत्र के टेल-एंड (अंतिम छोर) के खेतों तक पानी पंहुचाने के लिए कोई विशेष योजना स्वीकृत नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[सुशासन एवं अभिसरण]

10. (क्र. 43) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 1 मई, 2026 से 10 जून 2026 तक आयोजित 'सुशासन तिहार-2026' के अंतर्गत बालोद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने जनसमस्या निवारण शिविर (ग्रामीण एवं शहरी वार्ड क्लस्टर) आयोजित किए गए? इन शिविरों में क्षेत्र के नागरिकों से कुल कितने आवेदन (शिकायतें/मांगें) प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरणों का मौके पर या समय-सीमा में निराकरण कर दिया गया है और कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं?" विधानसभावार जानकारी देवें? **(ख)** इस दौरान वनांचल क्षेत्रों से बिजली, नए ट्रांसफार्मर, पेयजल (हैंडपंप मरम्मत), वन भूमि पट्टा वितरण सम्बन्धी और राजस्व (नामांतरण/बंटवारा) से जुड़े कितने आवेदन आए थे? विभाग इन बुनियादी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला प्रशासन बालोद को क्या विशेष बजट या निर्देश जारी किए गए हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) 1 मई, 2026 से 10 जून 2026 तक आयोजित "सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत बालोद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में कुल 32 जनसमस्या निवारण शिविर (ग्रामीण-23 एवं शहरी-09 वार्ड क्लस्टर) आयोजित किये गये। इन शिविरों में क्षेत्र के नागरिकों से शिकायत-1062 एवं मांग-42582 इस प्रकार कुल 43644 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में 42777 आवेदनों का मौके पर या समय-सीमा पर निराकरण कर दिया गया है और 867 प्रकरण वर्तमान में लंबित है।**(ख)** इस दौरान बालोद जिला अंतर्गत बिजली का आवेदन 853, नए ट्रांसफार्मर का 1210, पेयजल का 290, वन भूमि पट्टा वितरण संबंधी 107, राजस्व (नामांतरण/बंटवारा) 988 आवेदन आये थे। विभागों को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट आबंटित किया जाता है, जिला प्रशासन बालोद को विशेष बजट या निर्देश जारी नहीं किए गए हैं ।

फर्जी जाति प्रमाण- पत्र के आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराने की शिकायत जांच पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

11. (क्र. 44) श्री बालेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या तहसीलदार जैजैपुर के पत्र क्रमांक 1078 दिनांक 10.10.2022 द्वारा फर्जी जाति प्रमाण- पत्र के आधार पर सैकड़ों एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने की शिकायत की जांच के लिए जांच टीम गठित किया गया था। कृपया, जानकारी दें? **(ख)** क्या प्रश्नांक" क "के अनुसार फर्जी प्रमाण -पत्र के आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराने वाला ग्राम पंचायत खम्हरिया तह.जैजैपुर में उसी जमीन पर डोलोमाईट माईन्स कार्पोरेशन पत्थर खदान का फर्जी तरीके से संचालन भी किया जा रहा है? कृपया, जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक "क "और" ख "के अनुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या कार्यवाही लंबित है, तो इसके क्या कारण है ?कब तक कार्यवाही की जाएगी ?जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हां, कार्यालय तहसीलदार जैजैपुर के ज्ञापन क्रमांक/1078 /तह./

री./2022 जैजैपुर दिनांक 10.10.2022 के अनुसार फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सैकड़ों एकड़ जमीन रजिस्ट्री के संबंध में जांच किए जाने हेतु दिनांक 20.05.2026 को जिला स्तर से जांच टीम गठित किया गया है । **(ख)** प्रश्नांश"क" के अनुसार प्रदीप तिर्की पिता इसहाक तिर्की जाति उरांव निवासी खम्हरिया तहसील भोथिया के द्वारा कुल खसरा संख्या 19 कुल रकबा 2.568 हेक्ट. भूमि को न्यायालय कलेक्टर जिला सक्ती (छ.ग.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202411310100011/अ-21(1)/2024-25 आदेश दिनांक 17.02.2025 के द्वारा विक्रय हेतु सशर्त अनुमति प्राप्त कर डोलोमाईट माईन्स कार्पोरेशन के पार्टनर पवनजय अग्रवाल पिता स्व. उमेश प्रसाद अग्रवाल निवासी सकरेली (बा.) तहसील बाराद्वार को विक्रय किया गया है । प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन अनुसारप्रदीप तिर्की पिता इसहाक तिर्की जाति उरांव को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सक्ती के द्वारा दिनांक 14.06.2021 को अनुसूचित जन जाति का डिजीटल स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया गया है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सक्ती (छ.ग.) से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम खम्हरिया तहसील भोथिया के प्रश्नाधीन खसरों में से खसरा नंबर 660/3 एवं 660/4 रकबा क्रमशः 0.24 एकड़ एवं 0.30 एकड़ भूमि में मेसर्स डोलोमाईट माइनिंग कार्पोरेशन बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) के पक्ष में खनिज डोलोमाइट उत्खनन पट्टा दिनांक 15.07.2021 से 14.07.2031 तक के लिए स्वीकृत/संचालित है । **(ग)**प्रश्नांश"क" और "ख" के संबंध में जिला स्तर से विस्तृत जांच हेतु दिनांक 20.05.2026 को जांच दल गठित की गई है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

<u>शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में हुआ व्यय</u>

[जनसंपर्क]

12. (क्र. 48) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ शासन के संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार में 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक विभाग के द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ? कृपया जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जनसंपर्क विभाग द्वारा 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रचार-प्रसार में किये गये व्यय कुल राशि 10,95,20,36,698/- रूपए (अक्षरी दस अरब, पन्चानबे करोड़, बीस लाख,छत्तीस हजार, छः सौ अन्ठानबे रूपए मात्र) की मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रूपए में)

क्र.	मद	1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक व्यय की गई कुल राशि
1	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	**3,44,04,57,623**
2	प्रिंट मीडिया	**1,98,26,30,840**
3	सोशल डिजिटल मीडिया	**55,81,91,658**
4	सोशल मीडिया	**5,78,45,391**
5	प्रकाशन मीडिया	**19,17,85,671**
6	क्षेत्र प्रचार	**4,14,01,04,531**
7	आदिवासी उपयोजना	**22,17,79,242**
8	विशेष अवसर पर प्रचार	**35,92,41,742**
	कुल	**10,95,20,36,698**

<u>आरती स्पंज कंपनी के विरूद्ध शिकायत</u>

[खनिज साधन]

13. (क्र. 49) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या दंतेवाड़ा जिले के आरसनार क्षेत्र में आरती स्पंज कंपनी को खनन की अनुमति दी गई थी? यदि हां तो वर्ष 2024 से

17.06.2026 तक इस संबंध में क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** खनन किए जाना कब से प्रारंभ किया गया? क्या प्रश्नावधि तक खनन का कार्य अपूर्ण है या पूर्ण हो गया है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) एवं **(ख)** जी नहीं। दंतेवाड़ा जिले के आरसनार क्षेत्र में आरती स्पंज कंपनी को खनन की अनुमति नहीं दी गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बी.एड. महाविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति</u>

[उच्च शिक्षा]

14. (क्र. 56) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में स्वीकृत बी.एड. महाविद्यालयों के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुयी थी? **(ख)** उक्त महाविद्यालयों मे से कितने में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया? यदि शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं तो उसके क्या-क्या कारण हैं? शिक्षण कार्य को इस शैक्षणिक वर्ष में शुरू करने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कब तक करने जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) एवं **(ख)** जानकारी निरंक है।

<u>राजनांदगांव तथा खुज्जी वि.स. क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण</u>

[खनिज साधन]

15. (क्र. 70) श्री भोलाराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-25 से दिनांक 17/06/2026 तक राजनांदगांव जिले एवं खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिजों जैसे रेत, मुरूम, गिट्टी, पत्थर एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? ग्रामवार, स्थानवार एवं खनिजवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** उक्त अवधि में किन-किन ग्रामों, नदी-घाटों एवं खदान क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन तथा मुरूम, गिट्टी एवं पत्थर के अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ? **(ग)** अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में कितने वाहन, ट्रैक्टर, हाइवा, पोकलेन एवं जेसीबी मशीनें जब्त की गई हैं तथा कितनी राशि अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी के रूप में वसूल की गई है? विवरण स्थानवार उपलब्ध करावें ? **(घ)** क्या शासन द्वारा उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया है जहाँ अवैध रेत, मुरूम, गिट्टी एवं पत्थर उत्खनन से पर्यावरण, कृषि भूमि एवं नदी-नालों को क्षति पहुँची है? यदि हाँ, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं सुधारात्मक कार्यवाही की जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्ष 2024-25 से दिनांक 17/06/2026 तक खुज्जी विधानसभा क्षेत्र सहित राजनांदगांव जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के 548 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ग्रामवार, स्थानवार एवं खनिजवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार** है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार** है।**(ग)** अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में कुल 573 वाहन/मशीन जप्त किया गया है एवं 1 करोड़ 89 लाख 84 हजार 895 रूपये समझौता राशि वसूल की गई है। स्थानवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। विभाग द्वारा खनिज की वैध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु खनिज अन्वेषण की दृष्टिकोण से भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाता है। अवैध उत्खनन पर खनिज नियमों में निहित प्रावधानों के तहत् विभाग कार्यवाही करता है।

प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

16. (क्र. 71) श्री भोलाराम साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संस्थावार, पदनामवार तथा जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** विगत तीन वर्षों में सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुए पदों की संख्या कितनी है तथा इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ग)** वर्तमान में किन-किन महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी एवं लिपिकीय संवर्ग के पद रिक्त हैं? क्या रिक्त पदों के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित है? जानकारी देवें ? **(घ)** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गई है? जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र- ब** अनुसार है!

1. प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2024-25 में पदोन्नत प्राध्यापक पद से प्राचार्य पद पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है।

2. वर्तमान में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं

3. रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के 595, सहायक प्राध्यापकों के 625 क्रीड़ा अधिकारी के 25 एवं ग्रंथपाल के 50 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. वर्तमान में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के नियुक्ति आदेश प्रदान कर महाविद्यालयो में पदस्थापना किया जा चुके हैं। चतुर्थ श्रेणी (भृत्य चौकीदार एवं स्वीपर) कर्मचारी के रिक्त पदों के पूर्ति हेतु व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया है।

(ग) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र- अ** अनुसार है।जी नहीं ।

(घ) 1.वर्तमान में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं

2. रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के 595, सहायक प्राध्यापकों के 625 क्रीड़ा अधिकारी के 25 एवं ग्रंथपाल के 50 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. वर्तमान में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के नियुक्ति आदेश प्रदान कर महाविद्यालयो में पदस्थापना किया जा चुके हैं। चतुर्थ श्रेणी (भृत्य चौकीदार एवं स्वीपर) कर्मचारी के रिक्त पदों के पूर्ति हेतु व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया है।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदोबस्त त्रुटि के दर्ज प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

17. (क्र. 76) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में बंदोबस्त त्रुटि के प्रकरणों के निराकरण हेतु किस स्तर के अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी बनाया जाता है? **(ख)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से 2026 के मध्य किन-किन गावों में बंदोबस्त त्रुटि के कितने प्रकरण दर्ज किये गए? दर्ज प्रकरणों में कितने का निराकरण किया जा चुका है? कितने प्रकरण लंबित हैं? **(ग)** क्या कभी बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु क्षेत्र अंतर्गत कोई शिविर का आयोजन किया गया ? यदि हाँ तो किन-किन तिथियों को किन-किन स्थानों पर आयोजन हुआ और कितने आवेदन प्राप्त हुए?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रदेश में बंदोबस्त त्रुटि के प्रकरणों के निराकरण हेतु उपखंड

अधिकारी एवं कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी है। **(ख)** जानकारी **"संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी "निरंक" है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

फिंगेश्वर एवं छुरा के ग्रामों में जल संकट के निवारण हेतु प्रस्तावित योजना

[जल संसाधन]

18. (क्र. 77) श्री रोहित साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विधानसभा राजिम क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड फिंगेश्वर एवं छुरा के ग्रामों में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में उत्पन्न जल संकट के निवारण के लिए राजिम समूह जल प्रदाय योजना तैयार किया जाना है? यदि हां तो उक्त योजना के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? उक्त ग्रामों में पेयजल हेतु कौन से नदीतट/एनीकट / वियर / बांध से पानी उपलब्ध कराया जा सकता हैं? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र राजिम की आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में कितनी पानी की मात्रा किस स्थान से जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हाँ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के संभाग स्तरीय कार्यालय में किये गये आवेदन के अनुसार विधानसभा राजिम क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड फिंगेश्वर एवं छुरा के ग्रामों में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में उत्पन्न जल संकट के निवारण के लिए राजिम समूह जल प्रदाय योजना तैयार किया जाना है। उक्त प्राप्त आवेदन के अनुसार योजना के लिए 20 MLD पानी की आवश्यकता होगी। उक्त ग्रामों में पेयजल हेतु पैरी महानदी संगम स्थल के नीचे प्रस्तावित राजिम बैराज से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र राजिम की आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मांग अनुसार 20 MLD पानी की मात्रा पैरी महानदी संगम स्थल के नीचे प्रस्तावित राजिम बैराज से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

सुशासन तिहार 2026-27 में जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही

[सुशासन एवं अभिसरण]

19. (क्र. 81) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 1 मई, 2026 से 10 जून, 2026 के अंतर्गत जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में नागरिकों द्वारा शिकायत/मांग व अन्य विषयों से संबंधित कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों की निराकरण की स्थिति, मांग/शिकायत आवेदन की प्रकृति के अनुसार विभाग का नाम, लंबित रखने का कारण सहित जानकारी देवें? **(ख)** कितने आवेदन निर्माण कार्यों की मांग एवं कितने आवेदन शिकायत/अनियमितता से संबंधित थे? निराकरण की अद्यतन जानकारी विभागवार विकासखण्डवार प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) कुल 24938 आवेदन प्राप्त हुए। जानकारी "**पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ** अनुसार है।**(ख)** जानकारी "**पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

बिलासपुर जिले में भू-अर्जन मुआवजा के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

20. (क्र. 83) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर जिले के अनुभागों में कुल कितने भू-अर्जन मुआवजा प्रदान करने के प्रकरण लंबित हैं? कितने मुआवजा प्रकरण

विगत 5 वर्षो से अधिक समय से लंबित हैं? **(ख)** लंबित भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों की संख्या, योजना/परियोजना का नाम, लंबित वर्ष, राशि एवं लंबित होने के कारण का अनुभागवार विस्तृत जानकारी क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) बिलासपुर जिले के 05 अनुविभागों में कुल 99 भू-अर्जन अवार्ड पारित प्रकरणों में कतिपय किसानों का मुआवजा भुगतान लंबित है। अनुविभागवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे**प्रपत्र -अ** अनुसार है। 23 मुआवजा प्रकरण विगत 05 वर्षो से अधिक समय से लंबित है। अनुविभागवार **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है । **(ख)** लंबित भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों की संख्या 99 है। योजना/परियोजना का नाम लंबित वर्ष, राशि एवं लंबित होने के कारण का अनुविभाागवार विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-स** अनुसार है।

राज्य में पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

21. (क्र. 87) श्री जनक ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राज्य में पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में किसको जिम्मेदारी दी गयी है? कृपया जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित विषय को छत्तीसगढ कार्य (आबंटन) नियम में शामिल किया जाता है। इसीलिए वर्तमान में पेसा अधिनियम का छत्तीसगढ कार्य (आबंटन) नियम में उल्लेख नहीं है।

बैलाडीला डिपॉजिट के आबंटित

[खनिज साधन]

22. (क्र. 89) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बैलाडीला डिपॉजिट के आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? **(ख)** किन-किन कंपनियों को कार्य आबंटित किया गया है? नाम पता सहित जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बैलाडीला डिपॉजिट अंतर्गत खनिज लौह अयस्क का अब तक आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत खनिपट्टा एवं समेकित अनुज्ञप्ति की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र'** अनुसार है।
(ख) जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र'** के कॉलम-2 अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

धारा 170 (ख)(2)(क) के तहत लंबित मामले

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

23. (क्र. 91) श्री जनक ध्रुव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-छत्तीसगढ़ में धारा 170**(ख)**(2)**(क)** के तहत कितने मामले तहसीलदार न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय और कलेक्टर न्यायालय में लंबित हैं? कृपया जिलेवार जानकारी दें कितने मामले 1 वर्ष से अधिक से लंबित हैं और कितने मामले 3 वर्ष से अधिक से लंबित हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 **(ख)** (2) **(क)** के तहत

राज्य में तहसीलदार न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय और कलेक्टर न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जिलेवार एवं 01 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र**" अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

प्रदेश के भवनविहीन महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

24. (क्र. 92) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में ऐसे कितने महाविद्यालय हैं जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है तथा ऐसे भवनविहीन महाविद्यालय किस वर्ष से संचालित हो रहे हैं ? क्या ऐसे महाविद्यालयों में लैब, लाईब्रेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है? किन कारणों से अब तक इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं किया जा सका है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 111 शासकीय महाविद्यालयों में स्वयं का भवन नहीं है। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को प्रदाय की गई राहत राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

25. (क्र. 96) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विगत तीन वर्षों में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि,आंधी, ओलावृष्टि आदि) से प्रभावित कितने किसानों को राहत राशि स्वीकृत एवं वितरित की गई ? ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जिला उत्तर बस्तर कांकेर के विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर में विगत तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 889 किसानों को राशि रूपये 59.90 लाख आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत एवं वितरित किया गया है। ग्रामवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

जिला दन्तेवाड़ा में इंद्रावती एवं शंखिनी-डंकिनी नदी में स्थापित परियोजनाएं

[जल संसाधन]

26. (क्र. 111) श्री चैतराम अटामी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला दंतेवाड़ा में इंद्रावती एवं शंखिनी-डंकिनी नदी तंत्र से संबंधित कौन-कौन सी सिंचाई एवं जल संरक्षण योजनाएं संचालित हैं? इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या हैं? **(ख)** क्या जिले में नई, मध्यम अथवा लघु सिंचाई परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? **(ग)** जिला दंतेवाड़ा में जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन हेतु विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन से कार्य किए गए हैं ? कितनी राशि व्यय की गई है ? **(घ)** आगामी वित्तीय वर्ष में जिले के लिए कौन-कौन से नए जल संरक्षण कार्य प्रस्तावित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला दंतेवाड़ा में इंद्रावती एवं शंखिनी-डंकिनी नदी तंत्र से संबंधित 06 उद्वहन सिंचाई योजना 01 व्यपवर्तन योजना एवं 03 एनीकट जल संरक्षण योजनाए संचालित है। इन योजनाओं की वर्तमान में 02 उद्वहन सिंचाई योजना एवं 01 एनीकट योजना क्षतिग्रस्त है एवं शेष योजनाए सही

स्थिति में संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जिले में 04 नई लघु सिंचाई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** जिला दंतेवाड़ा में जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन हेतु विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में 01 कार्य पूर्ण एवं 08 कार्य प्रगतिरत हैं। इन योजनाओं में राशि रू. 439.64 लाख व्यय की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (घ)** आगामी वित्तीय वर्ष में जिले के लिए कोई नए जल संरक्षण कार्य प्रस्तावित नहीं है, अपितु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 02 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 01 पूर्व से निर्मित जलाशय / तालाब का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग का कार्य सम्मिलित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।** **[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]**

जिला दन्तेवाड़ा में विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु कार्यवाही

[ऊर्जा]

27. (क्र. 112) श्री चैतराम अटामी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला दंतेवाड़ा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन कितने घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? **(ख)** बार-बार बिजली गुल होने के प्रमुख कारण क्या हैं ? **(ग)** दंतेवाड़ा जिले में कितने ट्रांसफार्मर, पोल एवं विद्युत लाइनें जर्जर अवस्था में हैं ? **(घ)** इनके सुधार एवं प्रतिस्थापन हेतु कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला दंतेवाड़ा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य तौर पर विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं रहती है तथापि जिला दंतेवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों से निर्गमित 11 के व्ही फीडरों में 01.04.2025 से 31.05.2026 तक की स्थिति में विभिन्न कारणों से औसतन प्रतिदिन 18 मिनट विद्युत आपूर्ति बाधित रही है। **(ख)** सामान्य दिनों में बार-बार बिजली गुल होने की स्थिति नहीं है। आंधी तूफान एवं बारिश के दौरान पेड़ों के विद्युत लाइनों पर गिरने के फलस्वरूप पोल टूटने, विद्युत तार टूटने, लाईटनिंग के कारण इंसुलेटर खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति निर्मित होती है। **(ग)** वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले में ट्रांसफार्मर, पोल एवं विद्युत लाईन जर्जर स्थिति में नही है। **(घ)** ट्रांसफार्मर के खराब होने तथा पोल एवं विद्युत लाईनों के टूटने की स्थिति में यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर त्वरित रूप से निराकरण कर दिया जाता है।

कोटा विकासखंड के सरगोन नाला के बाढ़ नियंत्रण हेतु कृत कार्यवाही

[जल संसाधन]

28. (क्र. 119) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या कोटा विकासखंड के ग्राम तुलुफ में स्थित साजादहरा के सरगोन नाला में बाढ़ आने से किसानों की फसल का नुकसान होता है? अगर हां तो ग्रामवार किसानों की संख्या और कुल प्रभावित क्षेत्र का विवरण क्या है? **(ख)** सरगोन नाला में बाढ़ के नियत्रंण एवं रोकथाम हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिये जलसंसाधन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रक्रिया एवं कार्यवाही की गई है? की गयी प्रक्रिया एवं कार्यवाही की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) हाँ, कोटा विकासखण्ड के ग्राम तुलुफ में स्थित साजादहरा के सरगोन नाला में बाढ़ आने से किसानों की फसल का नुकसान होता है। ग्रामवार किसानों की संख्या और कुल प्रभावित क्षेत्र की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** सरगोन नाला में बाढ़ के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिये सरगोन नाला में साजादहरा ग्राम-तुलूफ के समीप प्रोटेक्शन वाल के निर्माण कार्य का प्रशासकीय स्वीकृति प्राक्कलन राशि रू. 1667.22 लाख का तैयार कर विभाग में प्रक्रियाधीन है एवं योजना

हेतु आकस्मिक निधि से अग्रिम प्राप्त करने की कार्यवाही की गई थी, परंतु यह संभव नहीं हुआ। योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में शामिल करने की कार्यवाही विभाग में प्रक्रियाधीन है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में संचालित कोल डिपो में अनियमितता पर कार्यवाही

[खनिज साधन]

29. (क्र. 126) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिल्हा विधानसभा के विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में किनके नाम से, कितनी क्षमता के एवं कितनी लाईसेंस अवधि के कोल डिपो कब से संचालित हैं? जानकारी देवें ? इनमें कौन-कौन से वैध व अवैध कोल डिपो हैं? इनमें किन-किन कोल डिपो द्वारा भंडारण और स्टैकिंग, वायु प्रदूषण नियंत्रण, परिवहन नियम, जल और ध्वनि प्रबंधन, सीटीई और सीटीओ का पालन किया/नहीं किया जा रहा है? कोल डिपोवार जानकारी देवें ? कोल डिपो संचालित किये जाने के वर्तमान में प्रचलित नियम/निर्देश/आदेश की प्रतियों सहित जानकारी देवें? **(ख)** जनवरी, 2024 से 17/06/2026 दिनांक तक किन-किन कोल डिपो की जांच की गई और उन डिपो से कितनी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है? कोल डिपोवार जानकारी देवें ? अवैध लाईसेंस अवधि के, अवैध कोल भण्डारण, अवैध परिवहन करने वाले तथा कोयले की धूल से प्रदूषण और निर्धारित मापदण्डों का पालन न करने वाले पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कोल डिपोवार जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश क अनुसार वर्ष 2024 से दिनांक 17/06/2026 तक कोल डिपो के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है? शिकायतवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' "ब" एवं "स"** अनुसार है। **(ख)**प्रश्नाधीन अवधि में कोयला भण्डारण अनुज्ञप्ति की जॉच एवं की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "द"** अनुसार है। **(ग)**प्रश्नाधीन अवधि में कोयला भण्डारण अनुज्ञप्ति के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "य"** अनुसार है।

बिलासपुर वनवृत्त में औषधीय पौधों के क्रय एवं वृक्षारोपण में अनियमितता पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

30. (क्र. 127) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में बिलासपुर वनवृत्त अंतर्गत औषधीय पौधों के क्रय एवं वृक्षारोपण हेतु वनमंडलवार कितनी राशि स्वीकृत, आबंटित एवं व्यय की गई है? औषधीय पौधों का क्रय किन नियमों से किया गया है तथा प्रश्नांश अवधि में औषधीय पौधों की प्रजातिवार कितनी-कितनी संख्या क्रय, किस दर से तथा किस संस्था समिति अथवा फर्म से किया गया? वर्षवार एवं वनमंडलवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश क अवधि में औषधीय पौधों का वृक्षारोपण कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कहॉ-कहॉ किया गया तथा रोपित पौधों की संख्या, दिनांक 17/06/2026 की स्थिति में जीवितता प्रतिशत (Survival Rate) एवं भौतिक सत्यापन की स्थिति क्या है? वनमण्डलवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या विगत दो वर्षो में शासन/विभाग को औषधीय पौधों के क्रय एवं वृक्षारोपण कार्यों में अनियमितता, गुणवत्ता संबंधी शिकायत, फर्जी रोपण, अधिक दर पर क्रय अथवा भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतवार जांच की स्थिति, जांच अधिकारी का नाम, जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, समितियों अथवा एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है? जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश क अवधि में बिलासपुर वनवृत्त के अतिरिक्त किन-किन वनमण्डलो में औषधीय पौधे किस दर से, कितने-कितने क्रय एवं रोपित किये गए हैं तथा इनका जीवितता प्रतिशत कितना है? वनमण्डलवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलासपुर वनवृत्त अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में औषधीय पौधों के क्रय एवं वृक्षारोपण से संबंधित प्रश्नांश क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।(ख)** प्रश्नांश " ख" की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।(ग)** विगत दो वर्षों में किसी प्रकार की अनियमितताए गुणवत्ताए फर्जी रोपण संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।**(घ)** प्रश्नांश "क" अवधि में बिलासपुर वनवृत्त के अतिरिक्त वनमण्डलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब " अनुसार है ।**

विधायकों हेतु जनसंपर्क मद के अंतर्गत राशि के आवंटन, व्यय एवं उपयोग संबंधी प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

31. (क्र. 128) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या राज्य शासन द्वारा विधायकों के लिए जनसंपर्क मद के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हाँ, तो प्रति विधायक वार्षिक स्वीकृत राशि कितनी है? **(ख)** विगत तीन वर्षों में जनसंपर्क मद के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रवार कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय की गई है? वर्षवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** जनसंपर्क मद से प्राप्त राशि के उपयोग एवं व्यय हेतु निर्धारित नियम, दिशा-निर्देश एवं पात्र मद कौन-कौन से हैं? **(घ)** क्या किसी विधायक के लिए जनसंपर्क मद से स्वीकृत राशि के उपयोग अथवा अनुशंसा में किसी अन्य सांसद, मंत्री अथवा जनप्रतिनिधि की भूमिका अथवा अधिकार का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें? **(ङ)** क्या विगत तीन वर्षों में किसी विधानसभा क्षेत्र की जनसंपर्क मद की राशि का उपयोग संबंधित विधायक के अतिरिक्त अन्य जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विधानसभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी नहीं। राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क मद के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र वार रूपये 10.00 लाख का आबंटन कलेकटरों को सौंपा जाता हैं, जिसे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री एवं सांसद के अनुशंसा पर स्वीकृत की जाती है।**(ख) जानकारी संकलित की जा रही हैं।(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार हैं।(घ)** राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क मद के अंतर्गत राशि का आबंटन प्रति विधान सभावार रुपये 10.00 लाख किया जाता है, जिसमें से माननीय प्रभारी मंत्री के अनुशंसा पर रुपये 8.75 लाख एवं माननीय सांसद के अनुशंसा पर रुपये 1.25 लाख स्वीकृत की जाती है। **(ङ)** विधानसभा क्षेत्र की जनसंपर्क मद की राशि का उपयोग माननीय प्रभारी मंत्री एवं माननीय सांसद के अनुशंसा पर किये जाने के निर्देश है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कराए गए पौधरोपण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

32. (क्र. 131) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों में वन विभाग द्वारा कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कराया गया? कितने पौधे लगाए गए तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण प्रदान करें? **(ख)** उक्त अवधि में लगाए गए पौधों में वर्तमान में कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं तथा निर्धारित मानक से कम जीवितता वाले क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? विवरण प्रदान करें? **(ग)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों में अवैध वृक्ष कटाई, वन भूमि अतिक्रमण एवं अन्य वन अपराधों के कितने प्रकरण दर्ज हुए? उनमें से कितनों का निराकरण किया गया तथा कितने प्रकरण लंबित हैं? वर्षवार विवरण प्रदान करें? **(घ)** विगत पाँच वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वनाग्नि (जंगल में आग) की

कितनी घटनाएँ हुई ? इससे कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ ? कितने वन्यजीवों की मृत्यु अथवा क्षति का अनुमान लगाया गया तथा दोषी व्यक्तियों एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? वर्षवार विवरण प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा कुल 228.326 हेक्टेयर क्षेत्र में 3,26,373 पौधे रोपित किये गये जिसमें कुल राशि रूपये 1,87,44,042/- व्यय की गई है। वर्षवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।(ख)** उक्त अवधि में लगाए गए पौधों में वर्तमान में जीवित पौधों का प्रतिशत की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।** प्रश्नांकित अवधि में कोई भी वृक्षारोपण क्षेत्र निर्धारित मानक से कम जीवितता वाले नहीं हैं। अतः संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में अवैध वृक्ष कटाई, वन भूमि अतिक्रमण एवं अन्य वन अपराधों के कुल 3972 प्रकरण दर्ज, 3904 निराकरण एवं 68 प्रकरण लंबित है। वर्षवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।(घ)** विगत पांच वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वनाग्नि (जंगल में आग) के कुल 501 घटनायें हुए, इससे 846.084 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, वन्यजीवों की मृत्यु शून्य है तथा अनुमानित क्षति 3,22,664 रूपये है। दोषी व्यक्तियों एवं संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्व की गई कार्यवाही का वर्षवार **विवरण संलग्न "प्रपत्र-स" में दर्शित है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

33. (क्र. 132) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालय सोनहत एवं शासकीय महाविद्यालय केल्हारी में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? संकायवार (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) तथा महाविद्यालयवार विवरण प्रदान किया जाए ? **(ख)** शासकीय महाविद्यालय सोनहत एवं शासकीय महाविद्यालय केल्हारी में प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं अतिथि व्याख्याताओं के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी है? साथ ही विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को सुदृढ़ बनाने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? **(ग)** क्या यह सत्य है कि राज्य शासन द्वारा दोनों महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने, प्राध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में किए गए प्रमुख कार्यों एवं उनसे लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या का विवरण प्रदान किया जाए?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) भरतपुर सोहनहत विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत, जिला कोरिया में विषयवार विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कला विषय में 72, वाणिज्य में 04 एवं विज्ञान में 50 है तथा शासकीय नवीन महाविद्यालय केल्हारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विषयवार विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कला विषय में 44, वाणिज्य में 14 विज्ञान में 45 है। **(ख)** शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत, जिला कोरिया में प्राध्यापक के पद स्वीकृत नहीं है, सहायक प्राध्यापक की स्वीकृत संख्या - 10, कार्यरत संख्या - 02 एवं रिक्त - 08 है, तथा शासकीय नवीन महाविद्यालय केल्हारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में प्राध्यापक के पद स्वीकृत नहीं है सहायक प्राध्यापक की स्वीकृत संख्या - 10, कार्यरत संख्या - 03 एवं रिक्त -07। विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को सुदृढ़ बनाने हेतु प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था की जाती है। अतिथि व्याख्याता पद पृथक से स्वीकृत नहीं है। **(ग)** जी हां। वर्तमान में विषयवार प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

विगत 03 वर्षों में प्रमुख कार्यों एवं उनसे लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः शासकीय नवीनमहाविद्यालय सोनहत, जिला कोरिया में 622 है एवं शासकीय नवीन महाविद्यालय केल्हारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 516 है।

वनवासियों एवं आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु संचालित योजनाएँ

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

34. (क्र. 134) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य शासन द्वारा वन संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं हरित आवरण में वृद्धि के उद्देश्य से भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से विशेष कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित की गई हैं तथा उनसे कितने क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया है? वर्षवार एवं योजनावार विवरण प्रदान किया जाए? **(ख)** क्या राज्य शासन द्वारा वनांचल क्षेत्रों में निवासरत वनवासियों एवं आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु लघु वनोपज संग्रहण, समर्थन मूल्य योजना एवं वनाधिकार पत्र वितरण जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो वर्ष 2024 मे 17/06/2026 तक भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं वितरित राशि का विवरण प्रदान किया जाए? **(ग)** क्या शासन द्वारा गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व एवं इससे जुड़े वन क्षेत्रों के संरक्षण, पर्यटन विकास तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में कोई विशेष कार्ययोजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो वर्ष 2024 में 17/06/2026 तक स्वीकृत कार्यों, व्यय राशि एवं अपेक्षित लाभों का विवरण प्रदान किया जाए?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राज्य शासन द्वारा वन संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं हरित आवरण में वृद्धि के उद्देश्य से भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान विभागीय, कैम्पा एवं किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत् 6438.062 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे " प्रपत्र-अ " अनुसार है ।(ख)** जी हाँ। वर्ष 2024 से 17.06.2026 तक भरतपुर- सोनहत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत् लाभान्वित कुल 145019 हितग्राहियों को राशि रू. 10394.53 लाख राशि वितरित की गई है एवं कुल 434 हितग्राहियों को 269.512 हेक्टेयर क्षेत्र का वनाधिकार पत्र वितरण किया गया है, योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब एवं स" अनुसार है ।(ग)** जी हाँ। वर्ष 2024 से 17.06.2026 तक स्वीकृत कार्यों, व्यय राशि एवं अपेक्षित लाभों का वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-द" अनुसार है ।**

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता का आंकलन

[ऊर्जा]

35. (क्र. 138) श्री संदीप साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान विद्युत भार (Electrical Load) एवं उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता का आकलन कब कराया गया था? ऐसे कितने ग्राम हैं जहाँ निम्न वोल्टेज (Low Voltage) अथवा ओवरलोड ट्रांसफार्मर की समस्या पाई गई है? ग्रामवार विवरण उपलब्ध कराएं? **(ख)** वर्ष 2023 से जून, 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं तथा कितने ट्रांसफार्मरों की क्षमता 25 KVA, 63 KVA, 100 KVA अथवा उससे अधिक क्षमता में उन्नत (Upgradation) की गई है? ब्लॉकवार जानकारी दें ? **(ग)** क्या विभाग द्वारा कृषि पंपों, घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत भार अध्ययन (Load Survey) कराया गया है? यदि हाँ, तो उसके आधार पर कितने नए ट्रांसफार्मर स्वीकृत किए गए हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर विद्युत भार (Electrical Load) का आंकलन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2023 से जून 2026 की अवधि 366 ग्रामों के वितरण ट्रांसफार्मरों में निम्न वोल्टेज अथवा ओवर लोड की समस्या पायी गई थी, ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। सभी 366 ग्रामों में 272 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर व 147 वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कर निम्न वोल्टेज अथवा ओवर लोड की समस्या का निराकरण कर दिया गया है। **(ख)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत जनवरी 2023 से जून 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रो में 272 अतिरिक्त नए वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं एवं कुल 147 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है। ब्लॉक वार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** सतत् प्रक्रिया के तहत् जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के ग्रामीण क्षेत्रो मे विभाग द्वारा कृषि पंपों, घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए स्थापित विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों पर एम्पीयर भार का लोड सर्वे किया जाता है। जिसके तहत् जनवरी 2023 से जून 2026 तक आवश्यकता के अनुसार कुल 272 नये ट्रांसफार्मर स्वीकृत किए गए तथा सभी के कार्य पूर्ण कर लिए गए है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बैंसठ"]

खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावितों से प्राप्त शिकायतें

[खनिज साधन]

36. (क्र. 139) श्री संदीप साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलौदा बाजार भाटापारा के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों में खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों से प्रभावित होने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों में से कितने मामलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? **(ख)** कितने प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति अथवा राहत सहायता प्रदान की गई तथा राशि का विवरण क्या है? **(ग)** क्या शासन द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण कर संभावित आपदा जोखिम मानचित्र (Risk Mapping) तैयार किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। खनिज साधन विभाग द्वारा राज्य में खनिज आधारित गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न खनिजों की खोज हेतु ही खनिज पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण/सर्वेक्षण कार्य किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

वन सुरक्षा समिति, लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े मजदूरों/संग्राहकों को प्रदत्त सुविधाएं

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

37. (क्र. 140) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन विभाग के अंतर्गत वन सुरक्षा समितियों, लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न मजदूरों, संग्राहकों एवं समिति सदस्यों के लिए पारिश्रमिक राशि के अतिरिक्त विभाग अथवा संबंधित समितियों के माध्यम से कौन-कौन सी सुविधाएँ, प्रोत्साहन राशि, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, आवास अथवा अन्य कल्याणकारी लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है? लाभवार एवं योजनावार जानकारी देवें ? **(ख)** जिला कबीरधाम अंतर्गत दिनांक 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में उक्त कार्यों से जुड़े मजदूरों, संग्राहकों एवं समिति सदस्यों को कौन-कौन से लाभ प्रदान किए गए हैं? लाभ का प्रकार, लाभार्थियों की संख्या तथा व्ययित राशि की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :(क) वन विभाग के अंतर्गत् लघु वनोपज एवं तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न मजदूरो, संग्राहकों एवं समिति सदस्यों के लिए पारिश्रमिक राशि के अतिरिक्त विभाग अथवा संबंधित समितियों के माध्यम से देय सुविधाएं प्रोत्साहन राशि, बीमा, सामाजिक सुरक्षा एवं छात्रवृत्ति की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्षित है।(ख)** जिला कबीरधाम अंतर्गत दिनांक 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में उक्त कार्यो से जुड़े मजदूरों, संग्राहकों एवं समिति सदस्यों को प्रदान किए गए लाभ की **जानकारी संलग्न " प्रपत्र-ब" में दर्षित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

स्वतः नामांतरण प्रणाली संबंधी

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

38. (क्र. 141) श्रीमती भावना बोहरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वर्तमान में रजिस्ट्री में स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया चल रही है ? क्या पटवारी एवं तहसीलदार को अपनी भुइयाँ (Bhuinya) आईडी में स्वतः नामांतरण से दर्ज हुए सभी प्रकरण नामांतरण पंजी में प्रदर्शित होते हैं? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं एवं यह बताएं कि इस स्थिति में पटवारी मैनुअल अभिलेखों को किस प्रकार दुरुस्त करेगा / अद्यतित रखेगा? **(ख)** क्या स्वतः नामांतरण प्रणाली में तकनीकी त्रुटि, डेटा सिंक्रोनाइजेशन में विलंब, लॉग-इन एक्सेस अथवा अन्य संचालन संबंधी समस्याओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो दिनांक 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या, उनकी प्रकृति एवं निराकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें ? **(ग)** स्वतः नामांतरण प्रणाली एवं मैनुअल राजस्व अभिलेखों के मध्य किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि पाए जाने पर उसके सुधार हेतु निर्धारित मानक प्रक्रिया (SOP), उत्तरदायी अधिकारी तथा निराकरण की समय-सीमा क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हां, वर्तमान में विक्रय विलेखों के रजिस्ट्री से संबंधित प्रकरणों में स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पटवारी एवं तहसीलदार को भुइयां आईडी में स्वतः नामांतरण से दर्ज हुए सभी प्रकरण भूईयां पोर्टल में प्रदर्शित किए जाने हेतु आवश्यक तकनीकी प्रावधान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पटवारी के द्वारा भू-नक्शा मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैनामा के आधार पर जांच उपरांत अद्यतन किया जाता है। शेष भू-अभिलेख ऑनलाईन होने के कारण मैनुअल अभिलेखों को दुरुस्त करने की आवश्यकता नहीं है। **(ख)** जी हां, स्वतः नामांतरण प्रणाली में तकनीकी त्रुटि, डेटा सिंक्रोनाजेशन में विलंब, लॉग इन एक्सेस अथवा अन्य संचालन संबंधी समस्याओं की दिनांक 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि में कुल 09 (जिला दुर्ग में 7 एवं महासमुन्द में 02) शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें नाम सुधार, खसरा एवं रकबा सुधार संबंधी तकनीकी समस्या थी, सभी का निराकरण हो चुका है। **(ग)** वर्तमान में भू-अभिलेख यथा खसरा, बी-1 एवं भू-नक्शा ऑनलाईन संधारित हैं।स्वतः नामांतरण के प्रकरणों में त्रुटि होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में त्रुटि सुधार के प्रावधान अनुसार सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)) द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुधार की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में किया जाता है।

विकासखंड मानपुर में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास भवन की लागत

[उच्च शिक्षा]

39. (क्र. 144) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत विकासखंड मानपुर के लाल श्याम शाह शासकीय महाविद्यालय में दो छात्रावास भवन का निर्माण किस मद से तथा कब किया गया था? भवन निर्माण की कुल लागत की जानकारी

देवें? क्या छात्रावास भवन निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है या नहीं? **(ख)** आज पर्यन्त छात्रावास का संचालन शुरू नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ? क्या महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं की मांग को देखते हुए इस सत्र में छात्रावास भवन को शुरू कराए जाएंगे या नहीं, जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत विकासखंड मानपुर के शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय में दो छात्रावास भवन का निर्माण मांग संख्या 68-4202-01-03-203-0102-5086-97 मद से सत्र 2021-22 से निर्माण प्रारंभ कया गया था, जो कि सत्र 2023-24 में बन कर तैयार हो गया है। छात्रावास भवन (बालक) निर्माण की कुल लागत राशि रू. 272.81 लाख तथा छात्रावास भवन (बालिका) निर्माण की कुल लागत राशि रू. 272.81 लाख है। छात्रावास भवन निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। **(ख)** छात्रावास भवन के लिए पद स्वीकृत नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास का संचालन शुरू नहीं किया गया है। छात्र-छात्राओं की मांग को देखते हुए छात्रावास भवन संचालन हेतु पद स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वन्यजीव हमले से पीड़ित व्यक्तियों के लिये देय क्षतिपूर्ति राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

40. (क्र. 147) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वन्यजीवों के हमले से पीड़ित व्यक्तियों के लिये देय क्षतिपूर्ति राशि कितनी-कितनी है ? जानकारी देवें ? **(ख)** वर्ष 2023 से जून, 2026 तक दर्ज प्रकरणों का विवरण एवं निपटान की जानकारी हितग्राही के नाम पता सहित जिलेवार विकासखंड ,ग्रामवार जानकारी देवें ? मानव जीवन को हो रही हानि को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश में वन्यजीवों के हमले से पीड़ित व्यक्तियों / उत्तराधिकारी के लिये देय क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार है :-

जनहानि (मृत्यु होने पर) क्षतिपूर्ति/ सहायता	राशि रूपये 6,00,000/-
स्थायी रूप से अपंग होने पर	राशि रूपये 2,00,000/-
जनघायल होने पर	राशि रूपये 59,100/- (अधिकतम सीमा तक)

(ख) वर्ष 2023 से जून, 2026 तक दर्ज प्रकरणों का विवरण एवं निपटान की जानकारी हितग्राही के नाम पता सहित जिलेवार, विकासखंड, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।**मानव जीवन को हो रही हानि को रोकने के लिए विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे है :-

1. वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र में सूचना पटल लगाया जाता है। 2. वन्यप्राणियों की सतत् निगरानी एवं गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। 3. विचरण क्षेत्र के निकटस्थ ग्रामीणों को वन्यप्राणियों से सतर्क रहने एवं अपने घरों से अकेले बाहर नहीं निकलने की मुनादी कराई जाकर सुरक्षा संबंधी आवश्यक सलाह एवं निर्देश दिए जाते है। 4. हाथी-मानव संघर्ष को रोकने हेतु गज-संकेत ऐप का उपयोग किया जा रहा है जिसमें ग्रामीणों को पंजीकृत किया गया है। ग्राम से 5 कि.मी. के रेंज में हाथी की उपस्थिति होने पर ग्रामीणों के मोबाईल फोन पर सूचना दी जाती है एवं सचेत रहने बताया जाता है। वन्यप्राणियों के सूचना पर त्वरित कार्यवाही हेतु उड़नदस्ता दल द्वारा भी कार्यवाही की जाती है।5. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास एवं जलस्त्रोतों के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंधन कार्य एवं चारागाह विकास का कार्य कराया जाता है। 6. वनमण्डलों के अंतर्गत हाथी मित्र दल का गठन किया गया है जिसके द्वारा समस्त वनक्षेत्रों में हाथियों की मॉनिटरिंग कर मानव-हाथी द्वंद्व कम करने का कार्य किया जाता है। 7.वन्यप्राणी संबंधी अपराध होने पर भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराधी के विरूद्ध

कानूनी कारवाई की जाती है । 8. समय-समय पर जंगल की तलाशी की जाकर शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे जब्त किए जाते है ।

छत्तीसगढ़ में बिजली दर में वृद्धि

[ऊर्जा]

41. (क्र. 150) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान में 15 .6 .2026 की स्थिति में प्रति यूनिट दर उपभोक्ता के प्रकारवार बताएं ? विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए क्या नई बिजली दरों को मंजूरी दी गई है ? **(ख)** छत्तीसगढ़ में बिजली की प्रति यूनिट दर बढ़ाई जाने का क्या कारण है ? बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है ? **(ग)** प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने तथा विद्युत आपूर्ति (बिना कटौती के) निरंतर करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) 15.06.2026 की स्थिति में, प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत वितरण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं हेतु लागू बिजली दरों का उपभोक्ता के प्रकारवार विवरण, **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है**। माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की स्वीकृति दिनांक 15.06.2026 को दी गई है एवं यह दरें दिनांक 01.07.2026 से प्रभावशील होगी।**(ख)** विद्युत दरों में वृद्धि, विद्युत उत्पादकों से क्रय की दरों, नियामक परिसंपत्तियों का समाधान करने, मंहगाई दरों में वृद्धि तथा अन्य संचालन एवं संधारण व्यय पर निर्भर करती है, जो कि माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है।वर्तमान में बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को छूट / सब्सिडी शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं माननीय छ.ग. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार प्रदान की जा रही है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है**।**(ग)** प्रदेश में विद्युत आपूर्ति (बिना कटौती के) निरंतर करने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अति उच्चदाब एवं 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित करने, अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने, विद्यमान ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने, फिडर सेपरेशन एवं अधिक लंबाई के फीडरों को विभक्त करने आदि कार्यवाही की जा रही है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण संबंधी

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

42. (क्र. 152) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के कितने मामले लंबित हैं ? जिलेवार एवं तहसीलवार जानकारी देवें ? **(ख)** लंबित मामलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं फौती के कितने-कितने मामले लंबित हैं और क्यो ? लंबित मामलों का निराकरण कब तक किया जावेगा ? कारण सहित पूर्ण जानकारी देवें ? **(ग)** राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में सुशासन तिहार में वर्ष 2025 व 2026 में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं फौती के कितने-कितने प्रकरण प्राप्त हुये एवं कितने-कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया ? कितने प्रकरण दिनांक 17/06/2026 तक लंबित हैं और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रदेश में कुल लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या 127528 है। जिलेवार, तहसीलवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र -अ** अनुसार है। **(ख)** लंबित प्रकरणों में नामांतरण-19160, बंटवारा-15311, सीमांकन-4349, फौती नामांतरण-25195 है । जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है। लंबित मामले राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रतिवेदन, आवेदक/अनावेदक साक्ष्य, फर्द बंटवारा पत्रक,

दावा आपत्ति इत्यादि कारणों से लंबित है। अधिकांश लंबित मामले समय-सीमा के भीतर है, जिसे शीघ्र निराकरण कर लिया जायेगा। **(ग)** राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिलों में वर्ष 2025 एवं 2026 में आयोजित सुशासन तिहार में दर्ज, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-स** अनुसार है।

पेड़ों की अवैध कटाई एवं लकड़ी व तेंदूपत्ता की तस्करी की शिकायतों पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

43. (क्र. 153) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024 से जून, 2026 तक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पेड़ों की अवैध कटाई एवं लकड़ी व तेंदूपत्ता की तस्करी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो कहां-कहां पर कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या पेड़ों की अवैध कटाई एवं लकड़ी व तेंदूपत्ता की तस्करी में विभागीय अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई? यदि हां तो उनके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण जानकारी देवें ? **(ख)** प्राप्त शिकायतों के विरुध्द क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? जांच उपरान्त किन-किन जगहों पर किस-किस प्रजाति के कितने पेडों की कटाई करना पाया गया व दोषी व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा अधिकारियों के विरुद्ध जून, 2026 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई या कार्यवाही प्रस्तावित है अथवा कितनी राशि का अर्थदंड/क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है? उक्त अवैध कारोबार से कितने राजस्व का नुकसान शासन को हुआ ? पूर्ण जानकारी देवें ? **(ग)** ठेलकाडीह व पिपरिया डिपो की भण्डारण क्षमता कितनी है ? वर्तमान में कितनी मात्रा में लकड़ी भण्डारित हैं ? क्या उक्त डिपो में अवैध कटाई की लकड़ी भण्डारित हैं ? यदि हां तो कितनी मात्रा में जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2024 से जून 2026 तक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पेड़ों की अवैध कटाई की 05 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत में विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी की संलिप्तता एवं की गई कार्यवाही का विस्तृत **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है ।** तेन्दूपत्ता तस्करी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध कार्यवाही की एवं जॉच उपरांत किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पेड़ों की कटाई करना पाया गया, दोषी व्यक्तियों अथवा अधिकारियों के विरूद्ध जून 2026 तक की गई कार्यवाही, अर्थदण्ड/क्षतिपूर्ति निर्धारण एवं अवैध कारोबार से राजस्व का शासन को नुकसान का विस्तृत **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है ।(ग)** ठेलकाडीह व पिपरिया डिपो की भंडारण क्षमता, भंडारित लकड़ी एवं उक्त डिपो में अवैध कटाई की भंडारित लकड़ी की मात्रा डिपोवार निम्नानुसार है:-

डिपो का नाम	भंडारण क्षमता	भंडारित लकड़ी		उक्त प्रकरणों में अवैध कटाई की भंडारित लकड़ी		
		ईमारती (घ.मी.)	जलाऊ (चट्टा)	ईमारती (घ.मी.)	बल्ली (नग में)	जलाऊ (चट्टा)
अस्थाई काष्ठागार ठेलकाडीह	4500 घ.मी.	4273.191	-	54.046	267	72
औद्योगिक बांसागार पिपरिया	500 चट्टा	-	474	-	-	-

[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

44. (क्र. 157) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2025-26 में 2025 से जून, 2026 की स्थिति में धरमजयगढ़ वन मंडल में किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? **(ख)** किन-किन कार्य एजेंसी को कार्य टेंडर प्रदाय किया गया है ? नाम सहित जानकारी देवें ? **(ग)** कितने कार्य पूर्ण है ? कितने प्रगतिरत हैं ? कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? कितना शेष है ? **(घ)** क्या घटिया निर्माण कार्य किए जाने का व वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2025-26 में 2025 से जून, 2026 की स्थिति में धरमजयगढ़ वनमंडल में राशि रूपये 48,44,53,913/- के 1629 कार्य स्वीकृत किए गए है। मदवार **विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।(ख)** कार्य एजेंसी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, किसी अन्य एजेंसी को कार्य टेण्डर नही दिया गया है।**(ग)** कुल 681 कार्य पूर्ण एवं 947 कार्य प्रगतिरत है तथा 01 स्वीकृत कार्य नहीं कराये जाने से स्वीकृत राशि रूपये 2,43,000/- समर्पित की गई है। राशि रूपये 27,64,45,644/- का भुगतान किया गया है तथा राशि रूपये 20,77,65,269/- भुगतान हेतु शेष है। **विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है । (घ)** हां। छाल परिक्षेत्र के तालाब निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत (शिकायकतकर्ता श्री रामकृष्ण पाठक, साकिन कुडेकेला, जिला रायगढ़) प्राप्त हुई है, जिसकी उड़नदस्तादल वनमंडल धरमजयगढ़ द्वारा जांच की गई। जॉच में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है।

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल के सी.एस.आर. मद से स्वीकृत एवं व्यय राशि

[खनिज साधन]

45. (क्र. 158) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छाल, बारूद और जामपाली क्षेत्र में एसईसीएल द्वारा बड़े पैमाने पर कोयला उत्खनन का कार्य किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो खनन से प्रभावित इन ग्रामों और आस-पास के क्षेत्रों के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं जैसे- सड़क, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए 2023 से 2026 तक एसईसीएल के सीएसआर मद और जिला खनिज संस्थान न्यास मद से कुल कितनी राशि स्वीकृत व व्यय की गई है? कार्यवार एवं राशिवार विवरण देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी हॉ। धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत एसईसीएल द्वारा खनन से प्रभावित इन ग्रामों और आस-पास के क्षेत्रों के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं जैसे-सड़क, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए 2023 से 2026 तक सीएसआर मद से स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार''** है तथा जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार''** है।

मनियारी नदी के तट पर तटबंध एवं सौंदर्यीकरण हेतु बजट प्रावधान

[जल संसाधन]

46. (क्र. 162) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तखतपुर नगर के मनियारी नदी के तट पर बरेला (तखतपुर) एनीकट के डाउन स्ट्रीम से बमबम घाट तक (बायें तट में) तटबंध एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु बजट में राशि का प्रावधान

किया गया है? **(ख)** कंडिका "क" के कार्य हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? **(ग)** कंडिका "क" के कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हाँ, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तखतपुर नगर के मनियारी नदी के तट पर बरेला (तखतपुर) एनीकट के डाउन स्ट्रीम से बमबम घाट तक (बांये तट में) तटबंध एवं सौंदर्गीकरण कार्य हेतु बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में रू. 200.00 लाख का प्रावधान किया गया है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के कार्य के लिए रू. 806.73 लाख का प्राक्कलन विभाग में प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

<u>तहसील बिलासपुर अंतर्गत मौजा मोपका एवं मौजा खमतराई की भूमि का रकबा एवं बटांकन</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

47. (क्र. 163) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर के तहसील बिलासपुर अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 29 मौजा मोपका के खसरा नंबर 993 एवं प.ह.नं.-25 मौजा खमतराई के खसरा नंबर -559 का बटांकन कब और किस आदेश के तहत हुआ है एवं कुल रकबा कितना-कितना है ? **(ख)** कंडिका "क" की भूमि निस्तार पत्रक में कौन से मद में दर्ज है एवं उनके व्यपवर्तन के क्या-क्या नियम हैं ? **(ग)** कंडिका "क" की भूमि को कब-कब और कौन-कौन से आदेश के तहत व्यपवर्तन किया गया है? उसका प्रकरण नंबर कौन-कौन सा है एवं कौन-कौन से आदेश के तहत् किसको-किसको विक्रय किया गया है ? विस्तृत विवरण देवें ? **(घ)** कंडिका "क" के मौजा मोपका के खसरा नंबर 993 के संदर्भ में कार्यालय भू अभिलेख शाखा के शिकायत क्रमांक 193/भू.अभि./रा.नि./2024, दिनांक 17.12.2024 में जून, 2026 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विस्तृत विवरण देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क), (ख), (ग) एवं **(घ)** की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

<u>छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026; के तहत CG Vyapam का विलय</u>

[सामान्य प्रशासन]

48. (क्र. 166) श्री भूपेश बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** "छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026" को लागू कर 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल' (CG Vyapam) का पूर्ण विलय करने तथा इसे सीधे सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने का मुख्य प्रशासनिक एवं वैधानिक आधार क्या है ? **(ख)** इस विलय के कारण वर्तमान में चल रही विभिन्न सरकारी भर्तियों (पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तकनीकी संवर्ग) की रुकी हुई परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ''छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026'' को लागू कर ''छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल'' का पूर्ण विलय करने तथा इसे सीधे सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने का मुख्य प्रशासनिक कारण चयन प्रक्रिया में एकरुपता एवं पारदर्शिता लाना है। वैधानिक आधार ''छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026'' राज्यपाल का अनुमोदन उपरांत राजपत्र में अधिसूचित कराया गया है।**(ख)** वर्तमान में चल रही सरकारी भर्ती परीक्षा सूचारू रूप से चल रही है।

रायगढ़ जिले में संचालित स्टोन क्रेशर खदान एवं रेत घाट

[खनिज साधन]

49. (क्र. 170) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक संचालित स्टोन क्रेशर खदान एवं प्लान्ट तथा रेतघाट की जानकारी संचालक के नाम, पता एवं अनुज्ञा की वैधता तिथि एवं जारी होने की तिथि सहित बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार संचालित स्टोन क्रेशर में कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हेतु अनुज्ञा (लाइसेन्स) जारी किया गया है ? कितनी मात्रा में खनन किया गया है ? वर्षवार जानकारी देवें ? **(ग)** रायगढ़ जिले में संचालित रेत घाटों की खनि पट्टा कब जारी की गयी ? किस एजेंसी के नाम से जारी की गयी ? कितनी अवधि के लिए जारी की गयी ? खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित जानकारी देवें ? **(घ)** प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण भी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अनुसार''** है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में पट्टा क्षेत्र के भीतर संचालित स्टोन क्रेशर में अनुमोदित उत्पादन मात्रा एवं वास्तविक उत्पादन की मात्रा की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** की सारणी (अ) के कॉलम 11 से 14 में दर्शित है। भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित क्रेशर में खनिज उत्पादन की अनुमति नहीं होती है। भण्डारण क्षमता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** की सारणी (ब) के कॉलम 11 में दर्शित है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** की सारणी (स) अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** की सारणी (अ) के कॉलम 9 एवं 10 तथा **संलग्न प्रपत्र** की सारणी (स) के कॉलम 8 एवं 9 में दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

अपेक्स बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों में जॉब दर पर नियुक्तियां

[सहकारिता]

50. (क्र. 171) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या अपेक्स बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में, जॉब दर पर नियुक्तियां की गई है ? यदि हां तो संस्थावार संख्या क्या है ? क्या प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो संस्थाओं की संख्या तथा अनुमानित व्यय क्या है ? कितनी संस्थाएं इसमें सम्मिलित नहीं हुई है ? **(ख)** क्या जॉब दर पर नियुक्ति हेतु सेवा नियम प्रभावशील है तथा क्या इसके लिये चयन मेरिट के आधार पर किये गये हैं ? जॉब दर पर कार्यरत कितने व्यक्तियों द्वारा अनियमितताएं की गई है ? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** कम्प्यूटरीकरण किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है ? उसे कब-कब, कितना-कितना भुगतान किया गया, कार्यपूर्णता की समयसीमा क्या है ? इसके लिये किन व्यक्तियों को किस प्रक्रिया से आपरेटर नियुक्त किया गया है ? क्या वे पर्याप्त योग्यता धारित करते हैं ? समयसीमा में कार्य क्यों पूर्ण नहीं हुआ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जी हां, संस्थाओं की संख्या 2028, अनुमानित व्यय राशि रू. 6267.90 लाख है तथा इसमें 545 संस्थाएं सम्मिलित नहीं हुई है। **(ख)** जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता है। **(ग)** कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर वेंडर-इनोवेटिव्यू इंडिया प्रा.लि., सिस्टम इंटीग्रेटर नेक्टर इंफोटेल प्रा.लि. तथा सिस्टम इंटीग्रेटर आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा.लि. एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। उक्त एजेंसियों को किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण **संलग्न** '**प्रपत्र**' अनुसार है। कार्यपूर्णता की समयसीमा दिनांक 31/03/2027 है। कम्प्यूटरीकरण के लिए पृथक से ऑपरेटरों की नियुक्ति नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ"]

जोरा नाला अंतर्राज्यीय जल विवाद की वर्तमान स्थिति

[जल संसाधन]

51. (क्र. 174) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जोरा नाला विवाद क्या है एवं यह छत्तीसगढ़ के किन जिलों को प्रभावित कर रहा है ? ओडिशा राज्य द्वारा इस पर क्या आपत्ति उठाई गई है ? **(ख)** क्या यह सही है कि जोरा नाला पर ओडिशा द्वारा अवैध रूप से बैराज/चेकडैम का निर्माण कर छत्तीसगढ़ के हिस्से का पानी रोका जा रहा है ? यदि हां, तो विवरण दें ? **(ग)** उक्त विवाद के निराकरण हेतु विगत 5 वर्षों में दोनों राज्यों के मध्य कब-कब बैठकें हुईं एवं उनके क्या परिणाम रहे ? केंद्र सरकार/जल शक्ति मंत्रालय को शासन द्वारा कब-कब पत्र लिखा गया ? **(घ)** जोरा नाला विवाद के कारण बस्तर संभाग के किसानों की सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ? प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का विवरण दें ? (ङ) क्या शासन द्वारा इस विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत ट्रिब्यूनल गठित कराने हेतु भारत सरकार से मांग की गई है ? यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ? (च) छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा हेतु शासन द्वारा आगामी क्या कार्ययोजना बनाई गई है तथा जोरा नाला का पानी राज्य को कब तक उपलब्ध हो पाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) इन्द्रावती-जोरानाला से संबंधित विषय वर्ष 2003 में दोनों राज्यों के मध्य हुए समझौते के अनुरूप है। इन्द्रावती-जोरानाला संगम पर निर्मित हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के माध्यम से दोनों राज्यों को 50-50 अनुपात में जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा उक्त संरचना के नियमित संचालन एवं रखरखाव से संबंधित है। संरचना निर्माण के पश्चात् प्रारंभिक वर्षों में समझौते के अनुरूप जल प्रवाह बना रहा, किन्तु समय के साथ संगम क्षेत्र में सिल्ट, रेत, बोल्डर एवं अन्य अवसादों के जमाव तथा विशेषकर ग्रीष्मकाल में बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिलों की ओर उपलब्ध जल प्रवाह में कई बार कमी होती है। जोरानाला स्ट्रक्चर ओडिशा राज्य में होने के कारण उसके प्रबंधन पर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। राज्य शासन द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए केंन्द्रीय जल आयोग के मार्गदर्शन में ओडिशा राज्य के साथ सतत समन्वय स्थापित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में समझौते के अनुरूप लगभग 50 प्रतिशत जल प्रवाह पुनः सुनिश्चित कराया गया है। इस संबंध में ओडिशा राज्य द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। **(ख)** ओडिशा राज्य द्वारा जोरा नाला पर किसी अवैध बैराज अथवा चेकडैम का निर्माण कर छत्तीसगढ़ के हिस्से का जल रोके जाने संबंधी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। **(ग)** गत पांच वर्षों में दोनों राज्यों तथा केंद्रीय जल आयोग के मध्य विभिन्न स्तरों की बैठकें पत्राचार किए गए, जिनमें :- 1. 11 मार्च 2023 को केन्द्रीय जल आयोग की उपस्थिति में संयुक्त बैठक आयोजित हुई। 2. 03 दिसम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। 3. 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय जल सप्ताह के दौरान दोनों राज्यों के मध्य उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। उक्त बैठकों एवं समन्वति तकनीकी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वर्तमान में समझौते के अनुरूप लगभग 50 प्रतिशत जल प्रवाह पुनः सुनिश्चित कराया गया है। **(घ)** बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिलों में पेयजल एवं सिंचाईहेतु जल उपलब्धता सामान्य एवं संतोषजनक है तथा वर्तमान में जल संकट अथवा सिंचाई संकट की स्थिति नहीं है। अतः वर्तमान में प्रभावित क्षेत्रफल एवं प्रभावित जनसंख्या निरंक है। (ङ) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण गठित किए जाने हेतु भारत सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया है। (च) जोरा नाला का पानी राज्य को समय-समय पर कुछ व्यवधानों के साथ अभी भी मिल रहा है, तथापि जल की उपलब्धता को सुगम एवं निरंतरता बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न प्रमुख कार्यवाही की जा रही है:- 1. इन्द्रावती-जोरनाला संगम पर निर्मित हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम क्षेत्र में जमा सिल्ट, रेत, बोल्डर एवं अन्य अवरोधों को केन्द्र शासन एवं दोनों राज्यों के समन्वय से हटाने की कार्यवाही। 2. हाइड्रोलिक

कंट्रोल स्ट्रक्चर के रखरखाव एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना। 3. जल प्रवाह की सतत् निगरानी हेतु गेजिंग स्टेशन, डिस्चार्ज मापन एवं संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कराना।

प्रदेश में रेत घाटों का आबंटन

[खनिज साधन]

52. (क्र. 175) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वर्ष 2022 से 2025 तक कुल कितने रेत घाट चिन्हित किए गए तथा उनमें से कितने घाटों का आबंटन नीलामी/निविदा के माध्यम से किया गया ? जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** चिन्हित रेत घाटों में से कितने घाटों को पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्रदान नहीं की गई है एवं कितने घाट बिना EC के संचालित हो रहे हैं ? जिलावार सूची दें तथा शासन को विगत 3 वर्षों में अनुमानित कितनी राशि के राजस्व की हानि हुई है ? **(ग)** विगत 3 वर्षों में जिला कोण्डागांव में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? उनमें कितनी राशि का जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा कितनी वसूली हुई ? विवरण दें ? **(घ)** क्या शासन द्वारा पंचायतों को रेत घाट आबंटन में प्राथमिकता दी गई है ? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों में कितनी ग्राम पंचायतों को रेत घाट आबंटित किए गए तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? **(ङ)** क्या शासन द्वारा रेत घाट आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु जियो-टैगिंग, CCTV निगरानी एवं ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लागू की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अनुसार''** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में चिन्हांकित क्षेत्र में से 165 प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से 120 खदानें संचालित है शेष 45 प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है। बगैर पर्यावरण स्वीकृति के कोई भी रेत उत्खननपट्टा संचालित नहीं है। अतः राजस्व हानि का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** विगत 3 वर्षों में जिला कोण्डागांव में रेत के अवैध उत्खनन के 03 प्रकरण परिवहन के 75 प्रकरण एवं भण्डारण के 5 प्रकरण दर्ज किया जाकर कुल 21 लाख 93 हजार 4 सौ 9 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है। **(घ)** जी हॉ। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्रों हेतु) नियम, 2023 के तहत् अनुसूचित क्षेत्रो में ग्राम पंचायतों को रेत उत्खननपट्टे का आवंटन किया गया है। प्रदेश में विगत 03 वर्षो में उक्त चिन्हांकित ग्राम पंचायतो को 68 रेत खदानें आवंटित की गई, जिसमे 27 करोड़ 95 लाख 33 हजार 468 राजस्व की प्राप्ति हुई है। **(ड.)** रेत खदानों का आवंटन ऑनलाईन इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, एमएसटीसी के माध्यम से किया जाता है। रेत खदानों के संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु जियो-टैगिंग एवं ऑनलाईन निगरानी प्रणाली लागू की गई है तथा आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिटीफिकेशन) टैग एवं ड्रोन सर्विलेंस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

सरगुजा जिला अंतर्गत संचालित रेत खदानें

[खनिज साधन]

53. (क्र. 177) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरगुजा जिला अन्तर्गत कितने एवं कहाँ-कहाँ रेत के खदान संचालित हैं ? नाम सहित जानकारी दें? उक्त खदान किस कंपनी या एजेंसी को लीज पर कितनी मात्रा में कितनी समयावधि के लिए दी गयी है ? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्न क अनुसार रेत भंडारण कहाँ-कहाँ एवं कितनी मात्रा में कितनी समयावधि तक किये जाने की अनुमति दी गयी है ? जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** प्रश्न क अनुसार रेत खनन के क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं ? क्या इसकी कोई नियमावली है ? अगर हां, तो नियमावली की जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार''** है। **(ख)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार''** है। **(ग)** जी हॉ। रेत खनन के लिये छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में निहित प्रावधानों के तहत् मापदंड निर्धारित है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

सोनतराई–सूर बाइपास सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण एवं लंबित मुआवजा प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

54. (क्र. 179) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत तहसील सीतापुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सोनतराई से सूर बाइपास रोड के लिए कितने भूस्वामियों की जमीन अधिगृहीत की गई है ? अधिगृहीत भूमि व स्वीकृत मुआवजा सहित भूस्वामियों की जानकारी नाम व रकबा सहित जानकारी प्रदान करें ?**(ख)** प्रश्न क अनुसार कितनों को मुआवजा कितने किस्तों में जारी की गई ? कितना शेष है ? जानकारी प्रदान करें ? कब तक भुगतान हो पाएगा ? जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला-सरगुजा के विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत तहसील सीतापुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सोनतराई से सूर बाईपास रोड के लिए 212 भूमिस्वामियों का रकबा 15.151 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहित भूमि व स्वीकृत मुआवजा एवं भूस्वामियों के नाम व रकबा सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश क अनुसार तहसील सीतापुर अंतर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु 03 ग्रामों के लिए 06 पूरक प्रकरणों सहित कुल 09 प्रकरण दर्ज कर अवार्ड पारित किया गया। प्रभावित कुल 212 भूमिस्वामियों में से 185 भूमिस्वामियों को मुआवजा भुगतान किया गया है। शेष 27 भूमिस्वमियों को अवार्ड अनुसार राशि 3,50,97,135/- रुपये भुगतान हेतु है। भुगतान हेतु शेष राशि संबंधित अर्जक निकाय मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क एवं परिवहन विभाग रायपुर से अप्राप्त होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। संबंधित से राशि प्राप्त होने पर अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

जिला रायगढ़ में लंबित राजस्व प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

55. (क्र. 182) श्री उमेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायगढ़ जिला अंतर्गत राजस्व प्रकरणों के कितने मामले लंबित हैं ? तहसीलवार जानकारी देवें ? लंबित मामलों में केवल नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के कितने मामले, कितने दिन से लंबित हैं ? क्या लोक सेवा गारंटी नियम से राजस्व के कार्य हो रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत लंबित राजस्व प्रकरणों कीतहसीलवार जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ'** अनुसार है। लंबित मामलों में नामांतरण प्रकरण की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-ब'** अनुसार, बंटवारा प्रकरण की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-स'** अनुसार एवं सीमांकन प्रकरण की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-द'** अनुसार है। जी हाँ, लोक सेवा गारंटी नियम से राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

रायगढ़ जिला अंतर्गत केलो परियोजना की लागत

[जल संसाधन]

56. (क्र. 183) श्री उमेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायगढ़ जिला अंतर्गत केलो परियोजना कितनी लागत के साथ कब प्रारंभ हुआ है और कितनी लागत के साथ कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ? नहरों का निर्माण कार्य कितना पूर्ण हो चुका है और कितना अधूरा है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : रायगढ़ जिला अंतर्गत केलो परियोजनाकी प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2003 में राशि रू. 98.50 करोड़ की प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 में प्रारंभ हुआ। परियोजना की वर्तमान लागत रू. 1182.90 करोड़ है तथा परियोजना को जून 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। नहरों का निर्माण कार्य 87 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बजट में सम्मिलित निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

[जल संसाधन]

57. (क्र. 186) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में किन-किन कार्यों को बजट में शामिल किया गया तथा बजट में शामिल किन-किन कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई ? किन-किन कार्यों की निविदा जारी की गयी तथा कितने कार्य प्रगतिरत हैं ? कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण हैं ? किन-किन कार्यों की निविदा शेष है? यदि शेष है तो क्या कारण है ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी ? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष 2025-26 में कुल 08 कार्यों एवं बजट वर्ष 2026-27 में 03 कार्यों को शामिल किया गया है तथा बजट में शामिल कार्यों में से 01 कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। किसी भी कार्य की निविदा जारी नहीं की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसफार्मर स्थापना एवं विद्युत विस्तार कार्य हेतु प्राप्त आवेदन

[ऊर्जा]

58. (क्र. 187) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों/वार्डों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित एवं विद्युत विस्तार हेतु विगत दो वर्षों में कितने ग्रामों से आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने का निराकरण किया गया तथा कितने लंबित हैं ? विकासखण्ड, ग्रामवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 400 ग्रामों / वार्डों में विगत दो वर्षों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु 417 आवेदन एवं विद्युत विस्तार हेतु 850 आवेदन इस प्रकार कुल 1267 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 695 आवेदनों का निराकरण किया गया एवं 572 आवेदन लंबित है। विकासखण्ड, ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है**।

<u>महासमुंद एवं रायपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्यवाही</u>

[खनिज साधन]

59. (क्र. 190) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद एवं रायपुर जिले में स्वीकृत रेत खदानों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक खदान की वार्षिक स्वीकृत क्षमता क्या है ? स्वीकृत क्षमता की तुलना में वास्तविक निकासी कितनी हुई ? क्षमता से अधिक उत्खनन होने पर कब-कब क्या कार्रवाई की गई है ? जिलेवार विवरण दें? **(ख)** जिले में जनवरी, 2024 से लेकर 15 जून, 2026 तक अवैध रेत उत्खनन, अवैध भंडारण के कितने प्रकरण दर्ज हुए ? इन प्रकरणों में कुल कितनी रॉयल्टी, अर्थदंड एवं राजस्व वसूली की गई है ? अवैध खनन के कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई और कितने मामलों में दोषसिद्धि हुई ? प्रकरणवार, जब्त वाहन, अर्थदंड राशि की जानकारी सहित पूर्ण जानकारी जिलेवार दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला महासमुंद में 07 एवं जिला रायपुर में 06 रेत के उत्खननपट्टे स्वीकृत हैं। जानकारी ''**पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ अनुसार**'' है। जिला महासमुंद एवं रायपुर में किसी भी खदान में स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्खनन संज्ञान में नहीं आया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जानकारी ''**पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार**'' है।

<u>बसना तहसील के अंतर्गत खनिज भंडार</u>

[खनिज साधन]

60. (क्र. 191) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या महासमुंद जिले के बसना तहसील के अंतर्गत ग्राम केलवारडबरी, भालुकोना और जमदरहा में क्रोमियम, निकेल और प्लैटिनम (PGE) जैसे बेहद बेशकीमती खनिजों का विशाल भंडार मिला है ? यदि हां तो कौन से खनिज और कितनी क्षमता का भंडार है ? क्या इसका खनन कार्य प्रारंभ हो चुका है ? किस कंपनी को खनन हेतु अधिकृत किया गया है ? जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी नहीं, महासमुंद जिले के बसना तहसील अंतर्गत ग्राम केलवारडबरी, भालुकोना और जमदरहा में क्रोमियम, निकिल और प्लेटिनम (पीजीई) खनिज का विशाल भंडार नहीं मिला है। तथापि ग्राम केलवारडबरी एवं भालूकोना-जमनीडीह में मेसर्स वेदान्ता लिमिटेड एवं मेसर्स डेक्कन गोल्ड माईन्स लिमिटेड को खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत निकिल, क्रोमियम एण्ड एसोसिएटेड पीजीई खनिज का समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है। जिसके अनुक्रम में उक्त संस्थानों द्वारा किये जा रहे अन्वेषण कार्य में खनिज निकिल, कॉपर एवं प्लेटिनम (पीजीई) की प्रारंभिक उपस्थिति की पुष्टि हुई है।

<u>जेम पोर्टल से सामग्री की खरीदी</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

61. (क्र. 194) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विभाग द्वारा जनवरी, 2023 से जनवरी, 2026 तक महासमुंद जिले में जेम पोर्टल से क्या-क्या सामग्री की खरीदी किस दर में की गई है? सामग्री का नाम, मात्रा, राशि एवं एजंसी का विकासखंडवार विवरण क्या है? **(ख)** खरीदी प्रभारी अधिकारी कौन थे, अधिकारी का नाम एवं पदनाम क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विभाग द्वारा जनवरी, 2023 से जनवरी 2026 तक महासमुंद जिले में जेम पोर्टल से क्रय सामग्री, दर, सामग्री का नाम, मात्रा, राशि एवं एजेंसी का विकासखंडवार **विवरण**

संलग्न "प्रपत्र " में दर्शित है।(ख) खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम का **विवरण संलग्न "प्रपत्र " में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

प्रदेश में मोबाइल टावर लगाने हेतु योजना

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

62. (क्र. 195) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में मोबाइल टावर लगाने हेतु शासन द्वारा कोई योजना संचालित है, अगर हाँ तो योजना का नाम बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार कौन-कौन से क्षेत्रों को मोबाइल टावर लगाने हेतु शासन द्वारा चयनित किया गया है, जिलावार, विकासखंडवार, जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राज्य में मोबाईल टावर से संबंधित मोबाइल टावर योजना लागू है। राज्य अंतर्गत मोबाइल टावर लगाने हेतु दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत निधि (DBN) वित्तपोषित निम्नलिखित तीन योजनाएं संचालित है - LWE II, Aspirational District एवं 4G Saturation. उक्त योजना अंतर्गत टावर की स्वीकृति दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। **(ख)** दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार LWE II, Aspirational District एवं 4G Saturation योजनान्तर्गत ग्रामों की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के विद्युत विहीन ग्राम

[ऊर्जा]

63. (क्र. 198) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है? कितने ग्रामों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है? **(ख)** विद्युत विहीन ग्रामों में बिजली की सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बीजापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल ग्रामों की संख्या 576 है, जिनमें से 575 आबाद ग्राम है एवं 1 ग्राम वीरान है। कुल 575 आबाद ग्रामों में से 382 ग्राम परंपरागत पद्धति एवं 193 ग्राम गैर परंपरागत तरीके से विद्युतीकृत है। **(ख)** शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता हैं।

बस्तर संभाग में रायल्टी चोरी की शिकायतें

[खनिज साधन]

64. (क्र. 199) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दंतेवाड़ा जिले के किरन्दुल और बचेली लौह अयस्क खदानों से निकलने वाले खनिज की रायल्टी का निर्धारण किन प्रक्रियाओं के तहत किया जाता है? उत्खनन किए गए खनिज का वजन कहां के डिजिटल कांटे में किया जाता है? जनवरी, 2026 से मई, 2026 तक माहवार प्राप्त रायल्टी का विवरण देवे? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार परिवहन के लिए ट्रांजिट पास (e-TP) के अवैध उपयोग और सर्वर मैनीपुलेसन के माध्यम से करोड़ों की रायल्टी चोरी की कितनी शिकायतें जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक प्राप्त हुई है? **(ग)** जिला खनिज विभाग से संचालित की जाने वाली रायल्टी पर्ची किन नियम प्रक्रियाओं के तहत एन.एम.डी.सी. प्रबंधन को सौपी गयी है? विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) दंतेवाड़ा जिले के किरन्दुल और बचेली लौह अयस्क खदानों से निकलने वाले खनिज की रायल्टी का निर्धारण खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं उक्त के तहत निर्मित नियमों में विहित प्रावधानों के तहत आईबीएम द्वारा अधिसूचित औसत विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत की दर से खनिज के प्रेषण मात्रा, साईज एवं ग्रेड के आधार पर किया जाता है। उत्खनन किये गये खनिज के वजन का मापन एनएमडीसी के तौल मशीन, बेल्टोमीटर एवं रेल प्रबंधन के इन-मोशन वे-ब्रिज के माध्यम से किया जाता है। माह जनवरी 2026 से मई 2026 तक माहवार प्राप्त रायल्टी की **"जानकारी प्रपत्र अनुसार"** है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के अनुसार परिवहन के लिए ट्रांजिट पास (ई-टीपी) के अवैध उपयोग और सर्वर मैनीपुलेसन के माध्यम से करोड़ों की रायल्टी चोरी का जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दंतेवाड़ा द्वारा रायल्टी पर्ची एनएमडीसी प्रबंधन को नहीं सौपी गयी है। अपितु छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में निहित प्रावधानों के तहत खनिज ऑनलाईन 2.0 पोर्टल के माध्यम से एनएमडीसी को स्वतः अभिवहन पारपत्र जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

जिला सुकमा में तेंदूपत्ता हितग्राहियों को शेष राशि का भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

65. (क्र. 202) श्री कवासी लखमा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** तेंदूपत्ता उपार्जन वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2025-26 तक बस्तर संभाग के सुकमा जिले के कितने लोगों को तेंदूपत्ता बोनस दिया गया ? वर्षवार जानकारी देवें । क्या तेंदूपत्ता वितरण में अनियमितता हुई है, यदि हां तो क्यों ? हितग्राहियों के बचत राशि (अप्राप्त राशि) के भुगतान हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? **(ख)** क्या हितग्राहियों को पूरी राशि प्राप्त हो गयी है, यदि नहीं तो क्यों ? हितग्राहियों के राशि भुगतान हेतु शासन-प्रशासन द्वारा क्या किया गया ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) तेंदूपत्ता उपार्जन वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2025-26 तक बस्तर संभाग के सुकमा जिले में तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का वितरण नहीं किया गया है । तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का वितरण प्रारंभ न होने की स्थिति में वर्षवार जानकारी एवं अनियमितता का प्रश्न ही नही उठता **(ख)** तेंदूपत्ता उपार्जन वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2025-26 तक राज्य में किसी भी जिला में तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का वितरण प्रारंभ नही किया गया है । उपार्जन वर्ष 2023 का प्रोत्साहन पारिश्रमिक सीधे ऑनलाईन संग्राहकों के बैंक खाते में भुगतान किए जाने हेतु कारवाई जारी है ।

बस्तर संभाग में अवैध रेत उत्खनन पर कृत कार्यवाही

[खनिज साधन]

66. (क्र. 203) श्री कवासी लखमा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभाग में रेत के कितने उत्खनन केंद्र/ खदान संचालित हैं ? वर्ष 2023 से 16 जून 2026 तक जिलेवार जानकारी देवें । **(ख)** क्या अवैध रेत उत्खनन केंद्र/ खदान संचालन के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं लोगों द्वारा शिकायतें की गयी ? यदि हां तो क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

राजनांदगांव जिले में सुशासन तिहार 2026 में प्राप्त आवेदनों पर कृत कार्यवाही

[सुशासन एवं अभिसरण]

67. (क्र. 210) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या राजनांदगांव जिले में सुशासन तिहार 2026 का आयोजन किया गया है? यदि हां तो जिले में इसके तहत किन-किन स्थानों पर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया गया है एवं इन शिविरों में किन किन विभागों को किन-किन समस्याओं के निराकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्राप्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है? विधानसभावार, शिविरवार, विभागवार आवेदनवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी हां। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत जिले के कुल 27 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 32 नगरीय क्षेत्रों में कुल 59 शिविरों में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। तिथिवार जानकारी "**पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अ"** अनुसार है। उपरोक्त शिविरों में विभिन्न विभागों को कुल 34326 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें से 28476 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है तथा लंबित 5850 आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्नांश की जानकारी "**पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब, स, द"** अनुसार है।

विधानसभा डोंगरगांव क्षेत्र में उर्जा विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त आवेदन

[ऊर्जा]

68. (क्र. 211) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या माननीय विधायक डोंगरगांव द्वारा राजनांदगांव जिले के विधानसभा डोंगरगांव क्षेत्र में उर्जा विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विगत पांच वर्षों में आवेदन प्रेषित किया गया है? यदि हॉ तो किन-किन समस्याओं के निराकरण हेतु कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों पर किन-किन स्तरों पर क्या कार्यवाही की गयी है, किये गये कार्यवाही की वितरण केन्द्रवार, दिनांकवार, कार्यवाहीवार एवं लंबित की जानकारी आवेदनवार वर्षवार देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : माननीय विधायक डोंगरगांव द्वारा राजनांदगांव जिले के विधानसभा डोंगरगांव क्षेत्र में ऊर्जा विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विगत पांच वर्षों में घरेलु / पंप कनेक्शन हेतु 12 आवेदन, ट्रांसफार्मर / पोल / तार हटाने हेतु 25 आवेदन, विद्यमान ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने हेतु 6 आवेदन, नये पोल लगाने हेतु 7 आवेदन, नवीन सब स्टेशन / अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हेतु 19, जर्जर पोल बदलने संबंधी 1 आवेदन, बिजली बिल से संबंधित 2 आवेदन एवं अन्य प्रकार के 16 आवेदन इस प्रकार कुल 88 आवेदन ऊर्जा विभाग के संबंधित कार्यालयों को प्राप्त हुए, जिनमें सभी समस्याओं / शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। कुल 88 नग प्राप्त आवेदनों पर किये गये कार्यवाही की वितरण केन्द्रवार, दिनांकवार, कार्यवाहीवार एवं लंबित की जानकारी आवेदनवार वर्षवार सूची **संलग्न प्रपत्र अनुसार है**।
[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

निर्माण कार्यों हेतु जारी निविदाएं

[जल संसाधन]

69. (क्र. 214) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिला अंतर्गत विगत दो वर्षों में 50 लाख अथवा उससे अधिक के कितने-कितने कार्यों की निविदाएं कहां-कहां हेतु जारी किए गए ? क्या जारी निविदाओं में से सिंगल स्क्रूटनी या पुल्लिंग के माध्यम से ठेकदारों को प्रदान किया गया है ? यदि हां तो कितने एवं कहाँ-कहाँ की निविदाएं किन-किन ठेकेदारों को

प्रदान की गयी है ? ठेकदारों के नाम, पता सहित जानकारी प्रदान करें। **(ख)** क्या उपरोक्त निविदा प्रक्रिया में बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु निविदा प्रक्रिया में कुछ शर्तें जोड़े जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** क्या उक्त निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी हेतु किसी विभागीय उच्च अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई ? यदि हां तो किस-किस की ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिला अंतर्गत विगत दो वर्षों में 50 लाख अथवा उससे अधिक के 73 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई। आमंत्रित निविदाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** जारी निविदाओं में सिंगल स्कूटनी या पुल्लिंग के माध्यम से न्यूनतम दर के अनुसार निविदाकार का निर्धारण नहीं किया जाता। राशि रू. एक करोड़ से अधिक की निविदाओं हेतु प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा पूर्व अर्हता निर्धारण समिति के द्वारा भाग लिये गये निविदाकारों के निविदा में ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षणोपरांत योग्य निविदाकारों की दर निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण होता है एवं 50 लाख से अधिक एवं 01 करोड़ से कम के निविदाओं में निविदाकारों के ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों (ठेकेदारों का पंजीयन एवं ई.एम.डी. की राशि) का अनुमोदन मुख्य अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ) के द्वारा करने के उपरांत योग्य निविदाकारों की दर निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण होता है। प्रथम आमंत्रण में एकल निविदाकार होने पर प्रतिस्पर्धा के अभाव में पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है। द्वितीय या उससे अधिक आमंत्रण पर एकल योग्य निविदाकार की दर खोला जाता है। **(ख)** उपरोक्त निविदा प्रक्रिया में बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु निविदा प्रक्रिया में कुछ शर्तें जोड़े जाने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उद्दभुत नहीं होता । **(ग)** उक्त निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी हेतु किसी विभागीय उच्च अधिकारियों की संलिप्तता उजागर नहीं हुई। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उद्दभुत नहीं होता ।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

बिलासपुर एयरपोर्ट उन्नयन संबंधी स्वीकृत कार्य व व्यय

[विमानन]

70. (क्र. 215) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला बिलासपुर स्थित बिलासाबाई केंवटीन एयरपोर्ट का उन्नयन किया जाना है ? यदि हां तो किस स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ? आर. सी. एस. योजना के तहत वर्ष 2022 से 16 जून, 2026 तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश "क" की प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य किए गए ? निर्माण एवं तकनीकी विकास में किए गए व्यय को पृथक – पृथक बतावें। कितने एवं कौन-कौन से कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** एयरपोर्ट से वर्तमान में कितनी एवं कहाँ-कहाँ की हवाई यात्रा सुविधा किस-किस वायुयान सेवा कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है ? उन्नयन पश्चात किन-किन शहरों हेतु वायुसेवा उपलब्ध हो सकेगी एवं इस हेतु किन-किन कंपनियों द्वारा सेवा प्रदान करने हेतु चर्चा की गई है ? कब तक देश के अन्य शहरों तक प्रतिदिन वायुसेवा उपलब्ध हो सकेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जिला बिलासपुर स्थित बिलासाबाई केंवटीन एयरपोर्ट में 3सी-आईएफआर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।आर.सी.एस. (उड़ान) योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 से 16 जून 2026 तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	वर्ष	केन्द्र से प्राप्त राशि (लाख में)
1	2022-23	81.00
2	2023-24	2176.23
3	2024-25	1065.16

(ख) प्रश्नांश ''क'' के अंतर्गत प्राप्त राशि से कराए गए कार्यों, निर्माण एवं तकनीकी विकास मद में किए गए व्यय, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों तथा अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति का वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ग)** वर्तमान में जिला बिलासपुर स्थित बिलासाबाई केंवटीन एयरपोर्ट से एलाइंस एयर द्वारा - बिलासपुर से अंबिकापुर, दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज में उड़ानों का संचालन किया जा रहा है।यह संचालन राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे VGF पर करवाया जा रहा है क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक(viable) नहीं है। VGF योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल राशि रू. 53.28 करोड़ का भुगतान किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी"]

जांजगीर-चाम्पा जिले में अनुरक्षण व मरम्मत मद से वार्षिक संधारण हेतु कार्यों की अद्यतन स्थिति

[जल संसाधन]

71. (क्र. 218) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग-जांजगीर, हसदेव कछार जल संसाधन संभाग-बिलासपुर, कार्यपालन अभियंता वि./या. लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग-संकरी (बिलासपुर) एवं हसदेव बॅराज संभाग-रामपुर (कोरबा) द्वारा जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अनुरक्षण व मरम्मत मद से कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत राशि से, किन-किन स्थानों पर, किन-किन फर्मों के माध्यम से कराए गए हैं? वर्षवार एवं विधानसभावार पृथक-पृथक संपूर्ण जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अवधी में कराए गए कार्यों में अनियमित्ता एवं भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई अथवा संज्ञान में आई है? यदि हां तो कृत कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) हसदेव नहर हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग-जांजगीर कार्यपालन अभियंता वि./यां. लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग सकरी (बिलासपुर) एवं हसदेव बरॉज संभाग-रामपुर (कोरबा) द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अनुरक्षण व मरम्मत मद में कराये गये कार्यों की लागत, स्थान, फर्म का वर्षवार एवं विधानसभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश-क अवधि में कराये गये कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार संबंधित कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आई है।

राज्य शासन की कुसुम योजना

[ऊर्जा]

72. (क्र. 223) श्री मोतीलाल साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में उर्जा विभाग अंतर्गत राज्य शासन के कुसुम योजना के ''अ'' एवं ''स'' श्रेणी अंतर्गत कितने एजेसियों को स्वीकृति मिली हैं? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत कितने प्लांट चालू हो गये हैं एवं कितने लंबित हैं? लंबित होने के संबंध में जानकारी देवें। **(ग)** छ0ग0 राज्य में कुसुम योजना अंतर्गत लीज एग्रीमेंट में डायवर्सन की बाध्यता होने से एजेसियों को हो रही व्यावहारिक दिक्कतों एवं अन्य राज्यों में डायवर्सन की बाध्यता नहीं होने के दृष्टिगत क्या राज्य शासन उक्त संबंध में विचार करेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में ऊर्जा विभाग अंतर्गत राज्य शासन के कुसुम योजना के ''अ'' एवं ''स'' श्रेणी अंतर्गत एजेंसियों को प्रदाय की गई स्वीकृति की जानकारी निम्नानुसार हैः-

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत तथा संपादित पावर परचेस अनुबंध
कुसुम योजना घटक A	2023-24	08
	2024-25	16

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत तथा संपादित पावर परचेस अनुबंध
कुसुम योजना घटक C (फिडर लेवल सोलराईजेशन)	2023-24	निरंक
	2024-25	निरंक

(ख) प्रश्नांक **(क)** में कुसुम घटक 'ए' एवं 'सी' अंतर्गत प्लांट चालू तथा लंबित होने के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	चालू संयंत्र	लंबित संयंत्र
2023-24	कुसुम योजना घटक A	03	05
	कुसुम योजना घटक C (फिडर लेवल सोलराईजेशन)	निरंक	निरंक

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	चालू संयंत्र	लंबित संयंत्र
2024-25	कुसुम योजना घटक A	08	08
	कुसुम योजना घटक C (फिडर लेवल सोलराईजेशन)	निरंक	निरंक

(ग) नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा योजना हेतु जारी दिशानिर्देश में भूमि प्रयोजन व्यपर्तन (डाइवर्सन) के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

बिजली दरों में की गई वृद्धि एवं स्मार्ट मीटरों की शिकायतें

[ऊर्जा]

73. (क्र. 226) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 16 जून, 2026 तक विभाग द्वारा घरेलू, व्यावसायिक एवं कृषि पंपों के बिजली दरों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि की गयी है? उक्त वर्षों में विभाग को विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में वर्षवार कुल कितनी-कितनी राशि की प्राप्ति हुई है? **(ख)** कण्डिका 'क' की अवधि में घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु लगाये गये स्मार्ट मीटरों में अत्यधिक खपत दिखाने, स्मार्ट मीटर के सही कार्य न करने के संबंध में विभाग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है एवं विभाग द्वारा इनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 16 जून, 2026 तक की अवधि में घरेलू, व्यवसायिक एवं कृषि पंपों के बिजली दरों में वृद्धि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में कैलेण्डर वर्ष 2024 में रू. 22,821.54 करोड़, वर्ष 2025 में रू. 26,652.58 करोड़ एवं वर्ष 2026 में (31.05.2026 तक) रू. 14,409.55 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। **(ख)** दिनांक 01 जनवरी 2024 से 16 जून 2026 की अवधि में घरेलू एवं गैर घरेलू (व्यवसायिक) उपयोग हेतु लगाये गये स्मार्ट मीटरों में अत्यधिक खपत दिखाने / सही कार्य नहीं करने के संबंध में विभाग को 16,801 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें से 16,567 शिकायतों में स्मार्ट मीटर की जांच किये जाने पर स्मार्ट मीटर सही पाए गए है। शेष 234 शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

सरगुजा एवं बस्तर संभाग में खनन किये जा रहे खनिज

[खनिज साधन]

74. (क्र. 227) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 16 जून, 2026 तक सरगुजा एवं बस्तर संभाग के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से खनिजों/धातु/अयस्कों का खनन किन-किन खनिकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें. **(ख)** कण्डिका 'क' के खनन क्षेत्रों में से पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र का कुल पृथक-पृथक रकबा कितना है? जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी ''**पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार**'' है। **(ख)** पहाड़ी क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत भूमि, शासकीय भूमि तथा वन भूमि समाहित होता है। मैदानी क्षेत्र में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र निजी/शासकीय भूमि में समाहित होता है। जिसकी जानकारी ''**पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार**'' है।

सारंगढ़ के तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारियों के विरूद्ध जांच पर कृत कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

75. (क्र. 232) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-फरवरी, 2024 में सारंगढ़ के तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा गोशवारा में श्रमिक सूची व बैंक सूची में भुगतान में प्रमाणक से कितनी राशि की भिन्नता पायी गयी थी ? शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर जाँच में उपमंडलाधिकारी सारंगढ़ द्वारा क्या जाँच प्रतिवेदन दिया गया? क्या जाँच प्रतिवेदन में उस समय के तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया था? जाँच प्रतिवेदन पर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : फरवरी, 2024 में गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ अंतर्गत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान से संबंधित अभिलेखों में अनियमितता की शिकायत जाँच में बैंक को प्रेषित भुगतान पत्रक (NEFT IIST) में श्रमिकों की सूची तथा वनमण्डलाधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा स्वीकृत प्रमाणकों में संलग्न श्रमिकों की सूची में राशि रूपये 1,0486,465/- (अक्षरी-एक करोड़, चार लाख, छियासी हजार, चार सौ पैंसठ रूपये) की भिन्नता पायी गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर उपवनमंडलाधिकारी सारंगढ़ द्वारा प्रमाणक अनुसार कार्यरत श्रमिक व बैंक को जारी सूची में भिन्नता होने संबंधी जांच प्रतिवेदन दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन में अनियमित भुगतान के लिये प्रथम दृष्टया जवाबदेह लोक सेवक श्री सुरेन्द्र कुमार अजय, वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी, गोमर्डा अभ्यारण्य, सारंगढ़ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख को प्रतिवेदन भेजा गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छ.ग. के आदेश दिनांक 24.06.2026 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार अजय, वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी, गोमर्डा अभ्यारण्य, सारंगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रांरभ कर दी गई है।

वनवृत्त कांकेर तथा जगदलपुर में तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विक्रय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

76. (क्र. 233) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन वृत्त कांकेर तथा वन वृत्त जगदलपुर अन्तर्गत संग्रहण सीजन 2024, 2025 तथा 2026 में ठेकोदारों द्वारा तथा विभागीय कितनी-कितनी मात्रा में तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ तथा कितना कितना भुगतान किया गया,

वनमंडलवार संग्राहकों की संख्या सहित बताएं? **(ख)** उक्त संग्रहित तेन्दूपत्ता में से विभागीय संग्रहण के तेन्दूपत्ता का विक्रय कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन दरों पर किया गया, लाटवार बताएं? इसमें से लागत मूल्य से कम पर विक्रय की दशा में हानि की राशि का विवरण बताएं? **(ग)** तेन्दूपत्ता के अतिरिक्त पारिश्रमिक (बोनस) का वितरण शेष हो ता उसका विवरण राशि सहित बताएं? कब तक वितरण कर दिया जाएगा? अतिरिक्त पारिश्रमिक की राशि का जो घोटाला हुआ था, वह कितने संग्राहको का तथा कितना था, क्या उस राशि का वितरण कर दिया गया है यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वन वृत्त कांकेर एवं वन वृत्त जगदलपुर अन्तर्गत संग्रहण सीजन 2024, 2025 तथा 2026 में ठेकेदारों द्वारा तथा विभागीय तेन्दूपत्ता संग्रहण की मात्रा, संग्राहक संख्या एवं भुगतान की **जानकारी जिला यूनियनवार पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।** वर्ष 2024 में तेन्दूपत्ता का कोई विभागीय संग्रहण नहीं किया गया था। वर्ष 2025 एवं 2026 में ठेकेदारों द्वारा कोई तेन्दूपत्ता का संग्रहण नहीं किया गया है। **(ख)** उक्त संग्रहित तेन्दूपत्ता मे से विभागीय संग्रहण के तेन्दूपत्ता का सीजन 2025 का लॉटवार विक्रित मात्रा एवं विक्रय एवं दरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।**वर्ष 2025 के विभागीय लॉटों के विक्रित मात्रा के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की राशि प्राप्त होना शेष रहने के कारण हानि का आकलन नहीं किया गया है। वर्ष 2026 में संग्रहित तेन्दूपत्ता का विक्रय हेतु माह जुलाई में ई-निविदा आमंत्रित की गई है।**(ग)** वनवृत्त कांकेर एवं जगदलपुर अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण सीजन 2024, 2025 तथा 2026 का तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का वितरण नहीं हुआ है। वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 का तेन्दूपत्ता का पूर्ण विक्रय उपरांत ही लाभ की गणना कर प्रोत्साहन राशि वितरण की कार्यवाही की जा सकेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

राजस्व विभागाधीन पंजीकृत, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

77. (क्र. 234) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजस्व विभाग के अधीन नामांकन/सीमांकन/बंटवारा/नवीनीकरण सहित अन्य राजस्व के प्रकरणों के निराकरण के लिये तय समयावधि के संबंध में कृपया जानकारी देंवें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' को परिपेक्ष्य में रखते हुये ही जिला बस्तर में वर्ष 2022-23 से दिनांक 20/06/2026 तक प्राप्त/पंजीकृत आवेदन, निराकृत आवेदन एवं लंबित आवेदनों के संबंध में बतावें ? **(ग)** प्रकरणों का समयावधि में निराकरण होने तथा इसका कड़ाई से पालन होने विभागीय कार्ययोजना एवं की जा रही कार्यवाही के संबंध में कृपया बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28.07.2025 के अनुसार राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई हैः-

प्रकरण का प्रकार	समय सीमा
बंटवारा अविवादित	45 कार्य दिवस
नामांतरण-अविवादित	30 कार्य दिवस
सीमांकन	30 कार्य दिवस
नजूल पट्टा नवीनीकरण	30 कार्य दिवस
नजूल पट्टा नामांतरण(अविवादित)	30 कार्य दिवस
नजूल पट्टा सीमांकन	30 कार्य दिवस
अविवादित/विवादित श्रेणी के मूल मामले	45 कार्य दिवस
बंदोबस्त त्रुटि सुधार	15 कार्य दिवस

धारा 59 के अधीन पुनर्निधारण	15 कार्य दिवस
धारा 172 के अधीन व्यपवर्तन	30 कार्य दिवस
संहित की धारा 165(7-क) के अधीन भूमि अंतरण की अनुज्ञा	45 कार्य दिवस
धारा 170 **(ख)** आदिम जनजाति के भूमि अंतरण की जांच	45 कार्य दिवस

(ख) जिला बस्तर अन्तर्गत 2022-23 से दिनांक 20.06.2026 तक प्राप्त/पंजीकृत आवेदन**,** निराकृत एवं लंबित राजस्व प्रकरणों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः-

राजस्व वर्ष	कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
2022-23	11879	11495	384
2023-24	11039	10696	343
2024-25	17840	17299	541
2025 से आज दिनांक तक	15084	12125	2922

(ग) राजस्व प्रकरणों के निर्धारित समयावधि में निराकरण के संबंध में राजस्व अधिकारियों के कार्यो की नियमित समीक्षा की जा रही है। राज्य शासन द्वारा भी नियमित समीक्षा के साथ राजस्व पखवाड़ा एवं शिविर आयोजित कर लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किया गया है।

खनिजों के अवैध भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन पर की गई कार्यवाही एवं राशि की वसूली

[खनिज साधन]

78. (क्र. 238) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिलें में वर्ष 2024-25 से दिनांक 20.06.2026 अवैध खनिज भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण प्रदान करें ? **(ख)**प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों की जब्ती की कार्यवाही विभाग के द्वारा की गई ? यदि हां, तो इन जब्त वाहनों से कितनी-कितनी समझौता राशी की वसूली की गई ? विवरण प्रदान करें ? **(ग)** अवैध खनिज परिवहन में एक से अधिक बार किसी वाहन के जब्त किये जाने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? **(घ)**प्रश्नांक 'क' अवधि में खनिजों के अवैध भण्डारण एवं उत्खनन की शिकायत मिलने पर कब-कब एवं किस-किस अधिकारी के द्वारा जांच की गई और उक्त जांच के अंतर्गत क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण प्रदान करें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रायपुर जिले में प्रश्नाकिंत अवधि में अवैध भण्डारण / उत्खनन / परिवहन की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख)** जी हां। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स'** अनुसार है। **(ग)** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (2) के तहत् उल्लंघन के चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे उल्लंघन के लिए प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, पचास हजार रूपए तक दंडनीय किया जाना प्रावधानित है। **(घ)** प्रश्नांक 'क' अवधि में खनिजों के अवैध भण्डारण एवं उत्खनन की शिकायत मिलने पर अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - 'द' अनुसार** है ।

रायपुर एवं महासमुंद जिले में संचालित रेत खदान एवं इनसे प्राप्त रायल्टी/राजस्व

[खनिज साधन]

79. (क्र. 239) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 अंतर्गत रायपुर एवं महासमुंद जिले अंतर्गत किन-किन स्थानों पर किन संस्थानों/व्यक्तियों को कितनी-कितनी मात्रा में रेत खनन हेतु खदान संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी?विवरण प्रदान करें? **(ख)**

प्रश्नांक 'क' अनुसार इन खदानों से शासन को कितनी रायल्टी/राजस्व की प्राप्ती हुई? वर्षवार विवरण प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या उत्खनित रेत की मात्रा और प्राप्त रायल्टी की जांच/मिलान किये जाने की कोई व्यवस्था है? यदि हां तो क्या और कब-कब और किन स्थानों पर इसकी जांच की गई? **(घ)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या तय सीमा से अधिक खनन अथवा अवैध खनन/परिवहन की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम नम्बर 7 से 15 अनुसार** है। **(ग)** रेत में खनिज उत्पादन मात्रा पर रायल्टी देय नहीं होती है। रेत खनिज प्रेषण पर रायल्टी एवं अन्य कर अग्रिम जमा कराये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्नांश उद्भुत नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र की सीमा से अधिक खनन पर जिला महासमुंद अंतर्गत प्राप्त शिकायत की संख्या निरंक है। जिला रायपुर अंतर्गत 01 शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही किया जाकर राशि 3 लाख 86 हजार रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जिला महासमुंद अंतर्गत 03 शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही किया जाकर 8 लाख 87 हजार 500 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है। जिला रायपुर अंतर्गत 15 शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही किया जाकर राशि 72 लाख 32 हजार 50 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

सुशासन तिहार में प्राप्त शिकायतें एवं उनकी अद्यतन स्थिति

[सुशासन एवं अभिसरण]

80. (क्र. 246) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सुशासन तिहार 01 मई से 10 जून 2026 तक माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रियों के क्षेत्र भ्रमण एवं कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया थी? **(ख)** सुशासन तिहार 2026 में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? तिथिवार, विभागवार प्राप्त शिकायतों की जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के अनुसार प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया? कितनी शेष है तथा क्यों ? शेष शिकायतें लोक सेवा गारंटी कानून के तहत कितने दिनों में निराकृत कर दी जाएंगी ? विभागवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : प्रश्नांश**(क)**,**(ख)** एवं**(ग)** की **जानकारी संकलित की जा रही है।**

भारतमाला परियोजना अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितता पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

81. (क्र. 248) श्रीमती गोमती साय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जशपुर जिला में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत आने वाले किन किन ग्रामों में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है? **(ख)** क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रभावित अनेक ग्रामों में राजस्व अभिलेख में कूटचालित हेरफेर कर मुआवजा वितरण में वित्तीय अपवंचन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? किन- किन स्थानों पर क्या क्या अनियमितता पाई गई, विवरण देवें? **(ग)** उक्त अनियमितता किये जाने वाले दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है, विवरण देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जशपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। उक्त ग्रामों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,

1956 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया तथा मुआवजा की गणना "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)**प्रश्नांश ख के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी"]

राजस्व पखवाड़ा शिविरों में प्राप्त, निराकृत व लंबित आवेदन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

82. (क्र. 249) श्रीमती गोमती साय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल, मई एवं जून माह में आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविरों के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में किन-किन ग्राम पंचायतों/स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए? **(ख)** प्रत्येक शिविर में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या, निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है? **(ग)** लंबित आवेदनों का प्रकरणवार विवरण क्या है तथा उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** सभी लंबित प्रकरणों के निराकरण की निर्धारित समय-सीमा क्या है तथा उन्हें कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है? **(ङ)** उपरोक्त जानकारी तहसीलवार उपलब्ध कराई जाए।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल, मई एवं जून माह में आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविरों के अन्तर्गत **पत्थलगांव** विधानसभा क्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम पंचायतों में राजस्व पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया:- **पत्थलगांव तहसील अंतर्गतः-** सुसडेगा, ईला, जोराडोल, पत्थलगांव, गाला, शिवपुर, बिलडेगी, सुरेशपुर, कुनकुरी, तिलडेगा, बंदियाखार, डुडूंगजोर, बुढ़ाडांड़, मुड़ेकेला, केराकछार, झक्कड़पुर, दीवानपुर, गोढ़ीकला, करमीटिकरा, शेखरपुर, किलकिला, बटुराकछार, पालीडीह, पतरापाली, कुमेकेला, मक्कापुर, बहनाटांगर, मदनपुर, इंजको, मिर्जापुर, खरकट्टा, कुड़केलखरी, कोड़ेकेला, घरजियाबथान, सूरजगढ, नारायणपुर, जामजुनवानी, खारढोढी, पण्डरीपानी, टुकुपखना, पंगसुवा, मौहादरहा, सिलीपखना, चंदागढ़, रघुनाथपुर, कटंगजोर, चंदरपुर, रैरूमाकला, बालाझार, बटुराबहार, हीरापुर, कछार, चौराआमा, तमता, तुरुवाआमा, लुड़ेग, तिरसोंठ, पाकरगांव, कुड़केलखजरी, मुड़ापारा। **तहसील बागबहार अंतर्गतः-** बनगांव बी, जमरगी बी, बागबहार, रेडे, चिकनीपानी, कोकियाखार, डूमरबहार, तरेकेला, गोढी बी, सराईटोला, कुकरीचोली, खुंटापानी, पेमला, कुकुरभुका, मयुरनाचा, सुरंगपानी, बुलडेगा, राजाआमा, लोकेर, जामझोर, कर्राबेवरा, पतराटोली, मधुबन, फरसाटोली, बनगांव के, महेशपुर, मुडाबहला, कुकरगांव, छातासराई, खाडामाचा, पीठाआमा, रोकबहार, बधनपुर, झिमकी, काडरो, खजरीढाप, बिरीमडेगा। **तहसील कांसाबेल अंतर्गतः-** नकबार, साजापानी, बटईकेला, खुटेरा, चिडोरा, कुसुमताल, कांसाबेल, लमडाड़, पोंगरो, बरजोर, फरसाजुडवाईन, टांरगगांव, हथगड़ा, सेमरकछार, कोटानपानी, शब्दमुण्डा, तिलंगा, पतरापाली, नक्टीमुण्डा, पुसरा, नरियरडाड़, चेटबा, खुटीटोली, सिहारबुड़, सागीभावना, डांडपानी, खारपानी, जुमईकेला, कोडलिया, छेराघोघरा, केनाडाडद्व, सूजीबहार, बगिया, दुढरूडाड़, बांसबहार, चोंगरीबहार, कोरंगा, कटंगखार, दोकड़ा, देवरी।**तहसील बगीचा अंतर्गतः-** गुडलू, बासेन, कुरोंग, घुघरी, बोड़ापहरी, महुवाडीह, रेगोला, घोघर, सरईपानी, ढोढरअम्बा, मरोल, समदुरा। **(ख)** शिविरों में कुल 1079 आवेदन प्राप्त हुआ है। जिनमें से 929 आवेदनों को निराकृत किया जा चुका है एवं कुल 150 आवेदन निराकरण हेतु शेष है। प्रत्येक शिविर में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या, निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** लंबित आवेदनों का शीर्षवार विवरणः-

प्रकरण शीर्ष	लंबित
नामांतरण	71
बंटवारा	14
धारा 115 अंतर्गत त्रुटि सुधार	13
नक्शा त्रुटि सुधार	34
अन्य	18
योग	150

लंबित आवेदन विवादित श्रेणी के होने के कारण प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जा रही है। जिसका नियमानुसार शीघ्र किया जावेगा। **(घ)** लंबित प्रकरणों में मदवार निराकरण की निर्धारित समय-सीमा निम्नानुसार है- अविवादित नामांतरण -30 कार्य दिवस,विवादित नामांतरण -45 कार्य दिवस, बटवारा -45 कार्य दिवस,धारा 115 त्रुटी सुधार -45 कार्य दिवस, नक्शात्रुटी सुधार - 45 कार्य दिवस ।लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जावेगा । (ड.) तहसील पत्थलगांव में कुल प्राप्त आवेदन 763, निराकृत आवेदन 613 एवं 150 निराकरण हेतु शेष है। तहसील बगीचा में कुल प्राप्त आवेदन 139, निराकृत आवेदन 139 एवं लंबित निरंक है। तहसील कांसाबेल में कुल प्राप्त आवेदन 54, निराकृत आवेदन 54 एवं लंबित निरंक है। तहसील बागबहार में कुल प्राप्त आवेदन 123, निराकृत आवेदन 123 एवं लंबित निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

परिवहन विभाग द्वारा ई-चालान के नियमों की जानकारी

[परिवहन]

83. (क्र. 252) श्री इंद्र साव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** परिवहन विभाग द्वारा ई-चालान के अंतर्गत किस-किस नियम के तहत दोपहिया वाहन एवं चारपहिया वाहन एवं चालकों के ऊपर यातायात नियमों के उल्लघंन करने पर विगत 02 वर्षों में कितना ई-चालान शुल्क जारी किया गया है, जानकारी दें ? **(ख)** ई-चालान के माध्यम से दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चालकों से प्रश्नांश **(क)** अवधि में कितना शुल्क विभाग को प्राप्त हुआ है ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत नियम विरूद्ध ई-चालान भेजने तथा मनमाने तरीके से ई-चालान शुल्क भेजने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् दोपहिया वाहन एवं चारपहिया वाहन एवं चालकों के ऊपर यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर विगत 02 वर्ष (वर्ष 2024 एवं 2025) में अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के तहत् कुल रूपये 30,46,78,364/- ई-चालान शुल्क जारी किया गया है। **(ख)** परिवहन विभाग द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों से ई-चालान के माध्यम से प्रश्नांश ''क'' की अवधि अर्थात् विगत दो वर्ष (2024 एवं 2025) में रूपये 3,58,66,464/- शुल्क प्राप्त हुआ है। **(ग)** परिवहन विभाग द्वारा नियम विरूद्ध ई-चालान भेजने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जानकारी निरंक है। अवश्य ही तकनीकी कारणों से जारी हुए ई-चालान की जॉच कर यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उन्हें निरस्त किया जाता है, उक्त संबंध में विगत 02 वर्षों में कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 34 आवेदन निराकृत किये जा चुके हैं तथा शेष 16 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

विधानसभा केशकाल क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत बायपास

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

84. (क्र. 255) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** केशकाल बायपास मे सैंकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई का क्या कारण है? **(ख)**इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** कार्रवाई नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही की जाएगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) केशकाल बायपास निर्माण में वन विभाग एवं आवेदक विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा शासन से स्वीकृत डीजीपीएस सर्वे अलाइनमेंट का स्थल पर समुचित सत्यापन (मिलान) नहीं किए जाने के कारण स्वीकृत अलाइनमेंट के विपरीत गलत अलाइनमेंट पर कुल 8,159 वृक्षों की त्रुटिपूर्ण कटाई हुई।**(ख)** प्रकरण में वन विभाग के 13 अधिकारी/कर्मचारी प्रारंभिक रूप से उत्तरदायी पाए गए। वन विभाग के 3 उपवन क्षेत्रपाल एवं 1 वनपाल को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है तथा शेष 9 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वन मुख्यालय में प्रक्रियाधीन है। आवेदक विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लोक निर्माण विभाग) की भी जवाबदेही दृष्टिगत हुई है, जिसकी कार्यवाही उनके स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।**(ग)** उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तथा प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित क्रेशर खदानों एवं ईंट/चिमनी भट्ठे

[खनिज साधन]

85. (क्र. 257) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी स्टोन क्रेशर खदाने संचालित हैं? उक्त क्रेशर संचालकों को विभाग द्वारा कब से कब तक की अवधि के लिए तथा कितनी मात्रा घन मीटर में उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है? जनवरी 2024 से दिनांक 20.06.2026 तक इन क्रेशरों द्वारा कुल कितने घन मीटर खनिज का उत्खनन किया जा चुका है? वर्षवार एवं क्रेशरवार विवरण देवें। **(ख)** क्या उक्त क्रेशर खदानों को खनिज के भंडारण की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो किस-किस क्रेशर को कितने-कितने घन मीटर खनिज भंडारण की वैधानिक स्वीकृति है? क्रेशर संचालन, उत्खनन एवं भंडारण हेतु निर्धारित संपूर्ण वैधानिक मापदंडों व नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या क्षेत्र में बिना अनुमति व पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर संचालित अवैध क्रेशरों पर स्थानीय अथवा जिला प्रशासन द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें? **(घ)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने ईंट भट्ठे तथा चिमनी भट्ठे संचालित हैं? इनमें से कितने संचालकों को खनिज विभाग द्वारा लीज आबंटित की गयी है तथा कितने संचालकों के पास छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) का अनापत्ति प्रमाण पत्र व सहमति पत्र उपलब्ध है? संचालकवार सूची देवें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल 11 क्रेशर खदाने संचालित है। शेष जानकारी ''**संलग्न प्रपत्र-अ अनुसा**र'' है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के प्रपत्र-अ में दर्शित उत्खननपट्टा जहां पट्टा क्षेत्र के भीतर क्रेशर स्थापित है, वहां खनिज भण्डारण हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** जानकारी निरंक। **(घ)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 06 ईंट (चिमनी भट्टे) संचालित हैं। जानकारी ''**संलग्न प्रपत्र-ब अनुसा**र'' है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग, भू-आवंटन एवं नियमों के उल्लंघन पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

86. (क्र. 258) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में किन-किन स्थानों/खसरों पर निजी भूमिस्वामियों अथवा कॉलोनाइजरों द्वारा प्लाटिंग की जा रही है? क्या इन सभी को नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) एवं छत्तीसगढ़ स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) द्वारा वैधानिक अनुमति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो स्वीकृत ले-आउट और खसरा नंबर सहित स्थानवार विवरण देवें। कृषि योग्य भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर की जा रही प्लाटिंग के संबंध में पंचायत एवं नगरीय निकायों में डायवर्शन (व्यपवर्तन) के क्या नियम हैं? नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिना आवश्यक अनुमतियों T&CP, रेरा, डायवर्शन व विकास अनुमति के अवैध प्लाटिंग की जा रही है? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में प्रशासन द्वारा ऐसे कितने अवैध कॉलोनाइजरों अथवा भू-स्वामियों के विरुद्ध जांच, जब्ती, एफ.आई.आर. या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है? विवरण दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला जांजगीर चांपा के विधानसभा पामगढ अंतर्गत वर्तमान में निजी भूमिस्वामियों अथवा कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध प्लाटिंग की जानकारी निरंक है। विधानसभा पामगढ अंतर्गत छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता (व्यपवर्तित भूमि के लिए भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम, 2025 के अंतर्गत भूमि पुनर्निधारण/ व्यपवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। कृषि योग्य भूमि के छोटे छोटे टुकडों में विभाजित कर की जा रही प्लाटिंग की रोकथाम एवं पंचायत एवं नगरीय निकायों में डायवर्सन (व्यपवर्तन) के संबंध में निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** पामगढ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, रेरा तथा बिना डायवर्सन व विकास अनुमति के अवैध प्लाटिंग की जानकारी निरंक है।

पीएम सूर्यघर योजना के संबंध में अद्यतन स्थिति

[ऊर्जा]

87. (क्र. 259) श्री किरण देव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कुल कितने विद्युत उपभोक्ता हैं, श्रेणीवार पृथक-पृथक बतावें। **(ख)** प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तथा पीएम कुसूम योजना अंतर्गत 20.06.2026 तक कुल कितने-कितने हितग्राहियों द्वारा सोलर प्लांट लगाये गये हैं तथा कितने का लक्ष्य निर्धारित था ? हितग्राहियों को सब्सिडी की कितनी कितनी राशि राज्यांश एवं केन्द्रांश के रूप में दी जा चुकी है ? विवरण जिलेवार बतावें। **(ग)** सोलर प्लांट लगाने हेतु वेंडरों द्वारा प्रति किलोवाट दर निर्धारण का क्या मापदंड है ? माह जनवरी से प्रश्नांकित अवधि तक कितनी-कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हुआ? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत निर्मित आवास गृहों में भी सोलर प्लांट राज्य शासन के व्यय पर लगाये जाने की योजना है? **(घ)** वर्ष 2047 तक प्रदेश में कितने उपभोक्ताओं के सोलर प्लांट लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के कुल 66 लाख 69 हजार 510 उपभोक्ता है। श्रेणीवार उपभोक्ताओं की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3
1	बी.पी.एल.	14,42,954
2	घरेलू	37,73,007
3	गैर घरेलू	4,76,485

4	औद्योगिक	42,450
5	कृषि	8,71,313
6	सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग	17
7	रेल्वे	28
8	सड़क बत्ती	10,948
9	वाटरवर्क्स	52,308
	योग	**66,69,510**

(ख) पी.एम. सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना एवं कुसुम योजना अंतर्गत स्थापित संयंत्रों एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	योजना का नाम	स्थापित संयंत्र	स्थापित क्षमता	निर्धारित लक्ष्य
1	पी.एम. सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना	69552	253.77 मेगावाट	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 1 लाख 30 हजार संयंत्र है, राज्य शासन द्वारा अधिकाधिक घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने के उद्देश्य से लक्ष्य 5 लाख निर्धारित रखा गया है।
2	पीएम कुसुम योजना A	11	11 मेगावाट	366 मेगावाट
3	पीएम कुसुम योजना B	निरंक	निरंक	एम.एन.आर.ई. के द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
4	पीएम कुसुम योजना C	622 पंप	1.5 मेगावाट	एम.एन.आर.ई. के द्वारा 10523 कृषि पंपों को सोलराइजेशन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पी.एम. सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना एवं कुसुम योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश सब्सिडी की जानकारी निम्नानुसार है-

स.क्र.	योजना का नाम	सब्सिडी राज्यांश	सब्सिडी केन्द्रांश
1	पी.एम. सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना	141.59 करोड़	431.53 करोड़
2	पीएम कुसुम योजना A	सब्सिडी का प्रावधान नहीं है	
3	पीएम कुसुम योजना B	एम.एन.आर.ई. के द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नही होने से संयंत्र स्थापित नही किये गये है अतः सब्सिडी भी विमुक्त नही की गई है।	
4	पीएम कुसुम योजना C	सब्सिडी का प्रावधान नहीं है	निरंक

पी.एम. सूर्य घर योजना के तहत हितग्राहियों को प्राप्त सब्सिडी की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है**।

(ग) नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार के द्वारा योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्रों की बेंचमार्क लागत निम्नानुसार निर्धारित हैः

* 2 किलोवाट तक की क्षमता के लिएः ₹50,000 प्रति किलोवाट।
* 2 किलोवाट से अधिक की अतिरिक्त क्षमता के लिएः ₹45,000 प्रति किलोवाट।

राज्य शासन द्वारा वेंडरों हेतु अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि यह योजना केंद्र प्रवर्तित है और इसमें एम.एन.आर.ई. द्वारा निर्धारित बैंचमार्क दरों का ही पालन किया जाता है। उपभोक्ता 'नेशनल पोर्टल' पर पंजीकृत वेंडर का चयन करने और आपसी सहमति से दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रदेश में स्थापित सोलर प्लांटो से माह जनवरी 2026 से मई 2026 तक क्रमशः 102.28 लाख यूनिट, 125.63 लाख यूनिट, 169.52 लाख यूनिट, 209.30 लाख यूनिट एवं 220.10 लाख यूनिट इस प्रकार कुल 826.83 लाख

यूनिट का उत्पादन हुआ।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत निर्मित आवास गृहों में सोलर प्लांट यूटिलीटी लीड एग्रीगेटर मॉडल के अंतर्गत लगाये जाना प्रस्तावित है जिसकी केन्द्र शासन से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चूकी है।**(घ)** वर्तमान में वर्ष 2027 तक प्रदेश में कुल 5 लाख उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लांट लगाया जाने का लक्ष्य राज्य शासन के द्वारा तय किया गया है। वर्ष 2047 तक का कोई भी पृथक लक्ष्य वर्तमान मे प्राप्त नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

88. (क्र. 260) श्री किरण देव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विधानसभा के मानसून सत्र 2025 में प्रश्न क्र. 910 के उत्तर में शासन द्वारा अवगत कराया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 24.09.2013 की कंडिका 2.1(5) (ट) के अनुसार जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो, वहां ग्राम सभा के संकल्प तथा परिपत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद की उद्घोषणा के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। **(ख)** यदि हां, तो अविभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनकी संतानों के ऐसे प्रकरणों में जहां जाति संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनसे ग्राम सभा अथवा नगरीय निकाय का संकल्प/उद्घोषणा किस स्थान से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है - वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य से अथवा परिवार के मूल पैतृक निवास क्षेत्र से जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है ? **(ग)** क्या इस संबंध में शासन द्वारा समस्त कलेक्टरों एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों हेतु कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। **(घ)** यदि नहीं तो क्या शासन द्वारा उक्त विषय में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कलेक्टरों एवं सक्षम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे ? यदि हां तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हॉ। **(ख)** अविभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनकी संतानों के जाति संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न होने पर, उनसे ग्राम सभा अथवा नगरीय निकाय का संकल्प/उद्घोषणा के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है, तथापि अविभाजित मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य आबंटित शासकीय सेवकों, उनकी संतानों एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे प्रकरणों में जहां जाति संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो उन्हे अपने पूवर्जो के मूल पैतृक निवास क्षेत्र से ग्राम सभा/नगरीय निकाय का संकल्प/उद्घोषणा प्राप्त किया जाना होगा।**(ग)** इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.09.2013, एफ 13-10/2019/आ.प्र./1-3 दिनांक 17.09.2019 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13-02/2021/आ.प्र./1-3 दिनांक 19.07.2021 जारी किया गया है, जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।**घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ऑनलाइन भूमि डायवर्सन (भू-उपयोग परिवर्तन) प्रक्रिया में लंबित आवेदन एवं तकनीकी समस्याएं

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

89. (क्र. 261) श्री ओंकार साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2026 से वर्तमान तक राज्य में ऑनलाइन भूमि डायवर्सन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत, निरस्त एवं लंबित हैं? जिलेवार एवं तहसीलवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि ऑनलाइन प्रणाली लागू

होने के पश्चात् अनेक आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं हो सका तथा कई तहसीलों में डायवर्सन प्रकरण लंबित हैं? यदि हाँ, तो कारण एवं तकनीकी समस्याओं का विवरण दें ? **(ग)** लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं ऑनलाइन प्रणाली में सुधार हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा सभी लंबित आवेदनों के निराकरण की निर्धारित समय-सीमा क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) 01 जनवरी, 2026 से वर्तमान तक राज्य में ऑनलाइन भूमि डायवर्सन हेतु 7107-आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें 4859 आवेदन स्वीकृत, 234 आवेदन निरस्त तथा 2037 आवेदन लंबित है । जिलेवार एवं तहसीलवार विवरण पत्र **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है । **(ख)** ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के पश्चात् सभी प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक जाँच उपरांत लंबित प्रकरणों में गुण दोष के आधार पर समय सीमा में निराकरण कराया जा रहा है । **(ग)** लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण हेतु तकनीकी समस्याओं का एन.आई.सी. के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराया जा रहा है । सभी आवेदनों के निराकरण की निर्धारित समय-सीमा 15 दिवस है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

गंगरेल बांध प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं लंबित भूमि का आवंटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

90. (क्र. 262) श्री ओंकार साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गंगरेल बांध परियोजना से कुल कितने परिवार प्रभावित हुए तथा उनमें से कितने परिवारों को अब तक भूमि आवंटित की गई है? विवरण दें। **(ख)** वर्तमान में कितने पात्र प्रभावित परिवार भूमि आवंटन से वंचित हैं तथा उनके प्रकरण लंबित रहने के कारण क्या हैं? **(ग)** शेष पात्र परिवारों को भूमि आवंटन एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इसकी समय-सीमा क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) गंगरेल बांध परियोजना में वर्ष 1972 में 55 ग्रामों की भूमि अधिग्रहित होने से 5347 परिवार विस्थापित हुए थे। प्रभावित 260 विस्थापित परिवारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें से 100 विस्थापितों को मध्यप्रदेश शासन के अधिसूचना क्रमांक 449-506-सात-दो-76 भोपाल दिनांक 24-01-1976 द्वारा जारी आदेश के तहत् भूमि आबंटित की गई है। इसी प्रकार 70 विस्थापितों को वर्ष 2004-05 से 2009-10 के बीच अलग-अलग वर्षों में कुल 276 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। **(ख)** वर्तमान में प्रकरण क्रमांक 202403131600008 अ-74 वर्ष 2023-24 एवं प्रकरण क्रमांक 202406131600015 अ-74 वर्ष-2023-24 न्यायालय नायब तहसीलदार ग्रामीण-01 धमतरी में विचाराधीन है, जिसमें 152 व्यक्तियों के द्वारा भूमि आबंटन के आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। **(ग)** प्रश्नांश ख के उत्तर अनुसार शेष विस्थापितों से प्राप्त आवेदनों की जांच की कार्यवाही की जा रही है। इसकी न्यायालयीन प्रक्रिया पर समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, अपितु दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत त्वरित कार्यवाही की जावेगी।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में बाधा की प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[ऊर्जा]

91. (क्र. 263) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगरीय क्षत्रों में प्रतिदिन औसतन कितने घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? **(ख)** बार-बार बिजली गुल होने के प्रमुख कारण क्या हैं ? **(ग)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर पोल एवं विद्युत लाईनें जर्जर अवस्था में हैं ? **(घ)** इनके सुधार एवं प्रतिस्थापन हेतु कब तक कार्यवाही की

जाएगी? **(ड)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत एक वर्ष में बिजली बिल से संबंधित कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं ? इन शिकायतों के निराकरण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सामान्य तौर पर विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं रहती है तथापि जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों से निर्गमित 11 के व्ही फीडरों में 01.04.2025 से 31.05.2026 तक की स्थिति में विभिन्न कारणों से औसतन प्रतिदिन 18 मिनट विद्युत आपूर्ति बाधित रही है। **(ख)** सामान्य दिनों में बार-बार बिजली गुल होने की स्थिति नहीं है। आंधी तूफान एवं बारिश के दौरान विद्युत लाईनों में फ्लैक्स उड़कर आने, पेड़ों के टहनियों के टूटकर गिरने, लाईटनिंग के कारण,इंसूलेटरखराब होने के कारण बिजली गुल होने की स्थिति निर्मित होती है। **(ग)** वर्तमान में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर, पोल एवं विद्युत लाईन जर्जर स्थिति में नहीं है। **(घ)**ट्रांसफार्मरके खराब होने तथा पोल एवं विद्युत लाईनों के टूटने की स्थिति में यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर त्वरित रूप से निराकरण कर दिया जाता है। **(ड)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत एक वर्ष में बिजली बिल से संबंधित 1249 शिकायतें प्राप्त हुई जो सभी निराकृत की जा चुकी है। उपभोक्ता द्वारा बिल संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु बिल की अप्राप्ति की शिकायत के लिए 3 दिवस, बिल भुगतान हेतु पर्याप्त समय नहीं मिलने पर अंतिम तारीख से 2 दिवस की समय वृद्धि एवं बिलिग संबंधी शिकायत के निराकरण हेतु समय-सीमा नगरीय क्षेत्रों में 7 दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिवस निर्धारित है।

जिला गरियाबंद वन विभाग में स्वीकृत कार्य व व्यय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

92. (क्र. 267) श्री रोहित साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में पिछले 3 वर्षों में वन भूमि अतिक्रमण का वर्षवार विवरण दें ? कितनी वन भूमि अतिक्रमणमुक्त कराई गई ? कितने लंबित हैं? रिजर्व वन सुरक्षा हेतु स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त कर्मचारियों की संख्या की जानकारी दें ? **(ख)** पिछले 3 वर्षों में CAMPA, Project Tiger मद से कितनी राशि प्राप्त व व्यय हुई ? उदंती-सीतानदी में बाघ, जंगली भैंसा, तेंदुआ एवं अन्य प्रमुख वन्यजीवों की वर्तमान अनुमानित संख्या क्या है? पिछले 05 वर्षों की तुलना में इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? **(ग)** क्या यह सत्य है कि रिजर्व में शिकार प्रजातियों (Prey Base) की कमी पाई गई है? यदि हाँ, तो उसे बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? उदंती-सीतानदी से जुड़े वन्यजीव कॉरिडोर के संरक्षण के क्या कार्य किए गए हैं? वन्यजीवों के लिए जल प्रबंधन हेतु कितने जलाशय, झिरिया एवं सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, कितना व्यय हुआ है? **(घ)** रिजर्व क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में कितनी वनाग्नि की घटनाएं हुईं, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ? दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई? रिजर्व क्षेत्र में ग्रामों के पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम तथा प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण की स्थिति क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद में विगत 03 वर्षों में वन भूमि अतिक्रमण, मुक्त कराई गई वन भूमि तथा लंबित अतिक्रमण का वर्षवार **विवरण संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है** । उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद में 196 स्वीकृत कर्मचारियों के विरूद्ध 138 कर्मचारी कार्यरत् है तथा 58 कर्मचारियों के पद रिक्त है। **(ख)** विगत 03 वर्षों में उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद में कैम्पा, प्रोजेक्ट टायगर मद से प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है ।** उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद अंतर्गत वर्तमान में 01 बाघिन एवं 01 वनभैंसा की उपस्थिति दर्ज की गई है। अन्य प्रमुख वन्यजीवों की वर्तमान संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथापि ट्रैप कैमरा डाटा में अन्य प्रमुख वन्यजीव जैसे-तेन्दुआ, जंगली बिल्ली, लकड़बघ्घा, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, भालू, उदबिलाव, गौर, सांभर, चीतल, चौसिंगा, नीलगाय, बार्किंग डियर, जंगली सुअर, खरगोष, साही, सालखपरी, उड़न गिलहरी,

गिलहरी, नेवला, लंगूर, ट्राइकारिनेट कछुवा, हार्नबिल आदि की उपस्थिति दर्ज हुई है। विगत 05 वर्षों की तुलना में संरक्षण एवं प्रबंधन गतिविधियों के परिणामस्वरूप टायगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की संख्या तथा उनकी उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की गई है। **(ग)** यह सत्य नहीं है कि उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व में शिकार प्रजातियों (Prey Base) में कमी पाई गई है तथापि शिकार प्रजातियों (Prey Base) में वृद्धि हेतु क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा रहा है। वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास हेतु चारागाह निर्माण कार्य, पेयजल व्यवस्था हेतु तालाब, झिरिया निर्माण किये गये है एवं सोलर पंप स्थापित किया गया है। वन्यप्राणियों के जल प्रबंधन हेतु 06 जलाशय, 623 झिरियां एवं 18 सोलर पंप स्थापित किया गये है, जिनपर कुल 96.971 लाख रूपये व्यय हुआ है। **(घ)** उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व में विगत 03 वर्षों में वन अग्नि की 904 घटनाएं हुई है जिनमें 1473.140 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 10 वन अग्नि के प्रकरणों में 10 दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। टायगर रिजर्व अंतर्गत ग्रामों का पुर्नवास नहीं हुआ है। उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत हाथी विचरण या हिंसक वन्यप्राणी की सूचना तत्काल पहुंचाने हेतु Elephant Tracking and Alert System मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसके उपयोग से तत्काल हाथी प्रभावित आबादी ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों को AI आधारित कॉल एवं SMS भेज कर लोगों को अलर्ट/सचेत किया जा रहा है । वन्यप्राणी ट्रैकर तथा हाथी मित्र दलों के कर्मचारी हाथियों के विचरण का पता कर हाथियों का लोकेशन मोबाईल के माध्यम से अपलोड करते है। लोकेशन अपलोड होने के उपरांत कुछ ही मिनट में संबंधित हाथी से 10-15 किमी की दूरी में स्थित ग्राम पटेल, ग्राम प्रमुख, कोटवार, ग्राम पंचायत सचिव को वॉईस कॉल तथा SMS के माध्यम से हाथी विचरण का अलर्ट चला जाता है, जिससे ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित कर लेते है। उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणियों द्वारा किये गये हानि के प्रकरणों में प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण की स्थिति की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-स" में दर्शित है ।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी"]

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 85) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में राजस्व ग्रामों के सर्वेक्षण की जानकारी

स.क.	जिला	जिले में कुल ग्रामों की संख्या	सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या	असर्वेक्षित ग्रामों की संख्या	सर्वेक्षण हेतु प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	सर्वेक्षण अप्रारम्भ ग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	545	545	0	0	0
2	बलोदाबाजार	738	696	42	42	0
3	गरियाबंद	713	712	1	0	1
4	महासमुन्द	1153	1153	0	0	0
5	धमतरी	643	606	37	36	1
6	दुर्ग	448	447	1	1	0
7	बालोद	704	687	17	4	13
8	राजनांदगांव	694	694	0	0	0
9	खैरागढ़	494	487	7	7	0
10	कबीरधाम	1011	1011	0	0	0
11	बेमेतरा	708	701	7	6	1
12	मोहला–मानपुर– अं. चौकी	499	499	0	0	0
13	बस्तर	604	601	3	2	1
14	कोण्डागांव	583	562	21	19	2
15	कांकेर	1005	1005	0	0	0
16	सुकमा	393	282	111	30	81
17	बीजापुर	699	604	95	3	92
18	दन्तेवाड़ा	234	233	1	0	1
19	नारायणपुर	419	179	240	59	181
20	बिलासपुर	708	708	0	0	0
21	जांजगीर–चांपा	450	450	0	0	0
22	कोरबा	792	692	100	100	0
23	मुंगेली	711	679	32	32	0
24	रायगढ़	949	942	7	7	0
25	गौरेला–पेन्डरा– मरवारी	225	225	0	0	0
26	सारंगढ़–बिलाईगढ़	759	755	4	4	0
27	सक्ती	465	465	0	0	0
28	सरगुजा	582	580	2	2	0
29	जशपुर	766	761	5	5	0
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	376	372	4	4	0
31	कोरिया	286	280	6	6	0
32	सूरजपुर	552	552	0	0	0
33	बलरामपुर	643	640	3	2	1
Total		20551	19805	746	371	375

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - दो

-: प्रपत्र :-

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 224) की जानकारी

जिला बालोद –अतिक्रमण प्रकरण की सूची, जिसमें बेदखली आदेश जारी किया गया एवं वाद भूमि अतिक्रमण मुक्त किया गया।

क्र.	अतिक्रमणकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	रोहित कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
2	हरिश कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
3	जीवन पता-साकिन पलारी, तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
4	किशन लाल पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
5	सुरेन्द्र पता-साकिन पलारी, तहसील गुयर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
6	देवनारायण पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
7	योगेन्द्र कुमार पता-साकिन पलारी, तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
8	गजेन्द्र पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
9	रामभाऊ पता-निवासी ग्राम कोचेरा तहसील गुरूर जिला बालोद छ.ग.	कोचेरा	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
10	पुनबाई पता-साकिन गुरूर तहसील गुरूर जिला बालोद	गुरूर	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
11	नंदाराम पता-साकिन गुरूर तहसील गुरूर जिला बालोद	गुरूर	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
12	प्रेमलाल पता-ग्राम पलारी , तहसील गुरुर ,जिला बालोद , छ०ग	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
13	मोहनलाल पता-ग्राम – पलारी ,तहसील – गुरुर/जिला – बालोद/छ०ग	हसदा	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
14	मन्नूराम पता-ग्राम – हसदा तह० गुरुर/जिला – बालोद	हसदा	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
15	मनोज कुमार पता-ग्राम – हसदा तह० गुरुर/जिला – बालोद/छ०ग	हसदा	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
16	धनेश्वर पता-ग्राम – पलारी/तहसील – गुरुर/जिला – बालोद/छ०ग	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
17	गुमानसिंह पता-साकिन – बोड़रा , तहसील गुरुर , जिला बालोद , छ०ग	बोड़रा	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त

अनुभाग अधिकारी

18	नरेन्द्र कुमार पता-ग्राम – पलारी तहसील – गुरुर/जिला – बालोद छ०ग	पलारी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
19	ईश्वर, घसिया ग्राम धोबनपुरी	धोबनपुरी	गुरूर	अतिक्रमण मुक्त
20	गुनेश्वर, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील व जिला बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
21	पंचूराम व अन्य, ग्राम देऊरतराई तहसील व जिला बालोद	देऊरतराई	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
22	संतराम, ग्राम सिवनी तहसील व जिला बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
23	चैतीबाई, ग्राम सिवनी तहसील व जिला बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
24	रामलाल सिन्हा, ग्राम सिवनी तहसील व जिला बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
25	प्रेमसिंह भास्कर, ग्राम सिवनी तहसील व जिला बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
26	टिकमसिंह यादव, ग्राम सिवनी तहसील व जिला बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
27	बिसन बाई पति नारायण लाल	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
28	उधोराम पिता ईश्वर, ग्राम सिवनी तहसील व जिला बालोद	हीरापुर	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
29	लोचन पिता बिसेलाल, ग्राम हीरापुर तहसील व जिला बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
30	सदाराम पिता नाथूराम, निवासी बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
31	सुकलाल पिता सुंदरलाल, निवासी ग्राम बालोद	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
32	कलाबती पति कलाराम निवासी ग्राम सिवनी	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
33	आशाराम पिता रामरतन निवासी ग्राम सिवनी	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
34	परमानंद साहू निवासी ग्राम हीरापुर	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
35	राजकुमार पिता ढालसिह ग्राम सिवनी	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
36	नम्मू पिता मुरहा ग्राम सिवनी	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
37	पुरूशोत्तम चंद्राकर	बरही	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
38	थानसिंह पिता मोहनलाल ग्राम सिवनी	सिवनी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
39	टीकम सिंह, ग्राम लिमोरा	लिमोरा	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
40	सुरेश कुमार, कमलेश जागड़े, इन्दरबाई ग्राम लोण्डी	लोण्डी	बालोद	अतिक्रमण मुक्त

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

41	धनराज साहू, ग्राम टेकापार	टेकापार	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
42	नैनदास बंजारे	भोईनापार	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
43	धनीराम यादव	टेकापार	बालोद	अतिक्रमण मुक्त
44	लादूराम पिता चैतुराम	गैजी	डौण्डीलोहारा	अतिक्रमण मुक्त
45	त्रिवेणी बाई पति दयावन्त	भंवरमरा	डौण्डीलोहारा	अतिक्रमण मुक्त
46	भागबती पति केजुराम	भंवरमरा	डौण्डीलोहारा	अतिक्रमण मुक्त
47	रमेश कुमार/तिलोचन मोहलाई	मोहलाई	अर्जुन्दा	अतिक्रमण मुक्त
48	मोरजध्वज आ. गैदूराम मोहलाई	मोहलाई	अर्जुन्दा	अतिक्रमण मुक्त
49	थानेश्वर सिंह साकिन भैंसबोड़	भैंसबोड	डौण्डी	अतिक्रमण मुक्त
50	अश्मती निषाद, थानसिंह साहू, गोकुल राम साहू, चिम्मन लाल साहू, ललित भुआर्य उकारी	उकारी	डौण्डी	अतिक्रमण मुक्त
51	परसराम, इश्वरी बाई, नारायण सिन्हा, कविता सिन्हा डौण्डी	डौण्डी	डौण्डी	अतिक्रमण मुक्त
52	खोरबाहरा अवारी	अवारी	डौण्डी	अतिक्रमण मुक्त

बालोद जिला अंतर्गत अतिक्रमण प्रकरण,जिसमें बेदखली आदेश जारी / न्यायालय में विचाराधीन।

1	विष्णुराम पता-साकिन पडकीभाट तहसील गुरूर जिला बालोद	पड़कीभाठ	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
2	मुकेश पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
3	जितेन्द्र सोनी पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
4	कृपाराम पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
5	पीलेश कुमार साहू पता-साकिन ओझागहन तहसील गुरूर जिला बालोद	ओझागहन	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
6	यशवंत कुमार पता-साकिन मोहारा तहसील गुरूर जिला बालोद	मोहारा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
7	अभयराम पता-साकिन मोहारा तहसील गुरूर जिला बालोद	मोहारा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
8	अर्जुन पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
9	छबिलाल पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
10	नंदकुमार पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
11	बासनबाई पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

12	रामकुमार पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
13	तुलसी पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
14	गंगाबाई पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
15	धनाजी पता-तहसील गुरूर जिला बाला◌ेद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
16	जयदेव पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
17	उमेन्द्र पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
18	प्रीतम पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
19	परमानंद पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
20	चंद पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
21	भूपेन्द्र सिन्हा पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
22	ललित पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
23	घनश्याम पता-साकिन पलारी , तहसील गुरूर जिला बालोद छ-ग-	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
24	दीपक कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
25	कोमल पता-साकिन बोडरा तहसील गुरूर जिला बालोद	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
26	चन्द्रकुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
27	बसंती पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
28	रोहित कुमार पता-साकिन– पलारी, तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
29	मोहित कुमार पता-साकिन सांगली तहसील गुरूर जिला बालोद	सांगली	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
30	छन्नूराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
31	सुलेश कुमार पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ०ग०	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

32	पुष्पाबाई पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ०ग०	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
33	मदन लाल पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ०ग०	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
34	रामाधार पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ०ग०	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
35	दुलारू पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ०ग०	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
36	लक्ष्मण पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ०ग०	बोड़रा	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
37	रमेश पता-साकिन पलारी, तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
38	नरेश पता-साकिन- पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
39	रम्भाबाई पता-ग्राम– पलारी, तहसील गुरुरु, जिला बालोद , छ०ग	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
40	देवराज तिवारी पता-साकिन-धनेली तहसील गुरूर जिला बालोद	धनेली	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
41	अलख पता-ग्राम – पलारी तहसील – गुरुर/जिला – बालोद/छ०ग	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
42	संतोष कुमार पता-ग्राम – पलारी तहसील – गुरुर/ जिला – बालोद/छ०ग	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
43	डिरोन सिन्हा पता-ग्राम – पलारी/तहसील – गुरुर/ जिला – बालोद/छ०ग	पलारी	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
44	दधिबल पता-ग्राम – सोंहपुर तहसील – गुरुर/जिला – बालोद/छ०ग	सोहपुर	गुरूर	बेदखली वारंट जारी
45	जयप्रकाश पता-ग्राम – पलारी ,तहसील – गुरुर/ जिला – बालोद/छ०ग	पलारी	गुरूर	अनावेदक के जवाब हेतु
46	ललित पता-ग्राम – पलारी/तहसील –गुरुर/जिला – बालोद/छ०ग	पलारी	गुरूर	अनावेदक के जवाब हेतु
47	सेठूक राम पता-	सुर्रा	गुरूर	अनावेदक के जवाब हेतु
48	जगदीश पता-	धनेली	गुरूर	अनावेदक के जवाब हेतु
49	कृष्णा बघेल पता-साकिन- बोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ०ग०	बोड़रा	गुरूर	अनावेदक के जवाब हेतु
50	चिन्तामणी पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	आदेश हेतु
51	जोहित राम पता-	धनेली	गुरूर	आदेश हेतु
52	अशोक कुमार ग्राम मुजगहन	मुजगहन	गुरूर	आदेश हेतु
53	तामेश्वर पता-ग्राम – धनेली/तहसील – गुरुर/ जिला– बालोद छ०ग	धनेली	गुरूर	तर्क हेतु

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

54	ऋषभ देव पता-तहसील – गुरुर/जिला – बालोद छ०ग	धनेली	गुरूर	तर्क हेतु
55	कामदेव पता-	धनेली	गुरूर	तर्क हेतु
56	तीर्थशंकर पता-ग्राम पलारी, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छ ़ ग	पलारी	गुरूर	पटवारी साक्ष्य हेतु
57	शशि पता-ग्राम – पलारी, तहसील – गुरुर , जिला–बालोद, छ०ग	पलारी	गुरूर	पटवारी साक्ष्य हेतु
58	डामनलाल पता-निवासी ग्राम बोड़रा तहसील गुरूर जिला बालोद छ.ग.	बोड़रा	गुरूर	पटवारी साक्ष्य हेतु
59	दीपाबाई पता-साकिन पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद	पलारी	गुरूर	हल्का पटवारी का साक्ष्य हेतु-
60	लता साहू पता-साकिन सोंहपुर तहसील गुरूर जिला बालोद	सोहपुर	गुरूर	हल्का पटवारी का साक्ष्य हेतु-
61	डाेमन पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	हल्का पटवारी का साक्ष्य हेतु-
62	हेमन्त पता-साकिन कंवर तहसील गुरूर जिला बालोद	कंवर	गुरूर	हल्का पटवारी का साक्ष्य हेतु-
63	सोनऊ राम पता साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	अपील में प्रेषित
64	दीपचंद, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील व जिला बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
65	उमराव, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील व जिला बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
66	राजकुमार धनकर, ग्राम बालोद तहसील व जिला बालोद	बालोद	बालोद	बेदखली आदेश पारित
67	डोमन, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील व जिला बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
68	सोनी बाई, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील व जिला बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	बेदखली आदेश पारित
69	नेमचंद साहू, ग्राम परसदा तहसील व जिला बालोद	परसदा	बालोद	प्रकरण में कमिश्नर महोदय के समक्ष अपील विचाराधीन है
70	लिले वर चंद्राकर, ग्राम देऊरतराई	देऊरतराई	बालोद	बेदखली आदेश पारित, अतिकामक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है
71	परसराम साहू पिता फूलसिंह साहू निवासी ग्राम ओरमा	ओरमा	बालोद	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
72	मोतिम बाई पति रोहित कुमार	ओरमा	बालोद	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
73	श्यामाबाई	भोईनापार	बालोद	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
74	चोवा राम पिता दौवा राम	डारागांव	डौण्डीलोहारा	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
75	कुंभ करण पिता सेऊक राम	डारागांव	डौण्डीलोहारा	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
76	नरेश कुमार पिता सेऊक राम	डारागांव	डौण्डीलोहारा	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

77	गौतम चंद जैन आ. मिश्रीलाल भरदा	भरदा	देवरी	हेतु
78	चुरामन लाल आ. इनद्रमन भरदा	भरदा	मार्री बंगला देवरी	प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु
79	आशीष कुमार आ. अशोक अर्जुन्दा	अर्जुन्दा	अर्जुन्दा	बेदखली वारंट जारी
80	सालिक राम साहू	चैनगंज	गुण्डरदेही	बेदखली वारंट जारी
81	लता साहू चंद्राकर	गोरकापार	गुण्डरदेही	हल्का पटवारी प्रतिवेदन हेतु
82	रिखी राम सिन्हा	सांकरी	गुण्डरदेही	आवेदक साक्ष्य प्रतिपरीक्षपण हेतु
83	तोरण लाल चंद्राकर एवं अन्य	रेगाकठेरा	गुण्डरदेही	हल्का पटवारी प्रतिवेदन हेतु
84	शासन वि. चेतन	पायला	गुण्डरदेही	स्थगन आदेश हेतु
85	शासन वि. बुधेलाल	ढ़ाबाडीह	गुण्डरदेही	स्थगन आदेश हेतु
86	असवन कुमार साहू	पसौद	गुण्डरदेही	प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु
87	शासन वि. टीकाराम	गुरेदा	गुण्डरदेही	स्थगन आदेश हेतु
88	शासन वि. राजेन्द्र कुमार	भाटागांव बी	गुण्डरदेही	स्थगन आदेश हेतु
89	हरीश कुमार	डोगीतराई	गुण्डरदेही	न्यायालय में लंबित है।
90	आनंद राम साहू	कजराबाधा	गुण्डरदेही	स्थगन आदेश हेतु
91	शमसेर खान कुसुमकसा	कुसुमकसा	डौण्डी	हेतु
92	बृहस्पति देव सिंह दल्लीराजहरा	दल्लीराजहरा	डौण्डी	(रा.) डौण्डी के समक्ष अपील प्रस्तुत।
93	संगीता साहू चिखलाकसा	अवारी	डौण्डी	हेतु
94	रविशंकर साहू गोटुलमुण्डा	गोटुलमुण्डा	डौण्डी	बेदखली वारंट जारी

अपर कलेक्टर
जिला–बालोद(छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 204) की जानकारी

प्रपत्र-अ

पोर्टल अनुसार विभागवार कार्यालयों की संख्या

विभाग कोड	विभाग का नाम	कार्यालयों की संख्या
B025	आदिम जाति विकास विभाग	119
B031	आवास एवं पर्यावरण विभाग	104
B036	उच्च शिक्षा विभाग	251
B047	उद्यानिकी विभाग	41
B013	ऊर्जा विभाग	104
B014	कृषि विभाग	386
B012	खनिज साधन विभाग	28
B028	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	556
B009	खेल और युवक कल्याण विभाग	18
B002	गृह विभाग	651
B044	ग्रामोद्योग विभाग	46
B061	चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग	34
B062	चिकित्सा शिक्षा विभाग	10
B045	जन शिकायत निवारण विभाग	2
B024	जनसंपर्क विभाग	35
B057	जल संसाधन विभाग	34
B030	जल संसाधन विभाग	170
B003	जेल विभाग	68
B038	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	333
B018	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	228
B022	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	7966
B008	परिवहन विभाग	60
B032	पर्यटन विभाग	3
B034	पशुपालन विभाग	69
B035	मछली पालन विभाग	38
B043	महिला एवं बाल विकास विभाग	192
B046	मुख्यमंत्री सचिवालय	1
B023	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग	39
B007	राजस्व विभाग	203
B019	लोक निर्माण विभाग	58
B017	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	143
B033	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	96
B010	वन विभाग	634
B011	वाणिज्य और उद्योग विभाग	54
B005	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण)	126
B059	वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)	82
B060	वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)	31
B037	विज्ञान और टेक्नोलाजी विभाग	3
B004	वित्त विभाग	64
B021	विधि और विधायी कार्य विभाग	9
B041	विमानन विभाग	1
B016	श्रम विभाग	55
B026	समाज कल्याण विभाग	41
B029	संस्कृति विभाग	4
B015	सहकारिता विभाग	43
B001	सामान्य प्रशासन	43
B040	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	1
B055	सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय	5
B020	स्कूल शिक्षा विभाग	5019
	कुल	**18301**

प्रपत्र-ब

पोर्टल अनुसार जिलेवार कार्यालयों की संख्या

क्रम संख्या	ज़िले का नाम	कार्यालयों की संख्या
1	कबीरधाम	557
2	कांकेर	1432
3	कोंडागांव	583
4	कोरबा	160
5	कोरिया	176
6	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	292
7	गरियाबंद	301
8	गौरेला पेंड्रा मारवाही	316
9	जशपुर	307
10	जांजगीर-चाम्पा	536
11	दन्तेवाड़ा	104
12	दुर्ग	586
13	धमतरी	904
14	नारायणपुर	195
15	बलरामपुर	2716
16	बलौदा बाजार	137
17	बस्तर	611
18	बालोद	304
19	बिलासपुर	590
20	बीजापुर	125
21	बेमेतरा	234
22	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	43
23	महासमुंद	824
24	मुंगेली	540
25	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	362
26	राजनांदगांव	533
27	रायगढ़	1057
28	रायपुर	520
29	सक्ती	381
30	सरगुजा	1120
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़	142
32	सुकमा	276
33	सूरजपुर	1337
	कुल	**18301**

प्रपत्र - स

पोर्टल अनुसार कार्यालय स्तरवार कार्यालयों की संख्या

क्रम संख्या	कार्यालय स्तर का नाम	कार्यालयों की संख्या
1	राज्य	216
2	तहसील	193
3	थाना	366
4	अनुविभागीय स्तर	46
5	मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय	652
6	जिला	2046
7	खंड	2751
8	ग्राम पंचायत	11628
9	नगरीय निकाय	403
	कुल	**18301**

प्रपत्र - द

विभागवार RTI आवेदन - 2024-2025 (आरटीआई आवेदन)

विभाग कोड	विभाग का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	अस्वीकृत	योग (निराकृत + अस्वीकृत)	लंबित
B001	सामान्य प्रशासन	2321	1661	314	1975	346
B002	गृह विभाग	781	361	8	369	412
B003	जेल विभाग	83	41	3	44	39
B004	वित्त विभाग	269	197	2	199	70
B005	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण)	111	57	2	59	52
B007	राजस्व विभाग	1524	767	36	803	721
B008	परिवहन विभाग	648	276	148	424	224
B009	खेल और युवक कल्याण विभाग	28	3	0	3	25
B010	वन विभाग	1223	491	6	497	726
B011	वाणिज्य और उद्योग विभाग	215	142	2	144	71
B012	खनिज साधन विभाग	174	143	1	144	30
B013	ऊर्जा विभाग	332	138	20	158	174
B014	कृषि विभाग	944	527	31	558	386
B015	सहकारिता विभाग	253	178	2	180	73
B016	श्रम विभाग	228	134	8	142	86
B017	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	908	353	29	382	526
B018	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	1399	334	23	357	1042
B019	लोक निर्माण विभाग	267	116	6	122	145
B020	स्कूल शिक्षा विभाग	1840	405	32	437	1403
B021	विधि और विधायी कार्य विभाग	73	38	4	42	31
B022	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	50754	10446	694	11140	39614
B023	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग	53	20	2	22	31
B024	जनसंपर्क विभाग	189	27	1	28	161
B025	आदिम जाति विकास विभाग	533	139	4	143	390
B026	समाज कल्याण विभाग	91	31	10	41	50
B028	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	230	78	6	84	146
B029	संस्कृति विभाग	0	0	0	0	0
B030	जल संसाधन विभाग	257	117	2	119	138
B031	आवास एवं पर्यावरण विभाग	386	179	6	185	201
B032	पर्यटन विभाग	6	3	0	3	3
B033	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	252	95	10	105	147
B034	पशुपालन विभाग	104	50	4	54	50
B035	मछली पालन विभाग	149	83	1	84	65
B036	उच्च शिक्षा विभाग	987	279	14	293	694
B037	विज्ञान और टेक्नोलाजी विभाग	8	0	0	0	8
B038	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	530	346	2	348	182
B040	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	1	1	0	1	0
B041	विमानन विभाग	9	1	0	1	8
B043	महिला एवं बाल विकास विभाग	335	151	16	167	168
B044	ग्रामोद्योग विभाग	30	3	0	3	27
B045	जन शिकायत निवारण विभाग	48	48	0	48	0
B046	मुख्यमंत्री सचिवालय	39	35	2	37	2
B047	उद्यानिकी विभाग	266	180	0	180	86
B055	सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय	24	0	0	0	24
B057	जल संसाधन विभाग	55	18	1	19	36
B059	वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)	166	85	4	89	77
B060	वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)	24	9	0	9	15
B061	चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग	131	43	2	45	86
B062	चिकित्सा शिक्षा विभाग	185	122	0	122	63
	कुल	**69463**	**18951**	**1458**	**20409**	**49054**

प्रपत्र - इ

विभागवार RTI आवेदन - 2025-2026 (आरटीआई आवेदन)

विभाग कोड	विभाग का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	अस्वीकृत	योग (निराकृत + अस्वीकृत)	लंबित
B001	सामान्य प्रशासन	4463	2733	579	3312	1151
B002	गृह विभाग	1992	881	37	918	1074
B003	जेल विभाग	133	62	6	68	65
B004	वित्त विभाग	447	219	7	226	221
B005	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण)	282	132	6	138	144
B007	राजस्व विभाग	2829	1199	132	1331	1498
B008	परिवहन विभाग	580	362	20	382	198
B009	खेल और युवक कल्याण विभाग	92	41	0	41	51
B010	वन विभाग	6731	2464	75	2539	4192
B011	वाणिज्य और उद्योग विभाग	452	328	11	339	113
B012	खनिज साधन विभाग	464	325	7	332	132
B013	ऊर्जा विभाग	628	220	22	242	386
B014	कृषि विभाग	1810	842	61	903	907
B015	सहकारिता विभाग	420	210	13	223	197
B016	श्रम विभाग	610	339	33	372	238
B017	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	1779	1040	44	1084	695
B018	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	1953	398	41	439	1514
B019	लोक निर्माण विभाग	738	374	23	397	341
B020	स्कूल शिक्षा विभाग	3862	702	90	792	3070
B021	विधि और विधायी कार्य विभाग	135	18	2	20	115
B022	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	42013	13099	1351	14450	27563
B023	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग	153	82	1	83	70
B024	जनसंपर्क विभाग	354	117	10	127	227
B025	आदिम जाति विकास विभाग	1342	459	26	485	857
B026	समाज कल्याण विभाग	238	71	14	85	153
B028	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3582	292	14	306	3276
B029	संस्कृति विभाग	39	15	1	16	23
B030	जल संसाधन विभाग	537	199	6	205	332
B031	आवास एवं पर्यावरण विभाग	836	504	7	511	325
B032	पर्यटन विभाग	30	24	1	25	5
B033	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	306	126	3	129	177
B034	पशुपालन विभाग	141	75	9	84	57
B035	मछली पालन विभाग	205	131	2	133	72
B036	उच्च शिक्षा विभाग	1139	489	20	509	630
B037	विज्ञान और टेक्नोलाजी विभाग	7	1	0	1	6
B038	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	1034	617	28	645	389
B040	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	2	2	0	2	0
B041	विमानन विभाग	9	0	0	0	9
B043	महिला एवं बाल विकास विभाग	729	250	17	267	462
B044	ग्रामोद्योग विभाग	212	70	3	73	139
B045	जन शिकायत निवारण विभाग	35	30	4	34	1
B046	मुख्यमंत्री सचिवालय	84	83	0	83	1
B047	उद्यानिकी विभाग	343	248	8	256	87
B055	सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय	177	105	4	109	68
B057	जल संसाधन विभाग	99	40	6	46	53
B059	वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)	245	151	9	160	85
B060	वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)	89	32	2	34	55
B061	चिकित्सा शिक्षा(आयुष) विभाग	250	111	17	128	122
B062	चिकित्सा शिक्षा विभाग	305	226	0	226	79
	कुल	**84935**	**30538**	**2772**	**33310**	**51625**

परिशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 5) की जानकारी

प्रपत्र -

दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत वन विभाग द्वारा सत्र 2024–25 से जून 2026 की अवधि तक फिनिशिंग तार, खंभा, बारबेट वायर की खरीदी का फर्मवार, तिथिवार दर की जानकारी एवं खरीदी के एवज में फर्मो को तिथिवार किए गए भुगतान की वर्षवार, परिक्षेत्रवार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	वन परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	सामग्रीवार सामग्री का नाम (फिनिशिंग तार/ खंभा/ बारबेड वायर)	फर्म का नाम	खरीदी दिनांक	स्वीकृत दर (राशि रू. में)	भुगतान दिनांक	भुगतान राशि (राशि रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2024–25	गीदम	कैम्पा योजना	चेनलिंक जाली मेस साईज (100+/-5, 4.00, 4.50, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	11-06-2024	74.00	13-08-2024	96718
2	2024–25	गीदम	डी.एम.एफ.	एगल आयरन फेंसिंग पोल	विपुल वेल्डिंग वर्क, शीतला मंदिर धमतरी (छ.ग.)	25-02-2024	905.00	20-07-2024	274586
				कुल :–					**371304**
3	2024–25	दन्तेवाड़ा	कैम्पा योजना	चेनलिंक जाली मेस साईज (100+/-5, 4.00, 4.50, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	11-06-2024	74.00	14-08-2024	129533
4	2024–25	दन्तेवाड़ा	डी.एम.एफ.	चेनलिंक जाली मेस साईज (100+/-5, 4.00, 4.50, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	11-06-2024	74.00	10-09-2024	192572
5	2024–25	दन्तेवाड़ा	डी.एम.एफ.	चेनलिंक जाली मेस साईज (100+/-5, 4.00, 4.50, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	01-07-2024	74.91	10-09-2024	186198
6	2024–25	दन्तेवाड़ा	डी.एम.एफ.	एगल आयरन फेंसिंग पोल	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	18-06-2024	905.00	10-09-2024	380195
				कुल :–					**888497**
7	2024–25	बचेली	डी.एम.एफ.	चेनलिंक जाली मेस साईज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	01-07-2024	74.00	10-09-2024	457682
8	2024–25	बचेली	पी.डी. मद	चेनलिंक जाली मेस साईज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	21-07-2024	74.00	17-09-2024	58376
9	2024–25	बचेली	पी.डी. मद	चेनलिंक जाली मेस साईज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	21-07-2024	74.00	17-09-2024	416232
10	2024–25	बचेली	पी.डी. मद	चेनलिंक जाली मेस साईज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	21-07-2024	74.00	17-09-2024	416836

Que. 5 T Pra 1

क्र.	वित्तीय वर्ष	वन परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	सामग्रीवार सामग्री का नाम (फिनिशिंग तार/ खंभा/ बारबेड वायर)	फर्म का नाम	खरीदी दिनांक	स्वीकृत दर (राशि रू. में)	भुगतान दिनांक	भुगतान राशि (राशि रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2024—25	बचेली	पी.डी. मद	चेनलिंक जाली मेस साइज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	21-07-2024	74.00	17-09-2024	427889
12	2024—25	बचेली	पी.डी. मद	चेनलिंक जाली मेस साईज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	21-07-2024	74.00	17-09-2024	87736
13	2024—25	बचेली	पी.डी. मद	चेनलिंक जाली मेस साईज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	21-07-2024	74.00	17-09-2024	214506
14	2024—25	बचेली	पी.डी. मद	चेनलिंक जाली मेस साईज (50+/-4, 3.15, 4.00, 2, 3)	रमन लाल जैन, उद्योग राजनांदगांव, (छ.ग.)	21-07-2024	74.00	17-09-2024	107253
15	2024—25	बचेली	डी.एम.एफ.	प्री स्ट्रेस्ड आर.सी.सी. फेसिंग पोल	विहार्ष इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव, (छ.ग.)	28-06-2024	349.00	10-0-.2024	187344
16	2024—25	बचेली	कैम्पा योजना	चेनलिंक जाली व्यास 3.15 एम.एम. लम्बाई 15 मी.	एम.एस. सौरभ ट्रेडर्स, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	16-03-2025	49.50	17-03-2025	60047
				कुल :—					**2433901**
वन विकास निगम									
17	2024—25	जगदलपुर ईकाई	वन विकास निगम मद	आर.सी.सी. पोल	शिव शक्ति ट्रेडर्स, विश्रामपुरी, छ.ग.	13-02-2025	244.00	26-02-2025	2128249
18	2024—25	जगदलपुर ईकाई		बारबेड वायर	मेसर्स प्रतीत चोपड़ा, सम्बलपुर, कांकेर	26-12-2024	78.50	27-01-2025	1296000
				कुल :—					**3424249**
				कुल योग :—2024—25					**7117950**
1	2025—26	बचेली	कैम्पा योजना	चेनलिंक जाली व्यास 4 एम.एम.लम्बाई 15 मी.	जय माँ वेकटेश्वरी स्टील फेब्रिकेशन, बीजापुर (छ.ग.)	15-01-2025	84.95	17-10-2025	254033
2	2025—26	बचेली	कैम्पा योजना	चेनलिंक जाली व्यास 3.15 एम.एम. लम्बाई 15 मी.	जय माँ वेकटेश्वरी स्टील फेब्रिकेशन, बीजापुर (छ.ग.)	17-01-2025	92.00	17-10-2025	198790
3	2025—26	बचेली	कैम्पा योजना	आर.सी.सी. फेसिंग पोल	एम.एस. सौरभ ट्रेडर्स, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	03-03-2025	243.00	23-06-2025	66887
				कुल :—					**519710**

Que. 5 T

Pra

2

क्र.	वित्तीय वर्ष	वन परिक्षेत्र का नाम	योजना.का नाम	सामग्रीवार सामग्री का नाम (फिनिशिंग तार/ खंभा/ बारबेड वायर)	फर्म का नाम	खरीदी दिनांक	स्वीकृत दर (राशि रू. में)	भुगतान दिनांक	भुगतान राशि (राशि रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2025—26	गीदम	कैम्पा योजना	चेनलिंक जाली व्यास 4.5 एम.एम. लम्बाई 15 मी.	प्रतीक चोपड़ा, संबलपुर काकेर (छ.ग.)	06-06-2025	95.88	27-08-2025	352891
5	2025—26	गीदम	कैम्पा योजना	आर.सी.सी. फेसिंग पोल	प्रतीक चोपड़ा, संबलपुर काकेर (छ.ग.)	06-06-2025	314.83	27-08-2025	99038
कुल :—									451929
कुल योग :—2025—26									971639
1	अप्रैल 2026 से जून — 2026 तक			—	—	—	—	—	0
महायोग :—2024—25, 2025—26 एवं जून — 2026									8089589

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

परिशिष्ट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 79) की जानकारी

प्रपत्र–अ

(राशि रूपये में)

क्र.	तहसीलों के नाम	अवधि	आपदा का प्रकार	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	प्रदाय की गई राहत राशि
1	अभनपुर	जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024	आकाशीय बिजली	5	2000000
2			आंधी/तूफान	1	400000
3			अग्नि दुर्घटना	6	2400000
4			नदी, तालाब, बांध, कुआं, नहर में डूबने से	16	6400000
5			सांप वृश्चित गोहए मधु मक्खी काटने से	7	2800000
6			फसल क्षति	366	1381992
7			मकान क्षति	282	1207300
8			पशुहानि	19	490000
			योग	702	17079292
9		जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025	अग्नि दुर्घटना	1	400000
10			भूकंप	0	0
11			नदी, तालाब, बांध, कुआं, नहर में डूबने से	8	3200000
12			सांप वृश्चित गोहए मधु मक्खी काटने से	2	800000
13			फसल क्षति	7	24470
14			मकान क्षति	112	467000
15			पशुहानि	3	108000
16			योग	133	4999470
17		जनवरी 2026 से 17.06.2026 तक	आकाशीय बिजली	2	800000
18			नदी, तालाब, बांध, कुआं, नहर में डूबने से	6	2400000
19			सांप वृश्चित गोहए मधु मक्खी काटने से	3	1200000
20			मकान क्षति	60	244000
21			पशुहानि	1	244000
			योग	72	4888000
			कुल योग :.	907	26966762
1	रायपुर	जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024	नदी	12	4800000
2			तालाब	14	5600000
3			नहर, नाला	4	1600000
4			गड्डे मं गिरकर डूबने से	3	1200000
5			सर्प	3	1200000
6			आग से जलने	3	1200000
7			आकाशी बिजली	1	400000
8			मकान क्षति	36	144000
9			योग	76	16144000
10		जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025	नदी	6	2400000
11			तालाब	7	2800000
12			बांध	2	800000
13			नहर, नाला	2	800000
14			गड्डे मं गिरकर डूबने से	2	800000
15			सर्प	3	1200000
16			आग से जलने	7	2800000
17			मकान क्षति	45	180000
18			आकाशी बिजली	1	400000
			कुल योग :.	75	12180000
19		जनवरी 2026 से 17.06.2026 तक	नदी	11	4400000
20			तालाब	9	3600000
21			नहर, नाला	3	1200000
22			गड्डे मं गिरकर डूबने से	2	800000
23			सर्प	2	800000
24			आग से जलने	1	400000
25			रसोई गैस का सिलेण्डर या स्टोव फटने	1	400000
26			आकाशी बिजली	1	400000
27			मकान क्षति	11	44000
			योग :.	41	12044000
			कुल योग :.	192	40368000

क्र.	तहसीलों के नाम	अवधि	आपदा का प्रकार	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	प्रदाय की गई राहत राशि
1	आरंग	जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024	पानी में डूबने से	22	8800000
2			सर्प के काटने से	10	4000000
3			आग में जलने से	8	3200000
4			आकाशीय बिजली से	2	800000
6			मकान क्षति	164	826380
7			अतिवृष्टी से फसल क्षति	181	875120
			योग	387	18501500
8		जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025	पानी में डूबने से	21	8400000
9			सर्प के काटने से	2	8000000
10			आग में जलने से	2	800000
11			बिच्छू काटने से	1	400000
12			आकाशीय बिजली से	1	400000
13			मधुमक्खी के काटने से	1	400000
14			मकान क्षति	56	273100
15			अतिवृष्टी से फसल क्षति	710	6111191
16			ओलावृष्टि से फसल क्षति	377	4315992
			योग	1171	29100283
17		जनवरी 2026 से 17.06.2026 तक	पानी में डूबने से	6	2400000
18			सर्प के काटने से	1	4000000
19			आग में जलने से	2	800000
20			मकान क्षति	2	8000
21			ओलावृष्टि से फसल क्षति	138	1663257
			योग	149	8871257
			कुल योग :.	1707	56473040
1	तिल्दा	जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024	आकाशीय बिजली	2	800000
2			अग्नि दूर्घटना	8	3200000
3			नदी,तालाब,बांध,कुंआ, नहर में डूबने से	12	4800000
4			सांप वृश्चिक गोहए मधुमख्खी काटने से	2	800000
5			फसल क्षति	7	94603
6			मकान क्षति	128	534300
7			पशुहानि	9	37000
			योग	168	10265903
8		जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025	आकाशीय बिजली	1	400000
9			अग्नि दूर्घटना	2	800000
10			नदी,तालाब,बांध,कुंआ, नहर में डूबने से	23	9200000
11			सांप वृश्चिक गोहए मधुमख्खी काटने से	4	1600000
12			मकान क्षति	17	98500
13			पशुहानि	4	153000
			योग	51	12251500
14		जनवरी 2026 से 17/06/2026 तक	आकाशीय बिजली	1	400000
15			नदी,तालाब,बांध,कुंआ, नहरमेंडूबने से	2	800000
16			सांप वृश्चिक गोहए मधुमख्खी काटने से	2	800000
			योग	5	2000000
			कुल योग :.	224	24517403
			महायोग	3030	148325205

प्रपत्र –ब

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अंतर्गत प्रभावितों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान सहायता की जानकारी

क्रमांक	विवरण	सहायता राशि (रुपयों में)
1	जन हानि (मृत्यु होने पर)	400000/-
2	शारीरिक अंग हानि 60 प्रतिशत से अधिक होने पर	250000/-
3	शारीरिक अंग हानि 40 से 60 प्रतिशत तक होने पर	74000/-
4	घायल होने पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती होने पर	16000/-
5	घायल होने पर एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती होने पर	5400/-
6	पूर्ण नष्ट मकान कच्चा / पक्का	120000/-
7	पूर्ण नष्ट मकान कच्चा / पक्का एकीकृत कार्य योजना के जिलों के लिए	130000/-
8	पक्का मकान साधारण क्षति 15 प्रतिशत	6500/-
9	कच्चा मकान साधारण क्षति 15 प्रतिशत	4000/-
10	झोपड़ी क्षतिग्रस्त होने पर	8000/-
11	पशु गृह क्षतिग्रस्त होने पर	3000/-
12	2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि पर 3 इंच से अधिक मोटी रेत, गाद, पत्थर / मल्बा / फीस फार्म का हटाने के लिए सहायता	18000/- प्रति हे०
13	2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि कटाव भूस्खलन, एवलांच एवं नदी के बहाव से बदलाव आदि से भूमि के हानी होने पर	47000/- प्रति हे०
14	33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर असिंचित क्षेत्र के लिए	8500/- प्रति हे० (कम से कम 1000/- प्रति हे०)
15	33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर सिंचित क्षेत्र के लिए	17000/- प्रति हे०

क्रमांक	विवरण	सहायता राशि (रुपयों में)
16	बोनी क्षेत्र के आधार पर कम से कम राशि	2000/- प्रति हे0
17	2 हेक्टेयर तक 12 मासी फसलो के लिए	22500/- प्रति हे०
18	बोनी क्षेत्र के आधार पर कम से कम राशि	2500/- प्रति हे०
19	2 हेक्टेयर तक रेशम फसल इरी, मल्वारी, टसर, पटशन क्षति होने पर	6000/- प्रति हे०
20	2 हेक्टेयर तक मुंगा फसल क्षति होने पर	7500/- प्रति हे0
21	फूलों की फसल क्षति हेतु	13500/- प्रति हे०
22	भेंस, गाय, उटनी, याक मिथून	37500/- प्रति पशु
23	भेड़, बकरी, सुअर	4000/- प्रति पशु
24	ऊंट, घोड़ा, बैल, भेंसा	32000/- प्रति पशु
25	बछड़ा, गधा, खच्चर, टट्टू	20000/- प्रति पशु
26	घरेलू पोल्ट्री में पल रहे पक्षियों हेतु	100/- प्रति पक्षी अधिकतम (10000/- प्रति परिवार)
27	पशु राहत शिविर में पशु चारा हेतु बड़े पशु	80/- प्रति पशु प्रतिदिन
28	पशु राहत शिविर में पशु चारा हेतु छोटे पशु	45/- प्रति पशु प्रतिदिन
29	हाथकरधा बुनकरों के औजार एवं उपकरण नष्ट होने पर	5000/- प्रति कारीगर
30	हाथ करधा में उपयोग होने वाले कच्चा माल / निर्माणधीन माल नष्ट होने पर	5000/-
31	नाव पूर्ण नष्ट होने पर	15000/-
32	नाव आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर	6000/-
33	जाल पूर्ण नष्ट होने पर	4000/-
34	जाल आंशिक क्षतिग्रसत होने पर	3000/-
35	मत्स्य क्षेत्र के लिए सहायता	10000/- प्रति हे०

परिशिष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 176) की जानकारी

प्रपत्र–अ

न्यायालयवार लंबित प्रकरणों की जानकारी

क्र0	न्यायालय का नाम	0 से 5 वर्ष तक	5 से अधिक	योग
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर	429	7	436
2	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर	165	0	165
3	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लुण्ड्रा	384	2	386
4	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर	294	63	357
योग	**4**	**1272**	**72**	**1344**
क्र0	तहसील का नाम	0 से 5 वर्ष तक	5 से अधिक	योग
1	तहसीलदार अम्बिकापुर	13	0	13
2	अति0 तहसीलदार अम्बिकापुर	67	0	67
3	तहसीलदार लखनपुर	51	0	51
4	तहसीलदार उदयपुर	7	0	7
5	तहसीलदार दरिमा	29	0	29
6	तहसीलदार लुण्ड्रा	43	0	43
7	तहसीलदार बतौली	72	0	72
8	तहसीलदार मैनपाठ	16	0	16
9	तहसीलदार सीतापुर	43	0	43
योग	**9**	**341**	**0**	**341**
क्र0	उप तहसील का नाम	0 से 5 वर्ष तक	5 से अधिक	योग
1	नायब तहसीलदार अम्बिकापुर–3	16	0	16
2	नायब तहसीलदार दरिमा	68	0	68
3	नायब तहसीलदार लखनपुर	33	0	33
4	नायब तहसीलदार कुनी	13	0	13
5	नायब तहसीलदार उदयपुर	16	0	16
6	नायब तहसीलदार लुण्ड्रा	115	1	116
7	नायब तहसीलदार रघुनाथपुर	105	0	105
8	नायब तहसीलदार बतौली	14	0	14
9	नायब तहसीलदार राजापुर	41	0	41
10	नायब तहसीलदार सीतापुर नावापारा	15	0	15
11	नायब तहसीलदार पेटला	12	0	12
योग	**11**	**448**	**1**	**449**
महायोग योगः–		**2061**	**73**	**2134**

प्रपत्र–ब

जिले में 5 वर्ष से लंबित प्रकरणों की सूची :–

क्र.	अनुभाग का नाम	शीर्ष	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम
1	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)अम्बिकापुर	अ–23	201804021800045	रामकुमार प्रति जुनेष मण्डल
2		अ–23	201804021800070	समुद्री बाई प्रति विमला देवी
3		अ–23	202012021800037	सुषमा कुजूर प्रति प्रियंका कुजूर
4		अ–23	202012021800037	दुर्गा प्रसाद प्रति राज कुमार यादव
5		अ–23	20211021800007	भारत प्रति प्रियजीत सिंह वगै0
6		अ–70	201806021800015	निरूषा अग्रवाल प्रति अनिल अग्रवाल
7		अ–70	201809021800059	निरूषा अग्रवाल प्रति अनिल अग्रवाल
योगः–		07	07	07
	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उदयपुर	0	0	0
1	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर	अ–6	202001021800024	सुनिता कौषिक प्रति विनय पटेल
2		अ–6	202003022700001	विनय पटेल प्रति दीपक कुमार कौषिक
योगः–		02	02	02
1	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर	अ–23	201509020200006	गोविंद प्रति परवेज
2		अ–23	201610020200002	गोविंद प्रति मीरा
3		अ–23	201605020200006	धनीराम प्रति संतो
4		अ–23	20170902020004	रामजीत प्रति गुलाम
5		अ–23	20171202120000	मस्तराम प्रति धनाराम
6		अ–6	201705020200019	कदम प्रति अभ्रक
7		अ–6	201611020200003	खोजा प्रति शारदा
8		अ–6	201601020200006	सुकुल प्रति हीरालाल
9		अ–6	201904020200013	रामेश्वर प्रति विफन
10		अ–6	201404020200001	सालिक प्रति कुमार
11		अ–6	202303020200106	सदर प्रति भदर
12		अ–6	201708020200005	दिलकुंवर प्रति रामप्रसाद
13		अ–6	201710020200025	कमल प्रति सेरेश
14		ब–121	201907020200021	विरेन्द्र प्रति प्रेमलाल
15		अ–6	201701020200003	हाफिज प्रति गलील
16		अ–6	201303020200002	सोनसाय प्रति गरदा
17		अ–6	202303020200012	पतांगो प्रति रामदुलारी
18		अ–6	201711020200013	बुधलाल प्रति चमरीन
19		अ–27	201907020200016	अलवित प्रति शिवकुमार
20		अ–27	202303020200048	मेघनाथ प्रति परमन
21		अ–27	202303020200046	ओमप्रकाश प्रति बद्री
22		अ–27	202406020200106	याम प्रति सुरजा
23		अ–27	202406020200107	याम प्रति सुरजा
24		अ–70	201603020200006	अघनु प्रति गरजु
25		अ–27	201605020200008	रामप्रसाद प्रति सोनसाय
26		अ–27	201803020200003	बैजनाथ प्रति जीतन
27		अ–27	201903020200014	रामकुमार प्रति रूपसाय
28		अ–27	202303020200023	रामकुमार प्रति अग्नि
29		अ–27	201903020200019	जमुना प्रति रांगा

अनुभाग अधिकारी

30		अ–6	201806020200010	नवीन प्रति दयाशंकर
31		अ–6	202007020200002	अमरसाय प्रति राकेश
32		अ–27	201902020200008	रामरूद प्रति घासी
33		अ–6	202406020200146	सुखनंदन प्रति मनमोहन
34		अ–6	202406020200124	घुरघुल्ली वगै0 प्रति भरोस
35		अ–6	202406020200126	घुरघुल्ली वगै0 प्रति उमाशंकर
36		अ–27	201807020200008	सुरेश प्रति महादेव
37		अ–6	202303020200058	सोनमेत प्रति शिवकुमार
38		अ–6	201509020200002	नानबाई प्रति दुःखी
39		अ–27	201705020200017	सहदेव प्रति काशी
40		अ–6	202303020200057	लोहरा प्रति सुखा
41		अ–6	201808020200006	जगदीश प्रति अभिराम
42		अ–27	201608020200003	बदन प्रति सूरजन
43		अ–6	201904020200010	सुमित्रा प्रति पंचम
44		अ–6	201909020200017	जगरनाथ प्रति बालकुंवर
45		अ–6	201509020200003	हरिसिंह प्रति यामपति
46		अ–6	201610020200001	बुधराम प्रति मुन्ना
47		अ–6	201710020200027	बुधराम प्रति मुन्ना
48		अ–6	202406020200140	बुधराम प्रति जेम्स कुजूर
49		अ–27	202003020200008	रेवा राम प्रति गणेश्वरी
50		अ–27	201807020200006	लक्ष्मण प्रति यामा
51		अ–6	201807020200007	तैयब प्रति नसीमा खातून
52		अ–6	201301020200001	रामनारायण प्रति समरपति
53		अ–27	202406020200120	लोहर साय प्रति विरेन्द्र
54		अ–6	201806020200012	हरिराम प्रति बनारसी
55		अ–6	201812020200008	लवंगसाय प्रति नत्थू
56		अ–27	201609020200001	रूपन राम प्रति सुखन राम
57		अ–6	201907020200008	अमरसाय प्रति दुर्गा
58		अ–6	4	धनेश्वरी प्रति बिगन
59		अ–6	201804020200003	दलसाय प्रति फुलसुन्दरी
60		अ–6	202303020200061	बिमला प्रति जगबहोरन
61		अ–6	202406020200073	बिमला प्रति जगबहोरन
62		अ–6	201810020200007	भलजीत प्रति चन्दर
63		अ–6	202406020200221	सिमोन प्रति थोलमा
योगः–		63	63	63
1	नायब तहसीलदार लुण्ड्रा	अ–6	202006021400070	राम्हईया वर्ग0 विरुध श्रीराम
योगः–		1	1	1
महायोग		73	73	73

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रभारी अधिकारी
एवं डिप्टी कलेक्टर
जिला– सरगुजा

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 154) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023–24 में कार्य का विवरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	नवीन 33/11 के.व्ही 3.15 एमव्हीए सब स्टेशन	नवीन 11/.4 के.व्ही. उपकेन्द्र				
				25 केव्हीए	63 केव्हीए	100 केव्हीए	200 केव्हीए	315 केव्हीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	0	163	71	0	0	0
2		डोंगरगढ	1	187	94	1	50	18
3		डोंगरगांव	0	53	14	18	0	0
4		छुरिया	1	234	69	3	0	0
5		खुज्जी	0	0	0	0	0	0
6		खैरागढ	0	31	3	0	0	0
7		छुईखदान	0	18	3	0	0	0
योग			**2**	**686**	**254**	**22**	**50**	**18**
1	खैरागढ	खैरागढ़	1	352	139	33	2	0
2		राजनांदगांव	0	80	27	2	0	0
3		डोंगरगढ़	0	0	11	0	0	0
4		छुईखदान	1	322	133	22	2	0
योग			**2**	**754**	**310**	**57**	**4**	**0**
महायोग			**4**	**1440**	**564**	**79**	**54**	**18**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

प्रपत्र-अ

परिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 220) की जानकारी

ग्राम बोरियाखुर्द प.ह.न. 118 बोरियाखुर्द जलाशय के डूबान क्षेत्र में अर्जित ग्रामों का खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित रकबा की सूची।

स.क्र.	खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
01	02	03	04
01	194/1-8	0.280	
02	192/2	0.284	
03	195	0.121	
04	194/3	0.223	
05	194/4	0.231	
06	194/5	0.069	
07	194/6	0.016	
08	196	0.324	
09	200	0.150	
10	198	0.125	
11	202	0.061	
12	197	0.361	
13	199	0.150	
14	202	0.532	
15	230	0.101	
16	231	0.182	
17	235/3	0.153	
18	236	0.385	
19	237	0.433	
20	238/1	0.178	
21	238/2	0.121	
22	239	0.219	
23	240/1	0.182	
24	240/2	0.182	
25	241/1	2.829	
26	241/2	0.162	

01	02	03	04
27	241/3	0.809	
28	241/4	0.530	
29	241/5	0.227	
30	241/8	0.077	
31	241/9	0.324	
32	241/10	0.396	
33	241/11	0.809	
34	241/12	0.405	
35	241/13	0.316	
36	241/16	0.202	
37	242	0.809	
38	243	3.982	
39	244	1.348	
40	245	4.120	
41	248	5.463	
42	247	0.368	
43	249	0.024	
44	250	0.227	
45	255	0.539	
46	246	23.048	
	योग:-	52.077	

ग्राम टिकरापारा प.ह.न. 114 बोरियाखुर्द जलाशय के डूबान क्षेत्र में अर्जित ग्रामों का खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित रकबा की सूची।

स.क्र.	खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
01	02	03	04
01	669	0.138	
02	670/2	0.150	
03	672	0.097	
04	673/5	0.210	
05	680	0.348	
06	681	0.008	
07	682/3	0.987	
08	682/4	0.194	

01	02	03	04
09	686/1	0.101	
10	683/1	0.202	
11	683/2	0.202	
12	683/2	0.235	
13	683/2	0.065	
14	683/5	0.841	
15	684	0.053	
16	685	0.197	
17	689	0.910	
18	668	0.458	
19	671	1.214	
20	682/1	0.728	
21	682/2	0.454	
22	701	7.792	
	योगः-	15.584	
ग्राम डूण्डा प.ह.न. 118 बोरियाखुर्द जलाशय के डूबान क्षेत्र में अर्जित ग्रामों का खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित रकबा की सूची।			
01	3/1	0.243	
02	4/1		
03	6/7		
04	6/32		
05	4/15	0.299	
06	4/16	0.129	
07	4/21	0.162	
08	4/22		
09	6/20	0.505	
10	6/38	0.065	
11	6/39	0.773	
12	6/45	0.121	
13	6/41	0.436	
14	6/43	0.486	
15	6/30	0.506	
16	6/44	[illegible]	

01	02	03	04
17	48/6	0.326	
18	56/1	0.235	
19	56/2	0.340	
20	56/3	0.454	
21	56/4	0.243	
22	56/10	0.020	
23	56/6	0.097	
24	56/11	0.202	
25	6/34	0.809	
26	56/5	0.405	
27	66/51	0.186	
28	66/45	0.247	
29	66/52	0.850	
30	68/53	0.202	
31	6/1	4.739	
32	55	0.733	
	योग:-	14.015	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-ब

गजराज बांध के अंतर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) को हस्तांतरित भूमि का विवरण

स.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
01	02	03	04	05
01	बोरियाखुर्द	256	3.731	3.731 हेक्टेयर हस्तांतरित किया गया है।
01	टिकरापारा	682/2	0.008	4.830 हेक्टेयर हस्तांतरित किया गया है।
02		682/4	0.987	
03		686/1	0.194	
04		683/1	0.101	
05		683/2	0.202	
06		683/3	0.202	
07		683/4	0.235	
08		683/5	0.065	
09		684	0.841	
10		685	0.053	
11		682/1	1.214	
12		682/2	0.728	
	योग-		4.830	
	महायोग-		8.561	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-स

बोरियाखुर्द जलाशय (गजराज बांध) के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित भूमि का विवरण

स.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिमार्क
01	02	03	04	05
01	बोरियाखुर्द	194/1-8	0.280	3.731 हेक्टेयर हस्तांतरित किया गया है।
02		194/2	0.284	
03		195	0.121	
04		194/3	0.223	
05		194/4	0.231	
06		194/5	0.069	
07		194/6	0.016	
08		196	0.324	
09		200	0.150	
10		198	0.125	
11		202	0.061	
12		197	0.361	
13		199	0.150	
14		202	0.531	
15		230	0.101	
16		231	0.182	
17		235/3	0.153	
18		236	0.385	
19		237	0.433	
20		238/1	0.178	
21		238/2	0.121	
22		239	0.219	
23		240/1	0.182	
24		240/2	0.182	
25		241/1	2.829	
26		241/2	0.162	
27		241/3	0.809	

01	02	03	04	05
28		241/4	0.530	
29		241/5	0.227	
30		241/8	0.077	
31		241/9	0.324	
32		241/10	0.396	
33		241/11	0.809	
34		241/12	0.405	
35		241/13	0.316	
36		241/16	0.202	
37		242	0.809	
38		243	3.982	
39		244	1.348	
40		245	4.120	
41		248	5.463	
42		247	0.368	
43		249	0.024	
44		250	0.227	
45		255	0.539	
46		246	19.318	
		योग-	48.346	
01	टिकरापारा	669	0.138	2.962 हेक्टेयर हस्तांतरित किया गया है।
02		670/2		
03		672	0.150	
04		673/5	0.097	
05		680	0.210	
06		681	0.348	
07		689	0.197	
08		668	0.910	
09		671	0.458	
10		701	0.454	
		योग-	2.962	
01	डूण्डा	3/1	0.243	
02		4/1		
03		6/7		

01	02	03	04	05
04		6/32		
05		4/15	0.299	
06		4/16	0.129	
07		4/21	0.162	
08		4/22		
09		6/20	0.505	
10		6/38	0.065	
11		6/39	0.773	
12		6/45	0.121	
13		6/41	0.436	
14		6/43	0.486	
15		6/30	0.506	
16		6/44	0.202	
17		48/6	0.326	
18		56/1	0.235	
19		56/2	0.340	
20		56/3	0.454	
21		56/4	0.243	
22		56/10	0.020	
23		56/6	0.097	
24		56/11	0.202	
25		6/34	0.809	
26		56/5	0.405	
27		66/51	0.186	
28		66/45	0.247	
29		66/52	0.850	
30		66/53	0.202	
31		6/1	4.739	
32		55	0.733	
		योग-	14.015	
		महायोग-	65.323	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 45) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत करने का दिनांक
1	श्री दिलीप मिरी (अधिवक्ता), प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना (गैर राजनीतिक संगठन) पता- मानिकपुर, मकान नंबर टाइप 2/9 SECL कोरबा (छ.ग.)	03.06.2026
2	श्री अभिषेक राय, पता-वार्ड क्रमांक 04, नया बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)	09.06.2026
3	श्री विजय सूर्यवंशी , महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी जिला सक्ती, पता-वार्ड क्रमांक 13, नया बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)	09.06.2026

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 9) की जानकारी

प्रपत्र

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं अपेक्स बैंक के माध्यम से वर्ष 2024-25, 2025-26 में धान विक्रय की राशि प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या तथा भुगतान की गई कुल राशि की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	वर्ष 2024 -25		वर्ष 2025 -26	
		धान विक्रय की राशि प्राप्त करने वाले किसानो की संख्या	भुगतान की गई कुल राशि	धान विक्रय की राशि प्राप्त करने वाले किसानो की संख्या	भुगतान की गई कुल राशि
1	बस्तर	40820	63498.80	40667	66744.83
2	बीजापुर	18033	27551.42	17616	26205.35
3	दन्तेवाड़ा	8317	7689.26	7518	5411.29
4	कांकेर	94734	122229.06	92493	120792.40
5	कोंडागांव	47638	71871.38	47471	76668.20
6	नारायणपुर	7753	8757.44	7715	9227.26
7	सुकमा	15251	21375.96	14549	20546.56
8	बिलासपुर	125895	159164.90	125352	160222.34
9	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	19294	32334.24	19380	33438.05
10	जांजगीर चाम्पा	119518	145544.67	118927	146119.18
11	कोरबा	44427	67057.62	43681	65078.83
12	मुंगेली	105539	127916.19	105711	125601.62
13	रायगढ़	73295	117023.46	72693	113295.20
14	सक्ती	90193	118160.47	88307	112324.47
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	84559	107104.42	84058	104934.59
16	बालोद	147911	174416.75	148292	167179.55
17	बेमेतरा	157633	215605.77	154993	204835.47
18	दुर्ग	106624	132577.73	106830	132520.70
19	कवर्धा	117292	149820.99	117343	151357.90
20	राजनांदगांव	125611	161739.28	124101	148491.59
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	67266	93048.85	66281	89174.92
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	41110	51357.33	40516	48178.87
23	बलौदाबाजार	160027	196773.16	157417	187514.04
24	धमतरी	123768	142739.19	124463	141437.62
25	गरियाबंद	85011	123161.06	83106	120018.01
26	महासमुंद	153281	253982.92	149759	241535.75
27	रायपुर	133013	160988.56	130776	157876.06
28	बलरामपुर	45453	68318.31	45936	71673.36
29	जशपुर	40146	86005.55	41091	79508.13
30	कोरिया	20316	29549.28	20442	28620.64
31	सरगुजा	54400	83878.78	52581	77128.99
32	सुरजपूर	59052	91357.04	58442	88651.98
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	16426	22307.60	15852	20843.61
	योग:-	**2549606**	**3434907.46**	**2524359**	**3343157.36**

अवर सचिव

परिशिष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 169) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में कृषि पंपों के स्थायी एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लंबित आवेदनों की जानकारी

क्रं.	विवरण	विधानसभा क्षेत्र का नाम								कुल	
		रायगढ़		लैलूंगा		खरसिया		धरमजयगढ़			
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	औपचारिकतापूर्ण लंबित पंपों की सख्या, दिसंबर 2023 की स्थिति में	618	0	112	0	441	0	645	0	1816	0
2	प्राप्त आवेदनों की संख्या (जनवरी 2024 से जून 2026 तक)	801	5546	484	1429	1152	496	1690	2468	4127	9939
3	स्वीकृत आवेदन	801	5546	484	1429	1152	496	1690	2468	4127	9939
4	अस्वीकृत आवेदन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अस्वीकृति के कारण (संक्षिप्त में)	कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया गया									

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - बारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1) की जानकारी

प्रपत्र– ''अ''

(छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 के तहत् स्वीकृत)

क्र	पट्टेदार का नाम	रकबा (हे. में)	ग्राम पंचायत	तहसील	खदान स्वीकृत / अनुबंध अवधि	स्वीकृत उत्खनन क्षमता (घन मी. / प्रतिवर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		रिमार्क
							पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	
1	सरपंच, ग्राम पंचायत चुईया	0.95	चुईया	कोरबा	03.01.2024 से 02.01.2030 तक	5710	0	0	270000	0	0	234600	0	450000	
2	सरपंच, ग्राम पंचायत कुदुरमाल	4.00	कुदुरमाल	कोरबा	08.01.2024 से 07.01.2029 तक	36000	3105000	0	2160000	0	90000	0	0	0	रेत उपलब्धता अनुबंध निष्पादित नहीं
3	सरपंच, ग्राम पंचायत तरदा	4.00	तरदा	बरपाली	20.02.2024 से 20.02.2030	24000	1440000	0	2745000	0	990000	720000	0	1200000	

क्र	पट्टेदार का नाम	रकबा (हे. में)	ग्राम पंचायत	तहसील	खदान स्वीकृत/अनुबंध अवधि	स्वीकृत उत्खनन क्षमता (घन मी. /प्रतिवर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त राजस्व (राशि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त राजस्व (राशि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त राजस्व (राशि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्राप्त राजस्व (राशि रूपयो में)		रिमार्क
							पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	
					तक										
4	सरपंच, ग्राम पंचायत जोगीपाली	4.25	जोगीपाली	बरपाली	15.03.2024 से 14.03.2030 तक	38250	180000	0	4275000	0	0	3442500	0	1200000	
5	सरपंच, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा	4.46	भैसामुड़ा	बरपाली	23.02.2024 से 22.02.2030 तक	40185	1440000	0	6255000	0	13050000	2938500	0	2849700	
6	सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा	4.8	कुदमुरा	भैसमा	29.05.2024 से 28.05.2030 तक	28800	0	0	2250000	0	1860000	2360400	0	0	
7	सरपंच, ग्राम गितारी ग्राम पंचायत महोरा	5.00	महोरा	बरपाली	17.10.2024 से 16.10.2030 तक	30000	0	0	540000	0	3960000	1500000	0	1000000	
8	सरपंच, ग्राम बगदर ग्राम	4.9	देवलापाठ	बरपाली	20.11.2024 से	37674	0	0	1125000	0	495000	0	0	0	रेत उपलब्धता अनुबंध

क्र	पट्टेदार का नाम	रकबा (हे. में)	ग्राम पंचायत	तहसील	खदान स्वीकृत / अनुबंध अवधि	स्वीकृत उत्खनन क्षमता (घन मी. / प्रतिवर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्राप्त राजस्व (राषि रूपयो में)		रिमार्क
							पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	पंचायतों को प्राप्त राजस्व	विभाग को प्राप्त राजस्व	
	पंचायत देवलापाठ				19.11.2029 तक										निष्पादित नहीं
9	सरपंच, ग्राम पंचायत चिचोली	4.90	चिचोली	बरपाली	10.01.2025 से 09.01.2031 तक	35280	0	0	1350000	0	3150000	2355600	0	1700400	
10	सरपंच, ग्राम पंचायत कछार	5.00	कछार	अजगरबहार	20.01.2025 से 19.01.2031 तक	45000	0	0	0	0	1125000	990000	0	1380000	
11	सरपंच, ग्राम पंचायत कटबितला	4.00	कटबितला	बरपाली	14.01.2025 से 13.01.2031 तक	36000	0	0	0	0	765000	1860400	0	1580000	

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
14:09:01

प्रपत्र– ''ब''

क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	रकबा (हे. में)	भण्डारण क्षमता टन में (एक समय में)	01 जून 2026 तक भण्डारित मात्रा टन में	स्वीकृति अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	श्री एस. अहमद खान	चुईया	कोरबा	0.215	10000	2500	20.12.2024 से 19.12.2029 तक	
2	श्री राजपाल सिंह	कुदमुरा	भैसमा	0.490	1724	0	07.05.2025 से 06.05.2035 तक	01 जून 2026 की स्थिति में भण्डारण निरंक
3	श्री विकास जायसवाल	भैसामुड़ा	बरपाली	0.834	15000	11290	04.06.2026 से 03.06.2028 तक	
4	सन्नी सिंह	चुईया	कोरबा	0.2510	3000	0	19.05.2026 से 18.05.2028 तक	01 जून 2026 की स्थिति में भण्डारण निरंक
5	सरपंच ग्रा.पं. भैसामुड़ा	भैसामुड़ा	बरपाली	0.6480	32000	3696	19.05.2026 से 18.05.2028 तक	

क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	रकबा (हे. में)	भण्डारण क्षमता टन में (एक समय में)	01 जून 2026 तक भण्डारित मात्रा टन में	स्वीकृति अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	सरपंच ग्राम गितारी ग्रा.पं. महोरा	गितारी ग्रा.पं. महोरा	बरपाली	0.968	35000	0	02.06.2026 से 01.06.2028 तक	01 जून 2026 की स्थिति में भण्डारण निरंक
7	श्री कृष्ण कुमार कश्यप	सण्डैल	बरपाली	0.242	16000	2900	19.05.2026 से 18.05.2028 तक	

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
14:07:13

परिशिष्ट - तेरह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 6) की जानकारी

प्रपत्र

धमतरी जिला अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में खनिज उत्खनन/भण्डारण हेतु लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण

क्र.	धमतरी जिला अंतर्गत कार्य का नाम	विधानसभा का नाम	कार्यवार वर्ष 2024 से दिनांक 25.06.2026 तक आवेदित प्रकरण	लंबित स्तर	लंबित अवधि एवं कारण
1	2	3	4	5	6
1	रेत खदान	धमतरी	ग्राम –अमेठी, ग्राम पंचायत अमेठी, तहसील धमतरी , जिला धमतरी छ0ग0 के भूमि (महानदी नदी) के खसरा नंबर 364 रकबा 42.540 हे0 में से 5.00 हे. क्षेत्र पर गौण खनिज रेत उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आपत्ति/अनापत्ति बाबत् ।	परिक्षेत्र कार्यालय	1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धमतरी का पत्र क्र/318/खनिज/स्थल/रेत 2026 दिनांक 22.05.2026 द्वारा वन विभाग की अनापत्ति हेतु पत्र प्राप्त हुआ । 2. इस कार्यालय के पत्र क्र./3279 दिनांक 04.06.2026 द्वारा संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी को स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है । 3. संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी द्वारा पत्र क्र./1785 दिनांक 08.06.2026 द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु लेख किया गया है । लंबित अवधि – 38 दिवस
2	रेत खदान	धमतरी	ग्राम –अछोटा, ग्राम पंचायत अछोटा, तहसील धमतरी, जिला धमतरी छ0ग0 के भूमि (महानदी नदी) के खसरा नंबर 1 रकबा 60.52 हे0 में से 4.99 हे. क्षेत्र पर गौण खनिज रेत उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आपत्ति/अनापत्ति बाबत् ।	परिक्षेत्र कार्यालय	1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धमतरी का पत्र क्र/307/खनिज/स्थल/रेत 2026 दिनांक 20.05.2026 द्वारा वन विभाग की अनापत्ति हेतु पत्र प्राप्त हुआ । 2. इस कार्यालय के पत्र क्र./3278 दिनांक 04.06.2026 द्वारा संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी को स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है । 3. संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी द्वारा पत्र क्र./1789 दिनांक 08.06.2026 द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु लेख किया गया है । लंबित अवधि – 38 दिवस
3	रेत खदान	धमतरी	ग्राम –कोलियारी, ग्राम पंचायत कोलियारी तहसील धमतरी जिला धमतरी छ.ग. के भूमि (महानदी नदी) के खसरा नंबर 995 रकबा 62.33 हे. में से 4.00 हे. क्षेत्र पर गौण खनिज रेत का उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आपत्ति/अनापत्ति बाबत् ।	परिक्षेत्र कार्यालय	1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धमतरी का पत्र क्र/311/खनिज/स्थल/रेत 2026 दिनांक 20.05.2026 द्वारा वन विभाग की अनापत्ति हेतु पत्र प्राप्त हुआ । 2. इस कार्यालय के पत्र क्र./3281 दिनांक 04.06.2026 द्वारा संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी को स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है । 3. संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी द्वारा पत्र क्र./1787 दिनांक 08.06.2026 द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु लेख किया गया है । लंबित अवधि – 38 दिवस

क्र.	धमतरी जिला अंतर्गत कार्य का नाम	विधानसभा का नाम	कार्यवार वर्ष 2024 से दिनांक 25.06.2026 तक आवेदित प्रकरण	लंबित स्तर	लंबित अवधि एवं कारण
1	2	3	4	5	6
4	रेत खदान	धमतरी	ग्राम –कलारतराई, ग्राम पंचायत कलारतराई, तहसील धमतरी , जिला धमतरी छ0ग0 के भूमि (महानदी नदी) के खसरा नंबर 884 रकबा 15.04 हे0 में से 5.00 हे. क्षेत्र पर गौण खनिज रेत उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आपत्ति/अनापत्ति बाबत् ।	परिक्षेत्र कार्यालय	1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धमतरी का पत्र क्र/309/खनिज/स्थल/रेत 2026 दिनांक 20.05.2026 द्वारा वन विभाग की अनापत्ति हेतु पत्र प्राप्त हुआ। 2. इस कार्यालय के पत्र क्र./3280 दिनांक 04.06.2026 द्वारा संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी को स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। 3. संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी द्वारा पत्र क्र./1791 दिनांक 08.06.2026 द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु लेख किया गया है। लंबित अवधि – 38 दिवस
5	रेत भण्डारण	कुरूद	ग्राम मंदरौद तहसील कुरूद जिला धमतरी में स्थित प.ह.नं. 00053 खसरा क्र. 1402 का भाग रकबा 0.15 हे. क्षेत्र अस्थाई गौण खनिज रेत भण्डारण की अनुमति लेने हेतु (श्री जगदीश राम निषाद नि0–मंदरौद)	परिक्षेत्र कार्यालय	1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धमतरी का पत्र क्र/499/खनिज/2026 दिनांक 16.06.2026 द्वारा वन विभाग की अनापत्ति हेतु पत्र प्राप्त हुआ। 2. इस कार्यालय के पत्र क्र./3632 दिनांक 22.06.2026 द्वारा संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी को स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। 3. संयुक्त वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल धमतरी द्वारा पत्र क्र./2012 दिनांक 24.06.2026 द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु लेख किया गया है। लंबित अवधि – 15 दिवस

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चौदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 10) की जानकारी

प्रपत्र–अ

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित ग्रामों की जानकारी

स.क.	बाढ़ प्रभावित ग्राम का नाम
1	2
1	माजरकुद
2	सिरियागढ़
3	बसंतपुर
4	उपनी
5	नवापारा (ड)
6	सकराली
7	साराडीह
8	गाडापाली
9	मोहापाली
10	कांशीडीह
11	बालपुर
12	कलमा
13	पलसदा
14	नवागांव
15	सतगढ़
16	मन्द्रागोढ़ी
17	सुलौनी
18	गोरखापाल
19	मोहन्दीकला
20	डिक्सी
21	बसंतपुर
22	औरदा
23	नवापारा
24	नगझर
25	अण्ड़ा
26	खर्री
27	खेमड़ा
28	बिलाईगढ़
29	किरकार
30	किरारी
31	लीमगांव
32	अण्ड़ी
33	चरौदा
34	दर्राभांठा
35	आडिल

प्रपत्र–ब

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यो की जानकारी

स.क	वर्ष	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	कार्य एजेन्सी का नाम	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2025–26	नवापारा	बाड़ी से नाला की ओर तटबंध निर्माण कार्य नवापारा में	19.50	ग्राम पंचायत	28.10.2025	पूर्ण
2	2025–26	नवापारा	बगान नाला में तटबंध निर्माण कार्य नवापारा में	19.50	ग्राम पंचायत	28.10.2025	पूर्ण

परिशिष्ट - पन्द्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 29) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

मस्तुरी विकास खंड के अंतर्गत खरीदी गई धान की मात्रा, भुगतान राशि, उठाव एवं अंतिम मिलान की उपार्जन केन्द्रवार जानकारी (मात्रा क्विंटल एवं राशि लाख में)

क्र.	समिति / उपार्जन केंद्र	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		धान खरीदी	भुगतान की गई राशि	धान का उठाव	लेखा मिलान	धान शार्टेज	धान खरीदी	भुगतान की गई राशि	धान का उठाव	लेखा मिलान	धान शार्टेज	धान खरीदी	भुगतान की गई राशि	धान का उठाव	लेखा मिलान	धान शार्टेज
1	एरमसाहीं /एरमसाहीं	51477.60	1126.81	49379.60	पूर्ण	2098.00	51297.60	1179.84	51297.60	पूर्ण	0.00	51348.40	1216.44	50362.00	पूर्ण	986.40
2	ओखर /ओखर	56391.20	1233.75	56391.20	पूर्ण	0.00	54824.80	1260.97	54824.80	पूर्ण	0.00	54819.20	1298.67	54819.20	पूर्ण	0.00
3	कुकदा /कुकदा	34978.80	765.66	34978.80	पूर्ण	0.00	33603.20	772.87	33603.20	पूर्ण	0.00	32820.80	777.52	32820.80	पूर्ण	0.00
4	कुकुर्दीकला /कुकुर्दीकला	31548.40	689.67	31548.40	पूर्ण	0.00	32232.40	741.35	32232.40	पूर्ण	0.00	31511.60	746.51	31511.60	पूर्ण	0.00
5	किरारी /किरारी	55282.40	1209.64	55282.40	पूर्ण	0.00	52800.40	1214.41	52800.40	पूर्ण	0.00	52526.40	1244.35	52526.40	पूर्ण	0.00
6	कौड़िया /कौड़िया	35570.00	778.57	35570.00	पूर्ण	0.00	35432.80	814.95	35432.80	पूर्ण	0.00	34872.80	826.14	34872.80	पूर्ण	0.00
7	गतौरा /गतौरा	62121.20	1359.75	59079.38	पूर्ण	3041.82	60398.80	1389.17	60398.80	पूर्ण	0.00	60003.20	1421.48	58852.53	अपूर्ण	1150.67
8	गोडाडीह /गोडाडीह	62560.40	1369.15	56604.70	पूर्ण	5955.70	56901.60	1308.74	56901.60	पूर्ण	0.00	55467.20	1314.02	55467.20	पूर्ण	0.00
9	चिल्हाटी /चिल्हाटी	52907.60	1157.75	52907.60	पूर्ण	0.00	51416.40	1182.58	51416.40	पूर्ण	0.00	50535.60	1197.19	50535.60	पूर्ण	0.00
10	जैतपुर /जैतपुर	69556.00	1522.25	69556.00	पूर्ण	0.00	66152.80	1521.51	66152.80	पूर्ण	0.00	67448.80	1597.86	67448.80	पूर्ण	0.00
11	जैतपुरी /जैतपुरी	48086.40	1052.45	48086.40	पूर्ण	0.00	45194.40	1039.47	45194.40	पूर्ण	0.00	46561.60	1103.04	46561.60	पूर्ण	0.00
12	जयरामनगर /जयरामनगर	71487.60	1564.19	70997.20	पूर्ण	490.40	68137.20	1567.16	68137.20	पूर्ण	0.00	69470.00	1645.74	69470.00	पूर्ण	0.00
13	जांजी /जांजी	57056.40	1248.96	57056.40	पूर्ण	0.00	56756.40	1305.40	56756.40	पूर्ण	0.00	57106.80	1352.86	57106.80	पूर्ण	0.00
14	जोधरा /जोधरा	86318.40	1885.71	86318.40	पूर्ण	0.00	83311.20	1916.16	83311.20	पूर्ण	0.00	82236.00	1948.17	82236.00	पूर्ण	0.00
15	टिकारी /टिकारी	86570.00	1894.11	84197.44	पूर्ण	2372.56	81892.00	1883.52	81892.00	पूर्ण	0.00	84840.00	2009.86	84840.00	पूर्ण	0.00
16	दर्रीघाट /दर्रीघाट	45366.40	993.05	45366.40	पूर्ण	0.00	44206.00	1016.74	44206.00	पूर्ण	0.00	43368.00	1027.39	43368.00	पूर्ण	0.00
17	देवरी /देवरी	22975.20	502.84	22975.20	पूर्ण	0.00	22572.80	519.17	22572.80	पूर्ण	0.00	23441.60	555.33	23441.60	पूर्ण	0.00
18	धनिया /खम्हरिया ध	37034.00	810.60	37034.00	पूर्ण	0.00	38610.40	888.04	38610.40	पूर्ण	0.00	37079.60	878.42	37079.60	पूर्ण	0.00
19	धनिया /धनिया	31770.40	695.43	31770.40	पूर्ण	0.00	34966.40	804.23	34966.40	पूर्ण	0.00	35145.20	832.59	35145.20	पूर्ण	0.00
20	ध्रुवाकारी /ध्रुवाकारी	91480.80	2001.55	91480.80	पूर्ण	0.00	86996.00	2000.91	86996.00	पूर्ण	0.00	85200.40	2018.40	85200.40	पूर्ण	0.00
21	नरगोडा /कौवांटाल	24007.60	525.49	24007.60	पूर्ण	0.00	24376.40	560.66	24376.40	पूर्ण	0.00	23554.00	557.99	23554.00	पूर्ण	0.00
22	नरगोडा /नरगोडा	19090.00	417.86	19090.00	पूर्ण	0.00	19934.00	458.53	19934.00	पूर्ण	0.00	19032.40	450.88	19032.40	पूर्ण	0.00
23	निरतू /निरतू	37662.00	824.36	37662.00	पूर्ण	0.00	37650.80	865.97	37650.80	पूर्ण	0.00	34590.40	819.45	34590.40	पूर्ण	0.00
24	पोड़ी /पोड़ी	49836.80	1090.93	49836.80	पूर्ण	0.00	51818.00	1191.81	51818.00	पूर्ण	0.00	49596.00	1174.93	49596.00	पूर्ण	0.00
25	बहतरा /बहतरा	41267.20	902.00	41267.20	पूर्ण	0.00	40456.80	930.51	40456.80	पूर्ण	0.00	40454.80	958.37	40454.80	पूर्ण	0.00
26	भटचैरा /भटचैरा	49331.60	1078.76	49331.60	पूर्ण	0.00	47550.00	1093.70	47550.00	पूर्ण	0.00	44530.40	1054.93	44530.40	पूर्ण	0.00
27	भरारी /भरारी	73875.20	1615.38	69931.25	पूर्ण	3943.95	69237.20	1592.46	69237.20	पूर्ण	0.00	68836.40	1630.73	68836.40	पूर्ण	0.00

क्र.	समिति / उपार्जन केंद्र	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		धान खरीदी	भुगतान की गई राशि	धान का उठाव	लेखा मिलान	धान शार्टेज	धान खरीदी	भुगतान की गई राशि	धान का उठाव	लेखा मिलान	धान शार्टेज	धान खरीदी	भुगतान की गई राशि	धान का उठाव	लेखा मिलान	धान शार्टेज
28	मल्हार /मल्हार	81490.40	1783.48	79780.52	पूर्ण	1709.88	79632.40	1831.55	70144.31	पूर्ण	9488.09	79262.80	1877.74	79262.80	पूर्ण	0.00
29	मस्तुरी /मस्तुरी	57169.20	1251.18	57169.20	पूर्ण	0.00	51107.60	1175.47	51107.60	पूर्ण	0.00	53110.80	1258.19	53110.80	पूर्ण	0.00
30	मस्तुरी /रिसदा	51898.40	1135.44	50412.67	पूर्ण	1485.73	40879.20	940.22	38960.24	पूर्ण	1918.96	44866.80	1062.89	44866.80	पूर्ण	0.00
31	मानिक चौरी /मानिक चौरी	63956.00	1399.34	63956.00	पूर्ण	0.00	58828.80	1353.06	58828.80	पूर्ण	0.00	59257.60	1403.81	59257.60	पूर्ण	0.00
32	लोहर्सी /लोहर्सी	65776.80	1436.94	65776.80	पूर्ण	0.00	64134.00	1475.09	64134.00	पूर्ण	0.00	62138.40	1472.06	62138.40	पूर्ण	0.00
33	वेद परसदा /वेद परसदा	58355.60	1276.93	55853.98	पूर्ण	2501.62	56927.20	1309.33	56927.20	पूर्ण	0.00	58011.60	1374.29	58011.60	पूर्ण	0.00
34	विद्याडीह /विद्याडीह	39644.40	866.85	39644.40	पूर्ण	0.00	38224.80	879.17	38224.80	पूर्ण	0.00	38867.60	920.77	38867.60	पूर्ण	0.00
35	सीपत /सीपत	64111.60	1403.36	64111.60	पूर्ण	0.00	65639.20	1509.70	65639.20	पूर्ण	0.00	65182.80	1544.18	65182.80	अपूर्ण	0.00
36	सोठी /सोठी	66676.40	1459.29	66676.40	पूर्ण	0.00	72167.60	1659.85	72167.60	पूर्ण	0.00	70843.60	1678.28	70843.60	पूर्ण	0.00
37	सोन /सोन	64774.00	1415.48	64774.00	पूर्ण	0.00	64512.40	1483.79	64512.40	पूर्ण	0.00	63658.40	1508.07	63658.40	पूर्ण	0.00
	योग:-	1999462.40	43744.94	1975862.74		23599.66	1940780.00	44638.04	1929372.95		11407.05	1931598.00	45759.56	1929460.93		2137.07

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र 'ब'

मस्तुरी विकास खंड के अंतर्गत धान खरीदी में पायी गई शार्टेज एवं अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति की उपार्जन केन्द्रवार जानकारी

(मात्रा क्विंटल एवं राशि लाखों मे)

क्रं.	विकास खंड का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शार्टेज /कमी की मात्रा क्वि. मे	शार्टेज /कमी की राशि	दोषी कर्मचारी पदाधिकारी का नाम	पद	नोटिस जारी		निलंबित की स्थिति		विभाग द्वारा FIR हेतु पत्र जारी		कार्य से पृथक किया गया है, तो वर्ष	पुलिस मे अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर.)			वसूली की राशि	
							पत्र क्रं.	दिनांक	पत्र क्रं.	दिनांक	पत्र क्रं.	दिनांक		प्रकरण क्रं.	दिनांक	पुलिस थाने का नाम	कुल वसूली की जानी थी	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
वर्ष 2023–24																		
1	मस्तुरी	गोडाडीह	5955.70	184.63	प्रकाश लहरे	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	-	-	2024-2025	210	26/7/24	पचपेड़ी	184.63	0.00
		भरारी	3943.95	122.26	रेशमलाल कांत	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	2148	22/11/24	2024-2025	—	—	—	122.26	0.00
		गतौरा	3041.82	94.30	पुकराम धृतलहरे	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	1964	30/10/2024	2024-2025	—	—	—	94.30	0.00
		वेद परसदा	2501.62	77.55	दीपक सिंह ठाकुर	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	-	-	2024-2025	—	—	—	77.55	0.00
		टिकारी	2372.56	73.55	जनक भार्गव	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	-	-	2024-2025	—	—	—	73.55	0.00
		एरमसाहीं	2098.00	65.04	ववलूराम धृतलहरे	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	2147	22/10/2024	2024-2025	—	—	—	65.04	0.00
		मल्हार	1709.88	53.01	अजय सिंह	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	-	-	2024-2025	—	—	—	53.01	0.00
		रिसदा	1485.73	46.06	सचिन लहरे	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	2149	22/11/2024	2024-2025	—	—	—	46.06	0.00
		जयरामनगर	490.40	15.20	रंजीत कुमार धृतलहरे	खरीदी प्रभारी	1902	20.11.2024	—	—	2146	22/11/2024	2024-2025	—	—	—	15.20	15.20
योग			**23599.66**	**731.59**													**731.59**	**15.20**
वर्ष 2024–25																		
2	मस्तुरी	मल्हार	9488.09	294.13	श्री संतकुमार यादव	खरीदी प्रभारी	2971	08.12.25	2	12.02.25	2	12.02.25	—	—	25.02.2025	मल्हार	294.13	0
		रिस्दा	1918.96	59.49	श्री कृष्ण कुमार करियारें	खरीदी प्रभारी	2971	08.12.25	—	—	—	—	—	—	12.06.2025	मस्तुरी	59.49	0
योग			**11407.05**	**353.62**													**353.62**	
वर्ष 2025–26																		
3	मस्तुरी	गौतरा	986.40	30.58	श्री कोमल प्रसाद	संस्था प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	213	03.04.2026	मस्तुरी	30.58	0
		गौतरा			श्री राजेन्द्र राठौर	प्राधिकृत अधिकारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0
		गौतरा			श्री लवकुमार यादव	संस्था प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0
		एरमशाही	1150.63	35.67	श्री कांशी राम खुटे	कम्प्यूटर आपरेटर	—	—	—	—	—	—	—	821	15.12.2026	मस्तुरी	35.67	0
		एरमशाही			श्री दुर्गा प्रसाद पटेल	प्राधिकृत अधिकारी	—	—	—	—	—	—						
योग			**2137.03**	**66.25**													66.25	0

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - सोलह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 36) की जानकारी

iii=&v

जनवरी 2024 से दिनांक 25.06.2026 तक मुंगेली जिलें में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना, अतिरिक्त पोल, सब स्टेशनों का क्षमता विस्तार एवं स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र की जानकारी

क्र.	विकास खंड का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की संख्या							कार्य पूर्णता की संख्या						
			नये अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर	नये अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर	नये अतिरिक्त पोल	सब-स्टेशन क्षमता विस्तार		नये 33 /11 के. व्ही. उपकेन्द्र	फेल ट्रांसफार्मर की संख्या	नये अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर	नये अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर	नये अतिरिक्त पोल	सब-स्टेशन क्षमता विस्तार		नये 33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्र	ट्रांस की
						पॉवर ट्रांसफार्मर	वितरण ट्रांसफार्मर						पॉवर ट्रांसफार्मर	वितरण ट्रांसफार्मर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
1	मुंगेली	282	5	55	1678	2	12	2	616	5	50	1486	1	1	2	6
2	पथरिया	228	1	11	138	1	6	2	317	1	10	106	1	5	2	3
3	लोरमी	159	3	62	2140	3	17	2	371	2	56	2122	3	2	0	3
	योग	669	9	128	3956	6	35	6	1304	8	116	3714	5	8	4	13

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा
मंत्रालय, नवा रायपुर

प्रपत्र ब

पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत स्थापित सोलर प्लांट की श्रेणीवार वर्षवार जानकारी

क्रमांक	प्रकार	वर्ष	सोलर प्लांट क्षमता			
			1 किलोवाट	2 किलोवाट	3 किलोवाट या अधिक	कुल
1	पंजीकृत आवेदन	2024	10	12	85	107
		2025	5255	3727	5139	14121
		2026	77	62	494	633
		कुल	**5342**	**3801**	**5718**	**14861**
2	स्थापित सोलर प्लांट	2024	0	3	41	44
		2025	4	47	677	728
		2026	0	4	107	111
		कुल	**4**	**54**	**825**	**883**
3	लंबित आवेदन	2024	10	9	44	63
		2025	5251	3680	4462	13393
		2026	77	58	387	522
		कुल	**5338**	**3747**	**4893**	**13978**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–स

पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत स्थापित सोलर प्लांट की सब्सिडी की जानकारी

वर्ष	स्थापित सोलर प्लांट	केन्द्र से प्राप्त सब्सिडी की राशि हितग्राही वार			सब्सिडी राशि राज्य		
		संख्या	राशि	शेष	संख्या	राशि	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	44	34	2577120	10	12	346500	32
2025	728	516	39746340	212	340	10132200	388
2026	111	36	2778840	75	2	60000	109
कुल योग	**883**	**586**	**45102300**	**297**	**354**	**10538700**	**529**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - सत्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 41) की जानकारी

"प्रपत्र"

विधानसभा क्षेत्र का नाम	अवैध उत्खनन					अवैध परिवहन					अवैध भंडारण		
	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	जप्त वाहनों की संख्या	जप्त चैन माउंटेन/ जेसीबी मशीन की संख्या	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	जप्त वाहनों की संख्या	जप्त चैन माउंटेन/ जेसीबी मशीन की संख्या	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि
संजारी बालोद	9	9	1131750	4	10	145	145	3585685	145	0	7	7	203175
डौण्डीलोहरा	5	5	366300	8	5	14	14	304850	14	0	3	3	107775
गुण्डरदेही	7	7	438850	4	3	55	55	1316465	55	0	13	13	570740
योग :-	**21**	**21**	**1936900**	**16**	**18**	**214**	**214**	**5207000**	**214**	**0**	**23**	**23**	**881690**

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
19:36:50

परिशिष्ट - अट्ठारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 46) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक **जिला उत्तर बस्तर कांकेर में खनिजों के अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों की जानकारी**

स.क.	अवधि	खनिजों के अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों की संख्या	कुल वसूल की गई समझौता राशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024	07	5,70,400
2	01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025	06	7,77,200
3	01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026	03	3,83,800
योग		**16**	**17,31,400**

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
19:52:38

परिशिष्ट - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 51) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2024 से 17.06.2026 तक अवधि में घरेलू, कृषि एवं व्यवसायिक बिजली की दरों में वृद्धि का विवरण

श्रेणी – निम्नदाब घरेलू

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)
1	0–100	3.70	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	3.90	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	**0.20**	**0.00**	4.10	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	**0.20**	0.00	4.40	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 50/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	**0.30**	रू. 10 प्रति कि.वाट प्रति माह (स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक वाले उपभोक्ताओं के लिए)
2	101–200	3.90		4.10		**0.20**		4.20		**0.10**		4.50		**0.30**	
3	201–400	5.30		5.50		**0.20**		5.60		**0.10**		6.00		**0.40**	
4	401–600	6.30		6.50		**0.20**		6.60		**0.10**		7.00		**0.40**	
5	601 और अधिक	7.90		8.10		**0.20**		8.30		**0.20**		8.80		**0.50**	

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

श्रेणी – उच्चदाब घरेलू

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)
1	सम्पूर्ण खपत पर	6.05	375	6.55	375	**0.50**	**0.00**	6.80	375	**0.25**	**0.00**	7.10	400	**0.30**	रू. 25 प्रति केव्हीए प्रति माह

श्रेणी – निम्नदाब कृषि

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)
1	सम्पूर्ण खपत पर	5.05	100	5.30	100	**0.25**	**0.00**	5.80	100	**0.50**	**0.00**	6.20	100	**0.40**	**0.00**

श्रेणी – उच्चदाब कृषि

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)
1	सम्पूर्ण खपत पर	5.85	375	6.35	375	**0.50**	**0.00**	6.60	375	**0.25**	**0.00**	7.00	400	**0.40**	रू. 25 प्रति केव्हीए प्रति माह

श्रेणी – निम्न गैर घरेलू (व्यवसायिक)

स.क्र.	उप–श्रेणी	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में वृद्धि	
			ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/ माह)
1	सिंगल फेस (5 किवा तक)	0–100	5.85	50	6.05	50	**0.20**	**0.00**	6.30	50	**0.25**	**0.00**	6.50	60	**0.20**	रू. 10 प्रति कि.वाट प्रति माह
2		101–400	6.85		7.05		**0.20**		7.30		**0.25**		7.60		**0.30**	
3		401 और अधिक	8.25		8.45		**0.20**		8.70		**0.25**		9.10		**0.40**	
4	थ्री फेस (15 किवा तक)	0–400	6.85	120	7.05	120	**0.20**	**0.00**	7.30	120	**0.25**	**0.00**	7.50	130	**0.20**	रू. 10 प्रति कि.वाट प्रति माह
		401 और अधिक	8.25		8.45		**0.20**		8.70		**0.25**		9.00		**0.30**	
5	थ्री फेस (15 किवा से अधिक)	सम्पूर्ण खपत पर	7.55	200	7.75	200	**0.20**	**0.00**	8.00	200	**0.25**	**0.00**	8.40	210	**0.40**	रू. 10 प्रति कि.वाट प्रति माह

श्रेणी – उच्चदाब गैर घरेलू (व्यवसायिक)

स.क्र.	उप– श्रेणी (आपूर्ति वोल्टेज)	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में वृद्धि	
			ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/ माह)
1	220 केवी	सम्पूर्ण खपत पर	6.45	375	6.55	375	**0.10**	**0.00**	6.65	375	**0.10**	**0.00**	6.95	400	**0.30**	रू. 25 प्रति केव्हीए प्रति माह
2	132 केवी		6.60	375	6.70	375	**0.10**	**0.00**	6.80	375	**0.10**	**0.00**	7.10	400	**0.30**	रू. 25 प्रति केव्हीए प्रति माह
3	33 केवी (लोड फैक्टर >15%)		6.85	375	6.95	375	**0.10**	**0.00**	7.20	375	**0.25**	**0.00**	7.55	400	**0.35**	रू. 25 प्रति केव्हीए प्रति माह
4	33 केवी (लोड फैक्टर ≤15%)		7.05	190	7.15	190	**0.10**	**0.00**	7.40	190	**0.25**	**0.00**	7.75	200	**0.35**	रू. 10 प्रति केव्हीए प्रति माह
5	11 केवी (लोड फैक्टर >15%)		7.25	375	7.35	375	**0.10**	**0.00**	7.60	375	**0.25**	**0.00**	7.85	400	**0.25**	रू. 25 प्रति केव्हीए प्रति माह
6	11 केवी (लोड फैक्टर ≤15%)		7.45	190	7.65	190	**0.20**	**0.00**	7.9	190	**0.25**	**0.00**	8.15	200	**0.25**	रू. 10 प्रति केव्हीए प्रति माह

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
...ालय, नया रायपुर अटल नग...

प्रपत्र–ब

घरेलू, कृषि एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बिजली दरों में प्रदान की जा रही छूट का विवरण

1/ बी.पी.एल. उपभोक्ता–

1.1 बी.पी.एल. श्रेणी के घरेलु उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट निःशुल्क विद्युत खपत की सुविधा प्रदान की गई है।

1.2 बी.पी.एल. श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 31 यूनिट से 100 यूनिट तक मासिक खपत करने पर 30 यूनिट से अधिक खपत पर मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत् ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार एवं फ्यूल एण्ड पॉवर परचेस सरचार्ज पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

2/ घरेलू उपभोक्ता–

2.1 मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत राज्य के सभी अन्य घरेलु उपभोक्ताओं को उनके द्वारा प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की खपत पर प्रथम 200 यूनिट के बिल में समाहित ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार एवं फ्यूल एण्ड पॉवर परचेस की कुल देय राशि का 50 प्रतिशत की छूट लाभ दिया जा रहा है एवं माह में 400 यूनिट से अधिक खपत अथवा 06 माह से अधिक अवधि का बिजली बिल बकाया होने पर मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना की पात्रता नहीं रहेगी।

2.2 टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार सभी निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर किराये से छूट है।

3/ गैर–घरेलू उपभोक्ता–

3.1 ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान निम्न प्रयोजनो पर लागू होगाः–

3.1.1 पंजीकृत महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रयोजनों पर।

3.1.2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों एवं बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 22 अगस्त 2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित निजी क्लिनिकों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स जिसमें एक्सरे प्लांट, डायग्नोस्टिक सेंटर और पेथॉलाजीकल लेब शामिल हैं।

3.2 22 अगस्त 2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में स्थापित मोबाईल टॉवरों के ऊर्जा प्रभार पर 25 प्रतिशत छूट प्रदत्त होगा।

4/ कृषि विद्युत कनेक्शनों के उपभोक्ता

4.1 डा. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना के तहत कृषकों के 5 एचपी तक कृषि पंप कनेक्शन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को संपूर्ण वार्षिक खपत पर तथा अन्य वर्ग के कृषकों को 3 एच.पी. क्षमता तक 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 एच. पी. क्षमता तक के पंपों पर 7500 यूनिट प्रतिवर्ष निःशुल्क बिजली प्रदाय की जा रही है।

उल्लेखित छूट के अतिरिक्त योजना के तहत कृषि सिंचाई पंपों हेतु फ्लैट रेट विकल्प की भी सुविधा प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार कृषकों को फ्लैट रेट विकल्प चयन करने पर 5 एच.पी. क्षमता तक के प्रथम पंप पर रूपये 100 प्रति एच.पी. प्रतिमाह का

विकल्प है। इसके अतिरिक्त अन्य पंपों पर फ्लैट रेट का विकल्प निम्न तालिका अनुसार है:–

क्र	पंप की क्षमता	फ्लैट रेट की दर
1	5 एच.पी. क्षमता तक द्वितीय पंप पर	रूपये 200 प्रति एच.पी. प्रतिमाह
2	5 एच.पी. से अधिक क्षमता के प्रथम एवं द्वितीय पंप पर	रूपये 200 प्रति एच.पी. प्रतिमाह
3	5 एच.पी. तक के एवं 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर	रूपये 300 प्रति एच.पी. प्रतिमाह

4.2 गैर सहायता प्राप्त कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार पर 40 प्रतिशत के छूट की अनुमति का प्रावधान है।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 53) की जानकारी

प्रपत्र – "अ"

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण का प्रतिशत	कार्य की स्थिति/ शेष कार्य
1	इस नीति के अंतर्गत ईवी वाहनों को प्रोत्साहन देते हुए ईवी वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है :		

EV का वर्गीकरण	नीति के लागू होने से वर्ष 2025–26 तक का लक्ष्य	EV का वर्गीकरण	लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति का प्रतिशत	EV का वर्गीकरण	लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति
2– व्हीलर	84000	2– व्हीलर	125%	2– व्हीलर	105234
3– व्हीलर	7000	3– व्हीलर	647%	3– व्हीलर	45339
4– व्हीलर (गैर– वाणिज्यिक)	5000	4– व्हीलर (गैर– वाणिज्यिक)	142%	4– व्हीलर (गैर– वाणिज्यिक)	7124
4– व्हीलर (वाणिज्यिक)	550	4– व्हीलर (वाणिज्यिक)	16.70%	4– व्हीलर (वाणिज्यिक)	92
बसें	300	बसें	0%	बसें	0

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण का प्रतिशत	कार्य की स्थिति/ शेष कार्य
2	ईवी सब्सिडी प्रोत्साहन	निरन्तर प्रकियारत	लगभग 154.68 करोड़ सब्सिडी राशि के रूप में प्रदाय किया गया।
3	जिसमें वर्ष 2027 तक सभी नये वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) का 15% के योगदान का उद्देश्य रखा गया है,	7%	15% के लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभाग प्रयासरत है।

Year	2 Wheeler Total Reg	2 Wheeler EV	3 Wheeler Total Reg	3 Wheeler EV	4 Wheeler Total Reg	4 Wheeler EV
2021	5287256	4624	65096	5071	541597	116
2022	5656622	18192	71872	10671	594092	484
2023	6072320	42413	84611	22028	653210	2022
2024	6609182	75294	99896	35749	712238	3923
2025	7190458	106283	117146	49687	780156	6602
2026	7455075	126705	125745	57330	823337	8924

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण का प्रतिशत	कार्य की स्थिति/ शेष कार्य
4	एग्रीगेटर सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने बेड़े में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का प्रावधान किया गया है।	-	छत्तीसगढ़ राज्य एग्रीगेटर पॉलिसी की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
5	अकुशल या प्रदूषणकारी वाहनों पर अतिरिक्त कर, उपकर, शुल्क आदि लगाने के लिए एक छत्र, गैर–व्यपगत 'राज्य ईवी फंड' का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है	-	वर्तमान में राज्य ईवी फंड की स्थापना नहीं की गई है।
6	इस नीति अवधि के दौरान राज्य में बेची और पंजीकृत इलेक्ट्रिक बसों एवं मालयानों की बिक्री पर एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	-	प्राप्त आवेदनों की जानकारी निरंक है। आवेदन प्राप्त होने पर लाभ दिया जाएगा।
7	बसों एवं मालयान के लिए पहले पांच वर्षो के लिए पंजीकरण शुल्क में शत–प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जाएगी।	-	प्राप्त आवेदनों की जानकारी निरंक है। आवेदन प्राप्त होने पर लाभ दिया जाएगा।
8	विनिर्माण संबंधित प्रोत्साहन इस नीति के अंतर्गत प्रावधानित है।	-	प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नीति अनुरूप प्रोत्साहन दिया जाएगा।
9	पब्लिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाने पर इस नीति के अनुरूप प्रोत्साहन प्रावधानित है।	-	प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नीति अनुरूप प्रोत्साहन दिया जाएगा।
10	राज्य के सभी शहरों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के किनारे चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाने पर प्रोत्साहन राशि प्रावधानित है।	-	प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नीति अनुरूप प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र - "ब"

राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 53 का उत्तर

1.	प्रश्न कमांक	—	53
2.	विभाग से उत्तर प्राप्त होने की तिथि	—	03.07.2026
3.	सदन में उत्तर देने की तिथि	—	13.07.2026
4.	वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है	—	वर्ग–01

परिवहन विभाग

विषय :– **छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति का क्रियान्वयन।**

द्वारा :– श्री अजय चन्द्राकर (वि.स.सदस्य)

तारांकित प्रश्न

प्रश्न	उत्तर
(ख) उक्त नीति अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किन–किन शहरों के लिये कितनी ई–बसों की मंजूरी प्राप्त हुयी थी और वर्तमान में कितनी बसें संचालित हो रही है तथा शेष कितनी बसों का संचालन किन कारणों से नहीं किया जा रहा है और कब तक की जाना है?	प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर हेतु 100 ई–बस, दुर्ग भिलाई हेतु 50 ई–बस, बिलासपुर हेतु 50 ई–बस और कोरबा हेतु 40 ई–बस इस प्रकार कुल 240 ई बसों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूपीएसएस द्वारा निर्माणाधीन सिविल डिपों इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बीटीएम पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्णता तथा भारत सरकार से ई–बसों की प्राप्ति पश्चात् चयनित बस आपरेटर द्वारा ई–बसों का संचालन किया जावेगा।

अवर सचिव अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

24/6/26
उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य शहरी विकास अभिकरण
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - इक्कीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 68) की जानकारी

प्रपत्र

(जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी में लकड़ी तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी कटाई।)

क्र.	वनमण्डल का नाम	जिले का नाम	देववाड़ी सर्कल अंतर्गत टाटेकसा बीट	अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण की जानकारी (प्रश्नांश 'क' में दर्शित अनुसार)		अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण में जप्त वनोपज एवं जप्त वाहन				प्रकरण में अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण			प्रकरणों में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
				प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	व्यक्तियों का नाम	काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (चट्टे में)	बल्ली (नग में)	जप्त वाहन (प्रकार सहित)	अभिसंधानित	प्रक्रियाधीन	न्यायालय में प्रस्तुत		
1	मोहला	मोहला–मानपुर–अंबागढ चौकी	कक्ष क्रमांक 751	761 / 04 दिनांक 09.05.2026	अज्ञात	133 नग = 10.534 घ. मी.	–	–	मोटर सायकल 01 नग डिस्कव्हर एम.एच. 33 एच 7948 एवं 01 नग लकड़ी काटने का मशीन	–	प्रक्रियाधीन	–	तत्कालीन सहायक परिक्षेत्र अधिकारी देववाड़ी श्री पुरूषोत्तम सिंह भलावी उपवनक्षेत्रपाल को मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग के आदेश क्रमांक 247 दिनांक 19.05.2026 एवं परिसर रक्षक श्री खेमचंद देशलहरा वनरक्षक को वनमंडलाधिकारी मोहला के आदेश क्रमांक 186 दिनांक 21.05.2026 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन के तहत निलंबित किया गया है।	•

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट - बाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 73) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

खनिज रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के दर्ज प्रकरणों की वर्षवार जानकारी

जिले का नाम :- धमतरी

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	वर्ष	अवैध उत्खनन				अवैध परिवहन			अवैध भण्डारण			
		दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वाहनों की संख्या	जप्त मशीनों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वाहनों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वाहनों की संख्या	जप्त मशीनों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2024-25	33	1	32	36.07	301	301	117.99	11	0	11	10.37
2	2025-26	7	0	8	18.57	407	407	106.41	10	0	10	6.13
3	2026-27 (Upto 20.06.2026)	8	5	11	25.37	168	168	37.10	2	0	2	1.80
	योग :-	**48**	**6**	**51**	**80.01**	**876**	**876**	**261.50**	**23**	**0**	**23**	**18.30**

जिले का नाम :- कांकेर

क्र.	वर्ष	अवैध उत्खनन				अवैध परिवहन			अवैध भण्डारण			
		दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वाहनों की संख्या	जप्त मशीनों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वाहनों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वाहनों की संख्या	जप्त मशीनों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2024-25	5	3	4	5.06	130	130	25.94	2	0	0	1.94
2	2025-26	5	4	5	7.45	99	99	27.65	13	6	11	9.82
3	2026-27 (Upto 20.06.2026)	8	18	8	12.69	64	64	13.46	4	9	4	2.65
	योग :-	**18**	**25**	**17**	**25.20**	**293**	**293**	**67.05**	**19**	**15**	**15**	**14.41**

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
17:18:18

प्रपत्र ''ब''

जिला धमतरी के ग्राम खरेंगा में दिनांक 28.05.2026 को खनिज रेत के अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण का विवरण

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	खनिज की मात्रा (घन मीटर)	वसूल की गई राशि (रूपयों में)
1	तेजराम बघेल	ट्रेक्टर	सीजी 05 एपी 2099	3	54050/–
2	अमित शर्मा	ट्रेक्टर	सीजी 05 एसी 9123	3	
3	लोकेश विश्वकर्मा	ट्रेक्टर	स्वराज सोल्ड	3	
4	उमाशंकर साहू	ट्रेक्टर	स्वराज सोल्ड	3	
5	खिलावन साहू	ट्रेक्टर	सीजी 05 एआर 1260	3	

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
17:17:41

परिशिष्ट - तेईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 80) की जानकारी

'प्रपत्र'

जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई अंतर्गत वर्ष 2025–26 में खरीदे गये धान की केन्द्रवार जानकारी

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.	समिति	उपार्जन केन्द्र	कुल खरीदी
1	2	3	4
1	अतरिया	अतरिया	106463.20
2	अमलीडीह	अमलीडीह	54358.80
3	अमलीडीह	भूलाटोला	47673.20
4	अमलीपारा	अमलीपारा	138711.20
5	आमदनी	सिंगारघाट	100966.80
6	ईटार	ईटार	81528.40
7	उदयपुर	उदयपुर	97863.20
8	कुकुरमुडा	रोडअतरिया	53869.60
9	कामठा	कामठा	112667.20
10	गंडई	गंडई	123995.60
11	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	108015.60
12	गोपालपुर	गोपालपुर	46658.00
13	गोपालपुर	वीरुटोला	32859.60
14	गोपालपुर	श्यामपुर	75509.20
15	जालबांधा	जालबांधा	118026.80
16	झूरानदी	झूरानदी	79138.00
17	टोलागांव	टोलागांव	112382.80
18	डोकराभाठा	डोकराभाठा	93963.20
19	धोधा	काशीटोला	13222.00
20	धोधा	धोधा	64751.60
21	नचनिया	नचनिया	95221.60
22	पैलीमेटा	ठाकुरटोला (साल्हेवारा)	74816.00
23	पैलीमेटा	पैलीमेटा	25990.40
24	पैलीमेटा	मोहगांव	49262.40
25	पांडादाह	पांडादाह	68266.40
26	बकरकटटा	बकरकटटा	31850.00
27	बढईटोला	बढईटोला	120139.60
28	बुंदेली	बुदेली	69625.20
29	बरबसपुर	बरबसपुर	61023.20
30	बरबसपुर	सुखरी	5976.00
31	बैहाटोला	बैहाटोला	75536.40
32	भंडारपुर	चिचोला	80511.20
33	भंडारपुर	भंडारपुर	73086.00
34	भोथली	भोथली	52870.00
35	भोरमपुरकला	भोरमपुरकला	69035.20
36	मड़ोदा	मड़ोदा	97379.60
37	मुढीपार	गातापारजंगल	41932.80
38	मुढीपार	मुढीपार	99347.20
39	मानिकचौरी	मानिकचौरी	56550.80
40	रगरा	रगरा	76423.20
41	रामपुर	रामपुर	61572.00
42	लिमो	लिमो	85218.00
43	विचारपुर	विचारपुर	67402.80
44	विचारपुर (मुढीपार)	ठेलकाडीह	4074.80
45	विचारपुर (मुढीपार)	महरूमकला	75151.20
46	विचारपुर (मुढीपार)	विचारपुर	114627.20
47	संडी	संडी	74927.60
48	सलौनी	सलौनी	115646.00
49	सिलपट्टी	सिलपटटी	75178.40
50	हनईबन	ठंढार	26099.20
51	हनईबन	हनईबन	70195.20
	योग:-		3757559.60

परिशिष्ट - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 129) की जानकारी

प्रपत्र

संचालित, स्वीकृत एवं प्रस्तावित योजनायें

स.क्र.	योजना का नाम	बजट में शामिल वर्ष	प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति		रूपांकित सिंचाई क्षमता हे मे	रिमार्क
			राशि लाख में	दिनांक		
01	02	03	04	05	06	07
जोंक नदी पर संचालित योजनायें						
01	जोंक व्यपवर्तन योजना				14569	प्रारंभ वर्ष 1975 पूर्णता 03/2005
02	जोंक नदी पर देवरूंग एनीकट	2012-2013	533.98	30.03.2013	50	कार्य पूर्ण
03	जोंक नदी पर राजा देवरी एनीकट	2009-2010	492.91	24.09.2009	50	कार्य पूर्ण
04	जोंक नदी पर माना कोनी एनीकट	2013-2014	470.32	03.03.2014	130	कार्य पूर्ण
	योग:-		**1497.21**		**14799**	
जोंक नदी पर स्वीकृत योजना						
01	जोंक शीर्ष का जीर्णोध्दार एवं डाउन स्ट्रीम मे तटबंध निर्माण कार्य	2024-25	584.11	16.10.2025	4303	कार्य प्रगति पर
	योग:-		**584.11**		**4303**	
जोंक नदी पर प्रस्तावित योजनायें						
01	जोकनदी पर मानाकोनी एनीकट निर्माण	2025-26			-	
02	जोंक नदी पर अमोदी एनीकट कम काजवे एवं उदवहन सिंचाई योजना	2025-26			1980	
03	जोंक नदी पर भवरींद मानाकोनी एनीकट कम काजवे एवं उदवहन सिंचाई योजना का निर्माण	2025-26			2130	

01	02	03	04	05	06	07
04	जोंक व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्रमांक 355 से 522 एवं चैन क्रमांक 50 से 120 तक एप्रोच रोड तथा शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं डाउन स्ट्रीम में तटबंध निर्माण कार्य	2025-26			4307	
05	जोंक मुख्य नहर के कि.मी. 60 से 75 कि.मी. तक जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	2026-27			750	
	योग:-				**9167**	
महानदी पर प्रस्तावित योजनायें						
01	महानदी में मिरौनी बैराज के अपस्ट्रीम में जैतपुर Mega Lift उदवहन सिंचाई योजना	2025-26			1980	
02	महानदी में शिवरीनारायण बैराज के अपस्ट्रीम में गिधौरी Mega Lift उदवहन सिंचाई योजना	2025-26			2150	
	योग:-				**4130**	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
16:25:54

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग,

परिशिष्ट - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 130) की जानकारी

<u>प्रपत्र</u>

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज एवं अल्पकालीन ऋण वितरण की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2023–24

क्र.	समिति का नाम	अल्पकालीन ऋण वितरण (राशि रू. लाख में)		खाद वितरण (मात्रा टन में)			बीज वितरण (मात्रा क्विटल में)	
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	भण्डारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सलौनीकला	300.00	363.69	400	537	519	243.30	243.30
2	नगरदा	300.00	332.92	300	544	544	240.00	240.00
3	टुण्ड्री	350.00	420.31	350	417	417	240.00	240.00
4	रामपुर	250.00	266.42	375	449	449	315.00	315.00
5	पुरगांव	300.00	369.47	400	409	397	240.00	240.00
6	बिलाईगढ़	250.00	291.80	325	362	362	368.00	368.00
7	धनसीर	250.00	238.23	250	333	333	135.30	135.30
8	पवनी	150.00	193.19	250	337	333	210.00	210.00
9	सलिहा	200.00	240.15	300	358	358	150.00	150.00
10	पिरदा	250.00	302.62	310	363	363	60.00	60.00
11	जमगहन	300.00	337.76	325	441	437	189.30	189.30
12	भटगांव	250.00	267.98	300	336	336	266.10	266.10
13	धनगांव	250.00	268.04	320	394	394	39.90	39.90
14	जोरा	300.00	362.77	320	482	482	75.00	75.00
15	सोहागपुर	200.00	250.98	250	301	299	120.00	120.00
16	बेलाडूला	150.00	179.54	200	188	188	120.00	120.00
17	गाताडीह	200.00	195.30	200	238	236	50.00	50.00
18	मनपसार	300.00	334.83	250	352	336	240.00	240.00
19	गोपालपुर	350.00	380.96	350	454	436	480.00	480.00

क्र.	समिति का नाम	अल्पकालीन ऋण वितरण (राशि रू. लाख में)		खाद वितरण (मात्रा टन में)			बीज वितरण (मात्रा क्विटल में)	
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	भण्डारण	वितरण
21	सरसीवां	350.00	415.93	346	400	398	240.00	240.00
22	पेण्ड्रावन	350.00	419.22	400	462	460	450.00	450.00
23	बम्हनपुरी	150.00	147.04	180	188	187	120.00	120.00
24	बालपुर	350.00	326.53	300	410	409	240.00	240.00
25	देवरीनगेडी	150.00	159.44	350	349	305	120.00	120.00
26	गोलाझर	200.00	182.23	330	323	315	50.00	50.00
27	थरगांव	200.00	246.90	400	460	373	120.00	120.00
28	बिलारी	150.00	166.47	400	486	456	99.00	99.00
29	खैरा	300.00	304.53	250	276	249	30.00	30.00
30	बया	250.00	384.62	400	621	611	145.20	145.20
31	बार	500.00	500.06	450	1053	907	236.40	236.40
32	रिकोकला	250.00	237.40	350	425	386	120.00	120.00
33	हसुवा	250.00	373.58	424	659	588	187.50	187.50
34	अमोदी	250.00	321.59	350	511	434	202.50	202.50
35	मटिया	200.00	275.72	400	377	330	250.20	250.20
36	नरधा	200.00	235.38	300	306	252	144.60	144.60
37	दुण्डरा	200.00	254.80	350	442	417	360.00	360.00
38	कुम्हारी	250.00	278.37	350	417	393	120.00	120.00
39	गिरौद	200.00	277.49	357	432	385	198.60	198.60
40	चिखली	200.00	265.93	360	606	434	70.20	70.20
41	सोनाखान	150.00	157.87	350	414	344	50.00	50.00
योग		**10200.00**	**11747.09**	**13347**	**17113**	**16053**	**7456.10**	**7456.10**

वर्ष 2024—25

1	सलौनीकला	400.00	360.55	700	516	458	510.00	510.00
2	नगरदा	350.00	325.43	650	474	474	300.00	300.00
3	टुण्ड्री	400.00	360.61	650	420	420	240.00	240.00
	[illegible]	300.00	265.67	550	387	379	210.00	210.00

क्र.	समिति का नाम	अल्पकालीन ऋण वितरण (राशि रू. लाख में)		खाद वितरण (मात्रा टन में)			बीज वितरण (मात्रा क्विटल में)	
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	भण्डारण	वितरण
5	पुरगांव	400.00	366.17	600	460	460	210.00	210.00
6	बिलाईगढ़	300.00	278.13	500	363	351	300.00	300.00
7	धनसीर	250.00	234.92	550	352	352	120.00	120.00
8	पवनी	200.00	184.80	300	284	277	150.00	150.00
9	सलिहा	250.00	236.93	350	359	359	120.00	120.00
10	पिरदा	350.00	319.59	350	327	327	60.00	60.00
11	जमगहन	350.00	319.59	450	426	426	150.00	150.00
12	भटगांव	250.00	250.27	450	364	337	300.00	300.00
13	धनगांव	300.00	270.91	400	367	360	60.00	60.00
14	जोरा	350.00	328.93	550	435	435	150.00	150.00
15	सोहागपुर	300.00	268.85	600	320	320	150.00	150.00
16	बेलाडूला	200.00	167.31	665	197	181	60.00	60.00
17	गाताडीह	250.00	192.87	550	277	264	60.00	60.00
18	मनपसार	350.00	311.65	650	282	281	195.00	195.00
19	गोपालपुर	400.00	365.21	650	419	402	405.00	405.00
20	दुरूग	200.00	194.36	650	206	198	135.00	135.00
21	सरसीवां	400.00	393.24	750	386	351	150.00	150.00
22	पेण्ड्रावन	450.00	414.20	700	472	469	405.00	405.00
23	बम्हनपुरी	200.00	149.13	597	183	183	150.00	150.00
24	बालपुर	350.00	316.94	650	410	410	300.00	300.00
25	देवरीनगेडी	200.00	180.39	390	354	310	90.00	90.00
26	गोलाझर	200.00	211.66	380	355	355	60.00	60.00
27	थरगांव	300.00	284.15	400	410	408	174.80	174.80
28	बिलारी	300.00	277.13	400	356	356	80.00	80.00

क्र.	समिति का नाम	अल्पकालीन ऋण वितरण (राशि रू. लाख में)		खाद वितरण (मात्रा टन में)			बीज वितरण (मात्रा क्विटल में)	
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	भण्डारण	वितरण
29	खैरा	500.00	461.39	400	671	611	60.00	60.00
30	बया	450.00	381.94	380	628	628	144.80	144.80
31	बार	550.00	506.60	446	1045	977	150.00	150.00
32	रिकोकला	300.00	250.30	400	419	409	204.80	204.80
33	हसुवा	400.00	381.65	450	624	624	150.00	150.00
34	अमोदी	350.00	310.85	400	452	452	120.00	120.00
35	मटिया	300.00	263.62	385	384	384	277.00	277.00
36	नरधा	300.00	242.04	300	289	289	210.00	210.00
37	दुण्डरा	300.00	241.36	400	392	392	300.00	300.00
38	कुम्हारी	350.00	298.91	400	411	405	150.00	150.00
39	गिरौद	350.00	284.48	400	458	458	277.50	277.50
40	चिखली	350.00	298.72	450	501	501	57.03	57.03
41	सोनाखान	250.00	165.68	300	311	303	90.00	90.00
योग		**13300.00**	**11917.13**	**20193.00**	**16746**	**16336**	**7485.93**	**7485.93**

वर्ष 2025–26

1	सलौनीकला	400.00	344.31	725	415	415	480.00	480.00
2	नगरदा	400.00	363.43	720	437	434	450.00	450.00
3	टुण्ड्री	450.00	390.01	710	456	456	360.00	360.00
4	रामपुर	300.00	245.43	710	373	373	270.00	270.00
5	पुरगांव	400.00	359.41	720	425	422	300.00	300.00
6	बिलाईगढ़	300.00	279.85	730	379	363	330.00	330.00
7	धनसीर	300.00	235.25	710	354	349	120.00	120.00
8	पवनी	250.00	180.26	690	276	269	180.00	180.00
9	सलिहा	250.00	225.93	720	353	353	90.00	90.00

क्र.	समिति का नाम	अल्पकालीन ऋण वितरण (राशि रू. लाख में)		खाद वितरण (मात्रा टन में)			बीज वितरण (मात्रा क्विटल में)	
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	भण्डारण	वितरण
10	पिरदा	350.00	327.77	710	307	302	120.00	120.00
11	जमगहन	350.00	309.56	720	363	360	120.00	120.00
12	भटगांव	300.00	252.59	730	360	342	255.00	255.00
13	धनगांव	300.00	262.60	700	301	297	150.00	150.00
14	जोरा	350.00	321.78	710	353	353	270.00	270.00
15	सोहागपुर	300.00	233.80	700	289	289	135.00	135.00
16	बेलाडूला	250.00	167.24	710	231	216	60.00	60.00
17	गाताडीह	250.00	191.02	720	276	272	90.00	90.00
18	मनपसार	350.00	304.19	715	299	295	225.00	225.00
19	गोपालपुर	450.00	362.06	720	392	388	588.00	588.00
20	दुरूग	250.00	192.26	690	224	222	142.50	142.50
21	सरसीवां	450.00	391.76	730	434	415	300.00	300.00
22	पेण्ड्रावन	450.00	399.82	720	443	431	495.00	495.00
23	बम्हनपुरी	250.00	139.28	678	177	160	120.00	120.00
24	बालपुर	400.00	315.13	700	362	353	420.00	420.00
25	देवरीनगेडी	250.00	224.24	400	440	440	60.00	60.00
26	गोलाझर	350.00	384.38	420	557	557	60.00	60.00
27	थरगांव	450.00	421.11	430	527	527	60.00	60.00
28	बिलारी	250.00	236.38	360	359	358	60.00	60.00
29	खैरा	400.00	409.81	400	695	695	100.50	100.50
30	बया	450.00	431.03	410	666	666	90.00	90.00
31	बार	600.00	506.71	476	1201	1163	108.60	108.60
32	रिकोकला	350.00	324.42	400	484	484	96.00	96.00
33	हसुवा	400.00	358.59	420	679	671	90.00	90.00

क्र.	समिति का नाम	अल्पकालीन ऋण वितरण (राशि रू. लाख में)		खाद वितरण (मात्रा टन में)			बीज वितरण (मात्रा क्विटल में)	
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	भण्डारण	वितरण
34	अमोदी	350.00	308.98	400	471	471	244.50	244.50
35	मटिया	300.00	267.11	410	415	410	222.00	222.00
36	नरधा	300.00	269.60	370	366	366	184.50	184.50
37	दुण्डरा	300.00	261.08	410	478	478	420.00	420.00
38	कुम्हारी	350.00	322.98	420	451	450	150.00	150.00
39	गिरौद	350.00	298.64	400	418	417	90.00	90.00
40	चिखली	350.00	324.17	450	583	583	5.00	5.00
41	सोनाखान	200.00	146.54	360	359	353	17.00	17.00
योग		**14100.00**	**12290.51**	**24024**	**17428**	**17218**	**8128.60**	**8128.60**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट - छब्बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 135) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र	जिला	ब्लॉक	ग्राम	ग्राम कोड	कवरेज स्थिति (हॉ/नहीं)	2जी	3जी	4जी	5जी	मोबाईल टॉवर उपलब्ध (हॉ/नहीं)	योजनान्तर्गत सम्मिलित	क्रियान्वयन एजेंसी	स्वीकृत मोबाइल टावर की स्थिति (संचालन हेतु तैयार/कार्य प्रगति पर)
1	कोरिया	सोनहत	बेलाई	431603	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
2	कोरिया	सोनहत	देवतीडाड़	431531	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
3	कोरिया	सोनहत	गरनई	431512	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
4	कोरिया	सोनहत	गिधेर	431530	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
5	कोरिया	सोनहत	हर्राडीह	431532	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
6	कोरिया	सोनहत	कचोहर	431533	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
7	कोरिया	सोनहत	कांटो	431527	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नवीन साइट के माध्यम से कवरेज होगा	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
8	कोरिया	सोनहत	खैरवारीपारा	431519	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नवीन साइट के माध्यम से कवरेज होगा	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
9	कोरिया	सोनहत	कुर्थी	431506	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
10	कोरिया	सोनहत	मझगवाखुर्द	431523	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
11	कोरिया	सोनहत	नटवाही	431508	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
12	कोरिया	सोनहत	रावतसरई	431604	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
13	कोरिया	सोनहत	सेमरिया	431517	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नवीन साइट के माध्यम से कवरेज होगा	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
14	कोरिया	सोनहत	सेराडाड़	431528	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर

क्र	जिला	ब्लॉक	ग्राम	ग्राम कोड	कवरेज स्थिति (हॉं/नहीं)	2जी	3जी	4जी	5जी	मोबाईल टॉवर उपलब्ध (हॉं/नहीं)	योजनान्तर्गत सम्मिलित	क्रियान्वयन एजेंसी	स्वीकृत मोबाइल टावर की स्थिति (संचालन हेतु तैयार/कार्य प्रगति पर)
15	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	भरतपुर	बरछा	431193	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नवीन साइट के माध्यम से कवरेज होगा	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
16	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	भरतपुर	मन्नौड़	431238	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	संचालन हेतु तैयार
17	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	भरतपुर	मट्टा	431267	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
18	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	कोटडोल	घटामा	431366	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नवीन साइट के माध्यम से कवरेज होगा	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
19	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	कोटडोल	कमारजी	431343	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
20	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	कोटडोल	खोहारा	431328	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	संचालन हेतु तैयार
21	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	कोटडोल	नेउर	431342	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	केलहरी	दहिया डांड	431631	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर

क्र	जिला	ब्लॉक	ग्राम	ग्राम कोड	कवरेज स्थिति (हॉ/नहीं)	2जी	3जी	4जी	5जी	मोबाईल टॉवर उपलब्ध (हॉ/नहीं)	योजनान्तर्गत सम्मिलित	क्रियान्वयन एजेंसी	स्वीकृत मोबाइल टावर की स्थिति (संचालन हेतु तैयार/कार्य प्रगति पर)
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	केलहरी	सोनहरी	431663	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	बीएसएनएल	कार्य प्रगति पर

प्रपत्र-ब

क्रमांक	जिले का नाम	आईपी. सेट	विधानसभा क्षेत्र	डिजिटल भारत निधि (DBN)	टॉवर की स्थिति	सेवा प्रदाता
1	कोरिया	डिहुली	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
2	कोरिया	मोहन्तोला	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
3	कोरिया	बड़ेरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
4	कोरिया	सुकतारा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
5	कोरिया	चंदेला	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
6	कोरिया	मनोध	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
7	कोरिया	निगनोहर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
8	कोरिया	देवसिल	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
9	कोरिया	सिंघोर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
10	कोरिया	रेवला	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
11	कोरिया	सुतारी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
12	कोरिया	चांधा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
13	कोरिया	सलगवां खुर्द	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
14	कोरिया	कटघोड़ी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
15	कोरिया	उमरवाह	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
16	कोरिया	बरैल	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
17	कोरिया	भैंसवार	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
18	कोरिया	मटुकपुर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
19	कोरिया	बैरागी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
20	कोरिया	तिलौली	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
21	कोरिया	कटरेंगी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
22	कोरिया	बालशिव	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
23	कोरिया	केराबहारा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
24	कोरिया	घोड़बांधा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
25	कोरिया	बोटराकसा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
26	कोरिया	सेरी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
27	कोरिया	ढाब तुमाड़ी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
28	कोरिया	काकलेंदी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
29	कोरिया	नेरुवा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
30	कोरिया	मुद्धोवा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
31	कोरिया	बघैल	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल

क्रमांक	जिले का नाम	आईपी. सेट	विधानसभा क्षेत्र	डिजिटल भारत निधि (DBN)	टॉवर की स्थिति	सेवा प्रदाता
32	कोरिया	कपरिया	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
33	कोरिया	बेनीपुरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
34	कोरिया	चरवाही	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
35	कोरिया	खंडाखोह	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
36	कोरिया	धनहर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
37	कोरिया	रोकड़ा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
38	कोरिया	बड़वार	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
39	कोरिया	सागरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
40	कोरिया	उचेहरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
41	कोरिया	कोटाडोल	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
42	कोरिया	डंडवाझर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
43	कोरिया	जुइली	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
44	कोरिया	देवरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
45	कोरिया	खोखनिया	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
46	कोरिया	लवाहोरी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
47	कोरिया	सेमरिहा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
48	कोरिया	बड़गांव खुर्द	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
49	कोरिया	जनौरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
50	कोरिया	मनियारी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
51	कोरिया	रुसानी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
52	कोरिया	भगवतपुर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
53	कोरिया	उधेनी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
54	कोरिया	झनपार	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
55	कोरिया	उघांव	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
56	कोरिया	दसेर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
57	कोरिया	चुटकी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
58	कोरिया	केलुआ	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
59	कोरिया	त्रिलोखन	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
60	कोरिया	दुलारी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
61	कोरिया	रौंक	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
62	कोरिया	कठर्राडोल	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
63	कोरिया	बड़काबहारा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
64	कोरिया	बड़गांव कलां	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल

क्रमांक	जिले का नाम	आईपी. सेट	विधानसभा क्षेत्र	डिजिटल भारत निधि (DBN)	टॉवर की स्थिति	सेवा प्रदाता
65	कोरिया	घाघरा (4जी सैचुरेशन)	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
66	कोरिया	हर्री	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
67	कोरिया	खोहरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
68	कोरिया	केसौंदा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
69	कोरिया	बोदरीटोला	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
70	कोरिया	सोनवाही	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
71	कोरिया	कोरमो	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
72	कोरिया	खेतौली	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
73	कोरिया	धोबताल	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
74	कोरिया	तरतोरा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
75	कोरिया	गिधेर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
76	कोरिया	जैती	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
77	कोरिया	मनवारी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
78	कोरिया	बरौता	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
79	कोरिया	तोजा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	संचालित	बीएसएनएल
80	कोरिया	बेलाई	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
81	कोरिया	देवतीडाड़	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
82	कोरिया	गरनई	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
83	कोरिया	गिधेर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
84	कोरिया	हर्राडीह	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
85	कोरिया	कचोहर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
86	कोरिया	कुर्थी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
87	कोरिया	मझगवाखुर्द	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
88	कोरिया	नटवाही	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
89	कोरिया	रावतसरई	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
90	कोरिया	सेराडाड़	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
91	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मन्नौड़	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
92	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मट्ठा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
93	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	कमारजी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल

क्रमांक	जिले का नाम	आईपी. सेट	विधानसभा क्षेत्र	डिजिटल भारत निधि (DBN)	टॉवर की स्थिति	सेवा प्रदाता
94	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	खोहारा	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
95	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	नेउर	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
96	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	दहिया डांड	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल
97	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	सोनहरी	भरतपुर-सोनहत	हाँ	कार्य प्रगतिरत है।	बीएसएनएल

परिशिष्ट - सत्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 143) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पूर्णतः विद्युत सुविधा से वंचित घर/परिवारों की संख्या	सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत घर/परिवारों की संख्या	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण घर/परिवारों की संख्या	रिमार्क
1	तेलियापानी लेदरा	तेलियापानी (लेदरा)	10	149	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
2	अजवाईनवाह		14	56	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
3	तिनगड्डा		8	69	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
4	माराडबरा		0	112	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
5	बिरहुलडीह	बिरहुलडीह	0	84	147	ग्रिड एवं ऑफग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
6	मजगांव		0	0	29	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
7	पंडरीपानी		0	0	8	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
8	कांदावानी	कांदावानी	0	253	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
9	धूरसी		0	4	40	ग्रिड एवं ऑफग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
10	बाहपानी		0	0	23	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
11	रूखमीदादर		17	93	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
12	छिरपानी	छिरपानी	0	50	264	ग्रिड एवं ऑफग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
13	छिन्दीडीह	छिन्दीडीह	10	214	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
14	सारपानी		0	0	59	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
15	सरईपानी		0	0	4	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
16	अमनिया	अमनिया	0	0	226	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
17	बसुलालोट		0	0	8	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
18	कोटनापानी		0	0	15	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
19	सेजाडीह		12	43	—	ऑफग्रिड से विद्युतीकृत
20	भाकुर		0	0	49	ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत
योग			**71**	**1127**	**872**	

परिशिष्ट - अट्ठाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 145) की जानकारी

प्रपत्र–"अ"

क्र.	पट्टेधारी का नाम	ग्राम	तहसील	ख.नं. / वन कक्ष क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज	अवधि	प्राप्त राजस्व			यो
								2023–24	2024–25	2025–26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	में. गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमि0 रायपुर हीरा आर्केड, प्रथम तल, नया बस स्टैण्ड के पास, पंडरी रायपुर (छ.ग.)	बोरियातिब्बू वनक्षेत्र	खड़गांव	वन कक्ष कमांक 535 का भाग 536 का भाग	110.00	आयरन ओर	15.03.2010 से 14.03.2060 (50 वर्ष)	0	18525000	74751043	9327
2	सारडा एनर्जी एवं मिनरल्स लिमिटेड वाणिज्य भवन, देवेन्द्र नगर चौक रायपुर (छ.ग.)	डोंगरबोर	खड़गांव	वन कक्ष कमांक 537 का भाग	80.710	आयरन ओर	15.05.2002 से 14.05.2032 (30 वर्ष)	139001036	162168792	82132515	38330
3	मेसर्स महावीर इंडिया प्राईवेट लिमि. श्री सुनील पता शाप नं. 02 नगर निगम कॉम्पलेक्स गंज चौक राजनांदगांव	नीचेकोहड़ा	अं. चौकी	490 / 1,490 / 2,490 / 3,491 / 1,491 / 2,492,493,495 व 453 / 3	2.750	साधारण पत्थर	06.10.2023 से 05.10.2053 (30 वर्ष)	192348	18600	103674	314

M. K. Choubey
Section Officer
Mining Resources D
Mantralaya, Chhattis

प्रपत्र–''ब''

जिस वित्तीय वर्ष की राशि संवितरित की गई है।	संवितरण वर्ष	विकासखण्ड का नाम	कुल वितरित राशि
गौण खनिजों की राशि			
2021–22	2025–26	मोहला	1900976
		मानपुर	768365
		अं. चौकी	5617845
योगः–			82,87,186
2022–23	संवितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
2023–24			
2024–25			
2025–26			
साधारण रेत की राशि			
2019–20	2025–26	मानपुर	1458967
2020–21	2025–26	मानपुर	344840
2021–22	संवितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
2022–23			
2023–24			
2024–25			
2025–26			

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
13:04:27

परिशिष्ट - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 146) की जानकारी

iıi=&v

प्रपत्र

जिला मोहला–मानपुर–अं. चौकी में पुनर्गठित विद्युत क्षेत्र योजना आर.डी.एस.एस. अंतर्गत कराए गए कार्य

राशि रू लाख

क्रमांक	विवरण	इकाई	वर्ष 2023		वर्ष 2024		वर्ष 2025		वर्ष 2026 (27 जुन 2026 तक)		कुल प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ.	**लाईन लॉस में कमी हेतु कार्य (लॉस रिडक्शन)**											
1	कृषि पंप फीडर का पृथक्कीकरण	नग	2	351.31	0	1981.99	5	2629.36	4	169.21	11	5131.8
2.	अतिभारित एवं लंबे फीडर का विभाजन	नग	0	322.85	2	279.80	6	88.96		0.00	8	691.6
3	एल.टी. केबल का कार्य			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	अ. खुले तार के स्थान पर केबल लगाने का	कि.मी.	11	66.20	69	415.24	9	54.16	0	0.00	89	535.6
4	एच.व्ही.डी.एस.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	अ. 11 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	0	0.00	0	0.00	0.32	1.28	1	3.99	1.32	5.26
	ब. 11/0.4 के.व्ही. वितरण ट्रांसफार्मर	नग	0	0.00	0	0.00	2	3.42	4	6.84	6	10.27
	स. खुले तार के स्थान पर केबल लगाने का	कि.मी.	0	0.00	0	0.00	2.07	10.85	6.63	34.74	8.7	45.58
5	पुराने वितरण बॉक्स को नए एसएमसी बॉक्स में बदली करने का कार्य	नग	15	4.07	285	77.35	0	0.00	0	0.00	300	81.42
6	आरमर केबलिंग सर्विस तार (विद्युत चोरी क्षेत्र हेतु)	मीटर	0	0.00	3000	4.25	2100	2.97	1600	2.27	6700	9.49
	कुल लाईन लॉस में कमी हेतु कार्य			**744.43**		**2758.63**		**2791.00**		**217.05**		**6511.1**
ब.	**स्मार्ट मीटरिंग कार्य**											
1	उपभोक्ता परिसर में स्थापित संख्या	नग	0		2130		36217		17739		56086	
2	वितरण ट्रांसफार्मर में स्थापित संख्या	नग	0	0.00	0	0.00	160	96.56	731	230.66	891	327.22
3	11 केव्ही फीडर में स्थापित संख्या	नग	0		35		0		0		35	
	कुल स्मार्ट मीटरिंग कार्य		0	**0.00**		**0.00**		**96.56**		**230.66**		**327.22**
	कुल राशि जीसटी सहित			**744.43**		**2758.63**		**2887.56**		**447.71**		**6838.32**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
...लय, नवा रायपुर अटल नगर

विभाग द्वारा राज्यस्तर पर खरीदी की गई वितरण ट्रांसफार्मर की जानकारी

क्र.	फर्म का नाम	आदेश क्रमांक	दिनांक	आपूर्ति की मात्रा						भुगतान की राशि
				25KVA	63KVA	100KVA	200KVA	315KVA	योग	
1	मेसर्स एस. वी. आर. इलेक्ट्रीकल्स प्रा.लि.	3558	22.06.2023	1364					**1364**	82,184,246.00
2	मेसर्स विशाल ट्रांसफार्मर रायपुर	3558	22.06.2023		1128	114	12		**1254**	128,485,888.00
3	मेसर्स बिलासपुर ट्रांसफार्मर रायपुर	3556	22.06.2023		431	100			**531**	89,581,792.00
4	मेसर्स गणपति इन्फ्रापॉवर प्रा. लि. जयपुर	3553	22.06.2023		536		38		**574**	70,172,847.00
5	मेसर्स सेन्चुरी इन्फ्रापॉवर प्रा. लि. जयपुर	3554	22.06.2023		536		23		**559**	61,519,409.00
6	मेसर्स सिध्दार्थ इंडसट्रीस रायपुर	3555	22.06.2023		486	62			**548**	61,705,393.00
7	मेसर्स आदित्य ट्रांसफार्मर रायपुर	3557	22.06.2023		1342	226			**1568**	170,878,965.00
8	मेसर्स विशाल ट्रांसफार्मर रायपुर	3651	07.10.2023	525				18	**543**	47,263,781.00
9	मेसर्स बिलासपुर ट्रांसफार्मर रायपुर	3646	07.10.2023	1051	52	85			**1188**	102,055,399.00
10	मेसर्स सिध्दार्थ इंडसट्रीस रायपुर	3647	07.10.2023	1320					**1320**	95,670,187.00
11	मेसर्स आदित्य ट्रांसफार्मर रायपुर	3652	07.10.2023	880					**880**	75,358,176.00
12	मेसर्स सेन्चुरी इन्फ्रापॉवर प्रा. लि. जयपुर	3650	07.10.2023	2576	129	212			**2917**	264,764,922.00
13	मेसर्स गणपति इन्फ्रापॉवर प्रा. लि. जयपुर	3648	07.10.2023		77	127			**204**	39,642,537.00
14	मेसर्स बारबरीक ट्रांसफार्मर रायपुर	3653	07.10.2023					16	**16**	12,929,152.00
15	मेसर्स स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर भोपाल	3649	07.10.2023					11	**11**	8,892,707.00
	योग			**7716**	**4717**	**926**	**73**	**45**	**13477**	**1,311,105,401.00**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–स

प्रदत्त औद्योगिक कनेक्शनों का विवरण

क्रं.	उपभोक्ता का नाम	पता	बी.पी. कंमाक	कनेक्शन तिथि	लोड	दस्तावेज का विवरण
1	मेसर्स यादव फलोर मील प्रा0चिंता राम यादव /श्याम सुन्दर	सीतागॉव	1009179891	31.08.2023	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
2	मेसर्स भाव्या इंडस्ट्रीज प्रो0दिनदयाल बघेल /हरिदास	तोलुम	1009179903	22.08.2023	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
3	श्रीमति ममता पारख / राजेन्द्र	महका	1009455027	16.04.2024	18 कि.वाट	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
4	श्री तेज राम निषाद / जीवराखन निषाद	मोहला	1009588417	09.09.2024	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
5	श्री तेज लाल गवर्ना / रामचन्द्र गवर्ना	बडगॉव	1009588707	24.01.2025	25 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
6	श्री अजीत कुमार कुर्मी / राम सुशील कुर्मी	मानपुर	1009588948	12.11.2024	4 कि. वाट	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, डायवर्सन जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
7	मेसर्स कलामें फेब्रिकेशन प्रो0प्रतिभा कलामें	मानपुर	1009780777	07.02.2023	10 कि.वाट	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
8	श्री महादेव /रामलगन साव वेल्डिंग वर्कशाप	औंधी	1010105056	06.01.2026	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
9	श्रीमती रामेश्वरी ठाकुर कार्तिक मटेरियल सप्लायर	पानाबरस	1010312729	14.02.2026	30 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का डायवर्सन नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
10	श्री खिलावन साहू / बलीराम साहू	भर्रीटोला	1009259249	28.07.2023	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे

क्रं.	उपभोक्ता का नाम	पता	बी.पी. कंमाक	कनेक्शन तिथि	लोड	दस्तावेज का विवरण
11	श्रीमती सारिका बाई साहू / राजकुमार साहू	केंवटटोला	1009596896	30.04.2024	8 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
12	श्री राजेन्द्र कुमार / केशव राम	खड़गांव	1009639826	03.07.2024	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
13	श्री देवदन्त रावटे / ईश्वर लाल	धावडेटोला	1010272199	03.12.2025	6 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
14	श्री कमल किशोर तापड़िया / सूरजमल	गोटाटोला	1010261103	03.12.2025	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
15	नवयुवक मित्र मंडल / रामप्रसाद सलामें	डुमरटोला	1010287303	10.01.2026	4 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
16	श्री अन्न रूरल फार्मर प्रोड्यूसर कं.लिमि. / पिल्ले राम	मुनगाडीह	1010336702	22.01.2026	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
17	श्री विनोद कुमार निषाद / भुवन लाल	ककईपार	1010347435	17.02.2026	6 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
18	के.टी.सी. राईस मिल आरिफ खेतानी	मोहगांव	1008973239	24.05.2023	150 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
19	सरपंच ग्राम पंचायत रीपा	कौड़ूटोला	1009153829	17.05.2023	25 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
20	राजा ऑटो इंजीनियरिंग तौफिक खान	मेरेगांव	1009403648	27.05.2025	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे
21	जनक लाल निषाद(जे.के. ऑटोपट्टा)	मेरेगांव	1009731396	27.05.2025	10 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा/खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ/लाइनमेन का लाइन सर्वे

उप सचिव

क्रं.	उपभोक्ता का नाम	पता	बी.पी. कंमाक	कनेक्शन तिथि	लोड	दस्तावेज का विवरण
22	शेखर आइस फैक्टरी	बिहरीकला	1009188222	05.06.2023	5 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
23	सांई इंजीनियरिंग वर्क	बिहरीकला	1009203232	26.09.2023	25 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
24	एच.एस.एग्रो	मेटेपार	1009265768	07.12.2023	150 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
25	महावीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निचेकोहड़ा	1009451219	17.07.2024	150 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
26	शम्भुलाल निषाद	पांगरी	1009969545	23.07.2025	15 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
27	भारत लाल देहारी	कौडीकसा	1010147579	09.12.2025	25 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
28	राम फुड्स सुनिता खण्डेलवाल	ढाढूटोला	1009380330	06.02.2024	150 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
29	सरपंच ग्राम पंचायत नाड़ेकल	नाड़ेकल	1009037379	17.11.2023	25 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे
30	सांई ब्रिक्स ईश्वरलाल	टाटेकसा	1009211549	17.11.2023	18 एच पी	कंपनी के नियमानुसार आवेदन प्रपत्र, जमीन का नक्शा / खसरा,उद्योग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र,संबंधित कनिष्ठ / लाइनमेन का लाइन सर्वे

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 155) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

(राशि लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त राजस्व	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
जिला :– राजनांदगांव				
1	2023–24	320.00	306.60	95.81
2	2024–25	305.00	347.77	114.02
3	2025–26	391.00	620.40	158.67
जिला :– खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई				
1	2023–24	210.00	244.27	116.31
2	2024–25	235.00	522.48	222.33
3	2025–26	323.00	579.47	179.40

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
18:55:16

प्रपत्र "ब"

क्र.	वित्तीय वर्ष	खनिज का नाम	अवैध उत्खनन		अवैध परिवहन		रिमार्क
			दर्ज प्रकरण	जब्त वाहन की संख्या	दर्ज प्रकरण	जब्त वाहन की संख्या	
जिला – राजनांदगांव							
1	2024	रेत	0	0	74	74	
		मुरूम	13	24	57	57	
		गिट्टी	1	0	80	80	अवैध उत्खनन का प्रकरण अपील में आयुक्त कार्यालय दुर्ग में विवेचनाधीन
2	2025	रेत	1	3	93	93	
		मुरूम	10	22	24	24	
		गिट्टी	0	0	36	36	
3	2026 (मई 2026 तक)	रेत	9	16	62	62	
		मुरूम	12	25	22	22	
		गिट्टी	0	0	31	31	
जिला – खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई							
1	2024	रेत	0	0	30	30	
		मुरूम	4	4	11	11	
		गिट्टी	0	0	23	23	
2	2025	रेत	0	0	8	8	
		मुरूम	1	2	1	1	
		गिट्टी	0	0	12	12	
3	2026 (मई 2026 तक)	रेत	0	0	9	9	
		मुरूम	3	5	0	0	
		गिट्टी	1	0	12	12	

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
18:53:33

परिशिष्ट - इकतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 165) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2024–25 से 2026–27 (जून 2026 तक) के अवधि में घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक बिजली की दरों में वृद्धि का विवरण

श्रेणी – निम्नदाब घरेलू

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2026–27		वर्ष 2026–27 में प्रतिशत वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
	0–100	3.70	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	3.90	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	**5.41**	0.00	4.10	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	**5.13**	0.00	4.40	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 50/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	**7.32**	25 (स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक वाले उपभोक्ताओं के लिए)
	101–200	3.90		4.10		**5.13**		4.20		**2.44**		4.50		**7.14**	
	201–400	5.30		5.50		**3.77**		5.60		**1.82**		6.00		**7.14**	
	401–600	6.30		6.50		**3.17**		6.60		**1.54**		7.00		**6.06**	
	601 और अधिक	7.90		8.10		**2.53**		8.30		**2.47**		8.80		**6.02**	

श्रेणी – उच्चदाब घरेलू

यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2026–27		वर्ष 2026–27 में प्रतिशत वृद्धि	
	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
सम्पूर्ण खपत पर	6.05	375	6.55	375	**8.26**	**0.00**	6.80	375	**3.82**	**0.00**	7.10	400	**4.41**	**6.67**

श्रेणी – निम्नदाब कृषि

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2026–27		वर्ष 2026–27 में प्रतिशत वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
1	सम्पूर्ण खपत पर	5.05	100	5.30	100	**4.95**	**0.00**	5.80	100	**9.43**	**0.00**	6.20	100	**6.90**	**0.00**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

श्रेणी – उच्चदाब कृषि

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2026–27		वर्ष 2026–27 में प्रतिशत वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केव्हीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केव्हीए/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केव्हीए/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केव्हीए/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार
1	सम्पूर्ण खपत पर	5.85	375	6.35	375	**8.55**	**0.00**	6.60	375	**3.94**	**0.00**	7.00	400	**6.06**	**6.67**

श्रेणी – निम्नदाब औद्योगिक

स.क्र.	उप–श्रेणी (आपूर्ति वोल्टेज)	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2026–27		वर्ष 2026–27 में प्रतिशत वृद्धि	
			ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार
1	25 एच.पी. अथवा 18.7 कि.वा. तक के आटा चक्की, हॉलर, पावरलूम, मसाला ग्राइंडिग हेतु ग्राइंडर, टेराकोटा, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण इकाई, लघु वन उत्पाद	सम्पूर्ण खपत पर	4.15	80	4.75	80	**14.46**	**0.00**	5.05	80	**6.32**	**0.00**	5.35	80	**5.94**	**0.00**
2	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासीविकास प्राधिकरण हेतु		3.75	80	4.25	80	**13.33**	**0.00**	4.55	80	**7.06**	**0.00**	4.85	80	**6.59**	**0.00**
	अन्य उद्योग															
3	25 एच.पी. भार या 18.7 कि.वा. तक		5.15	120	5.75	120	**11.65**	**0.00**	6.05	120	**5.22**	**0.00**	6.35	120	**4.96**	**0.00**
4	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु		4.15	100	4.75	100	**14.46**	**0.00**	5.05	100	**6.32**	**0.00**	5.35	100	**5.94**	**0.00**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

5	25 एच.पी. से अधिक (18.7 कि.वा.)		5.90	150	6.50	150	**10.17**	**0.00**	6.8	150	**4.62**	**0.00**	7.1	150	**4.41**	**0.00**
6	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासीविकास प्राधिकरण हेतु		5.40	130	6.00	130	**11.11**	**0.00**	6.3	130	**5.00**	**0.00**	6.6	130	**4.76**	**0.00**

श्रेणी – उच्चदाब औद्योगिक

स.क्र.	उप–श्रेणी (आपूर्ति वोल्टेज)	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26 में प्रतिशत वृद्धि		वर्ष 2026–27		वर्ष 2026–27 में प्रतिशत वृद्धि	
			ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार
	अन्य औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक सामान्य प्रयोजन															
1	220 केव्ही आपूर्ति	सम्पूर्ण खपत पर	6.45	375	6.55	375	**1.55**	**0.00**	6.65	375	**1.53**	**0.00**	6.95	400	**4.51**	**6.67**
2	132 केव्ही आपूर्ति		6.60	375	6.70	375	**1.52**	**0.00**	6.80	375	**1.49**	**0.00**	7.10	400	**4.41**	**6.67**
3	33 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर >15 प्रतिशत)		6.85	375	6.95	375	**1.46**	**0.00**	7.20	375	**3.60**	**0.00**	7.55	400	**4.86**	**6.67**
4	33 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर ≤15 प्रतिशत)		7.05	190	7.15	190	**1.42**	**0.00**	7.40	190	**3.50**	**0.00**	7.75	200	**4.73**	**5.26**
5	11 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर >15 प्रतिशत)		7.25	375	7.35	375	**1.38**	**0.00**	7.60	375	**3.40**	**0.00**	7.85	400	**3.29**	**6.67**
6	11 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर ≤15 प्रतिशत)		7.45	190	7.65	190	**2.68**	**0.00**	7.9	190	**3.27**	**0.00**	8.15	200	**3.16**	**5.26**
	स्टील उद्योग															
1	220 केव्ही आपूर्ति	सम्पूर्ण खपत पर	5.70	375	5.95	375	**4.39**	**0.00**	6.10	375	**2.52**	**0.00**	6.40	400	**4.92**	**6.67**
2	132 केव्ही आपूर्ति		5.85	375	6.10	375	**4.27**	**0.00**	6.25	375	**2.46**	**0.00**	6.55	400	**4.80**	**6.67**
3	33 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर >15 प्रतिशत)		6.10	375	6.35	375	**4.10**	**0.00**	6.65	375	**4.72**	**0.00**	7.05	400	**6.02**	**6.67**
4	33 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर ≤15 प्रतिशत)		6.60	190	6.85	190	**3.79**	**0.00**	7.15	190	**4.38**	**0.00**	7.55	200	**5.59**	**5.26**
5	11 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर >15 प्रतिशत)		6.20	375	6.45	375	**4.03**	**0.00**	6.75	375	**4.65**	**0.00**	7.05	400	**4.44**	**6.67**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

6	11 केव्ही आपूर्ति (लोड फैक्टर ≤15 प्रतिशत)		7.00	190	7.25	190	**3.57**	**0.00**	7.55	190	**4.14**	**0.00**	7.85	200	**3.97**	**5.26**
	नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योग															
1	(आपूर्ति वोल्टेज 220 / 132 / 33 / 11 केव्ही)	सम्पूर्ण खपत पर	4.15	130	4.65	130	**12.05**	**0.00**	4.95	130	**6.45**	**0.00**	5.25	160	**6.06**	**23.08**
	उच्चदाब सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एवं निर्यातोन्मुखी वस्त्र उद्योग															
1		सम्पूर्ण खपत पर	4.25	150	4.75	150	**11.76**	**0.00**	5.05	150	**6.32**	**0.00**	5.35	200	**5.94**	**33.33**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - बत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 180) की जानकारी

"प्रपत्र"

क्रमांक	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	भण्डारण स्थल/ग्राम व तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	भण्डारण क्षमता (एम.टी. में)	भण्डारण अनुज्ञप्ति अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री केदारनाथ चौधरी	गढ़उमरिया/ पुसौर	0.551	3250	24.05.2022 से 23.05.2032
2	मे. गुरू इंटरप्राईजेस प्रोपा. अलौक अग्रवाल	बडमाल/पुसौर	0.334	5250	14.07.2025 से 13.07.2035
3	श्री देवेन्द्र अग्रवाल	सराईपाली/ तमनार	0.413	25862	27.05.2026 से 26.05.2036
4	श्री नमो नारायण पटेल	उसरौट/ रायगढ़	0.542	51724	29.05.2026 से 11.01.2029

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
19:22:11

परिशिष्ट - तैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 181) की जानकारी

प्रपत्र–

वर्ष 2024–25 और 2025–26 में रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत वर्षवार, परिक्षेत्रवार, स्थलवार रोपित पौधों की संख्या तथा वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	वन परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	रोपित स्थल का कक्ष क्रमांक एवं नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति (जीवित प्रतिशत)
01	02	03	04	05	06	07
2024-25	घरघोड़ा	कैम्पा मद	कक्ष क्र. 1368 ओ.ए. बैगाबहरी (नारंगी क्षेत्र) पुसल्दा	3560	3525	99%
2024-25	घरघोड़ा	कैम्पा मद	कक्ष क्र. 1368 ओ.ए. बैगाबहरी (नारंगी क्षेत्र) पुसल्दा,	18079	17898	99%
2024-25	तमनार	कैम्पा मद	784 आर.एफ. कोड़केल	1000	863	86%
योग (2024–25)				**22639**	**22286**	**98%**
2025-26	रायगढ़	विभागीय	राजस्व क्षेत्र जुर्डा	2226	2003	90%
योग				**2226**	**2003**	**90%**
2025-26	रायगढ़	कैम्पा मद	1029 ओ.ए.	3417	3349	98%
2025-26	रायगढ़	कैम्पा मद	1023 ओ.ए.	8076	7672	95%
2025-26	रायगढ़	कैम्पा मद	1021 ओ.ए.	7685	6990	91%
2025-26	खरसिया	कैम्पा मद	1185 पी.एफ.	15424	13110	85%
2025-26	घरघोड़ा	कैम्पा मद	जरकट/10	6282	6282	100%
2025-26	घरघोड़ा	कैम्पा मद (बौना प्रजाति)	कक्ष क्र. 1260 पी.एफ. छर्राटांगर	625	625	100%

वित्तीय वर्ष	वन परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	रोपित स्थल का कक्ष क्रमांक एवं नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति (जीवित प्रतिशत)
2025-26	घरघोड़ा	कैम्पा मद (बौना प्रजाति)	कक्ष क्र. 1260 पी.एफ. छर्राटांगर	523	523	100%
2025-26	तमनार	कैम्पा मद	784 आर.एफ. कोड़केल	460	412	90%
2025-26	तमनार	कैम्पा मद	खसरा न. 468/01	14998	13048	87%
2025-26	तमनार	कैम्पा मद	858 पी.एफ	1500	1350	90%
2025-26	तमनार	कैम्पा मद	829 आर.एफ. हर्राडीह	90	85	94%
2025-26	तमनार	कैम्पा मद	842 पी.एफ. दांदरी	1329	1222	92%
योग				**60409**	**54668**	**90%**
2025-26	खरसिया	ग्रीन क्रेडिट	1187 पी.एफ.	16500	16500	100%
2025-26	खरसिया	ग्रीन क्रेडिट	1188 पी.एफ.	11000	11000	100%
योग				**27500**	**27500**	**100%**
2025-26	रायगढ़	वनौषधी पादप बोर्ड	903 आर.एफ. व 906 आर.एफ.	1197100	1053448	88%
योग				**1197100**	**1053448**	**88%**
कुलयोग (2025–26)				**1287235**	**1137619**	**88%**
महायोग				**1309874**	**1159905**	**89%**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

e. 181 T

परिशिष्ट - चौंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 197) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी 2024 से जुलाई 2026 तक तेंदूपत्ता संग्रहण, पारिश्रमिक भुगतान की जानकारी
(तारांकित प्रश्न क्रमांक 197 द्वारा श्री विक्रम मंडावी सदस्य विधान सभा)
संग्रहण वर्ष – 2024

क्र.	जिला का नाम	जिला यूनियन का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	संग्रहण दर (रू.प्रति मानक बोरा)	संग्रहण पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	संग्राहक संख्या	वितरित पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	वितरण हेतु शेष पारिश्रमिक राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बीजापुर	बीजापुर	98225.282	5500	540239051.00	54381	540239051.00	
2	सुकमा	सुकमा	141348.281	5500	777415545.50	63867	777415545.50	
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	20525.139	5500	112888264.50	20133	112888264.50	
4	बस्तर	जगदलपुर	22617.409	5500	124395749.50	35842	124395749.50	
5	कोण्डागांव	कोण्डागांव	16289.562	5500	8,95,92,591.00	28892	8,95,92,591.00	
		केशकाल	19672.076	5500	10,81,96,418.00	31183	10,81,96,418.00	
	योगः–		**35961.638**	--	**197789009.00**	**60075**	**197789009.00**	
6	नारायणपुर	नारायणपुर	19462.205	5500	10,70,42,127.50	17013	10,70,42,127.50	
7	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	85519.195	5500	47,03,55,572.50	38349	47,03,55,572.50	
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	72520.235	5500	39,88,61,292.50	29781	39,88,61,292.50	
		कांकेर	30042.755	5500	16,52,35,152.50	34963	16,52,35,152.50	
	योगः–		**188082.185**	--	**1034452017.50**	**103093**	**1034452017.50**	
8	मोहला-मानपुर-चौकी	राजनांदगांव	58946.430	5500	32,42,05,365.00	39175	32,42,05,365.00	
9	राजनांदगांव		11288.830	5500	6,20,88,567.00	12608	6,20,88,567.00	
		खैरागढ़	8985.485	5500	4,94,20,167.50	8116	4,94,20,167.50	
	योगः-		**20274.315**	--	**111508734.50**	**20724**	**111508734.50**	
10	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	24023.880	5500	13,21,31,340.00	19596	13,21,31,340.00	
11	बालोद	बालोद	22864.370	5500	12,57,54,035.00	26499	12,57,54,035.00	
12	कबीरधाम	कवर्धा	37229.880	5500	20,47,64,340.00	35816	20,47,64,340.00	
13	धमतरी	धमतरी	23677.080	5500	130223940.00	29235	130223940.00	
14	गरियाबंद	गरियाबंद	76146.071	5500	418803390.50	67888	418803390.50	
15	महासमुन्द	महासमुन्द	76937.905	5500	423158477.50	93291	423158477.50	
16	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	13993.935	5500	76966642.50	14893	76966642.50	
17	सारंगढ़-बिलाईगढ़		5759.890	5500	31679395.00	6025	31679395.00	
18	रायपुर		690.991	5500	3800450.50	1034	3800450.50	
19	बिलासपुर	बिलासपुर	23777.185	5500	130774518.00	23465	130774518.00	
20	मुंगेली		5991.440	5500	32952920.00	5768	32952920.00	
21	पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही	मरवाही	21497.900	5500	118238450.00	32483	118238450.00	
22	कोरबा	कोरबा	43778.940	5500	240784170.00	36180	240784170.00	
		कटघोरा	69230.551	5500	380768030.50	68151	380768030.50	

क्र.	जिला का नाम	जिला यूनियन का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	संग्रहण दर (रू.प्रति मानक बोरा)	संग्रहण पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	संग्राहक संख्या	वितरित पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	वितरण हेतु शेष पारिश्रमिक राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग		**113009.491**		**621552200.50**	**104331**	**621552200.50**	
23	रायगढ़	रायगढ़	40993.840	5500	225466120.00	37606	225466120.00	
24		धरमजयगढ़	75424.400	5500	414834200.00	50972	414834200.00	
	योग		**116418.240**		**640300320.00**	**88578**	**640300320.00**	
25	सारंगढ़-बिलाईगढ़	रायगढ़	8456.520	5500	46510860.00	10719	46510860.00	
26	जांजगीर-चाम्पा	जांजगीर-चाम्पा	7362.200	5500	40492100.00	9389	40492100.00	
27	सक्ती		897.990	5500	4938945.00	1653	4938945.00	
28	सरगुजा	सरगुजा	35034.756	5500	192691158	44252	192691158	
29	सूरजपुर	सूरजपुर	75515.020	5500	415332610.00	62375	415332610.00	
30	बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर	145694.435	5500	801319392.50	109219	801319392.50	
31	कोरिया	कोरिया,बैकुन्ठपुर	34080.820	5500	187444510.00	32485	187444510.00	
32	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	44731.165	5500	246021407.50	35738	246021407.50	
33	जशपुर नगर	जशपुरनगर	36538.509	5500	200961799.50	42048	200961799.50	
	महायोग :- वर्ष 2024		**1555772.557**		**8556749066.00**	**1311083**	**8556749066.000**	
				संग्रहण वर्ष - 2025				
1	बीजापुर	बीजापुर	12186.966	5500	67028313.00	10925	67028313.00	
2	सुकमा	सुकमा	70998.974	5500	390494357.00	41021	390494357.00	
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	16605.264	5500	91328952.00	16302	91328952.00	
4	बस्तर	जगदलपुर	17122.437	5500	94173403.50	33120	94173403.50	
5	कोण्डागांव	कोण्डागांव	12813.934	5500	7,04,76,637.00	29452	7,04,76,637.00	
		केशकाल	20710.866	5500	11,39,09,763.00	32391	11,39,09,763.00	
	योग		**33524.800**		**184386400.00**	**61843.00**	**184386400.00**	
6	नारायणपुर	नारायणपुर	16589.384	5500	9,12,41,612.00	16575	9,12,41,612.00	
7	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	79516.360	5500	43,73,39,980.00	35732	43,73,39,980.00	
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	73753.900	5500	40,56,46,450.00	28326	40,56,46,450.00	
		कांकेर	28232.230	5500	15,52,77,265.00	31323	15,52,77,265.00	
	योग		**181502.490**		**998263695.00**	**95381.00**	**998263695.00**	
8	मोहला–मानपुर–चौकी	राजनांदगांव	57428.260	5500	31,58,55,430.00	38056	31,58,55,430.00	
9	राजनांदगांव		10368.545	5500	5,70,26,998.00	11278	5,70,26,998.00	
		खैरागढ़	9088.460	5500	4,99,86,530.00	7711	4,99,86,530.00	
	योग		**19457.005**		**107013528.00**	**18989.00**	**107013528.00**	
10	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	खैरागढ़	28452.280	5500	15,64,87,540.00	18300	15,64,87,540.00	
11	बालोद	बालोद	22606.985	5500	12,43,38,417.50	24378	12,43,38,417.50	
12	कबीरधाम	कवर्धा	41601.535	5500	22,88,08,442.50	34341	22,88,08,442.50	
13	धमतरी	धमतरी	25275.630	5500	139015965.00	27872.00	139015965.00	
14	गरियाबंद	गरियाबंद	79698.227	5500	438340248.50	64555.00	438340248.50	

क्र.	जिला का नाम	जिला यूनियन का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	संग्रहण दर (रू.प्रति मानक बोरा)	संग्रहण पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	संग्राहक संख्या	वितरित पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	वितरण हेतु शेष पारिश्रमि राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	महासमुन्द	महासमुन्द	80357.896	5500	441968428.00	87976.00	441968428.00	
16	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	14289.330	5500	78591315.00	13158.00	78591315.00	
17	सारंगढ़–बिलाईगढ़		6131.960	5500	33725780.00	6107.00	33725780.00	
18	रायपुर		724.775	5500	3986262.50	849.00	3986262.50	
19	बिलासपुर	बिलासपुर	24090.070	5500	132495385.00	22349	132495385.00	
20	मुगेली		5907.540	5500	32491470.00	5680	32491470.00	
21	पेण्ड्रा–गोरैला–मरवाही	मरवाही	19847.656	5500	109162108.00	27068	109162108.00	
22	कोरबा	कोरबा	50525.464	5500	277890052.00	37256	277890052.00	
		कटघोरा	71737.945	5500	394558697.50	66425	394558697.50	
	योग		**122263.409**		**672448749.50**	**103681**	**672448749.50**	
23	रायगढ़	रायगढ़	41865.865	5500	230262257.50	36714	230262257.50	
24		धरमजयगढ़	78653.915	5500	432596532.50	51850	432596532.50	
	योग		**120519.780**		**662858790.00**	**88564**	**662858790.00**	
25	सारंगढ़–बिलाईगढ़	रायगढ़	9679.160	5500	53235380.00	9396	53235380.00	
26	जांजगीर–चाम्पा	जांजगीर–चाम्पा–सक्ती	6635.770	5500	36496735.00	8815	36496735.00	
27	सक्ती		845.600	5500	4650800.00	1413	4650800.00	
28	सरगुजा	सरगुजा	35224.655	5500	193735603	44057	193735603	
29	सूरजपुर	सूरजपुर	64416.430	5500	354290365.00	60259	354290365.00	
30	बलरामपुर–रामानुजगंज	बलरामपुर	115187.760	5500	633532680.00	105101	633532680.00	
31	कोरिया	कोरिया,बैकुन्ठपुर	34053.390	5500	187293645.00	32163	187293645.00	
32	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	41705.875	5500	229382312.50	34799	229382312.50	
33	जशपुर नगर	जशपुरनगर	32430.043	5500	178365236.50	38275	178365236.50	
	महायोग :– वर्ष 2025		**1357361.336**		**7465487348.500**	**1191368**	**7465487348.500**	**0**
	संग्रहण वर्ष - 2026							
1	बीजापुर	बीजापुर	65319.860	5500	359259230.00	42748	270800992.00	8845823
2	सुकमा	सुकमा	83710.663	5500	460408646.50	46620	375482206.00	8492644
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	13574.937	5500	74662154	13210	70234895.50	442725
4	बस्तर	जगदलपुर	10975.618	5500	60365899	21725	59975657.50	39024
5	कोण्डागांव	कोण्डागांव	10470.101	5500	5,75,85,555.50	19866	5,47,16,766.50	28,68,789
		केशकाल	17747.373	5500	9,76,10,551.50	27663	9,05,39,278.50	70,71,273
	योग		**28217.474**		**155196107.000**	**47529.000**	**145256045.000**	**9940062.**

क्र.	जिला का नाम	जिला यूनियन का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	संग्रहण दर (रू.प्रति मानक बोरा)	संग्रहण पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	संग्राहक संख्या	वितरित पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	वितरण हेतु शेष पारिश्रमि राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	नारायणपुर	नारायणपुर	14630.594	5500	8,04,68,267.00	14243	8,03,30,596.50	1,37,67
7	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	86754.810	5500	47,71,51,455.00	37504	43,38,65,646.50	4,32,85,80
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	68910.435	5500	37,90,07,392.50	23998	35,26,03,042.00	2,64,04,35
		कांकेर	26236.240	5500	14,42,99,320.00	28270	13,88,95,163.00	54,04,15
	योग		**181901.485**		**1000458167.500**	**89772.000**	**925363851.500**	**75094316**
8	मोहला–मानपुर–चौकी	राजनांदगांव	55779.804	5500	30,67,88,922.00	38665	29,65,70,901.00	1,02,18,02
9	राजनांदगांव		7955.225	5500	4,37,53,738.00	11047	4,28,66,092.50	8,87,64
	राजनांदगांव	खैरागढ़	8572.510	5500	4,71,48,805.00	7806	4,65,20,490.50	6,28,31
	योग		**16527.735**		**90902543.00**	**18853.00**	**89386583.00**	**151596**
10	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	खैरागढ़	23477.535	5500	12,91,26,442.50	18159	12,88,24,932.50	3,01,51
11	बालोद	बालोद	23895.825	5500	13,14,27,037.50	27703	13,03,81,075.00	10,45,96
12	कबीरधाम	कवर्धा	40234.435	5500	22,12,89,392.50	31923	21,87,74,946.50	25,14,44
13	धमतरी	धमतरी	23770.320	5500	130736760.00	26550.00	130364586.00	37217
14	गरियाबंद	गरियाबंद	74401.860	5500	409210230.00	63074.00	409163562.50	4666
15	महासमुन्द	महासमुन्द	75499.015		415244582.50	81243.00	414480253.00	146806
16	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	13269.815	5500	72983982.50	15072.00	73104189.50	-12020
17	सारंगढ़– बिलाईगढ़		5787.220	5500	31829710.00	6539.00	30924465.00	90524
18	रायपुर		850.270	5500	4676485.00	769.00	4387895.50	28858
19	बिलासपुर	बिलासपुर	25574.075	5500	140657412.50	21863	140334832.00	32258
20	मुगेली		5817.180	5500	31994490.00	4851	31893922.50	10056
21	पेण्ड्रा–गोरैला–मरवाही	मरवाही	21803.570	5500	119919635.00	26408	114716343.50	520329
22	कोरबा	कोरबा	50104.990	5500	275577445.00	36874	273650591.50	192685
		कटघोरा	70783.085	5500	389306967.50	65246	383181700.00	612526
	योग		**120888.075**		**664884412.50**	**102120**	**656832291.50**	**805212**
23	रायगढ़	रायगढ़	41931.010	5500	230620555.00	36387	210456796.00	2016375
24		धरमजयगढ़	71845.465	5500	395150057.50	47393	381395008.50	1375504
	योग		**113776.475**		**625770612.50**	**83780**	**591851804.50**	**3391880**
25	सारंगढ़–बिलाईगढ़	रायगढ़	9559.350	5500	52576425.00	9132	49485397.00	309102
26	जांजगीर–चाम्पा	जांजगीर–चाम्पा–सक्ती	6143.885	5500	33791367.50	8113	33791367.50	
27	सक्ती		1030.020	5500	5665110.00	1320	5665110.00	
28	सरगुजा	सरगुजा	33432.2	5500	183877100	36489	166348677	1752

क्र.	जिला का नाम	जिला यूनियन का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	संग्रहण दर (रू.प्रति मानक बोरा)	संग्रहण पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	संग्राहक संख्या	वितरित पारिश्रमिक की राशि (रू.में)	वितरण हेतु शेष पारिश्रमिक राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	सूरजपुर	सूरजपुर	72468.037	5500	398574203.50	57794	386587883.00	11986320.50
30	बलरामपुर–रामानुजगंज	बलरामपुर	114428.169	5500	629354929.50	95767	603545739.50	25809190.00
31	कोरिया	कोरिया,बैकुन्ठपुर	35693.790	5500	196315845.00	30946	191938615.00	3515682
32	एम.सी.बी.	मनेन्द्रगढ़	41695.800	5500	229326900.00	33363	226465772.50	2861127.50
33	जशपुर नगर	जशपुरनगर	31143.470	5500	171289085.00	33179	155288413.50	16000671.50
	महायोग :– वर्ष 2026		**1385278.561**		**7619032086.000**	**1149522**	**7208553802.50**	**410320471.50**

टीप – तेन्दू पत्ता सीजन 2026 में संग्राहकों के खातें में ऑनलाईन भुगतान प्रगति पर है।

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - पैंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 208) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	विभाग का नाम	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रेषित पत्र का दिनांक	कार्य का नाम	मात्रा	नाम	रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र जारी दिनांक	जमा की गई समझौता राशि
01	कार्यालय वरिष्ठ अनुभाग, अभियंता कार्य (गति शक्ति), द.प.म. रेलवे राजनांदगांव, जिला– राजनांदगांव (छ. ग.)	कार्यादेश क्रमांक 413 दिनांक 07. 01.2022	02.08.2024	हावड़ा–मुम्बई मार्ग पर दुर्ग–पनियाजोब खण्ड के बीच मानवयुक्त लेवल क्रासिंग के स्थान पर एलआरओबी का निर्माण।	मुरूम– 15000 घ.मी.	मेसर्स घई बिल्डकान	01.04.2025	निरंक
02	कार्यालय वरिष्ठ अनुभाग, अभियंता कार्य (गति शक्ति), द.प.म. रेलवे राजनांदगांव, जिला– राजनांदगांव (छ. ग.)	कार्यादेश क्रमांक 413 दिनांक 07. 01.2022	02.08.2024	हावड़ा–मुम्बई मार्ग पर दुर्ग–पनियाजोब खण्ड के बीच मानवयुक्त लेवल क्रासिंग के स्थान पर एलआरओबी का निर्माण।	चूनापत्थर– 20000 टन रेत– 7000 घ.मी.	मेसर्स घई बिल्डकान	01.04.2025	निरंक
03	कार्यालय वरिष्ठ अनुभाग, अभियंता कार्य (गति शक्ति), द.प.म. रेलवे राजनांदगांव, जिला– राजनांदगांव (छ. ग.)	कार्यादेश क्रमांक 413 दिनांक 07. 01.2022	05.12.2025	हावड़ा–मुम्बई मार्ग पर दुर्ग–पनियाजोब खण्ड के बीच मानवयुक्त लेवल क्रासिंग के स्थान पर एलआरओबी का निर्माण।	चूनापत्थर– 15000 टन रेत– 7000 घ.मी. मुरूम– 15000 घ.मी.	मेसर्स घई बिल्डकान	20.05.2026	1,04,000

M. K. Choubey
Section Officer
Mining Resources Deptt.
Mantralaya, Chhattisgarh

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	स्त्रोत का प्रकार (उत्खनिपट्टा/अनुंज्ञा पत्र/परिवहन अनुमति/अवैध उत्खनन)			उत्खनिपट्टा/अनुंज्ञा पत्र/परिवहन अनुमतिधारी का नाम
		खनिज का नाम	खदान /स्थल का नाम	जिला	
1	2	3	4	5	6
1	कार्यादेश क्रमांक 413 दिनांक 07.01. 2022	मुरूम	भरनाभाट	बालोद	नरेन्द्र कुमार यादव
			खामभाट		छत कुमार साहू
			फरदफोंड़		भावेश कुमार साहू
			खामभाट		शिशिस कुमार साहू
			माहुद 'अ'		माधोप्रसाद
			माहुद 'अ'		दीप सिंह
			गब्दी		माधोप्रसाद
			डुड़िया		सुग्रीव साहू
			बिरेझर	राजनांदगांव	नरेन्द्र हासवानी
			बघेरा		रमेश पाण्डेय
			बघेरा		हिरेन्द्र कुमार
			बघेरा		छत कुमार
			करमरी		महेश साहू
			माहुलझोपड़ी		भरत लाल ठाकुर
			बघेरा		शुभम पाण्डेय
			मारगांव		हरिवंश सोनी
			सांकरा		हिरेन्द्र कुमार
			मुढ़ीपार		घई बिल्डकॉन एलएलपी
			हिरी	दुर्ग	राकेश साहू
			रौता		माधोप्रसाद पटेल
			नवांगांव		इंद्रदेव महतो
			बिरेझर		प्रीतम सिंह यादव
			करेली		नरेन्द्र देशमुख
			हिरी		हेमंत निषाद
			अंजोरा		बलराम कौशिक
			टेमरी		प्रदीप कुमार माड़िया

क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	स्त्रोत का प्रकार (उत्खनिपट्टा/अनुंज्ञा पत्र/परिवहन अनुमति/अवैध उत्खनन)			उत्खनिपट्टा/अनुंज्ञा पत्र/परिवहन अनुमतिधारी का नाम
		खनिज का नाम	खदान /स्थल का नाम	जिला	
1	2	3	4	5	6
2	कार्यादेश क्रमांक 413 दिनांक 07.01.2022	चूनापत्थर	बल्देवपुर	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	राखी टुरहाटे
			साल्हे भर्री		पद्मा एसोसिएट
			खुर्सीपार		समीर कुमार पोद्दार
			खुर्सीपार		मेसर्स रिषभ मिनरल्स
			खुर्सीपार		हरमीत सिंह भाटिया
			कलकसा		बोलबम मिनरल्स
			कलकसा		परेश कुमार
			कलकसा		अखिलेश टुरहाटे
			कलकसा		अरूणा जोगेवार
			डुमरडीहकला	राजनांदगांव	मेसर्स नवकार स्टोन
			भरकाटोला		भावेश कुमार बैद
			डुमरडीहकला		हितेन्द्र बग्गा
			कलडबरी		मेसर्स अरिहंत मिनरल्स
			आलीखुटा		हेमंत चौधरी
			बनहरदी		आर. डी. मिनरल्स
			जोरातराई		महेश लोहानी
		रेत	अमेठी	धमतरी	दीपक गुप्ता
			सरगी		जितेन्द्र कुमार मण्डल
			मदरौद		चंद्रप्रकाश
			परसुली		शोएब खान
			खरेंगा		शेख जफर
			दरगाहन		शालिनी सिंह
			सरगी		आशीष शुक्ला
			गाड़ाडीह		प्रतीक सिंह नेताम
			सिरसिदा		द्रोणेश प्रकाश सोनवानी
			भरारी		अक्षय राजपूत
			सेलदीप		पराग बढ़े
			लीलर		संजय कुमार गुप्ता
			करेली छोटी		सुनील कुमार खण्डेलिया
			लीलर		अरूण कुमार गुप्ता
			झेनर		सुरेश कुमार चंद्राकर
			बारना		दिनेश कुमार
			चारभांठा		कुदन सिंह

क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	स्त्रोत का प्रकार (उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र/परिवहन अनुमति/अवैध उत्खनन)			उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र/परिवहन अनुमतिधारी का नाम
		खनिज का नाम	खदान /स्थल का नाम	जिला	
1	2	3	4	5	6
			लीलर		चिरंजीव सिंह
			जंवरगांव		सतीष देवता
			मुसराडीह		लेखराज सिन्हा
			दोनर		प्रेमनारायण
			सेलदीप		रोशन ध्रुव
			सागा		दिनेश कुमार
			दोनर		अमर सिंह डोंगरे
			अरौद		सुरेश कुमार सिवाना
			हीरापुर		शाहिल अहमद
			हरठीमा		बबलू कुमार जोशी
			देवारभाट		दुष्यंत कुमार साहू
			फरदफोड़		भावेश कुमार साहू
			सलौनी		कमर एजाज खान
			सोनेवारा		चरण दास
			सोनेवारा		राहुल वर्दयानी
			दोनर		योगेश सिन्हा
			दोनर		देवकान्त पटेल
			पिरौद	उ.ब. कांकेर	दीप मोहन
			राजपानी, बासनवाही		गुलशन राजपानी
			टहकापार		हेमंत कुमार साहू
			बाबूकोहका		कविता बहरा
			भिरौद		सुमन बंजारे
			माहुद		सरपंच ग्राम पंचायत माहुद
			भुईगांव, बासनवाही		सरपंच ग्राम पंचायत बासनवाही
			तेलगुड़ा		मेसर्स मोब्बत महिला स्व सहायता समूह भिलाई, तेलगुड़ा
			भिरौद		सरपंच ग्राम पंचायत भिरौद
			किलेपार		सरपंच ग्राम पंचायत किलेपार
3	कार्यादेश क्रमांक 413 दिनांक 07.01.	चूनापत्थर	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	मेसर्स नवकार स्टोन
			भरकाटोला		भावेश बैद
			चवेली		शशिकला गुप्ता
			डुमरडीहकला		हितेन्द्र बग्गा
			डुमरडीहकला		शिव अग्रवाल

क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	स्त्रोत का प्रकार (उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र/परिवहन अनुमति/अवैध उत्खनन)			उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र/परिवहन अनुमतिधारी का नाम
		खनिज का नाम	खदान /स्थल का नाम	जिला	
1	2	3	4	5	6
	2022		डुमरडीहकला		रिंकु स्टोन इडस्ट्रीज प्रा. प्रभजीत सिंह बग्गा
			बनहरदी		आर. डी. मिनरल्स
			डुमरडीहकला		रितेश जैन
			डुमरडीहकला		मनोज कुमार जैन
			डुमरडीहकला		अरूण कुमार रंगलानी
			खुर्सीपार/भाखरी		शर्मा मिनरल्स प्रो. त्रिलोक शर्मा
			डुमरडीहकला		नितीश कुमार अग्रवाल
			डुमरडीहकला		दिव्या डाकलिया
			डुमरडीहकला		जेसल एस. लाल
			खुर्सीपार	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	हरमीत सिंह भाटिया
			बल्देवपुर		राखी टुरहाटे
			बल्देवपुर		भाऊराम चक्रधारी
			खुर्सीपार		समीर कुमार पोद्दार
			कलकसा		प्रशान्त काकरिया
			साल्हे भर्री		पद्मा एसोसिएट
			खुर्सीपार		मेसर्स रिषभ मिनरल्स
			कलकसा		अरूणा जोगेवार
			कलकसा		अखिलेश टुरहाटे
			छांटा	दुर्ग	स्वाती तिवारी
			नीचे कोहड़ा	मानपुर–मोहला–अं. चौकी	मेंसर्स महावीर इण्डिया प्रा.लि.
			पिनकापार	बालोद	दिनेश चंद नखत
		रेत	बरना	धमतरी	राहुल बरदियानी
			दोनर		शैलेन्द्र कुमार
			दोनर		देवकान्त पटेल
			लीलर		चिरंजीव सिंह
			सोनेवार		चरण दास
			दोनर		प्रेमनारायण
			बारना		दिनेश कुमार निषाद
			बारना		दिनेश कुमार साहू
			दर्री		अमरदीप छाबड़ा
			लीलर		टीका राम साहू
			ढीमरटिकुर		पोखन लाल साहू

क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	स्त्रोत का प्रकार (उत्खनिपट्टा/अनुंज्ञा पत्र/परिवहन अनुमति/अवैध उत्खनन)			उत्खनिपट्टा/अनुंज्ञा पत्र/परिवहन अनुमतिधारी का नाम
		खनिज का नाम	खदान /स्थल का नाम	जिला	
1	2	3	4	5	6
			राजपुर		योगेश सिन्हा
			राजपुर		तुलसी राम यादव
			दोनर		हेमंत चंद्राकर
			मुसराडीह		माखन गोस्वामी
			सुरगी		युगल कुमार साहू
			खरेंगा		शेख जफर
			बोरसी		शालिनी सिंह
			दरगाहन		शालिनी सिंह
			दोनर		सुरेश कुमार चंद्राकर
			अरौद		अरूण कुमार गुप्ता
			जंवरगांव		सतीष देवता
			परसुली		शोएब खान
			सरगी		जितेन्द्र कुमार मण्डल
			करेली छोटी		सुनील कुमार खण्डेलिया
			लीलर		अरूण कुमार गुप्ता
			अमेठी		दीपक गुप्ता
			मनसैद		उमेश कुमार सिदार
			भरखंदा		प्रतीक सिंह नेताम
			गोजी		भूपेन्द्र कुमार यादव
			नारी		भूपेन्द्र कुमार यादव
			मदरौद		व्रदप्रकाश वर्मा
			चारभांठा		हेमंत आनंद
			सारंगपुरी		शेख जफर
			सोनवारा		राहुल वर्दयानी
			भरारी		अक्षय राजपूत
			मथुराडीह		लेखराज सिन्हा
			सेलदीप		पराग बढ़े
			देवरी		कैलाश राम साहू
			मनरौद		अशोक पवार
			बंजारी		प्रवाल चंद्राकर
			लीलर		संजय कुमार गुप्ता
			दोनर		देवांक पटेल
			राजपुर		केदार नाथ साहू

क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	स्त्रोत का प्रकार (उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र/परिवहन अनुमति/अवैध उत्खनन)			उत्खनिपट्टा/अनुज्ञा पत्र/परिवहन अनुमतिधारी का नाम
		खनिज का नाम	खदान /स्थल का नाम	जिला	
1	2	3	4	5	6
			बगरूनाला		दिनेश कुमार साहू
			हीरापुर	बालोद	राहिल अहमद
			देवारभाट	बालोद	दुष्यंत साहू
		मुरूम	मड़वापथरा	बालोद	परस राम साहू
			डुड़िया		सुग्रीव साहू
			माहुद 'अ'		माधोप्रसाद
			भरनाभाट		नरेन्द्र कुमार यादव
			मड़वापथरा		परस राम साहू
			माहुद 'अ'		उपेन्द्र कुमार साहू
			डुड़िया		सुग्रीव साहू
			माहुलझोपड़ी		भरत लाल ठाकुर
			खामभाट		छत कुमार साहू
			गब्दी		माधोप्रसाद
			धर्मापुर	राजनांदगांव	राहुल देवांगन
			कलडबरी		पराग बढ़े
			बघेरा		रमेश पाण्डेय
			भांठागांव		मेसर्स रितु इण्टरप्राईजेस
			धौराभांठा		राकेश कुमार मारिया
			महरूम		नरेन्द्र कुमार यादव
			बघेरा		रमेश्वर साहू
			जोंधरा		नरेन्द्र कुमार यादव
			बिरेझर	दुर्ग	नरेन्द्र देशमुख

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
19:44:39

परिशिष्ट - छत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 209) की जानकारी

प्रपत्र– ''अ''

छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 59 के तहत् वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 खनिज मुरूम परिवहन की अनुमति की जानकारी

क्र.	नाम	खनिज	ग्राम	तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	अवधि	मात्रा (घ.मी. में)	भूमि का प्रकार	किस कार्य हेतु
1	मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, मधापुर हैदराबाद तेलंगाना	मुरूम	सुकुलदैहान	राजनांदगांव	91 / 5	0.429	02.06.2025 से 01.09.2025 तक	1200	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
2	मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, मधापुर हैदराबाद तेलंगाना	मुरूम	कटली	डोंगरगढ़	497 / 3	0.170	02.06.2025 से 01.09.2025 तक	1200	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
3	मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, मधापुर हैदराबाद तेलंगाना	मुरूम	चिद्दो	डोंगरगढ़	270	0.6800	06.10.2025 से 05.02.2026 तक	2400	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
4	पॉवर मेक प्रोजक्ट लिमिटेड पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, हिटेक्टस के सामने, मधापुर, हैदराबाद	मुरूम	मुसराकला	डोंगरगढ़	382	2.886	24.11.2025 से 23.03.2026 तक	2400	शासकीय भूमि तालाब	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
5	पॉवर मेक प्रोजक्ट लिमिटेड पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, हिटेक्टस के सामने, मधापुर, हैदराबाद	मुरूम	नागतराई	डोंगरगढ़	629	0.506	26.11.2025 से 25.03.2026 तक	2400	शासकीय भूमि तालाब	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।

6	मेसर्स सेवासिंग ओबेरॉय एण्ड कंपनी पदमनाभपुर दुर्ग	मुरूम	खुर्सीपार	डोंगरगढ़	50, 51, 52, 53, 54	3.99	10.12.2025 से 09.03.2026 तक	10000	शासकीय भूमि जलाशय	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
7	मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, मधापुर हैदराबाद तेलंगाना	मुरूम	कटली	डोंगरगढ़	497 / 3	0.170	15.12.2025 से 14.04.2026 तक	1200	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
8	मेसर्स सेवासिंग ओबेरॉय एण्ड कंपनी पदमनाभपुर दुर्ग	मुरूम	धनगांव	राजनांदगांव	106 / 3	1.315	16.01.2026 से 18.04.2026 तक	4200	शासकीय भूमि तालाब	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
9	घई बिल्डकार्न पुणे, पता नंबर 27, सी–2 प्रथम तल, ब्रम्ह ईस्टेट, कोंधवा रोड, पुणे	मुरूम	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	329 / 1, 330, 341, 342,343,357, 703	2.436	19.01.2026 से 18.04.2026 तक	8400	निजी भूमि	हावड़ा मुम्बई मुख्य रेल मार्ग के दुर्ग पनियाजोब सेक्शन के मध्य पुल निर्माण कार्य
10	मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, मधापुर हैदराबाद तेलंगाना	मुरूम	कटली	डोंगरगढ	137 / 4	0.809	19.01.2026 से 18.04.2026 तक	4000	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
11	मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, मधापुर हैदराबाद तेलंगाना	मुरूम	पारागांवकला	डोंगरगढ़	628, 653	0.429	20.01.2026 से 19.04.2026 तक	2400	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
12	मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पता प्लाट नंबर 77, जुबली एनक्लाईव, मधापुर हैदराबाद तेलंगाना	मुरूम	कलकसा	डोंगरगढ़	144 / 1	2.081	30.03.2026 से 29.07.2026 तक	6000	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाइ्न निर्माण कार्य।

13	केएलडी क्रियेशन इन्फ्रास्ट्रचर प्रा. लिमिटेड पता एफ–134, फ्लैट नंबर ए–9, शिव अपार्टमेंट, जवाहर पार्क, डेविल रोड, खानपुर, न्यू दिल्ली–110062	मिट्टी	अचानकपुर भाठापारा	राजनांदगांव	510, 520, 621	8.056	22.05.2026 से 21.07.2026 तक	8000	शासकीय भूमि नाला गहरीकरण	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
14	श्री शिशिर मिश्रा, पता ग्राम पासलखैरा, पोस्ट मण्डला, जिला खैरागढ़–छुइखदान–गंडई	मुरूम	अण्डी	डोंगरगढ़	279/3	0.680	29.04.2026 से 28.07.2026 तक	4000	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
15	श्री शिशिर मिश्रा, पता ग्राम पासलखैरा, पोस्ट मण्डला, जिला खैरागढ़–छुइखदान–गंडई	मुरूम	अण्डी	डोंगरगढ़	275/2	0.6880	29.04.2026 से 28.07.2026 तक	4000	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
16	केएलडी क्रियेशन इन्फ्रास्ट्रचर प्रा. लिमिटेड पता एफ–134, फ्लैट नंबर ए–9, शिव अपार्टमेंट, जवाहर पार्क, डेविल रोड, खानपुर, न्यू दिल्ली–110062	मिट्टी	अचानकपुर भाठापारा	राजनांदगांव	690	0.303	29.04.2026 से 28.07.2026 तक	6000	शासकीय भूमि नाला	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
17	श्री हेमन कुमार यादव निवासी बुधवारी पारा, वार्ड नंबर 15, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	मुरूम	अण्डी	डोंगरगढ़	659/5	0.849	29.04.2026 से 28.06.2026 तक	2400	निजी भूमि	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।
18	केएलडी क्रियेशन इन्फ्रास्ट्रचर प्रा. लिमिटेड पता एफ–134, फ्लैट नंबर ए–9, शिव अपार्टमेंट, जवाहर पार्क, डेविल रोड, खानपुर, न्यू दिल्ली–110062	मिट्टी	अचानकपुर भाठापारा	राजनांदगांव	510,520, 621	8.056	22.05.2026 21. 07.2026 तक		शासकीय भूमि नाला	चौथी रेलवे लाईन निर्माण कार्य।

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
17:20:54

3

प्रपत्र– ''ब''

जिला राजनांदगांव में प्राप्त शिकायत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 17 जून 2026 तक की जानकारी

क्र.	शिकायत का दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत की विषय वस्तु	खदान का नाम जहां शिकायत प्राप्त हुई है	विधानसभा क्षेत्र	की गई कार्यवाही का विवरण
1	16.04.2025	कंवल राम निवासी ग्रम बिजेभाठा	अवैध मुरूम खनन करने बाबत्।	बिजेभाठा	डोंगरगांव	सहायक खनि अधिकारी राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29.04.2025 को ग्राम बीजाभांठा में मौका जांच कर पंचनामा तैयार किया गया । ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि बीजाभांठा स्थित डीहीखार स्थित खेदू पिता मुंशी यादव, देवनारायण साहू, रामरतन सिंहा के द्वारा अपनी निजी भूमि खेत का समतलीकरण कराया गया है, जिससे निकले मुरूम/मिट्टी का परिवहन लट्टू उर्फ हरिवंश सोनी, निवासी राजनांदगांव, हेमेन्द्र सिन्हा उर्फ पप्पू सिन्हा निवासी राजनांदगांव तथा संजय सोनकर निवासी टोलागांव जिला राजनांदगांव के द्वारा किया गया है। जांच उपरांत पाया गया कि उक्त क्षेत्र से 110 घ.मी. मुरूम का बाजार मूल्य 22,000/– एवं 50,000/– रूपये समझौता राशि कुल अर्थदण्ड 72000/– रूपये जमा किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान कोई वाहन/मशीन आदि नहीं पाया गया, कार्य बंद पाया गया।
2	25.04.2025	मदन लाल साहू निवासी ग्राम आलीखुटा	जनपद पंचायत डोंगरगांव क्षेत्र में अवैध रेत, मुरूम एवं मिट्टी खनन पर रोक और संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर उचित कार्यवाही बाबत्।	ग्राम मारगांव, गिरगांव, जरवाही एवं बीजाभांठा	डोंगरगांव	सहायक खनि अधिकारी राजनांदगांव द्वारा जनपद पंचायत डोंगरगांव क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवैध परिवहन के खनिज रेत के 18 प्रकरण दर्ज कर समाझौता राशि रू. 2,63,000/–, खनिज मुरूम के 08 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रू. 2,24,800/– एवं मिट्टी के 10 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रू. 1,57,800/– वसूल किया गया है। अवैध उत्खनन खनिज मुरूम के 01 प्रकरण दर्ज कर, समझौता राशि रूपये 61,600/– वसूल किया गया है, इस प्रकार कुल अर्थदण्ड की राशि रू. 7,07,200/– वसूल किया गया है एवं खनिज रेत के 01 प्रकरण में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजनांदगांव में परिवाद दायर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान तक रेत के 01 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रूपये 15,600/– , मुरूम के 03 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रू. 67,200/–, एवं मिट्टी (ईंट मिट्टी) के 01 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रू. 16,000/– वसूल किया गया है, कुल अर्थदण्ड की राशि रू. 98,800/– वसूल किया गया है। इस प्रकार क्षेत्र में लगातार कार्यवाही की जा रही है।

3	25.06.2025	विरेन्द्र कुमार जैन	मुरूम चोरी करने	दीवानभेड़ी	डोंगरगांव	खनिज अमला राजनांदगांव द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 ग्राम दीवानभेड़ी का मौका निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री विरेन्द्र जैन एवं सरपंच ग्राम पंचायत दीवानभेड़ी अनावेदक संजय सोनकर की उपस्थिति में किया गया। मौके पर खनिज मुरूम का अवैध परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
4	16.03.2026	करण साहू	तहसील डोंगरगांव ग्राम गिरगांव में मुरूम के अवैध उत्खनन को रोकने बाबत्	गिरगांव	डोंगरगांव	खनिज अमला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19.03.2026 के अनुसार ग्राम गिरगांव में खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन को रोकने के संबंध में मौका निरीक्षण दिनांक 19.03.2026 को मौके पर उपस्थित सरपंच, पंच एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया। मौके पर मुरूम का खनन/परिवहन कार्य नहीं पाया गया।
5	26.05.2026	श्री दलेश्वर साहू विधायक डोंगरगांव	संरचना निर्माण में लगने वाले निर्माण सामग्री (सेण्ड/एग्रीगेट/ मुरूम/ मिट्टी) की खदान, परिवहन एवं उत्खनन के अनुमति संबंधी जानकारी।	डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम	डोंगरगांव	डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025–26 से 17 जून 2026 तक खनिज अमला राजनांदगांव द्वारा खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन के 04 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रूपये 3,39,000/– शासकीय मद मे जमा कराया गया है। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों के निरीक्षण में अवैध खनन नहीं पाया गया।

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
17:20:12

परिशिष्ट - सैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 229) की जानकारी

प्रपत्र-

स. क्र.	प्रस्तावित खनिज ब्लॉक का नाम	प्रभावित ग्राम/ सारंगढ़ नगर पालिक का वार्ड	रकबा (हे. में)	सारंगढ़ नगर पालिक का प्रभावित क्षेत्र		रिमार्क
				वार्ड क्र.	रकबा (हे. में)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	लालाधुरवा–जोगनीपाली चूनापत्थर ब्लॉक	धौराभांठा	79.429	–	–	खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 11.09. 2023 को आशय पत्र जारी।
		जोगनीपाली	30.055	–	–	
		कपिस्दा	3.546	–	–	
		लालाधुरवा	71.068	–	–	
		सरसरा	16.804	–	–	
2.	खैरहा चूनापत्थर ब्लॉक	खैरहा **(वार्ड क्र. 10)**	67.656	वार्ड क्र. 10	67.656	नीलामी हेतु एनआईटी जारी किया जाना प्रक्रियाधीन।
		जूनाडीह **(वार्ड क्र. 10)**	49.655	वार्ड क्र. 10	49.655	
		रांपागुला	100.241	–	–	
		चंदाई	3.614	–	–	
		सारंगढ़ **(वार्ड क्र. 10)**	6.441	वार्ड क्र. 10	6.441	
3.	कुटेला–दुर्गापाली चूनापत्थर ब्लॉक	हरिहरपाली	14.823			नीलामी हेतु एनआईटी जारी किया जाना प्रक्रियाधीन।
		कुटेला **(वार्ड क्र. 1)**	35.711	वार्ड क्र. 1	35.711	
		खम्हारडीह	24.437	–	–	
4.	खम्हारडीह चूनापत्थर ब्लॉक	भैंसादहान	35.105	–	–	नीलामी हेतु एनआईटी जारी किया जाना प्रक्रियाधीन।
		भोजपुर **(वार्ड क्र. 2)**	56.232	वार्ड क्र. 2	56.232	
		गाताडीह	113.944	–	–	
		खम्हारडीह	113.066	–	–	
		कुटेला **(वार्ड क्र. 1)**	29.633	वार्ड क्र. 1	29.633	
		पचपेड़ी	105.544	–	–	
		सुलोनी	14.945	–	–	

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026

परिशिष्ट - अड़तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 230) की जानकारी

प्रपत्र

अपेक्स बैंक की शाखा बरमकेला में समितियों के खाते को अनाधिकृत रूप से राशि अंतरण कर गबन के प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	गबन में सम्मिलित कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	की गई कार्यवाही
1	श्री डी.आर वाघमारे	शाखा प्रबंधक	सेवा से बर्खास्त एवं थाना बरमकेला में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है।
2	सुश्री मीनाक्षी मांझी	लेखाधिकारी	
3	श्री आशीष पटेल	लिपिक	
4	श्री लिकेश कुमार बैरागी	कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्सिंग स्टॉफ)	
5	श्री रमाकांत श्रीवास	कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्सिंग स्टॉफ)	
6	श्री अरूण चंद्राकर	डण्डा गार्ड (आउटसोर्सिंग स्टॉफ)	
7	श्री खीरदास महंत	डण्डा गार्ड (आउटसोर्सिंग स्टॉफ)	
8	श्री बालकृष्ण कर्ष	डण्डा गार्ड (आउटसोर्सिंग स्टॉफ)	
9	श्री एस.के साहू	तत्कालीन शाखा प्रबंधक	निलंबित एवं थाना बरमकेला में एफ.आई.आर. करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
10	श्री हेमंत चौहान	लिपिक	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट - उनतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 237) की जानकारी

प्रपत्र–"अ"

अवधि	वाहन चालान संख्या	वसूल राशि/राजस्व
माह–जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	66,924	31,46,93,942
माह–जनवरी 2026 से 20 जून 2026 तक	30,061	15,91,52,053
महायोग :–	**96,985**	**47,38,45,995**

(वर्ष 2025) माह–जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	वाहन चालान संख्या	वसूल राशि/राजस्व	(वर्ष 2026) माह–जनवरी 2026 से 20 जून 2026 तक	वाहन चालान संख्या	वसूल राशि/राजस्व
जनवरी 2025	5,935	2,58,36,775	जनवरी 2026	5,110	2,74,61,126
फरवरी 2025	5,988	2,15,52,048	फरवरी 2026	5,016	2,56,98,442
मार्च 2025	6,519	2,55,09,026	मार्च 2026	4,605	2,63,07,301
अप्रैल 2025	6,192	2,58,54,578	अप्रैल 2026	5,252	2,70,52,414
मई 2025	5,959	2,86,48,672	मई 2026	5,320	2,97,38,835
जून 2025	5,863	2,82,95,290	जून 2026 (20.06.2026 तक)	4,758	2,28,93,935
जुलाई 2025	5,423	2,86,41,990	**योग**	**30,061**	**15,91,52,053**
अगस्त 2025	5,155	2,72,57,294			
सितम्बर 2025	5,004	2,60,98,931			
अक्टुबर 2025	4,644	2,46,95,171			
नवम्बर 2025	4,813	2,50,13,430			
दिसम्बर 2025	5,429	2,72,90,737			
योग	**66,924**	**31,46,93,942**			

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र–"ब"

क्र	कार्यालय का नाम	पदनाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रिमार्क
1	कार्यालय परिवहन आयुक्त	अपर परिवहन आयुक्त	श्री डी.रविशंकर	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाला पद है।
		उप परिवहन आयुक्त	श्री कृष्ण कुमार पटेल	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है।
			श्री मनोज कुमार ध्रुव	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है।
		संयुक्त संचालक (वित्त)	श्री जी.आर देवांगन	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाला पद है।
		सहायक परिवहन आयुक्त (विधि)	श्रीमती संध्या शुक्ला राजपूत	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाला पद है।
		सहायक संचालक (वित्त)	श्री रूद्रेश मिश्रा	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाला पद है।
		कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री स्वपनील जयस्वाल	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
			श्री सतीश कुमार ओरकेरा	
		सहायक वर्ग–3	श्री सत्येन्द्रनाथ टेलर	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य सुड़क परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप छ0ग0 अधोसंरचना विकास निगम के अतिशेष कर्मचारियों को सीआईडीसी से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।
			श्री राजेश भार्गव	

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा

2	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर	वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	श्री आशिष देवांगन	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है।
		सहायक सांख्यिकी अधिकारी	श्री रोहित कुमार मेहरा	आर्थिक सांख्यिकी विभाग के संबंधित सदस्य के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है। **दिनांक 10.06.2026 को मूल विभाग हेतु भारमुक्त।**
3	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जगदलपुर	वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	श्री दुलीचंद बंजारे	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है।
		कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री रवि राम टेके	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
		सहायक वर्ग–3	श्री शब्बीर कुरैशी	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य सुड़क परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप छ0ग0 अधोसंरचना विकास निगम के अतिशेष कर्मचारियों को सीआईडीसी से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।
4	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर	वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	श्री आनन्दरूप तिवारी	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है। दि. 03.06.2025 से निलंबित
		कनिष्ठ लेखाधिकारी	ललीता वस्त्रकार	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
		सहायक सांख्यिकी अधिकारी	योगेश्वर प्रसाद टण्डन	आर्थिक सांख्यिकी विभाग के संबंधित सदस्य के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है। **दिनांक 16.06.2026 को मूल विभाग हेतु भारमुक्त।**
5	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	श्री सुभाष कुमार बंजारे	आर्थिक सांख्यिकी विभाग के संबंधित सदस्य के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है। **दिनांक 28.04.2026 को मूल विभाग हेतु भारमुक्त।**
		कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री सनत बंजारे	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

6	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंबिकापुर	वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	श्री विनय कमार सोनी	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है।
		कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री आभिषेक विलियम	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
		सहायक वर्ग–3	श्री पवन कुमार साहू	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य सुड़क परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप छ0ग0 अधोसंरचना विकास निगम के अतिशेष कर्मचारियों को सीआईडीसी से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।
7	जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़	कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री दुर्गेश कुमार	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
8	जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी	कनिष्ठ लेखाधिकारी	अमृता सोरी	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
9	जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेली	कनिष्ठ लेखाधिकारी	दिप्ति मरावी	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
10	जिला परिवहन कार्यालय गरियाबंद	कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री केदार नाथ मरकाम	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
11	जिला परिवहन कार्यालय, बालोद	कनिष्ठ लेखाधिकारी	ओमेश्वरी	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
12	जिला परिवहन कार्यालय, कोण्डागांव	कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री रथसिह कंवर	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
13	जिला परिवहन कार्यालय सूरजपुर	कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री प्रवीण जायसवाल	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
14	जिला परिवहन कार्यालय बलरामपुर	कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री जयसिंह सांडिल्य	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
15	जिला परिवहन कार्यालय, बेमेतरा	कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्री गेंद सिह राजपूत	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।
16	जिला परिवहन कार्यालय गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	कनिष्ठ लेखाधिकारी	श्रीमती बबीता शर्मा	वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने वाला पद है।

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

17	अंतर्विभागीय लीड़ एजेंसी	सहायक वर्ग–3	श्री महेन्द शर्मा	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य सुड़क परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप छ0ग0 अधोसंरचना विकास निगम के अतिशेष कर्मचारियों को सीआईडीसी से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।
18	जिला परिवहन कार्यालय कबीरधाम	भृत्य	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य सुड़क परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप छ0ग0 अधोसंरचना विकास निगम के अतिशेष कर्मचारियों को सीआईडीसी से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।
19	जिला परिवहन कार्यालय जशपुर	भृत्य	श्री कामता प्रसाद शर्मा	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य सुड़क परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप छ0ग0 अधोसंरचना विकास निगम के अतिशेष कर्मचारियों को सीआईडीसी से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।
20	जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़	सुरक्षा गार्ड	श्री पुन्नुलाल घृतलहरे	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य सुड़क परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप छ0ग0 अधोसंरचना विकास निगम के अतिशेष कर्मचारियों को सीआईडीसी से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - चालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 241) की जानकारी

प्रपत्र

जिला महासमुन्द में विद्युत सप्लाई व्यवस्था में सुधार हेतु वर्ष 2021 से 20.06.2026 तक स्वीकृत अति उच्च दाब उपकेन्द्रों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	उपकेन्द्र का विवरण	स्थान	कार्य की वर्तमान स्थिति		अप्रारंभ रहने का कारण
				प्रारंभ	अप्रारंभ	
1	पिथौरा	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र तरेकेला	तरेकेला	कार्य प्रगति पर		
2	पिथौरा	400/220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र पिथौरा	भालुकोना		अप्रारंभ	भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार व छ.ग. विद्युत नियामक आयोग के बहुवर्षीय टेरिफ रेगुलेशन 2025 की धारा 71.2 के अनुसार रू. 500 करोड़ से अधिक लागत के ट्रांसमिशन परियोजनाओं का कार्य निविदा आधारित बोली (टी.बी.सी.बी.) के आधार पर किया जाना है। इन निर्देशों के परिपालन में दिनांक 17.10.2025 कों राज्य स्तरीय ट्रांसमिशन समिति की बैठक में उक्त उपकेन्द्र का निर्माण (टी.बी.सी.बी.) टेरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के तहत् किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी निविदा की कार्यवाही मेसर्स पॉवर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
3	पिथौरा	220/132 के. व्ही. उपकेन्द्र सांकरा (पिथौरा)	मेमरा		अप्रारंभ	प्राक्कलन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	महासमुंद	220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कुहरी (झलप)	झलप		अप्रारंभ	ग्राम रामखेड़ा, तहसील महासमुंद में उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि आबंटन के लिए दिनांक 04.06.2026 को कलेक्टर महासमुंद को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	बागबहरा	132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र बोडरी–दादर (बागबहरा)	बोडरी–दादर		अप्रारंभ	ग्राम नरतोरी में उपकेन्द्र निर्माण हेतु राजस्व भूमि चिन्हांकित कर भूमि आबंटन के लिए दिनांक 07.04.2026 को कलेक्टर महासमुंद को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

परिशिष्ट - इकतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 244) की जानकारी

प्रपत्र– अ

विद्युत का उत्पादन, मांग एवं अंतर प्रतिपूर्ति की जानकारी

क्र.	माह	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा			राज्य की औसत मांग (मेगावाट)	राज्य की अधिकतम मांग (मेगावाट)	उत्पादन एवं मांग के अंतर की प्रतिपूर्ति औसत क्रय दर प्रति यूनिट (रूपये)
		स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	औसतन उत्पादन (मेगावाट)	औसतन प्रदत्त उत्पादन (मेगावाट)			
1	जनवरी–2026	2979	2070	1900	4655	5849	3.91
2	फरवरी–2026	2979	2400	2210	5279	6282	3.62
3	मार्च–2026	2979	2648	2437	5825	6615	2.86
4	अप्रैल–2026	2979	2351	2169	6370	7084	4.06
5	मई–2026	2979	1990	1827	5342	6462	4.3

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–ब

वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रावधिक लागत लेखो के आधार पर उत्पादन इकाई–वार उत्पादन लागत का विवरण

क्र.	उत्पादन इकाई का नाम	उत्पादन लागत (रू प्रति युनिट केडब्ल्यूएच)
1	2	3
1	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	3.24
2	अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा	3.98
3	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2.94
4	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम विस्तार	2.74
5	हसदेव बांगो जल विद्युत गृह	2.19
6	गंगरेल जल विद्युत गृह	2.54
7	सिकासार जल विद्युत गृह	1.84
8	कोरबा मिनी जल विद्युत गृह	1.43
	समेंकित (प्रति इकाई)	**3.32**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - बयालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 247) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में वर्ष 2024–25 से 31.05.2026 तक अवैध रेत उत्खनन पर कृत कार्यवाही की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	दर्ज अवैध उत्खनन प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.
1	रायपुर	81	13002490	
2	बलौदाबाजार	54	2917850	
3	गरियाबंद	41	3734450	
4	धमतरी	42	3432500	
5	महासमुंद	39	5990020	
6	दुर्ग	12	1173440	
7	राजनांदगांव	10	661200	
8	मोहला–मानपुर	02	98200	
9	बालोद	20	1811650	
10	बस्तर	12	1116900	
11	नारायणपुर	02	112026	
12	सुकमा	08	168580	
13	कांकेर	18	2395150	
14	कोण्डागांव	01	69086	
15	दंतेवाड़ा	14	738440	
16	बीजापुर	03	173956	
17	बिलासपुर	73	3887052	
18	मुंगेली	14	635843	
19	कोरबा	20	1640305	
20	जांजगीर–चांपा	91	7233927	
21	सक्ती	27	2531410	
22	रायगढ़	14	1041100	
23	सारंगढ़–बिलाईगढ़	03	243500	
24	सरगुजा	11	140879	
25	बलरामपुर	09	523278	
26	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी	01	0	प्रक्रियाधीन
27	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	0	0	
28	कबीरधाम	0	0	
29	बेमेतरा	0	0	
30	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	0	0	
31	सूरजपुर	0	0	
32	कोरिया	0	0	
33	जशपुर	0	0	

परिशिष्ट - तिरालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 256) की जानकारी

प्रपत्र अ

प्रदेश के शासकीय विभागों की विभागवार बकाया राशि की जानकारी

राशि रू. करोड़ में

स. क्र.	विभाग का नाम	उपभोक्ता संख्या	कुल बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	22	0.33
2	संसदीय कार्य विभाग	6	0.47
3	जल संसाधन	1595	28.47
4	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	17	0.23
5	ग्रामोद्योग	60	0.47
6	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	482	111.42
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	57075	1057.56
8	आबकारी कर विभाग	109	0.61
9	सहकारिता एवं सहकारी समिति	1476	4.16
10	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	282	2.91
11	कृषि विकास एवं कृषक कल्याण एवं बायो टेक्नॉलाजी विभाग	1447	7.19
12	खनिज विभाग	35	0.34
13	मत्स्य विभाग	84	0.53
14	कौशल विकास तकनीकि शिक्षा एवं रोजगार विभाग	272	3.01
15	महिला एवं बाल विकास विभाग	21978	28.57
16	जेल विभाग	62	1.50
17	खेल एवं युवा कल्याण	41	1.41
18	उच्च शिक्षा विभाग	615	5.62
19	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	105	1.14
20	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	3399	40.70
21	गृह विभाग	70	2.21
22	श्रम विभाग	28	0.29
23	आवास एवं पर्यावरण विभाग	608	23.30
24	सुशासन एवं अभिसरण विभाग	23	0.27
25	वित्त विभाग	8	0.22
26	संस्कृति विभाग	38	0.48
27	चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग	323	0.89
28	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	781	14.48
29	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	19060	1525.18
30	पशुधन विकास विभाग	719	3.44
31	जन संपर्क विभाग	323	1.57
32	स्कूल शिक्षा विभाग	36304	83.39
33	अनु.जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग	2802	30.95
34	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	271	0.56
35	लोक निर्माण विभाग	1183	14.98
36	ऊर्जा विभाग	50	0.39
37	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5264	32.56
38	समाज कल्याण विभाग	46	1.04
39	परिवहन विभाग	46	0.33
40	पर्यटन विभाग	118	1.51
41	नया रायपुर (स्मार्ट सिटी)	101	0.68
42	आर.डी.ए	13	0.01
	कुल योग	**157341**	**3035.37**

(प्रपत्र –ब)

बिजली बिल भुगतान नहीं करने की स्थिति में पॉवर कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत विच्छेदन/संयोजन के संबंध में निर्धारित प्रकिया का विवरण

अस्थाई विच्छेदन :

10.17 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है। उपभोक्ता के सर्विस कनेक्शन का विच्छेदन करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्ट 15 (पंद्रह) दिवस का लिखित नोटिस दिया जाएगा। घरेलू कनेक्शन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के बालिग सदस्य को सूचित किया जाए। यदि विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विच्छेदन के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो आपूर्ति का विच्छेदन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में दिए प्रावधानों का अनुज्ञप्तिधारी कड़ाई से पालन करेगा ।

10.17 (ए) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, यदि उपभोक्ता अपने प्रीपेड मीटर खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है और उसका शेष (बैलेंस) शून्य हो जाता है, तो मीटर, गैर-कार्यालयीन समय (शाम 5:30 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे या छुट्टियों / राजपत्रित छुट्टियों / स्थानीय छुट्टियों)) को छोड़कर, उपभोक्ता की आपूर्ति काट देगा। उपभोक्ता को असुविधा से बचाने के लिये कनेक्शन काटने की प्रक्रिया, तत्काल अगले कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही निर्धारित की जाएगी, (जब तक कि लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक बार वास्तविक समय के आधार पर पुनः कनेक्शन चालू नहीं किया जाता है)। शून्य शेष पर, विच्छेदन (डिस कनेक्शन) को अस्थायी विच्छेदन (टेम्परारी डिसकनेक्शन) माना जाएगा।}[4]

10.18 किसी उपभोक्ता द्वारा देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली-योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो ।

10.19 अस्थाई विच्छेदन के पश्चात्, आपूर्ति तभी शुरू की जाएगी, जब उपभोक्ता बकाया प्रभार/देय/किष्त की रकम, कनेक्शन काटने जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।

1

0.19 (ए) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, अस्थायी विच्छेदन (टेम्परारी डिस्कनेक्शन) के बाद, उपभोक्ता को, शून्य / नकारात्मक शेष राशि के विवरण के साथ एसएमएस / व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा।

अस्थायी विच्छेदन (टेम्परारी डिस्कनेक्शन) के मामले में, उपभोक्ता, मीटर को रिचार्ज कर सकता है और लागू अधिभार के साथ विद्युत की आपूर्ति बहाल कर सकता है। उपभोक्ता, अपने प्रीपेड मीटर खाते को मोबाइल एप्लिकेशन, वेब एप्लिकेशन या लाइसेंसधारी द्वारा

प्रदान की जाने वाली सुविधाओं डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे यूपीआई, ई-वॉलेट, दी-वॉलेट, वेब पोर्टल आदि के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकता है। मीटर के सफल रिचार्ज के बाद, एएमआई एप्लिकेशन को, ऑटो रीकनेक्शन शुरू करना चाहिए।}[4]

10.20 यह अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिष्चित करें कि भुगतान न होने की स्थिति में बिना अस्थाई विच्छेदन के अधिकतम तीन माह की युक्तिसंगत अवधि से अधिक न रहे। अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी यह सुनिष्चित करेंगे कि भुगतान न होने के सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाये तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्थाई विच्छेदन, तत्पश्चात स्थाई विच्छेदन हेतु समयबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

10.21 यदि उपभोक्ता अपना कनेक्शन अस्थाई रूप से छः माह तक की अवधि हेतु विच्छेदित करवाना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के लिए उपभोक्ता ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों जैसे मांग प्रभार / न्यूनतम प्रभार, मीटर किराया आदि का अग्रिम भुगतान करने को बाध्य होगा। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता विच्छेदन संयोजन प्रभार का भुगतान करने को भी बाध्य होगा। उपभोक्ता के लिखित निवेदन पर अस्थाई विच्छेदन की अवधि आवश्यक प्रभारों के अग्रिम भुगतान करने पर बढ़ाई जा सकती है।

स्थाई विच्छेदन तथा अनुबंध की समाप्ति -

10.22 (ए) अस्थायी असंयोजन के पश्चात् उपभोक्ता आपूर्ति के पुनः संयोजन को प्राप्त करने तक नहीं आने की दशा में, देय बकाया के भुगतान करते हुए, इस संहिता के विनियम 7. 36/7.37 में कथन किये गये अनुसार, जहां भी लागू हो, प्रक्रिया का पालन करते हुये करार की समाप्ति के पश्चात् संयोजन को स्थायी रूप से असंयोजित कर दिया जायेगा।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के संयोजन के स्थायी असंयोजन के संबंध में उसके आपूर्ति क्षेत्र के भीतर उसी उपभोक्ता के अन्य विद्यमान विद्युत संयोजन से पुरानी विद्युत बकाया की वसूली का हकदार होगा।]

(सी) यदि उपभोक्ता, खंड 10.17 (क) और 10.19 (क) में वर्णित अनुसार, अस्थायी विच्छेदन (टेम्परारी डिस्कनेक्शन) के बाद, अपने खाते को रिचार्ज नहीं करता है, तो मासिक न्यूनतम शुल्क या आयोग द्वारा नियत किए गए किसी अन्य समान शुल्क की प्रयोज्यता के कारण खाता, नकारात्मक शेष तक पहुंच सकता है, भले ही उपभोक्ता द्वारा कोई विद्युत खपत न की गई हो।

(डी) खाते को रिचार्ज करने के लिए, सूचना/अलर्ट को, नोटिस के रूप में माना जाएगा और लाइसेंसधारी, बिना किसी अग्रतर सूचना के, उपभोक्ता द्वारा खाते को रिचार्ज करने में असफल होने पर, आपूर्ति बंद कर सकता है। उपभोक्ता को आपूर्ति उस अवधि के लिए बाधित रहेगी, जब तक उपभोक्ता द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर संबंधित राशि का रिचार्ज नहीं कर लिया जाता है।

(ई) मासिक न्यूनतम प्रभार/नियत प्रभार या आयोग द्वारा नियत किए गए किसी भी अन्य शुल्क की वसूली के लिए पर्याप्त राशि के साथ रिचार्ज करने के बाद ही, अस्थायी विच्छेदन (टेम्परररी डिस्कनेक्शन) को, प्रचलित आपूर्ति संहिता में विनिर्दिष्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर संशोधन सहित बहाल किया जा सकता है, भले ही अस्थायी विच्छेदन के दौरान उपभोक्ता द्वारा कोई उपभोग न किया गया हो।

(एफ)यदि उपभोक्ता, संशोधनों सहित प्रचलित आपूर्ति संहिता में विनिर्दिष्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर, खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है, तो कनेक्शन, स्थायी रूप से काट दिया जाएगा, और मीटर को उपभोक्ता परिसर से भौतिक रूप से हटा दिया जाएगा।

(जी) स्थायी विच्छेदन (परमानेंट डिस्कनेक्शन) के बाद, ऐसे उपभोक्ता का नवीन कनेक्शन, मूल संहिता और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।)

असंयोजित **निम्नदाब** औद्योगिक तथा उच्चदाब कनेक्शन-

10.23 एलटी औद्योगिक / एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ता, जो यथास्थिति, एक माह / 3 माह सूचना अवधि के अवसान के पश्चात भी कनेक्शन का उपयोग नही सका हो, की दशा में, उपभोक्ता के परिसर तक आपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में उपभोक्ता, संबंधित टेरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार मांग/नियत प्रभारों में प्राप्य करेगा। जब उपभोक्ता, अपने तत्परता के पश्चात कनेक्शन के उपयोग तक आता है, पहले किये गये बिलिंग, पुनरीक्षित बकाया देव के समाशोधन के पश्चात दिये गये कनेक्शन तथा करार के प्रारंभ होने की तारीख से वास्तविक संविदात्मक भार/मांग अनदेखा करते हुए कम किये गये भार/मांग के अनुपालन के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकती है। करार की अवधि में, उस अवधि के समतुल्य वृद्धि की जायेगी जिसके लिए कम किये गये भार/ मांग के आधार पर बिलिंग किया गया है।

50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए	–	10 हा.पा.
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए	–	20 हा.पा.
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए	–	60 कि.वो.ए.
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	–	संविदात्मक मांग था 4000 कि.वो.ए. भी कम हो
220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	–	संविदात्मक मांग या 15000 कि.वो.ए. जो भी कम हो

10.24 यदि उपभोक्ता कंडिका 10.23 में दर्शित उपरोक्त अनुबंध अवधि में संयोजन प्राप्त नहीं करता तो अनुबंध समाप्त होने की तिथि से बिलिंग बंद कर दी जायेगी। वास्तविक भार/मांग को छोड़ कर इस संहिता की उपरोक्त कंडिका 10.23 में दर्शित कम भार/मांग के आधार पर बिलिंग में संशोधन किया जायेगा।

10.25 यदि उपभोक्ता अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पश्चात संयोजन लेने हेतु आता है तो उसे नया संयोजन माना जायेगा तथा बकाया राशि यदि कोई हो के भुगतान पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

विच्छेदित **निम्नदाब** औद्योगिक तथा उच्चदाब उपभोक्ता

10.26 यदि निम्नदाब औद्योगिक/ उच्चदाब उपभोक्ता का विद्युत आपूर्ति अनुबंध अवधि में विच्छेदित हो जाता है तो मांग/स्थिर प्रभार संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार बिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता बिना भुगतान के 2 माह की अवधि तक विच्छेदित रहता है तो. उपभोक्ता को संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में बकाया राशि के भुगतान कर आपूर्ति पुनः चालू कराने, अन्यथा मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल दिये जाने बावत् 15 दिवस की नोटिस जारी की जायेगी। यदि उपभोक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो 15 दिवस की पुनः नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के बिलिंग माह के 6 माह पश्चात या उस माह की अंतिम तिथि जब अनुबंध अवधि समाप्त होती है जो भी पहले हो को मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिया जायेगा।

10.27 यदि उपरोक्त कंडिका 10.26 में दर्शित उपभोक्ता अनुबंध अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति लेने आता है और यदि मीटर या मीटरिंग उपकरण हटा लिये गये हैं तो नया परीक्षण प्रपत्र / विद्युत निरीक्षक के स्वीकृति जमा करने पर, पुनः लगा कर संयोजन प्रदान किये जायेंगे।

10.28 उपरोक्त विनियम 10.26 में उल्लिखित उपभोक्ता की दशा में, करार अवधि के अवसान तक आपूर्ति के उपयोग तक नही आता है तो बिलिंग, करार अवधि के अवसान तक असंयोजन (डिस्कनेक्शन) की तारीख से वास्तविक संविदात्मक भार/मांग अनदेखा करते हुए कम किये गये भार/मांग के अनुपालन के आधार पर पुनरीक्षित की जायेगी तथा उत्तरवर्ती बिलिंग बंद कर दी जायेगी।

50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए	-	10 हा.पा.
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए	-	20 हा.पा.
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए	-	60 कि.वो.ए.
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	-	संविदात्मक मांग था 4000 कि.वो.ए. भी कम हो
220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	-	संविदात्मक मांग या 15000 कि.वो.ए. जो भी कम हो

10.29 (i) यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध अवधि के अवसान पश्चात आपूर्ति के उपयोग हेतु आता है तो नवीन कनेक्शन के रूप में समझा जायेगा तथा बकाया देय, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात, तदनुसार, निराकृत किया जायेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, संबंधित फीडर के माध्यम से आपूर्ति का उपयोग करने वाले उपभोक्ता की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी सब-स्टेशन एवं संबंधित लाइन में खण्ड (Bay) का उपयोग अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा, यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध की समाप्ति / स्थायी असंयोजन (डिस्कनेक्शन) की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आपूर्ति के उपयोग हेतु नही आता है। ऐसी शर्तों के अधीन उपभोक्ता, खण्ड (Bay) और समर्पित लाइन की लागत वहन करेगा। यदि लाइन एवं खण्ड (Bay). उपलब्ध है और शेष उपयोग नही किया गया है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उसके उपांतरण / सुधार की लागत का भुगतान करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे लाइन उपकरणों के उपयोग न किये गये अवधि के लिए संधारण प्रभार का भुगतान करेगा।

10.30 देय बकाये रखते विद्युत कनेक्शन के स्थायी अंसयोजन (डिस्कनेक्शन) पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस संहिता के प्रावधानों के संबंध में अन्य उपचारों को प्रयोग करने हेतु उसके अधिकार के प्रतिकूलता के बिना, ऐसे देय बकाये की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाये की वसूली) अधिनियम, 1961 (क.36 सन् 1961) का अनुपालन करेगा।]

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - चवालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 304) की जानकारी

प्रपत्र – अ

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा वर्ष 2023–24 से दिनांक 16.06.2026 तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विकास कार्य/सामुदायिक हित के स्वीकृत किए गए विभिन्न कार्यों का कार्यवार, स्वीकृत राशि, स्वीकृति का उद्देश्य तथा स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी का विवरण :–

क्र.	कार्यवार विवरण (वर्ष 2023–24 से दिनांक 16.06.2026 तक)	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)	कार्यवार स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	ग्राम–सालिहाभांठा, तहसील–तमनार, जिला – रायगढ़ में तालाब को गहरीकरण कार्य। जिला–रायगढ़। (वित्तीय वर्ष 2023–24)	4.96	पर्यावरणीय स्थिरता एवं जल संरक्षण	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
2	कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूलों के संचालन हेतु कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूल समिति। जिला–कोरबा। (वित्तीय वर्ष 2023–24)	672.00	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन/ शिक्षा को बढ़ावा देना	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
3	कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूलों के संचालन हेतु कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूल समिति। जिला–कोरबा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	538.37	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन/ शिक्षा को बढ़ावा देना	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
4	एबीवीटीपीएस जांजगीर–चांपा के पास स्थित मड़वा ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए। जिला–जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	56.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
5	अकलतार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए। जिला– जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	310.0	स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
6	अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर स्टेशन (एबीवीटीपीएस) जांजगीर–चांपा के आसपास के गांवों के विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्य। जिला–जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	100.00	शिक्षा को बढ़ावा देना	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
7	जांजगीर–चांपा में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद से संबंधित विभिन्न कार्य। जिला– जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	41.38	शिक्षा को बढ़ावा देना	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
8	हनुमान धारा में विभिन्न विकास कार्य के लिए। जिला–जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	298.30	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण संरक्षण	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
9	कलेक्टर जांजगीर–चांपा कार्यालय द्वारा प्रस्तावित एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता। जिला–जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	38.00	खेलों को प्रोत्साहन	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
10	कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूलों के संचालन हेतु कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूल समिति। जिला–कोरबा। (वित्तीय वर्ष 2025–26)	598.44	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन/ शिक्षा को बढ़ावा देना	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
11	रायपुर में 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप के आयोजन के व्यय के लिए। जिला–रायपुर। (वित्तीय वर्ष 2025–26)	25.00	खेलों को प्रोत्साहन	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
12	जशपुर जिले के विभिन्न विकास कार्य।जिला–जशपुर। (वित्तीय वर्ष 2025–26) कुल स्वीकृत राशि 151.86 लाख मे इस स्वीकृत सीएसआर परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–	151.86	ग्रामीण विकास एवं शिक्षा संवर्धन	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	1. जशपुर जिले के स्कूलों में विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना।	100.00	शिक्षा को बढ़ावा देना	संचालक मंडल

उप सचिव

				छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	2. कुंकुरी विधानसभा क्षेत्र में 10 सोलर हाई मास्ट लाइटें लगाने का काम।	51.86	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
13	रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के हाई स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्य। (वित्तीय वर्ष 2025–26) (बैडमिंटन कोर्ट, प्रवेश द्वार, चारदीवारी, बैठक गैलरी, शौचालय, जल निकासी, मैदान, समतलीकरण, क्रिकेट अभ्यास कोर्ट, बिजली, हाई फ्लड लाइट आदि के लिए)	154.14	शिक्षा को बढ़ावा देना	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
14	जनपद पंचायत नवागढ़ एवं बलौदा में सीएसआर योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य। जिला–जांजगीर–चांपा।(वित्तीय वर्ष 2025–26) कुल स्वीकृत राशि 176.00 लाख मे। इस स्वीकृत सीएसआर परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–		ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	1. मुक्तिधाम में अहाता निर्माण, मड़वा।	6.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	2. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, मड़वा।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	3. सामुदायिक भवन निर्माण राघव मंदिर के पास, लछनपुर।	10.00	ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	4. सी सी रोड निर्माण रोहित साहू के घर से लखन के घर की ओर, लछनपुर।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	5. सी सी रोड निर्माण राजकुमार के घर से बसोर पारा की ओर, लछनपुर।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	6. नाली निर्माण जय कुमार साहू के घर से घुंडी नाला की ओर, बसंतपुर।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	7. सी सी रोड निर्माण मनकराम के घर से शमशान घाट की ओर, बसंतपुर।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	8. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, बसंतपुर।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	9. सी सी रोड निर्माण विष्णु रात्रे के घर से धनाराम के घर की ओर, कुलीपोटा।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	10. मुक्तिधाम में अहाता निर्माण कार्य, कुलीपोटा।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	11. नाली निर्माण सुरेश लहरे के घर से हरीश कुर्रे के घर की ओर, कुलीपोटा।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	12. नाली निर्माण रामप्रसाद रात्रे के घर से प्राथमिक शाला स्कूल की ओर, कुलीपोटा।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	13. नाली निर्माण कार्य जेठू रात्रे के घर से चतुर लहरे के घर की ओर, कुलीपोटा।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	14. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, कुलीपोटा।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	15. नवीन पंचायत भवन में अहाता निर्माण कार्य, जर्वे–ब।	8.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	16. नवीन पंचायत भवन से अखिलेश घर की ओर सी सी रोड निर्माण, जर्वे–ब।	3.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

	17. सी सी रोड निर्माण संतराम घर से मेन रोड की ओर, जर्वे–ब।	4.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	18. अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र निर्माण कार्य, जर्वे–ब।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	19. सी सी रोड निर्माण समारू पटेल के घर से डबरी तालाब की ओर, औराईकला।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	20. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, औराईकला।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	21. चुनुबंद मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, औराईकला।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	22. तेन्दूभांठा से टिकरापारा की ओर नाली निर्माण कार्य, तेन्दूभांठा।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	23. मुख्य नहर से पाली पहुंचमार्ग तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य, पाली।	15.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	24. मुक्तिधाम में अहाता निर्माण कार्य, सरखों।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	25. सी.सी. रोड निर्माण बेदराम बरेठ के घर से महावीर के घर तक, सरखों।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
15	कोरबा जिले में, प्लांट से प्रभावित आस–पास की ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए। (वित्तीय वर्ष 2025–26) कुल स्वीकृत राशि 290.00 लाख। इस स्वीकृत सीएसआर परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–		ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	1. ग्राम झाबु से शमशान घाट तक सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत नवागांव कला।	50.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	2. रिटर्न केनाल के पास 02 नग पचरी निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	3.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	3. ग्राम झाबु एवं नवागांव के तलाब में पचरी निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	3.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	4. रिटर्न केनाल में सी.सी. रोड का डामरीकरण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	15.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	5. ग्राम नवागांव में टापर मोहल्ला में सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत कोरबा।	4.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	6. ग्राम नवागांव में धोबी मोहल्ला में सी.सी रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत नवागांव।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	7. ग्राम दर्रा पारा मोहल्ला में सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत नवागांव।	15.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	8. रिटर्न केनाल के अंतिम छोर में पिकनीक स्थल पर शेड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	3.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	9. किचन शेड निर्माण सामुदायिक भवन छिरहुट में, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	20.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	10. सी.सी सेड निर्माण छिरहुट सेड में डोड़कधरी के सामुदायिक भवन तक 200 मीटर, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	15.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	11. पचरी निर्माण 2 नग स्टाप डेम छिरहुट, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	04.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	12. बोर खनन एवं सबमर्शिबल पम्प सिंटेक्स फिटिंग सहित पंचायत भवन के पास, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	02.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	13. बोर खनन एवं सबमर्शिबल पम्प सिंटेक्स छिरहुट, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	02.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल

छत्तीसगढ़ शासन, उप सचिव ऊर्जा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

16				छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	14. मंच रोड़ निर्माण तालाब के पास, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	15. सांस्कृतिक मंच निर्माण छिरहुट बुंदराम के पास, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	16. बोर खनन एवं सबमर्शिबल पम्प सिंटेक्स सहित विनोद घर के पास डिंडोलभाटा,ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	02.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	17. भवन निर्माण मुरित दाई डिंडोलभाटा में, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	18. सांस्कृतिक मंच निर्माण डोड़कधरी में, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	19. श्रीराम घर के पीछे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	20. पंडरीपानी में एक नग चबुतरा का नवीनीकरण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	2.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	21. शमशान घाट से मेन रोड़ तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	15.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	22. नवापारा बचर में छतदार चबुतरा निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	2.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	23. पंडरीपानी हाट बाजार में छतदार शेड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	5.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	24. आई.बी.पी. चौक से पंडरीपानी बस्ती तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	20.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	25. विश्वकर्मा मोहल्ला बंचर में बोर खनन एवं समर्सिबल पम्प कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	2.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	26. पटेल मोहल्ला में बोर खनन एवं समर्सिबल पम्प कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	2.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	27. ग्राम बिरबट में 1 नग पचरी एवं पंडरीपानी ढ़ोढी तालाब में 2 नग पचरी निर्माण, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	4.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	28. ग्राम बिरबट तालाब चौक से छत्रपाल भारिया घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	8.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	29. गौरी दुकान से चोरभट्ठी तक सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	30. लोतलोता में सुरेश यादव घर के पास बोर खनन एवं सब मर्सिबल पंप, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	02.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	31. लोतलोता में जयराम घर के पास बोर के पास स्नान घर एवं जगत निर्माण, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	2.50	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	32. लोतलोता में गुल्लु दास घर के बोर के पास स्नान घर एवं जगत निर्माण, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	2.50	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	33. लोतलोता में सी.सी रोड निर्माण बलराम घर से कासराम घर से कोसगाई चौरा तक, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
	34. लोतलोता (चारमारा) में राम यादव घर से पुरेनाखार मेन रोड तक सी.सी. रोड, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	10.00	ग्रामीण विकास	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.
16	जिला जांजगीर–चांपा के बलौदा स्थित गाँव बैजलपुर (रैनपुरा) में 20,000 पौधे लगाने और 5 साल तक उनकी देखभाल करने की मंजूरी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत राशि 74.95 लाख।	74.95	पर्यावरण स्थिरता	संचालक मंडल छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र – ब

प्राप्त स्वीकृत कार्य प्रस्तावों का स्रोतवार विवरण:–

क्र.	प्रस्तावित कार्य का विवरण	प्राप्त प्रस्ताव का स्त्रोत
1	ग्राम–सालिहाभांठा, तहसील–तमनार, जिला – रायगढ़ (सी.जी.) में तालाब को गहरीकरण कार्य। जिला–रायगढ़।(वित्तीय वर्ष 2023–24)	जिला प्रशासन, जिला–रायगढ़
2	कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूलों के संचालन हेतु कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूल समिति। जिला–कोरबा।(वित्तीय वर्ष 2023–24)	छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि. द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से स्थानीय आवश्यकताओं एवं कंपनी की प्रचलित कार्ययोजना के अनुसार प्रस्तावित किया गया।
3	कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूलों के संचालन हेतु कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूल समिति। जिला–कोरबा।(वित्तीय वर्ष 2024–25)	छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि. द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से स्थानीय आवश्यकताओं एवं कंपनी की प्रचलित कार्ययोजना के अनुसार प्रस्तावित किया गया।
4	एबीवीटीपीएस जांजगीर–चांपा के पास स्थित मड़वा ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए। जिला– जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	जिला प्रशासन जिला–जांजगीर–चांपा
5	अकलतार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए। जिला–जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	जिला प्रशासन जिला–जांजगीर–चांपा
6	अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर स्टेशन (एबीवीटीपीएस) जांजगीर–चांपा के आसपास के गांवों के विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्य। जिला–जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	जिला प्रशासन जिला–जांजगीर–चांपा
7	जांजगीर–चांपा में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद से संबंधित विभिन्न कार्य। जिला–जांजगीर–चांपा।(वित्तीय वर्ष 2024–25)	जिला प्रशासन जिला–जांजगीर–चांपा
8	हनुमान धारा में विभिन्न विकास कार्य के लिए। जिला– जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	जिला प्रशासन जिला–जांजगीर–चांपा
9	कलेक्टर जांजगीर–चांपा कार्यालय द्वारा प्रस्तावित एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता। जिला– जांजगीर–चांपा। (वित्तीय वर्ष 2024–25)	जिला प्रशासन जिला–जांजगीर–चांपा
10	कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूलों के संचालन हेतु कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम स्कूल समिति। जिला–कोरबा। (वित्तीय वर्ष 2025–26)	छ.स्टे.पा.जन.कं.लिमि द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से स्थानीय आवश्यकताओं एवं कंपनी की प्रचलित कार्ययोजना के अनुसार प्रस्तावित किया गया।
11	रायपुर में 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप के आयोजन के व्यय के लिए। जिला–रायपुर। (वित्तीय वर्ष 2025–26)	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

12	जशपुर जिले के विभिन्न विकास कार्य। जिला–जशपुर। (वित्तीय वर्ष 2025–26) कुल स्वीकृत राशि 151.86 लाख मे इस स्वीकृत सीएसआर परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–	जिला प्रशासन जिला–जशपुर।
	1. जशपुर जिले के स्कूलों में विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना।	
	2. कुंकुरी विधानसभा क्षेत्र में 10 सोलर हाई मास्ट लाइटें लगाने का काम।	
13	रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के हाई स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्य। (बैडमिंटन कोर्ट, प्रवेश द्वार, चारदीवारी, बैठक गैलरी, शौचालय, जल निकासी, मैदान, समतलीकरण, क्रिकेट अभ्यास कोर्ट, बिजली, हाई फ्लड लाइट आदि के लिए) (वित्तीय वर्ष 2025–26)	जिला प्रशासन जिला–रायगढ़।
14	जनपद पंचायत नवागढ़ एवं बलौदा में सीएसआर योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य। जिला–जांजगीर–चांपा। कुल स्वीकृत राशि 176.00 लाख मे। (वित्तीय वर्ष 2025–26) इस स्वीकृत सीएसआर परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–	जिला प्रशासन जिला–जांजगीर–चांपा।
	1. मुक्तिधाम में अहाता निर्माण, मड़वा।	
	2. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, मड़वा।	
	3. सामुदायिक भवन निर्माण राघव मंदिर के पास, लछनपुर।	
	4. सी सी रोड निर्माण रोहित साहू के घर से लखन के घर की ओर, लछनपुर।	
	5. सी सी रोड निर्माण राजकुमार के घर से बसोर पारा की ओर, लछनपुर।	
	6. नाली निर्माण जय कुमार साहू के घर से घुंडी नाला की ओर, बसंतपुर।	
	7. सी सी रोड निर्माण मनकराम के घर से शमशान घाट की ओर, बसंतपुर।	
	8. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, बसंतपुर।	
	9. सी सी रोड निर्माण विष्णु रात्रे के घर से धनाराम के घर की ओर, कुलीपोटा।	
	10. मुक्तिधाम में अहाता निर्माण कार्य, कुलीपोटा।	
	11. नाली निर्माण सुरेश लहरे के घर से हरीश कुर्रे के घर की ओर, कुलीपोटा।	
	12. नाली निर्माण रामप्रसाद रात्रे के घर से प्राथमिक शाला स्कूल की ओर, कुलीपोटा।	
	13. नाली निर्माण कार्य जेठू रात्रे के घर से चतुर लहरे के घर की ओर, कुलीपोटा।	
	14. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, कुलीपोटा।	
	15. नवीन पंचायत भवन में अहाता निर्माण कार्य, जर्वे–ब।	
	16. नवीन पंचायत भवन से अखिलेश घर की ओर सी सी रोड निर्माण, जर्वे–ब।	
	17. सी सी रोड निर्माण संतराम घर से मेन रोड की ओर, जर्वे–ब।	
	18. अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र निर्माण कार्य, जर्वे–ब।	
	19. सी सी रोड निर्माण समारू पटेल के घर से डबरी तालाब की ओर, औराईकला।	
	20. अटल डिजिटल भवन निर्माण कार्य, औराईकला ।	
	21. चुनुबंद मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, औराईकला।	

उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

	22. तेन्दूभांठा से टिकरापारा की ओर नाली निर्माण कार्य, तेन्दूभांठा।	
	23. मुख्य नहर से पाली पहुंचमार्ग तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य, पाली।	
	24. मुक्तिधाम में अहाता निर्माण कार्य, सरखों।	
	25. सी.सी. रोड निर्माण बेदराम बरेठ के घर से महावीर के घर तक, सरखों।	
15	कोरबा जिले में, प्लांट से प्रभावित आस–पास की ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए। (वित्तीय वर्ष 2025–26) कुल स्वीकृत राशि 290.00 लाख। इस स्वीकृत सीएसआर परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–	जिला प्रशासन, जिला कोरबा
	1. ग्राम झाबु से शमशान घाट तक सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत नवागांव कला।	
	2. रिटर्न केनाल के पास 02 नग पचरी निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	
	3. ग्राम झाबु एवं नवागांव के तलाब में पचरी निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	
	4. रिटर्न केनाल में सी.सी. रोड का डामरीकरण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	
	5. ग्राम नवागांव में टापर मोहल्ला में सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत कोरबा।	
	6. ग्राम नवागांव में धोबी मोहल्ला में सी.सी रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत नवागांव।	
	7. ग्राम दर्रा पारा मोहल्ला में सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत नवागांव।	
	8. रिटर्न केनाल के अंतिम छोर में पिकनीक स्थल पर शेड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत नवागांव।	
	9. किचन शेड निर्माण सामुदायिक भवन छिरहुट में, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	10. सी.सी सेड निर्माण छिरहुट सेड में डोड़कधरी के सामुदायिक भवन तक 200 मीटर, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	11. पचरी निर्माण 2 नग स्टाप डेम छिरहुट, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा ।	
	12. बोर खनन एवं सबमर्शिबल पम्प सिंटेक्स फिटिंग सहित पंचायत भवन के पास, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	13. बोर खनन एवं सबमर्शिबल पम्प सिंटेक्स छिरहुट, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	14. मंच रोड़ निर्माण तालाब के पास, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	15. सांस्कृतिक मंच निर्माण छिरहुट बुंदराम के पास, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	16. बोर खनन एवं सबमर्शिबल पम्प सिंटेक्स सहित विनोद घर के पास डिंडोलभाटा,ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	17. भवन निर्माण मुरित दाई डिंडोलभाटा में, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	18. सांस्कृतिक मंच निर्माण डोड़कधरी में, ग्राम–पंचायत डिंडोलभाटा।	
	19. श्रीराम घर के पीछे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	20. पंडरीपानी में एक नग चबुतरा का नवीनीकरण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

	21. शमशान घाट से मेन रोड़ तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	22. नवापारा बचर में छतदार चबुतरा निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	23. पंडरीपानी हाट बाजार में छतदार शेड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	24. आई.बी.पी. चौक से पंडरीपानी बस्ती तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	25. विश्वकर्मा मोहल्ला बंचर में बोर खनन एवं समर्सिबल पम्प कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	26. पटेल मोहल्ला में बोर खनन एवं समर्सिबल पम्प कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी ।	
	27. ग्राम बिरबट में 1 नग पचरी एवं पंडरीपानी ढ़ोढी तालाब में 2 नग पचरी निर्माण, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	28. ग्राम बिरबट तालाब चौक से छत्रपाल भारिया घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य, ग्राम–पंचायत पंडरीपानी।	
	29. गौरी दुकान से चोरभट्ठी तक सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	
	30. लोतलोता में सुरेश यादव घर के पास बोर खनन एवं सब मर्सिबल पंप, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	
	31. लोतलोता में जयराम घर के पास बोर के पास स्नान घर एवं जगत निर्माण, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	
	32. लोतलोता में गुल्लु दास घर के बोर के पास स्नान घर एवं जगत निर्माण, ग्राम–पंचायत लोतलोता।	
	33. लोतलोता में सी.सी रोड निर्माण बलराम घर से कासराम घर से कोसगाई चौरा तक, ग्राम–पंचायत लोतलोता ।	
	34. लोतलोता (चारमारा) में राम यादव घर से पुरेनाखार मेन रोड तक सी. सी. रोड, ग्राम–पंचायत लोतलोता	
16	जिला जांजगीर–चांपा के बलौदा स्थित गाँव बेजलपुर (रैनपुरा) में 20,000 पौधे लगाने और 5 साल तक उनकी देखभाल करने की मंजूरी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत राशि 74.95 लाख।	जिला प्रशासन जिला जांजगीर–चांपा

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - पैंतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 329) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति राशि	तकनीकी स्वीकृति क्र. /दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत राशि	प्रशासकीय स्वीकृत क्र. /दिनांक	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विभाग का नामः— कृषि विभाग								
1	2023–24	पौध पाठ शाला में ड्रीप सिंचाई संयंत्र स्थापना कार्य ग्राम पंचायत जोबा विकासखण्ड गरियाबंद	3.73	660 / 26.07.2023	3.73	230114071897/ 31/07/2023	3.51	पूर्ण
2	2023–24	जिले अंतर्गत विकासखण्ड छुरा, मैनपुर एवं देवभोग के 80 नग अ.जा./अ.ज.जा/लघु/सीमांत/ महिला कृषिकों के लिये स्प्रिंकलर पाईप वितरण कार्य हेतु प्रति इकाई लागत राशि रू. 24,796.79 कुल राशि रू. 19,83,743.00 कार्य की स्वीकृति हेतु	19.84	1563 / 28.07.2023	19.84	230158085037/ 04-08-2023	19.84	पूर्ण
3	2023–24	विकासखण्ड मैनपुर एवं देवभोग के 28 नग अ.जा./अ.ज.जा/लघु/सीमांत/ महिला कृषको के लिये पावर वीडर का वितरण कार्य हेतु प्रति इकाई लागत राशि रू. 70420.57 कुल राशि रू. 19,71,776.00 कार्य की स्वीकृति हेतु	19.72	1561 / 28.07.2023	19.72	230131569480/ 04-08-2023	19.72	पूर्ण
4	2023–24	विकासखण्ड मैनपुर, छुरा एवं देवभोग के 80 नग अ.जा./अ.ज.जा/लघु/सीमांत/ महिला कृषिकों के लिये सेल्फ प्रोपेल्ड ब्रश कटर वितरण कार्य हेतु प्रति इकाई लागत राशि रू. 25,120.075 कुल राशि रू. 20,09,606.00 कार्य की स्वीकृति हेतु	20.10	1557 / 28.07.2023	20.10	230138814017/ 04/08/2023	20.10	पूर्ण
5	2023–24	जिले के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य सीमांत महिला कृषकों के लिये बैटरी ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर पौध सरंक्षण यंत्र वितरण कार्य हेतु राशि स्वीकृति हेतु। (कुल संख्या 1000 प्रति इकाई लागत राशि 3,853.352 रूपये कुल राशि 3853352.00 रूपये)	38.53	1654 / 03.08.2023	38.53	230109223361 / 08-08-2023	38.53	पूर्ण

क्र	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति राशि	तकनीकी स्वीकृति क्र. /दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत राशि	प्रशासकीय स्वीकृत क्र. /दिनांक	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	2023–24	रीपा भाठीगढ़ विकासखण्ड मैनपुर मे दाल प्रसंकरण इकाई प्रस्थापित करने हेतु कार्य की स्वीकृति	25.08	2025 / 01.09.2023	25.08	230183939511/ 04-09-2023	25.08	पूर्ण
7	2023–24	जिले के सभी विकासखण्डों के 15 गौठानों में (प्रति विकासखण्ड 03 गौठान में) कार्यरत महिला स्व सहायता समूह के लिये पॉवर ऑपरेटेड पल्वराइजर मशीन वितरण कार्य की स्वीकृति	20.15	1993 / 28.08.2023	20.15	230186556518/ 04-09-2023	20.15	पूर्ण
	2024–25	निरंक						
8	2025-26	जिले के सभी विकासखण्डों में अ.जा./अ.ज.जा/महिला कृषकों के लिये बैटरी कम पावर स्प्रेयर यंत्र वितरण की स्वीकृति (प्रति इकाई लागत राशि 5500 रूपये कुल इकाई संख्या 1500 कुल राशि 82,50,000.00 रूपये प्रति विकासखण्ड 300 कृषक हेतु बैटरी कम पॉवर स्प्रेयर यंत्र)	82.50	3861 /18-09-2025	82.50	250175412347/ 18-07-2025	82.50	पूर्ण
9	2025-26	जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत वर्ष 2025–26 में जिले के सभी विकासखण्डों में अ.जा./अ.ज.जा./लघु/सीमांत/महिला कृषकों के लिए स्प्रिंकलर पाईप वितरण कार्य योजना स्वीकृत करने बाबत। (विकासखण्ड गरियाबंद 80 सेट, छुरा, 90 सेट, मैनपुर 30 सेट, देवभोग 20 सेट, कुल 310 सेट प्रति इकाई लागत राशि 32000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 99,20,000 रूपये अक्षरी राशि नियान्बे लाख बीस हजार रूपये)	99.20	3861/ 18-09-2025	99.20	250187795748/ 25-09-2025	98.58	पूर्ण
विभाग का नामः– वन विभाग								
10	2023–24	आउटडोर स्टेडियम गरियाबन्द के पास इनडोर स्टेडियम में पुराना रूफटॉप हटाना	4.77	1746 29.08.2023	4.77	230107905558/ 26-09-2023	4.77	पूर्ण
11	2023–24	आउटडोर स्टेडियम गरियाबन्द के पास इनडोर स्टेडियम में नया रूफटॉप लगाना	4.99	1745 29.08.2023	4.99	230117358451/ 26-09-2023	4.99	पूर्ण
	2024–25	निरंक						
	2025–26	निरंक						

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 03-07-2026

परिशिष्ट - छियालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 721) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में समितियों में यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद के लक्ष्य तथा भंडारण की जानकारी

(मात्रा टन में)

क्र.	समिति का नाम	यूरिया		डी.ए.पी.	
		लक्ष्य	भण्डारण	लक्ष्य	भण्डारण
1	2	3	4	5	6
1	कोकड़ीतराई	134.99	72.09	41.16	29.75
2	तरेकेला	225.00	222.29	130.10	17.70
3	तारापुर	224.48	171.22	102.61	17.95
4	धनागर	234.09	226.98	124.29	7.95
5	नंदेली	310.00	202.50	216.38	40.00
6	बायंग	234.98	164.56	80.85	15.00
7	भातपुर	410.00	214.92	290.62	45.00
8	कांटाहरदी	236.00	195.89	80.85	25.00
9	बंगुरसिया	147.27	76.95	110.18	24.25
10	टारपाली	194.88	92.44	65.12	25.60
11	जामगांव	150.48	99.23	71.30	15.75
12	लोइंग	232.25	110.93	69.90	0.20
13	कोड़तराई	279.92	237.83	110.25	0.00
14	कछार	206.96	220.32	82.32	30.00
15	पुसौर	159.39	100.17	44.10	0.00
16	पड़ीगाँव	159.44	75.16	109.88	0.00
17	बड़े हल्दी	276.66	120.60	154.35	15.00
18	बड़े भंडार	294.53	207.45	66.15	30.70
19	गोर्रा	340.51	90.50	88.20	0.00
20	नवापारा मांड	269.38	226.22	90.18	0.00
21	कोड़ातराई	305.66	262.68	177.58	35.90
22	तेलिपाली	212.85	172.13	86.95	30.00
23	जतरी	224.09	157.46	44.10	1.25
24	छिछोर उमारिया	299.49	242.29	102.90	0.00
25	तेतला	216.27	151.43	99.89	8.30
26	तिलगी	241.91	203.54	44.10	0.00
27	कोड़पाली	337.54	243.63	132.30	30.35
28	केशला (331)	234.09	149.31	139.80	15.50
29	गढ़उमरिया	135.63	103.46	54.61	16.35
30	खरसिया	335.02	248.04	160.00	60.00
31	हालाहुली	430.00	392.35	202.64	101.95
32	बरगढ़	530.00	335.97	290.00	112.40
33	तुरेकेला	410.00	480.64	215.00	167.65
34	तिउर	0.00	0.00	0.00	0.00
35	चपले	410.00	308.71	205.00	75.00
36	बनीपाथर	363.68	185.14	187.00	47.35
37	मुरा	383.33	248.76	179.12	20.00
38	जैमुरा	410.00	272.52	249.17	28.65
39	जोबी	395.51	235.44	295.47	127.70
40	फरकानारा	290.22	282.43	189.63	97.50
41	खडगाँव	432.73	257.50	271.29	36.20
42	[illegible]	380.46	385.20	111.13	64.05

क्र.	समिति का नाम	यूरिया		डी.ए.पी.	
		लक्ष्य	भण्डारण	लक्ष्य	भण्डारण
1	2	3	4	5	6
43	दुर्गापुर	0.00	0.00	0.00	0.00
44	सिसरिंगा	317.30	371.93	149.35	75.00
45	ससकोबा	0.00	0.00	0.00	0.00
46	खम्हार	158.90	137.43	110.10	45.65
47	जमरगीडीह	266.80	207.05	117.60	35.00
48	खड़गाँव	231.61	365.00	95.33	14.30
49	हाटी	0.00	0.00	0.00	0.00
50	गेरसा	265.32	206.10	73.50	60.00
51	कुडेकेला	430.00	365.09	135.46	74.40
52	पोड़ीछाल	0.00	0.00	0.00	0.00
53	मुनुन्द	0.00	0.00	0.00	0.00
54	छाल	123.75	135.90	65.64	25.35
55	कापू	349.27	241.20	100.84	46.40
56	लिप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
57	घरघोड़ा	174.74	151.96	99.96	66.50
58	कुडुमकेला	127.22	105.53	73.50	50.00
59	कुर्मीभौना	132.32	104.31	36.75	25.00
60	टेंडानवापारा	300.00	196.02	80.85	25.10
61	छर्राटांगर	146.12	146.70	110.69	59.70
62	तमनार	235.00	140.63	58.80	25.00
63	जरेकेला	209.88	193.27	39.69	54.65
64	खम्हरिया	72.88	105.20	18.38	25.00
65	उरबा	128.76	85.50	18.38	15.00
66	धौराभांटा	310.00	191.39	169.05	50.80
67	खुरूसलेंगा	0.00	0.00	0.00	0.00
68	हमीरपुर	163.90	160.88	91.88	30.00
69	सराईटोला	230.00	205.43	117.60	95.00
70	चितवाही	0.00	0.00	0.00	0.00
71	सराईपाली	188.16	179.55	36.75	15.00
72	लैलूंगा	191.57	157.14	65.86	16.50
73	राजपुर	149.44	98.28	73.35	15.35
74	कोड़ासिया	235.09	216.50	44.14	15.00
75	घटगाँव	0.00	0.00	0.00	0.00
76	केशला (100)	198.99	140.32	80.63	35.15
77	लारीपानी	132.66	150.39	36.75	15.00
78	मुकडेगा	98.15	124.20	46.16	18.70
79	लिबरा	232.55	110.70	86.58	60.00
योग		**17500.00**	**13440.35**	**7800.00**	**2504.50**

नोट— जिला रायगढ़ अंतर्गत नवगठित 10 सहकारी समितियों से संबंधित कृषकों को पुरानी समितियों से ही खाद का वितरण किया जा रहा है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट - सेंतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 768) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाख में
1	2	3	4	5	6
1	स्वच्छता	घुठिया	2023–24	शासकीय पूर्व.मा.शाला में शौचालय निर्माण कार्य	2.78
2	शिक्षा (खेल अधोसंरचना)	चांपा	2024–25	बैडमिंटन इनडोर स्टेडियम निर्माण कार्य	200.00
3	भौतिक अधोसंरचना	चांपा	2025–26	बैडमिंटन कोर्ट में वुडन फ्लोरिंग कार्य	10.62

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
16:57:51

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 11) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत जल संसाधन विभाग की स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

राशि रूपए लाख में

स.क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि		जून 2026 तक व्यय राशि	स्थान	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा	पूर्ण/ प्रगतिरत/ अप्रारंभ	कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)		विलंब के कारणों का परियोजनावार विवरण
		स्वीकृत लागत	स्वीकृत वर्ष					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	साराडीह बैराज का निर्माण कार्य।	640.20	2011	639.74	साराडीह	18.07.19	कार्य पूर्ण	100%	100%	कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण।
2	सिंघरा वितरक नहर प्रणाली की उपवितरक एवं माईनर नहरों के सुधार कार्य।	585.53	23.12.19	448.20	सपिया,फगुरम सेरो, बोडासागर देवरघटा धिवरा सुखदा, कटौद चुरतेला, चुरतेली, फरसवानी राममांठा गोबरा, ठनगन, भांठा, तौतीपाली, परसा,सारसकेला कूधरी कुलबा, निमोही धुरकोट सराईपाली, ढेकनाभांठा, नवापारा, कंवली, टुण्ड्री, बघौद दर्री, गिरगिरा, सराईपाली, कबारीपाली, कोटमी छुछुभाटा, रेडा, बडेमुडपार कुसमुर, सिंघरा, बेल्हाडीह चांटीपाली, खेमडा,केकराभांठ, धोबनापाली कटौद कांसा, कटेकोनी (बडे) कटैकोनी छोट, फरसवाली, रामभांठा,घोघर तेंदुमुडी डभरा।	04.09.21	कार्य पूर्ण	100%	100%	कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण।
3	खरसिया शाखा नहर के कुरदा वितरक नहर अंतर्गत लीमगांव माईनर, पीहरीद माईनर एवं प्रणाली नवागांव माइनर एवं प्रणाली रवेली एवं प्रणाली में क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग एवं केनाल बैंक रेजिंग का कार्य।	260.69	07.02.22	309.70	भठोरा	06.10.23	कार्य पूर्ण	100%	100%	कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण।

स.क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि		जून 2026 तक व्यय राशि	स्थान	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा	पूर्ण/ प्रगतिरत/ अप्रारंभ	कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)		विलंब के कारणों का परियोजनावार विवरण
		स्वीकृत लागत	स्वीकृत वर्ष					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	खरसिया शाखा नहर के सिंघरा वितरक नहर के धुरकोट उपवितरक नहर के अंतर्गत 32 नग माइनरों का रिनोवेशन का कार्य।	296.57	07.02.22	349.61	फगुरम, सपिया, झर्रा, तोलीपाल, दारीमुड़ा, परसा, बोकरेल, खरताल, कर्रापाली, भांठा, अण्डा, परसी,बोडासागर, संरो, बेनीपाली, कुधरी, किरारी, कुलबा, सारसकेला, बरतुंगा, तुलसीडीह, दलालपाली, कुसमुल, बड़ेमुड़पार, लटियाडीह, कौड़िया, धिवरा, सुखदा,निमोही, सिंघरा, बेल्हाभांठा, खर्री, बिलाईगढ़, खेमड़ा, छोटेकोट,बड़ेकोट, चाटीपाली, परसाडीह, कनाईडीह।	04.11.23	कार्य पूर्ण	100%	100%	कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण।
5	खरसिया शाखा नहर के सिंघरा वितरक नहर के धुरकोट उपवितरक नहर के अंतर्गत 50 नग माइनरों का रिनोवेशन का कार्य।	298.29	07.02.22	341.31	धुरकोट, ओड़ेकेरा, केनापाली, सराईपाली, बांधापाली, धोबनीपाली कठर्रापाली डुमरपाली, सिंधीतराई, कंवली, टुण्ड्री, खैरमुड़ा, बाड़ादरहा, सराईपाली चेचक, बघौद, कोमो, खरकेना, अकोलजमोरा, दर्री, गिरगिरा, खैराखुर्द, कोटमी, छुछुभांठा, कबारीपाली, धौराभांठा, रेड़ा, ढेकनाभांठा, शंकरपाली।	04.11.23	कार्य पूर्ण	100%	100%	कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण।
6	हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत पोता से जमगहन नहर निर्माण कार्य।	110.22 145.50	17.06.22 23.11.22	-	पोता, जमगहन	-		-	-	स्थानीय कृषकों विरोध के कारण प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

I/498536/2026

स.क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि		जून 2026 तक व्यय राशि	स्थान	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा	पूर्ण/ प्रगतिरत/ अप्रारंभ	कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)		विलंब के कारणों का परियोजनावार विवरण
		स्वीकृत लागत	स्वीकृत वर्ष					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	हसदेव बांगो परियोजना के खरसिया शाखा नहर से निकलने वाली कुरदा वितरक नहर लबाई 0 से 23 कि.मी. तक जीर्णोद्धार कार्य।	289.95 382.73	29.07.22 23.11.22	341.31	अड़भार, हरदी, बंदोरा, पोता, बीरभाठा, कलमी, छोटे सीपत	20.03.24	कार्य पूर्ण	100%	100%	कार्य पूर्ण
8	जांजगीर–चांपा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए सीपत तक नहर के बांयी नहर का निर्माण कार्य।	315.56	13.02.23	132.59	पोता	30.07.26	प्रगतिरत्	55%	46%	नहर में खरीफ सिंचाई एवं निस्तारी हेतु पानी चलने एवं फसल लगे होने के कारण कार्य में विलंब हुआ।
9	जांजगीर–चांपा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए बड़ेसीपत तक नहर के दांयी नहर का निर्माण कार्य ।	315.46	27.02.23	101.15	बडेसीपत	31.12.25	प्रगतिरत्	50%	39%	नहर में खरीफ सिंचाई एवं निस्तारी हेतु पानी चलने एवं फसल लगे होने के कारण कार्य में विलंब हुआ।
10	जांजगीर–चांपा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत कलमी से भढोरा नहर निर्माण कार्य ।	147.92	07.03.23	-	कलमी, भढोरा	-	-	-	-	स्थानीय कृषकों विरोध के कारण प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है।
11	सिंघरा वितरक नहर प्रणाली के अंतर्गत 19 माईनरों का रिनोवेशन का कार्य। (लंबाई 32.20 किमी)	299.42	05.10.23	220.42	केकराभांठा, कांसा, कटौद, तुरकापाली, कटेकोनी, चुरतेला, गोबरा, चुरतेली, फरसवानी, खैरा, छुहीपाली।	19.06.26	प्रारंभ	97%	88%	नहरों में खरीफ सिंचाई एवं निस्तारी हेतु पानी चलने के कारण कार्य में विलंब हुआ।
12	सिंघरा वितरक नहर प्रणाली के अंतर्गत 22 माईनरों का रिनोवेशन का कार्य। (लंबाई 31.82 किमी)	296.88	05.10.23	215.14	रामभांठा,खोंधर, तुन्दुमुड़ी, सुखापाली, सिरियागढ़, कंवलाझर, झनकपुर, कुसुमझर ठनगन, डभरा, बसंतपुर, नवापारा केनाभांठा, सकराली, बरभांठा।	19.06.26	प्रारंभ	95%	88%	नहरों में खरीफ सिंचाई एवं निस्तारी हेतु पानी चलने के कारण कार्य में विलंब हुआ।
13	पोता उपवितरक नहर एवं करिगांव, किरकार, पिहरीद, नगझर माईनर तथा इनके अधिनस्थ 15 नग बांच माईनरों का रिनोवशन का कार्य।	298.11	06.10.23	209.43	करिगांव	15.06.26	प्रारंभ	100%	85%	नहरों में खरीफ सिंचाई एवं निस्तारी हेतु पानी चलने के कारण कार्य में विलंब हुआ।

I/498536/2026

स.क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि		जून 2026 तक व्यय राशि	स्थान	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा	पूर्ण/ प्रगतिरत/ अप्रारंभ	कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)		विलंब के कारणों का परियोजनावार विवरण
		स्वीकृत लागत	स्वीकृत वर्ष					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	कुरदा उपवितरक नहर एवं बड़ेसीपत, नावापारा, बरपाली, छपोरा, माईनर तथा उनके अधिनस्थ 10 नग ब्रांच माईनर नहरो का रिनोवेशन कार्य।	298.11	06.10.23	171.91	नगझर	30.07.26	प्रारंभ	85%	69%	नहरों में खरीफ सिंचाई एवं निस्तारी हेतु पानी चलने के कारण कार्य में विलंब हुआ।
15	सक्ती जिले के विकासखण्ड मालखरौदा के अंतर्गत हरदी उपवितरक नहर के अंतर्गत भागोडीह माईनर एवं 07 नग सब माईनर, कटारी माईनर एव 10 नग सब माईनर तथा बडेदेवगाव माईनर नहरों का मरम्मत एवं रखरखाव कार्य।	293.42	23.08.24	107.99	अड्भार, हरदी, ढिमानी, दर्राभांठा, बुंदेली, सकर्रा, सोनादुला, कटारी, पिकरीपार, सुकलीपाली, सुलौनी, सकर्रा, औरदा, नौरंगपुर, आड़िल,	09.12.26	प्रारंभ	65%	44%	नहरों में खरीफ सिंचाई एवं निस्तारी हेतु पानी चलने के कारण कार्य में विलंब हुआ।
16	सक्ती जिले के विकासखण्ड मालखरौदा के अंतर्गत किरकार जलाशय का जीर्णोध्दार कार्य।	242.46	24.12.24	-	किरकार	-	प्रारंभ	50%	0%	कार्य प्रगति पर है।
17	सक्ती जिले के विकासखण्ड डभरा अतर्गत सुखदा जलाशय का जीर्णोध्दा कार्य।	293.92	24.12.24	-	सुखदा	-	प्रारंभ	45%	0%	कार्य प्रगति पर है।
18	सक्ती जिले के विकासखण्ड मालखरौदा अंतर्गत मुक्ता जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य।	338.43	13.08.25	-	मुक्ता	-	—	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19	सक्ती जिले के विकासखण्ड मालखरौदा अंतर्गत कर्रापाली जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य।	336.31	13.08.25	-	कर्रापाली	-	—	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
20	जिला सक्ती विकासखण्ड मालखरौदा के अंतर्गत पोता जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य।	239.16	15.01.26	-	पोता	-	—	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
21	जिला सक्ती विकासखण्ड मालखरौदा के अंतर्गत सारसकेला जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य।	293.38	15.01.26	-	सारसकेला	-	—	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
22	बंधान नाला में नगझर स्टापडेम का निर्माण कार्य।	257.15	2022-23	228.996	नगझर	13.08.2023	पूर्ण	100%	100%	-
23	जमगहन स्टापडेम सह पुलिया	243.90	2022-23	228.016	जमगहन	13.08.2023	पूर्ण	100%	100%	-
24	बड़े कटेकोनी– धौराभाठा स्टापडेम सह पुलिया	261.85	2022-23	247.2	बड़े कटेकोनी	13.09.2023	पूर्ण	100%	100%	-
25	हरदीडीह डभरा के बीच एनीकट निर्माण कार्य।	152.49	2022-23	102.635	हरदीडीह	02.08.2023	पूर्ण	100%	100%	-
26	सराईपाली कोडी के बीच स्टापडेम सह पुलिया का निर्माण कार्य।	164.97	2022-23	233.035	सराईपाली	08.10.2023	पूर्ण	100%	100%	-
27	पुरैना सकराली के बीच स्टापडेम सह पुलिया का निर्माण कार्य।	192.37	2022-23	252.384	पुरैना	01.02.2024	पूर्ण	100%	100%	-
28	मिरौनी कुंदुरूझांज एनीकट	156.77	2022-23	152.902	कुंदुरूझांज	02.08.2023	पूर्ण	100%	100%	-
29	घटोई जलाशय योजना में नहर लाईनिंग 7.5 कि.मी. एवं स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	314.58	2021-22	257.475	घटोई	07.04.2024	पूर्ण	100%	95%	-

I/498536/2026

स.क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि		जून 2026 तक व्यय राशि	स्थान	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा	पूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारंभ	कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)		विलंब के कारणों का परियोजनावार विवरण
		स्वीकृत लागत	स्वीकृत वर्ष					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	जवाली छुईया के बीच स्टापडेम का निर्माण कार्य।	290.66	2022-23	200.462	जवाली छुईया	09.09.2024	पूर्ण	100%	80%	-
31	घटोई नाला में करंखाई स्टापडेम का निर्माण कार्य।	221.60	2025-26	103.658	करंखाई	23.06.2026	कार्य प्रगति पर है	65%	90%	कार्य प्रगति पर है।
32	बंधवा नाला में शीतबाबा के पास सुखदा स्टापडेम का निर्माण कार्य।	223.33	2025-26	-	सुखदा	-	अप्रारंभ	-	-	निविदा आमंत्रित है।
33	मिरौनी बैराज से हाईड्रो पंपिंग द्वारा सिंचाई कार्य।	280.27	2025-26	-	मिरौनी बैराज	-	अप्रारंभ	-	-	-
34	माण्ड व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एव नहरो का आधुनीकरण जीर्णोद्वार, रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य चैन क्र. 26610 मी. से 43200 मी. तक	5258.3	2025-26	-	गोपालपुर	-	अप्रारंभ	-	-	-

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
16:17:34

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 14) की जानकारी

प्रपत्र

विषयवार प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या

महाविद्यालय का नाम	विषय	कार्यरत सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापकों की सख्या		विषयवार विद्यार्थियों की संख्या
		नियमित	अतिथि व्याख्याता	
1	2	3	4	5
शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा,	राजनीति शास्त्र	1	1	691
	अंग्रेजी	1	0	443
	हिन्दी	0	1	911
	संस्कृत	1	0	14
	समाजशास्त्र	0	1	551
	अर्थशास्त्र	1	0	29
	भूगोल	1	1	321
	गणित	1	0	70
	भौतिक शास्त्र	0	1	70
	कम्प्यूटर साइंस	1	0	67
	वनस्पति शास्त्र	0	1	243
	जंतु विज्ञान	0	2	309
	रसायन शास्त्र	1	0	244
शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर जिला सक्ती (छ.ग.)	हिन्दी	1	0	150
	राजनीति विज्ञान	1	0	150
	समाज शास्त्र	0	1	150
	इतिहास	1	0	60
	अंग्रजी	1	0	150
	वाणिज्य	2	0	60
	गणित	0	1	20
	भौतिकी शास्त्र	1	0	20
	रसायन शास्त्र	0	1	100
	जन्तु विज्ञान	0	1	100
	वनस्पति विज्ञान	0	1	100

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

महाविद्यालय का नाम	विषय	कार्यरत सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापकों की सख्या		विषयवार विद्यार्थियों की संख्या
		नियमित	अतिथि व्याख्याता	
1	2	3	4	5
शाकीय स्नातक महाविद्यालय डभरा	हिन्दी	2	0	1010
	अंग्रेजी	0	1	646
	राजनीति विज्ञान	1	1	652
	समाजशास्त्र	0	2	552
	अर्थशास्त्र	1	0	80
	भूगोल	0	1	219
	इतिहास	1	0	125
	वाणिज्य	1	2	129
	जन्तु विज्ञान	1	0	115
	वनस्पतिशास्त्र	0	3	115
	रसायन शास्त्र	0	1	138
	गणित	1	0	23
	भौतिकशास्त्र	0	1	23

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

परिशिष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 30) की जानकारी

—:प्रपत्र :—

क्र	संबंधित अधिकारी	खसरा नंबर	स्वीकृत क्षेत्रफल	आदेश कमांक	अनुमति तिथि
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा) मस्तुरी	128/4 में से 0.065 हे0	0.065 हे (6970 वर्ग फीट)	रा0प्र0क 20231207130021/अ—2/2023—24	13/12/2023—24
2	अनुविभागीय अधिकारी (रा) मस्तुरी	123/1 में से 0.117 हे0	0.117 हे (12632 वर्ग फीट)	रा0प्र0क 20231207130023/अ—2/2023—24	13/12/2023—24
3	अनुविभागीय अधिकारी (रा) मस्तुरी	129/2 में से 0.117 हे0	0.117 हे (12632 वर्ग फीट)	रा0प्र0क 20231207130022/अ—2/2023—24	13/12/2023—24

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर—छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - इनक्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 38) की जानकारी i|i =&v

क्र.	विधानसभा	महाविद्यालय का नाम
1	मुंगेली	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुंगेली
2	लोरमी	शासकीय राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी
3	बिल्हा	शासकीय वीरांगना अवन्तीबाई लोधी महाविद्यालय, पथरिया
4	बिल्हा	संत शिरोमणी गुरू रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव
5	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय कोतरी
6	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर (सेतगंगा)
7	मुंगेली	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली
8	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अमोरा
9	मुंगेली	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुंगेली
10	लोरमी	नवीन शासकीय महाविद्यालय, जरहागांव
11	मुंगेली	नवीन शासकीय महाविद्यालय कंतेली

मुंगेली जिले में संचालित शासकीय महाविद्यालयों की सूची

टीप – नवीन शासकीय महाविद्यालय कंतेली की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–2027 में मिली है । संचालन की कार्यवाही प्रकियाधीन है

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

i|i=&c

मुंगेली
जिले में संचालित महाविद्यालयों के भवन की स्थिती

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	महाविद्यालय का नाम	संचालन की स्थिति	मुंगेली में शासकीय महाविद्यालयों के लिए स्वयं के भवन निर्माण हेतु की गई कार्यवाही
1.	मुंगेली	डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली	स्वयं के भवन में संचालित	
2.	बिल्हा	वीरांगना अवंतिबाई लोधी शासकीय महाविद्याल पथरिया	स्वयं के भवन में संचालित	
3.	लोरमी	राजीवगांधी शासकीय कला/वाणिज्य शासकीय महाविद्याल लोरमी	स्वयं के भवन में संचालित	
4.	बिल्हा	संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव	स्वयं के भवन में संचालित	
5.	मुंगेली	सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय कोतरी	स्वयं के भवन में संचालित	
6.	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर-सेतगंगा	स्वयं के भवन में संचालित	
7.	मुंगेली	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली	स्वयं के भवन में संचालित	
8.	मुंगेली	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली	भवनविहीन	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली में स्वयं के भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा राशि रू. 465.84 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निविदा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
9.	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा	भवनविहीन	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा में स्वयं के भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड पोषित योजनांतर्गत राज्य मद में मांग संख्या 67 के अंतर्गत नवीन मद में शामिल करते हुए आकस्मिकता निधि से 100 रूपये का टोकन स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
10.	लोरमी	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव	भवनविहीन	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव में स्वयं के भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवीन मद में राशि रू. 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
11.	मुंगेली	नवीन शासकीय महाविद्यालय कंतेली	भवनविहीन	ग्राम कंतेली में नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. FINACC-36/1585/2025/38-1 दिनांक 23.03.2026 द्वारा पद सृजन की सहमति प्रदान की गई है तथा संचालनालयीन पत्र क्र. 73/74/आउशि/योजना/2026 दिनांक 06.04.2026 द्वारा नवीन शासकीय महाविद्यालय कंतेली, जिला-मुंगेली के संचालन हेतु प्राचार्य, शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुंगेली को आदेशित किया गया है। महाविद्यालय के संचालन उपरांत ही भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

राजपत्रित संवर्ग के पदों की जानकारी

i|i=&l

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य			प्राध्यापक			सहायक प्राध्यापक			ग्रंथपाल			कीड़ाधिकारी		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली	1	1	0	4	0	4	11	5	6	1	1	0	1	0	1
2.	वीरांगना अवंतिबाई लोधी शासकीय महाविद्याल पथरिया	1	1	0	0	0	0	12	11	1	1	1	0	0	0	0
3.	राजीवगांधी शासकीय कला/वाणिज्य शासकीय महाविद्याल लोरमी	1	1	0	3	0	3	14	11	3	1	1	0	1	0	1
4.	संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय] सरगांव	1	1	0	0	0	0	13	6	7	0	0	0	0	0	0
5.	सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय कोतरी	1	1	0	0	0	0	13	7	6	0	0	0	0	0	0
6.	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर-सेतगंगा	1	0	1	2	0	2	10	7	3	0	0	0	0	0	0
7.	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली	1	0	1	0	0	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0
8.	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली	1	1	0	0	0	0	12	5	7	1	0	1	1	0	1
9.	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा	1	0	1	0	0	0	10	8	2	0	0	0	0	0	0
10.	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव	1	0	1	0	0	0	12	1	11	1	0	1	1	0	1
11.	नवीन शासकीय महाविद्यालय कंतेली	1	0	1	0	0	0	12	0	12	1	0	1	1	0	1
	कुल	11	6	5	9	0	9	124	66	58	7	4	3	6	1	5

अनुभाग अधिक
उच्च शिक्षा विभाग, मं
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.

i|i=&n

अराजपत्रित संवर्ग के पदों की जानकारी

क्र	महाविद्यालय का नाम	भृत्य			बुक लिफ्टर			चौकीदार			स्वीपर			छात्रावास अधीक्षक			स्वच्छक		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	डॉ॰ ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली	2	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
2.	वीरांगना अवंतिबाई लोधी शासकीय महाविद्याल पथरिया	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1 (कलेक्टर दर)	0	1
3.	राजीवगांधी शासकीय कलाध्वाणिज्य शासकीय महाविद्याल लोरमी	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4.	संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1 (कलेक्टर दर)	0	1
5.	सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय कोतरी	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1 (कलेक्टर दर)	0	1
6.	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर.सेतगंगा	2	1	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0
7.	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली	3	1	2	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
8.	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9.	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1 (कलेक्टर दर)	0	1
10.	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11.	नवीन शासकीय महाविद्यालय कंतेली	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	कुल	22	7	14	6	1	5	11	0	11	7	1	6	1	1	0	8	0	8

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

i|i =&b

SECTION(COMMISSIONER OF HIGHER EDUCATION)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन – 0771–2836413 फैक्स – 0771–2263412)
(Email- highereducation.cg@gmail.com Website- www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1625 /आउशि/अराज.स्था/2026 अटल नगर, दिनांक 01/06/2026

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

विषय :– उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति बावत्।

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में काफी समय से तृतीय श्रेणी के पद रिक्त हैं। महाविद्यालयों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के रिक्तियो की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के पद (75%)	पदोन्नति के पद (25%)	कार्यरत संख्या		कुल रिक्त पदों की संख्या		प्रस्तावित सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पदों की संख्या
					सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक ग्रेड –3	444	333	111	164	105	169	6	169
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	55	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	–	40	–	15	–	15
	योग	499	333	111	204	105	184	6	184

टीप:– पूर्व में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति हेतु उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ 3–93/2021/38–1 दिनांक 06.02.2023 को सहायक ग्रेड – 3 के 90 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित न करने के कारण उस वित्तीय वर्ष में भर्ती की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। अतः वर्तमान में कुल 169 पदो को भरना अत्यंत आवश्यक है।

अतः उक्त पदों को छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समय–समय पर जारी निर्देश एवं परिपत्र के अनुसार भर्ती की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्त प्रस्तावित पदों के अनुसार सीधी भरती से भरे जाने के लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
RITA YADAV
Date: 29-05-2026
17:13:20

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / /आउशि/अराज.स्था/2026 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक.........
प्रतिलिपिः–

आयुक्त, उच्च शिक्षा के शीघ्रलेखक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

E:\Grade 3 & DEO Prastav 2026\Requ. Letter Araj 2023 FINAL 16-05-2023 IIIrd.docx
1

अनुभाग अधिकारी

SECTION(COMMISSIONER OF HIGHER EDUCATION) I/441065/20

/ / संक्षेपिका / /

1. पद का विवरण— वर्तमान में प्रदेश शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी अंतर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी —

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के पद (75%)	पदोन्नति के पद (25%)	कार्यरत संख्या		कुल रिक्त पदों की संख्या		प्रस्तावित सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पदों की संख्या
					सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक ग्रेड –3	444	333	111	164	105	169	6	169
2.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	55	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	—	40	—	15	—	15
	योग	499	333	111	204	105	184	6	184

उपरोक्त पदों पर 1 वर्ष का अनुमानित वित्तीय भार निम्नानुसार होगा :—

क.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल 1	मूल वेतन	महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत	अन्य भत्ता 10 प्रतिशत	कुल योग मासिक	कुल योग वार्षिक×स्वीकृत पद
1.	सहायक ग्रेड–3	लेवल –04	19500	11310	1950	32760	393120×169 = 66,437,280
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल –06	25300	14674	2530	42504	510048×15 = 7,650,720
	महायोग		44800	25984	4480	75264	7,40,88,000

2. रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता का औचित्य :—

- वर्तमान में उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत लगभग 343 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त शासकीय महाविद्यालय में भिन्न–भिन्न विषयों के अध्यापन कार्य संचालित होता है जिसमें छात्र–छात्राओ की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती हैं। अतः अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु महाविद्यालय के प्रवेश संबंधी कार्य, ई– ऑफिस का संचालन, स्थापना, लेखा, छात्रवृत्ति वितरण एवं परीक्षा संबंधी समस्त कार्य के संपादन हेतु सहायक ग्रेड–3 के पदो को भरने की नितांत आवश्यकता है।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालयों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने तथा प्रत्येक रिकार्ड को ऑन लाईन करने हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों की पूर्ति किये जाने की नितांत आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में लेखापाल के पद समाप्त कर दिये गये हैं वरिष्ठ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे है, जिससे महाविद्यालयों में अल्प संख्या में कार्यरत कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला तकनीशियनो एवं परिचारको द्वारा महाविद्यालय का कार्य संपादित किया जा रहा है। जिससे स्थापना संबंधी कार्यो को सुचारू से सपादित करने में कठिनाईयाँ हो रही है। महाविद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए इन रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की अत्यंत आवश्यकता है।

कृपया उपरोक्त प्रस्तावित पदों के अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Digitally signed by
Kishore Kumar Tiwari
Date: 29-05-2026
15:21:32
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

i|i =&Q

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
(फोन – 0771-2636413 फैक्स – 0771-2263412)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक– 644 /251/आउशि/अराज.स्था/2023 अटल नगर, दिनांक 13/05/2026

प्रति,

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
नवा रायपुर, जिला– रायपुर
छत्तीसगढ़

विषयः – चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, चौकीदार, एवं स्वीपर) के रिक्त पदों की सीधी भरती की परीक्षा आयोजित किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय के पत्र कमांक 71 दिनांक 23.03.2026

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, चौकीदार, एवं स्वीपर) के डाटा में प्राप्त विसंगतियों के त्रुटि सुधार के संबंध में निर्णय लिया जाकर आपको रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आगामी परीक्षा कैलेण्डर में उक्त परीक्षा को सम्मिलित करने का लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपकी ओर पुनः प्रेषित है। कृपया चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, चौकीदार, एवं स्वीपर) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा कैलेण्डर में उक्त परीक्षा को सम्मिलित करने का कष्ट करे।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की प्रति।

(डॉ. किशोर कुमार तिवारी)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)–492002
Phone No.- 0771-2972780, Website- https://vyapamcg.cgstate.gov.in

No./CGSSB/Exam-F-20/2026/ 2425 Nava Raipur, Dated 09/06/26

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक –3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर,
नवा रायपुर, (छ.ग.)

विषय :– चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर) के रिक्त पदों की सीधी भर्ती की परीक्षा आयोजित किये जाने बाबत् ।

संदर्भ :– विभागीय पत्र क्र./644/251/आ.उ.शि./अराज.स्था./2023/अटल नगर, दिनांक 13.05.2026

——000——

आपके द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया अवगत होना चाहेंगे कि सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र. Rule-505/6/2026-GAD-1/ दिनांक 22-04-2026 एवं पत्र के साथ संलग्न अधिसूचना क्र. 185 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 15-04-2026 के अनुसार विद्यमान छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) में विलयित हो गया है ।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही परीक्षा आयोजन हेतु आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

09/06/2026
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल
रायपुर

End.No./CGSSB/Exam-F-20/2026/ 2426 Nava Raipur, Dated 09/06/26

प्रतिलिपि — 1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।

2. अपर संचालक, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक –3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

09/06/2026
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल
रायपुर

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 40) की जानकारी

प्रपत्र

बालोद जिले के नदियों में स्टापडेम एवं एनीकट निर्माण

स.क्र.	कार्य का नाम	जिला	विधानसभा क्षेत्र	अनुमानित लागत	बजट प्रावधान	लेखाशीर्ष	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
	वित्तीय वर्ष 2025-26						
विधानसभा - डौण्डीलोहारा							
01	बालोद जिले के अंतर्गत विकासखण्ड डौण्डी के कुसुमकसा एनीकट एवं लिफ्ट एरीगेशन निर्माण	बालोद	डौण्डीलोहारा	450.00	15.00	41-4702 एनीकट/स्टापडेम निर्माण (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित
02	बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के देवरीनाला पर रफ्टा कम एनीकट का निर्माण थाने के पास	बालोद	डौण्डीलोहारा	290.00	50.00		प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित
03	बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के मारीदेवरी लोकलनाला पर रफ्टा कम एनीकट का निर्माण	बालोद	डौण्डीलोहारा	275.00	50.00		प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित
04	बालोद जिले के खैरा-परसुली एनीकट का निर्माण	बालोद	डौण्डीलोहारा	1500.00	50.00		प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित
विधानसभा - संजारी बालोद							
	.... निरंक						
विधानसभा - गुण्डरदेही							
	.... निरंक						

I/496112/2026

स.क्र.	कार्य का नाम	जिला	विधानसभा क्षेत्र	अनुमानित लागत	बजट प्रावधान	लेखाशीर्ष	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
			वित्तीय वर्ष 2026-27				
विधानसभा - गुण्डरदेही							
05	बालोद जिले के ग्राम सुरसुली के लोकल नाले में नर्मदा धाम के समीप एनीकट कम काजवे का निर्माण कार्य	बालोद	गुण्डरदेही	400.00	100.00	45/4702 एनीकट/स्टापडेम निर्माण (5059)	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित
विधानसभा - संजारी बालोद							
06	बालोद जिले के विकासखण्ड बालोद अंतर्गत ग्राम नवेरीकला में तांदुला नदी पर एनीकट सह रपटा पुल निर्माण	बालोद	संजारी बालोद	1770.00	100.00	45/4702 एनीकट/स्टापडेम निर्माण (5059)	प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित
	.... निरंक						
विधानसभा - डौण्डीलोहारा							
	.... निरंक						

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
17:36:38

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 76) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	ग्राम का नाम	अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2026 तक के मध्य बंदोबस्त त्रुटि के प्रकरण		
		प्राप्त	निराकृत	लंबित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कोलर	03	03	0
2	झांकी	11	11	0
3	खिलोरा	04	04	0
4	रवेली	27	21	6
5	नायक बांधा	24	24	0
6	सलोनी	01	01	0
7	मुंडरा	02	02	0
8	सोनपैरी	01	01	0
9	गोतियारडीह	06	05	01
10	सकरी	11	06	05
11	सिंगारभांठा	02	02	0
12	गातापार	03	03	00
13	ठेलकाबांधा	12	12	0
14	खोरपा	10	07	03
15	गिरोला	07	07	0
16	धुसेरा	01	01	0
17	सिवनी	01	01	0
18	राखी	05	05	0
19	कालर	01	01	0
20	बेलभांठा	10	07	03
21	सातपारा	02	02	0
22	मोहदी	01	01	0
23	कोपेडीह	03	03	0
24	नाहनाचंडी	05	04	01
25	उल्बा	07	06	01
26	खट्टी	01	01	0
27	भरेंगा	03	02	01
28	भटगॉव	01	01	0

29	भाटापारा	01	01	0
30	लमकेनी	01	01	0
31	जूलूम	03	01	02
32	ढोडरा	01	01	0
33	सोनपैरी	01	01	0
34	बकतरा	04	03	01
35	परसदा	01	01	0
36	भेलवाडीह	05	05	0
37	खंडवा	03	03	0
38	कन्हेरा	01	01	0
39	पचेड़ा	02	02	0
40	गिरोदा	01	01	0
41	बेलर	01	0	01
42	सिंगारभांठा	02	0	02
43	परसुलीडीह	01	0	01
44	उपरवारा	02	0	02
45	तुता	01	0	01
46	कठिया	11	10	01
47	कुरू	07	06	0
48	खरखराडीह	07	06	01
49	चांपाझर	11	11	0
50	चेरिया	07	07	0
51	तर्रा	04	04	0
52	तरी	12	12	0
53	तोरला	18	17	01
54	धनौद	04	04	0
55	परसदा	09	09	0
56	पोंड़	010	10	0
57	पौंता	04	04	0
58	बंजारी	02	02	0
59	भुरका	09	09	0
60	मानिकचौरी	10	10	0
61	हसदा	01	01	0

62	कुर्रा	15	15	0
63	खोला	14	14	0
64	गोबरानवापारा	03	03	0
65	घोंट	12	10	02
66	जामगॉव	11	11	0
67	जौंदी	08	08	0
68	जौंदा	12	12	0
69	टीला	05	05	0
70	टोकरो	17	17	0
71	डोमा	02	02	0
72	तामासिवनी	13	13	01
73	नवागॉव	08	08	0
74	पारागॉव	13	13	0
75	मंदलोर	05	05	0
76	मोखेतरा	04	04	0
77	रामपुर/डंगनिया	06	06	0
78	लखना	02	02	0
79	हसदा	07	07	0
80	उमरपोटी	06	06	0
81	जवईबांधा	06	06	0
82	धोरभट्ठी	05	05	0
83	पिपरौद	06	05	01
84	सुन्दरकेरा	12	12	0
85	सोनसिली	03	03	0
86	चिपरीडीह	06	06	0
87	दुलना	02	02	0
88	पटेवा	07	07	0
89	भोथीडीह	03	03	0
90	आलेखुटा	01	01	0
91	कोलियारी	02	02	0
92	सोंठ	01	01	0
93	दादरझोरी	02	02	0
94	छांटा	02	02	0

95	तेदुआ	01	01	0
96	गोइंदा	01	0	01
97	गिधवा	01	0	01
98	कुम्हारी	01	0	01
99	मोखला	01	0	01
	योग	**548**	**506**	**42**

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - चौवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 89) की जानकारी

"प्रपत्र"

क्र	कंपनी का नाम व पता	डिपाजिट कमांक एवं खनिज रियायत का प्रकार	ग्राम / तहसील	कुल स्वीकृत रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज रियायत का प्रकार	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	मेसर्स नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), किरन्दुल कॉम्पलेक्स, किरन्दुल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	डिपाजिट—14	किरन्दुल / बड़े बचेली	322.368	खनिपट्टा	12.09.2015 से 11.09.2035
2	मेसर्स नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), किरन्दुल कॉम्पलेक्स, किरन्दुल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	डिपाजिट—14 एनएमजेड	किरन्दुल / बड़े बचेली	506.742	खनिपट्टा	07.12.2015 से 06.12.2035
3	मेसर्स नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), बचेली कॉम्पलेक्स, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	डिपाजिट—5	बचेली / बड़े बचेली	540.050	खनिपट्टा	11.09.2015 से 10.09.2035
4	मेसर्स नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), बचेली कॉम्पलेक्स, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	डिपाजिट—10	बचेली / बड़े बचेली	309.34	खनिपट्टा	11.09.2015 से 10.09.2035

5	मेसर्स नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), किरन्दुल कॉम्पलेक्स, किरन्दुल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	डिपाजिट–11	किरन्दुल / बड़े बचेली	874.924	खनिपट्टा	11.09.2017 से 10.09.2037
6	मेसर्स एनएमडीसी–सीएम डीसी लिमिटेड (एनसीएल) ग्रीन्स वैली सिटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकला , सेजबहार, रायपुर	डिपाजिट–13	किरंदुल /बड़े बचेली	315.813	खनिपट्टा	10.01.2017 से 09.01.2067
7	मेसर्स एन.एम.डी.सी.– सी.एम.डी. सी. लिमिटेड (एनसीएल) ग्रीन्स वैली सिटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकला , सेजबहार, रायपुर	डिपाजिट–4	बचेली / बड़े बचेली	570.100	खनिपट्टा	16.012026 से 15.01.2076
8	मेसर्स आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया प्रा. लिमिटेड, 3ए तृतीय तल फॉरच्यून टावरस, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिसा	डिपाजिट–1ए	झिरका / दंतेवाड़ा	850.00	समेकित अनुज्ञप्ति	04.05.2026 से 03.05.2028
9	मेसर्स आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया प्रा. लिमिटेड, 3ए तृतीय तल फॉरच्यून टावरस, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिसा	डिपाजिट–1बी	झिरका / दंतेवाड़ा	850.00	समेकित अनुज्ञप्ति	04.05.2026 से 03.05.2028
10	मेसर्स रूंगटा सन्स प्रायवेट लिमिटेड, 8ए एक्सप्रेस टावर, 42–ए सेक्सपीयर सरनी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	डिपाजिट–1सी	बासनपुर / दंतेवाड़ा	825.00	समेकित अनुज्ञप्ति	10.04.2026 से 09.04.2026

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
19:46:45

प्रपत्र

परिशिष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 91) की जानकारी

धारा 170(ख)2(क) के लंबित मामले की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	न्यायालय	अनुभाग/तहसील का नाम	लंबित प्रकरण	धारा 170(ख)2(क) के लंबित मामले	
1.	गौरेल पेण्ड्रा मरवाही				01 वर्ष से अधिक	03 वर्ष से अधिक
		अनु. अधिकारी	मरवाही	11	05	06
		योग		**11**	**05**	**06**
2.	बस्तर	अनु. अधिकारी	तोकापाल	01	-	01
		योग		01	-	01
3.	महासमुन्द	अनु.अधिकारी	बसना	5	1	3
		अनु. अधिकारी	पिथौरा	2	0	1
		अनु. अधिकारी	सरायपाली	6	0	0
		न्यायालय नायब तहसीलदार स	सरायपाली	1	0	0
		योग		**14**	**01**	**04**
4	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	**कलेक्टर**	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	1	0	1
		अपर कलेक्टर	भरतपुर	1	1	0
		अनु. अधिकारी	केल्हारी	3	1	1
		अनु. अधिकारी	खड़गवां	22	2	1
		अनु. अधिकारी	भरतपुर	2	0	1
		अनु. अधिकारी	मेन्द्रगढ	18	2	7
		योग		**47**	**06**	**11**
5	सक्ती	कलेक्टर	सक्ती	11	07	05
		अनु. अधिकारी	सक्ती	05		

		योग		16	07	05
6	सरगुजा	अनु.अधिकारी	अंबिकापुर	0	0	0
		अनु.अधिकारी	उदयपुर	7	7	0
		अनु.अधिकारी	लुण्ड्रा	13	10	0
		अनु.अधिकारी	सीतापुर	15	2	9
		योग		**35**	**19**	**9**
7	कोरबा	अपर कलेक्टर	कोरबा	01	12	49
		अपर कलेक्टर	कटघोरा	02		
		अनु. अधिकारी	कोरबा	63		
		योग		**66**	**12**	**47**
8	गरियाबंद	कलेक्टर	गरियाबंद	02	01	01
		अपर कलेक्टर	गरियाबंद	01		
		अनु.अधिकारी	छुरा	02		
		योग		**05**	**01**	**01**
9	जांजगीर-चांपा	अनु.अधिकारी	जांजगीर	02	-	-
		अनु.अधिकारी	चांपा	01		
		योग		**03**	**-**	**-**
10	बलौदाबाजार-भाटापारा	अनु. अधिकारी	भाटापरा	03	-	01
		योग		**03**	**-**	**01**
11	राजनांदगांव	अनु.अधिकारी	डोंगरगढ़	01	-	1
		योग		**01**	**-**	**01**
12	बिलासपुर	अनु. अधिकारी	बिलासपुर	05	04	-
		अनु. अधिकारी	तखतपुर	02	-	-
		योग		**07**	**04**	-
13	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	अपर कलेक्टर	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	02	-	01
		योग		02	-	01
14	सूरजपुर	कलेक्टर	सूरजपुर	5	2	5
		अपर कलेक्टर	सूरजपुर	3	0	1
		अनु.अधिकारी	रामानुजनगर	2	0	0
		अनु.अधिकारी	प्रतापपुर	2	1	0
		अनु.अधिकारी	भैयाथान	2	2	1
		अनु.अधिकारी	सूरजपुर	12	7	1
		योग		**26**	**12**	**8**

15	रायगढ़	अपर कलेक्टर	रायगढ़	1	1	-
		अनु.अधिकारी	खरसिया	1	1	-
		अनु.अधिकारी	घरेघोड़ा	7	6	-
		अनु.अधिकारी	रायगढ़	2	-	-
		अनु.अधिकारी	लैलूंगा	5	3	-
		तहसील	धरमजयगढ़	1		-
		योग		**17**	**11**	**-**
16	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	अनु.अधिकारी	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	01	-	-
		योग		01	-	-
17	कबीरधाम	कलेक्टर	कबीरधाम	01	-	-
		अनु.अधिकारी	सहसपुर लोहारा	01	01	-
		योग		**02**	**01**	**-**
18	मुंगेली	निरंक				
19	कोरिया	निरंक				
20	बेमेतरा	निरंक				
21	बीजापुर	निरंक				
22	धमतरी	निरंक				
23	बलरामपुर	निरंक				
24	जशपुर	निरंक				
25	उत्तर बस्तर कांकेर	निरंक				
26	सारंगढ-बिलाईगढ़	निरंक				
27	कोण्डागांव	निरंक				
28	सुकमा	निरंक				
29	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	निरंक				
30	रायपुर	निरंक				
31	बालोद	निरंक				
32	नारायणपुर	निरंक				
33	दुर्ग	निरंक				

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 92) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	भवनविहीन महाविद्यालय का संचालन वर्ष	महाविद्यालय में लैब व लाईबेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। (हां या नहीं)	इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुढ़ियारी, जिला–रायपुर	2018–19	नहीं	महाविद्यालय के उपलब्ध भूमि पर निर्माणाधीन
2	भक्त माता कर्मा शासकीय महाविद्यालय, समोदा, रायपुर	2018	हाँ	टेंडर प्रक्रियाधीन है।
3	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गोबरा–नवापारा, जिला–रायपुर	2021	हाँ	लोक निर्माण विभाग द्वारा महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नवागांव सेक्टर–28 नवा रायपुर	2021	हाँ	मार्च 2026 में उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त 7. 89 करोड़ की राशि एन.आर.डी.ए. को हस्तांतरित कर 6.25 एकड़ भूमि सेक्टर–28, नवा रायपुर में क्रय की गयी है । भूमि का सीमांकन एवं कब्जा प्राप्त होने पर भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग व्दारा प्रारंभ किया जायेगा।
5	शहीद राजीव पांडेय शास. महाविद्यालय, भाठागांव, जिला–रायपुर	2018	हां	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	शासकीय नवीन महाविद्यालय, माना कैम्प, जिला–रायपुर	2023	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अमलीडीह, जिला–रायपुर	2023	हाँ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तामासिवनी, जिला–रायपुर	2023	हां	भवन निर्माण हेतु भूमि प्रस्ताव पारित हुआ है भूमि आबंटन की प्रक्रिया राजस्व विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेन्द्री, जिला–रायपुर	—	—	सत्र 2026–27 से महाविद्यालय आरंभ किया गया।
10	नवीन संगीत महाविद्यालय, नवा रायपुर अटल नगर	—	—	सत्र 2026–27 से महाविद्यालय आरंभ किया गया।
11	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सोनाखान, जिला–बलौदाबाजार	2018–19	नहीं	भवन निर्माण हेतु भूमि का अधिकार पत्र प्राप्त हो चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
12	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका निपनिया, जिला–बलौदाबाजार	2018–19	हाँ	वर्तमान में भवन निर्माण के लिए लो. नि. विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	भवनविहीन महाविद्यालय का संचालन वर्ष	महाविद्यालय में लैब व लाईबेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। (हां या नहीं)	इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
13	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गोहरापदर जिला–गरियाबंद	2018	हां	भूमि आबंटन नहीं हुआ, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
14	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, जिला–गरियाबंद	2023	हॉ	राजस्व विभाग मे लंबित/ प्रक्रियाधीन
15	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिरको, जिला–महासमुंद	2018	हां	महाविद्यालय भवन निर्माणाधीन है। भवन निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
16	बुढ़ान शहजी शासकीय नवीन महाविद्यालय, तेन्दुकोना, जिला–महासमुंद	2018	हां	निर्माणाधीन है।
17	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा, जिला–महासमुंद	2018	हॉ	नींव स्तर का निर्माण कार्य चल रहा है।
18	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	2023	हां	भूमि आबंटन हो चुका है एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भंवरपुर, जिला–महासमुंद	2023	हॉ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
20	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कोमाखान, जिला–महासमुंद	2023	हां	भवन हेतु भूमि राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। भूमि मापन व चिन्हांकन का कार्य चल रहा है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
21	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी, जिला–धमतरी	2018	हां	भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
22	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कंडेल, जिला–धमतरी	2021	हॉ	नवीन भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटित कर दी गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
23	शासकीय महाविद्यालय, सिर्री, जिला–धमतरी	2025–26	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
24	शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, कुरूद	2026–27	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
25	शासकीय नवीन महाविद्यालय माहुद बी, जिला–बालोद	2018	नही	भवन निर्माणाधिन है
26	शासकीय नवीन महाविद्यालय बासीन, जिला–बालोद	2022–23	हॉ	भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
27	नवीन शासकीय महाविद्यालय घोटिया, जिला–बालोद	2023–24	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
28	नवीन शासकीय महाविद्यालय जेवरतला, जिला–बालोद	2023	हां	भूमि आबंटन राजस्व विभाग में प्रक्रियाधीन

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	भवनविहीन महाविद्यालय का संचालन वर्ष	महाविद्यालय में लैब व लाईबेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। (हां या नहीं)	इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
29	शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरतरा जिला–बेमेतरा	2023–24	नहीं	ग्राम पंचायत बोरतरा द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित कर/भूमि चयन कर लिया गया है परन्तु तहसील/राजस्व शाखा से भूमि आबंटन प्रक्रिया लंबित है।
30	नवीन शासकीय महाविद्यालय भिंभौरी, जिला–बेमेतरा	2023	हॉ	भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण हेतु ई टेंडर जारी हो चुका है।
31	शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलका जिला–बेमेतरा	2023–24	नहीं	ग्राम पंचायत ठेलका द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित कर/भूमि चयन कर लिया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
32	शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट जिला–बेमेतरा	2023	हॉ	भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण हेतु ई टेंडर जारी हो चुका है।
33	नवीन शासकीय महाविद्यालय, दाढ़ी, जिला–बेमेतरा	2023–24	नहीं	भवन निर्माणाधिन है।
34	नवीन शासकीय महाविद्यालय देवरबीजा, जिला–बेमेतरा	2023	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
35	मोहन लाल जैन (मोहन भैय्या) शासकीय महाविद्यालय, खुर्सीपार भिलाई जिला–दुर्ग	2014	हॉ	शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
36	शासकीय नवीन महाविद्यालय पेण्ड्रावन, जिला–दुर्ग	2021	हॉ	भवन निर्माण कार्यवाही प्रक्रियाधीन
37	नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग	2023	नहीं	प्रक्रियाधीन
38	नवीन शासकीय महाविद्यालय नगपुरा, जिला–दुर्ग	2023	हॉ	भवन प्रक्रियाधीन हैं
39	शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली जिला–दुर्ग	2021	हां	महाविद्यालय को अभी तक भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40	स्व. बिन्देश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय, कुम्हारी, जिला – दुर्ग	2021–22	हॉ	भवन निर्माणाधीन है।
41	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई–कुकदुर, जिला–कवर्धा	2018	हॉ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
42	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कुण्डा, जिला–कवर्धा	2023	हॉ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
43	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	2023–2024	हॉ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
44	नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	2023–24	हॉ	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	भवनविहीन महाविद्यालय का संचालन वर्ष	महाविद्यालय में लैब व लाईबेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। (हां या नहीं)	इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
45	नवीन शाकसीय महाविद्यालय बाजार अतरिया, जिला– खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	2023	हां	आबंटित भूमि के लिए विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
46	संत गुरू घासीदास बाबा नवीन शासकीय महाविद्यालय ठेलकाडीह, जिला– खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	2018	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
47	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अर्जुनी वि.ख. डोंगरगांव जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)	2023–24	हॉं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
48	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला, जिला– मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	2023	हॉं	भवन निर्माण प्रकियाधीन है
49	नवीन शासकीय महाविद्यालय चिल्हाटी, जिला– मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	2023–24	हॉं	भवन निर्माणाधीन है
50	शासकीय नवीन महाविद्यालय औंधी, जिला– मोहला–मानपुर– अंबागढ़ चौकी	2018	हॉं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
51	शासकीय संगीत महाविद्यालय बिलासपुर	2023	नहीं	नवीन महाविद्यालय होने एवं उक्त महाविद्यालय हेतु शासकीय भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन
52	शासकीय स्वामी आत्मानंद अगेजी माध्यम महाविद्यालय बिलासपुर	2023	हॉं	भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
53	शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी, जिला–बिलासपुर	2021	हॉं	भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।
54	शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती कन्या महाविद्यालय तखतपुर, जिला–बिलासपुर	2021	हॉं	महाविद्यालय को स्वयं के भवन हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य पी.डब्लू.डी द्वारा किया जाएगा।
55	शासकीय नवीन महाविद्यालय पचपेड़ी, जिला–बिलासपुर	2023	हॉं	भूमि आबंटन प्राप्त नही हुआ है।
56	शासकीय नवीन महाविद्यालय अकलतरी, जिला–बिलासपुर	2022–23	हॉं	महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन प्रकियाधीन है।
57	शासकीय नवीन महाविद्यालय बेलतरा, जिला–बिलासपुर	2023	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
58	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	2026	हॉं	भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन होने के कारण
59	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली, जिला–मुंगेली	2022	हॉं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	भवनविहीन महाविद्यालय का संचालन वर्ष	महाविद्यालय में लैब व लाईबेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। (हां या नहीं)	इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
60	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव, जिला–मुंगेली	2023	हां	महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन मुंगेली से बिलासपुर रोड जरहागांव में 10 एकड़ शासकीय भूमि प्राप्त हो गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
61	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा जिला–मुंगेली	2018	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
62	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कंतेली, जिला–मुंगेली	–	–	सत्र 2026–27 से महाविद्यालय आरंभ किया गया।
63	शासकीय महाविद्यालय, जटगा, जिला–कोरबा	2018	नही	भवन निर्माण नही हुआ है, अभी टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है।
64	शासकीय महाविद्यालय बाकीमोंगरा, जिला–कोरबा	2021–22	हां	निर्माणाधीन
65	शासकीय आदर्श महाविद्यालय बंजारी कोरबा	2022	नही	भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। परन्तु मुख्य मार्ग से महाविद्यालय तक पहुच मार्ग नहीं होने के कारण लोक निर्माण विभाग कोरबा द्वारा आज दिनांक तक भवन हस्तांतरित नही किया गया है।
66	स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम महा. कोरबा	2023	हाँ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
67	शासकीय महाविद्यालय रामपुर, जिला–कोरबा	2023	हाँ	नवीन महाविद्यालय है एवं निर्माणाधीन है।
68	शासकीय महाविद्यालय उमरेली, जिला–कोरबा	2023–2024	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
69	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, जिला–सक्ती	2018	हॉ	महाविद्यालय भवन निर्माणाधीन है।
70	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय सक्ती, जिला–सक्ती	2023	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
71	शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा, जिला–जांजगीर चांपा	2018	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
72	शासकीय नवीन महाविद्यालय सारागांव, जिला–जांजगीर चांपा	2021–22	हॉ	भूमि की व्यवस्था हो चुकी है भवन टेडर हो चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
73	शासकीय नवीन महाविद्यालय केरा, जिला–जांजगीर चांपा	2023	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
74	शासकीय महाविद्यालय चपले, जिला–रायगढ़	2021–22	हॉ	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
75	स्वामी आत्मानन्द शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, रायगढ़	2023	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
76	नवीन शासकीय महाविद्यालय कुसमुरा, जिला–रायगढ़	2021	हां	महाविद्यालय का भवन निर्माणधीन है
77	नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, रायगढ़	2026–27	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	भवनविहीन महाविद्यालय का संचालन वर्ष	महाविद्यालय में लैब व लाईबेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। (हां या नहीं)	इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
78	नवीन शासकीय शारीरिक शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, रायगढ़	2026–27	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
79	डॉ. शकाजीत नायक शासकीय महाविद्यालय बरमकेला, जिला–रायगढ़	2014	हॉ	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
80	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय सारंगढ़, सारंगढ़–बिलाईगढ़	2023	हॉ	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
81	मां गंगादई शासकीय महाविद्यालय बस्तर जिला– बस्तर	2022	हां	ग्राम– भोंड में महाविद्यालय के लिए भूमि आबंटित की गई है। भवन निर्माण का टेंडर भी हो गया है। चूंकि यह वनभूमिम है ग्राम पंचायत भोंड के द्वारा एन.ओ.सी. वन विभाग, बस्तर में जमा की गई है, प्रकियाधीन है।
82	शासकीय नवीन संगीत महाविद्यालय जगदलपुर, जिला– बस्तर	2023–24	हॉ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
83	शासकीय नवीन महाविद्यालय नगरनार, जिला– बस्तर	2026	प्रक्रियागत	सत्र 2026–27 से महाविद्यालय आरंभ किया गया।
84	शासकीय नवीन महाविद्यालय किलेपाल, जिला– बस्तर	2026	प्रक्रियागत	सत्र 2026–27 से महाविद्यालय आरंभ किया गया।
85	शासकीय नवीन महाविद्यालय लोहण्डीगुढ़ा, जिला– बस्तर	2023	हां	भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई है। शेष प्रकियाधीन है।
86	वीर नांगूल दोरला शासकीय महाविद्यालय आवापल्ली जिला बीजापुर	2022	लाईबेरी की सुविधा है परन्तु लैब सुविधा नही है।	भूमि आबंटन हुआ है एवं भवन निर्माणाधीन है।
87	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुटरू जिला बीजापुर	2023	लाईबेरी की सुविधा है परन्तु लैब सुविधा नही है।	भूमि आबंटन हुआ है एवं भवन निर्माणाधीन है लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रिया जारी है।
88	नवीन शासकीय महाविद्यालय धनोरा, जिला–कोण्डागॉंव	2023	हॉ	भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रगतिशील है।
89	नवीन शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुरी, जिला–कोण्डागॉंव	2022	हॉ	भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रगतिशील है।
90	नवीन शासकीय महाविद्यालय माकड़ी, जिला–कोण्डागॉंव	2022	हॉ	भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रगतिशील है।
91	नवीन शासकीय महाविद्यालय मर्दापाल, जिला–कोण्डागॉंव	2023	हॉ	भूमि आबंटन प्रकियाधीन होने के कारण
92	नवीन शासकीय महाविद्यालय छोटेडोंगर, जिला–नारायणपुर	2023–24	हां	महाविद्यालय भवन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं कार्य प्रक्रियाधीन है।
93	शासकीय नवीन महाविद्यालय नरहरपुर, जिला–कांकेर	2018	हां	महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माणाधीन है।
94	वीरांगना मासक देवी नाग शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय, जावंगा, जिला–दंतेवाड़ा	2016	हां	नवीन भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	भवनविहीन महाविद्यालय का संचालन वर्ष	महाविद्यालय में लैब व लाईबेरी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। (हां या नहीं)	इन महाविद्यालयों को भवन प्रदान नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
95	हिड़मा माँझी शासकीय महाविद्यालय कटेकल्याण, जिला–दंतेवाड़ा	2017	हां	नवीन भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है
96	नवीन शासकीय महाविद्यालय धौरपुर जिला–सरगुजा	2023	हां	नया भवन निर्माणाधीन है ।
97	शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर, जिला–सरगुजा	2018	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
98	शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर, जिला–सरगुजा	2018	हां	भूमि पूजन हो गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
99	शासकीय संगीत महाविद्यालय अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा	2023	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
100	नवीन शासकीय महाविद्यालय, पोंड़ी बचरा, जिला–कोरिया	2023	हां	भूमि आबंटन प्रकियाधीन होने के कारण
101	शासकीय नवीन महाविद्यालय मनोरा, जिला–जशपुर	2018	हॉं	टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
102	शासकीय नवीन महाविद्यालय बागबहार, जिला–जशपुर	2018	हॉं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
103	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सन्ना, जिला–जशपुर	2021	हॉं	भूमि पूजन हो गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
104	शासकीय नवीन महाविद्यालय फरसाबहार, जिला–जशपुर	2026–27	नहीं	नवीन महाविद्यालय प्रारंभ होने के कारण
105	शासकीय नवीन महाविद्यालय करडेगा, जिला–जशपुर	2026–27	नहीं	नवीन महाविद्यालय प्रारंभ होने के कारण
106	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बलरामपुर जिला–बलरामपुर	2021	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
107	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रघुनाथनगर, जिला–बलरामपुर	2023	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
108	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रनहत जिला–बलरामपुर	2023	हां	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
109	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	2023	हॉं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
110	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नागपुर, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	2023	हॉं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
111	शासकीय कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर जिला–सूरजपुर	2023	हॉं	भूमि आबंटन प्रकियाधीन होने के कारण

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

परिशिष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 96) की जानकारी

प्रपत्र

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को प्रदाय की गई राहत राशि की जानकारी

क्र	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	दुर्गूकोंदल	2024–2025	मर्रामपानी	1	2890	2890
2			गोडपाल	5	12325	12325
3			आमापड़ा	1	3400	3400
4			नेलचाग	2	4420	4420
5			पलियर	1	3145	3145
6			पलाचुर	1	3400	3400
7			हाहालददी	1	4250	4250
8			गुरदाटोला	1	5100	5100
9			कराकी	3	14875	14875
योग				**16**	**53805**	**53805**
1	दुर्गूकोंदल	2025–2026	आमकड़ा	1	10200	10200
1	**दुर्गूकोंदल**	**2026–2027**	0	0	**0**	**0**

क्र	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	भानुप्रतापपुर	2024–2025	पिचेकटटा	9	35000	35000
2			बैजनपुरी	13	50000	50000
3			कोरर	6	139000	139000
4			कच्चे	6	24000	24000
5			भीरागांव	22	86000	86000
6			भानबेड़ा	4	16000	16000
7			शाहकट्टा	4	16000	16000
8			सम्बलपुर	36	272860	272860
9			साल्हे	3	12000	12000
10			सेलेगांव	12	48000	48000
11			नरसिंगपुर	2	8000	8000
12			धनेली	2	6000	6000
13			घोठा	6	24000	24000
14			घोटिया	2	8000	8000
15			घोड़ाबतर	1	4000	4000
16			घोड़दा	2	8000	8000
17			ईरागांव	3	12000	12000
18			बयानार	2	8000	8000
19			बीरकोन्दल	1	4000	4000
20			बरबसपुर	1	4000	4000
21			बांसकुण्ड	2	8000	8000

क	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
22			बांसला	7	30000	30000
23			बोटेचांग	3	9000	9000
24			बोगर	3	12000	12000
25			बुदेली	6	24000	24000
26			कठोली	1	4000	4000
27			करमोती	3	12000	12000
28			कराठी	5	19000	19000
29			कुंआपानी	1	4000	4000
30			कुर्री	3	12000	12000
31			कुडाल	4	16000	16000
32			कुल्हाड़कट्टा	10	47000	47000
33			केंवटी	4	16000	16000
34			कन्हारगांव	7	28000	28000
35			कनेचूर	1	4000	4000
36			मुगवाल	1	4000	4000
37			मुल्ला	3	12000	12000
38			बिनायकपुर	2	8000	8000
39	भानुप्रतापपुर	2024—2025	चिल्हाटी	17	64000	64000
40			चिचगांव	7	26000	26000
41			हरहरपानी	1	4000	4000
42			हरनपुरी	2	8000	8000
43			हाटकर्रा	7	28000	28000
44			हवरकोंदल	10	40000	40000
45			हेटारकसा	2	120000	120000
46			भोडिया	3	12000	12000
47			भानुप्रतापपुर	6	23000	23000
48			भैसमुण्डी	4	16000	16000
49			भैसाकन्हार	6	24000	24000
50			भेजा	3	12000	12000
51			परवी	1	4000	4000
52			पाण्डरपुरी	3	11000	11000
53			पुत्तरवाही	5	20000	20000
54			पेवारी	1	4000	4000
55			राडवाही	4	16000	16000
56			रानीडोगरी	1	3000	3000
57			रानवाही	9	40000	40000

क	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
58	भानुप्रतापपुर	2024-2025	सोनेकन्हार	4	16000	16000
59			सेलेगोंदी	1	4000	4000
60			डोंगरकट्टा	4	16000	16000
61			उचपानी	3	11000	11000
62			डुमरकोट	4	16000	16000
63			उतामार	7	27000	27000
64			चारगांव	1	4000	4000
65			चौगेल	8	32000	32000
66			चवेला	7	30000	30000
67			फरसकोट	3	12000	12000
68			तुएगुहान	6	21000	21000
69			तुमरीकुही	1	3000	3000
70			तेलम्मा	3	4000	4000
71			जामड़ी	1	4000	4000
72			जातावाड़ा	1	4000	4000
73			जुनवानी	4	15000	15000
74			जलीनकसा	2	7000	7000
75			नीचेतोनका	1	3000	3000
76			नारायणपुर	9	4000	4000
77			आसुलखार	1	4000	4000
78			टेडईकोन्दल	2	7000	7000
79			अलवरखुर्द	1	4000	4000
80			अलवरकला	4	4000	4000
81			बोटेचांग	1	3000	3000
82			जनकपुर	3	14960	14960
83			बांसला	5	38410	38410
84			तुड़गे	2	12410	12410
85			मुल्ला	1	39000	39000
	योग			**385**	**1888640**	**1888640**
1	भानुप्रतापपुर	2025–26	घोड़दा	2	8000	8000
2			बयानार	2	8000	8000
3			बैजनपुरी	1	4000	4000
4			कोकडेर	2	8000	8000
5			कोरर	3	12000	12000
6			कच्चे	1	4000	4000

क	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
7	भानुप्रतापपुर	2025–26	कुर्री	2	8000	8000
8			कुल्हाड़कट्टा	1	4000	4000
9			केवटी	2	8000	8000
10			कन्हारगांव	4	16000	16000
11			कनेचुर	1	4000	4000
12			मुल्ला	2	8000	8000
13			किनारी	4	16000	16000
14			पिच्चेकट्टा	4	16000	16000
15			विनायकपुर	2	8000	8000
16			चिचगांव	5	20000	20000
17			चिल्हाटी	13	52000	52000
18			हाटकर्रा	2	8000	8000
19			हवरकोन्दल	2	8000	8000
20			हेटारकसा	5	23000	23000
21			भीरागांव	1	4000	4000
22			भानबेड़ा	1	4000	4000
23			भानुप्रतापपुर	9	36000	36000
24			भैंसमुण्डी	2	8000	8000
25			भैंसाकन्हार	3	12000	12000
26			भेजा	1	4000	4000
27			रानीडोंगरी	1	4000	4000
28			सम्बलपुर	13	50800	50800
29			साल्हे	3	12000	12000
30			सेलेगांव	3	12000	12000
31			उंचपानी	1	3000	3000
32			डोंगरकट्टा	1	4000	4000
33			डूमरकोट	1	4000	4000
34			दाबकट्टा	3	12000	12000
35			चौगेल	4	16000	16000
36			तेलम्मा	1	4000	4000
37			तूड़गे	1	4000	4000
38			जामपारा	3	12000	12000
39			नारायणपुर	14	52250	52250
40			टेढईकोंदल	3	12000	12000
41			चवेला	8	35870	35870

क	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
42	भानुप्रतापपुर	**2025-2026**	बांसला	3	10200	10200
43			पाण्डरपुरी	2	10030	10030
44			कराठी	1	5100	5100
45			तुड़गे	2	7145	7145
46			पिच्चेकट्टा	3	17340	17340
47			कन्हारगांव	1	8160	8160
योग				**149**	**606895**	**606895**
1	**भानुप्रतापपुर**	**2026–2027**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	चारामा	2024–2025	हल्बा	2	8000	8000
2			हाराडुला	4	13000	13000
3			तुएगहन	1	4000	4000
4			चारामा	5	20000	20000
5			प्रधानडोगरी	2	8000	8000
6			अरौद	13	51000	51000
7			दमकसा	3	12000	12000
8			कसावाही	1	4000	4000
9			उंकारी	4	16000	16000
10			भैसाकट्टा	1	4000	4000
11			कोटेला	6	24000	24000
12			चपेली	2	8000	8000
13			कहाडगोदी	4	248000	248000
14			चारभाठा	3	12000	12000
15			आंवरी	8	32000	32000
16			डोकला	4	15000	15000
17			खैरखेडा	3	12000	12000
18			पिपरौद	4	16000	16000
19			लखनुपरी	3	128000	128000
20			कानापोड	2	8000	8000
21			गोलकुम्हडा	2	8000	8000
22			चिनौरी	2	8000	8000
23			उडकुडा	5	20000	20000
24			भुईगॉव	3	12000	12000
25			शाहवाडा	3	12000	12000
26			गाडागौरी	4	16000	16000
27			किशनपुरी	4	364000	364000
28			लिलेझर	1	4000	4000

क	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
29	चारामा	2024—2025	ढेडकोहका	5	20000	20000
30			गिधाली	6	24000	24000
31			परसोदा	2	124000	124000
32			पलेवा	1	4000	4000
33			कुरुटोला	2	8000	8000
34			बोदेली	3	12000	12000
35			बागडोगरी	5	20000	20000
36			कंडेल	1	4000	4000
37			कोटतरा	8	32000	32000
38			माहुद	3	12000	12000
39			मैनखेडा	1	4000	4000
40			मैनपुर	16	63000	63000
41			भिलाइ	6	23000	23000
42			गिरहोला	1	6500	6500
43			भर्रीटोला	2	8000	8000
44			पदमपुर	1	120000	120000
45			पुरी	4	132000	132000
46			साल्हेटोला	2	8000	8000
47			डोडकावाही	2	8000	8000
48			चुचरुंगपुर	3	12000	12000
49			तारसगॉव	3	12000	12000
50			जामबहार	3	12000	12000
51			जैसाकर्रा	8	32000	32000
52			सराधुनवागॉव	1	4000	4000
योग :—				**188**	**1791500**	**1791500**
53	चारामा	2025—2026	हल्बा	3	12000	12000
54			हाराडुला	6	24000	24000
55			तुएगहन	1	4000	4000
56			कुर्रुभाठ	1	4000	4000
57			चारामा	6	24000	24000
58			प्रधानडोगरी	1	4000	4000
59			किलेपार	1	3000	3000
60			अरौद	1	4000	4000
61			दमकसा	1	4000	4000
62			कसावाही	2	8000	8000

क	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
63	चारामा	2025–2026	पण्डरीपानी	2	8000	8000
64			तेलगुडा	3	12000	12000
65			उंकारी	3	12000	12000
66			मुडधोवा	1	3000	3000
67			भानुपरी	1	4000	4000
68			टाहकापार	1	4000	4000
69			भैसाकट्टा	6	24000	24000
70			कोटेला	4	16000	16000
71			चपेली	5	136000	136000
72			कहाडगोदी	1	4000	4000
73			मरकाटोला	1	4000	4000
74			गितपहर	3	12000	12000
75			दल्लीडीह	1	4000	4000
76			जेपरा	4	16000	16000
77			चारभाठा	1	4000	4000
78			जुनवानी	2	8000	8000
79			भिरौद	1	4000	4000
80			आंवरी	3	12000	12000
81			डोकला	1	4000	4000
82			टिकरापारा	8	145000	145000
83			रानीडोगरी	1	4000	4000
84			खैरखेडा	5	20000	20000
85			पिपरौद	2	124000	124000
86			लखनुपरी	3	128000	128000
87			कानापोड	3	12000	12000
88			गोलकुम्हडा	2	8000	8000
89			खरथा	3	12000	12000
90			चिनौरी	1	4000	4000
91			चंदेली	1	120000	120000
92			उडकुडा	1	4000	4000
93			भुईगॉव	1	4000	4000
94			शाहवाडा	13	52000	52000
95			खैरवाही	6	24000	24000
96			मयाना	2	8000	8000
97			गाडागौरी	2	124000	124000
98			किशनपुरी	4	16000	16000

क	विकासखंड का नाम	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	किसानो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
99	चारामा	2025-2026	लिलेझर	6	24000	24000
100			बरकछार	3	12000	12000
101			ढेडकोहका	7	28000	28000
102			गिधाली	1	4000	4000
103			चांवडी	1	120000	120000
104			परसोदा	3	244000	244000
105			पलेवा	1	4000	4000
106			कुरुटोला	1	4000	4000
	योग :–			**148**	**1631000**	**1631000**
1	चारामा	2026–2027	सिरसिदा	1	4000	4000
2			चारभाठा	1	4000	4000
योग :–				**2**	**8000**	**8000**

परिशिष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 111) की जानकारी

I/496258/2026

प्रपत्र–अ

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक – 111

जिला दन्तेवाड़ा में इंद्रावती एवं शंखिनी–डंकिनी नदी तंत्र से संबंधित सिंचाई परियोजना एवं योजनाओं की वर्तमान स्थिति

स.क.	परियोजना का नाम	नदी का नाम	जिला	विकासखण्ड	रूपांकित सिंचाई क्षमता हे0में			योजना की वर्तमान स्थिति	रिमार्क
					खरीफ	रबी	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वृहद परियोजना	—— निरंक ——							
2	मध्यम परियोजना								
3	लघु योजना								
1	फुन्डरी उद्वहन सिंचाई	इन्द्रावती नदी	दन्तेवाड़ा	गीदम	100	100	200	क्षतिग्रस्त।	
2	बालपेट उद्वहन सिंचाई	डंकिनी नदी	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	120	120	240	क्षतिग्रस्त।	
3	फरसपाल उद्वहन सिंचाई	दन्तेवाड़ा नदी	दन्तेवाड़ा	गीदम	80	60	140	सही स्थिति संचालित।	
4	बिंजाम उद्वहन सिंचाई योजना	दन्तेवाड़ा नदी	दन्तेवाड़ा	गीदम	160	100	260	सही स्थिति संचालित।	
5	भोगाम उद्वहन सिंचाई योजना	दन्तेवाड़ा नदी	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	80	60	140	सही स्थिति संचालित।	
6	बालूद उद्वहन सिंचाई योजना	डंकिनी नदी	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	80	60	140	सही स्थिति संचालित।	
7	दन्तेवाड़ा व्यपवर्तन योजना	डंकिनी नदी	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	2691	0	2691	जीर्णोद्धार कार्य की आवश्यकता।	
8	बालूद एनीकट	डंकिनी नदी	दन्तेवाड़ा	दतेवाडा	180	0	180	जीर्णोद्धार कार्य की आवश्कता।	
9	अलनार एनीकट	दन्तेवाड़ा नदी	दन्तेवाड़ा	गीदम	225	0	225	क्षतिग्रस्त।	
10	बिंजाम एनीकट	दन्तेवाड़ा नदी	दन्तेवाड़ा	गीदम	165	0	165	सही स्थिति संचालित।	
	योगः–				**3881**	**500**	**4381**		

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
15:38:11

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

I/496257/2026

प्रपत्र—ब

मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव जो शासन के विचाराधीन है।

स.क्र.	श्रेणी मध्यम / लघु	योजना का नाम	जिला	विकासखण्ड	लागत राशि (लाख में)	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे. में)	रिमार्क
	मध्यम योजना	——निरंक——					
1	लघु योजना	बारसूर (माढरनाला) एनीकट निर्माण कार्य एवं उद्वहन सिंचाई योजना	दन्तेवाड़ा	गीदम	1111.81	250	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग जगदलपुर के पृ.क्र. / तक. / गो.क. / 28 / 2026 / 1794 / W, दिनांक— 04.06.2026 को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रस्तुत।
2	लघु योजना	बालपेट एनीकट निर्माण कार्य एवं उद्वहन सिंचाई योजना	दन्तेवाड़ा	गीदम	1330.86	340	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग जगदलपुर के पृ.क्र. / तक. / गो.क. / 29 / 2026 / 1798 / W, दिनांक— 04.06.2026 को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रस्तुत।
3	लघु योजना	छिंदनार एनीकट एवं उद्वहन सिंचाई योजना	दन्तेवाड़ा	गीदम	4978.65	375	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग जगदलपुर के पृ.क्र. / तक. / गो.क. / 30 / 2026 / 1792 / W, दिनांक— 04.06.2026 को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रस्तुत।
4	लघु योजना	फरसपाल एनीकट निर्माण कार्य एवं उद्वहन सिंचाई योजना	दन्तेवाड़ा	गीदम	1332.01	350	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग जगदलपुर के पृ.क्र. / तक. / गो.क. / 31 / 2026 / 1796 / W, दिनांक— 04.06.2026 को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रस्तुत।
		योग :—			**8753.33**	**1315**	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
15:39:42

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

I/496253/2026

प्रपत्र–द

आगामी वित्तीय वर्ष में जिले के लिए नए जल संरक्षण कार्य प्रस्तावित है।

स.क्र.	योजना/कार्य का नाम	जिला	विधान सभा क्षेत्र	विधायम का नाम	प्रस्तावित राशि (लाख में)	अतिरिक्त/ नवीन सिंचाई (हे.मे)	गेप फिलिंग से सिंचाई (हे. में)	बजट प्रावधान (वर्ष 2026–27) राशि लाख में	रिमार्क
1	कुम्हाररास जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य एवं नहर लाईनिंग कार्य	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा – 88	श्री चैतराम अटामी	498.91	-	325	5.00	
2	बारसूर जलाशय जीर्णोद्धार कार्य एवं नहर लाईनिंग कार्य	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा – 88	श्री चैतराम अटामी	499.35	-	264	5.00	
3	गंजेनार तालाब का शीर्ष जीर्णोद्धार कार्य	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा – 88	श्री चैतराम अटामी	400.00	-	200	50.00	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
15:41:27

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

I/496256/2026

प्रपत्र–स

जिला दन्तेवाड़ा में जल संरक्षण एवं भू–जल संवर्धन हेतु विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षो में किए गए कार्य

स.क.	मद	योजना का नाम	विकास खण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	रूपांकित क्षेत्र (हे.में) खरीफ	रबी	योग	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विभागीय मद	फरसपाल जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एव नहर लाईनिंग कार्य	गीदम	क्रमांक– 943 दिनांक – 28.02.2024	255.77	202	47	249	257.63	कार्य पूर्ण।
2	विभागीय मद	टेकनार जलाशय योजना का जीर्णोद्धार कार्य	दन्तेवाड़ा	क्रमांक – 5073 दिनांक – 24.12.2024	146.13	41	0	41	1.00	कार्य प्रगतिरत।
3	विभागीय मद	चितालूर जलाशय जीर्णोद्धार कार्य	दन्तेवाड़ा	क्रमांक– 5075 दिनांक – 24.12.2024	147.10	50	0	50	1.34	कार्य प्रगतिरत।
4	विभागीय मद	डेगलरास जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	दन्तेवाड़ा	क्रमाक – 5077 दिनांक – 24.12.2024	147.88	53	0	53	1.00	कार्य प्रगतिरत।
5	विभागीय मद	भैरमबंद जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	दन्तेवाड़ा	क्रमांक – 5081, दिनांक – 24.12.2024	101.11	72	0	72	1.00	कार्य प्रगतिरत।
6	IDEEF (कलेक्टर सेक्टर)	कुआकोण्डा जलाशय नवीनीकरण कार्य	कुआकोण्डा	क्रमांक– 1189/ दिनांक – 09.04.2025	269.00	240	0	240	44.51	कार्य प्रगतिरत।
7	IDEEF (कलेक्टर सेक्टर)	गुमड़ा जलाशय नवीनीकरण कार्य	गीदम	क्रमांक– 1189/ दिनांक – 09.04.2025	130.49	58	0	58	39.15	कार्य प्रगतिरत।
8	IDEEF (कलेक्टर सेक्टर)	बालूद जलाशय नवीनीकरण कार्य	दन्तेवाड़ा	क्रमांक– 1189/ दिनांक – 09.04.2025	123.16	26	0	26	36.95	कार्य प्रगतिरत।
9	IDEEF (कलेक्टर सेक्टर)	पालनार तालाब का जीर्णोद्धार कार्य	कुआकोण्डा	क्रमांक– 1189/ दिनांक – 09.04.2025	190.20	49	0	49	57.06	कार्य प्रगतिरत।
				योग :–	1510.84	791	47	838	439.64	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
15:40:32

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रपत्र

परिशिष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 119) की जानकारी

कोटा विकासखण्ड के सरगोन नाला के बाढ़ नियंत्रण हेतु कृत कार्यवाही

स.क्र.	कुल प्रभावित क्षेत्र	ग्रामवार किसानो की संख्या		रिमार्क
		ग्राम का नाम	संख्या	
1	2	3	4	5
1	700 एकड़	मोहली	10	
2		सोजादहरा	12	
3		तुलुफ	7	
4		सोनसाय नवागाव	37	
5		डाड़बछाली	5	
6		रिंगरिंगा	6	
7		बिटकुली	5	
8		खोगसरा	7	
	700 एकड़		89	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
16:48:08

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग,

परिशिष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 128) की जानकारी

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन—462004

क्रमांक एफ. ए. 8-1/96/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 1997

17 अक्टूबर 1997

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय : माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे-पुनरीक्षित अनुदेश।

माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे से संबंधित विस्तृत अनुदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1546-1614-एक (1), दिनांक 3 मई, 1971 द्वारा जारी किये गये थे। इन अनुदेशों में समय-समय पर कुछ संशोधन भी किये गये। वर्तमान स्थिति में इन अनुदेशों के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है, अतः पूर्व प्रसारित सभी ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन ने निम्नानुसार पुनरीक्षित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया है :—

01. मंत्रीगणों द्वारा जनसंपर्क दौरे उनके प्रभार के आवंटित जिलों में किये जाएंगे।

02. जनसंपर्क दौरे का उद्देश्य यह होगा :—

(क) आम जनता से निकट संपर्क स्थापित करना,

(ख) स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनका यथा-संभव निराकरण करना,

(ग) जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करना,

(घ) स्थानीय शिकायतों को यथा-संभव स्थल पर ही दूर करना.

03. मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरों के लिये रुपये 2.00 लाख प्रति विधान सभा क्षेत्र की दर से राशि का आवंटन मांग संख्या-1-2013-मंत्रिपरिषद्-9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान-55 से प्रत्येक वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को सौंपा जाएगा, जो जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर स्वीकृति जारी करेंगे। स्वीकृति आदेश में प्रयोजन का पूर्ण ब्यौरा रहेगा। यदि अनुदान राशि किसी निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत की गई है तो आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसमें जनता का अंशदान (जो धन, सामग्री अथवा श्रमदान के रूप में हो सकता है) कितना होगा। कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुदान राशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन/कार्य के लिये ही हो। अनुदान राशि के लेखे नियमानुसार कलेक्टर द्वारा संधारित किये जाएंगे। लेखाओं का मासिक विवरण सामान्य प्रशासन विभाग तथा महालेखाकार, मध्यप्रदेश को प्रेषित किया जाएगा।

04. जनसंपर्क दौरा अनुदान के अंतर्गत योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं कर सकेंगे अर्थात् योजनाओं का चयन पूरी तरह जिले के प्रभारी मंत्री के स्वविवेक पर होगा।

परंतु जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र आवंटित होने वाली दो लाख रुपए की राशि में से पच्चीस हजार रुपये की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित की जावेगी जिनकी अनुशंसा सांसद करें ।

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष—1)

2

05. **जनसंपर्क दौरा अनुदान.**—मांननीय मंत्रीगण सार्वजनिक उपयोगिता की आवश्यक योजनाओं के लिये निम्नलिखित शर्तों पर वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकेंगे:—

1. अनुदान की राशि एक योजना/कार्य पर रुपये 15,000/- से अधिक नहीं होगी।
2. अनुदान राशि शहरी अथवा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये स्वीकृत की जा सकेगी। इसके लिये क्षेत्र की जनसंख्या का कोई बंधन नहीं रहेगा।
3. निर्माण कार्य के लिये अनुदान राशि स्वीकृत किए जाने की स्थिति में जनता का अंशदान निर्माण कार्य की कुल लागत का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
4. अनुदान राशि किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष के लाभ के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
5. अनुदान राशि शासकीय इमारतों की मरम्मत, परिवर्धन और परिवर्तन तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए सामग्री क्रय करने हेतु भी स्वीकृत की जा सकेगी।
6. निर्माण कार्यों के लिये घोषित अनुदान की राशि स्थानीय निकाय को उपलब्ध की जाएगी।
7. अनुदान अनावर्ती प्रकार का होगा। शासन पर आवर्ती दायित्व नहीं होगा।
8. अनुदान का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया हो तो अनुदान की राशि लेप्स हो जाएगी। व्यय की स्थानीय लेखा संपरीक्षा की जाएगी।

06. कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्रीगण के लिये जिला स्तर पर विभागवार योजना एवं गतिविधियों की अद्यतन जानकारी रखेंगे। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिलों को जो आवंटन प्राप्त होता है, उसके व्यय की मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्रीगण जनसंपर्क दौरे के समय कर सकेंगे।

07. कमिश्नर/कलेक्टर को राज्य शासन द्वारा जो प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सौंपे गये हैं, उनसे जिले के प्रभारी मंत्रीगण को अवगत कराया जाए, ताकि जिले में भ्रमण के दौरान इस बात की समीक्षा कर सकें कि इन अधिकारियों द्वारा ऐसे अधिकारों का समुचित उपयोग किया जा रहा है.

08. जनसंपर्क दौरे के दौरान निर्माण कार्य तथा स्थानीय मामलों के संबंध में प्राप्त आवेदन एवं शिकायत कलेक्टर को भेजी जाए। इन आवेदन एवं शिकायतों पर कलेक्टर द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाए। इनके निराकरण का अनुश्रवण जिला जन-शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा।

09. अन्य आवेदन/शिकायतें राज्य स्तर पर जन शिकायत निवारण विभाग को भेजी जाये. जन शिकायत निवारण विभाग द्वारा शिकायतों के निराकरण का अनुश्रवण किया जाएगा।

10. शासन द्वारा विकास विभागों के बहुत से कार्य पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को दिए गए हैं। मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरे के समय आम जनता द्वारा ऐसे कार्यों के बारे में बहुत सी मांगें एवं शिकायत मंत्रीगण के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। मौके पर इनके निराकरण निर्देश एवं मार्गदर्शन देने की आवश्यकता को देखते हुए जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रभारी मंत्री के जिले के भ्रमण के दौरान उनके साथ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनसंपर्क दौरे के समय पंचायतों को सौंपे गये कार्य/अधिकारों के दायरे में आने वाली विषय-वस्तु पर घोषणा न की जाए अथवा ऐसी घोषणा सशर्त हो ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम सभा और पंचायतों के प्रस्तावों के उपरांत ही उन पर कार्यवाही की जा सके।

अनुभाग अधिकारी
विभाग (कक्ष—1)

3

11. माननीय मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरों के अवसर पर जिला स्तर एवं अन्य निचले स्तर के अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए परन्तु यह एहतियात रखना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं की बैठक में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

12. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध जिले के प्रभारी मंत्री को प्राप्त शिकायतों पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा की जाए।

13. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रभारी मंत्री द्वारा प्रशासकीय विभाग के मंत्रियों को भेजे जाएं तथा प्रतिलिपि मुख्य मंत्रीजी को भेजी जाए। विभागीय मंत्री द्वारा इन पर कार्यवाही की जाए।

14. स्थानान्तरण एवं नियुक्ति संबंधी आवेदन जनसंपर्क दौरे के समय न लिए जाएं।

2. मध्यप्रदेश के संसद सदस्य (लोक सभा) के जनसंपर्क दौरे अनुदान की व्यवस्था एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। सभी जिला कलेक्टर इस मद में दिए गए आवंटन की अव्ययित राशि तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित करें।

3. यह स्वीकृति ज्ञाप वित्त विभाग के पृ. क्रमांक 1144/SR 805/चार/61-9/97, दिनांक 17 अक्टूबर 1997 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गोपाल शरण शुक्ल)

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. ए. 8-1/96/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30-9-97
17-10-97

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित, अतिरिक्त प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।
2. शासन, समस्त विभाग, भोपाल,
3. सचिव, राज्यपाल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश,
6. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
7. निजी सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय राज्य मंत्रिगण, मध्यप्रदेश.
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, भोपाल,
9. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल,
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

(बी. आर. कोवले)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

शासकीय मुद्रणालय—1495—असाप्रवि—21-10-97—2,000

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष—1)
मंत्रालय, महानदी भवन,

(5)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ. ए. 8-1/96 /एक(1) भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2000

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:- माननीय मंत्रिगण के जनसंपर्क दौरे के लिए प्रावधानित राशि के एक भाग का सांसदों की अनुशंसानुसार व्यय।

--

माननीय मंत्रिगण के जनसंपर्क दौरों से संबंधित इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30 सितंबर, 1997/17 अक्टूबर, 1997, का वर्तमान पद 4 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार पद 4 स्थापित किया जाता है :-

"4. जनसंपर्क दौरा अनुदान के अंतर्गत योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं कर सकेंगें अर्थात् योजनाओं का चयन पूरी तरह जिले के प्रभारी मंत्री के स्वविवेक पर होगा।

परंतु जनसंपर्क दौरों के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र आवंटित होने वाली दो लाख रुपए की राशि में से पच्चीस हजार रुपये की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित की जाएगी, जिनकी अनुशंसा सांसद करें।"

2. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 279/एसआर-196/चार/ब-9/2000 दिनांक 4.5.2000 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(बी. आर. कोवले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

...2..

(हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

क्रमांक एफ 8–4/2011/1/एक रायपुर दिनांक 19/10/11

प्रति,

1.समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.
2.मुख्य लेखाधिकारी,
मंत्रालय, रायपुर.

विषय :– माननीय मंत्रिगणों के जनसंपर्क दौरे के लिये प्रावधानित राशि में संशोधन ।

राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार माननीय मंत्रिगण के जनसंपर्क दौरों से संबंधित इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8–1/96/एक (1), दिनांक 30.9.1997/17.10.1997 में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :–

(1) कंडिका–3 में उल्लेखित "रूपये 2.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र की दर से आबंटन सौंपा जाएगा" को विलोपित करते हुए, उसके स्थान पर "रूपये 4.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र की दर से आबंटन सौंपा जाएगा" किया जाता है ।

(2) कंडिका–4 में उल्लेखित "जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र आबंटित होने वाली दो लाख रूपये की राशि में से पच्चीस हजार रूपये की राशि ऐसे कार्यो के लिए सुरक्षित की जाएगी जिनकी अनुशंसा सांसद करें" को विलोपित करते हुए, उसके स्थान पर "जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र आबंटित होने वाली चार लाख रूपये की राशि में से पचास हजार रूपये की राशि ऐसे कार्यो के लिए सुरक्षित की जाएगी जिनकी अनुशंसा सांसद करें" किया जाता है ।

2/ मान0 मनोनीत विधायक द्वारा राज्य में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिये राशि की स्वीकृति की अनुशंसा की जावेगी एवं मान. मुख्यमंत्रीजी के अनुमोदन पर उक्त राशि मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर द्वारा आबंटन संबंधित जिलाध्यक्ष को उपलब्ध करा दिया जायेगा, तत्पश्चात् संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा उक्त राशि का आहरण कर भुगतान किया जायेगा ।

....2

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–1)

.2.

3/ उक्त कंड़िका 1 के (1) एवं (2) के संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 386/सी.एन.00000177/बजट–5/वित्त/चार/2011, दिनांक 17.8.2011 तथा कंड़िका–2 के संबंध में यू.ओ.कमांक 352/सी.एन.10000368/बजट–5/वित्त/चार/ 2011, दिनांक 20.7.2011 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 8–4/2011/1/एक रायपुर, दिनांक 13/10/11

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ.
4. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर.
5. शासन के समस्त विभाग, रायपुर.
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़.
7. समस्त विभागाध्यक्ष,छत्तीसगढ़.
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर.
9. निज सचिव, मान. मंत्री/मान.संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़,
10. निज सचिव, मा. श्री जोसेफ रोड्रिक्स, (मनोनीत विधायक), जी–6, पंकज विकम परिसर, शैलेन्द्र नगर,रायपुर.
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़.
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़.

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–1)
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ.8–1/2020/1/एक, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10.09.2020
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़,

2. मुख्य लेखाधिकारी
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– माननीय मंत्रिगणों के जनसंपर्क दौरे के लिये पुनरीक्षित अनुदेश में संशोधन।
संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एम ए 8–1/96/एक(1), दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 8–4/2011/1/एक, दिनांक 19.10.2011

——00——

संदर्भित परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 द्वारा माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे हेतु पुनरीक्षित अनुदेश जारी किये गये है तथा परिपत्र दिनांक 19.10.2011 द्वारा उक्त अनुदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।

2/ संदर्भित परिपत्र दिनांक 19.10.2011 की कंडिका 1 (1) में माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख) के मान से राशि का प्रावधान किया गया है तथा कंडिका 1 (2) में जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र आवटित की जाने वाली रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख) की राशि में से रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित किए जाने के निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी अनुशंसा सांसद करे।

3/ राज्य शासन एतदद्वारा माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे हेतु प्रति विधानसभा क्षेत्र के मान से पूर्व में निर्धारित राशि रूपये 4,00,000/– के स्थान पर रूपये 10,00,000/– (रूपये दस लाख) निर्धारित करता है।

4/ जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र आवंटित होने वाली उक्त राशि रूपये 10,00,000/– में से रूपये 1,25,000/– (रूपये एक लाख पच्चीस हजार) की राशि ऐसे कार्यो के लिए सुरक्षित की जावेगी जिसकी अनुशंसा सांसद करें।

5/ संदर्भित परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 की कंडिका 5 की उप कंडिका 2,3,4,5 एवं 6 को विलोपित किया जाता है। जनसंपर्क दौरा अनुदान मंत्रिपरिषद सदस्य स्वेच्छानुदान नियम, 2019 के नियम 4 (1) एवं (2) में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी।

क्रमशः...2.

other

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–1)
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

//2//

6/ संदर्भित परिपत्रों में उल्लेखित शेष अनुदेश तथा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

7/ उक्त स्वीकृति पर वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक F 597/ब–5/वि/2020, दिनांक 20.08.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. सिंह) 10.9.2020
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ.8–1/2020/1/एक, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10.09.2020

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
4. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
5. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
7. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
9. निज सचिव, माननीय मंत्री/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़,
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

अवर सचिव 10.9.2020
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–1,
मंत्रालय, महानदी भवन,

परिशिष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 131) की जानकारी

प्रपत्र–अ

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण का रकबा, पौधों की संख्या तथा व्यय राशि की वर्षवार जानकारी

वर्ष	वनमंडल/परियोजना मंडल का नाम	रकबा (हे.)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत	व्यय राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	बलौदाबाजार	108.000	48800	37650	77%	9758206
	(2021–22) योग :–	**108.000**	**48800**	**37650**	**77%**	**9758206**
2022-23	बलौदाबाजार	0.404	250	216	86%	864287
2022-23	तत्कालीन बलौदाबाजार वनमंडल (वर्तमान में सारंगढ़–बिलाईगढ़ वनमंडल)	0.410	250	213	85%	633565
2022-23	बारनवापारा (वन विकास निगम)	15.470	38686	31579	82%	1318632
2022-23	बारनवापारा (वन विकास निगम)	25.000	53487	44607	83%	1649211
2022-23	बारनवापारा (वन विकास निगम)	49.000	122400	107240	88%	3285856
2022-23	बारनवापारा (वन विकास निगम)	30.042	62500	55606	89%	1234285
	(2022–23) योग :–	**120.326**	**277573**	**239461**	**86%**	**8985836**
2023-24	निरंक					
2024-25	निरंक					
2025-26	निरंक					
	कुलयोग :–	**228.326**	**326373**	**277111**	**85%**	**18744042**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

प्रपत्र–ब

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में अवैध वृक्ष कटाई, वन भूमि अतिक्रमण एवं अन्य वन अपराधों के दर्ज, निराकरण एवं लंबित प्रकरणों की वर्षवार जानकारी

वर्ष	वनमंडल/परियोजना मंडल का नाम	वन अपराधों की संख्या				निराकरण वन अपराधों की संख्या				लंबित वन अपराधों की संख्या			
		अवैध वृक्ष की कटाई	वन भूमि अतिक्रमण	अन्य वन अपराध	योग	अवैध वृक्ष की कटाई	वन भूमि अतिक्रमण	अन्य वन अपराध	योग	अवैध वृक्ष की कटाई	वन भूमि अतिक्रमण	अन्य वन अपराध	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2021-22	तत्कालीन बलौदाबाजार वनमंडल (वर्तमान में सारंगढ़–बिलाईगढ़ वनमंडल)	77	0	16	**93**	77	0	16	**93**	0	0	0	**0**
2021-22	बलौदाबाजार वनमंडल	511	0	31	**542**	509	0	29	**538**	2	0	2	**4**
2021-22	बारनवापरा (वन विकास निगम)	40	5	0	**45**	35	5		**40**	5	0	0	**5**
	(2021–22) योग –	**628**	**5**	**47**	**680**	**621**	**5**	**45**	**671**	**7**	**0**	**2**	**9**
2022-23	तत्कालीन बलौदाबाजार वनमंडल (वर्तमान में सारंगढ़–बिलाईगढ़ वनमंडल)	138	0	5	**143**	138	0	3	**141**	0	0	2	**2**
2022-23	बलौदाबाजार वनमंडल	476	1	33	**510**	473	0	29	**502**	3	1	4	**8**
2022-23	बारनवापरा (वन विकास निगम)	38	5	4	**47**	33	5	3	**41**	5	0	1	**6**
	(2022–23) योग –	**652**	**6**	**42**	**700**	**644**	**5**	**35**	**684**	**8**	**1**	**7**	**16**
2023-24	सारंगढ़–बिलाईगढ़	145	0	8	**153**	145	0	7	**152**	0	0	1	**1**
2023-24	बलौदाबाजार वनमंडल	524	0	29	**553**	522	0	23	**545**	2	0	6	**8**
2023-24	बारनवापरा (वन विकास निगम)	76	2	1	**79**	69	2	1	**72**	7	0	0	**7**
	(2023–24) योग –	**745**	**2**	**38**	**785**	**736**	**2**	**31**	**769**	**9**	**0**	**7**	**16**
2024-25	सारंगढ़–बिलाईगढ़	240	0	7	**247**	240	0	7	**247**	0	0	0	**0**
2024-25	बलौदाबाजार वनमंडल	670	1	38	**709**	668	1	30	**699**	2	0	8	**10**
2024-25	बारनवापरा (वन विकास निगम)	32	0	0	**32**	31	0	0	**31**	1	0	0	**1**
	(2024–25) योग –	**942**	**1**	**45**	**988**	**939**	**1**	**37**	**977**	**3**	**0**	**8**	**11**

वर्ष	वनमंडल/परियोजना मंडल का नाम	वन अपराधों की संख्या				निराकरण वन अपराधों की संख्या				लंबित वन अपराधों की संख्या			
		अवैध वृक्ष की कटाई	वन भूमि अतिक्रमण	अन्य वन अपराध	योग	अवैध वृक्ष की कटाई	वन भूमि अतिक्रमण	अन्य वन अपराध	योग	अवैध वृक्ष की कटाई	वन भूमि अतिक्रमण	अन्य वन अपराध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2025-26	सारंगढ़–बिलाईगढ़	215	0	9	224	215	0	6	221	0	0	3	3
2025-26	बलौदाबाजार वनमंडल	521	4	37	562	520	4	26	550	1	0	11	12
2025-26	बारनवापरा (वन विकास निगम)	33	0	0	33	32	0	0	32	1	0	0	1
	(2025–26) योग –	**769**	**4**	**46**	**819**	**767**	**4**	**32**	**803**	**2**	**0**	**14**	**16**
कुलयोग –		**3736**	**18**	**218**	**3972**	**3707**	**17**	**180**	**3904**	**29**	**1**	**38**	**68**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

प्रपत्र–स

विगत पांच वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वनाग्नि (जंगल में आग) के घटनाओं की संख्या, प्रभावित रकबा, वन्यजीवों की मृत्यु, अनुमानित क्षति तथा दोषी व्यक्तियों एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण

वर्ष	वनमंडल/परियोजना मंडल का नाम	वनाग्नि के घटनाओं की संख्या	वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र का रकबा (हे.में)	मृत वन्यजीवों की संख्या	क्षति की अनुमानित लागत (राशि रूपये में)	दोषी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	तत्कालीन बलौदाबाजार वनमंडल (वर्तमान में सारंगढ़–बिलाईगढ़ वनमंडल)	31	56.100	0	0	-
2021-22	बलौदाबाजार वनमंडल	84	170.903	0	0	—
2021-22	बारनवापरा (वन विकास निगम)	1	24.230		243793	श्री हेमंत कुमार परमार, सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी को मंडल प्रबंधक, बारनवापारा के आदेश दिनांक 12.04.2022 द्वारा निलंबित किया जाकर आदेश दिनांक 06.04.2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच उपरांत राजस्व की कुल हानि रू. 243793 को प्राकृतिक आपदा मानते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के आदेश दिनांक 08.01.2026 द्वारा अपलेखित किया गया तथा श्री परमार को उनके द्वारा किए गए आग बुझाने के प्रयास को मान्य करते हुए दोषमुक्त किया गया।
	(2021–22) योग –	**116**	**251.233**	**0**	**243793**	
2022-23	तत्कालीन बलौदाबाजार वनमंडल (वर्तमान में सारंगढ़–बिलाईगढ़ वनमंडल)	31	41.674	0	0	—
2022-23	बलौदाबाजार वनमंडल	30	44.229	0	0	—
2022-23	बारनवापरा (वन विकास निगम)	0	0.000	0	0	—
	(2022–23) योग –	**61**	**85.903**	**0**	**0**	
2023-24	सारंगढ़–बिलाईगढ़	9	15.805	0	0	—
2023-24	बलौदाबाजार वनमंडल	12	16.445	0	0	—
2023-24	बारनवापरा (वन विकास निगम)	43	91.502	0	0	—
	(2023–24) योग –	**64**	**123.752**	**0**	**0**	
2024-25	सारंगढ़–बिलाईगढ़	74	56.823	0	0	—

वर्ष	वनमंडल/परियोजना मंडल का नाम	वनाग्नि के घटनाओं की संख्या	वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र का रकबा (हे.में)	मृत वन्यजीवों की संख्या	क्षति की अनुमानित लागत (राशि रूपये में)	दोषी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
2024-25	बलौदाबाजार वनमंडल	64	102.683	0	0	–
2024-25	बारनवापरा (वन विकास निगम)	38	88.255	0	0	–
	(2024–25) योग –	**176**	**247.761**	**0**	**0**	
2025-26	सारंगढ़–बिलाईगढ़	32	91.066	0	0	बिलाईगढ़ वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 408 रकबा 41.500 हेक्टे. रेलकारीडोर में घटित अग्नि घटना हेतु सारंगढ़–बिलाईगढ़ वनमण्डल के आदेश क्रमांक/ 41 दिनांक 25.03.2026 के माध्यम वनरक्षक श्री चित्रसेन यादव को निलंबित किया गया है, तथा उपवनमंडलाधिकारी सारंगढ़ के पत्र क्रमांक/749, 750 दिनांक 10.03.2026 द्वारा वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक को कार्य से पृथक किया गया है।
2025-26	बलौदाबाजार वनमंडल	29	16.434	0	0	(1) वन परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत दिनांक 19/03/2026 को क.क्र. 382 में 0.1 हे. क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित हुआ था जिसमें संबंधित कर्मचारी पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए व.मं.अ. बलौदाबाजार के आदेश दिनांक 23.05.2026 द्वारा श्री पूनम चंद फेकर, वनरक्षक का असंचयी भाव से एक वेतन वृद्धि रोका गया। (2) दिनांक 24/03/2026 को क.क्र. 335 में 0.250 हे. क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित हुआ था जिसमें संबंधित कर्मचारी पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए व.मं.अ. बलौदाबाजार के आदेश दिनांक 23.05.2026 द्वारा श्री ललित कुमार वर्मा, वनरक्षक का असंचयी भाव से एक वेतन वृद्धि रोका गया।
2025-26	बारनवापरा (वन विकास निगम)	23	29.935	0	78871	श्री हिरऊ राम पैकरा, परियोजना परिक्षेत्राधिकारी एवं श्री घांसी राम साहू, सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी को स्पष्टीकरण को जारी किया गया। आगजनी से हुई हानि रू. 78871 का बीमा होने के कारण बीमा कम्पनी युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी, रायपुर को राजस्व की हानि प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है।
	(2025–26) योग –	**84**	**137.435**	**0**	**78871**	
	कुलयोग :–	**501**	**846.084**	**0**	**322664**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना / बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

2

परिशिष्ट - बेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 138) की जानकारी

प्रपत्र

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता का आंकलन की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	संभाग	ग्राम	अतिरिक्त ट्रासंफार्मर	क्षमता वद्धि ट्रासंफार्मर
1	2	3	4	5	6	7
1	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	यदु खम्हरिया	63 के.व्हीए *1	–
2	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सोनाडीह	63 के.व्हीए *1	–
3	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	षष्ठि मंदिर के पास	25 के.व्हीए *1	–
4	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मोहतरा	63 के.व्हीए *1	–
5	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	भाठागांव	63 के.व्हीए *1	–
6	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	रिसदा रोड बलौदाबाजार	63 के.व्हीए *1	–
7	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	कोलियारी	63 के.व्हीए *1	–
8	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	गैतरा	63 के.व्हीए *1	–
9	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	बलौदाबाजार	मल्दी	25 के.व्हीए *1	–
10	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	कोहरोद	25 के.व्हीए *1	–
11	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	पनगांव	63 के.व्हीए *1	–
12	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	धाराशिव	63 के.व्हीए *1	–
13	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मेढ़	63 के.व्हीए *1	–
14	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	तराशिव	63 के.व्हीए *1	–
15	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	खर्चा	63 के.व्हीए *1	–
16	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	बिनौरी	63 के.व्हीए *1	–
17	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	हटौद	63 के.व्हीए *1	–
18	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	बलौदी	63 के.व्हीए *1	–
19	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	रोहांसी	63 के.व्हीए *1	–
20	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	कोनारी	63 के.व्हीए *1	–
21	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	लतेरा	63 के.व्हीए *1	–
22	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	खरतोरा	63 के.व्हीए *1	–
23	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	छुईहा	63 के.व्हीए *1	–
24	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	कंजी	63 के.व्हीए *1	–
25	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार	63 के.व्हीए *1	–
26	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	यदु बाड़ी बलौदाबाजार	63 के.व्हीए *1	–
27	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	पटेल छात्रावास सिविल लाईन	63 के.व्हीए *1	–
28	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	पहंदा रोड बलौदाबाजार	63 के.व्हीए *1	–
29	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	षष्ठि मंदिर बलौदाबाजार	63 के.व्हीए *1	–
30	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	धवई	63 के.व्हीए *1	–
31	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	पीपराही	63 के.व्हीए *1	–
32	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	ढ़नढ़नी	63 के.व्हीए *1	–
33	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	भद्रापाली	63 के.व्हीए *1	–
34	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	अर्जुनी	63 के.व्हीए *2	–
35	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बुड़गहन	63 के.व्हीए *1	–
36	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	खैंदा	63 के.व्हीए *1	–
37	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	डमरू	63 के.व्हीए *1	–
38	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बम्हनमुड़ी	63 के.व्हीए *1	–
39	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	जुड़ा	25 के.व्हीए *1	–
40	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सुढेला	63 के.व्हीए *1	–
41	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	गिंदोला	25 के.व्हीए *1	–
42	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	तुरमा	63 के.व्हीए *1	–
43	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	अहिल्दा	63 के.व्हीए *1	–
44	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सिंघारी	63 के.व्हीए *1	–
45	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बरदा	63 के.व्हीए *1	–
46	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	सरसेनी	63 के.व्हीए *1	–

उप सचिव

47	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	जंगलोर	63 के.व्हीए *1	–
48	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	चुचुरूंगपुर	63 के.व्हीए *1	–
49	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	गिधपुरी	63 के.व्हीए *1	–
50	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	कोदवा	63 के.व्हीए *2	–
51	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	सिसदेवरी	63 के.व्हीए *1	–
52	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	गाबोद	63 के.व्हीए *1	–
53	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	ओड़ान बोईरडीह रोड	63 के.व्हीए *1	–
54	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	कुसमी	63 के.व्हीए *1	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
55	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदावाजार	भवानीपुर	63 के.व्हीए *1	–
56	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	वटगन	63 के.व्हीए *1	–
57	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	नगर पंचायत पलारी बेलाहीपारा	63 के.व्हीए *1	–
58	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	वर्मा समाज भवन	100 के.व्हीए *1	–
59	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	काली नगर बलौदाबाजार	100 के.व्हीए *1	–
60	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	29 क्वार्टर बलौदाबाजार	100 के.व्हीए *1	–
61	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	रिसदा रोड़ बलौदाबाजार	100 के.व्हीए *1	–
62	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	हाई स्कुल बलौदाबाजार	100 के.व्हीए *1	–
63	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	करहीबाजार	63 के.व्हीए *1	–
64	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदावाजार	बलौदाबाजार	चांपा	63 के.व्हीए *1	–
65	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	लटुआ	63 के.व्हीए *1	–
66	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	करमदा	63 के.व्हीए *1	–
67	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	खैरताल	63 के.व्हीए *1	–
68	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	रसेड़ी	63 के.व्हीए *1	–
69	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	नगर पंचायत पलारी	100 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
70	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	सईहा	63 के.व्हीए *1	–
71	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	ठेल्की	63 के.व्हीए *1	–
72	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	जारा	63 के.व्हीए *1	–
73	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बोरसी डी	63 के.व्हीए *1	–
74	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मुडीपार	63 के.व्हीए *1	–
75	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बिजाभाट	63 के.व्हीए *1	–
76	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बिजराडीह	63 के.व्हीए *2	–
77	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	तरेंगा	63 के.व्हीए *2	–
78	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	दतरेंगा	63 के.व्हीए *1	–
79	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	देवरी	63 के.व्हीए *2	–
80	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कोदवा	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए 25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
81	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	परसवानी	63 के.व्हीए *1	–
82	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	खपरी (एस)	63 के.व्हीए *1	–
83	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सूहला	63 के.व्हीए *1	–
84	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	अमेरी	63 के.व्हीए *1	–
85	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	मोहरा	63 के.व्हीए *1	–
86	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	पेन्ड्री	63 के.व्हीए *1	–
87	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चौरंगा	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
88	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	दरचूना	63 के.व्हीए *1	–
89	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	संजारी नवागांव	63 के.व्हीए *1	–
90	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चूचरूंगपुर	63 के.व्हीए *1	–
91	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	लांजा	63 के.व्हीए *1	–
92	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	लखना	63 के.व्हीए *2	–
93	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	उडेला	63 के.व्हीए *1	–
94	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	खिलोरा	63 के.व्हीए *2	–
95	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	मुडपार	63 के.व्हीए *1	–
96	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बेमता	63 के.व्हीए *1	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
97	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मोपका	63 के.व्हीए *1	–
98	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	आलेसूर	63 के.व्हीए *1	–
99	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	खपराडीह	63 के.व्हीए *1	–
100	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	दतरेगा	63 के.व्हीए *1	–

उप सचिव

101	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	भोथाडीह	63 के.व्हीए *1	—
102	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	लेवई	63 के.व्हीए *1	—
103	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	नवागांव	63 के.व्हीए *2	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
104	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	करहूल	63 के.व्हीए *1	—
105	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चक्रवाय	63 के.व्हीए *1	—
106	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	तूलसी	63 के.व्हीए *1	—
107	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बरडीह	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
108	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	खराडीह	63 के.व्हीए *1	—
109	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	कुकराचुदरा	63 के.व्हीए *1	—
110	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	दावनबोड़	63 के.व्हीए *1	—
111	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कड़ार	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए 25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
112	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गुरूनानक वार्ड	63 के.व्हीए *2	—
113	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गॉधी मंदिर वार्ड	63 के.व्हीए *1	—
114	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सुभाष वार्ड	63 के.व्हीए *2	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
115	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	परशुराम वार्ड	63 के.व्हीए *1	—
116	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	रविदास वार्ड	63 के.व्हीए *1	—
117	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	जय विहार कॉलोनी	63 के.व्हीए *1	—
118	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	महासती वार्ड	63 के.व्हीए *1	—
119	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मातादेवालय वार्ड	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
120	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	यामा प्रसाद वार्ड (सॉई कॉलोनी)	63 के.व्हीए *1	
121	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	श्यामा प्रसाद वाड	63 के.व्हीए *1	—
122	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मधुबन	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
123	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	पथरिया	63 के.व्हीए *1	—
124	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	अकोली	63 के.व्हीए *1	—
125	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सिंगारपुर	63 के.व्हीए *2	—
126	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बछेरा	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
127	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	तेन्दूभाठा	63 के.व्हीए *1	—
128	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	नवागॉव	63 के.व्हीए *1	—
129	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बेमता	63 के.व्हीए *1	—
130	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	शिकारी—केशली	63 के.व्हीए *1	—
131	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	दरचूरा	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
132	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	तुलसी	63 के.व्हीए *1	—
133	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	मोटियारीडीह	63 के.व्हीए *1	—
134	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	किरवई	63 के.व्हीए *1	—
135	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	धोबनी	63 के.व्हीए *1	—
136	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रावन	63 के.व्हीए *1	—
137	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सुहेला	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
138	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	जरौद (तिवारी ट्रॉसफार्मर)	63 के.व्हीए *1	—
139	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गाड़ाडीह	63 के.व्हीए *1	—
140	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	आलेसुर	63 के.व्हीए *1	—
141	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	राजाढार	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
142	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	भैसा	63 के.व्हीए *1	—
143	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	केशली	63 के.व्हीए *1	—
144	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	उड़ेला (धोधा रोड)	63 के.व्हीए *1	—
145	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	धिवनपुरी	63 के.व्हीए *1	—
146	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	ईश्वर नगर	63 के.व्हीए *1	—
147	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	लखन कॉलोनी	63 के.व्हीए *1	—
148	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मेहता नगर	63 के.व्हीए *1	—
149	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	व्हीआईपी कॉलोनी	63 के.व्हीए *1	—
150	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बघेल नगर	100 के.व्हीए *1	—
151	बलौदाबाजार — भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	63 के.व्हीए *2	—
152	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सीतापार	63 के.व्हीए *1	—
153	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	डोंगरिया	63 के.व्हीए *1	—
154	बलौदाबाजार — भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रिंगनी	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए

155	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	करही बस्ती	63 के.व्हीए *1	–
156	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सुहेला (बस्ती)	63 के.व्हीए *1	–
157	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रवेली(बस्ती)	63 के.व्हीए *1	–
158	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	धोबनीडीह	63 के.व्हीए *1	–
159	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	लमती	63 के.व्हीए *1	–
160	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कोसमंदा	63 के.व्हीए *2	–
161	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गोढ़ी	63 के.व्हीए *1	–
162	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	पेण्ड्री	63 के.व्हीए *1	–
163	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बोरसी (ब)	63 के.व्हीए *1	–
164	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	धौराभाठा (आदर्श कॉलोनी)	63 के.व्हीए *1	–
165	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मजगॉव	63 के.व्हीए *1	–
166	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	हरिनभट्ठा	63 के.व्हीए *1	–
167	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	औरेठी	63 के.व्हीए *1	–
168	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	भूमिया	63 के.व्हीए *1	–
169	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सकलोर (गौठानपारा)	63 के.व्हीए *1	–
170	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चंदेरी	63 के.व्हीए *1	–
171	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चौरेंगा	63 के.व्हीए *1	–
172	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	अड़बंधा	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
173	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रवेली	63 के.व्हीए *1	–
174	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बासीन	63 के.व्हीए *1	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
175	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	मुसुवाडीह	63 के.व्हीए *1	–
176	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सिमगा (मजार पारा)	63 के.व्हीए *1	–
177	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सिमगा (देहान पारा)	63 के.व्हीए *1	–
178	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	पौंसरी	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
179	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सदर बाजार भाटापारा	100 के.व्हीए *1	–
180	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	परशुराम वार्ड भाटापारा	63 के.व्हीए *1	100 के.व्हीए से 200 के.व्हीए 2X63 के.व्हीए से 2X100 के.व्हीए 25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
181	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सिमगा (अविका विहार)	63 के.व्हीए *1	–
182	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चंडी (मटखान तालाब)	63 के.व्हीए *1	–
183	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	मनोहरा	63 के.व्हीए *1	–
184	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	झिरिया	100 के.व्हीए *1	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
185	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	मांढर	63 के.व्हीए *1	–
186	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गुर्रा	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
187	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	धौराभांठा	63 के.व्हीए *1	–
188	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	अकलतरा	63 के.व्हीए *1	–
189	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	ढाबाडीह	63 के.व्हीए *2	–
190	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	रोहरा	63 के.व्हीए *1	–
191	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	टिकुलिया	63 के.व्हीए *1	2X63 के.व्हीए से 2X100 के.व्हीए
192	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सुमा	63 के.व्हीए *1	–
193	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कलमीडीह	63 के.व्हीए *1	–
194	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	कुथरौद (तालाब के पास)	63 के.व्हीए *1	–
195	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रावन (पुराना बस्ती)	63 के.व्हीए *1	–
196	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रावन (इंदिरा वास)	63 के.व्हीए *1	–
197	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रावन (दामाद पारा)	63 के.व्हीए *1	–
198	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रानीजरौद (जगन्नाथ बाडी)	63 के.व्हीए *1	–
199	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	नवापारा	63 के.व्हीए *1	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
200	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रानीजरौद (पंपलाईन)	63 के.व्हीए *1	–
201	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	पड़कीडीह (बस्ती)	63 के.व्हीए *1	–
202	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	दामाखेड़ा (मेला)	100 के.व्हीए *1 63 के.व्हीए *2	–
203	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	खैरा	63 के.व्हीए *2	–
204	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	खम्हरिया	63 के.व्हीए *1	–
205	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	पाटन	63 के.व्हीए *1	–
206	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	ओटेबंद	63 के.व्हीए *1	–

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

207	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	नवागांव	63 के.व्हीए *1	–
208	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सिमगा (कंकालीन पारा)	63 के.व्हीए *1	–
209	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	शंकर वार्ड	63 के.व्हीए *1	–
210	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गोढ़ी टी	63 के.व्हीए *1	–
211	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	नावागांव	63 के.व्हीए *1	–
212	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कोसमसरा	63 के.व्हीए *1	–
213	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	देवतराई	25 के.व्हीए *1	–
214	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कासडोल (हड़हापारा)	63 के.व्हीए *1	–
215	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	सुकदा	63 के.व्हीए *1	–
216	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	सेल	63 के.व्हीए *1	–
217	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	सर्वा	63 के.व्हीए *1	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
218	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	धमलपुर	25 के.व्हीए *1	–
219	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	दर्रा	25 के.व्हीए *1	–
220	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कसडोल (मेन रोड)	63 के.व्हीए *1	–
221	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	सेमरीया	63 के.व्हीए *1	–
222	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कसडोल (गटवा तलाब)	63 के.व्हीए *1	–
223	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	अर्जुनी	63 के.व्हीए *1	–
224	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	टेमरी	63 के.व्हीए *2	–
225	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	असनींद	63 के.व्हीए *1	–
226	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	हटौद	63 के.व्हीए *1	–
227	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	बरबसपुर	63 के.व्हीए *1	–
228	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	खर्वे	63 के.व्हीए *1	–
229	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	धौराभाटा	63 के.व्हीए *1	–
230	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	मालीडीह	63 के.व्हीए *1	–
231	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	भद्रा	63 के.व्हीए *1	–
232	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	साबर	63 के.व्हीए *1	–
233	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	झबडी	63 के.व्हीए *1	–
234	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	पिकरी	63 के.व्हीए *1	–
235	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कटगी	63 के.व्हीए *1	–
236	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	रामपुर	63 के.व्हीए *1	–
237	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	गिधपुरी	63 के.व्हीए *1	–
238	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	तालाझर	63 के.व्हीए *1	–
239	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	अकलतरा	63 के.व्हीए *1	–
240	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	दलदली	63 के.व्हीए *1	–
241	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	देवरीकला	63 के.व्हीए *1	–
242	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	मलुहा	63 के.व्हीए *1	–
243	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	मड़कड़ा	63 के.व्हीए *1	–
244	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	मोतीपुर	63 के.व्हीए *1	–
245	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	भवरीद	63 के.व्हीए *1	–
246	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	मुड़ीपार	63 के.व्हीए *1	–
247	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कौवाताल	63 के.व्हीए *1	–
248	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	नरधा	25 के.व्हीए *1	–
249	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	मटिया	63 के.व्हीए *1	–
250	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कुशगढ़	63 के.व्हीए *1	–
251	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	सुकली	63 के.व्हीए *1	–
252	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	छरछेद	63 के.व्हीए *1	–
253	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	टुण्डरा	63 के.व्हीए *1	–
254	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	महकम (सोनाखान)	63 के.व्हीए *1	–
255	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	एपेक्स एबी स्वीच बलौदाबाजार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
256	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	छुईहा रैयतवारी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
257	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	जनपद बलौदाबाजार	–	100 के.व्हीए से 200 के.व्हीए
258	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	प्रदीप होटल बलौदाबाजार	–	100 के.व्हीए से 200 के.व्हीए
259	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बेमेतरा	–	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
260	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	भालूकोना	–	16 के.व्हीए से 25 के.व्हीए
261	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	लवन टॉउन	–	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

262	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	छीतावर	–	16 के.व्हीए से 25 के.व्हीए
263	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	इंदिरा कालोनी बलौदाबाजार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
264	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	चर्च बलौदाबाजार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
265	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	अपेक्स बलौदाबाजार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
266	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	लक्ष्मी नगर बलौदाबाजार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
267	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	लटुवा बलौदाबाजार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
268	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बंसराज तिवारी चौक बलौदाबाजार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
269	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	नायक गली लटुवा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
270	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	दशरमा पानी टंकी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
271	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सकरी बजरंग चौक	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
272	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	रिसदा शेरा घर	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
273	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मिशन परसाभदेर	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
274	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सोनपुरी सरपंच घर	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
275	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	भरसेला बड़ा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
276	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	पिपराही	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
277	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	नयापारा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
278	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	अमलकुंडा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
279	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	खपरी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
280	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	अमलीडीह	–	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
281	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	करदा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
282	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सेमरिया	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
283	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	चगोरी	–	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
284	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	खम्हारडीह	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
285	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	छेरकापुर	–	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
286	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	गाड़ाभाठा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
287	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	तेलासी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
288	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	मेहगांव	–	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
289	बलौदाबाजार – भाटापारा	पलारी	बलौदाबाजार	मुडीयाडीह	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
290	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	कचलोन	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
291	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बनसांकरा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
292	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	कामता	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
293	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	खैरघट	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
294	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बिनैका	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
295	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चुचरूंगपुर	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
296	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	चोरहानवागांव	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
297	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	लिमतरा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
298	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	तोरा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए 25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
299	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	तरपोंगा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
300	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	रानीजरौद	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
301	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	खपरी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
302	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	सकलोर	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
303	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	हिरमी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
304	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	झीपन	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
305	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	भैंसा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
306	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	नेवधा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
307	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	मुड़पार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
308	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	कोलिहा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
309	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	गोरदी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
310	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कोडापार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
311	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गोढी टी	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
312	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	धुर्राबांधा	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
313	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मुडीपार	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
314	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सेमरिया	–	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

315	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सेमरियाघाट	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
316	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कडार	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
317	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कैंथी	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
318	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सिलवा	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
319	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कोनी	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
320	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	लालपुर	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
321	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बिटकुली	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
322	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	धनेली	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
323	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	भोथीडीह	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
324	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गुडाघाट	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
325	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	मोपकी	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
326	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	किरवाई	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
327	बलौदाबाजार – भाटापारा	सिमगा	भाटापारा	बुचीपार (नहर पार)	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
328	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	देवरानी	—	2X63 के.व्हीए से 2X100 के.व्हीए
329	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	भरतपुर	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
330	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सक्ती वार्ड	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
331	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	—	100 के.व्हीए से 200 के.व्हीए 63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
332	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	परशुराम वार्ड	—	100 के.व्हीए से 200 के.व्हीए
333	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	स्टेशन वार्ड	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
334	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	लाल बहादूर शास्त्री वार्ड	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
335	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	संत माता कर्मा वार्ड	—	2X63 के.व्हीए से 2X100 के.व्हीए
336	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सिविल लाईन लाल बहादूर शास्त्री वार्ड	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
337	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	जनपद ऑफिस	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
338	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गॉधी मंदिर वार्ड	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
339	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कड़ार	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
340	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	दतरेंगी	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
341	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	खोलवा	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
342	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बगबुड़वा	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
343	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	कोटमी	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
344	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	धौराभाठा	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
345	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गुड़ेलिया	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
346	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	साक्षी मंगलम के पास	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
347	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	परदेशी हॉटल के पास	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
348	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सिविल कोर्ट	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
349	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बघेल नगर	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
350	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	सक्ती वार्ड	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
351	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	रामसागरपारा	—	100 के.व्हीए से 200 के.व्हीए
352	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	बंगाली कॉलोनी	—	100 के.व्हीए से 200 के.व्हीए
353	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	भाटापारा	गोढी (टी)	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
354	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	रूनझुनी	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
355	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	कुरमाझर	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
356	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	मेटकुला	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
357	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	पकरीद	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
358	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	चेचरापाली (बस्ती)	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
359	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	नरधा (बस्ती)	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
360	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	गनियारी (बस्ती)	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
361	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	चांदन (बस्ती)	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
362	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	छाता (बस्ती)	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
363	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	निठोरा (बस्ती)	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
364	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	नरधा	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
365	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	लुकापाली	—	25 के.व्हीए से 63 के.व्हीए
366	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	कसडोल	छेछर	—	63 के.व्हीए से 100 के.व्हीए
	कुल:–			ग्राम:– 366	272	147

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग

परिशिष्ट - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 139) की जानकारी

प्रपत्र

खनिज विभाग द्वारा की गई जांच एवं कार्यवाही का विवरण –

क्र0	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	01.08.2023	श्री गोकुल ध्रुव ग्राम पंचायत कुकुरदी, तहसील बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा	मेसर्स ईमामी सीमेंट रिसदा कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग कर पत्थर टुकड़ा और मलबा खेत में जा गिरता है। जिसकी क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्रदाय करने हेतु	न्यू विस्टा सीमेंट कंपनी द्वारा शासकीय गाईड लाईन के आधार पर किये गये आंकलन अनुसार 11,299/– रूपये मुआवजा राशि चेक क्र0 024106, दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।
2.	11.03.2025	श्री गोकुल ध्रुव ग्राम पंचायत कुकुरदी, तहसील बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा	मेसर्स ईमामी सीमेंट रिसदा कंपनी द्वारा किये जा रहे ब्लास्टिंग से फसल का नुकसान होने का लेख करते हुए कंपनी की ओर से क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाए जाने हेतु	कलेक्टर न्यायालय बलौदाबाजार भाटापारा के आदेश दिनांक 06.06. 2024 के अनुसार आवेदक को 06 माह के भीतर अनावेदक न्यू विस्टा सीमेंट रिसदा को उक्त जमीन बिक्री करने हेतु समय प्रदान किया गया था, परन्तु आवेदकगण में आपसी असहमति के कारण जमीन बिक्री नहीं किया गया। कंपनी के द्वारा 6,23,680/– रूपये चेक क्रमांक 574109, दिनांक 28.05. 2014 के माध्यम से आवेदकगण को बतौर अग्रिम राशि प्रदान की गई है।
3.	06.08.2025	श्री प्रमोद कुमार साहू ग्राम कुकुरदी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा	ब्लास्टिंग के कारण पत्थर गिरने से फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा राशि प्रदाय करने हेतु	प्रक्रियाधीन है।
4.	06.08.2025	श्री संतोष साहू ग्राम कुकुरदी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा	ब्लास्टिंग के कारण पत्थर गिरने से फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा राशि प्रदाय करने हेतु	कंपनी द्वारा मुआवजा राशि 55,800/– रूपये दिनांक 22.06.2026 को प्रदाय की जा चुकी है।

क्र0	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
5.	06.08.2025	श्री हीरालाल साहू ग्राम कुकुरदी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा	ब्लास्टिंग के कारण पत्थर गिरने से फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा राशि प्रदाय करने हेतु	कंपनी द्वारा मुआवजा राशि 8,707/- रूपये दिनांक 22.06.2026 को प्रदाय की जा चुकी है।

राजस्व विभाग (सिमगा) द्वारा की गई जांच एवं कार्यवाही का विवरणः-

क्र0	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2026	श्री धनंजय पिता कोनु सतनामी ग्राम पौंसरी तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा	औद्योगिक इकाई लाला पाईप लाईन ग्राम पौंसरी तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा स्थित कंपनी के गंदे पानी एवं धुए प्रभावित कृषक को फसल क्षति मुआवजा राशि प्रदाय करने ।	प्रभावित कृषक श्री धनंजय पिता कोनु को 1,06,605/- रूपये क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान किया गया हैं।
2.	2026	श्री चैतराम पिता माखन ग्राम पौंसरी तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा	औद्योगिक इकाई लाला पाईप लाईन ग्राम पौंसरी तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा स्थित कंपनी के गंदे पानी एवं धुए प्रभावित कृषक को फसल क्षति मुआवजा राशि प्रदाय करने ।	प्रभावित कृषक श्री चैतराम पिता माखन को 40,273/- रूपये क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान किया गया हैं।

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
17:22:32

परिशिष्ट - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 140) की जानकारी

प्रपत्र– अ

तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनायें:–

सामाजिक सुरक्षा योजना

1. सहायता अनुदान :–

- **राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना** :– तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के मुखिया को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना संचालित है।
- **प्रावधान:–**

क्र.	विवरण	देय राशि (रू.में)	
		आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक	आयु 50 वर्ष पूर्ण से 59 वर्ष तक
1	2	3	4
(i)	सामान्य मृत्यु की स्थिति में	2,00,000.00	30,000.00
(ii)	दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में	4,00,000.00	75,000.00
(iii)	स्थायी विकलांगता की स्थिति में	2,00,000.00	75,000.00
(iv)	आंशिक विकलांगता की स्थिति में	1,00,000.00	37,500.00

- **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ संचालित)** – तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त पंजीकृत परिवार के अन्य सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छ. ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है।
- **प्रावधान:–**

क्र.	विवरण	देय राशि (रू.में)
		18 से 60 वर्ष
1	2	3
(i)	आकस्मिक/सामान्य मृत्यु की स्थिति में	12000.00

- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों हेतु समूह बीमा:**– प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराया जाता है।
- **प्रावधान:–**

क्र.	विवरण	देय राशि (रू.में)
		18 से 60 वर्ष
1	2	3
(i)	आकस्मिक/सामान्य मृत्यु की स्थिति में	100000.00

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

- **फड़मुंशियों का समूह बीमाः**— प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फड़मुंशियों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराया जाता है।

- **प्रावधानः**—

क्र.	विवरण	देय राशि (रू.में)
		18 से 60 वर्ष
1	2	3
(i)	आकस्मिक / सामान्य मृत्यु की स्थिति में	100000.00

2- शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसै मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर—व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है, विवरण निम्नानुसार हैः—

- **प्रावधानः**—

क	योजना का नाम	कक्षा / कोर्स	पात्रता	राशि
1	2	3	4	5
1.	मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरूस्कार योजना	10वी एवं 12वी	शैक्षणिक वर्ष मे प्रा.ल.वनो.सह. समिति अंतर्गत सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र व छात्रा ।	कक्षा 10वी मे राशि रू.—2,500 / — कक्षा 12वी मे राशि रू.—3000 / —
2.	प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रोत्साहन शिक्षा योजना	10वी एवं 12वी	शैक्षणिक वर्ष मे प्रा.ल.वनो.सह. समिति अंतर्गत 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को।	कक्षा 10वी मे राशि रू.15,000 / — कक्षा 12वी मे राशि रू.25,000 / —
3.	व्यावसायिक कोर्स के लिए छात्रवृत्ति योजना	इंजिनियरिंग, मेडिकल,विधि, एम.बी.ए. या नर्सिंग कोर्स	प्रत्येक प्रा.ल.वनो.सह. समिति अंतर्गत एक विद्यार्थी जिसने किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मे व्यवसायिक कोर्स मे प्रवेश लिया हो।	प्रथम वर्ष राशि रू. 10,000 / — द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष राशि रू. 5000 / — कुल राशि रू. 25,000 / —
4.	गैर—व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना	बी.ए.,बी. कॉम,बी.एस. सी.	प्रत्येक प्रा.ल.वनो.सह. समिति अंतर्गत एक छात्र एवं एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मे गैर—व्यवसायिक कोर्स मे प्रवेश लिया हो।	प्रथम वर्ष राशि रू. 5,000 / — द्वितीय वर्ष राशि रू. 4,000 / — तृतीय वर्ष राशि रू. 3,000 / — कुल राशि रू. 12000 / —

* प्रा.ल.वनों. सह. समिति अर्थात प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति ।

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र– ब

कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, कवर्धा

विषय – वन सुरक्षा समिति, लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े मजदूरों/संग्राहकों को प्रदत्त सुविधाएं

क.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	विकास खंड का नाम	योजना का नाम: तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक		तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस)		लघु वनोपज संग्रहण		राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना		संघ संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना		व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति		गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति		मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार		प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन		कुल लाभांवित हितग्राही संख्या	कुल भुगतान राशि रू.
				लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.	लाभा.	राशि रू.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	कवर्धा	01 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024	बोड़ला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2			स.लोहारा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3			पंडरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1		01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025	बोड़ला	19090	108843075.00	0	0	130	2329797.50	41	6600000	5	60000	1	10000	13	65000	32	87500	92	1700000	19404	119695372.50
2			स.लोहारा	7056	38525630.00	0	0	395	19737580.00	24	4520000	0	0	1	10000	8	40000	16	44000	47	915000	7547	63792210.00
3			पंडरिया	9670	57395635.00	0	0	200	8595425.00	11	1440000	14	168000	1	10000	2	10000	8	22000	25	435000	9931	68076060.00
4		01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026	बोड़ला	18342	118858135.00	0	0	5	337500.00	31	5145000	20	240000	1	10000	11	54000	27	72500	117	2105000	18554	126822135.00
5			स.लोहारा	6159	48364800.00	0	0	14	1399500.00	11	2060000	4	48000	0	0	6	30000	16	44000	76	1500000	6286	53446300.00
6			पंडरिया	9840	61585507.50	0	0	21	1438425.00	13	2090000	6	72000	0	0	1	5000	8	21500	43	815000	9932	66027432.50
	: : योग : :			70157	433572782.50	0	0	765	33838227.50	131	21855000	49	588000	4	40000	41	204000	107	291500	400	7470000	71654	497859510.00

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - पैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 150) की जानकारी

15.06.2026 की स्थिति में (प्रभावशील तिथि 01.07.2025 से 30.06.2026 तक) छत्तीसगढ़ के वितरण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं हेतु लागू बिजली दरों का उपभोक्ता के प्रकारवार विवरण

1. निम्न दाब उपभोक्ताः **प्रपत्र–अ**

टैरिफ श्रेणी	उपभोक्ता का वर्ग	यूनिट स्लैब	नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति केडब्ल्यूएच)
एलवी–1	घरेलू			
	बीपीएल उपभोक्ता सहित घरेलू उपभोक्ता	0–100 यूनिट	रू. 20/– प्रति कि.वा. प्रति माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. तक	4.10
		101–200 यूनिट		4.20
		201–400 यूनिट	रू. 30/– प्रति कि.वा. प्रति माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. से अधिक और 10 कि.वा. तक	5.60
		401–600 यूनिट		6.60
		601 एवं उससे अधिक यूनिट	रू. 40/– प्रति कि.वा. प्रति माह स्वीकृत भार 10 कि.वा. से अधिक	8.30
एलवी–2	गैर–घरेलू उपभोक्ता			
एलवी–2.1	सिंगल फेस गैर–घरेलू (5 किलोवाट तक)	0–100 यूनिट	रू.50 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.30
		101–400 यूनिट		7.30
		401 एवं उससे अधिक यूनिट		8.70
एलवी–2.2	थ्री फेस गैर–घरेलू			
(अ)	15 किलोवाट तक	0–400 यूनिट	मांग प्रभार– बिलिंग डिमांड पर रू.120/कि.वा./माह	7.30
		401 एवं उससे अधिक यूनिट		8.70
(ब)	15 किलोवाट से अधिक	सभी यूनिटों पर	मांग प्रभार – बिलिंग डिमांड पर रू. 200/कि.वा./माह	8.00
एलवी–2.3	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	सभी यूनिटों पर	निरंक	7.02
एलवी–3	एल.वी. कृषि	–	रू.100/एचपी/माह	5.80
एलवी–4	एल.वी. कृषि सहवर्ती कार्य			
एलवी–4.1(अ)	25 एचपी तक	–	रू.100 प्रति एचपी प्रति माह या रू.134 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.80
एलवी–4.1(ब)	25 एचपी से अधिक	–	रू.110 प्रति एचपी प्रति माह या रू.147 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.35
एलवी–4.2	मांग आधारित टैरिफ संविदा मांग 15 किलोवाट से अधिक	–	रू.200 प्रति कि.वा. प्रति माह बिलिंग डिमांड पर	6.55
एलवी–5	निम्नदाब उद्योग			
एलवी–5.1	फ्लोर मिल, हॉलर, पावरलूम, मसाला ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडर्स, टेर्राकोटा, हेण्डलूम, हेंडीक्राफ्ट, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, न्यून वन उत्पाद 25 एचपी या 18.7 कि.वा. तक	–	रू.80/कि.वा./माह बिलिंग डिमाण्ड पर	5.05
(अ)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण*	–	रू.80/कि.वा./माह बिलिंग डिमाण्ड पर	4.55

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

एलवी–5.2	अन्य उद्योग			
एलवी–5.2.1	25 एचपी या 18.7 कि.वा. तक	--	रू.120 / कि.वा. / माह बिलिंग डिमाण्ड पर	6.05
(अ)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण*	–	रू.100 / कि.वा. / माह बिलिंग डिमाण्ड पर	5.05
एलवी–5.2.2	25 एचपी से अधिक (18.7 कि.वा.)	–	रू.150 / कि.वा. / माह बिलिंग डिमाण्ड पर	6.80
(अ)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण*	–	रू.130 / कि.वा. / माह बिलिंग डिमाण्ड पर	6.30
	* आदेश दिनांक अगस्त 22, 2005 द्वारा अधिसूचित।			
एलवी–6	जन उपयोगिता	–	रू. 142 / एचपी / माह या रू. 190 / कि.वा. / माह	7.35
एलवी–7	सूचना प्रौद्योगिकी और निर्यातोन्मुखी वस्त्र उद्योग (न्यूनतम अनुबंधित भार 50 कि.वा.)	–	रू. 150 / कि.वा. / माह	6.05
एलवी–8	अस्थायी कनेक्शन	यह श्रेणी उन विद्युत संयोजनों के लिए है जो अस्थायी प्रकृति के है। अस्थायी कनेक्शनो हेतु ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार की दरें संबंधित उपभोक्ता श्रेणी हेतु लागू दरों का 1.5 गुना है। घरेलू एवं गैरघरेलू कनेक्शनों हेतु ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार की दरें संबंधित उपभोक्ता श्रेणी हेतु लागू दरों का 1.25 गुना है। तथापि अस्थायी कृषि पंप कनेक्शनों हेतु यह दर स्थायी एलवी–3 कृषि पंप हेतु लागू सामान्य दरों के समतुल्य है।		

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

2. उच्च दाब उपभोक्ताः

टैरिफ क्र.	उपभोक्ता का वर्ग	सप्लाई वोल्टेज	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार
			रू./केव्हीए/माह	रू./केव्हीएएच
एचवी–1	रेलवे ट्रेक्शन	132/220 केव्ही	375	5.55
एचवी–2	खदान	220 केव्ही सप्लाई	500	6.95
		132 केव्ही सप्लाई	500	7.10
		33 केव्ही सप्लाई	500	7.50
		11 केव्ही सप्लाई	500	7.80
एचवी–3	अन्य उद्योग एवं सामान्य प्रयोजन गैर औद्योगिक	220 केव्ही सप्लाई	375	6.65
		132 केव्ही सप्लाई	375	6.80
		33 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर >15%)	375	7.20
		33 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर <=15%)*	190	7.40
		11 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर >15%)	375	7.60
		11 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर <=15%)*	190	7.90
एचवी–4	स्टील इण्डस्ट्रीज	220 केव्ही सप्लाई	375	6.10
		132 केव्ही सप्लाई	375	6.25
		33 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर >15%)	375	6.65
		33 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर <=15%)	190	7.15
		11 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर >15%)	375	6.75
		11 केव्ही सप्लाई (लोड फैक्टर <=15%)	190	7.55
	* सीएसपीडीसीएल से 100 प्रतिशत सप्लाई लेने वाले उपभोक्ताओं हेतु लागू होगा।			
एचवी–5	सिंचाई तथा कृषि सहवर्ती संबंधी उद्योग एवं जल प्रदाय	–	375	6.60
एचवी–6	आवासीय	–	375	6.80
एचवी–7	स्टार्ट अप पॉवर टैरिफ	400/220/132/33/ 11 केव्ही	200	9.10
एचवी–8	नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत उत्पादन के लिये उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योग	220/132/33/11 केव्ही	130	4.95
एचवी–9	सूचना प्रौद्योगिकी और निर्यातोन्मुखी वस्त्र उद्योग	–	150	5.05
एचवी–10	अस्थायी कनेक्शन	यह श्रेणी उन विद्युत संयोजनों के लिए है जो अस्थायी प्रकृति के है। अस्थायी कनेक्शनो हेतु ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार की दरें संबंधित उपभोक्ता श्रेणी हेतु लागू दरों का 1.5 गुना है।		
एचवी–11	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन		निरंक	6.32

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र–ब

घरेलू, कृषि एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बिजली दरों में प्रदान की जा रही छूट का विवरण

1/ बी.पी.एल. उपभोक्ता–

1.1 बी.पी.एल. श्रेणी के घरेलु उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट निःशुल्क विद्युत खपत की सुविधा प्रदान की गई है।

1.2 बी.पी.एल. श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 31 यूनिट से 100 यूनिट तक मासिक खपत करने पर 30 यूनिट से अधिक खपत पर मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत् ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार एवं फ्यूल एण्ड पॉवर परचेस सरचार्ज पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

2/ घरेलू उपभोक्ता–

2.1 मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत राज्य के सभी अन्य घरेलु उपभोक्ताओं को उनके द्वारा प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की खपत पर प्रथम 200 यूनिट के बिल में समाहित ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार एवं फ्यूल एण्ड पॉवर परचेस की कुल देय राशि का 50 प्रतिशत की छूट लाभ दिया जा रहा है एवं माह में 400 यूनिट से अधिक खपत अथवा 06 माह से अधिक अवधि का बिजली बिल बकाया होने पर मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना की पात्रता नहीं रहेगी।

2.2 टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार सभी निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर किराये से छूट है।

3/ गैर–घरेलू उपभोक्ता–

3.1 ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान निम्न प्रयोजनों पर लागू होगाः–

3.1.1 पंजीकृत महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रयोजनों पर।

3.1.2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों एवं बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 22 अगस्त 2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित निजी क्लिनिकों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स जिसमें एक्सरे प्लांट, डायग्नोस्टिक सेंटर और पेथॉलाजीकल लेब शामिल हैं।

3.2 22 अगस्त 2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में स्थापित मोबाईल टॉवरों के ऊर्जा प्रभार पर 25 प्रतिशत छूट प्रदत्त होगा।

4/ कृषि विद्युत कनेक्शनों के उपभोक्ता

4.1 डा. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना के तहत कृषकों के 5 एचपी तक कृषि पंप कनेक्शन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को संपूर्ण वार्षिक खपत पर तथा अन्य वर्ग के कृषकों को 3 एच.पी. क्षमता तक 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 एच.पी. क्षमता तक के पंपों पर 7500 यूनिट प्रतिवर्ष निःशुल्क बिजली प्रदाय की जा रही है।

उल्लेखित छूट के अतिरिक्त योजना के तहत कृषि सिंचाई पंपों हेतु फ्लैट रेट विकल्प की भी सुविधा प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार कृषकों को फ्लैट रेट विकल्प चयन करने पर 5 एच.पी. क्षमता तक के प्रथम पंप पर रूपये 100 प्रति एच.पी. प्रतिमाह का विकल्प है। इसके अतिरिक्त अन्य पंपों पर फ्लैट रेट का विकल्प निम्न तालिका अनुसार हैः–

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

क्र	पंप की क्षमता	फ्लैट रेट की दर
1	5 एच.पी. क्षमता तक द्वितीय पंप पर	रूपये 200 प्रति एच.पी. प्रतिमाह
2	5 एच.पी. से अधिक क्षमता के प्रथम एवं द्वितीय पंप पर	रूपये 200 प्रति एच.पी. प्रतिमाह
3	5 एच.पी. तक के एवं 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर	रूपये 300 प्रति एच.पी. प्रतिमाह

4.2 गैर सहायता प्राप्त कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार पर 40 प्रतिशत के छूट की अनुमति का प्रावधान है।

5/ उद्योग / उच्च दाब उपभोक्ता

5.1 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित, निम्नदाब उद्योगों के लिए टैरिफ श्रेणी के अंतर्गत निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के ऊर्जा प्रभार पर 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।

5.2 ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान निम्न प्रयोजनो पर लागू है:

5.2.1 पंजीकृत महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा संचालित औद्योगिक प्रयोजनों पर।

5.2.2 पोहा और मुरमुरा मिलों पर।

5.3 ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान छत्तीसगढ शासन द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी क्लिनिक, अस्पताल, नर्सिंग होम जिनमें डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे प्लांट और पेथालॉजी लेब शामिल है और बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सभी क्षेत्र जो आदेश दिनांक 22 अगस्त 2005 द्वारा अधिसूचित हैं पर लागू है।

5.4 स्टील उद्योग (एचवी–4):– "बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" (दिनांक 22 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित) और "सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" (दिनांक 22 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा अधिसूचित) में स्थित तथा 132 के.वी. से अधिक वोल्टेज स्तर पर स्थित उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार पर 7 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जबकि 132 के.वी. और उससे कम वोल्टेज स्तर पर स्थित ऐसे उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार दर पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदत्त है।

5.5 स्टार्ट–अप पॉवर टैरिफ (एचवी–7):– सभी लघु/मिनी–माईक्रो पन बिजली उत्पादको को उत्पादन संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से प्रथम पांच वर्ष की अवधि में मांग प्रभार के भुगतान की छूट का प्रावधान है।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - छैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 153) की जानकारी

प्रपत्र

(पेड़ों की अवैध कटाई एवं लकड़ी व तेन्दूपत्ता की तस्करी की शिकायतों पर कार्यवाही)

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	जिले का नाम	अवैध कटाई एवं तस्करी के प्राप्त शिकायतें स्थान सहित	प्राप्त शिकायत में काटे गये वृक्षों की संख्या प्रजातिवार स्थान सहित	अवैध कटाई एवं तस्करी के शिकायत के दर्ज प्रकरण में जप्त वनोपज एवं जप्त वाहन					प्रकरण में प्राप्त शिकायत में दोषियों, संस्थाओं के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण				प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
						काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (चट्टे में)	बल्ली (नग में)	जप्त वाहन (प्रकार सहित)	राजस्व की हानि (राशि रू. में)	अभिसंधानित	प्रकियाधीन	न्यायालय में प्रस्तुत	अर्थदंड एवं मातजा महसूल की राशि (रू. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2024	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शिकायतकर्ता- **श्री चंदू कोसरे, ग्राम-मड़ौदा** शिकायत- खैरागढ़ परिक्षेत्रांतर्गत ग्राम मड़ौदा नदी किनारे अर्जुन एवं बबूल के वृक्षों की अवैध कटाई।	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	शिकायत की जॉच में स्थल पर कोई अवैध कटाई होना नहीं पाया गया। शिकायत निराधार होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया।
2	2024	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शिकायतकर्ता- **श्री संजय कश्यप, राजनांदगॉव** शिकायत- खैरागढ़ परिक्षेत्रांतर्गत अवैध कटाई।	सागौन- 12, अन्य मिश्रित- 53 **योग-65 ठूंठ**	0.274	—	—	निरंक	7,220	अभिसंधानित (कुल 07 पी.ओ.आर. पंजीबद्ध किये गये हैं) (1) POR No. 56/3474 Dt. 20-04-2024 (2) POR No. 56/3475 Dt. 25-05-2024 (3) POR No. 19872/04 Dt. 25-06-2024 (4) POR No. 19884/01 Dt. 24-09-2024 (5) POR No. 19884/02 Dt. 23-10-2024 (6) POR No. 19884/03 Dt. 10-11-2024 (7) POR No. 19884/04 Dt. 28-11-2024	—	—	—	निरंक	क्षेत्रीय अमले से स्पष्टीकरण लिया गया। वस्तुस्थिति अनुसार बीट क्षेत्र से लगे ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा अपनी निस्तार आपूर्ति हेतु यदाकदा की गई छुटपुट कटाई के परिणाम स्वरूप उक्त कटाई होना परिलक्षित होता है, जिस पर संज्ञान लेते हुये बीट निरीक्षण के दौरान कार्यवाही की गई है। काफी पुराने ठूंठों पर हैमर निशान एवं पी.ओ.आर. नंबर स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होना प्राकृतिक/स्वाभाविक रूप से मान्य किये जाने योग्य है। प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संरक्षण/6593 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित करते हुये सूचना मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग को पृष्ठांकित की गई है। प्रकरण जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नस्तीबद्ध किया गया।

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	जिले का नाम	अवैध कटाई एवं तस्करी के प्राप्त शिकायतें स्थान सहित	प्राप्त शिकायत में काटे गये वृक्षों की संख्या प्रजातिवार स्थान सहित	अवैध कटाई एवं तस्करी के शिकायत के दर्ज प्रकरण में जप्त वनोंपज एवं जप्त वाहन					प्रकरण में प्राप्त शिकायत में दोषियों, संस्थाओं के विरूद्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण				प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व की गई कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
						काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (चट्टे में)	बल्ली (नग में)	जप्त वाहन (प्रकार सहित)	राजस्व की हानि (राशि रू. में)	अभिसंधानित	प्रकियाधीन	न्यायालय में प्रस्तुत	अर्थदंड एवं मावजा महसूल की राशि (रू. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	2026	खैरागढ़	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	शिकायतकर्ता – **गुप्त** शिकायत – ग्राम चांदगढ़ी में पेड़ कटाई को रोकने हेतु आवेदन।	बबुल 10 नग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	शिकायत की जॉच में ग्राम चादगढी के समीप शासकीय घास भूमि पर ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर 10 नग बबूल वृक्षों की कटाई किया जाना पाया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./स्टेनो/1772 दिनांक 22.05.2026 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) खैरागढ़ को प्रेषित किया गया है।
4	2026	खैरागढ़	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	**हरिभूमि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर** फारेस्ट अफसरों के इशारे पर ठाकुरटोला परिक्षेत्र में सागौन की अंधाधुंध कटाई के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही	—	—	—	—	—	—	—	प्रकियाधीन	—	—	—	जॉच हेतु उपवनमंडल अधिकारी गंडई को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1254 दिनांक 11.05.2026 के द्वारा निर्देशित किया गया है। जॉच कार्यवाही प्रगति पर है।

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	जिले का नाम	अवैध कटाई एवं तस्करी के प्राप्त शिकायतें स्थान सहित	प्राप्त शिकायत में काटे गये वृक्षों की संख्या प्रजातिवार स्थान सहित	अवैध कटाई एवं तस्करी के शिकायत के दर्ज प्रकरण में जप्त वनोंपज एवं जप्त वाहन					प्रकरण में प्राप्त शिकायत में दोषियों, संस्थाओं के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण				प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
						काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (चट्टे में)	बल्ली (नग में)	जप्त वाहन (प्रकार सहित)	राजस्व की हानि (राशि रू. में)	अभिसंधानित	प्रकियाधीन	न्यायालय में प्रस्तुत	अर्थदंड एवं माकजा महसूल की राशि (रू. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	2026	खैरागढ़	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	शिकायतकर्ता– **विभागीय अमले द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया** परिसर भुजारी, उपवृत्त भोथली, परिक्षेत्र छुईखदान अंतर्गत खम्हारडीह क्षेत्र, वन कक्ष क्रमांक 239 RF में अवैध कटाई	तिन्सा–433, साजा–180, हल्दू मुंडी – 02 नग अन्य–725 नग **योग – 1340 नग**	53.772	72	267	जे.सी.बी वाहन क्रमांक CG-04-QB-9368	अवैध कटाई के ठूंठ, एवं स्थल पर प्राप्त काष्ठ के मापन उपरांत राजस्व की हानि निरंक है।	—	प्रकरण में मुख्य आरोपी दौलत सिंह चंदेल तथा कटाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल आत्माराम, देवकुमार, दशरथ तथा परऊ को दिनांक 11.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अवैध कटाई में प्रयुक्त जे.सी.बी. वाहन सी.जी.04, क्यू.बी. 9368 को जप्त कर राजसात की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रकरण में मुख्य गवाह विष्णुराम आ. उमेद सिंह, कमला वल्द तिरिथ गोंड तथा जे.सी.बी. मालिक दिलीप वर्मा निवासी–विक्रमपुर का माननीय न्यायालय खैरागढ़ के समक्ष दिनांक 19.06.2026 को कलमबद्ध बयान दर्ज कराया गया। प्रकरण मे न्यायलयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	—	प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अर्थदंड निर्धारण की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा अथवा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप की जा सकेगी।	अवैध कटाई के प्रकरण में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप क्षेत्र में पदस्थ श्री डेमनसिंह पद्माकर उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक भोथली एवं श्री ताराचंद यादव, वनरक्षक परिसर रक्षक भुजारी को निलंबित किया गया है। श्री अशोक कुमार वैष्णव, वनक्षेत्रपाल (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2026) तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी छुईखदान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षमतानुसार आरोप पत्र जारी किये जाने का प्रस्ताव एवं उपवनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के विरूद्ध कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को कार्यालयीन पत्र क्र/4417, दिनांक 26.05.2026 एवं पत्र क्र/4424, दिनांक 26.06.2026 प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	वन अपराध प्रकरण क्रमांक 19998/16 दिनांक 26.05.2026 में विवेचना/ न्यायालयीन कार्यवाही प्रगति पर है।
योग					1415	54.046	72	267	1	7,220						

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 170) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ में वर्ष 2024–25 से जून 2026 तक संचालित स्टोन केशर खदान एवं क्रेशर प्लान्ट तथा रेतघाट की जानकारी :–

(अ) उत्खननपट्टा के भीतर स्थित क्रेशर की जानकारी :–

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	रकबा (हेक्ट. में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	लीज अवधि/ वैद्यता अवधि	पर्यावरण स्वीकृति जारी पत्र क्रमांक/ दिनांक	पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	उत्पादन हेतु अनुमोदित मात्रा टन में	वर्षवार वास्तविक उत्पादन (टन में)			रिमार्क
										वित्तीय वर्ष 2024–25 में	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27 में मई 2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रीमती सविता अग्रवाल पति श्री नरेश अग्रवाल निवासी लैलूंगा, जिला रायगढ़(छ.ग.)	ग्राम कुपाकानी , तहसील लैलूंगा	0.728	साधारण पत्थर	18 / 12.01. 2001	29.08.2001 से 28.08.2031 तक	27 / 24. 10.2016	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2025 अनुसार आगामी निर्णय तक वैधता मान्य	10081	2869	4866	852	माह जून का मासिक पत्रक वर्तमान में अप्राप्त है। दिनांक

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	रकबा (हेक्ट. में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	लीज अवधि/ वैद्यता अवधि	पर्यावरण स्वीकृति जारी पत्र क्रमांक/ दिनांक	पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	उत्पादन हेतु अनुमोदित मात्रा टन में	वर्षवार वास्तविक उत्पादन (टन में)			रिमार्क
										वित्तीय वर्ष 2024–25 में	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27 में मई 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	श्री उमेश अग्रवाल आ.स्व. दुलीचन्द अग्रवाल निवासी लेलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम मांझीआमा, तहसील लैलूंगा	0.960	साधारण पत्थर	04.04.2012	04.04.2012 से 03.04.2042 तक	27/24. 10.2016	किया गया है।	14613	246	54	344	10 जुलाई तक जमा किये जाने का प्रावधान है।
3	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, साईट ऑफिस प्रेमनगर, ग्राम – बायसी, तहसील	ग्राम सेमीपाली, तहसील धरमजयगढ़	1.520	साधारण पत्थर	27.11.2024	27.11.2024 से 26.11.2054 तक	111/04. 04.2024	27.11.2024 से 26.11.2054 तक (लीज अवधि तक)	250036	151812	19959	0	

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	रकबा (हेक्ट. में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	लीज अवधि/ वैद्यता अवधि	पर्यावरण स्वीकृति जारी पत्र क्रमांक/ दिनांक	पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	उत्पादन हेतु अनुमोदित मात्रा टन में	वर्षवार वास्तविक उत्पादन (टन में)			रिमार्क
										वित्तीय वर्ष 2024–25 में	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27 में मई 2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)												

(ब) पट्टा क्षेत्र के बाहर अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित क्रेशर की जानकारी :–

स. क्रं.	अनुज्ञापत्रधारी / संचालक का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	भण्डारण अनुज्ञप्ति अवधि / वैद्यता अवधि	जल एवं वायु सम्मति जारी पत्र क्रमांक, दिनांक	जल एवं वायु सम्मति की अवधि	भण्डारण क्षमता (एक समय में) टन में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मेसर्स शौर्य मिनरल्स यूनिट–1 प्रा. लिमि. डाय. श्री मयंक गर्ग, निवासी सिटी कोतवाली के सामने, रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम छोटे हरदी तहसील पुसौर	99 / 1, 99 / 6, 100 / 1, 100 / 2, 100 / 4, 101 / 1, 100 / 264 / 2, 100 / 264 / 3, 100 / 264 / 6	0.887	डोलोमाईट	918 / 22.05.2021	14.05.2021 से 13.05.2031 तक	2542 / 24.03.2023	01.06.2023 से 31.05.2028 तक	10050	
2	मेसर्स शौर्य मिनरलस यूनिट–2, डाय. श्री मयंक गर्ग, निवासी सिटी कोतवाली के सामने, रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम छोटे हरदी तहसील पुसौर	370 / 1, 370 / 2, 368 / 2, 368 / 3, 369 / 1	0.758	डोलोमाईट	917 / 22.05.2021	15.05.2021 से 14.05.2031 तक	282 / 28.04.2025	28.04.2025 से 30.06.2029 तक	10050	
3	मेसर्स शिवशंकर मिनरल्स, प्रो. श्रीमती खुशबू अग्रवाल निवासी सांई हेरिटेज कॉलोनी रायगढ़	ग्राम छोटे हरदी तहसील पुसौर	509 / 7	0.133	डोलोमाईट	2080 / 25.10.2021	30.01.2022 से 29.01.2032 तक	2413 / 31.12.2025	31.12.2025 से 30.06.2026 तक	5000	नवीनीकरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल जिला रायगढ़ में आवेदन प्रस्तुत । वर्तमान में क्रेशर संचालन बंद रखने हेतु नोटिस जारी किया गया

स. क्रं.	अनुज्ञापत्रधारी / संचालक का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	भण्डारण अनुज्ञप्ति अवधि / वैद्यता अवधि	जल एवं वायु सम्मति जारी पत्र क्रमांक, दिनांक	जल एवं वायु सम्मति की अवधि	भण्डारण क्षमता (एक समय में) टन में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											है।
4	मेसर्स अंशु ट्रेडर्स, प्रो. मंटू अग्रवाल, निवासी कालिन्दी कुंज रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग)	ग्राम छोटे हरदी तहसील पुसौर	509 / 8, 509 / 4	0.591	डोलोमाईट	1209 / 19. 05.2022	05.05.2017 से 04.05.2033 तक	239 / 29.04.2022	29.04.2022 से 30.11.2026 तक	6250	
5	श्री भरत कुमार मिरानी आ. स्व. श्री धीरज कुमार मिरानी निवासी खरसिया जिला रायगढ छ.ग.	ग्राम बानीपाथर तहसील खरसिया	372 / 2, 372 / 3, 372 / 6, 373 / 2, 373 / 3	0.432	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	4635 / 28. 10.2020	31.10.2020 से 30.10.2030 तक	1539 / 05.09.2023	05.09.2023 से 31.08.2028 तक	2250	
6	श्री राजेश कुमार अग्रवाल आ. श्री रामूलाल अग्रवाल निवासी खरसिया जिला रायगढ छ.ग.	ग्राम बानीपाथर तहसील खरसिया	591 / 1, 592 / 2, 592 / 2क, एवं 593	0.651	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	992 / 19. 04.2023	06.04.2023 से 05.04.2033 तक	2484 / 15.03.2023	15.03.2023 से 30.11.2027 तक	25000	

स. क्रं.	अनुज्ञापत्रधारी / संचालक का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	भण्डारण अनुज्ञप्ति अवधि / वैद्यता अवधि	जल एवं वायु सम्मति जारी पत्र क्रमांक, दिनांक	जल एवं वायु सम्मति की अवधि	भण्डारण क्षमता (एक समय में) टन में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	मेसर्स श्री मंगल स्टोन क्रेशर प्राय. लिमि. डाय. श्री महेश कुमार गर्ग निवासी खरसिया जिला रायगढ छ.ग.	ग्राम बानीपाथर तहसील खरसिया	371 / 1, 371 / 2, 371 / 3	0.202	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	1609 / 30.05.2023	29.04.2023 से 28.04.2033 तक	2377 / 02.03.2023	01.04.2023 से 31.03.2028 तक	10050	
8	मेसर्स एम.एस. माईन्स इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री मुरलीधर अग्रवाल निवासी खरसिया जिला रायगढ (छ.ग.)	ग्राम बानीपाथर तहसील खरसिया	63, 64 / 2,3,4,5,11,20,22ख एवं 66 / 1, 67 / 6,7 एवं 13	1.171	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	1495 / 20.05.2023	18.08.2021 से 17.08.2031 तक	2543 / 02.03.2022	02.03.2022 से 30.04.2026 तक	2800	वर्तमान में क्रेशर बंद है, नवीनीकरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल जिला रायगढ़ में आवेदन प्रस्तुत
9	मेसर्स आशु क्रेशर उद्योग प्रो. श्री प्रहलाद राय अग्रवाल आ. श्री बनवारी लाल अग्रवाल निवासी खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम भालूनारा तहसील खरसिया	205 / 4	2.023	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	1355 / 08.07.2021	15.06.2021 से 14.06.2031 तक	2490 / 09.01.2026	09.01.2026 से 30.11.2030 तक	2050	

स. क्रं.	अनुज्ञापत्रधारी / संचालक का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	भण्डारण अनुज्ञप्ति अवधि / वैद्यता अवधि	जल एवं वायु सम्मति जारी पत्र क्रमांक, दिनांक	जल एवं वायु सम्मति की अवधि	भण्डारण क्षमता (एक समय में) टन में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	अरविन्द स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री अभय महन्ती, निवासी ग्राम जामझोर, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम चोढा तहसील खरसिया	114	0.587	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	990 / 22.04.2022	31.01.2021 से 30.01.2031 तक	2339 / 22.12.2025	22.12.2025 से 31.10.2030 तक	2350	
11	बालाजी ट्रेडिंग कंपनी प्रो. श्री गिरधर गुप्ता निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम चोढा तहसील खरसिया	127 / 2,134,135	1.024	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	02 / 01.01.2021	07.11.2020 से 06.11.2030 तक	754 / 16.06.2023	16.06.2023 से 31.01.2028 तक	2000	
12	मेसर्स जय बालाजी क्रेशर उद्योग प्रो विंकल मित्तल निवासी मेन रोड लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम रूडकेला तहसील लैलूंगा	238 / 3	0.303	साधारण पत्थर	56 / 05.01.2022	10.03.2022 से 09.03.2032 तक	950 / 05.07.2023	01.07.2023 से 30.06.2028 तक	25050	
13	मेसर्स सूरज स्टोन क्रेशर लैलुंगा प्रो पवन कुमार निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम रूडकेला तहसील लैलूंगा	273 / 8	0.485	साधारण पत्थर	5265 / 24.10.2017	10.06.2017 से 09.06.2027 तक	2620 / 11.03.2020	11.03.2020 से 31.05.2026 तक	4050	जल एवं वायु सम्मति की अवधि समाप्त। क्रेशर बंद है।

स. क्रं.	अनुज्ञापत्रधारी / संचालक का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	भण्डारण अनुज्ञप्ति अवधि / वैद्यता अवधि	जल एवं वायु सम्मति जारी पत्र क्रमांक, दिनांक	जल एवं वायु सम्मति की अवधि	भण्डारण क्षमता (एक समय में) टन में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	श्री अनिल क्रेशर उद्योग निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम खम्हार तहसील लैलूंगा	204	0.316	साधारण पत्थर	5263 / 24.10.2017	11.09.2017 से 10.09.2027 तक	61 / 13.04.2023	13.04.2023 से 31.01.2028 तक	2050	
15	श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम गहनाझरीया तहसील लैलूंगा	617 / 2,3	0.548	साधारण पत्थर	66 / 13.01.2023	19.01.2023 से 18.01.2033 तक	1478 / 14.10.2022	14.10.2022 से 31.01.2028 तक	2050	
16	श्री विजयकुमार अग्रवाल निवासी पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.)	ग्राम नोनाईजोर तहसील धरमजयगढ़	501 / 93ख	0.162	साधारण पत्थर	2067 / 02.08.2023	10.05.2023 से 09.05.2033 तक	2409 / 17.02.2022	17.02.2022 से 28.02.2027 तक	5000	

(स) जिला रायगढ़ में संचालित रेत उत्खनिपट्टा की जानकारी :–

स.क्र.	उत्खनिपट्टाधारी / संचालक का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	स्वीकृति आदेश जारी क्रमांक एवं दिनांक	लीज अवधि / वैद्यता अवधि	पर्यावरण स्वीकृति जारी पत्र क्रमांक / दिनांक	पर्यावरण स्वीकृति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री नमो नारायण पटेल, निवासी–ग्राम उसरौट, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम उसरौट, तहसील रायगढ़	1	2.000	01 / 01.01.2024	12.01.2024 से 11.01.2029 तक	70 / 04.05.2026	25.09.2023 से 11.01.2029 तक

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026
19:25:24

परिशिष्ट - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 171) की जानकारी

'प्रपत्र'

पैक्स कम्प्यूटराईजेशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में अपेक्स बैंक द्वारा सिस्टम इंटिग्रेटर तथा हार्डवेयर वेंडर को किये गये भुगतान का विवरण

(दिनांक 31/03/2026 की स्थिति में)

वर्ष	एजेंसी का नाम	इनवाइस राशि	टीडीएस कटौती	एसजीएसटी टीडीएस @1%	सीजीएसटी टीडीएस @1%	पेनॉल्टी कटौत्रा (जीएसटी सहित)	भुगतान की गई राशि रूपये	भुगतान की तिथि
2023–24	नेक्टर इंफोटेल प्रा. लि.	46944884.00	1591352.00	397840.00	397840.00	0.00	**44557852.00**	01/12/2023 एवं 01/03/2024
	आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	28196572.00	955816.00	238955.00	238955.00	0.00	**26762846.00**	01/12/2023 एवं 07/03/2024
योग		**75141456.00**	**2547168.00**	**636795.00**	**636795.00**	**0.00**	**71320698.00**	
2024–25	नेक्टर इंफोटेल प्रा. लि.	82153548.00	1392433.00	696217.00	696217.00	1080993.00	**78287688.00**	20/07/2024 एवं 19/02/2025
	आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	49038322.00	831158.00	415579.00	415579.00	504834.00	**46871172.00**	20/07/2024 एवं 19/02/2025
	इनोवेटिव्यू इंडिया प्रा. लि.	173411645.00	2939182.00	1469593.00	1469593.00	0.00	**167533277.00**	17/09/2024, 19/09/2024 एवं 19/02/2025
योग		**304603515.00**	**5162773.00**	**2581389.00**	**2581389.00**	**1585827.00**	**292692137.00**	
2025–26	इनोवेटिव्यू इंडिया प्रा. लि.	39561000.00	670525.00	335263.00	335263.00	0.00	**38219949.00**	20/06/2025
	आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	305679.00	5181.00	2590.50	2590.50	0.00	**295317.00**	13/11/2025
	इनोवेटिव्यू इंडिया प्रा. लि.	24758686.00	419639.00	209819.00	209819.00	0.00	**23919409.00**	05/01/2026
	नेक्टर इंफोटेल प्रा. लि.	18412628.00	312079.00	156040.00	156040.00	0.00	**17788469.00**	29/01/2026
	आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	10967278.00	185886.00	92943.00	92943.00	0.00	**10595506.00**	29/01/2026
	नेक्टर इंफोटेल प्रा. लि.	17611522.00	298500.00	149251.00	149251.00	0.00	**17014520.00**	31/03/2026
	आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	10433207.00	176835.00	88417.00	88417.00	0.00	**10079538.00**	31/03/2026
	नेक्टर इंफोटेल प्रा. लि.	3585600.00	60773.00	30386.00	30386.00	0.00	**3464055.00**	31/03/2026
	आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	2390400.00	40515.00	20258.00	20258.00	0.00	**2309369.00**	31/03/2026
योग		**128026000.00**	**2169933.00**	**1084967.50**	**1084967.50**	**0.00**	**123686132.00**	
कुल योग 2023–24 से 2025–26 तक		**507770971.00**	**9879874.00**	**4303151.50**	**4303151.50**	**1585827.00**	**487698967.00**	
महायोग		**506185144.00**						

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
..., नया रायपुर

परिशिष्ट - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 175) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022 से 2025 दिसम्बर तक चिन्हित कर उनमें आवंटित नीलामी/निविदा जारी रेत खदानों की जानकारी एवं पर्यावरण स्वीकृति की जानकारी

कमांक	जिले का नाम	चिन्हित खदानो की संख्या	जारी निविदा की संख्या	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खदानों की संख्या	पंचायतों को स्वीकृत खदानों की संख्या	संचालन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	20	20	12	0	6
2	बलौदाबाजार	48	46	19	0	15
3	गरियाबंद	18	15	03	0	0
4	धमतरी	22	22	20	0	16
5	महासमुंद	12	12	07	0	7
6	राजनांदगांव	4	4	02	0	0
7	मोहला मानपुर	2	2	0	0	0
8	खैरागढ़	0	0	0	0	0
9	कबीरधाम	0	0	0	0	0
10	दुर्ग	0	0	0	0	0
11	बेमेतरा	2	2	0	0	0
12	बालोद	8	5	01	0	0
13	बस्तर	10	10	0	0	0
14	नारायणपुर	0	0	0	0	0
15	कांकेर	30	11	18	16	15
16	कोण्डागांव	0	0	0	0	0

17	दंतेवाड़ा	8	2	4	4	4
18	सुकमा	9	0	1	1	1
19	बीजापुर	11	3	5	5	5
20	बिलासपुर	17	12	9	2	4
21	गौरला पेण्ड्रा मरवाही	8	5	0	3	0
22	मुंगेली	3	3	0	0	0
23	कोरबा	20	2	18	18	16
24	जांजगीर चांपा	20	19	12	0	11
25	सक्ती	10	10	5	0	4
26	रायगढ़	16	15	5	0	0
27	सारंगढ़	7	7	3	0	0
28	सरगुजा	9	4	4	3	3
29	जशपुर	13	5	5	2	2
30	बलरामपुर	30	7	4	6	4
31	सूरजपुर	14	10	3	4	3
32	कोरिया	2	2	1	0	0
33	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	11	4	4	4	4

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
10:54:39

परिशिष्ट - सत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 177) की जानकारी

प्रपत्र – "अ"

स.क्र.	रेत खदान का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	पट्टा अवधि	पर्यावरण सम्मति अनुसार उत्खनन हेतु अनुमोदित मात्रा (घ.मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम पंचायत प्रतापगढ़	5.00	12.03.2024 से 11.03.2029 तक	47,800
2	ग्राम पंचायत जजगा	5.00	12.03.2024 से 11.03.2029 तक	49,900
3	ग्राम पंचायत मोहनपुर	2.00	16.12.2024 से 15.12.2029 तक	12,000

M. K. Choubey
Section Officer
Mining Resources Deptt.
Mantralaya, Chhattisgarh

प्रपत्र – "ब"

स. क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पूर्ण पता	अनुज्ञप्ति स्थल (ग्राम /तहसील)	रकबा (हेक्टेयर में)	अनुज्ञप्ति की अवधि	भण्डारण क्षमता (टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती संगीता अग्रवाल	सोनतराई, सीतापुर	0.447	06.06.2020 से 05.06. 2030 तक	6050
2	श्रीमती साधना अग्रवाल	राधापुर, सीतापुर	1.100	03.06.2022 से 02.06. 2032 तक	10000
3	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	रजौटी, सीतापुर	0.3880	03.01.2025 से 02.01. 2035 तक	5000
4	ए.डी एण्ड कंपनी पार्टनर श्री याहया ढेबर	तेलईधार, बतौली	0.454	19.05.2022 से 18.05. 2032 तक	20000
5	विभूति भूषण नायक	सुखरी, अम्बिकापुर	1.00	06.07.2021 से 05.07. 2031 तक	10000

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
12:55:50

परिशिष्ट - इकहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 182) की जानकारी

"प्रपत्र - 35"

लंबित राजस्व प्रकरण की जानकारी, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

क्र.	तहसील का नाम	कुल दर्ज केस	निराकृत	स्थगित	लंबित	कुल (लंबित + स्थगित)	मूल न्यायालय में लंबित
1	रायगढ़	31712	29922	15	1775	1790	1788
2	खरसिया	17611	16942	36	633	669	669
3	घरघोड़ा	16462	16059	34	369	403	403
4	धरमजयगढ़	12935	12643	21	271	292	291
5	लैलूंगा	9995	9633	15	347	362	362
6	तमनार	9505	9417	4	84	88	88
7	छाल	4731	4521	2	208	210	210
8	पुसौर	11174	10754	4	416	420	418
9	मुकडेगा	1328	1204	0	124	124	124
10	कापू	0	0	0	0	0	0
योग		115453	111095	131	4227	4358	4353

(ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार)

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र -ब"

नामांतरण की जानकारी जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

क्र.	तहसील का नाम	कुल प्रकरण	निराकृत	स्थगित	कुल लंबित	कुल (स्थगित + लंबित)	0 से 3 माह के	3 से 6 माह के	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक के
1	रायगढ़	5203	4946	12	245	257	99	29	32	97
2	खरसिया	3583	3534	4	45	49	15	0	20	14
3	घरघोड़ा	2973	2889	8	76	84	34	22	17	11
4	धरमजयगढ़	2273	2237	9	27	36	10	0	8	18
5	लैलूंगा	1521	1495	0	26	26	25	0	1	0
6	तमनार	2227	2216	2	9	11	6	0	3	2
7	छाल	745	742	1	2	3	1	0	1	1
8	पुसौर	2179	2147	1	31	32	26	4	1	1
9	मुकडेगा	102	100	0	2	2	2	0	0	0
10	कापू	1015	1006	3	6	9	5	1	1	2
	योग	21821	21312	40	469	509	223	56	84	146

(ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार)

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र- स"

बटवारा की जानकारी जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

(ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार)

क्र.	तहसील का नाम		कुल प्रकरण	निराकृत	स्थगित	कुल लंबित	कुल (स्थगित + लंबित)	0 से 3 माह के	3 से 6 माह के	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक के
1	रायगढ़	raigarh	1111	1034	0	77	77	37	6	9	25
2	खरसिया	kharsiya	1200	1160	6	34	40	26	2	4	8
3	घरघोड़ा	gharghoda	686	663	7	16	23	11	4	2	6
4	धरमजयगढ़	dharmjaigarh	487	480	3	4	7	1	0	1	5
5	लैलूंगा	lailunga	726	701	1	24	25	22	1	1	1
6	तमनार	tamnar	664	658	3	3	6	3	0	0	3
7	छाल	chhal	273	262	1	10	11	4	0	1	6
8	पुसौर	pusor	1003	990	1	12	13	8	4	0	1
9	मुकडेगा	mukdega	71	68	0	3	3	3	0	0	0
10	कापू	kapu	279	276	0	3	3	1	1	0	1
	योग		6500	6292	22	186	208	116	18	18	56

(ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

"प्रपत्र-द"

सीमांकन प्रकरण की जानकारी जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

क्र.	तहसील का नाम	कुल प्रकरण	निराकृत	स्थगित	कुल लंबित	कुल (स्थगित + लंबित)	0 से 3 माह के	3 से 6 माह के	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक के
1	रायगढ़	4243	4218	0	25	25	10	3	8	4
2	खरसिया	2500	2452	0	48	48	48	0	0	0
3	घरघोड़ा	1757	1736	0	21	21	16	4	1	0
4	धरमजयगढ़	1368	1362	0	6	6	6	0	0	0
5	लैलूंगा	1239	1235	0	4	4	4	0	0	0
6	तमनार	1185	1183	0	2	2	1	1	0	0
7	छाल	773	760	0	13	13	13	0	0	0
8	पुसौर	1897	1894	0	3	3	3	0	0	0
9	मुकडेगा	169	169	0	0	0	0	0	0	0
10	कापू	600	600	0	0	0	0	0	0	0
योग		15731	15609	0	122	122	101	8	9	4

(ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

परिशिष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 186) की जानकारी

iji= 1/495961/2026

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बजट वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के बजट में शामिल योजनाओं की जानकारी

स.क्र.	कार्य/योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक व राशि	निविदा आमंत्रण की तिथि	पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत	निविदा की स्थिति	कारण
01	02	03	04	05	06	07
			बजट वर्ष 2025-26			
1	बालोद जिले के अंतर्गत ग्राम मारीदिवरी में खरखरा नदी के बायीं ओर शीतला मंदिर के पास घाट एवं तटबंध निर्माण कार्य	–	–	–	–	मंत्रालय में प्रस्तुत।
2	बालोद जिले के खरखरा मोहंदीपाट में भीमकन्हार उद्वहन सिंचाई योजना	–	–	–	–	डी.पी.आर. प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत।
3	बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड में भन्डेरा नाला पर एनीकट का निर्माण	छ.ग.शासन का पत्र क्र. 367 व दि. 19.01.2026 राशि रू. 361.34 लाख	–	अप्रारंभ	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	–
4	बालोद जिले के डोण्डीलोहारा विकासखण्ड के देवरी नाला पर रपटा कम एनीकट का निर्माण थाने के पास	–	–	–	–	डी.पी.आर. अधीक्षण अभियंता कार्यालय से अपेक्षित
5	बालोद जिले के डोण्डीलोहारा विकासखण्ड के मारी देवरी लोकल नाला पर रपटा कम एनीकट का निर्माण	–	–	–	–	डी.पी.आर. अधीक्षण अभियंता कार्यालय से अपेक्षित
6	खेरा-परसुली एनीकट का निर्माण	–	–	–	–	डी.पी.आर. वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत।
7	तांदुला परियोजना अंतर्गत सकरौद वितरक नहर के नाहंदा माईनर, डौकीडीह माईनर, सुखरी माईनर, भदेरा माईनर का रिमाडलिंग, लाईनिंग एवं पक्के कार्यों का उन्नय कार्य	–	–	–	–	मंत्रालय में प्रस्तुत।
8	बालोद जिले के खरखरा मध्यम परियोजना अंतर्गत खरखरा बायीं तट नहर प्रणाली के अंतर्गत सुरसुली वितरक नहर का निर्माण कार्य	–	–	–	–	सर्वेक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है।
			बजट वर्ष 2026-27			
1	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही अंतर्गत केवट नवागांव जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का मरम्मत एवं नहर रिमाडलिंग लाईनिंग कार्य	–	–	–	–	मंत्रालय में प्रस्तुत।

I/495961/2026

स.क्र.	कार्य/योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक व राशि	निविदा आमंत्रण की तिथि	पूर्ण/अपूर्ण/ प्रगतिरत	निविदा की स्थिति	कारण
01	02	03	04	05	06	07
2	बालोद जिले के ग्राम सुरसुली के लोकल नाले में नर्मदा धाम के समीप एनीकट कम काजवे का निर्माण कार्य	–	–	–	–	डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।
3	बालोद जिले के खरखरा परियोजना के कसही वितरक नहर के लासाटोला उपवितरक नहर बासीन माईनर, सनौद माईनर, डुण्डेरा माईनर, कांदुल माईनर क्र. 1 के रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य तथा 05 नग व्ही.आर.बी. इनलेट/ आउटलेट निर्माण कार्य	–	–	–	–	डी.पी.आर. मंत्रालय में प्रस्तुत।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
17:44:10

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 194) की जानकारी

प्रपत्र- .

जेम पोर्टल से सामग्री की खरीदी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	राशि (रू.में)	एजेंसी का नाम	खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2023	निरंक						
1	2024	निरंक						
1	2025	महासमुन्द	आल इंन वन कम्प्यूटर	88,000.00	3 नग	2,64,000.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
2	2025	महासमुन्द	फोटोकापी मशीन	2,70,000.00	1 नग	2,70,000.00	मे आर के एंटरप्राइजेस	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
3	2025	महासमुन्द	सीमेंट	283.00	3,045 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	8,61,735.00	मे. दीपाली एंटरप्राइजस	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
4	2025	महासमुन्द	लैपटॉप	78,700.00	1 नग	78,700.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
5	2025	महासमुन्द	डेस्कटॉप कंप्यूटर	73,500.00	1 नग	73,500.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
6	2025	महासमुन्द	प्रिंटर	45,400.00	4 नग	1,81,600.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
7	2025	महासमुन्द	आल इंन वन कम्प्यूटर	88,000.00	1 नग	88,000.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
8	2025	महासमुन्द	स्कैनर	46,050.00	1 नग	46,050.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
9	2025	महासमुन्द	फोटोकापी मशीन	49,400.00	1 नग	49,400.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
10	2025	महासमुन्द	फोटोकापी मशीन	48,800.00	1 नग	48,800.00	मे. विनायक एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
11	2025	महासमुन्द	फोटोकापी मशीन	40,000.00	1 नग	40,000.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
12	2025	महासमुन्द	डेस्कटॉप कंप्यूटर	73,500.00	1 नग	73,500.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
13	2025	महासमुन्द	गिट्टी	29.92	16346 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	4,89,072.00	मे. एस के एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
14	2025	महासमुन्द	चैनलिंक	84.50	82961 कि.ग्रा	70,10,205.00	मे. दीपाली एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
15	2025	महासमुन्द	सीमेंट	289.00	945 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	2,73,105.00	मे. मीरा सेल्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
16	2025	महासमुन्द	आर.सी.सी पोल	514.00	3766 नग	19,35,724.00	मे. विहर्ष एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
17	2025	महासमुन्द	प्रिंटर	30,365.00	1 नग	30,365.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
18	2025	महासमुन्द	डेस्कटॉप कंप्यूटर	60,000.00	5 नग	3,00,000.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
19	2025	महासमुन्द	प्रिंटर	49,400.00	2 नग	98,800.00	मे. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
20	2025	महासमुन्द	टी.एम.टी.	58,500.00	2.16 टन	1,26,360.00	मे. वैभव ट्रेडर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	राशि (रू.में)	एजेंसी का नाम	खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	2025	महासमुन्द	लैपटॉप	84,409.51	5 नग	4,22,048.00	में. गैलेक्सी द कम्पू हब	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
22	2025	महासमुन्द	डिजिटल कंटेंट सॉफ्टवेयर के साथ स्मार्ट क्लास इक्विपमेंट	3,00,000.00	1 नग	3,00,000.00	में. एस एल इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
23	2025	महासमुन्द	डेस्कटॉप कंप्यूटर	62,000.00	8 नग	4,96,000.00	में. गैलेक्सी द कम्पू हब	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
24	2025	महासमुन्द	डेस्कटॉप कंप्यूटर	61,500.00	3 नग	1,84,500.00	में. गैलेक्सी द कम्पू हब	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
25	2025	महासमुन्द	डिजिटल कंटेंट सॉफ्टवेयर के साथ स्मार्ट क्लास इक्विपमेंट	1,00,000.00	1 नग	1,00,000.00	में. एस एल इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
26	2025	महासमुन्द	फोटोकापी मशीन	1,67,000.00	1 नग	1,67,000.00	में. गैलेक्सी द कम्पू हब	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
27	2025	महासमुन्द	क्लोरपायरीफॉस	998.99	309 लीटर	3,08,688.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
28	2025	महासमुन्द	लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद	500.00	610 लीटर	3,05,000.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
29	2025	महासमुन्द	ह्यूमिक एसिड	250.00	1220 पैकेट (प्रति पैकेट 1 किलो ग्राम)	3,05,000.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
30	2025	महासमुन्द	माइकोराइज़ा	220.00	1387 कि.ग्रा.	3,05,140.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
31	2025	महासमुन्द	बायो–फर्टिलाइज़र	249.10	463 नग	1,15,333.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
32	2025	महासमुन्द	फोटोकापी मशीन	73,848.90	1 नग	73,849.00	में. परफेक्ट वर्ल्ड कंप्यूटर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
33	2025	महासमुन्द	एन.पी.के.	60.00	6208 कि.ग्रा.	3,72,480.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
34	2025	महासमुन्द	नीमखली	24.40	15450 कि.ग्रा.	3,76,980.00	में.काम्या एंटरप्राइजेस	श्री समीर जोनाथन, उप वनमंडलाधिकारी
35	2025	महासमुन्द	डी.ए.पी.	24.00	6430 कि.ग्रा.	1,54,320.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	श्री समीर जोनाथन, उप वनमंडलाधिकारी
36	2025	महासमुन्द	क्लोनल निलगिरी	6.58	256210 नग	16,85,862.00	श्री वेग्नेशा क्लोनल नर्सरी	श्री समीर जोनाथन, उप वनमंडलाधिकारी
37	2025	महासमुन्द	फोम मैट्रेस	2,839.00	60 नग	1,70,340.00	में .इज़ी कनेक्ट कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स	श्री समीर जोनाथन, उप वनमंडलाधिकारी
38	2025	महासमुन्द	खादी मैट्रेस कवर	250.00	100 नग	25,000.00	में .इज़ी कनेक्ट कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स	श्री समीर जोनाथन, उप वनमंडलाधिकारी
39	2025	महासमुन्द	खादी तकिए के कवर	125.00	100 नग	12,500.00	में .इज़ी कनेक्ट कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स	श्री समीर जोनाथन, उप वनमंडलाधिकारी
40	2025	महासमुन्द	कॉटन तकिया	179.00	100 नग	17,900.00	में .इज़ी कनेक्ट कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स	श्री समीर जोनाथन, उप वनमंडलाधिकारी
41	2025	महासमुन्द	फोम गद्दा	16,999.00	2 नग	33,998.00	में .इज़ी कनेक्ट कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
42	2025	महासमुन्द	पेपर	245.00	50 पैकेट (प्रति पैकेट 1 रिम, 500 पेज)	12,250.00	श्रीधान्या वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
43	2025	महासमुन्द	डामर	200.00	507 लीटर	1,01,400.00	मे. सतगुरु एंटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	राशि (रू.में)	एजेंसी का नाम	खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	2025	महासमुन्द	पेपर	245.00	50 पैकेट (प्रति पैकेट 1 रिम, 500 पेज)	12,250.00	श्रीधान्या वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
45	2025	बागबाहरा	सीमेंट	283.00	2,491 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	7,04,953.00	में. दीपाली एंटरप्राइजस	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
46	2025	बागबाहरा	चैनलिंक	84.50	8174 कि.ग्रा.	6,90,703.00	में. जायसवाल प्रीस्ट्रेस पोल्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
47	2025	बागबाहरा	गिट्टी	29.92	10812 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	3,23,495.00	मे. एस के एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
48	2025	बागबाहरा	सीमेंट	289.00	455 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	1,31,495.00	में. मीरा सेल्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
49	2025	बागबाहरा	आर.सी.सी पोल	514.00	346 नग	1,77,844.00	में. विहर्ष एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
50	2025	बागबाहरा	टी.एम.टी.	58,500.00	4.15 टन	2,42,775.00	में. वैभव ट्रेडर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
51	2025	बागबाहरा	क्लोरपायरीफॉस	998.99	17 लीटर	16,983.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
52	2025	बागबाहरा	लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद	500.00	33 लीटर	16,500.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
53	2025	बागबाहरा	ह्यूमिक एसिड	250.00	65 पैकेट (प्रति पैकेट 1 किलो ग्राम)	16,250.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
54	2025	बागबाहरा	माइकोराइज़ा	220.00	74 कि.ग्रा.	16,280.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
55	2025	बागबाहरा	बायो–फर्टिलाइज़र	249.10	25 नग	6,228.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
56	2025	बागबाहरा	नीमखली	24.40	830 कि.ग्रा.	20,252.00	में.काम्या एंटरप्राइजेस	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
57	2025	बागबाहरा	डी.ए.पी.	24.00	345 कि.ग्रा.	8,280.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
58	2025	बागबाहरा	क्लोनल निलगिरी	6.58	135900 नग	8,94,222.00	श्री वेग्नेशा क्लोनल नर्सरी	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
59	2025	बागबाहरा	डामर	200.00	275 लीटर	55,000.00	मे. सतगुरु एंटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
60	2025	बागबाहरा	डामर	200.00	150 लीटर	30,000.00	मे. सतगुरु एंटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
61	2025	पिथौरा	सीमेंट	283.00	2,221 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	6,28,543.00	में. दीपाली एंटरप्राइजस	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
62	2025	पिथौरा	गिट्टी	29.92	7141 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	2,13,659.00	मे. एस के एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
63	2025	पिथौरा	चैनलिंक	84.50	10868 कि.ग्रा.	9,18,346.00	में. दीपाली एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
64	2025	पिथौरा	आर.सी.सी पोल	514.00	422 नग	2,16,908.00	में. विहर्ष एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
65	2025	पिथौरा	टी.एम.टी.	58,500.00	2.73 टन	1,59,705.00	में. वैभव ट्रेडर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
66	2025	पिथौरा	क्लोरपायरीफॉस	998.99	30 लीटर	29,970.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	राशि (रू.में)	एजेंसी का नाम	खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	2025	पिथौरा	लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद	500.00	59 लीटर	29,500.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
68	2025	पिथौरा	ह्यूमिक एसिड	250.00	118 पैकेट (प्रति पैकेट 1 किलो ग्राम)	29,500.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
69	2025	पिथौरा	माइकोराइज़ा	220.00	134 कि.ग्रा.	29,480.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
70	2025	पिथौरा	बायो–फर्टिलाइज़र	249.10	45 नग	11,210.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
71	2025	पिथौरा	नीमखली	24.40	1500 कि.ग्रा.	36,600.00	में.काम्या एंटरप्राइजेस	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
72	2025	पिथौरा	डी.ए.पी.	24.00	624 कि.ग्रा.	14,976.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
73	2025	पिथौरा	क्लोनल निलगिरी	6.58	150875 नग	9,92,758.00	श्री वेग्नेशा क्लोनल नर्सरी	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
74	2025	पिथौरा	डामर	200.00	961 लीटर	1,92,200.00	मे. सतगुरु एंटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
75	2025	बसना	सीमेंट	283.00	2,704 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	7,65,232.00	में. दीपाली एंटरप्राइजस	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
76	2025	बसना	गिट्टी	29.92	18303 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	5,47,626.00	मे. एस के एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
77	2025	बसना	सीमेंट	289.00	1883 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	5,44,187.00	में. मीरा सेल्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
78	2025	बसना	टी.एम.टी.	58,500.00	1.82 टन	1,06,470.00	में. वैभव ट्रेडर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
79	2025	बसना	क्लोनल निलगिरी	6.58	35085 नग	2,30,859.00	श्री वेग्नेशा क्लोनल नर्सरी	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
80	2025	बसना	डामर	200.00	99 लीटर	19,800.00	मे. सतगुरु एंटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
81	2025	बसना	डामर	200.00	120 लीटर	24,000.00	मे. सतगुरु एंटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
82	2025	सरायपाली	सीमेंट	283.00	2137 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	6,04,771.00	में. दीपाली एंटरप्राइजस	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
83	2025	सरायपाली	चैनलिंक	84.50	47140 कि.ग्रा.	39,83,330.00	में. जायसवाल प्रीस्ट्रेस पोल्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
84	2025	सरायपाली	गिट्टी	29.92	11801 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	3,53,086.00	मे. एस के एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
85	2025	सरायपाली	चैनलिंक	84.50	8899 कि.ग्रा.	7,51,966.00	में. दीपाली एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
86	2025	सरायपाली	सीमेंट	289.00	455 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	1,31,495.00	में. मीरा सेल्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
87	2025	सरायपाली	आर.सी.सी पोल	514.00	2372 नग	12,19,208.00	में. विहर्ष एंटरप्राइजेज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
88	2025	सरायपाली	टी.एम.टी.	58,500.00	5.14 टन	3,00,690.00	में. वैभव ट्रेडर्स	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
89	2025	सरायपाली	क्लोरपायरीफॉस	998.99	141 लीटर	1,40,858.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
90	2025	सरायपाली	लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद	500.00	278 लीटर	1,39,000.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	राशि (रू.में)	एजेंसी का नाम	खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	2025	सरायपाली	ह्यूमिक एसिड	250.00	557 पैकेट (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	1,39,250.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
92	2025	सरायपाली	माइकोराइज़ा	220.00	632 कि.ग्रा.	1,39,040.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
93	2025	सरायपाली	बायो–फर्टिलाइज़र	249.10	211 नग	52,560.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	डॉ. वेंकटेशा एम.जी., उप वनमंडलाधिकारी
94	2025	सरायपाली	नीमखली	24.40	7050 कि.ग्रा.	1,72,020.00	में.काम्या एंटरप्राइजेस	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
95	2025	सरायपाली	डी.ए.पी.	24.00	2934 कि.ग्रा.	70,416.00	में. एसजी इंडस्ट्रीज	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
96	2025	सरायपाली	क्लोनल निलगिरी	6.58	103650 नग	6,82,017.00	श्री वेग्नेशा क्लोनल नर्सरी	श्री समीर जानाथन, उप वनमंडलाधिकारी
97	2025	सरायपाली	डामर	200.00	172 लीटर	34,400.00	मे. सतगुरु एंटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
			योग 2025			**3,64,03,650.00**		
वन विकास निगम								
98	2025	महासमुन्द	जी.पी.एस.	24800	3 नग	74,400.00	बांलाजी कम्पयूटेक, प्रा.लि.रायपुर	श्री ऋषिचंद शर्मा, उपमंडल प्रबंधक
99	2025	महासमुन्द	गेरू	18	665 कि.ग्रा.	11,970.00	मनहर इंटरप्राईजेस, कोरबा	श्री ऋषिचंद शर्मा, उपमंडल प्रबंधक
100	2025	महासमुन्द	तारपीन	150	115 लीटर	17,250.00	मनहर इंटरप्राईजेस, कोरबा	श्री ऋषिचंद शर्मा, उपमंडल प्रबंधक
101	2025	महासमुन्द	ब्लैक जापान	180	415 लीटर	74,700.00	मनहर इंटरप्राईजेस, कोरबा	श्री ऋषिचंद शर्मा, उपमंडल प्रबंधक
102	2025	महासमुन्द	डी.ए.पी.	1635	477 बैग (प्रति बैग 50 किलो ग्राम)	7,79,895.00	साहनी एंड संस, बिलासपुर	श्री ऋषिचंद शर्मा, उपमंडल प्रबंधक
103	2025	महासमुन्द	कम्प्यूटर	78000	1 नग	78,000.00	बांलाजी कम्पयूटेक, प्रा.लि.रायपुर	श्रीमती चित्रा त्रिपाठी, उपवनमंडल प्रबंधक
104	2025	महासमुन्द	प्रिंटर	17100	1 नग	17,100.00	बांलाजी कम्पयूटेक, प्रा.लि.रायपुर	श्रीमती चित्रा त्रिपाठी, उपवनमंडल प्रबंधक
			योग 2025			**10,53,315.00**		
			कुलयोग 2025			**3,74,56,965.00**		
1	2026	महासमुन्द	स्टेनलेस स्टील आयताकार / चौकोर ट्यूब	120.00	1500 नग	1,80,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
2	2026	महासमुन्द	एंटी–फटीग मैट	500.00	320 नग	1,60,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
3	2026	महासमुन्द	माइल्ड स्टील शीट	4,000.00	60 नग	2,40,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
4	2026	महासमुन्द	पाइप क्लैंप	1,200.00	60 नग	72,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
5	2026	महासमुन्द	पाइप क्लैंप	420.00	100 नग	42,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
6	2026	महासमुन्द	स्लुइस वॉल्व	2,654.00	14 नग	37,156.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
7	2026	महासमुन्द	शेड नेट	22.30	11800 मीटर	2,63,140.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	राशि (रू.में)	एजेंसी का नाम	खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	2026	महासमुन्द	पॉलिएस्टर नेट	200.00	640 नग	1,28,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
9	2026	महासमुन्द	यू बोल्ट	60.00	800 नग	48,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
10	2026	महासमुन्द	वॉटर वर्क्स के लिए स्लुइस वॉल्व	3,708.00	10 नग	37,080.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
11	2026	महासमुन्द	यू बोल्ट	119.00	2000 नग	2,38,000.00	में. जे.सी. इमर्जिंग एलएलपी	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
12	2026	महासमुन्द	चेयर	14,499.00	1 नग	14,499.00	में. अनंत ट्रेडेक्स वेंचर	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
13	2026	महासमुन्द	सीमेंट	225.00	4012 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	9,02,700.00	में. ऋषभ एजेंसीज	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
14	2026	महासमुन्द	बारबेड वायर	67,950.00	20.63 टन	14,01,809.00	में. अमित ईटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
15	2026	बागबाहरा	सीमेंट	225.00	5782 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	13,00,950.00	में. ऋषभ एजेंसीज	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
16	2026	बागबाहरा	बारबेड वायर	67,950.00	32.05 टन	21,77,798.00	में. अमित ईटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
17	2026	पिथौरा	बारबेड वायर	67,950.00	30.35 टन	20,62,283.00	में. अमित ईटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
18	2026	बसना	चैनलिंक	107.00	529 कि.ग्रा.	56,603.00	में. बैंड्स ट्रेडलिंक्स एल.एल.पी.	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
19	2026	बसना	सीमेंट	225.00	217 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	48,825.00	में. ऋषभ एजेंसीज	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
20	2026	बसना	बारबेड वायर	67,950.00	15.38 टन	10,45,071.00	में. अमित ईटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
21	2026	सरायपाली	टी.एम.टी.	50,499.00	6 टन	3,02,994.00	में. तापडिया पावर कंसल्टेंट	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
22	2026	सरायपाली	चैनलिंक	107.00	2362 कि.ग्रा.	2,52,734.00	में. बैंड्स ट्रेडलिंक्स एल.एल.पी.	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
23	2026	सरायपाली	सीमेंट	225.00	558 बोरी (प्रति बोरी 50 किलो ग्राम)	1,25,550.00	में. ऋषभ एजेंसीज	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
24	2026	सरायपाली	बारबेड वायर	67,950.00	6.59 टन	4,47,791.00	में. अमित ईटरप्राइजेस	श्री गोविंद सिंह, उप वनमंडलाधिकारी
			योग 2026 (जनवरी 2026 तक)			**1,15,84,983.00**		

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	जेम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	राशि (रू.में)	एजेंसी का नाम	खरीदी प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वन विकास निगम								
25	2026	महासमुन्द	इंवर्टर	20000	1 नग	20,000.00	रूद्राक्षी इंटरप्राईजेस, रायपुर	श्रीमती चित्रा त्रिपाठी, उपवनमंडल प्रबंधक
26	2026	महासमुन्द	मोबाईल (स्मार्ट फोन)	30000	1 नग	30,000.00	रूद्राक्षी इंटरप्राईजेस, रायपुर	श्रीमती चित्रा त्रिपाठी, उपवनमंडल प्रबंधक
			योग 2026 (जनवरी 2026 तक)			**50,000.00**		
			कुलयोग 2026 (जनवरी 2026 तक)			**1,16,34,983.00**		

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

परिशिष्ट - चौहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 195) की जानकारी

i|i=

क्रमांक	जिला	बीएसएनएल	आरजेआईएल	
		4G सैचुरेशन	आकांक्षी जिला	फेस-2
1	बालोद	5		12
2	बलौदाबाज़ार-भाटापारा	23		
3	बलरामपुर-रामानुजगंज	22		38
4	बस्तर	13	16	16
5	बीजापुर	73	135	110
6	बिलासपुर	6		
7	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	12	30	45
8	धमतरी	15		33
9	गरियाबंद	20		30
10	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	3		
11	जशपुर	59		
12	कबीरधाम	37		36
13	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	3	9	20
14	कोंडागांव	45	30	19
15	कोरबा	28	15	
16	कोरिया	22		
17	महासमुंद	2	4	2
18	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	71		
19	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	17	28	18
20	मुंगेली	12		
21	नारायणपुर	31	104	54

22	रायगढ़	34		
23	राजनांदगांव	3	9	5
24	सक्ती	2		
25	सारंगढ़-बिलाईगढ़	2		
26	सुकमा	76	50	94
27	सूरजपुर	28		
28	सरगुजा	12		
29	उत्तर बस्तर कांकेर	39	73	71
	कुल	**715**	**503**	**603**

पंरिशिष्ट - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 199) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि लाख रू. में)

स.क.	माह	रायल्टी	अतिरिक्त राशि
1.	जनवरी	42537.18	64147.24
2.	फरवरी	27793.67	41690.51
3.	मार्च	61190.94	82427.21
4.	अप्रैल	4795.89	7193.84
5.	मई	21782.28	36435.01

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
11:24:02

परिशिष्ट - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 203) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

स.क्र.	जिले का नाम	संचालित रेत खदानों की संख्या (वर्ष 2023 से 16 जून 2026 तक)	रिमार्क
1	2	3	4
1	बस्तर	08	वर्तमान में 03 रेत खदानें संचालित है। शेष 05 खदानों की अवधि समाप्त हो चुकी है।
2	कोण्डागांव	01	वर्तमान में अवधि समाप्त हो चुकी है।
3	दंतेवाड़ा	04	—
4	कांकेर	22	वर्तमान में कुल 15 खदानें संचालित हैं। शेष 07 खदानों की अवधि समाप्त हो चुकी है।
5	बीजापुर	05	—
6	नारायणपुर	01	वर्तमान में अवधि समाप्त हो चुकी है।
7	सुकमा	01	—

M. K. Choubey
Section Officer
Mining Resources Deptt.
Mantralaya, Chhattisgarh

प्रपत्र "ब"

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत का विषयवस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1. जिला – बस्तर				
1	निज सहायक, माननीय श्री किरण देव, प्रदेशाध्यक्ष, भा.ज.पा. (छत्तीसगढ़)	06.08.2024	श्री विजय पाल, अक्षय पाल द्वारा अवैध रेत खनन एवं परिवहन किये जाने की शिकायत बाबत् ।	उक्त शिकायत के संबंध में खनिज / राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच किया गया। ग्राम बजावंड की सीमा से लगे ओड़िसा राज्य के कोंडिगा तहसील अंतर्गत ग्राम उकियापाल की सीमा क्षेत्र में प्रवाहित भस्कली नदी पर अवैध उत्खनन के मौका जांच के दौरान बंद पाया गया। **पूर्व में** ग्राम बजावंड की सीमा में श्री अक्षयपाल के विरूद्ध संस्थित रेत अवैध भण्डारण के 01 प्रकरण में 1,69,900 /–रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में रेत के अवैध परिवहन के 5 प्रकरण में 78,580 /–रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में श्री रंजन पाल के विरूद्ध संस्थित 02 प्रकरण में 93,910 /– रूपये, श्री बलराम पाल के विरूद्ध संस्थित प्रकरण में 53,220 /–रूपये समझौता राशि जमा कराया गया।
2	कृषक एवं ग्रामवासी, ग्राम पंचायत बनियागांव	02.05.2025	अवैध रेत खदान को बंद करने बाबत् ।	अवैध उत्खनन का कार्य होते पाये जाने पर अवैध उत्खननकर्ता श्री कन्हैया सेठिया निवासी बनियागांव के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 60350 /–रूपये समझौता राशि जमा कराया गया।
3	माननीय श्री लखेश्वर बघेल, विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 82 बस्तर	28.05.2025	दैनिक समाचार पत्र नव भारत में प्रकाशित समाचार भस्केल नदी से रेत का अवैध उत्खनन बेखौफ जारी के संबंध में	अवैध उत्खनन का कार्य होते पाये जाने पर अवैध उत्खननकर्ता श्री पुरसोती भारती निवासी बनियागांव के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 70,700 /–रूपये समझौता राशि जमा कराया गया।
4	श्री नीलकुमार बघेल, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, छ0ग0	14.02.2026	बजावंड क्षेत्र के भस्कली नदी में अवैध रेत उत्खनन को रोकने बाबत ।	अवैध उत्खनन का कार्य होते पाये जाने पर अवैध उत्खननकर्ता श्री अनिरूद्ध माली निवासी उकियापाल जिला नवरंगपुर ओड़िसा के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 1,87,700 /– रूपये समझौता राशि जमा कराया गया।
5	उप सरपंच, ग्राम पंचायत बनियागांव, जनपद पंचायत बकावंड	07.04.2026	ग्राम पंचायत बनियागांव आश्रित ग्राम बेलगांव स्थित रेत खदान (इन्द्रावती नदी) में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बिना निजी उपयोग के लिए उत्खनन पर बाधा डाले जाने के संबंध में ।	अवैध उत्खनन का कार्य होते पाये जाने पर अवैध उत्खननकर्ता श्री कन्हैया सेठिया निवासी बनियागांव के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 1,63,400 /–रूपये समझौता राशि जमा कराया गया।

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत का विषयवस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
2. जिला – कोण्डागांव				
1	श्री मनीष सोनी	29.04.2025	जोंदरापदर पुलिया के समीप निजी भूमि में अवैध रूप से खनिज का उत्खनन एवं परिवहन रोक जाने के संबंध में।	उक्त स्थल का मौका जांच किया गया। जिसमें 01 ट्रैक्टर (बिना नम्बर का) खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। उक्त अवैध रेत परिवहनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर समझौता राशि रूपये 15681/– जमा कराया गया है।
3. जिला – दंतेवाड़ा				
1	बलराम ठाकुर	14.06.2026 (मुख्यमत्री हेल्प लाईन द्वारा प्राप्त)	गौण खनिज साधारण रेत अवैध उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में।	अवैध परिवहन कर रहे वाहन हाईवा, वाहन क्रमांक सीजी 18 एस 8777 वाहन मालिक श्री आषीश साहू के विरूद्ध अवैध परिहवन प्रकरण दर्ज किया जा कर प्रशमन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4. जिला – कांकेर				
1	समस्त जिलावासी, जिला उ.ब.कांकेर	04.07.2024	समस्त रेत खदानों एवं अवैध रेत उत्खनन को पूर्णतः बंद कराने बाबत्।	जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के संबंध में वित्तीय वर्श 2024–25 में दर्ज किये गये अवैध परिवहन के 106 में राशि 1778484/– एवं अवैध उत्खनन के कुल 05 प्रकरणों में राशि 625000/– का समझौता राशि वसूल किया गया। जिला खनिज जांच दल एवं टास्क फोर्स द्वारा समय–समय पर निगरानी से शिकायतकर्ता को अवगत कराते हुए शिकायत को नस्तीबद्ध किया गया।
2	श्रीमति लक्ष्मी जुर्री	29.04.2025	ग्राम भिलाई के अंर्तगत आनेवाले ग्राम में हो रहे अवैध रेत खनन को बंद कराने बाबत।	सुशासन में प्राप्त शिकायत के संबंध में क्षेत्र मे रेत के अवैध व्यापार पर कार्यवाही करते हुए 02 प्रकरण दर्ज कर 04 वाहनों को जप्त कर समझौता राशि 164400/– वसूल किया गया।
3	श्री सुभाश सोनकर	02.05.2025	रेत का अवैध उत्खनन बंद करने के संबंध मे।	सुशासन में प्राप्त शिकायत के संबंध में नगर पंचायत चारामा के नदी क्षेत्र एवं उसके आस पास के क्षेत्रो से अवैध रूप से संचालित खदानो/रेत भण्डारणो पर कार्यवाही करते हुए कुल 08 प्रकरण दर्ज कर राशि 245000/– समझौता राशि वसूल किया गया।
4	श्री मनोज कुमार	02.05.2025	रेत का अवैध उत्खनन पर रोक के संबंध बाबत।	सुशासन में प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम अरौद अंर्तगत महानदी के आस पास अवैध खनन/भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए कुल 01 प्रकरण दर्ज कर रूपये 27800/– समझौता राशि वसूल किया गया।

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत का विषयवस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
5	श्री शिव प्रसाद कवाची	05.05.2025	रेत खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही करने बाबत।	सुशासन में प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम मनकेसरी के रेत उत्खनन से प्रभावित क्षेत्रो की जांच की गई। जांच के समय रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जाना **नहीं पाया गया।** संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को अवैध रेत की निकासी प्रतिबंधित करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा विभाग द्वारा भी क्षेत्र की सतत् निगरानी की जा रही हैं। अवगत कराते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6	श्री होमेंद्र परमार	05.05.2025	महानदी की रेत घाट होने पर प्रतिबंध बाबत।	सुशासन में प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम किलेपार मे ग्राम पंचायत को रेत खदान स्वीकृत किया गया हैं जिसका संचालन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा हे। क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं परिवहन होना नही पाया गया अपितु शर्त उल्लंघन किये जाने पर दण्डित करते हुए संपूर्ण प्रतिभूति राशि 50000/- राजसात की गई हैं ।
7	श्री हेमंत कुमार जामदार	30.05.2025	रेत का अवैध उत्खनन पर रोक के संबंध बाबत।	ग्राम माहुद मे अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही करते हुए 01 प्रकरण दर्ज कर कुल समझौता राशि रूपये 155600/- समझौता राशि वसूल किया गया।
8	श्री ओमप्रकाश साहू	30.05.2025	रेत के अवैध खनन के संबंध में रोक बाबत्।	नैनी नदी के आस-पास तीन मशीन जप्त करते हुए अवैध भण्डारण के कुल 02 प्रकरण दर्ज कर की गई तथा इसी कम में 09 हाईवा वाहन को जप्त कर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि राशि 471400/- वसूल किया गया।
9	श्री देवेंद्र सिन्हा	30.05.2025	रेत खदान को पूर्ण रूप से बंद करवाने के संबंध में।	सुशासन में प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत जैसाकर्रा अंतर्गत क्षेत्र में अवैध परिवहन एवं अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खनन के 02 प्रकरण, अवैध भण्डारण के 02 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 01 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रूपये 509200/- वसूल किया गया।
10	श्री रूद्रकांत यादव	30.05.2025	रेत का अवैध उत्खनन पर रोक के संबंध बाबत।	ग्राम माहुद मे अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही करते हुए 01 प्रकरण दर्ज कर कुल समझौता राशि रूपये 155600/- वसूल किया गया।
11	श्री चंद्रकांत यादव	30.05.2025	रेत का अवैध उत्खनन पर रोक के संबंध बाबत।	ग्राम माहुद मे अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही करते हुए 01 प्रकरण दर्ज कर कुल समझौता राशि रूपये 155600/- वसूल किया गया।

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत का विषयवस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
12	समस्त ग्राम वासी, जाड़ेकुर्से	04.06.2025	रेत का अवैध खनन पर रोक के संबंध में।	ग्राम जाड़ेकुर्से के नदी क्षेत्र में रेत के अवैध कारोबार पर कार्यवाही करते हुए अवैध परिवहन के कुल 18 प्रकरण दर्ज किया गया तथा समझौता राशि 569400/- वसूल किया गया तथा क्षेत्र में रेत के अवैध करोबार पर रोक लगाया गया।
13	सचिव, ग्राम पंचायत माहुद	19.06.2025	ग्राम माहुद का रेत खदान बंद करने बाबत्।	पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर समझौता राशि रूपये 62500/- वसूल किया जाकर शिकायत नस्तीबद्ध किया गया है।
14	श्री हुमन सिन्हा	12.03.2026	पूर्व से हो रही रेत की अवैध तस्करी को रोकने एवं पुल को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु आवेदन।	विभागीय उड़न दस्ता दल द्वारा निगरानी समिति के सहयोग से पुल के आस-पास अवैध उत्खनन की रोकथाम सुनिश्चित किया जा रहा है नियम विरुध्द पायें जाने पर कार्यवाही की जा रही है। आवेदक को अवगत कराते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
15	माननीय श्री भोजराज नाग, सांसद, कांकेर लोकसभा क्षेत्र	14.05.2026	रेत खदानों में अवैध उत्खनन/परिवहन के दूरभाश पर प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही।	दूरभाश पर प्राप्त सूचना के आधार पर कुल 06 रेत खदानों पर कार्यवाही करते हुए पर्यावरण के भार्तों का उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर संबंधित सरपंच को भार्तों के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी किया गया। कार्यवाही प्रचलन में है।
16	जनप्रतिनिधि का माननीय श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, माननीय विधायक भानुप्रतापपुर क्षेत्र	29.05.2026	रेत खदान भेलवापानी में अवैध उत्खनन/परिवहन के दूरभाश पर प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही।	प्राप्त शिकायत के आधार पर रेत खदान भेलवापानी में 01 मशीन एवं 01 रेत से भरी हाईवा तथा 11 खाली हाईवा को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया जाकर समझौता राशि रूपये 318000/- वसूल किया गया।
17	माननीय श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, माननीय विधायक भानुप्रतापपुर क्षेत्र	07.06.2026	रेत खदान हाराडुला में अवैध उत्खनन/परिवहन के दूरभाश पर प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही।	प्राप्त शिकायत के आधार पर रेत खदान हाराडुला में 01 मशीन एवं 01 रेत से भरी हाईवा तथा 04 खाली हाईवा को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया जाकर समझौता राशि रूपये 125600/- वसूल किया गया एवं रेत खदान में पट्टा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर पट्टा शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है।
18	माननीय श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, माननीय विधायक भानुप्रतापपुर क्षेत्र	09.06.2026	विकासखण्ड चारामा एवं दुर्गुकोंदल अतंर्गत अवैध रेत उत्खनन के कारण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने के संबंध में।	विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर की गई कार्यवाही की जानकारी शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, माननीय विधायक, भानुप्रतापपुर क्षेत्र को प्रदाय की गई तथा अवैध उत्खनन से प्रभावित क्षेत्रो की निगरानी निरंतर किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियो को दिए गए है

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायत का विषयवस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
				जिसकी समीक्षा साप्ताहिक बैठको में की जा रही है।
5. जिला – बीजापुर				
1	माननीय श्री विक्रम	8.09.2025	माननीय श्री विक्रम रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण की शिकायत।	किए गए जांच में रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण की शिकायत निराधार पाया गया।
6. जिला – नारायणपुर				
निरंक				
7. जिला – सुकमा				
निरंक				

M. K. Choubey
Section Officer
Mining Resources Deptt.
Mantralaya, Chhattisgarh

परिशिष्ट - सततृतर

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 211) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा डोंगरगांव क्षेत्र में उर्जा विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त आवेदन की जानकारी

क्र.	मई 2021 से मई 2026 तक प्रेषित आवेदन का विवरण	आवेदन का वर्ष	वितरण केन्द्र	आवेदन प्राप्ति का दिनांक	कार्यवाही विवरण – पूर्ण	लंबित	लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम बगदई खेल मैदान से विद्युत पोल अन्यत्र शिफ्टिंग करने बाबत्।	2022	डोंगरगांव (श0)	29.1.2022	उक्त विद्युत तार को स्थानांतरित करने का कार्य दिनांक 01.09.2022 को पूर्ण कर लिया गया है।		
2	सामुदायिक नलकूप खुर्सीपार विद्युत कनेक्शन में स्थायी कनेक्शन दिये जाने बाबत्। (सिचाई हेतु प.ह.न. 29 खसरा नं. 292 शासकीय भूमि में नलकूप खनन का उपयोग किये जाने के संबंध में।)	2022	डोंगरगांव (ग्रा0)	21.4.2022	अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव को इस कार्यालय के पत्र कमांक 20 दिनांक 21.04.2022 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु पत्राचार किया गया है। तत्सबंध में आवेदको द्वारा पुनः आवेदन संबधित कार्यालय में नही किया गया है।		
3	ग्राम कोनारी में घरेलू विद्युत कनेक्शन एवं नलकूप सिंचाई किये जाने हेतु अलग–अलग ट्रांसफार्मर लगाये जाने बाबत्।	2022	डोंगरगांव (ग्रा0)	2.6.2022	ग्राम कोनारी में नया 63 केव्हीए ट्रांसफार्मर दिनांक 07.02.2023 को स्थापित कर अलग–अलग किया गया।		
4	ग्राम बरसनटोला में धनहा खेत के बीचो–बीच लगे ट्रांसफार्मर को सडक किनारे स्थानांतरित किये जाने बाबत्।	2022	डोंगरगांव (ग्रा0)	17.11.2022	दिनांक 24.04.2022 को प्रकरण पर कार्यवाही करते ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित कर दिया गया है।		
5	विद्युत पोल विस्तार बाबत्।	2022	डोंगरगांव (ग्रा0)	5.11.2022	ग्राम करेठी के वार्ड नं. 17 में 04 नग विद्युत पोल/तार विस्तार कार्य दिनांक 19.12.2022 को पूर्ण कर लिया गया है।		
6	ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	17.04.2023	ग्राम जारवाही में दिनांक 21.04.2023 को 25 से 63 केव्हीए क्षमता वृद्वि कर संचालित किया गया है।		
7	ग्राम पंचायत के निम्न कार्यो को पूर्ण करने बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	5.7.2023	दिनांक 09.09.2023 को ग्राम – में जर्जर विद्युत पोल एवं विद्युत तार को स्थानांतरित कर दिया गया है।		
8	विद्युत पोल लगाने हेतु।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	8.11.2023	ग्राम बीजाभाठा में रोड किनारे स्थापित पोल को दिनांक 22.04.2023 को स्थानांतरित कर दिया गया है।		
9	घरेलू विद्युत मीटर बिल में छूट दिलाने बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	13.1.2023	ग्राम मोहंड के आवेदन से संबधित 3 नग उपभोक्ता का पूर्व बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई।		
10	विद्युत पोल स्थानांतरण बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	22.2.2023	डोंगरगांव नगर पंचायत वार्ड क. 15 के खेल मैंदान में विद्युत पेाल को दिनांक 17.04.2023 को स्थानांतरित कर दिया गया है।		
11	विद्युत पोल व्यवस्थापन बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	2.4.2023	ग्राम बीजाभाठा में रोड किनारे स्थापित पोल को दिनांक 22.04.2023 को स्थानांतरित कर दिया गया है।		
12	विद्युत पोल एवं थ्री फेस कराने बाबत्। 1. शीतला मंदिर से शोनू शर्मा घर तक विद्युत पोल स्थानांतरण। 2. श्री ईश्वर जोशी के घर से श्री गजभिये घर तक विद्युत पाले अन्यत्र स्थानंतरण। 3. कालेज ग्राम कोहका से डोंगरगांव शहर तक विद्युत विस्तार कार्य।	2023	डोंगरगांव (श0)	31.3.2023	सड़क चौडीकरण के दौरान माह– अक्टूबर 2025 में उक्त कार्यपूर्ण किया गया है।		

13	विद्युत पोल एंव थ्री फेस कार्य कराने बाबत्। डा0 भीमराव अंबेडकर वार्ड क. 10 में विद्युत पोल एवं थ्री फेस की मांग बाबत्।	2023	डोंगरगांव (श0)	31.03.2023	संबधित वार्ड में किसी भी आवेदक द्वारा थ्री फेस कनेक्शन हेतु आवेदन नही किया गया है। आवेदन प्राप्ति उपरांत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।		
14	बुद्व विहार गेट से हटाकर ट्रांसफार्मर अन्यत्र हटाये जाने बाबत्।	2023	डोंगरगांव (श0)	2.4.2023	उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन क. जी0 477803525.0008 दिनांक 28.10.2025 राशि 1,80,356.62/– तैयार का मांग पत्र जारी किया गया है। मांग पत्र की राशि अप्राप्त है।		
15	ग्राम मोहड़ में आवेदक के मकान में लगे विद्युत पोल एवं आवेदक के स्वंय के प्लाट में लगे विद्युत पोल को हटाये जाने बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	12.5.2023	उक्त कार्य हेतु मांग पत्र की राशि 59651. 92 दिनांक 24.06.2026 जारी किया गया है। मांग पत्र की राशि भुगतान उपरांत कार्यवाही की जावेगी।		
16	ग्राम पंचायत के निम्न कार्य को पूर्ण करने बाबत्। 1. ग्राम दर्री में 03 फेस कनेक्शन। 2. वार्ड नं. 01 एवं 06 में विद्युत पोल।	2023	खुज्जी	7.9.2023	सरपंच ग्राम पंचायत दर्री को इस कार्यालय के पत्र क. 155 दि. 13.10.2023 के द्वारा विषयांकित मांग को उल्लेखित कर आवेदन प्रेषित हेतु सूचित किया गया था। तत्संबंध में आवेदको द्वारा संबधित कार्यालय में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से आवेदन नही दिया गया है।		
17	विद्युत पोल सिफ्टिंग एंव विस्तार एवं बिजेभाठा फीडर में दीवान भेड़ी को जारवाही–मारगांव को अलग करने बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	7.6.2023	विद्युत पोल का विस्तार कार्य दिनांक 24. 03.2024 का पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में बिजेभाठा फीडर से मारगांव को तकनीकि रूप से अलग नही किया जा सकता है।		
18	ग्राम दीवानभेड़ी जर्जर विद्युत पोल बदलने बाबत्।	2023	डोंगरगांव (ग्रा0)	7.6.2023	विषयांकित जर्जर पोल को दिनांक 05.07. 2023 को बदलकर सुररक्षित कर लिया गया है।		
19	विद्युत लाईन विस्तार बाबत्। 07 केशर नगर में स्ट्रीट लाईट/विद्युत विस्तार कार्य।	2023	डोंगरगांव (श0)	24.05.2023, 06.08.2023	नगर पंचायत, डोंगरगांव द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने की कार्यवाही की गई है।		
20	पंप कनेक्शन के तार खराब के संबंध में।	2025	डोंगरगांव (ग्रा0)	16.6.2025	दिनांक 17.07.2025 को केबल को सुधार कर सप्लाई चालू कर दिया गया था।		
21	ग्राम बीजेभाठा में घरेलू विद्युत कनेक्शन एवं पोल लगाने के संबंध में।	2026	डोंगरगांव (ग्रा0)	12.4.2026	061 स्कीम में कार्य स्वीकृत किया गया है। आवेदके के द्वारा मांग पत्र की राशि भुगतान पश्चात कार्यवाही किया जाना संभव है।		
22	ग्राम कोहका में घर के सामने विद्युत पोल हटाने	2026	डोंगरगांव (श0)	22.4.2026	035 स्कीम में कार्य स्वीकृत कर मांग पत्र दिया गया है। मांग पत्र की राशि अप्राप्त है।		
23	विद्युत विभाग डोंगरगांव जे.ई द्वारा 18 माह पूर्व आवेदन लिया स्थायी पंप कनेक्शन हेतु टी. सी. लाईन सात वर्षो से चल रहा है।	2026	डोंगरगांव (ग्रा0)	21.5.2026	स्थायी पंप कनेक्शन हेतु आवेदक को मांग पत्र जारी किया गया। भुगतान अप्राप्त है।		
24	63 के.व्ही. नया ट्रॉसफार्मर लगवाने हेतु–ग्राम खैरा	2021	मुसराकला	25.5.2021	अतिरिक्त 25 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर कार्य पूर्ण किया गया ।		
25	विद्युत समस्याओं का निराकरण एवं अतिरिक्त ट्रॉसफार्मर के संबंध में ग्राम–कन्हारडबरी	2021	मुसराकला	2.8.2021	ग्राम कन्हारडबरी में 1 63 के.व्हीए. ट्रॉसफार्मर एवं पंप हेतु 12 अन्य क्षमता के ट्रॉसफार्मर स्थापित हैं । ग्राम कन्हारडबरी (रूवातला) में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण करने वर्ष 2024 में नया सब स्टेशन की स्थापना की गई।		

26	डोंगरगढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत नवीन सब स्टेशन स्थल चयन के संबंध में।	2021	सड़क चिरचारी	30.8.2021	ग्राम कोठीटोला में नवीन उपकेन्द्र वर्ष 2024 में स्थापित किया गया।		
27	नवीन ट्रॉसफार्मर लगाने विषयक–ग्राम पुरैना	2021	मुसराकला	22.9.2021	अतिरिक्त 63 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर कार्य पूर्ण किया गया ।		
28	नवीन ट्रॉसफार्मर लगाने विषयक–ग्राम लभानिनभाठा	2021	मुसराकला	7.10.2021	अतिरिक्त 63 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर कार्य पूर्ण किया गया ।		
29	ओवरलोड होने के कारण 100 हार्सपॉवर का नवीन ट्रॉसफार्मर लगाने के संबंध में–शिकारीटोला	2021	छुरिया	8.9.2021	पंप फीडर पृथककरण का कार्य आर0डी0एस0एस0 योजना के माध्यम से प्रकियाधीन है। जिसमें नवीन ट्रॉसफार्मर प्रस्तावित है।		
30	ग्राम मडियान के प्राथमिक शाला के पास लगे ट्रॉसफार्मर को हटाने बाबत्।	2023	एल.बी.नगर	12.1.2023	ग्राम मडियान के प्राथमिक शाला के पास लगे ट्रॉसफार्मर को हटाकर कार्य पूर्ण किया गया।		
31	पिनकापार अटल चौक सक शीतला चौक बिजली तार हटाने एवं बिजली पोल लगाने बाबत्।	2022	मुरमुंदा	24.1.2022	2 नग अतिरिक्त पोल लगाकर तार हटाकर कार्य पूर्ण किया गया है।		
32	नयापारा भानपुरी में ट्रॉसफार्मर लगवाने हेतु।	2022	मुसराकला	7.5.2022	अतिरिक्त 63 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर आवेदक का कार्य पूर्ण किया गया ।		
33	मेरे घर के उपर से 11 के.व्ही. लाईन हटाने बाबत् श्री मदन लाल साहू ग्रम अंडी	2022	डोंगरगढ़ ग्रामीण	22.2.2022	मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
34	मोहल्ले में विद्युत पोल विस्तार करने बाबत्। ग्रम मुडपार वार्ड नं 01 एवं 02	2022	मुरमुंदा	3.3.2022	संबंधित वार्ड में किसी भी आवेदक द्वारा नये कनेक्शन हेतु आवेदन नही किया गया है।आवेदन प्राप्ति उपरांत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।		
35	पिनकापार से धनडोंगरी मार्ग पर ट्रॉसफार्मर लगा हुआ है उसके केबल तार को बदलने बाबत्। श्री मनोहर सिन्हा एवं अन्य ग्रमिण	2022	छुरिया	26.8.2022	केबल तार को बदलकर कार्य पूर्ण कर दिया गया है।		
36	राका में शीतला चौक के पास नवीन ट्रॉसफार्मर लगवाने हेतु।	2022	मुरमुंदा	27.8.2022	अतिरिक्त 25 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर कार्य पूर्ण किया गया ।		
37	विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत पोल विस्तार/ट्रॉसफार्मर अन्यत्र करने विषयक। ग्राम पंचायत अछोली वार्ड 6.7.8.16.17.18 एवं ग्राम टेका, ग्रम बुडानछापर नाम श्री सोभाराम चंदवंशी	2022	डोंगरगढ़ ग्रामीण	9.9.2022	विद्युत लाईन विस्तार हेतु उपभोक्ताओं के आवेदन अप्राप्त है एवं ट्रासफार्मर शिफ्टिग हेतु मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
38	विद्युत लाईन तार का पांच करने विषयक।	2022	डोंगरगढ़ ग्रामीण	10.9.2022	सड़क बत्ती हेतु मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
39	ग्राम माटेकटा के पास आदिवासी पारा में नवीन ट्रॉसफार्मर लगवाने हेतु।	2022	मुरमुंदा	17.9.2022	अतिरिक्त 63 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर कार्य पूर्ण किया गया ।		
40	ग्राम माटेकटा में श्री रूपलाल पटेल, रामसिंग कलार, कमल कांत पांडे,हरिश निषाद,उदेसिंग साहू,नारदराम ध्रुव,उमराव ध्रुव कृषकों के पम्प कनक्शन मे से बचत राशि प्रदान करने बाबत्।	2022	मुरमुंदा	17.9.2022	ग्राम माटेकटा में श्री रूपलाल पटेल, रामसिंग कलार, कमल कांत पांडे,हरिश निषाद,उदेसिंग साहू,नारदराम ध्रुव,उमराव ध्रुव कृषकों के पम्प कनक्शन मे से बचत राशि प्रदान कर दिया गया है।		
41	ग्राम बिल्हारी में मनहरण सिन्हा के खेत के पास बिजली तार उपर करने विषयक।	2022	मुसराकला	31.10.2022	मिड स्पान पोल लगाकर व जले केबल को बदल कर कार्य पुर्ण किया गया।		
42	ग्राम रामाटोला में चातक देवांगन विद्युत तार को उपर व छत से तार अलग करने के संबंध में ।	2022	एल.बी.नगर	19.11.2022	मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		

उप सचिव

43	ग्राम सोरीटोला अण्डी में नागराज कंजोर के खेत से गुजरे 11000 के.व्ही. विद्युत तार को उपर करने के संबंध में	2022	डोंगरगढ़ ग्रामीण	5.12.2022	ग्राम सोरीटोला अण्डी में नागराज कंजोर के खेत से गुजरे 11000 के.व्ही. विद्युत लाईन में मिड स्पान पोल लगाकर तार को उपर करके कार्य पूर्ण किया गया हैं ।		
44	ग्राम बिल्हारी में विद्युत पोल अन्यत्र शिफ्टींग करने के विषयक।	2022	मुसराकला	19.12.2022	9 मी. पी.सी.सी पोल लगाकर कार्य पूर्ण किया गया।		
45	ग्राम मक्काटोला कारीपाठ मंदिर परिसर में स्थित विद्युत ट्रॉसफार्मर अन्यत्र शिफ्ट करने बाबत्।	2023	एल.बी.नगर	9.1.2023	मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
46	ग्राम सलोनी श्री गेंदूराम लोधी के द्वारा उपभोक्ता के बिजली बील की राशि कम करने बाबत्।	2023	ढारा	12.1.2023	उक्त उपभोक्ता का सर्तकता विभाग के द्वारा घरेलु से गैर घरेलु उपयोग करते पाया गया जिसका का सही बिल अनुमोदन के होने के पश्चात सी.बी.के माध्यम से सैप में डिमांड दिनांक 30.11.2022 को कर दिया गया है। जिसकी जानकारी पत्र कमांम 377 दिनांक 12.01.2024 से उच्च कार्यलय में दी गई है।		
47	सरपंच ग्राम पंचायत मुरमुंदा बाजार चौक राशन दुकान के सामने ट्रॉसफार्मर हटाने एवं ग्राम पंचायत मुरमुंदा के पास रामायण मंच के सामने एक पोल हटाने बाबत्।	2023	मुरमुंदा	12.5.2023	मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
48	वा. क्र. 09 ग्राम पंचायत रामाटोला विद्युत तार अन्यत्र स्थापित करने बाबत्।	2023	एल.बी.नगर	24.6.2023	मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
49	ग्राम मुसराकला में शीतला मंदिर प्रागण में ट्रॉसफार्मर हटाने बाबत्।	2023	मुसराकला	30.6.2023	ग्राम मुसराकला में शीतला मंदिर प्रागण में 63 के.व्हीए. ट्रॉसफार्मर हटाकर कार्य पूर्ण कि गया।		
50	ग्रा.पं. धनड़ोगरी सड़क किनारे विद्युत पोल की हाईट या हटाने के संबंध में ।	2023	एल.बी.नगर	5.7.2023	11 मी. पोल लगाकर कार्य पूर्ण किया गया।		
51	ग्राम धनडोंगरी में नया ट्रॉसफार्मर लगाने बाबत	2023	सड़क चिरचारी	5.7.2023	ग्राम कनेरी में 25 से 63 के.व्हीए. क्षमता वृद्वि कर कार्य पूर्ण किया गया।		
52	ग्राम सेन्दरी में 100 के.व्ही.ट्रॉसफार्मर भाठापारा वा. नं 02 सेन्दरी में लगाने बाबत्।	2023	एल.बी.नगर	29.8.2023	ग्राम सेन्दरी में 100 के.व्हीए. ट्रॉसफार्मर लगाकर कार्य पूर्ण किया गया।		
53	बोरतालाब के टोला गांधीनगर , रामजीटोला, चौकीटोला में वा. नं0 03 में 63 के.व्ही. ट्रॉसफार्मर को बदलकर 100के.व्ही. ट्रॉसफार्मर लगाने बाबत्।	2023	डोंगरगढ़ ग्रामीण	6.9.2023	ग्राम बोरतालाब में 63 से 100 के.व्हीए. क्षमता वृद्वि कर कार्य पूर्ण किया गया।		
54	ग्राम भोथली झूलन नदी के किनारे कृषि पंपो के लिए लाईन विस्तार करने बाबत्।	2023	मुरमुंदा	14.9.2023	ग्राम भोथली झूलन नदी के किनारे कृषि पंपो के लिए लाईन विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं।		
55	ग्राम सेम्हरा में मुक्तिधम के पास नया ट्रॉसफार्मर लगाने बाबत्।	2023	मुसराकला	30.9.2023	कार्यादेश जारी, ग्रामीणों के द्वारा स्थल पर विवाद के कारण कार्य लंबित हैं वर्तमान में उक्त विवाद का निराकरण कर कार्य को अविलंब पूर्ण किया जायेगा।		
56	ग्राम पेन्ड्री विद्युत व्यवस्था के संबंध में ।	2023	मुसराकला	30.12.2023	ग्राम पेन्ड्री,खुडमुडी,खैरा में वोल्टेज की समस्या का निराकरण हेतु ग्राम रूवातला में नवीन उपकेन्द्र वर्ष 2023–24 में स्थापित किया गया।		
57	विद्युत पोल बदलने एवं ट्रॉसफ़ार्मर क्षमता बढाने के संबंध में–ग्राम कनेरी	2024	सड़क चिरचारी	4.2.2024	ग्राम कनेरी में 25 से 63 के.व्हीए. क्षमता वृद्वि कर कार्य पूर्ण किया गया।		
58	ग्राम हरदीटेका सतेन वर्मा सब–स्टेशन ऑपरेटर की नौकरी प्रदान करने के संबंध में।	2024	मुसराकला	6.3.2024	वर्ष 2024–25 में कन्हारडवरी उपकेन्द्र में ऑपरेटर का पद प्रदान किया गया है।		

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

59	ग्रा. प. मुरमुंदा में 1. श्री जगदीश राम निषाद / 2. संतरात कंवर / 3. बहुर सिंग साहू को अस्थाई कनेक्शन प्रदान करने बाबत्।	2024	मुरमुंदा	17.6.2024	स्थायी पंप हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जावेगा। वर्ष 2025–26 के लक्ष्य में शामिल है, निविदा प्रक्रियाधीन है।		
60	ग्रा. पं. धनडोंगरी में एल.टी.तार बढाने बाबत्।	2024	एल.बी.नगर	25.11.2024	ग्राम धनडोंगरी में तार कन्वर्शन कर कार्य पूर्ण किया गया।		
61	ग्रा.पं. मोहनपुर में ट्रॉसफार्मर क्षमता बढाने के संबंध में।	2024	सड़क चिरचारी	14.12.2024	ग्राम मोहनपुर में 25 से 63 के.व्हीए. क्षमता वृद्दि कर कार्य पूर्ण किया गया।		
62	03 एच.पी. अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने बाबत्– श्री कन्हैयाराम गोंड़ ग्राम झण्डातालाब	2024	एल.बी.नगर	15.12.2024	श्री कन्हैया लाल गोंड को कृषि पंप अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है।		
63	एक फेस 3 तार से 3 तार 04 फेज में परिवर्तन कन्वर्शन करने बाबत्–ग्राम कुम्हडाटोला एवं बिच्छीटोला	2025	डोंगरगढ़ ग्रामीण	7.4.2025	सडक बत्ती हेतु मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
64	एक फेस 3 तार से 3 फेस 04 तार में परिवर्तन कन्वर्शन करने बाबत्–ग्राम लमानिनभाठा एवं माडीतरई	2025	मुसराकला	9.4.2025	एक फेस 3 तार से 3 फेस 04 तार में परिवर्तन कन्वर्शन करके कार्य पूर्ण किया गया ।		
65	ट्रॉसफार्मर क्षमतावृद्धि करने बाबत्–ग्राम अलीवारा	2025	मुसराकला	11.4.2025	अतिरिक्त 63 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर कार्य पूर्ण किया गया ।		
66	अतिरिक्त ट्रॉसफार्मर लगाने बाबत् – ग्रा.पं. अण्डी	2025	डोंगरगढ़ ग्रामीण	7.5.2025	अतिरिक्त 25 के.व्हीए. नया ट्रॉसफार्मर लगा कर कार्य पूर्ण किया गया ।		
67	स्ट्रीट लाईट को पुनः चालू कराने के संबंध में–ग्राम पिनकापार	2025	मुरमुंदा	29.5.2025	सरपंच द्वारा बिल भुगतान के आश्वाश्न पर स्ट्रीट लाईट चालू किया गया		
68	विद्युत ट्रॉसफार्मर को हटाने के संबंध में–ग्रा.पं. बुढानछापर	2025	डोंगरगढ़ ग्रामीण	6.7.2025	मांग पत्र जारी किया गया था । भुगतान अप्राप्त है।		
69	घरेलू स्थायी विद्युत कनेक्शन देने विषयक(श्री संजीवन वर्मा आत्मज स्व. खोबाहरा वर्मा ग्राम ठाकुरटोला)	2025	एल.बी.नगर	17.8.2025	उपभोक्ता को घरेलू स्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है।		
70	विद्युत पोल एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन लगाने के संबंध में श्री लखन कोर्राम पिता सांमरत कोर्राम ग्राम नरसिंगपुर	2026	एल.बी.नगर	1.6.2026	उपभोक्ता को घरेलू अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है।		
71	निम्नांकित विद्युत समस्याओं का निराकरण करने हेतु (श्री जीवनलाल देवदास के घर के पास विद्युत पोल शिफ्टिंग करने बाबत) (ग्राम अर्जुनी विकासखण्ड डोंगरगांव) आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2021	अर्जुनी	25.8.2021	श्री जीवनलाल देवदास के घर के पास लगे विद्युत पोल को स्थानांतरित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।		
72	निम्नदाब लाईन में 1 फेस 3 तार से 3 फेस 5 तार करने विषयक। ग्राम दर्राबांधा आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2021	तुमड़ीबोड	23.9.2021	ग्राम दर्राबांधा में सिंगल लाईन निम्नदाब लाईन को 3 फेस 5 तार में बदलने का कार्य दिनांक 06.10.2022 को पूर्ण कर दिया गया है।		
73	अवैध कनेक्शन हेतु भेजे गए जुर्माना राशि को व	2021	तुमडीबोड	07.10.2021	ग्राम आरगांव, खपरीकला एवं बांकल के कुल 9 कृषकों द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुये पाये जाने पर पूरक देयक जारी कर नियमानुसार मान. न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया गया था। पूरक देयक के भुगतान उपरांत मान. न्यायालय के समक्ष आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।		

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग

74	मुख्यमंत्री मजराटोला अंतर्गत आंतरिक विद्युतीकरण, लाईन विस्तार/अन्य कार्य के संबंध मे। केसला आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2022	अर्जुनी	09.6.2022	ग्राम केसला में विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। स्ट्रीट लाईट कनेक्शन हेतु आवेदन करने के लिए वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत केसला को सूचित किया गया है।		
75	मीटर रीडर पैलेन्द्र को अन्यंत्र स्थानांतरण करने बाबत। अर्जुनी आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2022	अर्जुनी	14.12.2022	अर्जुनी वितरण केन्द्र में ठेका आधार पर अनुबंधित मीटर रीडर श्री पैलेन्द्र का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उनका अनुबंध वर्ष 2022 में समाप्त कर दिया गया है।		
76	सब स्टेशन खोलने के संबंध में। डुंडेरा आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2022	तुमड़ीबोड़	21.12.2022	ग्राम डुंडेरा में 33/11 केव्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु कार्यपालक निदेशक (सं./सं.) रायपुर के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत कार्यादेश क्रमांक 0002 दिनांक 01.01.2025 को जारी कर कर आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यपालन अभियंता परियोजना संभाग राजनांदगांव को प्रेषित किया गया है।		
77	लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने के संबंध में। अमलीडीह, कोलिहापुरी, ओडारबांधी, टोलागांव आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2023	तुमड़ीबोड़	07.6.2023	सुखरी में 63 केव्ही का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 27.01.2024, पथराटोला में 63 केव्हीए का अतिरक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 25.01.2024, अमलीडीह में 63 केव्हीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 08.11.2023, कोलिहापुरी में 63 केव्हीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 29.01.2024, ओडारबंध में 63 केव्हीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 25.01.2024 एवं टोलागांव में 63 केव्हीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 28.01.2024 को लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया गया है।		
78	अस्थाई विद्युत कनेक्शन को स्थाई करने बाबत्।	2023	तुमड़ीबोड़	27.07.2023	ग्राम मचानपार के श्री राजेन्द्र गहने आ. स्व. विशालदास गहने को सर्विस बीपी कमांक 1000868104, श्री जगन्नाथ आ0 रामरतन साहू को सर्विस बीपी कमांक 1002442905, श्रीमती कमला बाई पति स्व. मंगला दास को सर्विस बीपी कमांक 1002772588 एवं श्री हिंसा राम साहू आ. खोरबाहरा साहू को सर्विस बीपी कमांक 1002341463 से उनके परिसर में घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है।		
79	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने बाबत्। मोखली आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2024	अर्जुनी	08.01.2024	ग्राम पंचायत मोखली में 63 केव्हीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिनांक 27.01.2024 को लगाकर चालू कर दिया गया है एवं सत्र 2024-2025 में पंप लाईन में भी एक नग नये 25 केव्हीए ट्रांसफार्मर लगाया गया है जिससे वर्तमान में ग्राम मोखली में ट्रांसफार्मर में ओवर लोडिंग एवं लो वोल्टेज संबंधी समस्या नहीं है, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।		

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

80	ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग करने बावत्। खैरी आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2021	अर्जुनी	08.01.2021	सहायक अभियंता उपसंभाग बोरी एवं कनिष्ठ अभियंता तुमडीबोड़ द्वारा दिनांक 19.01.2024 को स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि 63 केव्हीए ट्रांसफार्मर जो कि खैरी नाला से लगभग 70 मीटर की दूरी पर स्थापित है तथा ट्रांसफार्मर सीधा है। ट्रांसफार्मर डीपी की नाले की दूरी 70 मीटर होने के कारण वर्तमान में भविष्य में नाले में गिरने की संभावना नहीं है। अतः ट्रांसफार्मर शिफिटंग की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।		
81	स्थाई विद्युत कनेक्शन लगाए जाने बाबत्। ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग करने बाबत्। आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2025	अर्जुनी	10.10.2025	ग्राम अर्जुनी के उपभोक्ता 1. श्री पुनाराम निषाद 2. छात्री देवी वैष्णव 3. लीलाधर 4. होमीन बाई 5. डालेश्वरी द्वारा विधायक महोदय के समक्ष अस्थायी विद्युत कनेक्शन को स्थायी करने हेतु निवेदन किया गया था जिसके तारतम्य में 061 स्कीम के तहत 1 नग 25 के.व्ही.ए. का ट्रांसफार्मर लगाकर सभी उपभोक्ताओं को स्थायी घरेलू विद्युत कनेक्शन जनवरी–2026 में प्रदाय किया गया।		
82	बिजली कटौती, लो–वोल्टेज एवं नया ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में। अर्जुनी आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2024	अर्जुनी	12.09.2024	ग्राम अर्जुनी एवं पूरे क्षेत्र में लो–वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है। सभी ट्रांसफार्मर में कटआउट एवं पैनल बाक्स लगे हुए है। ग्राम गोडरी, सालिकझिटिया, व चमाररायटोलागांव, कविराज टोलागांव, रामपुर, घोरदा, बनहरदी में नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ग्राम घोरदा में पीताम्बरा राईस मिल के पास नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है व पुनाराम के घर के पास जर्जर ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। ग्राम कोटरासरार में गली लाईन को सुधार दिया गया है। 132 केव्ही उपकेन्द्र जंगलपुर से 33/11 केव्ही टप्पा फीडर, तुमड़ीबोड़ फीडर, इंडस्ट्रीयल फीडर इंदामारा एवं रेवाडीह फीडर निकलती है जिससे शहर सहित उन फीडरों के आसपास के ग्रामों को भी विद्युत सप्लाई की जाती है।		
83	आबादी पारा में विद्युत पोल लगाने के संबंध में। छुईखदान आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2025	अर्जुनी	20.8.2025	ग्राम पंचायत छुईखदान के आबादी पारा में श्री जितेन्द्र कुमार/सुकदेव साहू को घरेलू स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु पोल विस्तार कर कनेक्शन बीपी क्रमांक 1010183404 दिनांक 30.03.2026 को प्रदाय कर दिया गया है।		

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

84	ग्राम रामपुर में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र बनाने बाबत	2025	अर्जुनी	29.9.2025	ग्राम रामपुर में 33/11 केव्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु कार्यपालक निदेशक (सं./सं.) रायपुर के पत्र कमांक 4718 दिनांक 12.02.2026 से राशि 196.92 लाख रू. की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश कमांक 0002 दिनांक 30.03.2026 को जारी कर कर आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यपालन अभियंता परियोजना संभाग राजनांदगांव को प्रेषित किया गया है।		
85	ट्रांसफार्मर को हटाने के संबंध में। पैरी आवेदक मान. श्री दलेश्वर साहू	2025	अर्जुनी	29.9.2025	ग्राम ग्राम पैरी, ग्राम पंचायत सालिकझिटिया के बुढ़ादेव मंदिर खेल मैदान के पास स्थित ट्रांसफार्मर को अन्यंत्र स्थानांतरण करने हेतु प्राक्कलन कमांक जी.48035261440 दिनांक 25.06.2026 राशि 416170/- स्वीकृत कर मांग पत्र मान. विधायक महोदय को जारी कर दिया गया है। भुगतान उपरांत नियमानुसार ट्रांसफार्मर विस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।		
86	ग्राम खुड़मुड़ी में नवीन पोल विस्तार हेतु	2024	मुसराकला	13.09.2024	नवीन पोल विस्तार जल प्रदाय कनेक्शन हेतु पूर्ण कर दिया गया है।		
87	ग्राम मेरेगांव में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हेतु।	2024	मुरमुंदा	17.06.2024	2 नग अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।		
88	ग्राम खुर्सीपार ग्राम पंचायत पीपरखारकला में 63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए. बदलने बाबत।	2021	डोंगरगढ़ ग्रामीण	30.10.2021	ग्राम खुड़मुड़ी में 2026 में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत है जल्द ही कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।		

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 214) की जानकारी

प्रपत्र

ल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिला अंतर्गत विगत दो वर्षों में 50 लाख अथवा उससे अधिक के जारी निविदाओं की जानकारी

स-क्र	कार्य का नाम	रिमार्क
1	4	6
कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर		
1	नगाराडीह (शमशान घाट के पास) स्टापडेम कार्य	
2	कुंआपाली जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य	
3	खारंग जलाशय अंतर्गत नरगोड़ा शाखा नहर पोड़ी शाखा एवं कौड़िया शाखा नहर एवं पक्के कार्य का सुदृढ़ीकरण कार्य।	
4	लोकल नाला पर परसदा (उ.) स्टाप डेम निर्माण	
5	लोकल नाला पर देवकिरारी स्टाप डेम निर्माण	
6	खारंग जलाशय के पुराने विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कार्य	
7	डोभा तालाब	
8	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मोहतरा वितरक नहर लाईनिंग चैन निर्माण एवं मरम्मत कार्य	
9	गुदगुदा नाला पर फदहा स्टापडेम का निर्माण	
10	खारंग जलाशय योजना अंतर्गत पाराघाट माईनर नहर के आर.डी. 765 मी. से 1315 मी. तक आर.सी.सी. बैरल का निर्माण कार्य।	
11	खारंग जलाशय योजना के बांध 'अ' से बोटिंग साईड तक सी.सी.रोड़ निर्माण, 'अ' बांध एवं 'ब' बांध में पिचिंग का पुर्नस्थापन तथा वेस्ट वियर के 'ब' बांध में रेलिंग एवं अन्य विविध कार्य।	
12	लगरा एनीकट में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण	
13	अरपा नदी में दहराघाट ग्राम गोंदईया के पास डाईक निर्माण	
14	भरारी व्यपवर्तन योजना	
15	सोठी जलाशय योजना	
16	कार्य का नाम खारंग जलाशय दांयी तट नहर के आर.डी. 1300 मी. से 1350 मी. के बीच नहर लायनिंग की मरम्मत और रिटेनिंग वॉल का निर्माण, आरडी, 10560 मी. से 10575 मी. के बीच नहर लायनिंग की मरम्मत, आर.डी. 8890 से 8905 मी. के बीच नहर लायनिंग की मरम्मत, पौसरा वितरक नहर के बैमा माईनर के आर.डी. 720 मी पर पाईप व्ही. आर. बी. का निर्माण, पौसरा वितरक के बैमा माईनर के आर.डी. 1080 मी. पर पाईप व्ही. आर. बी. का निर्माण, पौसरा वितरक के आर. डी. 1290 मी. पर स्लैब व्ही. आर. बी. का निर्माण, बिलासपुर कार्यालय भवन वाटर पुकिंग तथा अन्य मरम्मत कार्य, खारंग जलाशय परियोजना के बांगी तट नहर के आर. डी. 19000 मी. का मरम्मत कार्य, खारंग जलाशय परियोजना के बांयी तट नहर के आर. डी. 17600 मी. से 17630 मी. पर मुख्य नहर की मरम्मत, सीपत माईनर के आर. डी. 500 मी. पर प्रोटेक्शन वाल का निर्माण, मोहतरा वितरक नहर के आर.डी. 4560 मी. पर हयूम पाईप व्ही.आर.बी. का निर्माण, खजुरी माईनर के आर.डी. 1740 मी. पर हयूम पाईप व्ही.आर.बी. का निर्माण, खारंग जलाशय बांयी तट नहर के आरडी. 38280 मी. पर नहर की सी.सी. लाईनिंग और डायरेक्ट आउलेट की मरम्मत।	
17	बनियाडीह जलाशय का जीर्णोद्वार, स्पील चैनल, शूटफाल मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य	
18	खारंग जलाशय के स्पील चैनल के शुटफॉल बांयी तट पर प्रोटेक्शन वाल तथा स्पिल चैनल के बेडमें कांक्रिटिंग कार्य	
19	खारंग जलाशय योजना के दांयी तट नहर के पौंसरा नहर, बैमा माईनर एवं बैमा सब नहर के पक्के कार्यो तथा नहर बैक का सुदृढ़ीकरण पूर्ननिर्माण एवं नहर के सी.सी. लाईनिग का जीर्णोद्वार मरम्मत कार्य।	
20	खारंग जलाशय परियोजना अन्तर्गत लूथरा माईनर, जुहली माईनर नहर के सी.सी. लाईनिग एवं नहर बैंक का मरम्मत, जीर्णोद्धार, पोड़ी शाखा नहर के ड़ी.सी. आर.ड़ी. 900 मी. एवं कौड़िया शाखा नहर के डी.सी. आर.डी.1590 मी. का पुर्ननिर्माण कार्य।	

.-क्र	कार्य का नाम	रिमार्क
1	4	6
21	ग्राम सीपत स्थित पनभरिया जलाशय का उन्नयन कार्य	
22	खारंग बांयी तट मुख्य नहर के आर.डी. 41130 मी. से 46160 मी. के बीच सी.सी. लाईनिग की मरम्मत नवीनीकरण आर.डी. 42030 मी. पर फुट ब्रिज, आर.डी. 67320 मी. पर क्रास ड्रेनेज और 05 नंबर फाल के पुर्ननिर्माण का कार्य।	
23	अरपा नदी के शिवघाट पर बैराज का निर्माण	
24	खारंग जलाशय - अनुरक्षण एवं मरम्मत - बांध एवं नहर	
25	पौंसरी जलाशय योजना का शीर्ष एवं नहर का रिमाडलिंग एवं नहर कार्य	
26	खारंग जलाशय योजना के दांयी तट नहर की खैरखुण्डी माईनर आर.ड़ी. 0 मी. से आर.ड़ी. 720 मी. के बीच, सरवनदेवरी माईनर आर.ड़ी. 0 मी. से आर.ड़ी. 1300 मी.के बीच, लखराम माईनर आर.ड़ी. 0 मी. से आर.ड़ी 1780 मी. के बीच, लखराम सब माईनर आर.ड़ी. 0 मी से आर.ड़ी.1240 मी. के बीच,सिंघरी सब माईनर आर.ड़ी. 0 मी. से आर.ड़ी 440 मी. के बीच, परसदा डिस्ट्रीब्यूटरी आर.ड़ी. 0 मी. से आर.ड़ी. 5710 मी. के बीच सी.सी.लाईनिग मरम्मत सुधार कार्य।	
27	बहतराई जलाशय का उन्नयन एवं नहर लाईनिंग कार्य	
28	ग्राम नवागांव (हथनी) के समीप लोकल नला में एनीकट निर्माण कार्य	
29	लखराम एनीकट, डाउन स्ट्रीम फलोर मरम्मत कार्य	
30	एरमसाही शाखा नहर के लाईनिंग एवं पक्के कार्यो का जीर्णोद्धार	
31	खारंग जलाशय योजना के बांयी तट मुख्य नहर के आर.डी. 33015 मी. पर व्ही.आर.बी. की निर्माण कार्य।	
32	खारंग जलाशय परियोजना अंतर्गत दांयी तट नहर का सुदृढ़ीकरण तथा स्ट्रक्चर्स का निर्माण कार्य	
33	अकलतरी जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य	
34	अरपा नदी के पचरीघाट पर बैराज का निर्माण	
35	मोहरा शाखा नहर, कर्रा शाखा नहर, बरेली माईनर एवं देवरी माईनर का लाईनिंग का मरम्मत एवं पक्के कार्यो का जीर्णोद्धार	
36	खारंग जलाशय के दांयी तट नहर के आर.डी. 150 मी. से आर. डी. 23070 मी. के मध्य क्षतिग्रस्त नहर मार्ग का मरम्मत कार्य एवं बैरिकेट निर्माण कार्य।	
37	खारंग जलाशय योजना के बांयी तट नहर के आर.डी. 20990 मी. से 21990 मी. तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य एवं आर.डी. 20990 मी. पर निर्मित व्ही.आर.बी. के एलाईनमेंट में सुधार कार्य। (डिपाजिट मद)	
38	पेण्डारी जलाशय का उन्नयन एवं नहर लाईनिंग कार्य	
कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड		
1	बेलगहना जलाशय के बांध का जीर्णोद्धार हेउ स्लूस का मरम्मत एवं मुख्य नहर में आर.डी. 0 मी. से 500 मी. तक लाईनिंग कार्य एवं 150 मी. में आर.सी.सी. चैनल 01 नग ड्रेनेज व 10 नग आउट लेट का निर्माण कार्य ।	
2	चुनाखोदरा जलाशय योजना के बांध का नवीनीकरण हेड स्लूस आर.सी. चुनाखोदरा सी. चैनल फलशबार एवं आर.डी. 0.00 मी. से 1470 मी. तक सी.सी. लाईनिंग कार्य, 05 नग डायरेक्ट आउटलेट का निर्माण कार्य एवं वेस्ट वियर पर जेकेटिंग का कार्य।	
3	जेवस व्यपवर्तन योजना की नहरों का मरम्मत एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य।	
4	बरपाली व्यपवर्तन योजना की शीर्ष कार्य एवं नहरों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य तथा सी.सी. लाईनिंग कार्य का निर्माण कार्य।	
5	बिलासपुर जिले के विकासखण्ड कोटा अंतर्गत सिलपहरी एनीकट का निर्माण कार्य।	
6	मांझीपारा स्टापडेम सह रपटा एवं इंटेकवेल सह पंप हाउस का निर्माण साथ ही सौर पंप पाईप एवं वितरण नेटवर्क की स्थापना सहित सिस्टम का संचालन और रखरखाव का निर्माण कार्य।	
7	बांसाझाल स्टापडेम सह रपटा एवं इंटेकवेल सह पंप हाउस का निर्माण साथ ही सौर पंप पाईप एवं वितरण नेटवर्क की स्थापना सहित सिस्टम का संचालन और रखरखाव का निर्माण कार्य	

।-क्र	कार्य का नाम	रिमार्क
1	4	6
8	सरगुजियापारा एनीकट एवं इन्टेकवेल सह पंप हाउस का निर्माण साथ ही सौर पंप पाईप एवं वितरण नेटवर्क की स्थापना सहित सिस्टम का संचालन और रखरखाव कार्य।	
9	सत्तीबहरा स्टापडेम सह रपटा एवं इन्टेकवेल सह पंप हाउस का निर्माण साथ ही सौर पंप पाईप एवं वितरण नेटवर्क की स्थापना सहित सिस्टम का संचालन और रखरखाव कार्य।	
10	चांपी जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर के आर.डी. 10 मी. से 360. मी. तक आर.सी.सी. चैनल निर्माण आर.डी. 360 पर क्रास रेगुलेटर कम स्केप का जीर्णोद्धार आई.बी. पहुंच मार्ग तथा मुख्य नहर एवं माईनर नहरों में व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य।	
कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोट		
1	अरपा भैंसाझार परियोजना - सामान्य - निर्माण कार्य - बांध एवं नहर	
2	गुनसरी एनीकट निर्माण	
3	दवनपुर जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर मरम्मत कार्य।	
4	महामाया जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	
5	साल्हेडबरी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	
6	लमेर नाला पर ग्राम खुरदुर में एनीकट निर्माण	
7	कठमुण्डा (पकरिया) एनीकट का निर्माण	
8	मंझगांव एनीकट 02 का निर्माण कार्य	
9	मझवानी एनीकट-2 का निर्माण	
10	बेलपान टिकरी स्टापडेम का निर्माण	
11	घोंघा मध्यम जलाशय की दायी तट नहर का मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य	
12	ग्राम खरगहना में लमेर नाला पर एनीकट निर्माण	
13	आमामुड़ा डायवर्सन योजना की मुख्य नहर/माईनर नहर लाईनिंग कार्य	
14	बंधवा (भरनी) जलाशय योजना का जीर्णोद्धार कार्य	
15	लोवर मनियारी व्यपवर्तन के ऊंचाई में वृद्धि एवं नहर लाईनिंग कार्य	
16	अरपा सिंचाई कॉलोनी सकरी में 02 वि./यां. संभागीय कार्यालय, 02 उपसंभागीय कार्यालय एवं कर्मशाला निर्माण कार्य	
17	बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा के अंतर्गत मझगांव एनीकट योजना में एप्रोच रोड आर.डी. 375 मी. से 750 मी. तक निर्माण कार्य।	
18	बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा के अंतर्गत मझगांव एनीकट योजना में एप्रोच रोड आर.डी. 0 मी. से 375 मी. तक निर्माण कार्य।	
19	बिलासपुर ज़िले में 44 हेक्टेयर खरीफ और 44 हेक्टेयर रबी (इंडेक्स मैप में दिखाए गए अनुसार बरार एनिकट के दाईं ओर) के लिए, कुल 100 हेक्टेयर के ग्रॉस कमांड एरिया में, सोलर माइक्रो इरिगेशन (ड्रिपस्प्रिंकलर) के लिए किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए एक प्रेशराइज़्ड पाइप सिस्टम का निर्माण करना है। यह सिस्टम 1 हेक्टेयर तक के खेत में 0.84 लीटरसेकंडहेक्टेयर की ड्यूटी पर पानी पहुँचाएगा, और 4 हेक्टेयर तक के चक (चक) में भी काम करेगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 हेक्टेयर पर डिस्चार्ज कम से कम ड्यूटी का 3 गुना हो, और माइक्रो प्रेशराइज़्ड इरिगेशन के लिए 1 हेक्टेयर पर कम से कम 20 मीटर का रेसिडुअल हेड (दबाव) बना रहे। यह सिस्टम बरार एनिकट की सबमर्जेंस लाइन (लाइन) से 500 मीटर से आगे के पूरे कॉम्पैक्ट, सटे हुए और खेती योग्य क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करेगा, जैसा कि इंडेक्स मैप में दिखाया गया है। इस माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए सोलर पंपों की कुल बिजली की ज़रूरत 250 के सोलर पैनल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस काम में सर्वे, जाँच, डिज़ाइनिंग, लागत का अनुमान लगाना, खरीद, निर्माण, पाइप बिछाना।	
20	बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा अंतर्गत ढोलमहुआ एनीकट निर्माण कार्य।	
कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी		
1	जिला बिलासपुर अंतर्गत निर्मित बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर जलद्वारों के सुधार/मरम्मत, विद्युतीयकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य।	
2	जिला बिलासपुर अंतर्गत निर्मित घोंघा मध्यम जलाशय के जलद्वारों एवं वि./यां. उपकरणों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य।	

स-क्र	कार्य का नाम	रिमार्क
1	4	6
3	जिला बिलासपुर के अंतर्गत खोंगसरा व्यपवर्तन के जलद्वारों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य।	
कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर, जल प्रबंध संभाग, जांजगीर		
1	बिलासपुर स्थित सकरी आवासीय परिसर के खेल मैदान का समतलीकरण बाउण्ड्री एवं बैठक व्यवस्था सामुदायिक भवन का उन्नयन एवं 50 नग आवासीय भवनों में छत पर एसी सीट लगाना एवं 10 नग वर्कर क्वार्टर का उन्नयन।	
2	मुख्य अभियंता, कार्यालय परिसर, सकरी एवं कुदुदण्ड कॉलोनी में बीटी-रोड़ का नवीनीकरण कार्य, कुदुदण्ड एवं नूतन कॉलोनी बिलासपुर के आवासों में पोताई एवं पेंटिंग कार्य।	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 03-07-2026
16:32:19

मुख्य अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

मुख्य अभियंता (प्रबो.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन
अटल नगर, जिला–रायपुर

परिशिष्ट - उन्यासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 215) की जानकारी

प्रपत्र-

एयरपोर्ट का उन्नयन कार्य पूर्ण/अपूर्ण का विवरण

वर्ष 2022–23			
कार्य	विवरण	केन्द्र से प्राप्त व एयरपोर्ट विकास हेतु प्रदाय राशि (लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण
सिविल कार्य :–	संबंधित टर्मिनल बिल्डिंग का उन्नयन कार्य	2.80	पूर्ण
विद्युत/तकनीकी कार्य :–	रनवे विस्तार होने के कारण पैरीमीटर लाईअर शिफ्टिंग का कार्य	17.95	पूर्ण
	एयरपोर्ट से प्रस्तावित नये प्रस्थान कक्ष (सीटी साईड में विद्युतीकरण एवं सी.सी.टी.वी. का कार्य)	28.56	पूर्ण
	निर्माणाधीन वॉच टॉवर के विद्युतीकरण एवं पॉवर सप्लाई केबल संस्थापन का कार्य	11.71	पूर्ण
	एयरपोर्ट में संस्थापित पापी लाईट, डब्ल्यू.डी.आई, एल.डी. आई., डी.जी.सेट से संबंधित कार्य	19.98	पूर्ण
योग :–		81.00	
वर्ष 2023–24			
सिविल कार्य:–	टर्मिनल बिल्डिंग का उन्नयन	181.98	पूर्ण
	3C IFR में उन्नयन किये जाने हेतु	836.98	पूर्ण
	बांउड्रीवॉल निर्माण	27.01	पूर्ण

क्रमश..2.

//2//

विद्युत/तकनीकी कार्य :–	3C VFR से 3C IFR में उन्नयन हेतु एजीएल लाईटनिंग वर्क, डीजीसेट, हाई मास्ट, पैरी मीटर लाईट, सीसीआर रूम, सीसीआर पैनल, से संबंधित	1085.53	पूर्ण
	टर्मिनल बिल्डिंग में ए.सी एवं अन्य आवश्यक विद्युत कार्य	35.88	पूर्ण
	OLS सर्वे	8.85	पूर्ण
योग :–		2176.23	
वर्ष 2024–25			
सिविल कार्य :–	टर्मिनल बिल्डिंग का उन्नयन	10.11	पूर्ण
	3C IFR में उन्नयन किये जानें हेतु निर्माण	187.92	
	बाउंड्रीवॉल निर्माण	107.29	
	टर्मिनल बिल्डिंग का उन्नयन कार्य व अन्य निर्माण कार्य	750.99	पूर्ण वर्ष 2023–24 में किये गये कार्यों की शेष राशि प्राप्त
विद्युत/तकनीकी कार्य :–	OLS सर्वे	8.85	पूर्ण
योग :–		1065.16	

(पोलीकार्प टोप्पो)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
विमानन विभाग

परिशिष्ट - अस्सी
अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 226) की जानकारी

दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 16 जून 2026 तक की अवधि में घरेलू, कृषि एवं व्यवसायिक बिजली की दरों में वृद्धि का विवरण

श्रेणी – निम्नदाब घरेलू

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दि... 15.06.2026 की वि... में वृद्धि	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी (रू./किवा...
1	0–100	3.70	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	3.90	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	0.20	0.00	4.10	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 40/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	0.20	0.00	4.40	रू. 20/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा तक रू. 30/किवा/माह स्वीकृत भार 5 किवा से अधिक और 10 किवा तक रू. 50/किवा/माह स्वीकृत भार 10 किवा से अधिक	0.30	रू. 10 प्र... वाट प्रति... (स्वीकृत भ... किवा से अ... वाले उपभो... के लि...
2	101–200	3.90		4.10		0.20		4.20		0.10		4.50		0.30	
3	201–400	5.30		5.50		0.20		5.60		0.10		6.00		0.40	
4	401–600	6.30		6.50		0.20		6.60		0.10		7.00		0.40	
5	601 और अधिक	7.90		8.10		0.20		8.30		0.20		8.80		0.50	

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

श्रेणी – उच्चदाब घरेलू

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्र (रू. /केवीए/
1	सम्पूर्ण खपत पर	6.05	375	6.55	375	**0.50**	**0.00**	6.80	375	**0.25**	**0.00**	7.10	400	**0.30**	रू. 25 प्र केव्हीए प्रति

श्रेणी – निम्नदाब कृषि

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्रभार (रू./एचपी/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी प्र (रू. /एचपी/
1	सम्पूर्ण खपत पर	5.05	100	5.30	100	**0.25**	**0.00**	5.80	100	**0.50**	**0.00**	6.20	100	**0.40**	**0.00**

श्रेणी – उच्चदाब कृषि

स.क्र.	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति	
		ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्र (रू. /केवीए/
1	सम्पूर्ण खपत पर	5.85	375	6.35	375	**0.50**	**0.00**	6.60	375	**0.25**	**0.00**	7.00	400	**0.40**	रू. 25 प्र केव्हीए प्रति

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

श्रेणी – निम्न गैर घरेलू (व्यवसायिक)

स.क्र	उप-श्रेणी	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति	
			ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/मांग प्रभार (रू./किवा/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	स्थायी/ प्रभार (रू./किवा
1	सिंगल फेस (5 किवा तक)	0–100	5.85	50	6.05	50	0.20	0.00	6.30	50	0.25	0.00	6.50	60	0.20	रू. 10 प्रति वाट प्रति
2		101–400	6.85		7.05		0.20		7.30		0.25		7.60		0.30	
3		401 और अधिक	8.25		8.45		0.20		8.70		0.25		9.10		0.40	
4	थ्री फेस (15 किवा तक)	0–400	6.85	120	7.05	120	0.20	0.00	7.30	120	0.25	0.00	7.50	130	0.20	रू. 10 प्रति वाट प्रति
		401 और अधिक	8.25		8.45		0.20		8.70		0.25		9.00		0.30	
5	थ्री फेस (15 किवा से अधिक)	सम्पूर्ण खपत पर	7.55	200	7.75	200	0.20	0.00	8.00	200	0.25	0.00	8.40	210	0.40	रू. 10 प्रति वाट प्रति

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

श्रेणी – उच्चदाब गैर घरेलू (व्यवसायिक)

स.क्र.	उप–श्रेणी (आपूर्ति वोल्टेज)	यूनिट स्लैब	वर्ष 2023–24 (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023) (01.04.2023 से लागू)		वर्ष 2024–25 (टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024) (01.06.2024 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2025–26 (टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025) (01.07.2025 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 की स्थिति में वृद्धि		वर्ष 2026–27 (टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026) (01.07.2026 से लागू)		टैरिफ आदेश दिनांक 15.06.2026 की स्थिति मे	
			ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)	मांग प्र (रू./केवीए/
1	220 केवी	सम्पूर्ण खपत पर	6.45	375	6.55	375	**0.10**	**0.00**	6.65	375	**0.10**	**0.00**	6.95	400	**0.30**	रू. 25 प्र केव्हीए प्रति
2	132 केवी		6.60	375	6.70	375	**0.10**	**0.00**	6.80	375	**0.10**	**0.00**	7.10	400	**0.30**	रू. 25 प्र केव्हीए प्रति
3	33 केवी (लोड फैक्टर >15%)		6.85	375	6.95	375	**0.10**	**0.00**	7.20	375	**0.25**	**0.00**	7.55	400	**0.35**	रू. 25 प्र केव्हीए प्रति
4	33 केवी (लोड फैक्टर ≤15%)		7.05	190	7.15	190	**0.10**	**0.00**	7.40	190	**0.25**	**0.00**	7.75	200	**0.35**	रू. 10 प्र केव्हीए प्रति
5	11 केवी (लोड फैक्टर >15%)		7.25	375	7.35	375	**0.10**	**0.00**	7.60	375	**0.25**	**0.00**	7.85	400	**0.25**	रू. 25 प्र केव्हीए प्रति
6	11 केवी (लोड फैक्टर ≤15%)		7.45	190	7.65	190	**0.20**	**0.00**	7.9	190	**0.25**	**0.00**	8.15	200	**0.25**	रू. 10 प्र केव्हीए प्रति

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-

क्रं.	रेत खदान का नाम/ग्राम/ग्राम पंचायत	रकबा (हे.)	पटटेदार का नाम	स्वीकृत अवधि	पर्यावरण सम्मति में स्वीकृत उत्खनन क्षमता (घनमी./वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024–25					वित्तीय वर्ष 2025–26				
						रायल्टी राशि	नीलामी राशि	पर्यावरण उपकर	अद्योसंरचना विकास उपकर	कुल	रायल्टी राशि	नीलामी राशि	पर्यावरण उपकर	अद्योसंरचना विकास उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जिला रायपुर															
1	चिखली (अ)	4.95	श्री आदित्य कुमार वर्मा	31.05.2024 से 30.05.2030	44500	1290000	1419000	145125	145125	**2999250**	2225000	2447500	250313	250313	**51731**
2	चिखली (ब)	4.95	श्री रोहित खेडिया	30.05.2024 से 29.05.2029	44500	2220000	2442000	249750	249750	**5161500**	2220000	2442000	249750	249750	**51615**
जिला महासमुंद															
1	बड़गांव/बड़गांव	5	श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल	30.05.2024 से 29.05.2029	45000	480000	604800	54000	54000	**1192800**	960000	1209600	108000	108000	**2385600**
2	बड़गांव/बड़गांव	4.5	श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल	30.05.2024 से 29.05.2029	40500	1080000	1360800	121500	121500	**2683800**	900000	1134000	101250	101250	**2236500**

रेत खदान का नाम/ग्राम/ग्राम पंचायत	रकबा (हे.)	पटटेदार का नाम	स्वीकृत अवधि	पर्यावरण सम्मति में स्वीकृत उत्खनन क्षमता (घनमी./वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024–25					वित्तीय वर्ष 2025–26				
					रायल्टी राशि	नीलामी राशि	पर्यावरण उपकर	अधोसंरचना विकास उपकर	कुल	रायल्टी राशि	नीलामी राशि	पर्यावरण उपकर	अधोसंरचना विकास उपकर	कुल
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मुड़ियाडीह/पासीद	4.8	श्री सौरभ चन्द्राकर	30.05.2024 से 29.05.2029	43200	375000	472500	42188	42188	**931876**	1540000	1940400	173250	173250	**3826900**
लाफिनखुर्द/लाफिनखुर्द	5	श्रीमती शालिनी सिंह	25.06.2024 से 24.06.2029	30000	50000	63000	5625	5625	**124250**	830000	1045800	93375	93375	**2062550**
लामीसरार/उखरा	3.8	श्री अरविंद कुमार सिंह	25.06.2024 से 24.06.2029	21444	15000	18900	1687.5	1687.5	**37275**	195000	245700	1695	1695	**444090**
बल्दीडीह/बल्दीडीह	5	श्री रोहित साहू	21.10.2024 से 20.10.2029	22560	235000	296100	26437.5	26437.5	**583975**	185000	233100	20812.5	20812.5	**459725**

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 03-07-2026
12:52:15

परिशिष्ट - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क्र. 248) की जानकारी

प्रपत्र-

//ग्रामों की सूची//

क्र.	अनुभाग का नाम	ग्राम	क्र.	अनुभाग का नाम	ग्राम	क्र	अनुभाग का नाम	ग्राम	क्र	अनुभाग का नाम	ग्राम
1	जशपुर	डबनीपानी	21	कुनकुरी	कण्डोरा	41	बगीचा	डंडाजोर	61	पत्थलगांव	गाला
2		लोखण्डी	22		कोमडो	42		खुटीटोली	62		मुड़ापारा
3		भेलवाडीह	23		कुनकुरी	43		नरियरडांड	63		झक्कडपुर
4		बोकी	24		पण्डरीपानी	44		रजौटी	64		पगसुवा
5		झोलंगा,	25		फरसाकानी	45		बगिया	65		बुढाडाड़
6		साईटांगरटोली	26		रायकेरा	46		पुसरा			
7		चौलीटांगरटोली	27		रेमते	47		मुसकुटी			
8		पोरतेंगा	28		बोडोछापर	48		दूढरूडांड			
9		नारायणपुर	29		बम्हनी	49		फरसाजुडवाईन			
10		गिरला	30		बासपतरा	50	पत्थलगांव	कछार			
11		बिरोपानी	31		बरपानी	51		चन्दरपुर			
12		बरगांव	32		चराईडांड	52		डुमरबहार			
13		घोराघाट	33		जामपानी	53		तिरसोंठ			
14		चराईडांड	34	कुनकुरी	कस्तुरा	54		बनगांव बी			
15		पुत्रीचौरा	35		खटंगा	55		बेलडेगी			
16	कुनकुरी	बेमताटोली	36		खुंटीटोली	56		लोकेर			
17		बोड़ोकछार	37		लोरो	57		सूरजगढ़			
18		ढोढीबहार	38		पतराटोली	58		कछार			
19		घुमाडाड़	39	बगीचा	टांगरगांव	59		तुरूवाआमा			
20		गिनाबहार	40		सूजीबहार	60		कटंगजोर			

Digitally signed by
ROHIT VYAS
Date: 03-07-2026
18:58:02

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

कलेक्टर,
जिला जशपुर (छ ग)

परिशिष्ट - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 (क्र. 249) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	तहसील का नाम	आयोजित शिविर हेतु ग्राम पंचायत का नाम	शिविरों में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल लंबित आवेदनों की संख्या
1	पत्थलगांव	गाला, ईला, पत्थलगांव, सुसडेगा, मुड़ेकेला, बहनाटांगर	74	63	11
2		कुनकुरी, तिलडेगा, बंदियाखार, सुरेशपुर	30	25	5
3		मुड़ेकेला, केराकछार, गोढ़ीकला, दिवानपुर, झक्कड़पुर, करमीटिकरा, डुडूंगजोर, शेखरपुर, दीवानपुर	80	66	14
4		पालीडीह, कुमेकेला, बटुराकछार, मक्कापुर, पतरापाली, किलकिला	38	34	4
5		बहनाटांगर, बूढ़ाडांड, खरकट्टा, मदनपुर इंजको, सूरजगढ़, कुडकेलखजरी, मिर्जापुर, घरजियाबथान	62	62	0
6		नारायणपुर, बहनाटांगर, पंगसुआ, खारढोढ़ी, टुकूपखना, पंडरीपानी, जामनुवानी, बिलडेगी	49	46	3
7		कटंगजोर, चंदागढ़, मौहादरहा, सिलिपखना, रघुनाथपुर, चंदरपुर	43	20	23
8		तमता, बालाझार, बटुराबहार, कछार, हीरापुर, रैरूमाकला, चौराआमा	48	32	16
9		लुडेग, तमता, पाकरगांव, मुड़ापारा, तुरूवाआमा, तिरसोंठ,	45	17	28
10		ईला, गाला, जोराडोल, शिवपुर, पत्थलगांव, सुसडेगा, बहनाटांगर	59	52	7
11		बूढ़ाडांड, कुनकुरी, तिलडेगा, डुडूगजोर, सुरेशपुर, मुड़ेकेला	44	36	8
12		मुड़ेकेला, किलकिला, केराकछार, करमीटिकरा, गोढ़ीकला, झक्कड़पुर	67	56	11
13		बटुाकछार, पतरापाली, सुरेशपुर, बहनाटांगर, सुसडेगा, किलकिला, मिर्जापुर, मक्कापुर, रैरूमाकला, कुमेकेला	42	36	6
14		खरकट्टा	13	13	0
15		खारढ़ोढ़ी	24	19	5
16		करमीटिकरा, मिर्जापुर, रैरूमाकला, जामजुनवानी, हीरापुर, मौहादरहा, कटंगजोर	27	20	7
17		बालाझर, मक्कापुर, रैरूमाकला	8	6	2
18		तमता, खारढ़ोढी, लुड़ेग	10	10	0
		कुल :–	763	613	150

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

	तहसील का नाम	आयोजित शिविर हेतु ग्राम पंचयात का नाम	शिविरों में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल लंबित आवेदनों की संख्या
1		गुडलू	2	2	0
2		बासेन	3	3	0
3		कुर्रोग	10	10	0
4		घुघरी	15	15	0
5		बोड़ापहरी	16	16	0
6		महुवाडीह	7	7	0
7	**बगीचा**	रेंगोला	18	18	0
8		घोघर	22	22	0
9		सरईपानी	20	20	0
10		ढोढरअम्बा	8	8	0
11		मरोल	11	11	0
12		समदुरा	7	7	0
		कुल :–	**139**	**139**	**0**

अनुभाग अधिकारी
एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,

	तहसील का नाम	आयोजित शिविर हेतु ग्राम पंचयात का नाम	शिविरों में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल लंबित आवेदनों की संख्या
1	बागबहार	बनगांव बी	2	2	0
2		जमरगी बी	9	9	0
3		बागबहार	10	10	0
4		रेडे	14	14	0
5		चिकनीपानी	3	3	0
6		कोकियाखार	3	3	0
7		डूमरबहार	2	2	0
8		तरेकेला	12	12	0
9		गोढी बी	0	0	0
10		सराईटोला	2	2	0
11		कुकरीचोली	0	0	0
12		खुंटापानी	3	3	0
13		पेमला	2	2	0
14		कुकुरभुका	6	6	0
15		मयुरनाचा	8	8	0
16		सुरंगपानी	7	7	0
17		बुलडेगा	5	5	0
18		राजाआमा	4	4	0
19		लोकेर	3	3	0
20		जामझोर	3	3	0
21		कर्राबेवरा	7	7	0
22		पतराटोली	1	1	0
23		मधुबन	1	1	0
24		फरसाटोली	2	2	0
25		बनगांव क	0	0	0
26		महेशपुर	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

27		मुडाबहला	4	4	0
		कुकरगांव	0	0	0
		छातासराई	3	3	0
30		खाडामाचा	4	4	0
31		पीठाआमा	0	0	0
32		रोकबहार	0	0	0
33	बागबहार	बधनपुर	3	3	0
34		झिमकी	0	0	0
35		काडरो	0	0	0
36		खजरीढाप	0	0	0
37		खजरीढाप	0	0	0
38		बिरीमडेगा	0	0	0
		कुल :–	**123**	**123**	**0**

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

	तहसील का नाम	आयोजित शिविर हेतु ग्राम पंचयात का नाम	शिविरों में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल लंबित आवेदनों की संख्या
1	कांसाबेल	नकबार	0	0	0
2		साजापानी	0	0	0
3		बटईकेला	0	0	0
4		खुटेरा	0	0	0
5		चिडोरा	0	0	0
6		कुसुमताल	0	0	0
7		कांसाबेल	0	0	0
8		लमडाड़	0	0	0
9		पोंगरो	0	0	0
10		टांगरगांव	6	6	0
11		फरससाजुड़वाईन	5	5	0
12		बरजोर	1	1	0
13		हथगड़ा	8	8	0
14		सेमरकछार	0	0	0
15		कोटानपानी	0	0	0
16		तिलंगा	0	0	0
17		शब्दमुंडा	0	0	0
18		पतराटोली	0	0	0
19		नक्टीमुण्डा	0	0	0
20		पुसरा	4	4	0
21		नारियलडाड़	7	7	0
22		चेटबा	7	7	0
23		खुंटीटोली	10	10	0
24		सिहारबुड़	0	0	0
25		सागीभावना	0	0	0
26		डाड़पानी	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

27	कांसाबेल	खारपानी	0	0	0
28		जुमईकेला	0	0	0
29		कोड़लिया	0	0	0
30		छेराघोघरा	0	0	0
31		केनाडाड़	1	1	0
32		सूजीबहार	3	3	0
33		बगिया	0	0	0
34		ढुढरूडाड़	2	2	0
35		बांसबहार	0	0	0
36		चोंगरीबहार	0	0	0
37		कोरंगा	0	0	0
38		कटंगखार	0	0	0
39		दोकड़ा	0	0	0
40		देवरी	0	0	0
		कुल :–	**54**	**54**	**0**
		महायोग :–	**1079**	**929**	**150**

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– "अ"

क्र.	खदान संचालक का नाम व पता	खदान ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	खनिज का प्रकार	अवधि	क्रेशर की स्थिति	अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित उत्पादन मात्रा (टन में)	पर्यावरण सम्मति अनुसार वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित उत्पादन मात्रा (टन में)	2024 (जनवरी से दिसम्बर)	2025 (जनवरी से दिसम्बर)	2 (जन 20.0 त
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	श्री लालमनी अग्रहरि, निवासी बिलासपुर, छ0ग0	भैंसो	1652/1	4.047	डोलोमाइट	24.03.2018 से 23.03.2068	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	15000	15000	2050	10600	6
2	श्री अजय अग्रवाल, पिता श्री सुभाश चंद्र अग्रवाल, निवासी लिंक रोड बिलासपुर, छ.ग.	भैंसो	1652/1	4.497	डोलोमाइट	22.03.2018 से 21.03.2068	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	90497	100553	565	11063	1
3	भदरेश जी शाह निवासी सलखन नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	सलखन	338	4.000	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	21.09.2006 से 20.09.2036	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	21747	32208	20000	28300	
4	मैत्री कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री अपूर्व शाह,, निवासी ग्राम अंवरीद, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा,	सलखन	338/1	3.790	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	23.09.2002 से 22.09.2032	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	71250	71250	36400	76175	28
5	श्री चिन्ताराम कश्यप, निवासी कचंदा, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	सलखन	8/1	3.036	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	20.10.2003 से 19.10.2033	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	48150	48150	54785	31515	9

क्र.	खदान संचालक का नाम व पता	खदान ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	खनिज का प्रकार	अवधि	क्रॅशर की स्थिति	अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित उत्पादन मात्रा (टन में)	पर्यावरण सम्मति अनुसार वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित उत्पादन मात्रा (टन में)	2024 (जनवरी से दिसम्बर)	2025 (जनवरी से दिसम्बर)	2 (जन 20.0 त
6	श्री विनोद कुमार शर्मा नि0 शिवरीनारायण, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	सुकुलपार I	742/2, 742/3, 743/2	0.554	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	30.06.2012 से 29.06.2042	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	4666	4666	3900	4350	1
7	मेसर्स ओम माईन्स एण्ड मिनरल्स पार्ट. अंकित सलुजा नि0 बिलासपुर, छ0ग0	चण्डीपारा	1/1	3.036	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	03.02.2009 से 02.02.2039	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	20250	16417	7500	5000	1
8	श्री गगन अग्रवाल, अग्रवाल, निवासी बम्हनीडीह, जिला जांजगीर चांपा	खपरी	1/1	3.036	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	01.08.2011 से 31.07.2041	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	150000	150000	24000	117000	11
9	श्री गणेश मिनरल्स प्रो0 संजय केडिया, निवासी अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	झुलन	204	1.214	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	23.10.2009 से 22.10.2039	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	50000	50000	53970	46300	2
10	मे0 एच0एस0 इन्टरप्राईजेस, प्रो0 श्री नीरज शर्मा, निवासी बिलासपुर, छ0ग0	चोरभट्ठी	2010/1	3.460	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	20.01.2006 से 19.01.2036	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	250000	250000	151436	257564	12
11	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स प्रो0 राहुल खण्डेलिया, निवासी अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा,	जेवरा	592	4.000	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	24.07.2009 से 23.07.2039	स्वीकृत लीज क्षेत्र के भीतर	5171	5171	4950	2600	3

M. K. Choube
Section Office
Mining Resources
Mantralaya, Chhatti
Page

प्रपत्र– "ब"

क्र0	खदान संचालक का नाम व पता	खदान ग्राम	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	खनिज का प्रकार	अवधि	जल एवं वायु सम्मति की स्थिति	चि स्थ है/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	श्रीमती शशी मधुकर नि0 पेण्ड्री, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, छ0ग0	हड़हा	पामगढ़	463 / 1, 464 / 2 एवं अन्य	3.700 हे.	मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी)	14.02.2006 से 13.02.2036	जारी दिनांक 16.12.2022, अवधि 09.07.2027 तक प्राप्त है	
2	श्री कुवंर सिंह मधुकर नि0 पेण्ड्री, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, छ0ग0	देवरी	पामगढ़	855 / 1,2, 856 / 1,2 एव अन्य	1.963 हे.	मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी)	01.06.2009 से 31.05.2039	जारी दिनांक 16.12.2022, अवधि 09.07.2027 तक प्राप्त है	
3	श्री निर्मल कुमार साहू, निवासी देवरी, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	देवरी	पामगढ़	810 / 1, 810 / 2, 808 / 2	1.586	मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी)	03.03.2008 से 02.03.2038	जारी दिनांक 10.02.2026, अवधि 09.07.2027 तक प्राप्त है	
4	मेसर्स दिलीप ट्रेडर्स, प्रो0 श्री बल्दू राम साहू, आ0 स्व. श्री उदासीराम साहू, निवासी कनस्दा, तहसील नवागढ़,	कनस्दा	शिवरीनाराय ण	856 / 3, 856 / 4, 856 / 5, 856 / 12	1.044	मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी)	08.07.2002 से 07.07.2032	जारी दिनांक 130.11.2022, अवधि 31.12.2027 तक प्राप्त है	
5	श्री रामखिलावन डहरिया, नि0 भुईगांव, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	भुईगांव	पामगढ़	1083, 1086, 1089 / 1,2,3,4,5, 1118 / 1, 1090 / 2,3,4	1.000 हे.	मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी)	19.03.2025 से 18.03.2055	जारी दिनांक 11.06.2019, अवधि 31.08.2023 तक प्राप्त रहा है।	
6	श्रीमती सुनीता अग्रवाल, पति श्री दीपक कुमार अग्रवाल, निवासी शिवरीनारायण, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	तनौद	पामगढ़	1643, 1644, 1645, 1648, 1649, 1650, 1659 / 1, 1659 / 2, 1659 / 3	1.639 हे.	मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी)	21.02.2006 से 20.02.2036	दिनांक 27.12.2022 आवेदन किया गया।	

Digitally signed by
Madhu Kant Choubey
Date: 02-07-2026

Pag

परिशिष्ट - पच्चासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 (क्र. 259) की जानकारी

प्रपत्र

पीएम सुर्य घर योजना के अंर्तगत सब्सिडी की जिलेवार जानकारी

क.	जिले का नाम	केन्द्र सब्सिडी		राज्य सब्सिडी	
		हितग्राही की संख्या	विमुक्त की राशि	हितग्राही की संख्या	विमुक्त की राशि
1	2	3	4	5	6
1	बालोद	1236	95973270	1053	31547550
2	बलौदाबाजार	3872	301243080	3391	101713650
3	बलरामपुर	235	18306120	204	6120000
4	बस्तर	613	47519550	551	16516350
5	बेमेतरा	1005	77099760	879	26137800
6	बीजापुर	29	2247600	27	810000
7	बिलासपुर	3927	304870710	3267	97858050
8	चिरमिरी--भरतपुर	136	10595760	104	3120000
9	दंतेवाड़ा	57	4430520	38	1140000
10	धमतरी	2794	216568230	2414	72414075
11	दुर्ग	8595	668784570	7301	219011025
12	गरियाबंद	1268	98580180	1121	33630000
13	गौरेला--पेंड्रा--मारवाही	148	11401440	121	3630000
14	जांजगीर--चांपा	2120	165200730	1805	54148500
15	जशपुर	302	23335770	253	7590000
16	कबीरधाम	349	27172680	271	8130000
17	कांकेर	694	53967450	558	16726350
18	खैरागढ़	385	30014400	331	9930000
19	कोंडागांव	1019	79385760	880	26400000
20	कोरबा	1484	113601900	1280	38016000
21	कोरिया	231	17919540	214	6420000
22	महासमुंद	3231	250881360	2874	86193750
23	मोहला--मानपुर	148	11559000	123	3690000
24	मुंगेली	625	48051540	501	14948700
25	नारायणपुर	153	11886120	142	4260000
26	रायगढ़	2455	191141790	2110	63300000
27	रायपुर	12537	977648640	10442	313246350
28	राजनांदगांव	2670	207943830	2240	67183200
29	सक्ती	482	37366380	411	12301350
30	सारागंढ़	1447	112647510	1236	37080000
31	सरगुजा	1007	78374730	874	26220000

उप सचिव

32	सुकमा	61	4758000	52	1560000
33	सूरजपुर	191	14846820	161	4817250
	योग	**55506**	**4315324740**	**47229**	**1415809950**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

परिशिष्ट - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 (क्र. 261) की जानकारी

प्रपत्र

(प्रदेश में 01 जनवरी 2026 से वर्तमान तक ऑनलाईन भूमि डायवर्सन की जिलेवार एवं तहसीलवार जानकारी)

स.क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	रायपुर	1314	1180	0	134
		धरसींवा	340	307	0	33
		आरंग	28	26	0	2
		मंदिर हसौद	51	47	0	4
		अभनपुर	112	54	27	31
		गोबरा नवापारा	28	21	0	7
		तिल्दा	24	18	1	5
		खरोरा	4	1	0	3
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	63	57	2	4
		लवन	1	0	1	0
		भाटापारा	99	63	0	36
		सिमगा	120	55	1	64
		सुहेला	13	4	1	8
		पलारी	11	9	0	2
		कसडोल	23	22	0	1
		टुण्डरा	9	5	0	4
		सोनाखान	4	3	0	1
3	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	122	80	6	36
		बरमकेला	35	24	0	11
		सरिया	22	17	0	5
		बिलाईगढ़	13	12	0	1
		भटगांव	6	6	0	0
		सरसींवा	15	15	0	0
4	गरियाबंद	गरियाबंद	8	6	2	0
		छुरा	7	5	0	2
		फिंगेश्वर	0	0	0	0
		राजिम	27	17	7	3
		मैनपुर	5	5	0	0
		अमलीपदर	7	4	0	3
		देवभोग	17	17	0	0
5	धमतरी	धमतरी	155	90	0	65
		कुरूद	26	16	0	10
		नगरी	5	1	0	4
		भखारा	17	11	0	6

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
		मगरलोड	15	12	0	3
		कुकरेल	0	0	0	0
		बेलरगांव	1	1	0	0
6	महासमुन्द	महासमुन्द	144	70	3	71
		बागबाहरा	38	35	0	3
		कोमाखान	0	0	0	0
		पिथौरा	52	18	9	25
		बसना	52	8	0	44
		सरायपाली	72	13	0	59
7	दुर्ग	दुर्ग	283	75	43	165
		बोरी	7	6	0	1
		भिलाई 03	177	135	8	34
		पाटन	59	44	1	14
		धमधा	1	0	0	1
		अहिवारा	19	10	1	8
8	बालोद	बालोद	72	70	2	0
		गुरूर	19	13	0	6
		गुण्डरदेही	68	33	0	35
		डौण्डीलोहारा	6	4	0	2
		डौण्डी	13	6	0	7
		अर्जुन्दा	18	17	0	1
		मार्री बंगला देवरी	4	3	0	1
9	बेमेतरा	बेमेतरा	111	54	0	61
		दाढ़ी	3	3	0	1
		साजा	12	5	0	10
		थानखम्हरिया	13	10	1	6
		देवकर	1	0	0	1
		बेरला	35	13	0	22
		भिम्भौरी	21	9	0	12
		नवागढ़	22	12	0	10
		नांदघाट	2	2	0	0
10	राजनांदगांव	घुमका	40	31	0	9
		राजनांदगांव	54	36	0	18
		डोंगरगांव	36	22	4	10
		छुरिया	13	7	2	4
		कुमरदा	2	1	0	1
		डोंगरगढ़	12	6	1	5
		लाल बहादुर नगर	12	12	0	0
11	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	खैरागढ़	82	46	7	29

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स.क.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
		छुईखदान	28	22	1	5
		गण्डई	15	5	0	10
		साल्हेवारा	2	0	0	2
12	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	मोहला	15	11	0	4
		मानपुर	6	6	0	0
		अंबागढ़ चौकी	33	22	0	11
		खड़गांव	4	4	0	0
		औंधी	1	1	0	0
13	कबीरधाम	कवर्धा	55	50	2	3
		पिपरिया	6	5	0	1
		सहसपुर लोहारा	22	19	0	3
		बोड़ला	39	34	0	5
		रेंगाखारकला	0	0	0	0
		पण्डरिया	6	4	0	2
		कुण्डा	2	1	0	1
		कुकदुर	5	5	0	0
14	बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	0	0	0	0
		जगदलपुर	41	16	0	25
		बस्तर	11	11	0	0
		बकावण्ड	0	0	0	0
		नानगुर	0	0	0	0
		करपावण्ड	0	0	0	0
		भानपुरी	1	1	0	0
		तोकापाल	9	6	1	2
		दरभा	0	0	0	0
		बास्तानार	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स.क.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
15	कोण्डागांव	कोण्डागांव	5	5	0	0
		मर्दापाल	0	0	0	0
		माकड़ी	1	1	0	0
		फरसगांव	5	4	0	1
		धनोरा	1	1	0	0
		केशकाल	9	4	0	5
		बड़ेराजपुर	3	0	1	2
16	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	29	16	1	12
		सरोना	3	1	0	2
		नरहरपुर	7	5	1	1
		चारामा	8	5	1	2
		भानुप्रतापपुर	4	1	2	1
		दुर्गूकोंदल	2	2	0	0
		अन्तागढ़	3	0	0	3
		आमाबेड़ा	0	0	0	0
		कोयलीबेड़ा	0	0	0	0
		बान्दे	5	1	0	4
		पखांजूर	12	3	0	9
17	नारायणपुर	नारायणपुर	8	8	0	0
		छोटेडोंगर	0	0	0	0
		ओरछा	0	0	0	0
		कोहकामेटा	0	0	0	0
18	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	12	4	0	8
		गीदम	17	14	0	3
		कुआकोण्डा	2	0	0	2
		कटेकल्याण	0	0	0	0
		बड़ेबचेली	0	0	0	0
		बारसूर	1	0	0	1
19	सुकमा	सुकमा	4	3	1	0
		दोरनापाल	0	0	0	0
		जगरगुण्डा	0	0	0	0
		गादीरास	0	0	0	0
		छिन्दगढ़	0	0	0	0
		कोन्टा	1	1	0	0
		तोंगपाल	0	0	0	0
20	बीजापुर	बीजापुर	5	3	0	2
		गंगालूर	0	0	0	0
		भैरमगढ़	1	0	0	1
		कुटरू	0	0	0	0

अनुपम अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
		भोपालपटनम	4	4	0	0
		उसूर	1	1	0	0
21	बिलासपुर	बिलासपुर	422	240	19	163
		बेलतरा	16	8	0	8
		कोटा	7	5	0	2
		बेलगहना	2	2	0	0
		रतनपुर	18	6	1	11
		तखतपुर	2	2	0	0
		सकरी	18	8	0	10
		बिल्हा	34	31	1	2
		बोदरी	42	37	2	3
		मस्तुरी	16	16	0	0
		सीपत	16	16	0	0
		पचपेड़ी	4	4	0	0
22	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	पेण्ड्रारोड	35	20	0	15
		पेण्ड्रा	16	9	0	7
		सकोला	3	3	0	0
		मरवाही	3	2	0	1
23	मुंगेली	मुंगेली	26	13	0	13
		जरहागांव	7	3	0	4
		पथरिया	115	109	3	3
		लोरमी	27	22	0	5
		लालपुर थाना	2	2	0	0
		सरगांव	0	0	0	0
24	कोरबा	कोरबा	40	36	1	3
		भैंसमा	16	13	3	0
		अजगरबहार	0	0	0	0
		बरपाली	14	12	0	2
		करतला	3	3	0	0
		कटघोरा	23	19	0	4
		दर्री	15	10	1	4
		दीपका	18	11	3	4
		पाली	13	13	0	0
		हरदीबाजार	28	26	2	0
		पोंडीउपरोड़ा	34	21	4	9
		पसान	2	2	0	0
25	रायगढ़	रायगढ़	183	142	19	22
		पुसौर	94	50	16	28
		खरसिया	25	7	2	16

अनुपम अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
... रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
		घरघोड़ा	16	6	1	9
		तमनार	12	2	0	10
		लैलूंगा	9	6	3	0
		मुकडेगा	4	4	0	0
		धरमजयगढ़	14	7	3	14
		छाल	14	10	1	3
		कापू	3	2	0	1
26	जांजगीर–चांपा	चाम्पा	32	22	0	10
		जांजगीर	48	45	0	3
		अकलतरा	27	18	0	9
		पामगढ़	22	21	0	1
		नवागढ़	0	0	0	0
		शिवरीनारायण	28	26	1	1
		बलौदा	12	11	0	1
		बम्हनीडीह	0	0	0	0
		सारागांव	0	0	0	0
27	सक्ती	जैजैपुर	1	0	0	1
		मालखरौदा	12	8	1	3
		अड़भार	28	15	2	11
		चन्द्रपुर	10	8	0	2
		डभरा	18	13	0	5
		नया बाराद्वार	3	1	0	2
		भोथिया	2	0	0	2
		सक्ती	9	3	0	6
		हसौद	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स.क.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
28	सरगुजा	अम्बिकापुर	65	38	2	25
		दरिमा	3	3	0	0
		लुण्ड्रा	7	1	0	6
		सीतापुर	11	4	0	7
		लखनपुर	3	2	0	1
		उदयपुर	2	1	0	1
		बतौली	0	0	0	0
		मैनपाट	2	0	0	2
29	सूरजपुर	सूरजपुर	84	46	0	38
		लटोरी	39	18	0	21
		प्रतापपुर	37	13	0	24
		भैयाथान	25	14	0	11
		भटगांव	16	2	0	14
		ओड़गी	3	1	0	2
		बिहारपुर	6	1	0	5
		रामानुजनगर	27	14	0	13
		प्रेमनगर	5	3	0	2
30	बलरामपुर–रामानुजगंज	बलरामपुर	7	5	0	2
		डौरा–कोचली	4	4	0	0
		कुसमी	2	1	0	1
		सामरी	0	0	0	0
		चांदो	0	0	0	0
		वाड्रफनगर	51	24	0	27
		रघुनाथनगर	3	2	0	1
		चलगली	0	0	0	0
		रामानुजगंज	18	11	0	7
		रामचंद्रपुर	1	1	0	1
		राजपुर	14	12	0	2
		शंकरगढ़	5	0	0	5
31	जशपुर	कुनकुरी	27	20	0	7
		मनोरा	0	0	0	0
		कांसाबेल	8	4	0	4
		जशपुर	24	7	1	16
		दुलदुला	3	2	0	1
		पत्थलगांव	30	17	0	13
		फरसाबहार	4	1	0	3
		बगीचा	3	2	0	1
		बागबहार	7	3	0	4
		सन्ना	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
...लय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
		तपकरा	5	1	0	4
32	कोरिया	पटना	23	20	1	2
		बैकुंठपुर	52	45	0	7
		सोनहत	2	0	0	2
		पोंडी–बचरा	3	1	0	2
33	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	केल्हारी	8	6	0	2
		खड़गवां	0	0	0	0
		चिरमिरी	0	0	0	0
		मनेन्द्रगढ़	28	8	0	20
		भरतपुर	1	0	0	1
		कोटाडोल	0	0	0	0
		कुल योग	7107	4859	234	2037

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - सत्तासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्र. 267) की जानकारी

प्रपत्र– अ

वर्ष	वन भूमि अतिक्रमण (हेक्टेयर में)	अतिक्रमण मुक्त कराई गई वन भूमि (हेक्टेयर में)	लंबित अतिक्रमण (हेक्टेयर में)
1	**2**	**3**	**4**
2023	575.736	508.706	67.030
2024	62.476	46.274	16.202
2025	110.355	8.641	101.71
कुल योग–	**748.567**	**563.621**	**184.946**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र– ब

राशि लाख में

वित्तीय वर्ष	मद का नाम					
	कैम्पा मद		प्रोजेक्ट टायगर		योग	
	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2	3	4	5	6	7	8
2023-24	195.326	165.836	178.330	131.665	373.656	297.501
2024-25	162.751	122.170	149.977	143.577	312.728	265.747
2025-26	169.481	105.921	268.078	241.687	437.559	347.608
कुल योग–	**527.558**	**393.927**	**596.385**	**516.929**	**1123.943**	**910.856**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र– स

मानव– वन्यजीव संघर्ष के प्रकरणों में मुआवजा वितरण की स्थिति

राशि रूपये में

वित्तीय वर्ष	जनहानि प्रकरण संख्या	मुआवजा राशि	जनघायल प्रकरण संख्या	मुआवजा राशि	पशुहानि प्रकरण संख्या	मुआवजा राशि	फसल हानि प्रकरण संख्या	मुआवजा राशि	मकान हानि प्रकरण संख्या	मुआवजा राशि	अन्य संपत्ति हानि प्रकरण संख्या	मुआवजा राशि	कुल प्रकरण संख्या	कुल मुआवजा भुगतान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-24	0	0	8	394204	24	251500	195	2133349	20	234618	28	484324	275	3497995
2024-25	1	600000	5	120019	31	360000	107	1063273	4	46000	9	214885	157	2404177
2025-26	2	1200000	0	0	43	522000	222	2677272	11	152677	1	20000	279	4571949
कुल योग–	**3**	**1800000**	**13**	**514223**	**98**	**1133500**	**524**	**5873894**	**35**	**433295**	**38**	**719209**	**711**	**10474121**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर